चतुर्दश माला, खंड 7, अंक 10

शुक्रवार, 11 मार्च, 2005
20 फाल्गुन, 1926 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Acc. No. 58
Dated 19/12/05

(खण्ड 7 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.नां. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 7, चौथा सत्र, 2005/1926 (शक)]

अंक 10, शुक्रवार, 11 मार्च, 2005/20 फाल्गुन, 1926 (शक)

विषय		कॉलम
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख		
दांडी यात्रा का प्लैटिनम जुबली समारोह		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	121 और 124 से 126	2-54
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	122, 123 और 127 से 140	54-195
अतारांकित प्रश्न संख्या	1340 से 1493	195-444
सभा पटल पर रखे गए पत्र		445
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति		
चौथा प्रतिवेदन		447
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति		
चौथा, पांचवां और छठा प्रतिवेदन		447
कार्य मंत्रणा समिति		
आठवां प्रतिवेदन		448
सभा का कार्य		448-453
सदस्यों द्वारा निवेदन		
झारखंड राज्य में राजनीतिक स्थिति		456-473
रेल बजट—2005-2006, सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगे (रेल), 2005-2006 अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल), 2004-2005		
श्री जय प्रकाश		474
श्री सीताराम सिंह		478
श्री राजाराम पाल		480
श्री पी. मोहन		483
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय		488

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री के.सी. सिंह "बाबा"	494
श्री रेवती रमन सिंह	497
श्री एल. गणेशन	498
श्री किशन सिंह सांगवान	502
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	503
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित	
(एक) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2004	
श्री रायापति सांबासिवा राव	503
(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 (अनुच्छेद 80 आदि का संशोधन)	
श्री पवन कुमार बंसल	504
(तीन) प्रतिभूति पत्रों पर पहचान चिह्नों का उपबंध विधेयक, 2005	
श्री एस.पी.वाई. रेड्डी	504
(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (नए अनुच्छेद 25क का अंत:स्थापन)	
योगी आदित्यनाथ	505
(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (अनुच्छेद 44 आदि का लोप)	
योगी आदित्यनाथ	506
(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005 (अनुच्छेद 1 का संशोधन)	
योगी आदित्यनाथ	506
(सात) केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक, 2005	
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	507
(आठ) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2005	
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	507
(नौ) जवाबदेही ब्यूरो विधेयक, 2005	
श्री मोहन सिंह	507

विषय कॉलम

(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005
(अनुच्छेद 37 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

श्री मोहन सिंह 509

(ग्यारह) नि:शुल्क और एक समान शिक्षा विधेयक, 2005

श्री ब्रजेश पाठक 509

(बारह) नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2005

श्री ब्रजेश पाठक 510

(तेरह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005
(अनुच्छेद 324 का संशोधन)

श्री मोहन सिंह 510

(चौदह) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2005

श्री ब्रजेश पाठक 511

(पन्द्रह) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन)
विधेयक, 2005 (अनुसूची का संशोधन)

श्री बसुदेव आचार्य 512

(सोलह) गरीब और निराश्रित विधवा (पुनर्वास और कल्याण)
विधेयक, 2005

श्री रामदास आठवले 512

(सत्रह) भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक, 2005

श्री रामदास आठवले 513

(अठारह) परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2005
(धारा 2 का संशोधन)

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 513

(उन्नीस) तम्बाकू उत्पादक (प्रसुविधा) विधेयक, 2005

श्री रायापति सांबासिवा राव 514

(बीस) विद्युत (ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र को अग्रता प्रदाय)
विधेयक, 2005

श्री रायापति सांबासिवा राव 515

(इक्कीस) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005
(नई धारा 4 का अंत:स्थापन)

श्री रायापति सांबासिवा राव 515

विषय कॉलम

(बाईस) एकांतता संरक्षण और वीडियो दृश्यरतिकता निवारण विधेयक, 2005

श्री पवन कुमार बंसल 516

(तेईस) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2005
(नई धारा 13कख, 13कग और 13कघ का अंत:स्थापन)

श्री इकबाल अहमद सरडगी 516

(चौबीस) फसल बीमा विधेयक, 2005

श्री इकबाल अहमद सरडगी 517

(पच्चीस) अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2005

श्री इकबाल अहमद सरडगी 517

(छब्बीस) बालक श्रम उत्सादन विधेयक, 2005

श्री इकबाल अहमद सरडगी 518

(सत्ताईस) धर्म परिवर्तन का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2005

श्री काशीराम राणा . . . 519

(अट्ठाईस) एयरलाइंस (विलम्ब के लिए शास्ति) विधेयक, 2005

श्री काशीराम राणा 519

(उनतीस) दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक, 2005

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल . . . 520

(तीस) अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004—विचाराधीन

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 521

श्री के.एस. राव 526

श्री बसुदेव आचार्य 536

श्री मोहन सिंह 538

कुमारी ममता बैनर्जी 544

श्री भर्तृहरि महताब 553-560

विषय	**कॉलम**

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 561-562

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 562-568

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 569-570

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 569-572

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

शुक्रवार, 11 मार्च, 2005/20 फाल्गुन, 1926 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

दांडी यात्रा का प्लैटिनम जुबली समारोह

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं, 12 मार्च, 2005 को राष्ट्र दांडी यात्रा की प्लैटिनम जुबली मनाएगा। इस ऐतिहासिक अवसर पर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देशभक्त स्वयंसेवकों के एक समूह के साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक कर लगाए जाने को चुनौती दी थी। नमक सत्याग्रह के माध्यम से अहिंसक विरोध का देश भर में सभी क्षेत्रों, वर्गों और जातियों के लोगों पर प्रभाव पड़ा था।

इस अवसर पर, हम अपने स्वतंत्रता संघर्ष में आदर्शवाद और आत्मबलिदान की भावना का स्मरण करते हैं और राष्ट्रपिता तथा अहिंसक सत्याग्रहियों, जिनके साहसिक प्रयासों से देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, की स्मृति में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

राजसहायता संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाना

\+

*121. श्री बी. विनोद कुमार :
श्री बाडिगा रामकृष्णा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुधार काल-शुरू होने के बाद के आरंभिक वर्षों में राजसहायता में लगातार वृद्धि हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रवार कितनी राजसहायता प्रदान की गयी;

(ग) सरकार ने उर्वरकों, पेट्रोलियम और खाद्यान्नों पर राजसहायता कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार राजसहायता संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) उपभोक्ताओं पर ऐसी नीति का क्या प्रभाव पड़ेगा?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम) : (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) सकल घरेलू उत्पाद के समानुपात के रूप में, केन्द्र सरकार की राजसहायता सुधार अवधि के प्रारंभिक वर्षों में लगातार नहीं बढ़ी है। दूसरी तरफ, इसमें 1990-91 और 1995-96 के बीच लगातार गिरावट आई है। 1990-91 से राजसहायताओं के ब्यौरे निम्न सारणी में दिए गए हैं:

वर्ष	कुल राजसहायता	जिसमें से खाद्य	जिसमें से उर्वरक	कुल राजसहायता	जिसमें से खाद्य	जिसमें से उर्वरक
	(करोड़ रुपए)			(स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)		
1	2	3	4	5	6	7
1990-91	9133	2450	4389	1.61	0.43	0.77

1	2	3	4	5	6	7
1991-92	10183	2850	5185	1.56	0.44	0.79
1992-93	10824	2800	5796	1.45	0.37	0.77
1993-94	11605	5537	4562	1.35	0.64	0.53
1994-95	11854	5100	5769	1.17	0.50	0.57
1995-96	12666	5377	6735	1.07	0.45	0.57
1996-97	15499	6066	7578	1.13	0.44	0.55
1997-98	18540	7900	9918	1.22	0.52	0.65
1998-99	23593	9100	11596	1.36	0.52	0.67
1999-2000	24487	9434	13244	1.26	0.49	0.68
2000-01	26838	12060	13800	1.28	0.58	0.66
2001-02	31210	17499	12595	1.37	0.77	0.55
2002-03*	43533	24176	11015	1.77	0.98	0.45
2003-04*	44256	25160	11847	1.60	0.91	0.43
2004-05(स.अ.)*	46514	25800	15662	1.50	0.83	0.50
2005-06(ब.अ.)*	47432	26200	16254	1.36	0.75	0.47

*पेट्रोलियम पर राजसहायता शामिल है।

स्रोत : व्यय बजट खण्ड 1, विभिन्न विषय।

टिप्पणी : खाद्य उर्वरक, पेट्रोलियम संबंधी अप्रत्यक्ष राजसहायता ही शामिल है, साथ में एमआईएस/पीपीएस के लिए नैफेड को अनुदान, चीनी, खाद्य तेलों का आयात/निर्यात आदि, ब्याज राजसहायता और बजट में दर्ज अन्य बातें भी शामिल हैं।

(ग) सरकार द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ निकायों की सिफारिशें और विभिन्न संगठनों द्वारा प्रभाव के आकलन के आधार पर, सभी तीन क्षेत्रों अर्थात खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम, में राजसहायता प्रदान करने की प्रणाली में पिछले कुछ वर्षों में बदलाव आया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसका लक्ष्य गरीबों (गरीबी रेखा से नीचे के लोग) को खाद्य राजसहायता प्रदान करना है, वर्ष 1997 से प्रचालन में है। उर्वरक राजसहायता का पुनर्गठन व्यय सुधार आयोग द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर 1 अप्रैल, 2003 से क्रमिक रूप में किया जा रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों की नियंत्रित मूल्य प्रक्रिया को समाप्त करने के कारण, पेट्रोलियम राजसहायता वर्ष 2002-03 से बजट में शामिल की गई है।

(घ) से (च) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) में सरकार की नीतियों की व्यापक रूपरेखा निर्दिष्ट की गई है। गरीबों

और वास्तविक जरूरतमंदों जैसे लघु एवं सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों और शहरी मजदूरों पर पूरी तरह राजसहायता लक्षित करना एनसीएमपी का एक महत्वपूर्ण संघटक है। इस बारे में, 23 दिसम्बर, 2004 को संसद में "भारत में केन्द्रीय सरकार की सब्सिडियां (राजसहायता)" नामक एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। सरकार प्रस्ताव का विभिन्न जोखिम धारकों से परिचर्चा और परामर्शों के आधार पर राजसहायता लक्षित करने और उपभोक्ताओं पर ऐसे किसी कदम के प्रभाव के एक सतर्क आकलन के बाद एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का है।

श्री बी. विनोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने सभा पटल पर रखे उत्तर को पढ़ लिया है।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का लक्ष्य छोटे और मंझोले किसानों जैसे गरीब और जरूरतमंद लोगों को राजसहायता देना था। इसकी प्राप्ति हेतु माननीय वित्त मंत्री ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन इस सभा में 'भारत में केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राजसहायता' शीर्षक वाली एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। मैंने वह रिपोर्ट पढ़ी है।

महोदय, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं को राजसहायता हेतु उनकी वांछनीयता के संदर्भ में तीन-स्तरीय सोपानों अर्थात् मेरिट-एक, मेरिट-दो और नॉन-मेरिट में विभाजित किया गया है। किसानों को दी जाने वाली उर्वरक राजसहायता और अन्य राजसहायताओं को न तो मेरिट-एक और न ही मेरिट-दो में दर्शाया गया है और अनुमानतः उन्हें नॉन मेरिट श्रेणी में शामिल किया गया है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वे यह बताएं कि सरकार किसानों द्वारा आत्महत्या करने के मामलों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उर्वरक और अन्य कृषि राजसहायता को श्रेणीबद्ध करने हेतु क्या कदम उठाना चाहती है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, राष्ट्रीय संस्थान द्वारा किया गया श्रेणीबद्ध करने का काम इस बात पर आधारित है जिसे अर्थशास्त्री राजसहायता का बाहरीकरण करना कहते हैं। अतः मैं यह मानता हूं कि हमें इस बात पर विचार करने की जरूरत नहीं है कि यह मेरिट-एक है या मेरिट-दो अथवा नॉन-मेरिट। ये सब वे तकनीकी शब्द हैं जिन्हें अर्थशास्त्री राजसहायता के बाहरीपन के आधार पर प्रयोग करते हैं। आपको यह पूछने की जरूरत है कि सरकार की क्या नीति है और सरकार की नीति कैसी होनी चाहिए। मैंने तत्संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं। हमने परामर्शदायी समिति में चर्चा की है। मैं प्रसन्न होऊंगा यदि माननीय अध्यक्ष महोदय इस पर चर्चा करने का समय निर्धारित कर दें ताकि हम सभी मामलों पर चर्चा कर सकें। मेरे बजट भाषण में सरकार की नीति के बारे में बताया गया है और हमारा यह मानना है कि राजसहायता गरीबों की रक्षा करने का एक उपाय है और हम यह मानते हैं कि हमारे आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में खाद्य राजसहायता और उर्वरक राजसहायता देना जारी रखा जाना चाहिए।

श्री बी. विनोद कुमार : चूंकि कृषि आदानों पर हमारी राजसहायता विश्व व्यापार संगठन संधि के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्तर से काफी कम है तो क्या उर्वरक और अन्य आदानों जैसे कृषि आदानों पर और अधिक राजसहायता देना वांछनीय नहीं है?

श्री पी. चिदम्बरम : हम उर्वरकों पर राजसहायता दे रहे हैं। यदि माननीय सदस्य व्यय बजट के खंड-एक के अनुबंध-3.1 को देखें—बजट की प्रतियां माननीय सदस्यों के पास हैं—तो आप पृष्ठ-72 पर यह पाएंगे कि मुख्य राजसहायता के अंतर्गत उर्वरकों को दी गई राजसहायता सूचीबद्ध की गई है। और वर्ष 2005-06 के बजट में स्वदेशी यूरिया खाद हेतु 10,110 करोड़ रुपये की राजसहायता दी जाएगी। आयातित यूरिया उर्वरक हेतु यह राजसहायता 944 करोड़ रुपये है। फिर, विनियंत्रित उर्वरक की बिक्री में, बजट 2005-06 में किसानों को 5200 करोड़ रुपये की छूट दी गई है। अतः हम उर्वरकों पर राजसहायता दे रहे हैं जो किसानों के लिए एक आदान है।

श्री बाडिगा रामकृष्ण : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि कृपया वे उन क्षेत्रों का ब्यौरा दें जिसमें सरकार का राजसहायता में भारी कटौती करने का विचार है और सरकार की छोटे किसानों और गरीब लोगों की किस प्रकार से सहायता करने की योजना है?

श्री पी. चिदम्बरम : अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सरकार ने जो कुछ भी किया है उसे चर्चा हेतु सभा पटल पर रख दिया है। मैंने कहा है कि जब तक सभी पूंजीधारकों से परामर्श नहीं किया जाता है और सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श नहीं होता है तब तक कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।

श्री खारबेल स्वाईं : महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह उल्लेख किया है कि सरकार का विचार लक्षित राजसहायता हेतु एक राष्ट्रीय नीति बनाने का है। मेरा प्रश्न यह है: सरकार लक्षित राज-सहायता की नीति की किस प्रकार परिकल्पना करती है? क्या सरकार राज्य सरकारों द्वारा दी गई बी.पी.एल. परिवारों की सूची में विश्वास रखती है? अधिकांशतः ये आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर दिए गए होते हैं। यहां तक कि मेरे अपने क्षेत्र बालासोर जैसे समृद्ध जिले में यह आंकड़ा 84 प्रतिशत है। अतः मेरा प्रश्न यह है कि : सरकार एक सही बी.पी.एल. सूची बनाने हेतु क्या नीति अपनाना चाहती है?

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ राज्यों में संभवतया कुछ राज्यों के कुछ जिलों में आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर दिए गए हैं। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है बी.पी.एल. परिवारों की संख्या बढ़ाने का अर्थ यह है कि राजसहायता गरीबों को नहीं दी जा रही है। संभवतया अमीर व्यक्तियों को इस राजसहायता का लाभ मिल रहा है। ये ऐसे मामले हैं जिनमें केन्द्र सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है। राज्य सरकारों को स्वयं यह महसूस करना चाहिए कि बी.पी.एल. परिवारों की संख्या अधिक बताना लोगों और राज्य के संसाधनों पर डाका डालना है। वस्तुत: माननीय सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र, अपने जिले में इस समस्या को सुलझाना चाहिए और अपनी सरकार को इस बात के लिए राजी करना चाहिए कि वे लोगों, जो बी.पी. एल. पाने के हकदार हैं, की संख्या की समीक्षा करे। मैं समझता हूं कि उन्हें यह शिकायत अपनी सरकार को करनी चाहिए और वे यह देखें कि इस संख्या में कमी लाई जाए।

श्री खारबेल स्वाईं : हम ऐसा कर रहे हैं। हम इस संबंध में आपकी सहायता कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसी प्रकार के भाईचारे की जरूरत है।

श्री प्रबोध पाण्डा : महोदय, माननीय मंत्री जी इस तथ्य से अवगत है कि विकसित देश विशेषकर जी-7 देश कृषि क्षेत्र में भारी राजसहायता दे रहे है जबकि हमारे देश में कृषि क्षेत्र में राजसहायता कम है। राजसहायता से जिन्सों के सस्ती दर पर बाजार में उपलब्ध होने में सहायता मिलती है। अत: अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों बाजारों के लिए कृषि क्षेत्र में ज्यादा राजसहायता की आवश्यकता है। क्या सरकार कृषि क्षेत्र में और अधिक राजसहायता देने पर विचार कर रही है ताकि हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरों से मुकाबला कर सकें।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मेरा विचार है कि प्रश्न किसानों को राजसहायता देने के बारे में था ताकि उन्हें आदानों पर राजसहायता मिल सके जोकि उर्वरक राजसहायता है। एक अन्य प्रकार की राजसहायता है जो उचित खरीद मूल्य का निर्धारण करने के माध्यम से दी जाती है। उचित खरीद मूल्य भी राजसहायता का एक रूप हैं यह उत्पादक राजसहायता है।

उर्वरकों के मामलों में राजसहायता आगम राजसहायता है। ये दो राजसहायताएं दी जा रही हैं।

माननीय सदस्य जो चाहते है वह है निर्यात राजसहायता जिससे कि विश्व बाजार में भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। मैं सोचता हूं कि इसे नीतिगत बनाने के लिए इस पर वाद-विवाद किया जा सकता है। समय-समय पर कुछ राजसहायताएं दी जा रही हैं।

उदाहरण के लिए जब हमें ऐसे खाद्यान्नों का बड़ा भंडार बाहर निकलना पड़ा था जो दो-एक वर्ष पूर्व से यहां पड़ा हुआ था तो कुछ राजसहायता दी जानी पड़ी। इससे विश्व बाजार में हमारे उत्पाद प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। मैं नहीं मानता कि मध्यम और दीर्घ अवधि के लिए आप अपने उत्पादों को निर्यात राजसहायता देकर उन्हें विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी बना सकते हैं।

श्री पी.सी. थॉमस : पौध उत्पाद सहित छोटे किसानों के कृषि उत्पाद निर्यात के लिए बहुत ही प्रतिस्पर्धी है। उदाहरण के लिए हमारी काली मिर्च और इलायची है लेकिन भारत और विदेश में इनके मूल्य एक समान हैं। हम इनका निर्यात करने की स्थिति में नहीं हैं दो वर्ष पूर्व प्राकृतिक रबड़ के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। उस समय की सरकार ने निर्यात के लिए राजसहायता दी थी जो वास्तव में किसानों के लिए लाभदायक थी। क्या सरकार इलायची, कालीमिर्च, जैसे पौध वाले उत्पादों और चाय तथा कॉफी पर राजसहायता देने पर विचार करेगी?

श्री पी. चिदम्बरम : मैंने कहा है कि अल्प अवधि के लिए इसे आवश्यक बनाया जा सकता है। किसी विशेष वर्ष में किसी विशेष फसल के संबंध में संग्रहीत भंडार को निपटाने के लिए हम कतिपय राजसहायताएं प्रदान कर सकते है। जब ऐसा होता है तो, हां वर्तमान सरकार इस बात पर विचार करेगी कि क्या किसी प्रकार की छोटी अवधि की सहायता दिये जाने की आवश्यकता है। लेकिन दीर्घ अवधि की नीति के बारे में, मै पहले ही अपने विचार व्यक्त कर चुका हूं। निर्यात हेतु मध्यम और दीर्घ अवधि की सहायता देकर आप अपने उत्पाद को विश्व बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं बना सकते।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने इस संबंध में नीति को स्पष्ट कर दिया है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, राजसहायता के बारे में यहां बहुत सी बातें की गई हैं, लेकिन सब्सिडी के संबंध में जो चित्र हमें दिया गया है, उसमें खाद पर सब्सिडी निरंतर कम हो रही है जबकि खाद्यान्न पर बढ़ रही है - थोड़ी-बहुत वृद्धि हो रही है। अभी वित्त मंत्री जी G-77 देशों की बैठक में भाग लेने गये थे और उन्होंने बड़े देशों से इस बात की शिकायत की थी कि उनके देशों में कृषि पर सब्सिडी जरूरत से ज्यादा है, जिससे पिछड़े हुये मुल्कों के सामने परेशानी की स्थिति पैदा हो जाती है।

अध्यक्ष महोदय, आज भारत में राज सहायता देने की जो पद्धति है, वह किसानों को सीधे न देकर कम्पनियों को दी जाती है और कम्पनियां उस राज सहायता की सहूलियत को किसानों तक ट्रांसफर नहीं करती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत में खाद्यान्न या खाद पर जो राज सहायता देने की पद्धति है, क्या मंत्री जी उसे किसानों को सीधे ट्रांसफर करने की नीति पर विचार करेंगे?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मैं सोचता हूं कि माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। आज उर्वरक राजसहायता, उर्वरक निर्माताओं को दी जा रही है। हमसे इस बात की शिकायत की गई है कि उर्वरक राजसहायता, उर्वरको को उपभोक्ताओं नामत: किसानों तक नहीं पहुंच पा रही है। मैंने परामर्शदात्री समिति में इस मुद्दे को उठाया था। मैने सभा के सामने जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें इस मुद्दे संबंधित पृष्ठ पर फ्लैग लगाया था।

मैं सोचता हूं कि पूरी सभा को इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करना चाहिए। हमें इस प्रकार का रास्ता खोजना होगा जिससे उर्वरकों पर दी जा रही राजसहायता वास्तव में उर्वरकों का उपयोग करने वाले किसानों तक पहुंचें। डा. अलघ समिति इस मामलें का अध्ययन कर रही है। मैं सोचता हूं कि यह समिति उर्वरक राजसहायता के द्वितीय चरण के शुरू में अर्थात् एक अप्रैल, 2006 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर देगी। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि उर्वरकों पर राजसहायता देने संबंधी वर्तमान व्यवस्था पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : सरकार द्वारा राजसहायता संबंधी नीति के मानकीकरण हेतु और राज्य सरकारों के साथ इसके लिए सहयोग हेतु क्या कदम उठाए गए है। सरकार द्वारा सही समय पर सही राजसहायता के माध्यम से किसानों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए है?...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : हम कृषि क्षेत्र को राजसहायता दे रहे है। हम खरीद मूल्य के माध्यम से एक प्रकार की उत्पादक राजसहायता दे रहे है। सरकार द्वारा अन्य राजसहायताओं की तुलना में ये दो सहायताएं सबसे अधिक है। उदाहरण के लिए चालू वर्ष 2004-05 में संशोधित प्राक्कलन के अनुसार खाद्य राजसहायता 25,800 करोड़ रुपए होगी और उर्वरक राजसहायता 15,662 करोड़ रुपए होगी।

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में जिस नीति की रूपरेखा बनाई गई है वह यह है कि राजसहायता दी जानी चाहिए, और मेरा विश्वास है कि हमारे जैसे निर्धन देश में वास्तविक रूप से जरूरतमंदो और निर्धनो को लक्ष्य बनाकर राजसहायता दी जानी चाहिए। मैं सोचता हूं कि आज समस्या यह नही है कि क्या हमें राजसहायता देनी चाहिए अथवा नहीं। यह मुद्दा नहीं है। राजसहायता दी जानी चाहिए, लेकिन मुद्दा यह है कि हम किस प्रकार वास्तविक रूप से जरूरतमंदो और वास्तविक रूप से निर्धन को लक्ष्य बनाकर राजसहायता प्रदान करें।

श्री किन्जरपु येरननायडु : हमें सुपुर्दगी प्रणाली को सुदृढ़ करना होगा।

श्री एन.एन. कृष्णदास : अध्यक्ष महोदय, ऐसा लगता है कि कृषि क्षेत्र के कुछ खाद्यान्न उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। मैं धान उगाने वाले राज्य केरल का रहने वाला हूं। मेरे राज्य में किसानों के लिए धान का उत्पादन करना घाटे का सौदा है। लेकिन वे खाद्यान्नों का उत्पादन करके समाज का पेट भर रहे है। इसके मद्देनजर, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार किसानों को खाद्यानों के उत्पादन के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई विशेष पैकेज प्रदान करेगी।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं खाद्यान्नों की उत्पादन लागत का विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन मुझे जो थोड़ा-बहुत पता है वह यह है कि एक सामान्य वर्ष में खाद्यान्न के उत्पादन विशेषकर धान उत्पादन के परिणामस्वरूप नुकसान का कोई कारण नहीं है। मै इस बात से सहमत हूं कि ऐसा शायद सूखे या बेमौसमी वर्षा से हो सकता है। लेकिन हम जिस प्रकार से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों को खरीद मूल्य प्राप्त हो। कृषि मंत्री और मैंने इस मामलें पर विचार-विमर्श किया है और मैंने अपने बजट भाषण में भी इसका उल्लेख किया है। प्रस्ताव यह है कि खरीद का विकेन्द्रीकरण किया जाये ताकि अधिक से अधिक राज्यों में खरीद हो सके और अधिकाधिक राज्यों में अधिकाधिक किसानों को सरकार द्वारा घोषित खरीद मूल्य प्राप्त हो सके। हम ऐसा नहीं कह रहे है कि विद्यमान खरीद को किसी भी प्रकार से समाप्त की जाए, लेकिन खरीद का विकेन्द्रीकरण करके माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई समस्या का समाधान किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री नीतिश कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने जो जानकारी फूड सब्सिडी के संबंध में दी है, खासकर प्रोक्योरमैन्ट के माध्यम से, फूड सब्सिडी का एक बड़ा हिस्सा जाता है। जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है, उसी के अंतर्गत मिनिमम सपोर्ट प्राइस के आधार पर सरकार प्रोक्योरमैन्ट करती है, परन्तु देखा यह जा रहा है कि एक जमाने में जब यह पालिसी प्रारम्भ की गई थी, उस समय यह उचित

थी, क्योंकि हमें फूड के मामले में सैल्फ-सफिशिएन्ट होना था, उस दृष्टिकोण से वह सही थी। लेकिन इसका लाभ गेहूं के मामले में हरियाणा और पंजाब को तथा चावल और धान के मामले में पंजाब एवं आंध्र प्रदेश को मिलता है। बाकी दूसरे राज्यों में, जो धीरे-धीरे सरप्लस होते चले गये हैं, जैसे बिहार और उड़ीसा, ऐसे कई राज्य हैं जहां प्रोक्योरमैन्ट की मांग तो होती है, लेकिन लाख प्रयत्नों के बाद भी प्रोक्योरमैन्ट ठीक ढंग से नहीं हो पाने के कारण वहां के किसानों को प्राइस सपोर्ट स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता हैं आपने अभी कहा कि हमने डीसैन्ट्रलाइज्ड प्रोक्योरमैन्ट की व्यवस्था की है। डीसैन्ट्रलाइज्ड प्रोक्योरमैन्ट पहले से ही है, यह कोई नई बात नहीं है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि देश भर के किसानों को इसका लाभ मिल सके, सीमित इलाके के किसानों को ही यह पूरी की पूरी राशि न चली जाए, उसे ध्यान में रखते हुए क्या आप प्राइस सपोर्ट स्कीम को रिव्यू करते हुए, किसी इंकम सपोर्ट स्कीम की तरफ जायेंगे, ताकि किसानों को एश्योर्ड इंकम मिल सके, देश भर के किसानों को उसका लाभ मिल सके। इस नीति पर जो काम शुरू हुआ था, उसे आगे बढ़ाते हुए, व्यापक रूप में चर्चा कराकर ही सही, क्या सरकार इस दिशा में सरकार विचार करेगी?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय माननीय सदस्य ने दो मुद्दे उठाए है जोकि मैं विश्वास करता हूं कि अलग-अलग है। हम खरीद मूल्य तंत्र के माध्यम से किसानो की सहायता करते है और मैं इनकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि अधिकाधिक राज्यों में खरीद की जानी चाहिए, अधिकाधिक राज्यों में अधिकाधिक खरीद की जानी चाहिए और तत्पश्चात उन राज्यों में संवितरण किया जाए। अब थोड़े से राज्यों में ही अधिकतर खरीद हो रही है। इसलिए यदि आपको मेरा बजट भाषण याद हो तो मैंने कहा कि खरीद का विकेन्द्रीकरण किया जाए और मुझे विश्वास है कि कृषि मंत्रालय इस संबंध में कार्य कर रहा है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री समय आने पर इस संबंध में वक्तव्य देंगे अथवा माननीय सदस्य इनसे प्रश्न पूछ सकते है। लेकिन मैं खरीद के विकेन्द्रीकरण के विचार का समर्थन करता हूं।

माननीय सदस्य ने इसके जिस अन्य पहलू की बात की है। मुझे विश्वास है कि और यदि मैंने इसे ठीक से समझा है तो वह आय बीमा योजना है जो किसान को यह वचन देती है कि यदि किसान को उसकी बीमाकृत राशि प्राप्त नहीं होती है तो ऐसे मामले में वह किसान को आय और मुआवजा देगी। जैसा हमने कहा है कि बीमा की विभिन्न योजनाएं प्रायोगिक स्तर पर है। इनमें से एक फसल बीमा योजना है। हमने इस वर्ष रबी और खरीफ की फसल तक इसका विस्तार किया हैं हमारे पास मौसम बीमा योजना भी है जिसका प्रयोग किया जा रहा है। कृषि मंत्रालय इस पर अध्ययन कर रहा है। लेकिन मैं सोचता हूं कि बीमा योजना, खरीद मूल्य योजना से बहुत भिन्न है और आज यह योजना किसानों को उत्पादक राजसहायता देने के लिए लागू है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 122 - श्री मनसुखभाई

डी. वसावा - उपस्थित नहीं

श्री एम. अंजनकुमार यादव - उपस्थित नहीं

प्रश्न सं. 123 - श्री दिन्शा पटेल उपस्थित नहीं

श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ - उपस्थित नहीं

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : यह बहुत महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम क्या करें?

[अनुवाद]

आप की तरह मैं भी दुखी हूं। मुझे भी दुख है कि प्रश्न रखने के बाद माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं। यह ऐसा मामला है, जिससे पूरी सभा चिंतित है। उत्तर तैयार करने में अच्छा खासा धन व पैसा खर्च होता हैं माननीय सदस्य भी अपने प्रश्नों के उत्तर लेने के इच्छुक है। मुझे विश्वास है कि उन्हें यह पता होगा कि उनके द्वारा रखे गए प्रश्न एक दिन विशेष को आने हैं तथा प्रश्न करने के लिए उन्हें उपस्थित होना चाहिए। मैं केवल अपनी अप्रसन्नता व्यक्त कर सकता हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडू : अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा के लिए हम एक नोटिस देंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के बिना, मैं आधे घंटे की चर्चा की अनुमति किस प्रकार दे सकता हूं? आप नियमों से भली-भांति परिचित हैं।

[हिन्दी]

किसानों को ऋण

***124. श्रीमती किरण माहेश्वरी :**
श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा घोषित अधिस्थगन के बावजूद बैंक उन किसानों की संपत्तियों की अभी कुर्की करने की कोशिश कर रहे हैं जो ऋण का भुगतान करने में असमर्थ हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार लघु एवं सीमांत किसानों को ऋण प्रदान करने हेतु कोई विशेष योजना बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक बैंकों द्वारा राज्य-वार किसानों को कितना ऋण प्रदान किया गया;

(च) वर्ष 2005-06 के दौरान कृषि ऋण के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(छ) कृषि ऋण के उचित उपयोग हेतु किसानों को क्या प्रशिक्षण दिया गया; और

(ज) सरकार द्वारा महाजनों की भूमिका को समाप्त कर किसानों को बिना किसी झंझट के ऋण प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ज) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) इस तरह की कोई घटना सरकार की जानकारी में नहीं लाई गई है।

(ग), (घ) और (ज) बैंक छोटे और सीमांत किसानों को पहले ही स्व-सहायता समूहों, काश्तकार समूहों (टीएफजी) और किसान क्रेडिट कार्डों के जरिए ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ऋणी किसानों, विपत्ति में पड़े किसानों को ऋण में राहत देने, ऋण खातों के पुनर्निर्धारण, छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए एकबारगी निपटान योजना तथा किसानों के गैर-संस्थागत स्रोतों के ऋण के मोचन हेतु योजना के संबंध में आवश्यक मार्गनिर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जिला स्तर की तकनीकी समितियों (डी.एल.टी.सी.) को निर्देश दे दिए गए हैं। कि वास्तविक वित्तमान निर्धारित करें तथा बैंकों को सलाह दी गई है कि 50,000 रुपए तक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षाओं से छूट दें।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों द्वारा कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों के लिए ऋणों के ब्यौरे संलग्न: अनुबंध में दिए गए है।

(च) वर्ष 2005-06 के लिए कृषि ऋण हेतु लक्ष्य वर्ष 2004-05 की उपलब्धि की तुलना में 30 प्रतिशत अधिक होंगे।

(छ) कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों की संस्थाओं द्वारा किसानों के लिए प्रशिक्षण के अलावा, विकास वोलन्टीयर वाहिनी के तहत नाबार्ड द्वारा स्थापित 1000 किसान क्लब तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कई ग्रामीण विकास एवं स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थाओं द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

अनुबंध

2001-2002, 2002-03 और 2003-04 के दौरान कृषि और संबद्ध क्रियाकलापों के तहत राज्य-वार आधार स्तरीय ऋण (जीएलसी) संवितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	चण्डीगढ़	38,769	17,848	37,245
2.	नई दिल्ली	141,581	182,540	242,367
3.	हरियाणा	400,908	463,705	628,620
4.	हिमाचल प्रदेश	25,658	31,358	38,232
5.	जम्मू-कश्मीर	4,960	5,746	6,619
6.	पंजाब	611,309	762,380	914,790
7.	राजस्थान	258,347	281,911	313,996
	उत्तरी क्षेत्र	1,481,532	1,745,488	2,181,869
8.	अरुणाचल प्रदेश	539	994	390
9.	असम	7,318	10,127	19,129
10.	मणिपुर	142	405	580
11.	मेघालय	642	552	5,184

1	2	3	4	5
12.	मिजोरम	357	684	544
13.	नागालैण्ड	540	540	742
14.	त्रिपुरा	1,739	1,759	3,000
15.	सिक्किम	368	325	425
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	11,645	15,386	29,994
16.	बिहार	70,746	72,260	142,172
17.	झारखण्ड	16,101	20,315	21,461
18.	उड़ीसा	96,925	109,688	127,778
19.	पश्चिम बंगाल	144,881	184,244	212,944
20.	अंडमान और निकोबार	578	382	385
	पूर्वी क्षेत्र	329,231	386,889	504,740
21.	मध्य प्रदेश	230,071	290,285	342,935
22.	छत्तीसगढ़	28,237	46,133	52,377
23.	उत्तर प्रदेश	560,667	618,123	810,833
24.	उत्तरांचल	27,169	48,416	42,589
	मध्य क्षेत्र	846,144	1,002,957	1,248,734
25.	दादरा एवं नागर हवेली	110	59	0
26.	दमन एवं दीव	33	24	0
27.	गुजरात	371,251	408,741	479,822
28.	गोवा	2,444	2,124	3,938
29.	महाराष्ट्र	592,991	503,275	528,487
	पश्चिमी क्षेत्र	966,829	914,223	1,012,247
30.	आन्ध्र प्रदेश	748,287	754,059	1,001,424
31.	कर्नाटक	433,752	466,361	532,600
32.	केरल	260,619	302,961	377,502
33.	लक्षद्वीप	33	26	78
34.	पांडिचेरी	4,073	5,341	6,970
35.	तमिलनाडु	528,105	627,046	695,166
	दक्षिणी क्षेत्र	1,974,869	2,155,794	2,613,740
	कुल	5,610,250	6,220,737	7,591,324
	अन्य बाण्ड*	5,700		
	गैर सरकारी क्षेत्र के वाणिज्य बैंक*	425,412	585,255	1,023,008
	आरआईडीएफ (बैंकों द्वारा किया गया अंशदान)*	163,182	149,985	83,747
	कुल योग	6,204,544	6,955,977	8,698,078

*राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और पूर्ववर्ती राजग सरकार के द्वारा किसानों के आर्थिक विकास की दृष्टि से किसानों को ऋण देने की कई योजनाएं चलाई गई और उन योजनाओं के अंतर्गत किसानों को जो ऋण मिलता था, उस संदर्भ में जब मैंने यहां सवाल पूछा तो मंत्री जी द्वारा जवाब दिया गया कि जो किसान ऋण चुकाने में असमर्थ है, ऐसे असमर्थ किसानों की कुर्की भेजकर, संपत्तियां कुर्क की जा रही हैं, जिससे हमारे देश में कई किसान आत्महत्याएं करने पर मजबूर हो रहे हैं। मुझे यह कहना है कि इनके पास ऐसी कोई लिस्ट नहीं है जिससे पता चल सके कि कहां किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं, जबकि मैं सदन में वे आंकड़े रखना चाहती हूं – आंध्र प्रदेश में करीब 2200 ऐसे किसान हैं जिन्होंने आत्महत्या की है, महाराष्ट्र में 560 किसान हैं, कर्नाटक में 500 किसान हैं, केरल में 350 किसान हैं और पंजाब में 250 ऐसे किसान हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : जो आंकड़े मेरे पास आए हैं, इनसे साफ ज़ाहिर होता है कि जहां किसानों के ऋण की योजनाएं चलाई जाती हैं, वे किसानों के आर्थिक विकास की दृष्टि से चलाई जाती हैं परन्तु कहीं कारणवश अगर किसान ऋण चुकाने में असमर्थ हैं तो आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लैवल टैक्निकल कमेटीज़ उसे वेव करने के लिए समर्थ हैं, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां आईं, जिनके कारण इतने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा? जब वे ऋण चुकाने में असमर्थ थे तो उनका ऋण माफ क्यों नहीं किया गया?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, हमारे लिए यह गंभीर चिंता और शर्म का विषय कि किसानों को आत्महत्या जैसा अतिवादी कदम उठाना पड़ रहा है मैं नहीं समझता कि इस बार पर हम झगड़ा करें कि इसे हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। यह कहने का कोई लाभ नहीं है कि पिछले माह यह हुआ था अथवा पिछली तिमाही में यह हुआ था। कुछ लोग कहेंगे कि पिछले वर्ष यह हुआ था, दो वर्ष पहले यह हुआ था, इसका कोई अर्थ नहीं है।

बात वास्तव में यह है कि यदि संस्थागत ऋण किसान तक नहीं पहुंचता तो वह ऊंची दरों पर स्थानीय महाजनों से ऋण लेने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए, पिछले वर्ष 18 जून को हमने एक नीति की घोषणा की थी कि हम एक निश्चित अवधि में कृषि ऋणों में वृद्धि करेंगे जिससे कि बैंकों से ऋण लेने वाले किसानों की संख्या तेजी से बढ़ेगी - मुझे विश्वास है कि सभा के सभी वर्गों ने इसका व्यापक स्वागत किया था। मुझे नहीं लगता कि कोई इस बारे में झगड़ा कर सकता है। मेरे आदरणीय मित्र भी झगड़ा नहीं कर सकते।

हमने क्या किया है? चालू वर्ष के लिए हमने 1,05,000 करोड़ रु. का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित किया है मैं आपको बताता हूं, मुझे विश्वास है कि 31 मार्च को हम 1,08,500 करोड़ रु. वितरित कर चुके होंगे। हम अपने लक्ष्य बढ़ा सकते थे। यह काफी नहीं है। अगले वर्ष मैंने 1,08,500 करोड़ से ऊपर और 30 प्रतिशत का एक और लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसका अर्थ है कि 1,40,000 करोड़ रु. कृषि ऋण के रूप में दिए जाएंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं तथा मैं आप सभी से अपील करता हूं कि कृपया मेरे साथ कार्य कीजिए, कृपया हमारे साथ कार्य कीजिए, कृपया अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाइए तथा यदि वहां समस्याएं हैं तो उनके बारे में मुझे बताइए।

द्वितीय, हमारे यहां चार करोड़ किसानों को संस्थागत ऋण मिल रहा है। यह संख्या इस वर्ष 4,60,00,000 के आस-पास होगी। अगले वर्ष भी मैंने 50 लाख और किसानों को संस्थागत ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित करने का सुझाव दिया है। परन्तु इस देश में दस करोड़ किसान हैं। काश मैं एक कदम में चार करोड़ से दस करोड़ रु. कर पाता। मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम दोनों प्रकार से ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं अर्थात संस्थागत ऋण के दायरे में और अधिक किसानों को लाने तथा उन्हें महाजनों के चंगुल से बचाने के लिए हम 30 प्रतिशत प्रति वर्ण की दर से कृषि ऋण में तेजी से वृद्धि करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि तीन वर्षों में कुल ऋण दोगुना हो जाए। मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं तथा मुझे आपका समर्थन चाहिए।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : जैसा अभी वित्त मंत्री जी ने बताया है कि वह करीब चार करोड़ किसानों को बैंकों द्वारा लोन देना चाहते हैं, इंस्टीटयूशनल बॉडीज़ के माध्यम से लोन देना चाहते हैं। यह उनका टार्गेट है। इसके साथ एक टार्गेट भी बैंकों को दिया जाता है, लेकिन टार्गेट के अनुरूप बैंकों द्वारा क्या उतने लोन का डिस्बर्समेंट भी होता है, जितना टार्गेट रखा जाता है? यह कहते हुए मुझे दुःख होता है कि सरकार टार्गेट बहुत लम्बा-चौड़ा रखती है, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि उस टार्गेट को हासिल करने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, जिससे कि शत-प्रतिशत टार्गेट प्राप्त किया जा सके? एक तरफ किसानों को सपना दिखाया जाता है कि हम चार करोड़ किसानों को क्रेडिट देने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब लोन डिस्बर्स करने की बात आती है तो मात्र एक करोड़ पचास लाख को ही हम डिस्बर्स कर पा रहे हैं जो कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसी तरीके से हम बहुत सारी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं को क्रियान्वित करने की दृष्टि से किस तरह के प्रयास किये जाते हैं। इसे देखने से लगता है कि हम धरातल से बहुत परे हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि टार्गेट और डिस्बर्समेंट में जो यह भारी अंतर है, इसे दूर करने के लिए वित्त मंत्री के पास क्या योजना है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, पिछली सरकार ने 2003-04 में बताया था कि वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आर आर बी)

तथा सहकारी बैंकों ने किसानों को लगभग 80,000 करोड़ रु. का ऋण दिया। उन्होंने यह जानकारी कतिपय स्रोतों से एकत्र की थी। मैंने उन्हीं स्रोतों से जानकारी एकत्र की है तथा उन स्रोतों का कहना है कि इस वर्ष 31 मार्च तक, पिछले वर्ष के 80,000 करोड़ रु. के मुकाबले हम 1,08,500 करोड़ रु. दे चुके होंगे। यदि मैं उन स्रोतों पर विश्वास करता हूं जिससे उनकी सरकार ने आंकड़े इकट्ठे किए थे तो उन्हें भी उन स्रोतों पर विश्वास करना चाहिए जिनसे मेरी सरकार ने आंकड़े इकट्ठे किए हैं।

बात यह है कि हम बैंकिंग प्रणाली में आने वाले किसानों की संख्या बढ़ा रहे है। हम ऋण की राशि भी बढ़ा रहे हैं। मैं इसकी निगरानी कर रहा हूं। किसी क्षेत्र में कमी के बारे में आपको जो भी जानकारी है, वह आप मुझे बताएं तथा मैं वादा करता हूं कि मैं कार्रवाई करूंगा।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि एन.डी.ए. सरकार के दरम्यान जब किसान आत्महत्या करते थे, तो उसका जिक्र करके यहां बहुत हल्ला हो जाता था और आपके प्रथम बजट के बाद, उस पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए मैंने कहा था कि हमारी सरकार के समय में किसानों द्वारा जो आत्महत्याएं की जा रही थीं, वे अभी बन्द नहीं हुई हैं बल्कि उससे ज्यादा किसान आपके शासन में आने के बाद आत्महत्याएं कर रहे हैं। आपने खुद यह कुबूल किया है कि महाजनों के चंगुल में फंसने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन पूछिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी बताया कि महाजनों के चंगुल में फंसने से किसानों को बचाने के लिए उन्होंने बैंकों को निर्देश दिए हैं और किसानों को बैंकों से लोन देने हेतु काफी धन का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि किसान महाजनों के चंगुल में फंसने से बच सकें। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि किसान महाजनों के पास लोन लेने क्यों जाते हैं, वे महाजनों के पास इसलिए लोन लेने जाते हैं क्योंकि उन्हें बैंकों से लोन नहीं मिलता है।...*(व्यवधान)*.

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने अभी बताया कि बैंकों को सूचना दी गई है कि वे किसानों को ऋण देने में सहायता करें और जो नियम हैं, उनमें छूट दी जाए, लेकिन मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि बैंकों द्वारा नियमों में कोई छूट नहीं दी जा रही है। अधिकतर किसान अनपढ़ होते हैं इसलिए वे बैंकों से लोन नहीं ले सकते। फिर वे अपनी जमीन और लड़की इत्यादि गिरवी रखकर महाजन से लोन लेते हैं, जो दुख की बात है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है? कृपया प्रश्न कीजिए। यह वाद-विवाद नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : माननीय वित्त मंत्री जी ने अभी बताया कि किसानों को बैंकों से लोन नहीं मिल रहा है, ऐसी घटनाएं उनके ध्यान में नहीं आई हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या वे ऐसी घटनाओं की जानकारी लेने का प्रयास करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, मैं अंतिम सवाल माननीय वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि किसानों को नाबार्ड के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए 1000 किसान क्लब बनाए हैं, मैं जानना चाहता हूं कि ये किसान क्लब किस राज्य में हैं, क्योंकि जब हम अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, वहां घूमते हैं, तो हमें ऐसा एक भी किसान क्लब नहीं मिलता जिसमें नाबार्ड द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता हो। उन्होंने किस-किस राज्य में ये किसान क्लब बनाए हैं, वे इसकी जानकारी देने की कृपा करें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप संक्षिप्त प्रश्न करें। आप सब लोग लम्बी-चौड़ी भूमिकाएं बांध रहे हो परन्तु प्रश्न नहीं पूछ रहे।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, मैं किसी पर ऊंगली उठाने में विश्वास नहीं करता। मैं मानता हूं वर्ष दर वर्ष कुछ किसान आत्महत्या करते हैं और मुझे इसका बहुत अफसोस है। परन्तु मैं यह कहकर कि इसका दोषी 'क' है अथवा 'ख' है, किसी की ओर ऊंगली उठाने में विश्वास नहीं करता। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि यदि भारत में 10 करोड़ किसान परिवार हैं तो संस्थागत ऋण प्रणाली के दायरे में वे पहले केवल चार करोड़ थे, अब वे साढ़े चार करोड़ हैं तथा आशा है कि मार्च के अंत तक इसके दायरे में 4.60 करोड़ किसान आ

जाएंगे इसका अर्थ है कि साढ़े पांच करोड़ परिवार अब भी गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, आपने ऐसा कहा था।

श्री पी. चिदम्बरम : यही कारण हैं कि कुछ किसान महाजनों के चंगुल में फंसते हैं। मैं ऋण की राशि बढ़ाने के साथ-साथ संस्थागत ऋण प्रणाली के दायरे में आने वाले किसानों की संख्या बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा हूं। परन्तु मैं किसानों से अपील करता हूं कि वे बैंकों में जाएं और आवेदन करें। ऋण प्रणाली में लगभग 30 प्रतिशत वार्षिक की दर से तेजी से विस्तार होता जा रहा हैं प्रत्येक किसान को ऋण मिले, इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले ही 35 नाम प्राप्त हो चुके हैं। थोड़ा को-ऑपरेट कीजिए। जल्दी-जल्दी बोलिए और प्रश्न पूछिए।

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन : यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह पता है। परन्तु इस स्थिति में हमें प्रश्न काल तीन घंटे का रखना चाहिए।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, हमलोग वित्त मंत्री द्वारा विशेषकर कृषक समुदाय हेतु दिए गए आश्वासनों को सुन रहे हैं। श्री चिदम्बरम ने अपने बजट भाषण में काफी आश्वासन दिए थे। परन्तु मैं दो वर्षों के लिए वित्त समिति का अध्यक्ष रहा था तथा मैंने किसानों की दशा जानने हेतु पूरे देश का दौरा किया था। माननीय प्रधान मंत्री उस समय सदस्य थे। कृषि मंत्री भी एक सदस्य थे। हमने यह देखा है कि वित्त मंत्री इस सभा के जो कुछ भी आश्वासन देते हैं अथवा वह बैंकों को जो कुछ भी आदेश देते है उसका क्रियान्वयन नहीं किया जाता हैं उन्होंने कभी भी इसकी परवाह नहीं की। उदाहरणार्थ, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए अग्रिमों में से बैंक को निश्चित तौर पर 18 प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र को देना होता है। मैं लालू जी के राज्य में गया था। मैंने पाया कि वहां दो प्रतिशत भी नहीं दिया गया था।

उड़ीसा के मामले में भी यह दो प्रतिशत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री महोदय के पास यह सूचना अवश्य होनी चाहिए।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : मैंने इसे रिपोर्ट में भी दिया है।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, कृपया अथवा प्रश्न पूछिए। आप एक वरिष्ठ सदस्य है।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : अब वह कह रहे हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जा रही है। क्या इसका अभिप्राय यह है कि वे प्राथमिकता वाले क्षेत्र हेतु निर्धारित वर्तमान 28 प्रतिशत में और 5.4 प्रतिशत जोड़ने जा रहे हैं? अथवा, क्या वे बिहार में विद्यमान 2 प्रतिशत के स्तर में 30 प्रतिशत जोड़ने जा रहे हैं। बैंक में किसानों को नजरअंदाज किया जाता हैं बैंक कभी भी किसानों का ध्यान नहीं रखते है।

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दन रेड्डी, यह वाद-विवाद नहीं हैं कृपया अपना प्रश्न पूछें।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : यह कोई नई बात नहीं है। ऐसा पहले भी होता रहा हैं

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल ठीक है। यह प्रश्न काल है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि बैंकरो के शिक्षित करने, उन्हें कृषकों की ओर प्रेरित करने तथा उनके द्वारा किसानों पर ध्यान दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है बैंकों में उच्च स्तरों पर इस प्रकार की उपेक्षा नहीं है, यह सिर्फ निचले स्तरों पर हैं मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बैंकरों को शिक्षित करने हेतु उनका क्या कार्यक्रम है।

श्री पी. चिदम्बरम : मैं समझता हूं कि मैंने यह बात स्पष्ट कर दी है कि 30 प्रतिशत की वृद्धि वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले कृषि ऋण की मात्रा में की गयी वृद्धि हैं। चालू वर्ष में, 30 प्रतिशत वृद्धि होने से यह धनराशि करीब 1,08,500 करोड़ रुपये होती है तथा हमने यह लक्ष्य प्राप्त किया है। अगले वित्तीय वर्ष में, हमलोग इसमें 30 प्रतिशत और जोड़ने जा रहे है जिससे यह धनराशि लगभग 1,40,000 करोड़ रुपये हो जाएगी। एक वर्ष में 30 प्रतिशत की वृद्धि महत्वपूर्ण वृद्धि है। यह 18 प्रतिशत के अलावा नहीं है। विचार यह हे कि तीन वर्षों तक प्रत्येक वर्ष कुल कृषि ऋण में 30 प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए। हमने चालू वर्ष में यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है तथा मुझे विश्वास है कि अगले वर्ष भी हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।

साथ ही साथ, हम संस्थागत ऋण हेतु और अधिक किसानों को

लाने का प्रयास कर रहे है। जैसाकि मैंने कहा है कि हमारा लक्ष्य 50 लाख था। चालू वर्ष में हम इस लक्ष्य को पार कर जाएंगे तथा अगले वर्ष के लिए भी मैंने समान लक्ष्य निर्धारित किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री रामदास आठवले, आपको सिर्फ प्रश्न पूछना है। कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। अन्यथा, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष महोदय, किसानों को जो लोन दिया जाता है, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, जब कि किसानों के उत्पादन की कास्ट बहुत ज्यादा होती है। मेरा सवाल यह है कि जो छोटे किसान, दलित आदिवासी या जो भी दूसरी जाति के पांच एकड़ से नीचे वाले छोटे किसान हैं, ऐसे किसानों को दिए जाने वाले लोन पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है, वित्त मंत्री जी, क्या आप बैंकों पर दबाव डालेंगे कि जिन छोटे किसानों को लोन दिया जाए, उसका इंटरेस्ट रेट चार प्रतिशत होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले : सरकार इस विषय में क्या करने वाली है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक व्यक्ति पर ध्यान दे रहा हूं परन्तु मेरे पास भी एक सूची है।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : पिछले वर्ष, वाणिज्यिक बैंक करीब नौ प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर ऋण दे रहे थे। चालू वर्ष में वाणिज्यिक बैंक 8.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दे रहे हैं। सहकारी क्षेत्र के बैंकों में, राज्य में विभिन्न स्तरों यथा सहकारी बैंक के शीर्ष स्तर, जिला स्तर और प्राथमिक स्तर पर अधिक ऋण दिए जाने की वजह से ब्याज दर 12 प्रतिशत हैं तथापि कुछ राज्यों में उदाहरणार्थ पहले कर्नाटक में और अब तमिलनाडु में तथा मैं समझता हूं उड़ीसा में भी राज्य सरकारों ने राजसहायता देकर ब्याज दर को छह से सात प्रतिशत तक लाने हेतु कदम उठाया है। सहकारी बैंकों का मूल्य-निर्धारण ढांचा राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन है। नाबार्ड 5.25 प्रतिशत से 5.75 प्रतिशत के ब्याज दर पर पुनर्वित प्रदान करता हैं राज्य सहकारी बैंक स्तर, जिला सहकारी बैंक स्तर और प्राथमिक स्तर पर अधिक होने के कारण ब्याज दर बढ़कर करीब 12 प्रतिशत हो जाता हैं मेरी समझ से इस प्रश्न को राज्य सरकारों को संबोधित किया जाना चाहिए। मैंने राज्य सरकारों से इस फैलाव को कम करने का अनुरोध किया है।

जहां तक वाणिज्यिक बैंकों का संबंध हैं कई वर्ष पहले हमने मूल्य तंत्र में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना छोड़ दिया हैं हम इसकी लगातार समीक्षा करते हैं। इस वर्ष हम इसे आधा प्रतिशत तक कम करने में सफल रहे थे। मेरा विश्वास है कि इसे और भी कम किए जाने की गुंजाइश है। विस्तार अभी भी अधिक है तथा मेरा मानना है कि विस्तार प्रतिस्पर्धा तथा और अधिक दक्षता लाकर ऋण दरों को नीचे लाया जा सकता है।

परन्तु, नीति के रूप में, हम बैंकों के मूल्य तंत्र में हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं, अभी यहां किसानों द्वारा आत्महत्या करने की बात गई, लेकिन बैंकों से जो भी फार्मर्स लोन लेते हैं, उनकी क्राप से उत्पादन मिलने में 5-6 महीने लग जाते हैं, फिर कभी अकाल के कारण, कभी वर्षा के कारण उन्हे ज्यादा नुकसान होता है, हानि होती है, जबकि आपने उसे लिमिट सिर्फ 90 दिन की दी हुई है, वह 90 दिन में लोन कैसे वापस कर सकता है, इसलिए यह लिमिट कम से कम एक वर्ष होनी चाहिए - क्या सरकार इस विषय पर विचार करेगी?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : मुझे 90 दिनों की इस समय-सीमा का पता नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : गैर निष्पादनकारी आस्तियों की समय-सीमा केवल 90 दिन है। क्या आप इसे बढ़ाने जा रहे है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि इसे गैर निष्पादनकारी आस्तियां बनाने से पूर्व कुछ किए जाने की जरूरत है।...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम : मैं आपके प्रश्न का मतलब समझ गया कि पुनर्भुगतान की अवधि 90 दिन भी है। गैर निष्पादनकारी आस्तियां

स्पष्टीकरण का मामला है। अब रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश जारी हो गए हैं कि गैर निष्पादनकारी आस्तियों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए। परन्तु यहां मेरे पास सटीक सूत्र नहीं है। मेरा मानना है परन्तु कृषि ऋणों के मामले में मैं समझता हूं कि सामान्य गैर निष्पादनकारी आस्तियों का वर्गीकरण लागू नहीं होता। इसके लिए अलग वर्गीकरण हैं मेरे पास सही सूत्र के संबंध में सूचना नहीं है। मैं इसे आपके पास भेज दूंगा। कृषि ऋणों हेतु गैर निष्पादनकारी आस्तियों संबंधी वर्गीकरण सामान्य गैर निष्पादनकारी आस्तियों के वर्गीकरण से भिन्न होता है। लेकिन मैं आपको यह सूचना भेज दूंगा।

श्री मोहन रावले : लेकिन, क्या आप इसे बढ़ाकर एक वर्ष करने जा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदंबरम : पहले मुझे इसे देखने दें मैं इसे आपके पास भेज दूंगा। तत्पश्चात् आप मेरे पास दुबारा आ सकते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

डा. राम चन्द्र डोम : इस सभा में सभी दल के सदस्य सीमांत और निर्धन किसानों को दिए जाने वाले बैंक ऋण के बारे में चिन्तित है। यद्यपि अगले वर्ष के लिए 30 प्रतिशत अधिक ऋण दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है लेकिन इस संबंध में वास्तवित सच्चाई कुछ अलग हैं वास्तव में ऋण निर्धन किसानों तक नहीं पहुंच रहा है तथा बैंक कर्मी अनेक तर्क देकर लोगों को तंग कर रहे हैं इस प्रकार ऋणों का भुगतान न किए जाने के कारण कई बार छोटे किसानों की सम्पत्तियां जब्त की जा रही है और ऐसा करना जारी है।

इसलिए में समझता हूं कि मेरे माननीय सहयोगी ने एक बहुत सही प्रश्न पूछना हैं मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि छोटे, सीमांत और निर्धन किसानों को लक्ष्य बनाया गया हैं परन्तु सम्पन्न किसानों और धनी भूस्वामियों द्वारा बैंक ऋण का भुगतान न किए जाने के बारे में क्या कहना है?

अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि सम्पन्न किसानों की कितनी सम्पत्तियां जब्त की गयी है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप जानना चाहते है कि क्या इसमें भेदभाव बढ़ता जा रहा हैं आपको विशेष संदर्भ देना चाहिए।

(व्यवधान)

डा. राम चन्द्र डोम : आज यह एक बड़ा प्रश्न है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह निर्देश जारी करेंगे।

(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : यह प्रश्न ऋण के भुगतान में चूक करने वाले सम्पन्न किसानों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, से सम्बन्धित नहीं हैं यह प्रश्न कृषि ऋण से संबंधित हैं मैने 40 पृष्ठों में सूचना एकत्रित की है। लेकिन यदि आप सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है क्या उत्तर चाहते हैं, तो कृपया अलग से प्रश्न पूछिए मैं उसका उत्तर दूंगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : यहां मंत्री जी ने जवाब में लिखा है कि बैंकों को सलाह दी गई कि 50 हजार रुपये तक के कृषि ऋणों के लिए मार्जिन/प्रतिभूत अपेक्षाओं से छूट दें। मुख्य रूप से जो ब्याज की दर है, जिसके संबंध में इस सभागृह में चर्चा हुई, किसानों द्वारा जिस तरह आत्महत्याएं होती हैं, उसका कारण यही है कि लोन पर ब्याज की दर ज्यादा है और वसूली का परिमाण भी ज्यादा तगड़ा होता है। क्या सरकार यह सोचेगी कि इस सदन में एक कानून लाकर कोआपरेटिव क्षेत्र में जो बैंकों की ब्याज दर है, कोआपरेटिव सैक्टर में ब्याज दर है, हर एक राज्य में अलग-अलग दरें आपने बताई, उसे नियंत्रित करने की दृष्टि से, वहां फोर टीयर सिस्टम्स हैं, एक स्टेट कोआपरेटिव बैंक है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है। कृपया अपना प्रश्न पूछिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : उस अवस्था में, जहां एक कड़ी स्टेट कोआपरेटिव बैंक है, तथा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक, ब्रांचेज एण्ड प्रिलिमिनरी कोआपरेटिव सोसायटीज हैं, उनमें आप ब्याज की दर कम करने की क्या कोई गुंजाइश करेंगे? दूसरी बात ऐसी है कि इसमें 50 हजार रुपये तक का ऋण देने की बात आपने कही है, लेकिन 50 हजार रुपये में आज कुछ होता नहीं है।

एक एकड़, दो एकड़ खेती में भी 50 हजार रुपये तक लोन बहुत कम होता है। ऐसी अवस्था में क्या दो लाख रुपये तक इसकी

सीमा आप बढ़ाएंगे? क्या आप राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान कॉआपरेटिव बैंकों में भी ब्याज की दर एकसमान करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर वे पहले ही दे चुके हैं।

प्रो. महादेवराव शिवनकर : महोदय इन्होंने इसका पूरा उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें स्वैच्छा से उत्तर देने दीजिए।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, औसत लघु तथा सीमान्त जोत वाले किसानों के बारे में हमारा अनुभव यह दर्शाता है कि वे लगभग 50,000 रुपये का ऋण लेते हैं तथा इसीलिए इस सीमा तक कोई मार्जिन तथा प्रतिभूति राशि नहीं ली जाती है। केवल बड़े किसानों को ही प्रति फसल 50,000 रुपये से अधिक की आवश्यकता होती है। यह फसल ऋण है। मैने अभी ही उत्तर दिया है कि सहकारी बैंकों की ब्याज दर पर सर्वोच्च सहकारी बैंक स्तर पर, जिला सहकारी बैंक स्तर पर तथा प्राथमिक बैंक स्तर पर अधिक ऋण दिया गया है। ऋण अधिक क्यों दिया गया है? ये इसलिए कि वे गैर निष्पादनकारी आस्तियों, घटिया प्रबन्धन, घटिया उधार प्रक्रिया तथा असक्षमताओं से ग्रसित हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस मुद्दे की ओर ध्यान दिया है, जैसा कि मैनें कर्नाटक, उड़ीसा तथा अब तमिलनाडु का उदाहरण दिया है और हो सकता है कुछ अन्य राज्य सरकारें भी इस मुद्दे पर ध्यान दे रही हों।

सहकारी बैंकों की उधार प्रणाली में विस्तार तथा विस्तार को कम करने एवं ब्याज दरों को कम करने के मुद्दे पर राज्य सरकारों द्वारा पूरी तरह से ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक 5.25 तथा 5.75 प्रतिशत के बीच बहुत ही वाजिब दरों पर पुनः ऋण दे रहा है।

अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न है तथा वही उत्तर है।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर : मैंने पूछा था कि क्या वित्त मंत्री जी दो लाख रुपये तक की सीमा बढ़ाएंगे?

प्रो. राम गोपाल : किसानों के ऋणों के संबंध में माननीय मंत्री जी को सारी जानकारी है और भारतीय रिजर्व बैंक के इस तरह के डायरेक्टिव्स हैं कि जितना कुल ऋण दिया जाता है, उसका कम से कम 18 प्रतिशत भाग किसानों को दिया जाना चाहिए। क्या यह सच है कि 60 प्रतिशत से ज्यादा राष्ट्रीय और कमर्शियल बैंक्स इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे हैं? किसानों को जो ऋण दिया जाता है, तकनीकी कारणों से, कई दिक्कतें उनके सामने आती हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि, नाबार्ड इतना कम ब्याज ले रहा है तो उसी ब्याज पर, जो बैंक लोन लेकर जाते हैं, वे किसानों से 9 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक ऋण वसूलते हैं, जो बहुत ज्यादा हैं एग्रीकल्चर कमेटी ने भी कई बार यह संस्तुति की है कि यह सिंगल डिजिट में होना चाहिए, बल्कि 6 या 7 प्रतिशत के आसपास हो, तो ज्यादा अच्छा होगा। माननीय मंत्री जी, आपने कह दिया कि कॉआपरेटिव बैंक्स राज्य का मामला है, क्या आप राष्ट्रीय और कमर्शियल बैंक्स को ऐसे निर्देश देने का काम करेंगे ताकि किसानों को 6 प्रतिशत, 7 या आठ प्रतिशत दर पर लोन प्राप्त हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. रामगोपाल यादव, इन्होंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। प्रश्न के प्रथम भाग के बारे में मैं मानता हूं कि कुछ बैंकों ने 18 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया हैं इस कमी को आर आई डी एफ में डाल दिया गया है तथा ग्रामीण बुनियादी संरचना ऋण के रूप में कृषि क्षेत्र में यह पुनः उठाएगा। दिनांक 31.03.2004 को 18 प्रतिशत के लक्ष्य के विरुद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 15.41 प्रतिशत का लक्ष्य प्रापत करें लिया है। अभी भी अंतर है तथा हम अंतर कम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा।

***श्री एम. शिवन्ना** : अध्यक्ष महोदय, कैनरा बैंक कर्नाटक राज्य में ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को ऋण वितरित कर रहा है। वे कई सामाजिक गतिविधियों को चलाने में सक्षम बनाने के लिए महिला स्वयं सेवी समूहों को भी ऋण दे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या केन्द्र ने इन किसानों तथा स्वयं सेवी समूहों द्वारा इन ऋणों का छोटे तथा आसान किस्तों में पुनः भुगतान करने के लिए कोई प्रक्रिया बनाई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) ; स्वयं सेवी- समूहों के बारे में आप तमिल में उत्तर दीजिए।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, यह प्रश्न स्वयं सेवी समूहों से संबंन्धित है। एक बार फिर, यह प्रश्न मुख्य प्रश्न में से नहीं उठता हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि चालू वर्ष में हमने लगभग 1.85 लाख अतिरिक्त स्वयं सेवी समूहों के परिचायक लक्ष्य से शुरूआत की है। हम लक्ष्य को पार कर चुके हैं तथा हमने अगले वर्ष के लिए 2.5 लाख का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है तथा मुझे विश्वास है कि हम कर्नाटक सहित, जहां, आपको बता दूं, दूसरे कई राज्यों की तुलना में स्वयं सेवी समूह प्रणाली बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रही है, उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : हमें वित्त मंत्री जी को थोड़ा आराम करने देना चाहिए। हम प्रश्न संख्या 125 को लेते हैं। अन्य सभी मंत्री खाली बैठे हैं। उन्हें भी कुछ काम करना चाहिए।

[हिन्दी]

पुराने वस्त्रों का आयात

***125. श्रीमती करुणा शुक्ला :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घरेलू वस्त्र उद्योग को विदेशों से पुराने वस्त्रों के आयात के कारण भारी घाटा हुआ है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप भारी विदेशी मुद्रा का भी घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार पुराने वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) आयातित प्रयुक्त कपड़े घरेलू परिधान उद्योग के साथ अनुचित रूप से प्रतिस्पर्धा करते हैं। निचले स्तर का कताई एवं बुनाई उद्योग भी प्रभावित होता है क्योंकि स्थानीय फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। प्रयुक्त वस्त्रों का आयात 1998-99 में 17.46 करोड़ रु. था जो बढ़कर 2003-04 में 278.62 करोड़ रु. हो गया है।

(ग) और (घ) सरकार ने वाणिज्य विभाग द्वारा जारी दिनांक 27 अक्तूबर, 2004 की अधिसूचना संख्या 7/2004-09 द्वारा ''प्रतिबंधित आयातों की सूची'' के तहत प्रयुक्त कपड़ों को लाकर उनके आयात पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिए हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती करुणा शुक्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या शासकीय अनुमति के बिना कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों का आयात कर सकता है? यदि नहीं, तो इसकी अनुमति किसने दी और कब दी?

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, पहले यह आयात ओजीएल के अंतर्गत था। फिर मैंने बताया कि 27 अक्टूबर, 2004 को कामर्स डिपार्टमैंट की तरफ से एक नोटीफिकेशन ईशू करके, इस पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। ओजीएल से हटाकर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, बार नहीं किया गया है। जो डिमांड आई थी, हमने उसके हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगाई है।

श्रीमती करुणा शुक्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पष्ट पूछा है कि इसकी अनुमति किसने प्रदान की थी और कब की थी? अगर किसी ने गलत तरीके से आयात करने की अनुमति दी थी तो क्या सरकार उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ओजीएल में था, उन्होंने यह कहा है।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : ऐसा नहीं है। आज तक जो भी पुराने कपड़े इम्पोर्ट करना चाहते थे, वे खुल लाइसेंस के अंतर्गत कर सकते थे लेकिन जब कम्प्लेंट आई, उसके आधार पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, बार नहीं किया है।

[अनुवाद]

आवेदन के माध्यम से आयात के संबंध में अनुमति प्राप्त कर सकते हैं।

श्रीमती करुणा शुक्ला : मैं जानना चाहती हूं कि आप इसे करेंगे या नहीं?

श्री शंकर सिंह वाघेला : नहीं, यह रिस्ट्रिक्शन है। आवेदन के माध्यम से हम उन्हें अनुमति दे सकते हैं।

श्री अलकेश दास : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि विदेशों से उपयोग में लाए गए कपड़ों के आयात के परिणामस्वरूप कतिपय घरेलू वस्त्र उद्योगों को भारी नुकसान हुआ है। वर्ष 1998-99 में 17.46 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। लेकिन वर्ष 2003-04 में यह बढ़कर 278.62 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 2004 में, आयातों की प्रतिबन्ध सूची में, उपयोग में लाए गए वस्त्रों को रखा गया है। मैं यार्न के बारे में जानना चाहता हूं क्या विदेशी यार्न पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : यह उपयोग में लाए गए वस्त्रों के बारे में है। मंत्रीजी, क्या आप यार्न के बारे में उत्तर दे सकते हैं?

श्री अलकेश दास : महोदय, यह भी घरेलू बाजार को प्रभावित कर रहा है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वाघेला : उसमें कुछ नहीं है, लेकिन उसे भी स्टॉप करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उसे भी स्टॉप करेंगे—आपका उत्तर मिल गया है।

श्री काशीराम राणा : अध्यक्ष जी, अभी वस्त्र मंत्री ने बताया कि भारत में यूज्ड कपड़ों को इम्पोर्ट करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। मैं कहना चाहूंगा कि फाइन क्लॉथ भी नान-यूज्ड के नाम से भारतीय बाजार में आ रहा है और इसका टैक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहुत बुरा इम्पैक्ट हो रहा है। यूज्ड क्लॉथ के नाम पर नान-यूज्ड, यानी फ्रैश क्लॉथ, जो इस देश के बाजार में आ रहा है, उसे आपने रोकने के बारे में बताया है, लेकिन इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। मैं जानना चाहता हूं कि आप इस बारे में क्या स्टैप लेना चाहते हैं?

श्री शंकर सिंह वाघेला : ऐसा नहीं है। डब्ल्यूटीओ के कारण इम्पोर्ट डयूटी में प्राबल्म होती है। इसे हम ज्यादा नहीं लगा सकते, लेकिन नए कपड़े न आएं, उसे ध्यान में रखते हुए ही हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि घरेलू वस्त्र उद्योग को विदेशों से पुराने वस्त्रों के आयात के कारण भारी घाटा हुआ है। अपने देश में, चाहे सूती कपड़े हों या सिंथेटिक कपड़े हों, उनका उत्पादन और क्वालिटी अच्छी है। मैं जानना चाहता हूं कि विदेशों से पुराने कपड़े आयात करने का क्या कारण है और अगर ऐसे हुआ है तो उस पर रोक लगाने के लिए आप क्या कदम उठायेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : इसके साथ-साथ अपने देश के वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए आप क्या कार्रवाई करेंगे?

श्री शंकर सिंह वाघेला : अध्यक्ष महोदय, मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया है। यह आयात ओजीएल लिस्ट में था।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कहते हैं कि आपका उत्तर वही है।

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन

\+
*126. **श्री राम सिंह कस्वां :**
श्री तापिर गाव :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य में विद्युत की प्रति व्यक्ति मांग और आपूर्ति क्या है;

(ग) विद्युत की कमी के क्या कारण हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में राज्यवार कितनी गिरावट दर्ज की गई;

(ङ) क्या सरकार विद्युत की कमी वाले राज्यों को और अधिक धनराशि आबंटित करने पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए निर्धारित लक्ष्य और प्राप्त की गई उपलब्धि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ज) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य क्या हैं और इस संबंध में अब तक राज्यवार क्या उपलब्धि प्राप्त की गई है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ज) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में कुल मिलाकर विद्युत की कमी है। ये कमियां राज्य-दर-राज्य, क्षेत्र-दर-क्षेत्र, मौसम-दर-मौसम और घंटा-दर-घंटा भिन्न-भिन्न होती हैं। देश में ऊर्जा की औसतन कमी वर्ष 2002-2003 में 8.8% से कम होकर वर्ष 2003-04 में 7.1% और वर्ष 2004-05 में दिसम्बर, 2004 तक 6.8% हो गई है।

(ख) अप्रैल-फरवरी, 2005 के दौरान देश में विद्युत आपूर्ति की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-I में दिया गया है। वर्ष 2004-05 के दौरान (फरवरी, 05 तक) ऊर्जा की वार्षिक प्रतिव्यक्ति आवश्यकता और उपलब्धता राज्यवार संलग्न अनुबंध-II में दी गई है।

(ग) विद्युत की कमी के मुख्य कारण निम्नवत हैं—

(i) विद्युत उत्पादन में बढ़ोत्तरी और क्षमता अभिवृद्धि की तुलना में विद्युत की मांग में अधिक वृद्धि हुई है।

(ii) ग्रिड में व्यस्ततमकालीन विद्युत की कमी।

(iii) मुख्यत: राज्य क्षेत्र में कई ताप विद्युत उत्पादक यूनिटों का संयंत्र भार घटक कम होना।

(iv) कुछ राज्यों में अपर्याप्त उप-पारेषण एवं वितरण नेटवर्क।

(v) उच्च पारेषण एवं वितरण हानियाँ।

(vi) उन राज्य यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति जो पर्याप्त विद्युत उत्पादन क्षमता सृजित करने के लिए अपेक्षित निवेश करने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने में असमर्थ है।

(vii) आवाह क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम बर्फ गिरने/बर्फ कम गलने तथा कम अंत:प्रवाह होने के कारण इस वर्ष उत्तरी क्षेत्र में कम जल विद्युत उत्पादन का होना।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य और प्राप्ति की स्थिति निम्नवत् है:-

(आंकड़े मेगावाट में)

	2002-03	2003-04	2004-05 (फरवरी, 2005 तक)
लक्ष्य	4109	5202	5246
उपलब्धियां	2872*	3952**	3644

*मुख्यत: दाभोल परियोजना (1444 मेगावाट) को चालू न किए जाने के कारण कमी।

**मुख्यत जल विद्युत परियोजनाएं-दुलहस्ती (390 मेगावाट) और टिहरी एचईपी (1000 मेगावाट) को चालू न किए जाने के कारण कमी।

***अकरीमोटा ताप विद्युत परियोजना (250 मेगावाट), दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (390 मेगावाट) और टिहरी जल विद्युत परियोजना (750 मेगावाट) को चालू न किए जाने के कारण कमी।

गत तीन वर्षों के दौरान क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य की तुलना में कमी का राज्यवार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-III में दिया गया है।

(ङ) और (च) योजना आयोग, राज्य सरकारों के चालू विद्युत विकास कार्यक्रमों यथा विद्युत उत्पादन, पारेषण, वितरण, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि संबंधी वार्षिक योजनाओं पर उनके प्रस्ताव के अनुसार क्षेत्र संबंधी निधियां आबंटित करता है। वह राज्यों के लिए केवल विद्युत घाटे के आधार पर निधियां आबंटित नहीं करता है। विद्युत मंत्रालय ने रा.वि.बोर्डों/विद्युत यूटिलिटियों की खराब वित्तीय स्थिति को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न कदम उठाने आरंभ किए गए हैं। विद्युत मंत्रालय ने राज्यों के साथ विद्युत क्षेत्र सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन/करार ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं जिनमें राज्यों द्वारा सुधार कार्य संबंधी सहमति वाले एजेण्डे के अनुसार संतोषजनक प्रगति हासिल करने की शर्त पर केन्द्रीय सरकार की सहायता प्रदान किए जाने की परिकल्पना की गई है। राज्य यूटिलिटियों को सहायता प्रदान करने की दृष्टि से केन्द्र सरकार त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अंतर्गत राज्य यूटिलिटियों को निधियां प्रदान कर रही है ताकि ये राज्य यूटिलिटियां अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी हानियों में कमी करने, और आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अभिज्ञात वितरण क्षेत्रों में निवेश कर सके तथा अनुदान सहायता के जरिए नकद हानियों में कमी को भी प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम यथा पावर फाईनेंस कारपोरेशन और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन विद्युत क्षेत्र में निवेश हेतु निधियां प्रदान करते हैं।

(छ) गत तीन वर्षों के दौरान, निर्धारित लक्ष्य और विद्युत उत्पादन

क्षमता बढ़ाने के लिए प्राप्त की गई उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-III में दिया गया है।

(ज) दसवीं योजना के लिए 41,110 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है।—

आंकड़े (मेगावाट में)

स्रोत	केन्द्रीय	राज्य	निजी	कुल
जल-विद्युत	8742	4481	1170	14393
ताप-विद्युत	12790	6676	5951	25417
नाभिकीय विद्युत	1300	—	—	1300
कुल	22832	11157	7121	41110

उपरोक्त लक्ष्य की तुलना में, 28.02.2005 तक 10468 मेगावाट क्षमता जोड़ी गई है। ब्यौरा नीचे तालिका में दिया गया है—

आंकड़े (मेगावाट में)

स्रोत	केन्द्रीय	राज्य	निजी	कुल
जल-विद्युत	2700	1074	300	4074
ताप-विद्युत	4130	1846	418	6394
नाभिकीय विद्युत	0	0	0	0
कुल	6830	2920	718	10468

दसवीं योजना में राज्य-वार निर्धारित लक्ष्य तथा जोड़ी गई क्षमता का विवरण संलग्न अनुबंध-III में दिया गया है।

अनुबंध-I

विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

(आंकड़े मि.यू. निबल में)

राज्य/प्रणाली क्षेत्र	दिसम्बर, 2004				अप्रैल, 2004—दिसम्बर, 2004			
	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	आधिक्य/कमी(-) (मि.यू.)	(%)	आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	आधिक्य/कमी(-) (मि.यू.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	89	86	-3	-3.4	899	895	-4	-0.4
दिल्ली	1596	1578	-18	-1.1	16509	16362	-147	-0.9
हरियाणा	1802	1655	-147	-8.2	16980	16012	-968	-5.7
हिमाचल प्रदेश	348	328	-20	-5.7	2986	2953	-33	-1.1
जम्मू-कश्मीर	733	642	-91	-12.4	5930	5573	-357	-6.0
पंजाब	2396	2070	-326	-13.6	26941	24570	-2371	-8.8
राजस्थान	2760	2754	-6	-0.2	21198	21116	-82	-0.4
उत्तर प्रदेश	4504	3452	-1052	-23.4	39177	31217	-7960	-20.3
उत्तरांचल	424	386	-38	-9.0	3461	3362	-99	-2.9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र	14652	12951	-1701	-11.6	134081	122060	-12021	-9.0
छत्तीसगढ़	997	949	-48	-4.8	8706	8578	-128	-1.5
गुजरात	5511	4745	-766	-13.9	44541	39200	-5341	-12.0
मध्य प्रदेश	3759	2979	-780	-20.8	24685	22070	-2615	-10.6
महाराष्ट्र	8596	7066	-1530	-17.8	67663	60526	-7137	-10.5
दमन व दीव	97	97	0	0.0	830	830	0	0.0
दादरा व नगर हवेली	177	177	0	0.0	1321	1321	0	0.0
गोवा	188	188	0	0.0	1576	1576	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	19325	16201	-3124	-16.2	149322	134101	-15221	-10.2
आंध्र प्रदेश	4165	4104	-61	-1.5	37214	37049	-165	-0.4
कर्नाटक	3246	3029	-217	-6.7	25307	24151	-1156	-4.6
केरल	1127	1111	-16	-1.4	9372	9271	-101	-1.1
तमिलनाडु	4116	4062	-54	-1.3	34512	34368	-144	-0.4
पांडिचेरी	129	129	0	0.0	1153	1153	0	0.0
लक्षद्वीप	2	2	0	0.0	17	17	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	12783	12435	-348	-2.7	107558	105992	-1566	-1.5
बिहार	655	524	-131	-20.0	5371	4969	-402	-7.5
डीवीसी	812	798	-14	-1.7	6801	6739	-62	-0.9
झारखंड	326	320	-6	-1.8	2672	2620	-52	-1.9
उड़ीसा	1203	1183	-20	-1.7	10395	10339	-56	-0.5
पश्चिम बंगाल+सिक्किम	1732	1678	-54	-3.1	17431	17190	-241	-1.4
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	16	14	-2	-12.5	146	122	-24	-16.4
पूर्वी क्षेत्र	4728	4503	-225	-4.8	42670	41857	-813	-1.9
अरुणाचल प्रदेश	14	14	0	0.0	118	118	0	0.0
असम	310	292	-18	-5.8	2889	2739	-150	-5.2
मणिपुर	50	49	-1	-2.0	417	408	-9	-2.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मेघालय	124	112	-12	-9.7	1031	929	-102	-9.9
मिजोरम	23	22	-1	-4.3	174	163	-11	-6.3
नागालैंड	29	29	0	0.0	248	244	-4	-1.6
त्रिपुरा	58	51	-7	-12.1	538	494	-44	-8.2
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	605	565	-40	-6.6	5412	5091	-321	-5.9
अखिल भारत	52093	46655	-5438	-10.4	439043	409101	-29942	-6.8

उच्चतम मांग और पूरी की गई उच्चतम मांग

(आंकड़े मे.वा. निबल में)

राज्य/प्रणाली क्षेत्र	दिसम्बर, 2004				अप्रैल, 2004—दिसम्बर, 2004			
	उच्चतम मांग (मे.वा.)	पूरी की गई उच्चतम मांग (मे.वा.)	आधिक्य/कमी(-) (मे.वा.)	(%)	उच्चतम मांग (मे.वा.)	पूरी की गई उच्चतम मांग (मे.वा.)	आधिक्य/कमी(-) (मे.वा.)	( )
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चंडीगढ़	175	163	-12	-6.9	224	224	0	0.0
दिल्ली	3168	3064	-104	-3.3	3558	3490	-68	-1.9
हरियाणा	3512	3111	-401	-11.4	4037	3621	-416	-10.3
हिमाचल प्रदेश	678	609	-69	-10.2	678	615	-63	-9.3
जम्मू-कश्मीर	1235	1085	-150	-12.1	1251	1151	-100	-8.0
पंजाब	5073	3817	-1256	-24.8	7122	5559	-1563	-21.9
राजस्थान	4244	4244	0	0.0	4414	4414	0	0.0
उत्तर प्रदेश	7059	5523	-1536	-21.8	7877	6268	-1609	-20.4
उत्तरांचल	802	780	-22	-2.7	846	794	-52	-6.1
उत्तरी क्षेत्र	25373	22764	-2609	-10.3	26834	24125	-2709	-10.1
छत्तीसगढ़	1727	1564	-163	-9.4	1789	1670	-119	-6.7
गुजरात	9319	7122	-2197	-23.6	10162	7427	-2735	-26.9
मध्य प्रदेश	5944	4420	-1524	-25.6	5944	4846	-1098	-18.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
महाराष्ट्र	14600	11295	-3305	-22.6	14708	11709	-2999	-20.4
दमन व दीव	155	155	0	0.0	200	200	0	0.0
दादरा व नगर हवेली	281	281	0	0.0	391	391	0	0.0
गोवा	349	349	0	0.0	356	356	0	0.0
पश्चिमी क्षेत्र	31085	23400	-7685	-24.7	31085	24049	-7036	-22.6
आंध्र प्रदेश	6989	6867	-122	-1.7	7957	7843	-114	-1.4
कर्नाटक	5815	5099	-716	-12.3	5927	5360	-567	-9.6
केरल	2387	2279	-108	-4.5	2427	2292	-135	-5.6
तमिलनाडु	7257	7129	-128	-1.8	7365	7275	-90	-1.2
पांडिचेरी	200	200	0	0.0	230	230	0	0.0
लक्षद्वीप	6	6	0	0.0	6	6	0	0.0
दक्षिणी क्षेत्र	21842	20622	-1220	-5.6	23075	21928	-1147	-5.0
बिहार	905	805	-100	-11.0	980	980	0	0.0
डीवीसी	1315	1315	0	0.0	1347	1315	-32	-2.4
झारखंड	550	550	0	0.0	572	555	-17	-3.0
उड़ीसा	2135	2135	0	0.0	2195	2150	-45	-2.1
पश्चिम बंगाल + सिक्किम	3923	3823	-100	-2.5	3923	3823	-100	-2.5
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	35.5	31	-4.5	-12.7	35.5	31	-4.5	12.7
पूर्वी क्षेत्र	8445	8250	-195	-2.3	8445	8320	-125	1.5
अरुणाचल प्रदेश	52	52	0	0.0	54	54	0	0.0
असम	620	565	-55	-8.9	659	621	-38	-5.8
मणिपुर	101	97	-4	-4.0	103	103	0	0.0
मेघालय	264	180	-84	-31.8	264	207	-57	-21.6
मिजोरम	65	64	-1	-1.5	69	64	-5	-7.2
नागालैंड	74	71	-3	-4.1	74	71	-3	-4.1
त्रिपुरा	146	110	-36	-24.7	188	159	-29	-15.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	1161	1045	-116	-10.0	1247	1128	-119	-9.9
अखिल भारत	87906	76081	-11825	-13.5	87906	77281	-10625	-12.1

चूंकि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रणाली स्टैंड एलोन है इसलिए इसके संबंध में आंकड़े क्षेत्रीय और अखिल भारतीय आंकड़ों में शामिल नहीं किए गए हैं।

अनुबंध-II

अप्रैल, 04—फरवरी, 05 के दौरान प्रतिव्यक्ति ऊर्जा आवश्यकता एवं उपलब्धता

राज्य	अप्रैल, 2004—दिसम्बर, 2004	
	प्रतिव्यक्ति ऊर्जा आवश्यकता (कि.वा.घ.)	प्रतिव्यक्ति ऊर्जा उपलब्धता (कि.वा.घ.)
1	2	3
चंडीगढ़	936	932
दिल्ली	1,105	1,095
हरियाणा	767	723
हिमाचल प्रदेश	477	471
जम्मू-कश्मीर	549	516
पंजाब	1,069	975
राजस्थान	355	354
उत्तर प्रदेश	224	178
उत्तरांचल	390	379
छत्तीसगढ़	399	393
गुजरात	843	742
मध्य प्रदेश	388	347
महाराष्ट्र	672	601
दमन व दीव	4,911	4,911
दादरा व नगर हवेली	5,621	5,621
गोवा	1,098	1,098
आंध्र प्रदेश	476	474
कर्नाटक	464	443
केरल	287	283
तमिलनाडु	541	539
पांडिचेरी	1,144	1,144
बिहार	266	266
झारखंड	62	57
उड़ीसा	260	256
पश्चिम बंगाल + सिक्किम	274	273
अरुणाचल प्रदेश	234	231
असम	389	325
मणिपुर	104	104
मेघालय	104	98
मिजोरम	168	164
नागालैंड	430	387
त्रिपुरा	188	176
	119	117
	163	149

अनुबंध-III

दसवीं योजना में राज्य-वार क्षमता अभिवृद्धि के लक्ष्य और उपलब्धियां

(आंकड़े मेगावाट में)

क्षेत्र/राज्य	10वीं योजना लक्ष्य	2002-03			2003-04			2004-05*			2002-05**		
		लक्ष्य	उपलब्धियां	आधिक्य(+) कमी(-)	लक्ष्य	उपलब्धियां	आधिक्य(+) कमी(-)	लक्ष्य	उपलब्धियां	आधिक्य(+) कमी(-)	कुल लक्ष्य	कुल उपलब्धियां	आधिक्य(+) कमी(-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उत्तरी क्षेत्र													
एनएचपीसी	1,090				690	300	-390	670		-670	1,360	300	-1,060
एनजेपीसी	1,900				1,500	1,500					1,500	1,500	
एनटीपीसी	1,700								500	+500	0	500	+500
टीएचडीसी	2,400	250		-250	1,000		-1,000	750		-750	2,000		-2,000
एनएलसी	250										0		
दिल्ली	226	226	226	0							226	226	
हरियाणा	500							500	500		500	500	
हिमाचल प्रदेश	562		200	-200	100	100					100	300	+200
जम्मू-कश्मीर	450										0	0	
पंजाब	1,168										0	0	
राजस्थान	660	75	75		445	445					520	520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उत्तरांचल	704										0		
उत्तर प्रदेश	710										0		
कुल (उत्तर क्षेत्र)	12,320	551	501	-50	3,735	2,345	-1,390	1,920	1,000	-920	6,206	3,846	-2,360
पश्चिमी क्षेत्र													
एनपीसी	1,080												
एनटीपीसी	2,480												
एनएचपीसी	37												
एनएचडीसी	1,520				250	500	+250	500	375	125	750	875	+125
गुजरात	2,382	125	100	-25	107	107		600	350	250	832	557	-275
महाराष्ट्र	1,944	1,444		-1,444							1,444		-1,444
मध्य प्रदेश	1,573	35	35								35	35	
छत्तीसगढ़	420										0		
कुल (पश्चिमी क्षेत्र)	11,436	1,604	135	-1,469	357	607	+250	1,100	725	-375	3,061	1,467	1,594
दक्षिणी क्षेत्र													
एनएलसी	920	420	210	-210	210	210					630	420	210
एनपीसी	220										0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
एनटीपीसी	1,000	500	500					500	500		1000	1,000	
आंध्र प्रदेश	3,055	378	378		150	150					528	528	
कर्नाटक	1,297	210	210			15	+15	165	110	-55	375	335	-40
केरल	100										0	0	
तमिलनाडु	684	344	344		203	100	-103	323	70	-253	869	514	-355
पांडिचेरी	100										0		
कुल (दक्षिणी क्षेत्र)	7,376	1,852	1,642	-210	563	475	-88	988	680	-308	3,402	2,797	-605
पूर्वी क्षेत्र													
डीवीसी	1,960							210	210		210	210	
एनएचपीसी	1,710										0	0	
एनटीपीसी	3,980		500	+500	500	500		1,000	1,000		1,500	2,000	+500
बिहार	135										0	0	
झारखंड	330	8		-8							8	0	-8
उड़ीसा	150	6	6								6	6	
पश्चिम बंगाल	670										0	0	
कुल (पूर्वी क्षेत्र)	8,935	14	506	-+492	500	500		1,210	1,210		1,724	2,216	+492

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
उत्तर पूर्वी क्षेत्र													
नीपको	585				25	25					25	25	
असम	138										0	0	
मेघालय	132										0	0	
मणिपुर	18	18	18								18	18	
मिज़ोरम	103				23		-23	23	23		46	23	-23
नागालैंड		8	8								8	8	
त्रिपुरा	42	42	42								42	42	
कुल (उ.पू. क्षेत्र)	1,018	68	68		48	25	-23	23	23		139	116	-23
अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	25	20	20					5	6	+1	25	26	+1
कुल (अखिल भारत)	41,110	4,109	2,872	-1,237	5,202	3,952	-1,250	5,246	3,644	-1,602	1,4557	10,468	-4,089

*अप्रैल, 2004—फरवरी, 2005 **फरवरी, 2005 तक

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 126, अब किसी अन्य मंत्रीजी को कष्ट देना चाहिए। समय ज्यादा नहीं बचा है। कृपया संक्षेप में कहिए।

[हिन्दी]

श्री राम सिंह कस्वां : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में भारी कमी है। साथ ही उत्पादन और खपत में बड़ा भारी अंतर है। मैं सम्माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चालू बजट में आपने इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया है? आप खुद मानते हैं कि देश में बिजली का भारी संकट है और उत्पादन कम है। जहां तक मुझे जानकारी है, चालू बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है जबकि पिछली एनडीए सरकार में इसके लिए काफी पैसे की व्यवस्था की गयी थी। मैं जानना चाहूंगा कि आप राज्य सरकारों को क्या सहायता देने जा रहे हैं, विशेषकर राजस्थान को, जहां बिजली की भारी समस्या है और अकाल के कारण भयंकर हालात हैं।

[अनुवाद]

श्री पी.एम. सईद : अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि देश में बिजली की कमी है। माननीय सदस्यगण जानते हैं कि हमने, 1362 मेगावाट से शुरुआत की थी तथा अब हम लगभग 1,16,000 मेगावाट तक पहुंच चुके हैं; तथा प्रति-व्यक्ति खपत 15 यूनिट से, हमारी खपत प्रति व्यक्ति 592 यूनिट तक हो गई है। महोदय, यह कमी मुख्यत: आठवीं तथा नौवीं योजनाओं के लक्ष्य 50 प्रतिशत से कम रहने के कारण हुई। भारतीय विद्युत उद्योग की यह समस्या है। महोदय, सातवीं योजना के दौरान जब स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, हमने लगभग शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया था।

महोदय, अब, दसवीं योजना में हमने 41,110 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया है। पूरी संभावना है कि हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। आठवीं योजना तथा नौवीं योजना के कारण उत्पन्न संकट से निपटने के लिए, हमने उत्पादन क्षेत्र, पारेषण क्षेत्र तथा वितरण क्षेत्र में भी सुधार करने का प्रयास किया है।

महोदय, उत्पादन क्षेत्र में प्लांट लोड फैक्टर के बारे में तो आप जानते ही हैं। वर्ष 1992-93 में यह 57 प्रतिशत था तथा अब यह 74.0 प्रतिशत से भी अधिक है। प्लांट लोड फैक्टर में एक प्रतिशत सुधार का मतलब 2800 करोड़ रुपये की बचत है जबकि हमने 17 प्रतिशत का सुधार किया है। यह उत्पादन क्षेत्र में है।

अध्यक्ष महोदय : वे चाहते है राजस्थान को ज्यादा बिजली मिले।

श्री पी.एम. सईद : महोदय, हम राजस्थान पर ध्यान दे रहे हैं। आप को विदित है कि 'वितरण' समवर्ती सूची का विषय है। प्रत्येक राज्य की अपनी 'वितरण' व्यवस्था होती है। बिजली की कमी वाले अन्य राज्यों की तरह ही भारत सरकार राजस्थान पर पर्याप्त ध्यान दे रही है। बिजली की अधिकता वाले पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों से, जहां सुदृढ़ विद्युत ग्रिड प्रणाली है, से बिजली लेकर, बिजली की कमी वाले सभी राज्यों की सहायता करते हैं तथा इस प्रकार राजस्थान में उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जा रहा है।

राजस्थान की मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्दे पर मुझसे सम्पर्क किया था। हमने राज्य के लिए कोटे से पुनः आबंटन किया है तथा राज्य को बिजली उपलब्ध भी करायी है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे एक घोषणा करनी है। हमने बुलेटिन के माध्यम से पहले ही सभी माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया है कि जो सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं उन्हें अपने सीट पर बैठना चाहिए। सोमवार से इस पर कड़ाई से पालन किया जाएगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

शुल्क अपवंचन

*122. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा** :
श्री एम. अंजनकुमार यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिल्ली और अन्य महानगरों में निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के दुरुपयोग द्वारा शुल्क अपवंचन करने के पता लगाये गए मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कारण बताओ नोटिस जारी किये बिना कितने मामले निपटान हेतु लंबित हैं;

(ग) संबंधित अधिनियम में नीतिगत परिवर्तनों अथवा संशोधनों के रूप में कौन-कौन से निवारात्मक उपाय किये जा रहे हैं;

(घ) क्या गुप्तचर एजेंसियों जैसे कि डी.आर.आई., सी.ई.आई.बी., ई.डी., आर.आई., इत्यादि में आर्थिक अपराधों को रोकने के पूर्वोपाय के रूप में कंप्यूटरीकृत नेटवर्किंग प्रणाली कार्य कर रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त प्रयोजन के लिए समय सीमा निर्धारित की जा सकती थी?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) निर्यात संवर्द्धन स्कीमों का दुरुपयोग करके शुल्क अपवंचन संबंधी 1491 मामलों का विभिन्न एजेंसियों द्वारा 2001-02, 2002-03, 2003-04 तथा अप्रैल, 2004 - फरवरी, 2005 के दौरान दिल्ली तथा अन्य महानगरों में पता लगाया गया है। इनमें से, 1108 मामलों में, कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं तथा ये न्याय निर्णयन, अपील आदि के विभिन्न स्तरों पर हैं। 383 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किए गए हैं चूंकि जांच-पड़ताल संबंधी कार्य अभी पूरा किया जाना है।

निर्यात संवर्द्धन स्कीमों का दुरुपयोग रोकने के लिए समय-समय पर नीति में परिवर्तन एवं संगत अधिनियमों में संशोधन किए जाते रहते हैं। वास्तव में, इन स्कीमों में सुरक्षोपायों की स्वत: ही व्यवस्था है ताकि इनके दुरुपयोग को रोका जा सके। इनमें से कुछेक इस प्रकार हैं:—

(i) अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के तहत जारी किए गए लाइसेंसों का प्रयोग वास्तविक प्रयोगकर्ता द्वारा ही किया जाएगा तथा ये अहस्तांतरणीय होंगे।

(ii) निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल का निर्यात बाध्यता पूरी करने तक वास्तविक प्रयोगकर्ता द्वारा ही प्रयोग किया जाएगा।

(iii) शुल्क मुक्त आपूरण प्रमाण पत्र स्कीम के तहत संवेदनशील प्रकृति की विशिष्ट निर्यात मदों के मामले में निर्यातक को लदान बिल में तकनीकी विशेषताओं और विनिर्देशन के संबंध में एक घोषणा करना अपेक्षित होगा। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि स्कीम के तहत आयात की जाने वाली निविष्टियों का निर्यातित माल के साथ अंतर्बन्धन है।

(iv) शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम के तहत निर्यात की विभिन्न मदों के लिए अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित की गई है ताकि अधिक बीजक बनाने संबंधी दुरुपयोग को रोका जा सके। ऐसे उत्पादों के संबंध में, जहां क्रेडिट अधिकार 10 प्रतिशत अथवा इससे अधिक हो, वहां क्रेडिट की राशि को मौजूदा बाजार मूल्य (मौ.बा.मू.) के 50 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है।

(v) बीजकों में अधिक मूल्यांकन के जरिए दुरुपयोग की संभावना को रोकने के लिए अधिकतर उत्पादों के लिए प्रतिअदायगी की सभी उद्योग दरों को भार के रूप में व्यक्त किया जाता है। जहां कहीं भी दरें मूल्यानुसार होती हैं, वहां प्रतिअदायगी की अधिकतम सीमा लागू कर दी जाती है।

स्कीमों में उपलब्ध कराए गए सुरक्षापायों के अतिरिक्त, उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाए गए अन्य कदम इस प्रकार हैं:—

(i) राजस्व आसूचना महानिदेशालय (डीआरआई) द्वारा लिए गए आसूचना आधारित जांच-पड़तालों की प्रभावकारिता को बढ़ाना।

(ii) माल/घोषणाओं की गहन जांच हेतु जोखिम-युक्त जिन्सों एवं निर्यातकों के संबंध में विशेष लक्ष्य निर्धारित करना।

(iii) निर्यात माल के बाजार मूल्य की गहन जांच।

(iv) जांच-पड़ताल तथा संवीक्षा हेतु निर्यात प्रेषणों का पैरामीटर आधारित चयन। संवेदनशील स्थानों को निर्यात किए गए माल के लिए उच्चतर जांच संबंधी मानदंड।

इस समय, विभिन्न आसूचना एजेंसियों के मध्य कोई कंप्यूटरीकृत नेटवर्किंग नहीं है। तथापि, आसूचना एजेंसियां, जब भी आवश्यक हो, एक-दूसरे से संपर्क करती हैं। यह संपर्क आवश्यकता आधारित होता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी), क्षेत्रीय आर्थिक आसूचना समिति (आरईआईसी) की बैठकों के माध्यम से विभिन्न आसूचना एजेंसियों के मध्य सूचना के आदान-प्रदान हेतु एक मंच उपलब्ध कराता है।

[अनुवाद]

विभिन्न राज्यों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज

*123. श्री दिन्शा पटेल :
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य वित्तीय संसाधनों के संदर्भ में संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों से उनके वित्तीय संकट के समाधान हेतु वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा, इन पर राज्य-वार विशेषकर गुजरात के संदर्भ में क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (ङ) राज्य सरकारों ने 2005-10 तक की अवधि के लिए अपनी वित्तीय स्थिति और निधियों की आवश्यकताओं को दर्शाते हुए बारहवें वित्त आयोग को ज्ञापन दिए थे। बारहवें वित्त आयोग ने इन ज्ञापनों और अन्य राजकोषीय प्राचलों पर विचार के बाद अपनी सिफारिशें दे दी हैं। इन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। अनुमान है कि इस अवधि के दौरान केन्द्र से इन राज्यों को अंतरित की गई कुल धनराशि, 2000-2005 के दौरान 434905 करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर 2005-10 के दौरान 757514 करोड़ रुपए हो जाएगी। जहां तक गुजरात का संबंध है, गुजरात को अंतरित कुल धनराशि 2000-2005 के दौरान 12261 करोड़ रुपए थी, जिसके 2005-10 के दौरान 25609 करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है।

विद्युत का पारेषण और वितरण

*127. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :
श्री सुकदेव पासवान :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में विद्युत के पारेषण और वितरण के निजीकरण से विद्युत बचत में सहायता मिली है;

(ख) नेशनल पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के सृजन से देश में विद्युत के पारेषण और वितरण को विनियमित करने में किस प्रकार सहायता मिली;

(ग) क्या सरकार पारेषण और वितरण के दौरान होने वाली विद्युत की चोरी और क्षति को कम से कम करने हेतु प्रभावी उपाय कर रही है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में जल विद्युत और ताप विद्युत का पृथक-पृथक कुल कितना उत्पादन हुआ?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम सईद) : (क) पारेषण का निजीकरण देश में अभी तक नहीं हुआ है। विद्युत संवितरण का निजीकरण उड़ीसा में 1999 में तथा दिल्ली में जुलाई, 2002 में हुआ है।

निजीकरण से पूर्व हानि स्तर की तुलना में दिल्ली में कुल मिलाकर/तकनीकी व वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों में कमी आई है, जो निम्नानुसार है:

यूटिलिटी का नाम	कुल तकनीकी व वाणिज्यिक हानियां %		
	2001-2002*	2002-03	2003-04
बीएसईएस राजधानी पावर लि.	48.10	47.40	45.06
बीएसईएस यमुना पावर लि.	57.20	61.89	54.29
नॉर्थ दिल्ली पावर लि.	48.10	47.79	44.86

*निजीकरण से पूर्व

उड़ीसा में निजीकरण के बाद हानि में कमी निम्नानुसार है—

वर्ष	कुल तकनीकी व वाणिज्यिक हानियां %
1.	2
1998-1999*	62.28
1999-2000	56.85
2000-2001	56.06
2001-2002	60.48
2002-2003	51.60
2003-2004	49.71

*निजीकरण से पूर्व

(ख) पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पीजीसीआईएल) के निर्माण ने देश में जल एवं ताप संसाधनों के इष्टतम उपयोग को

अवसर दिया है। इससे पीजीसीआईएल बनाने के समय मौजूद 23,000 सर्किट कि.मी. पारेषण लाइनों तथा 1992-93 में 13,200 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता के 39 उपकेंद्रों की तुलना में 2004-05 में लगभग 49,250 सर्किट कि.मी. पारेषण लाइनें तथा 47,621 एमवीए ट्रांसफार्मेशन क्षमता की केंद्रीय पारेषण प्रणाली विकसित की जा सकी है। अंतरक्षेत्रीय विद्युत विनिमय क्षमता, जो व्यावहारिक तौर पर मौजूद नहीं थी (केवल कुछ लिंको को छोड़कर) जब पीजीसीआईएल) का निर्माण किया गया था, अब 9500 मेगावाट के आंकड़े तक पहुंच गई है। इसे 2012 तक 30,000 मेगावाट तक बढ़ाए जाने की योजना है।

महत्वपूर्ण अंतरक्षेत्रीय लिंकों के विकास से ऊर्जा के मामले में अंतरक्षेत्रीय विद्युत विनिमय 2003-04 में 22000 मि.यू. तक पहुंच गया है जो 4400 करोड़ रुपये मूल्य के बराबर है। विद्युत कमी वाले क्षेत्र अब अधिक विद्युत प्राप्त कर रहे हैं तथा अधिशेष क्षेत्र (वर्तमान में पूर्वी क्षेत्र) अपने उत्पादन क्षमताओं को इष्टतम करने में समर्थ है जिसके परिणामस्वरूप दोनों क्षेत्र वित्तीय एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने में समर्थ हो सकेंगे।

(ग) जी, हां विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत चोरी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान किया गया है। कई राज्यों ने पारेषण एवं संवितरण के दौरान चोरी को न्यूनतम करने तथा विद्युत क्षति को कम करने हेतु कदम उठाए हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, जल ताप तथा नाभिकीय विद्युत सहित राज्यवार कुल विद्युत उत्पादन दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 हेतु राज्यवार विद्युत उत्पादन मि.यू. में

राज्य का नाम	वर्ष		
	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
दिल्ली	7952	8780	10593
हरियाणा	8175	8908	9792
हिमाचल प्रदेश	8374	8735	11753
जम्मू-कश्मीर	5558	5983	7270
पंजाब	23866	23690	25581
राजस्थान	18988	21861	23045
उत्तर प्रदेश	74787	73837	74335
उत्तरांचल	3326	3770	3904
गुजरात	44446	48281	47284
मध्य प्रदेश	30324	33338	33296
छत्तीसगढ़	24740	24305	24249
महाराष्ट्र	65319	65147	67371
आंध्र प्रदेश	51172	56713	57732
केरल	8874	8092	7723
कर्नाटक	24851	24105	25040
तमिलनाडु	45419	4596	46670
पांडिचेरी	250	265	277
बिहार	5244	5585	6376
झारखंड	6606	7047	6758
उड़ीसा	18690	15635	23828
पश्चिम बंगाल	32653	35802	38519
सिक्किम	383	390	381
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
असम	2857	2756	3093
मेघालय	794	822	731

1	2	3	4
मणिपुर	569	553	504
त्रिपुरा	844	901	1083
नागालैंड	145	121	164
अरुणाचल प्रदेश	41	199	984
मिजोरम	0	0	0
कुल	515247	531607	558336

नोट: केंद्रीय क्षेत्र के विद्यमान विद्युत उत्पादन सहित।

काले सोमवार के संबंध में जांच

*128. श्री के.एस. राव :
श्री महबूब जाहेदी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लोक सभा चुनाव के परिणामों के बाद पिछले वर्ष 17 मई, जिसे मीडिया द्वारा ''काले सोमवार'' की संज्ञा दी गई थी, को सेंसेक्स में हुई भारी गिरावट के संबंध में जांच के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो चुकी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) दोषी व्यक्तियों/कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने विदेशी संस्थागत निवेशकों, दलालों, ग्राहक आदि जैसे प्रमुख बाजार प्रतिभागियों की नकदी व व्युत्पाद खंडों में कारोबार के दृष्टिगत उनकी भूमिका व संलिप्तता की जांच करने के लिए बाजार घटनाक्रमों की पड़ताल शुरू की।

(ख) जी, हां। जांच पूरी हो गई है।

(ग) जांच के निष्कर्षों के अनुकरण में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 और सेबी विनियमों के संदर्भ में समुचित कार्यवाही शुरू की गई है। अभी तक 12 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जा चुके हैं।

(घ) यह उपर्युक्त ''ग'' में शुरू की गई कार्यवाही के परिणाम पर निर्भर करेगा।

सुरक्षित पेयजल

*129. श्री अनंत गुढ़े :
श्री एस.के. खारवेनथन :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण भारत का एक बड़ा भाग अभी भी सुरक्षित पेयजल की सुविधा से वंचित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु एक समय-सीमा निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं हेतु आबंटित/जारी/उपयोग की गई धनराशि तथा दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि हेतु प्रस्तावित राशि का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने देश के मरूस्थली भागों में ग्रामीण जलापूर्ति में सहायता करने हेतु कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ज) क्या सरकार लक्ष्य/आबंटन पर आधारित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम को बंद करने पर विचार कर रही है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (ख) देश की सभी ग्रामीण बसावटों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 1999 में तैयार की गई विस्तृत कार्य योजना और बाद में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार देश को 14,22,664 ग्रामीण बसावटों में से 95.34 प्रतिशत बसावटों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति की सुविधा है। राज्य-वार कवरेज

की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। केन्द्र स्तर पर जिलास्तरीय कवरेज के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) पानी राज्यों का विषय है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। 10वीं योजना में योजना अवधि के अंत तक सभी ग्रामीण बसावटों, जिनमें पिछली श्रेणी में वापस आ चुकी बसावटें भी शामिल हैं, को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने की कल्पना की गई है।

(ङ) त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत आबंटित और रिलीज की गई धनराशि इस प्रकार है:-

(करोड़ रु. में)

वर्ष	आबंटित राशि	रिलीज की गई राशि
2003-04	2585.00	2564.90
2004-05	3148.00	2542.40*

*3.3.2005 की स्थिति के अनुसार

10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का परिव्यय 13245 करोड़ रु. है।

(च) और (छ) मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक और राजस्थान नामक 7 राज्यों में ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में मदद करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (मरुभूमि विकास कार्यक्रम) नामक घटक है। 2003-04 और 2004-05 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (मरुभूमि विकास कार्यक्रम) के अंतर्गत इन राज्यों को दिए गए आबंटन इस प्रकार हैं:-

क्र. सं.	राज्य	त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (डीडीपी) के अंतर्गत आबंटन (लाख रु. में)	
		2003-2004	2004-2005
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1424.00	676.40
2.	गुजरात	153.00	73.35
3.	हरियाणा	968.00	733.00
4.	हिमाचल प्रदेश	8.00	11.20
5.	जम्मू-कश्मीर	65.00	366.60
6.	कर्नाटक	1208.00	1731.55
7.	राजस्थान	6174.00	8847.90
	कुल	10000.00	12440.00

(ज) जी नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

कवरेज की स्थिति

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बसावटों की संख्या			
		एन सी	पी सी	एफ सी	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	69732	69732
2.	अरुणाचल प्रदेश	245	656	3397	4298
3.	असम	301	10691	59563	70555
4.	बिहार	0	0	105340	105340
5.	छत्तीसगढ़	0	0	50379	50379
6.	गोवा	0	7	388	395
7.	गुजरात	0	52	30217	30269
8.	हरियाणा	0	0	6745	6745

1	2	3	4	5	6
9.	हिमाचल प्रदेश	0	6891	38476	45367
10.	जम्मू-कश्मीर	678	2640	7866	11184
11.	झारखंड	0	0	100096	100096
12.	कर्नाटक	0	5618	51064	56682
13.	केरल	0	7573	2190	9763
14.	मध्य प्रदेश	0	0	109489	109489
15.	महाराष्ट्र	346	23743	61841	85930
16.	मणिपुर	0	0	2791	2791
17.	मेघालय	13	404	8219	8636
18.	मिजोरम	0	112	695	807
19.	नागालैंड	41	690	794	1525
20.	उड़ीसा	0	0	114099	114099
21.	पंजाब	906	1198	11345	13449
22.	राजस्थान	2785	0	91161	93946
23.	सिक्किम	0	74	1605	1679
24.	तमिलनाडु	0	0	66631	66631
25.	त्रिपुरा	0	0	7412	7412
26.	उत्तर प्रदेश	0	0	243508	243508
27.	उत्तरांचल	34	274	30666	30974
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	79036	79036
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	0	102	402	504
30.	दादर व नगर हवेली	19	41	456	516
31.	दमन व दीव	0	0	32	32
32.	दिल्ली	0	0	219	219
33.	लक्षद्वीप	0	10	0	10
34.	पांडिचेरी	0	108	159	267
35.	चण्डीगढ़	0	0	18	18
	कुल	5368	60884	1356031	1422283
	निर्जन/न बसी हुई/पलायन से प्रभावित/ शहरीकृत बसावटों की संख्या				381
	कुल योग				1422664

एन सी—कवर न की गई (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 10 लीटर से कम), पी सी—आंशिक रूप से कवर की गई (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 10 लीटर से 40 लीटर), एफ सी—पूर्णत: कवर की गई (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 40 लीटर अथवा अधिक)

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना

*130. **श्री प्रकाशबापू वी. पाटील** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़क का अद्यतन राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इस योजना का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) धनराशि के आबंटन/उपयोग का अद्यतन राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सड़क निर्माण किन एजेंसियों द्वारा किया गया है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) और (घ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आदिनांक निर्मित सड़कों तथा निधियों का आबंटन/उपयोग का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ख) और (ग) चूंकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000-01 में ही शुरू की गई थी अतः अभी तक योजना का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों के ग्रामीण लोगों के जीवन पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सामाजिक-आर्थिक पहले का त्वरित प्रभाव मूल्यांकन शुरू किया है। इस मूल्यांकन के मुख्य-मुख्य परिणाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण में शामिल नोडल विभागों तथा निष्पादन एजेंसियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में है।

विवरण-I

चरण-I से चरण-IV (2000-01 से 2004-05 तक) में पी.एम.जी.एस.वाई. के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य	आवंटन	रिलीज की गई राशि	सड़क कार्यों की संख्या	सड़क कार्यों की लम्बाई (कि.मी. में)	पूरे किए गए सड़क कार्यों की संख्या (जनवरी 05 तक)	पूरे किए गए सड़क कार्यों की लम्बाई (जनवरी 05 तक)	व्यय (जनवरी 05 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	750	757.91	3733	9114.52	3001	6681.20	661.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	175	127.46	341	1021.73	315	1007.55	122.73
3.	असम	375	452.01	808	2325.36	494	774.80	295.97
4.	बिहार	750	313.89	968	2219.85	261	707.40	242.00
5.	छत्तीसगढ़	435	549.59	1034	6013.03	416	2354.32	466.10
6.	गोवा	25	10.00	90	178.16	70	156.86	5.17
7.	गुजरात	250	215.86	1200	2513.88	768	1623.62	172.95
8.	हरियाणा	100	107.92	85	1213.58	48	709.72	96.09
9.	हिमाचल प्रदेश	300	315.66	743	3349.24	335	1301.00	195.03
10.	जम्मू-कश्मीर	100	75.00	178	635.27	36	82.93	40.97
11.	झारखण्ड	550	353.92	501	2752.90	224	1229.75	304.64
12.	कर्नाटक	475	365.68	1709	5442.30	1233	4069.77	322.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	केरल	100	69.17	366	679.98	144	275.41	56.17
14.	मध्य प्रदेश	1065	1424.44	2486	12182.00	1359	6359.70	1291.95
15.	महाराष्ट्र	650	454.29	2158	5146.84	1379	2865.35	298.96
16.	मणिपुर	160	80.00	790	710.64	416	72.67	59.06
17.	मेघालय	175	115.67	317	718.33	248	563.71	76.22
18.	मिजोरम	100	118.11	80	1032.50	48	705.40	109.43
19.	नागालैंड	100	88.95	185	1606.29	156	1203.11	80.06
20.	उड़ीसा	875	878.54	2140	6417.92	1066	2604.60	562.99
21.	पंजाब	125	127.40	516	1282.78	345	665.27	100.89
22.	राजस्थान	650	1137.89	3289	12400.71	2704	9405.28	1048.94
23.	सिक्किम	100	70.97	81	1444.73	40	1267.31	46.77
24.	तमिलनाडु	400	353.14	2230	4196.89	1320	2246.56	277.47
25.	त्रिपुरा	125	76.60	247	619.68	194	416.61	49.00
26.	उत्तर प्रदेश	1575	1245.03	8599	15531.65	6415	10746.96	1016.80
27.	उत्तरांचल	300	201.04	213	1227.39	102	385.78	111.52
28.	पश्चिम बंगाल	675	717.12	754	3982.50	374	1802.01	477.37
	कुल	11460.00	10803.26	35841	105960.64	23511	62284.65	8589.47

विवरण-II

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और प. बंगाल में ग्रामीण लोगों के जीवन पर प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का त्वरित स्वतंत्र मूल्यांकन करवाया। अध्ययन करने वाली एजेंसियां निम्नलिखित थीं। यह अध्ययन जनवरी, 2004 और फरवरी, 2004 में करवाया गया था। अध्ययन करने वाली एजेंसियां निम्नानुसार थीं।

एजेंसी	अध्ययन किए गए राज्य
1	2
नोडल एजेंसी: टी एन एस इंडिया प्राइवेट लि.	पश्चिम बंगाल

1	2
सी एम आई सामाजिक अनुसंधान केंद्र	असम और मिजोरम
विकास अनुसंधान सेवा	मध्य प्रदेश
कृषि वित्त निगम	उड़ीसा
सेनटेक प्राइवेट लि.	हिमाचल प्रदेश, राजस्थान
राइट्स प्राइवेट लि.	तमिलनाडु
ओ.ए.एम.ई.एस.	उत्तर प्रदेश

मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष

कृषि पर प्रभाव

- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के निर्माण से किसानों को बहुत लाभ हुआ है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों के निर्माण के पहले किसानों को अपने गांवों से सुदूर स्थित बड़े बाजारों में कृषि उत्पादों को बेचने के लिए जाने में कठिनाई होती थी। यातायात के साधनों के अभाव में किसानों को कृषि उत्पाद को प्राय: अपने सिर पर ढोना पड़ता था और इस तरह से कृषि उत्पादों को कम मात्रा में ही बाजार ले जा पाते थे। साथ ही ढोकर ले जाने में बहुत समय बर्बाद हो जाता था। इस प्रकार पूरी प्रक्रिया लाभदायक नहीं थी। तथापि, पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों के निर्माण से किसानों तथा उनके उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में आसानी हुई है और इससे कृषि उत्पाद पर लाभ में वृद्धि हुई है।

- पी.एम.जी.एस.वाई. के सड़क संपर्क सभी मौसमों में बेहतर परिवहन प्रणाली कायक हुई है। किसानों ने बताया कि सड़कों के निर्माण से मानसून के दौरान बाजार तक संपर्क सड़क नहीं होने की समस्या हल हो गई है। पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, असम आदि राज्यों में इसका प्रभाव बहुत हद तक महसूस किया गया है।

- कृषि की आधारभूत संरचना पर पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है क्योंकि बसावटें कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर, थ्रेसिंग मशीन जैसी मशीनी उपकरणों का उपयोग कर रही हैं जो अधिक कुशल, कम समय लगने वाला और कृषि की लाभदायक प्रक्रिया है।

- पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों से रासायनिक उर्वरकों, बीजों एवं कीटनाशकों के परिवहन में और आसानी हुई है। इन मदों का बढ़ा हुआ उपयोग उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में देखा गया है।

- हिमाचल प्रदेश, मिजोरम एवं तमिलनाडु में खाद्य फसलों से नकदी फसलों (जैसे अदरक, जूट, गन्ना, सूरजमुखी) की ओर बदलाव से फसल पद्धति में व्यापक परिवर्तन हुआ है।

- पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़क की अगली अवस्था में संवर्धित कृषि व्यापार के फलस्वरूप टमाटर, फूलगोभी, आंवला, हर्रे, बरुड़ की फसल के मामले में फसलों की बारंबारता में परिवर्तन देखा गया।

- राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए बकरी/भेड़ पालने वाले परिवारों की संख्या में वृद्धि का उल्लेख लाभार्थियों द्वारा किया गया।

- सड़क के निर्माण के पश्चात् अनेक परिवारों ने साइकलें खरीदी थीं ताकि वे दुग्ध उत्पादों की बिक्री के लिए आस-पास शहरों में जा पाएं।

रोजगार सृजन पर प्रभाव

- पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों के निर्माण के पश्चात् रोजगार के अधिक अवसर, स्वरोजगार की अधिक संभावनाएं आदि के रूप में रोगगार की स्थिति में सुधार पाया गया। अनेक गृहणियों ने बताया कि उन्होंने अचार, पापड़, बोरिस (मसूर दाल की बड़ियां) मुरिर मोवा (मुरमुरे के लड्डू) बनाने आदि जैसे लघु उद्योग आरंभ किए हैं।

- खाद्यान्न फसल से नकदी फसल की ओर झुकाव और विशेषकर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और मिजोरम में

बहु-फसली कृषि के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

- अधिकांश लोग लकड़ी, सब्जी, दुग्ध उत्पादों एवं अचार, पापड़ आदि स्थानीय तौर पर तैयार उत्पादों की बिक्री जैसे विविध कार्यों के लिए आसपास के शहरों और गांवों में जा रहे हैं।

- हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में दुकान खोलने, छोटे व्यापार, लघु उद्योग जैसे गैर कृषि रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई है।

- इसके अलावा, सड़क संपर्क होने से स्थानीय उद्योगों का विस्तार हुआ है जिससे रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं।

उद्योग पर प्रभाव

- नए लघु उद्योगों के रूप में औद्योगिक क्षेत्र में अभी प्रभाव दिख नहीं रहा है क्योंकि परिवर्तन में समय लगता है।तथापि, कच्चेमाल की आसान पहुंच, बाजार आदि तक अधिक मात्रा में उत्पाद के परिवहन के लिए वाणिज्यिक वाहनों की उपलब्धता के रूप में मौजूदा लघु उद्योगों पर प्रभाव पड़ा। इससे विशेषकर असम और मिजोरम में अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है।

- लाभार्थियों ने बताया कि उड़ीसा के मिट्टी बर्तन और ईंट निर्माण उद्योग पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों से लाभान्वित हुआ है।

- तमिलनाडु के कुटीर उद्योगों, प. बंगाल के हथकरघा उद्योग और असम में कृषि उद्योग में पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों से लाभ हुए हैं।

स्वास्थ्य पर प्रभाव

- प. बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप केंद्रों एवं जिला अस्पतालों जैसी स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में समग्र उन्नति हुई है।

- निवारणात्मक एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता में वृद्धि, संक्रामक रोगों के रोकथाम का बेहतर प्रबंधन, स्वास्थ्य सुविधाओं की त्वरित उपलब्धता एवं स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बार-बार दौरा कर आपात स्थितियों से निबटने में सकारात्मक प्रभाव पाया गया।

- मिजोरम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं प. बंगाल में लाभार्थियों द्वारा प्रसव के पहले एवं प्रसव के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के फलस्वरूप प्रसव संबंधी आपात घटनाओं में कमी पाई गई।

- उपर्युक्त राज्यों के लाभार्थियों ने बताया कि सड़क संपर्क और विकसित परिवहन प्रणाली से गांव के बाहर अस्पताल में संस्थागत प्रसव का विकल्प खुल गया है।

- लाभार्थियों ने विशेषकर उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एवं प. बंगाल में शिशु एवं बाल मृत्यु में कमी की जानकारी दी। यह पी.एम.जी.एस. वाई. की सड़क के अगले चरण में स्वास्थ्य सुविधाओं की आसान एवं त्वरित उपलब्धता के फलस्वरूप संभव हुआ है।

शिक्षा क्षेत्र पर प्रभाव

- पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों के निर्माण से शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार हुआ है। इससे सभी राज्यों में विद्यालयों में नामांकन तथा छात्रों की उपस्थिति में वृद्धि हुई है।

- लाभार्थियों ने बताया कि पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़क संपर्क के फलस्वरूप असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और प. बंगाल में विद्यालय जाने वाली छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुई है। अधिकांश अभिभावकों ने बताया कि वे अपनी लड़कियों को अब बिना किसी सुरक्षा के विद्यालय भेज सकते हैं।

- शिक्षकों की पूरे वर्ष नियमित उपस्थिति और उच्च अध्ययन एवं महाविद्यालयी शिक्षा के लिए अभिभावकों के अपने लड़के एवं लड़कियों को भेजने के प्रति अधिक झुकाव के रूप में उल्लेखनीय प्रभाव पड़ा है।

सामाजिक पहलुओं पर प्रभाव

- पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों के निर्माण से सरकारी अधिकारियों द्वारा दौरों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन होने की संभावना है।

- उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं प. बंगाल में स्वास्थ्य कर्मियों/सहायक नर्स एवं दाइयों (ए.एन.एम.) ग्राम स्तरीय कर्मियों (वी.एल.डब्ल्यू.), ग्राम आंगनवाड़ी कर्मियों जैसे निचले स्तर के कर्मियों द्वारा दौरे की संख्या में वृद्धि हुई है।

- लाभार्थियों ने यह भी बताया कि सभी राज्यों में बेहतर सड़क संपर्क होने से बैंकों तक पहुंचने में आसानी एवं डाक और तार सुविधाओं में वृद्धि हुई है।

- सड़क संपर्क होने से लोगों की पुलिस तक शीघ्र पहुंच आसान हो गई है। इससे कुछ क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।

- सभी राज्यों में ग्रामीणों के सामाजिक नेटवर्क में विस्तार के रूप में एक उल्लेखनीय परिवर्तन पाया गया हैं विवाह संबंध के दायरे में काफी वृद्धि हुई है।

- सड़क संपर्क होने से महिलाओं के आवागमन में वृद्धि हुई है क्योंकि अब वे बसों में एवं साइकलों पर अकेले यात्रा कर सकती हैं। अनेक महिलाओं ने बताया कि सड़क बन जाने से वे अब छोटे-छोटे काम (आंगनवाड़ी कर्मी, दैनिक श्रमिक आदि के रूप में) कर सकती हैं।

परिवहन सुविधाओं पर प्रभाव

- मिजोरम में ग्रामीण सड़क संपर्क का लाभ सबसे ज्यादा महसूस किया गया है जहां पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों ने कठिनाई वाले क्षेत्रों में जाने में लाभार्थियों के लिए आसान बना दिया है।

- सभी राज्यों में लाभार्थियों ने बताया कि विशेषकर असम, राजस्थान, पं. बंगाल एवं तमिलनाडु में दो पहिया वाहनों की खरीद में वृद्धि हुई हैं।

- लाभार्थियों ने यह भी बताया कि सभी राज्यों में सार्वजनिक और निजी परिवहन प्रणाली में सुधार हुआ है।

शहरीकरण पर प्रभाव

- अध्ययन के दौरान ग्रामीण सड़क संपर्क मुहैया कराने के तत्काल एवं प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में क्षेत्र के शहरीकरण की प्रवृत्ति पाई गई। अध्ययन वाले क्षेत्रों में पारंपरिक जीवन से लेकर आधुनिक रहन-सहन के स्तर में कुछ त्वरित परिवर्तन हुए हैं। उदाहरणस्वरूप रंगीन रोशनी के आकर्षण में गांव-वासियों को शहर के मनोरंजन के साधनों की ओर आने के लिए प्रेरित किया है। टी.वी. एवं अन्य विद्युत उपकरणों के उपयोग एवं उनकी खरीद में वृद्धि हुई है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में रसोई गैस की सुविधा पहुंच गई है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ा है और उन्हें लकड़ी बीनने और उपले बनाने से मुक्ति मिली है तथा भोजन बनाने में भी कम समय लगता है।

- मिजोरम, तमिलनाडु, प. बंगाल में कच्चे मकानों को पक्के मकानों में परिवर्तित करने की सूचना मिली है।

- सभी राज्यों में लाभार्थियों ने उल्लेख किया कि पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों से सटी हुई जमीन की कीमतों में अचानक वृद्धि के रूप में वास्तविक परिवर्तन हुआ। इससे वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए जमीन की बिक्री में वृद्धि हुई।

गरीबी उपशमन पर प्रभाव

- पी.एम.जी.एस.वाई. की सड़कों का सबसे ज्यादा प्रभाव उन सड़कों से लाभान्वित होने वाले निवासियों के आय स्तर पर पड़ा है। इन सड़कों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं गैर कृषि रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

- लाभार्थियों ने सूचित किया कि कृषि एवं गैर कृषि रोजगार के अवसरों में वृद्धि से सभी राज्यों में उनकी औसत पारिवारिक आय में वृद्धि हुई है।

प्रत्येक राज्य के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट कार्यक्रम के वेबसाइट www.pmgsy.nic.in. पर उपलब्ध है।

विवरण-III

पी एम जी एस वाई के अंतर्गत नोडल विभागों, निष्पादन एजेंसियों तथा राज्य स्तरीय स्वायत्तशासी निकायों की राज्यवार सूची

क्र.सं	राज्य	नोडल विभाग	निष्पादक एजेन्सी	राज्य स्तरीय स्वायत्तशासी निकाय
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास	पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास	आंध्र प्रदेश राज्य सड़क विकास एजेंसी
2.	अरूणाचल प्रदेश	लोक निर्माण विभाग	लोक निर्माण विभाग	अरुणाचल ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
3.	असम	ग्रामीण विकास विभाग	लोक निर्माण विभाग (सड़क स्कंध)	असम राज्य सड़क बोर्ड
4.	बिहार	ग्रामीण विकास	ग्रामीण इंजीनियरी संगठन	बिहार ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
5.	छत्तीसगढ़	पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास	ग्रामीण इंजीनियरी सेवा	छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
6.	गोवा	ग्रामीण विकास विकास	ग्रामीण विकास विभाग	जिला ग्रामीण विकास एजेंसी,
7.	गुजरात	सड़क एवं भवन विभाग	सड़क एवं भवन विभाग	गुजरात राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
8.	हरियाणा	लोक निर्माण विभाग	लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं पुल)	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम
9.	हिमाचल प्रदेश	लोक निर्माण विभाग	लोक निर्माण विभाग	हिमाचल प्रदेश ग्राम सड़क विकास एजेंसी
10.	जम्मू-कश्मीर	लोक निर्माण विभाग	पी डब्ल्यू डी एवं ग्रामीण विकास विभाग	जम्मू एवं कश्मीर राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
11.	झारखण्ड	गामीण विकास	ग्रामीण इंजीनियरी संगठन	झारखण्ड राज्य ग्रामीण पथ विकास प्राधिकरण

1	2	3	4	5
12.	कर्नाटक	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	ग्रामीण विकास इंजीनियरी स्कंध	कर्नाटक लैण्ड आर्मी कारपोरेशन
13.	केरल	ग्रामीण विकास	पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत इंजीनियरी स्कंध	केरल राज्य ग्रामीण सड़क एजेंसी
14.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण	मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
15.	महाराष्ट्र	ग्रामीण विकास, लोक निर्माण विभाग	जिला परिषद कार्य विभाग पी. डब्ल्यू.डी.	महाराष्ट्र ग्रामीण सड़क विकास संघ
16.	मणिपुर	ग्रामीण विकास	लोक निर्माण विभाग	पी एम जी एस वाई के लिए मणिपुर राज्य स्तरीय स्वायत्तशासी एजेंसी
17.	मेघालय	ग्रामीण विकास	लोक निर्माण विभाग	राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
18.	मिजोरम	ग्रामीण विकास	लोक निर्माण विभाग	मिजोरम ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
19.	नागालैंड	ग्रामीण विकास	लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं पुल)	नागालैंड ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
20.	उड़ीसा	ग्रामीण विकास	ग्रामीण निर्माण विभाग	उड़ीसा राज्य ग्रामीण सड़क एजेंसी
21.	पंजाब	लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं पुल)	लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं पुल)	पंजाब सड़क एवं पुल विकास बोर्ड
22.	राजस्थान	लोक निर्माण विभाग	लोक निर्माण विभाग	राजस्थान ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
23.	सिक्किम	ग्रामीण विकास	लोक निर्माण विभाग (सड़क एवं पुल)	सिक्किम राज्य ग्रामीण सड़क एजेंसी
24.	तमिलनाडु	ग्रामीण विकास (2003-04 कार्यों तक) और राजमार्ग विभाग (2004-05 कार्यों से)	ग्रामीण विकास इंजीनियरी स्कंध	तमिलनाडु ग्रामीण आवास एवं ढांचा विकास निगम
25.	त्रिपुरा	लोक निर्माण विभाग	लोक निर्माण विभाग	त्रिपुरा ग्रामीण सड़क एजेंसी

1	2	3	4	5
26.	उत्तरांचल	ग्रामीण विकास	ग्रामीण विकास लोक निर्माण विभाग	उत्तरांचल ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी
27.	उत्तर प्रदेश	ग्रामीण विकास	1. लोक निर्माण विभाग 2. ग्रामीण इंजीनियरी सेवाएं	उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण
28.	पश्चिम बंगाल	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	जिला परिषद सिलीगुड़ी महकमा परिषद (एस.एम.पी.), दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल	पश्चिम बंगाल राज्य ग्रामीण विकास एजेंसी

* केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) निर्माण भवन, नई दिल्ली, नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन (एन.एच.पी.सी.); राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन.पी.सी.सी.); राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड (एन.बी.सी.सी.), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (इरकॉन) नामक कार्यान्वयन एजेंसियों को भी 2004-05 में शामिल किया गया है।

** राज्य सरकार ने 2004-05 से पी.एम.जी.एस.वाई. का उत्तरदायित्व राजमार्ग विभाग को अंतरित कर दिया है।

ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि

131. **श्री वी.के. ठुम्मर :**
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण रोजगार योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार तथा योजना-वार कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई;

(ग) उक्त योजनाओं के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत 'योजना-वार' और 'राज्य-वार' कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान लाभान्वित होने वाली महिलाओं के संबंध में योजना-वार क्या उपलब्धियां हासिल की गई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (ङ) जहां तक ग्रामीण विकास मंत्रालय का संबंध है, विदेशी सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में इस समय कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-1 में दिए गए हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय दो प्रमुख रोजगार योजनाओं अर्थात् देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) तथा मजदूरी रोजगार के लिए संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई) कार्यान्वित कर रहा है चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश के 150 अत्यंत पिछड़े जिलों में काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) नामक एक नई योजना शुरू की गई है ताकि इन जिलों में पूरक मजदूरी रोजगार सृजित किए जा सकें और आवश्यकता आधारित आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के माध्यम से खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन योजनाओं के अंतर्गत निधियां राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए आकलनों के अनुसार देश में कुल ग्रामीण गरीबों की तुलना में किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्रामीण गरीबों के अनुपात के आधार पर आबंटित की जा रही है।

विगत तीन वर्षों (2001-02 से 2003-04 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत राज्यवार और वर्षवार रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां, प्रयुक्त की गई कुल निधियों तथा सहायता प्राप्त महिला लाभार्थियों के ब्यौरे संलग्न विवरण-II और III में दिए गए हैं।

विवरण-I

विदेशी सहायताप्राप्त ग्रामीण विकास परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. स.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	ऋण/अनुदान राशि
1	2	3	4
I.	विश्व बैंक से सहायताप्राप्त जिला गरीबी उन्मूलन उपाय परियोजना (आईडीए द्वारा वित्तपोषित) (राशि मिलियन में अमेरिकी डॉलर में)		
	1. आंध्र प्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना	134.800	111.000
	2. आंध्र प्रदेश ग्रामीण गरीबी उप-शमन परियोजना	275.000	150.000
	3. मध्य प्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना	134.700	110.100
	4. राजस्थान जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना	124.800	100.500
	5. छत्तीसगढ़ ग्रामीण गरीबी उप-शमन परियोजना	129.350	112.500
II.	ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और एडीबी से वित्तपोषण		
	1. एडीबी द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़	2000.00	0.000
	2. एडीबी द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना, पश्चिम बंगाल, असम एवं उड़ीसा	2500.00	0.000
	3. विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित ग्रामीण सड़क क्षेत्र परियोजना, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार	2000.00	134.5*
	* = राजस्थान राज्य के लिए		
III.	विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना (राशि मिलियन अमेरिकी डॉलर में)		
	1. केरल ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	89.80	65.50
	2. द्वितीय कर्नाटक ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	193.40	151.60
	3. द्वितीय महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति एवं पर्यावरण स्वच्छता परियोजना	268.65	181.00
IV.	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग द्वारा वित्तपोषत परियोजनाएं (करोड़ रु. में)		
	1. आंध्र प्रदेश ग्रामीण जीविकोपार्जक परियोजना	320	320.00

1	2	3	4
	2. पश्चिम उड़ीसा ग्रामीण जीविकोपार्जक परियोजना	230	230.00
	3. मध्य प्रदेश ग्रामीण जीविकोपार्जक परियोजना	114.87	114.87
V.	कैनेडियन कॉपरेटिव इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा वित्तपोषित ट्री ग्रोवर्स कॉपरेटिव प्रोजेक्ट्स (करोड़ रु. में)		
	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तरांचल में	45.99	45.99
VI.	जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉपरेशन द्वारा वित्तपोषित परियोजनाएं (करोड़ रु. में)		
	अट्टाप्पडी वेस्टलैंड कॉम्प्रिहेंसिव एन्वॉयरनमेंटल कन्जर्वेशन प्रोजेक्ट	219.31	176.89
VII.	यूरोपीय समुदाय द्वारा वित्तपोषित परियोजना (करोड़ रु. में)		
	हरियाणा कम्युनिटी फोरेस्ट्री प्रोजेक्ट	126.00	97.80
VIII.	द्विपक्षीय रूप से वित्तपोषित ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना (करोड़ रु. में)		
	दानिदा से सहायताप्राप्त कर्नाटक समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना	51.00	39.00
	दानिश सहायता से कर्नाटक में आरडब्ल्यूएसएस परियोजना-चरण-II	35.20	20.60
	जेआईबीसी से सहायताप्राप्त केरल जल आपूर्ति परियोजना	1787.45	1519.38
	महाराष्ट्र में केएफडब्ल्यू के जरिए जर्मन सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना	107.18	6.21
	पश्चिम बंगाल में केएफडब्ल्यू के जरिए जर्मन सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त बोल्यू-रघुनाथपुर जल आपूर्ति, स्वच्छता और स्वास्थ्य शिक्षा	156.00	61.57
	तमिलनाडु में दानिदा से सहायताप्राप्त ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना	43.00	34.02
	राजस्थान के केएफडब्ल्यू के जरिए जर्मन सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त समेकित जल आपूर्ति, स्वच्छता और सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम	402.30	
	राजस्थान में चुरू जिले के रतनगढ़-सुजानगढ़ और बुंगी-राजगढ़ खंड में समेकित जल आपूर्ति, स्वच्छता और सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम - चरण-II	405.08	
	गुजरात में नीदरलैंड से सहायताप्राप्त ग्रामीण जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना		
	गुजरात के भूकंप प्रभावित गांवों में नीदरलैंड से सहायता प्राप्त समुदाय द्वारा प्रबंधित जल एवं स्वच्छता कार्यक्रम		
	गुजरात में वास्मो को नीदरलैंड से सहायताप्राप्त संस्थागत सहायता		

विवरण-II

2001-02 से 2003-04 के दौरान संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां, प्रयुक्त की गई कुल निधियां तथा महिलाओं के लिए सृजित रोजगार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01 के दौरान			2002-03 के दौरान			2003-04 के दौरान		
		रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां (रु. लाख में)	प्रयुक्त की गई निधियां (रु. लाख में)	महिलाओं के लिए सृजित रोजगार (रु. लाख में)	रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां (रु. लाख में)	प्रयुक्त की गई निधियां (रु. लाख में)	महिलाओं के लिए सृजित रोजगार (रु. लाख में)	रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां (रु. लाख में)	प्रयुक्त की गई निधियां (रु. लाख में)	महिलाओं के लिए सृजित रोजगार (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	19933.07	28025.37	110.75	24380.17	28944.18	139.74	23995.50	33965.38	167.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	1148.79	1032.03	4.14	824.26	1427.27	7.33	1560.75	1257.74	5.28
3.	असम	26986.25	23249.33	49.81	22496.96	27332.23	49.21	29681.01	41422.14	72.27
4.	बिहार	38402.38	33718.59	87.48	26727.42	44312.74	108.77	34203.10	48593.41	108.36
5.	छत्तीसगढ़	10781.22	14489.65	141.97	12013.04	15827.20	132.46	12023.34	16805.85	107.05
6.	गोआ	168.92	195.16	0.93	75.04	70.57	0.20	110.36	78.92	0.23
7.	गुजरात	7339.16	7396.69	19.91	6942.87	9069.84	59.73	9654.67	13596.10	92.14
8.	हरियाणा	5697.71	6106.45	23.83	5610.37	9206.71	32.64	5599.45	7442.93	19.55
9.	हिमाचल प्रदेश	1853.52	2342.70	1.75	2046.00	1827.04	1.24	2394.67	3256.44	2.25
10.	जम्मू-कश्मीर	2860.56	2970.86	0.00	2051.61	3894.86	0.00	10803.04	4195.30	0.00
11.	झारखंड	25471.80	28593.78	78.45	17584.68	32556.04	79.90	26675.15	40280.58	92.32
12.	कर्नाटक	15090.25	19708.71	87.50	17429.04	24293.34	151.76	19428.39	24748.91	172.94
13.	केरल	6732.96	9892.17	23.37	7665.17	7710.51	21.53	8696.74	10065.14	34.75
14.	मध्य प्रदेश	24533.33	31835.80	171.01	26872.02	33324.50	202.43	26705.26	38744.86	212.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	महाराष्ट्र	28941.41	35469.28	153.49	28960.58	38213.83	159.27	31212.10	47411.11	202.71
16.	मणिपुर	922.18	287.16	0.00	669.80	1257.14	3.71	1331.40	1071.19	3.73
17.	मेघालय	1669.37	2256.35	8.29	1905.92	1833.13	8.90	2055.44	2716.95	11.15
18.	मिजोरम	639.38	806.96	3.56	573.88	869.41	4.67	757.86	801.68	4.55
19.	नागालैंड	1446.04	737.61	3.69	667.28	1111.86	3.81	1168.08	1170.55	135.68
20.	उड़ीसा	23698.71	31226.43	136.50	27406.55	32947.22	173.14	24743.95	38608.74	206.66
21.	पंजाब	2116.18	2596.04	0.50	3848.98	4157.25	0.46	4620.05	6055.59	0.26
22.	राजस्थान	11395.97	17566.16	60.50	14904.76	20514.24	153.38	13860.68	22075.62	108.44
23.	सिक्किम	597.19	449.75	1.77	439.18	478.25	2.53	703.55	760.00	2.97
24.	तमिलनाडु	20101.92	24019.57	96.34	21161.09	24467.54	166.67	23318.54	33602.53	188.03
25.	त्रिपुरा	3680.47	4563.24	19.22	3850.07	4211.48	27.12	3991.89	5959.21	33.67
26.	उत्तरांचल	4449.27	4447.51	7.45	4398.54	5031.26	3.33	5355.75	7492.65	16.95
27.	उत्तर प्रदेश	67553.49	63989.71	114.70	66092.08	91865.03	175.59	65695.85	111863.13	181.91
28.	प. बंगाल	24279.42	21076.39	37.00	20649.89	30040.03	83.20	21453.96	31604.04	91.54
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	96.21	78.14	0.06	42.32	0.00	0.00	97.40	23.77	0.07
30.	दादर व नागर हवेली	89.98	3.86	0.02	61.40	0.00	0.00	41.13	0.00	0.00
31.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	लक्षद्वीप	25.89	17.51	0.11	0.00	5.79	0.30	28.57	2.59	0.00
33.	पांडिचेरी	164.82	58.00	0.11	112.61	200.97	1.12	136.13	101.69	0.47
	अखिल भारत	378867.82	419206.96	1444.20	368463.58	500001.46	1954.14	412103.79	595774.74	2276.12

विवरण-III

2001-02 से 2003-04 के दौरान स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां, प्रयुक्त की गई कुल निधियां तथा महिलाओं के लिए सृजित रोजगार

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-01 के दौरान			2002-03 के दौरान			2003-04 के दौरान		
		रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां (रु. लाख में)	प्रयुक्त की गई निधियां (रु. लाख में)	सहायता प्राप्त महिला स्वरोजगारी (संख्या में)	रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां (रु. लाख में)	प्रयुक्त की गई निधियां (रु. लाख में)	महिलाओं के लिए सृजित रोजगार (रु. लाख में)	रिलीज की गई केन्द्रीय निधियां (रु. लाख में)	प्रयुक्त की गई निधियां (रु. लाख में)	महिलाओं के लिए सृजित रोजगार (रु. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	3068.31	6240.76	62859	3738.02	5800.68	56847	3942.42	5631.80	66814
2.	अरुणाचल प्रदेश	106.34	185.57	472	78.06	162.50	321	139.60	176.17	338
3.	असम	3328.48	2989.44	5246	2802.61	3587.09	35229	5313.00	7417.91	26207
4.	बिहार	3348.37	10600.77	33997	3493.34	10822.77	24801	5488.81	11216.49	26467
5.	छत्तीसगढ़	1467.21	3887.90	3362	1968.76	3510.70	4068	2025.44	2975.36	4181
6.	गोआ	25.00	28.94	672	17.65	40.18	252	17.65	51.31	123
7.	गुजरात	885.51	2349.05	5987	1403.27	2006.46	6798	1508.00	2415.12	8304
8.	हरियाणा	679.48	1480.58	7614	827.79	1317.00	6431	932.06	1437.07	7009
9.	हिमाचल प्रदेश	286.16	764.93	4980	348.62	593.07	3222	304.77	642.77	4606
10.	जम्मू-कश्मीर	342.81	716.22	7146	350.44	650.91	4493	427.45	842.03	2674
11.	झारखंड	1196.01	4892.33	21678	1801.02	3939.38	10867	2817.41	4711.54	26864
12.	कर्नाटक	1659.33	5147.38	26390	2686.99	4882.43	26963	2777.12	4711.28	36163
13.	केरल	1039.64	1998.68	14397	1266.55	2062.58	13875	1435.18	2054.13	15650
14.	मध्य प्रदेश	3425.29	7583.71	18709	4232.53	7402.90	16489	4397.14	7040.11	17373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	महाराष्ट्र	3842.09	10288.29	31414	5579.85	8239.25	32007	5712.39	8839.88	40019
16.	मणिपुर	13.02	NR	NR	0.00			56.75		
17.	मेघालय	83.38	305.43	112	27.51	86.88	857	117.12	161.90	2284
18.	मिजोरम	64.17	101.77	2270	77.47	84.03	291	99.96	138.00	866
19.	नागालैंड	69.98	337.85	645	83.15	184.01	658	157.80	105.63	744
20.	उड़ीसा	2744.13	6138.55	19842	4181.99	5499.02	21149	4553.07	6699.20	38667
21.	पंजाब	325.37	635.92	2348	391.58	668.22	3376	444.25	671.96	3634
22.	राजस्थान	1759.38	3462.03	15807	2143.41	2917.62	12657	2261.24	3157.57	13635
23.	सिक्किम	82.38	231.06	542	95.33	129.80	264	110.76	230.30	509
24.	तमिलनाडु	2713.06	5445.97	50785	3290.35	5068.76	54860	3690.70	5852.91	60048
25.	त्रिपुरा	622.08	1170.46	9090	599.65	975.63	2532	696.74	967.15	2203
26.	उत्तरांचल	496.90	1559.69	4931	667.95	1305.22	3830	686.02	1356.48	5871
27.	उत्तर प्रदेश	6316.37	15536.66	30422	7126.87	14721.83	30470	11756.85	19564.60	44899
28.	प. बंगाल	78.26	2865.13	3969	1121.19	5355.23	8302	2617.59	5298.25	12765
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12.50	23.33	128	0.00	14.41	29	0.00	4.24	143
30.	दादर व नागर हवेली	0.00	NR	NR	0.00			0.00	6.16	48
31.	दमन व दीव	0.00	3.17	48	0.00	1.34	5	0.00		
32.	लक्षद्वीप	0.00	0.10	0	0.00	0.70	1	0.00	2.53	10
33.	पांडिचेरी	28.93	60.32	29	53.64	80.67	669	25.00	44.91	706
	अखिल भारत	40109.94	97031.98	385891	50455.59	92111.27	382613	64512.29	104424.76	469824

[हिन्दी]

ताप विद्युत परियोजनाओं को कोयले की आपूर्ति में कमी

***132. श्री मोहन रावले :**
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोयले की कमी के कारण ताप विद्युत संयंत्रों के विद्युत उत्पादन में कमी आई है जैसा कि दिनांक 10.1.2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) क्या गत वर्ष विशेषकर राजस्थान में ताप विद्युत संयंत्रों के विद्युत उत्पादन लक्ष्य कम थे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल न कर पाने वाले ताप विद्युत, जल विद्युत तथा परमाणु विद्युत संयंत्रों के नाम क्या हैं;

(ङ) देश में कोयले की आपूर्ति की कमी से सर्वाधिक प्रभावित हुए विद्युत संयंत्रों के नाम क्या हैं; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां। चालू वर्ष (अप्रैल, 2004- जनवरी, 2005 तक) में कोयले की कमी के कारण संसूचित उत्पादन में 1497.56 मि.यू. की कमी सूचित की गयी है।

(ख) वर्ष 2004-05 के दौरान देश और राजस्थान में थर्मल विद्युत संयंत्रों के लिए तय विद्युत उत्पादन लक्ष्य क्रमशः 486372 मि. यू. व 16650 मि.यू. है, जबकि वर्ष 2003-04 में यह क्रमशः 472650 मि.यू. व 15891 मि.यू. था।

(ग) उक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान जनवरी, 2005 तक उत्पादन लक्ष्यों को पूरा न करने वाले थर्मल, हाइडल और न्यूक्लीयर पावर स्टेशनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि. तालचेर सुपर थर्मल पावर स्टेशन, फरक्का थर्मल पावर स्टेशन एवं कहलगांव थर्मल पावर स्टेशन कोयले की कमी से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।

(च) कोयले की कमी दूर करने के लिए सरकार ने निम्नांकित उपाय किए हैं—

(i) मानीटरिंग :

- मंत्रिमण्डल सचिवालय में सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता में एक अधिकारी समूह देश में थर्मल विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति समेत अवसंरचनात्मक बाधाओं की समीक्षा करता है।
- कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक उप समूह 7 दिन से कम स्टाक वाले संकटग्रस्त विद्युत स्टेशनों को कोयला आपूर्ति की समीक्षा करता है और उपचारी उपाय करता है।

(ii) वैकल्पिक रूप से, आपूर्ति की कमी का सामना कर रहे विद्युत स्टेशनों को संपृक्त खानों से अतिरिक्त खानों से भी कोयला भेजा जाता है।

(iii) चुनिंदा विद्युत उत्पादन यूटिलिटियों द्वारा कोयला आयात संबंधी कार्रवाई आरंभ की गई है।

(iv) कोयला मंत्रालय के प्रशासी नियंत्रण में सरकारी क्षेत्र उपक्रमों द्वारा नए कोयला ब्लाकों को खोलना।

(v) पावर यूटिलिटियों को कैप्टिव कोयला ब्लॉक का आबंटन

(vi) उच्च राख घटक वाले कोयले के लिए इंटीग्रेटेड गैसीफिकेशन कम्बाइन्ड साइकल जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी, जिससे कोयल की खपत में कमी आए।

विवरण

चालू वर्ष (अप्रैल, 2004- जनवरी, 2005 तक) के दौरान लक्ष्य प्राप्त न कर सकने वाले थर्मल पावर स्टेशनों की सूची

स्टेशन	अप्रैल, 04 से जनवरी, 05			
	लक्ष्य (एम.यू.)	वास्तविक (एम.यू.)	गिरावट (एम.यू.)	लक्ष्य का प्रतिशत
1	2	3	4	5
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन				
फरक्का एसटीपीएस	9008	7956.56	1051.44	88.3
अंता जीटी	2431	2353.91	77.09	96.8
कवास जीटी	3282	2237.01	1044.99	68.2
कायमकुलम जीटी	1664	246.95	1417.05	14.8
नैवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन				
नैवेली-II		7269.12	775.88	90.4
दामोदर वैली कॉरपोरेशन				
दुर्गापुर	1508	1212.44	295.56	80.4
बोकारो-बी	2457	1999.12	457.88	81.4
मेजीया	4071	3780.11	290.89	92.9
नार्थ इस्टर्न इलेक्ट्रि पावर कॉरपोरेशन लि.				
कथलगुरी जीटी	1313	1294.33	18.67	98.6
इंद्रप्रस्थ गैस पावर कॉरपोरेशन लि.				
राजघाट	706	579.28	126.72	82.1
आई.पी. जीटी		1319.87	203.13	86.7
हरियाणा पावर जेनरेशन कं.लि.				
फरक्काबाद एक्स.	769	743.82	25.18	96.7

1	2	3	4	5
पानीपत	5154	4982.39	171.61	96.7
पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड				
जी.एन.डी.टी.पी.	1775	1701.51	7349	95.9
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.				
ओ.बी.आर.ए.	4978	4498.06	479.94	90.4
एच.जीएएनजी.बी.	613	561.82	51.18	91.7
अनपरा	9716	9449.14	266.86	97.3
गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड				
गांधी नगर 1-4	3262	2758.88	503.12	84.6
के.यू.टी.सी.एच.एल.आई.जी.	815	718.29	96.71	88.1
जी.एम.डी.सी.एल.				
अकरीमोटा लीग	135	0	135	0.0
जी.एस.ई.जी.एल.				
गांधी नगर-5	1369	1277.97	91.03	93.4
धुवरण सी.सी.पी.पी.	588	571.48	16.52	97.2
जी.एस.ई.जी.एल.				
हजीरा सी.सी.पी.पी.	963	945.34	17.66	98.2
ए.ई.कं.				
साबरमती	2200	2168.97	[illegible]	98.6
जी.टी.ई.सी.				
जी.टी.ई. कॉर्पोरेशन	3719	2968.82	750.18	[illegible]
एम.पी.जी.पी.सी.एल.				
अमरकंटक	166	141.5	24.5	[illegible]

1	2	3	4	5
अमरकंटक एक्स.	952	838.39	113.61	88.1
छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड				
कोरबा-III	834	721.11	112.89	86.5
कोरबा वेस्ट	4660	4589.27	70.73	98.5
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड				
नासिक	5148	4829.25	318.75	93.8
कोराडी	5776	5543.22	232.78	96.0
ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश				
पेदापुरम सीसीजीटी	1322	975.11	346.89	73.8
जेगरूपाडु जीटी	1337	1174.06	162.94	87.8
कोंडापल्ली जीटी	2093	1853.04	239.96	88.5
एलवीएस पावर डीजी	205	0	205	0.0
गोदावरी जीटी	1250	1158.59	91.41	92.7
केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड				
ब्रह्मपुरम डीजी	227	101.97	125.03	44.9
कोजीकोड डीजी	299	123.18	175.82	41.2
कोचीन सीसीजीटी	918	85.78	832.22	9.3
कसरगोड डीजी	119	13.75	105.25	[illegible]
कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लि.				
रायचुर	8946	8699.6	246.4	97.2
येलहंका डीजी	293	170.34	122.66	58.1
बेल्लारी डीजी	156	32.96	123.04	21.1
तनीर बावी	1374	422.6	951.4	30.8

1	2	3	4	5
तोरांगल्लू				
इम्पोर्ट	660	355.88	304.12	53.9
बेलगाम डीजी	446	155.55	290.45	34.9
तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड				
इन्नौर	1163	993.76	169.24	85.4
मेट्टुर	6835	6750.86	84.14	98.8
नार्थ चैनल	3720	3330.97	389.03	89.5
बेसिन ब्रिज जीटी	126	31.36	94.64	24.9
वालायुर जीटी	551	445.75	105.25	80.9
कुटलाम जीजी	540	510.08	29.92	94.5
करूपपुर	65	0	65	0.0
समयानल्लूर डीडी	410	270.35	139.65	65.9
नवेली टी.पी.एस (जेड)	1197	1005.9	191.1	84.0
पीपीएनएल सीसीजीटी	1001	429.92	571.08	42.9
समलपट्टी डीजी	415	282.7	132.3	68.1
वलानथारवी जीटी	178	0	178	0.0
बेसिन ब्रिज डीजी	902	621.16	280.84	68.9
बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड				
बरौनी	265	122.6	142.32	46.3
झारखण्ड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड				
पतरातु	1041	609.62	431.38	58.6
तेनुघाट विद्युत निगम लि.				
तेनुघाट	1255	1093.82	161.18	87.2

1	2	3	4	5
वेस्ट बंगाल पावर डेवलोपमेंट कॉरपोरेशन लि.				
बांडेल	1975	1819.02	155.98	92.1
कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉरपोरेशन				
नेवकोस्सीपोर	408	404.04	3.96	99.0
असाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड				
नामरूप एसटी	43	0.13	42.87	0.3
नामरूप डब्लूएचपी	73	65.07	7.93	89.1
लाकवा डीटी	349	246.97	102.03	70.8
डीएलएफ	160	114.6	45.32	71.7
इलेक्ट्रिसिटी डिपारटमेंट, मणिपुर				
लिमाखोंग डीजी	8	0	8	0.0
इलेक्ट्रिसिटी डिपारटमेंट, मिजोरम				
बैराबी डीजी	8	0	8	0.0

चालू वर्ष (अप्रैल, 04-जनवरी, 05) के दौरान लक्ष्य प्राप्त न कर सकने वाले हाइडल पावर स्टेशनों की सूची

स्टेशन	लक्ष्य मि.यू.	वास्तविक मि.यू.	लक्ष्य का %
1	2	3	4
बीबीएम	8862	7426	83.8
पश्चिम यमुना केनाल	266	248	93.3
गिरी बेटा	181	123	68
संजय भावा	555	553	99.6
बासी	266	242	99.1
बासवा	1290	1142	88.5
मलाना	340	251	73.9
बैरा सियूल	657	501	76.4
चमेरा	1885	1740	92.3
चमेरा-2	1234	1200	97.3
एसजेवीएन (पूर्व में एनजेपीसी)	5744	4709	82
अपर सिंध	208	162	78.1
ऊरी	1917	1836	95.8
शनान	483	461	95.5

1	2	3	4
अनन्दपुर साहिब	590	478	81
रंजीत सागर	1145	965	84.2
मुकेरियन	860	776	90.3
रिहंद	775	449	57.9
ओबरा (एच)	244	190	77.9
खारा	345	256	74.3
खातिमा	172	158	92.2
चिबरा (यमुना)	780	527	67.6
खोदरी	358	247	69.3
धकरानी	161	115	71.4
धालीपुर	230	170	73.9
कुलहल	154	118	76.5
उकाई	658	378	57.5
सरदार सरोवर	278	149	53.7
पेंच	310	229	73.9
राजघाट (मध्य प्रदेश)	90	70	78.4
बानपसागर-1	970	869	89.6
बानपसागर-2	75	65	87.1
बानपसागर-3	100	76	76
बिरसिंघपुर	45	38	85
हसदेवबंगो	385	352	91.5
वैतरना	81	67	83.1
तिलिबारी	76	10	13.2

1	2	3	4
टी.बी. डैम	177	135	76.6
नागार्जुन सागर	1580	492	31.2
नागार्जुन सागर आरबीसी	150	48	31.8
नागार्जुन सागर एलबीसी	61	5	8.4
पांचाम्पद	83	2	2
शोलेार	218	208	95.6
श्रावथी	3420	3087	90.3
कोदरा	259	204	78.6
कोडासाली	220	174	79.3
कालिंदी	1710	1344	78.6
कालिंदी सूपा	287	226	78.9
लिगानमाकी	178	157	88.5
भद्रा	77	36	46.6
जेरूसुप्पा	358	357	99.8
अलमाटी डीपीएच	123	118	96.3
भेरूका हाइड्रो	120	102	84.8
मेटूर डैम	37	25	66.8
कोसी	12	3	27.3
सुबनरेखा	206	148	72
पंचेट	133	126	95.1
हीराकुंड	829	761	91.8
रैंगाली	724	682	94.2
मैथन	130	96	74.1

1	2	3	4
तीस्ता	105	86	81.7
कोपिली	898	838	93.3
कायरेडेमकुलई	134	111	83.1

चालू वर्ष (अप्रैल, 04-जनवरी, 05) के दौरान लक्ष्य प्राप्त न कर सकने वाले न्यूक्लीयर पावर स्टेशनों की सूची

स्टेशन	लक्ष्य (मि.यू.)	वास्तविक (मि.यू.)	कमी मि.यू.	लक्ष्य का %
ककरापारा	2413	2001	412	82.9
कैगा	2409	2396	13	99.5
मद्रास एटोमिक पावर प्लांट	1348	1195	153	88.7

त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम

***133. श्री ब्रजेश पाठक :**
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम चल रहा है और परियोजना-वार यह कब से चल रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन राज्यों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कितनी केंद्रीय सहायता/अनुदान जारी किया गया है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों द्वारा कितनी मांग की गई; और

(घ) वर्ष 2003 से कुल तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे, विद्युत आपूर्ति बंद रहने एवं विद्युत बाधित होने के कारण व्यावसायिक व्यवहार्यता में कमी तथा विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता की संतुष्टि बढ़ाने के संबंध में ए.पी.डी.आर.पी. की प्रमुख उपलब्धियां क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) 2002-03 में प्रारंभ किया गया था। निवेश घटक के अंतर्गत सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने के उद्देश्य से शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में गहन रूप से विद्युतीकृत अंचलों में उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण हेतु विशिष्ट परियोजनाओं के लिए निधियां उपलब्ध करवाई जाती हैं। अभी तक एपीडीआरपी के अंतर्गत 17612.36 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया। एपीडीआरपी के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गयी है। एपीडीआरपी के प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत जो यूटिलिटियां आधार वर्ष 2000-01 से नकद हानियों में कमी करती है, उन्हें वास्तविक नकद हानि में कमी का 50% अनुदान के रूप में दिया जाता हैं प्रोत्साहन के रूप में वह छह राज्यों को समग्र रूप से 955.58 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई।

(ख) एपीडीआरपी को 2002-03 में प्रारंभ किया गया तथा निवेश घटक के अंतर्गत राज्यों को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में तथा प्रोत्साहन घटक के अंतर्गत जारी अनुदान ब्यौरा का संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) एपीडीआरपी के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के इच्छुक राज्यों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डीपीआर) तैयार कर उनके सलाहकार सह-परामर्शक (एसीसी) के माध्यम से विद्युत मंत्रालय को भिजवाना अपेक्षित है। प्रस्ताव पर संचालन समिति द्वारा एसीसीज की सिफारिशों के आधार पर विचार कर मैरिट के आधार पर निर्णय लिया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान एपीडीआरपी के निवेश घटक के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को स्वीकृत परियोजनाओं की कुल लागत दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(घ) एपीडीआरपी के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां हैं—

(i) 13 राज्यों ने अपने राज्य बिजली बोर्डों को निगमीकृत/विकंद्रीकृत किया।

(ii) 26 राज्यों ने राज्य विद्युत विनियामक आयोग का गठन किया है।

(iii) 18 राज्यों ने टैरिफ आदेश जारी किए हैं।

(iv) 18 राज्यों ने पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी आने संबंधी सूचना दी है। वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 के दौरान विभिन्न राज्यों की पारेषण एवं वितरण हानियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

(v) महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों ने नकद हानियों में कमी दर्शायी है जिसका विवरण नीचे दिया गया है–

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	नकद हानियों में कमी
1	2	3
1.	महाराष्ट्र	275.78
2.	गुजरात	472.76
3.	हरियाणा	210.98
4.	राजस्थान	275.42
5.	आंध्र प्रदेश	530.22
6.	पश्चिम बंगाल	146.00
	कुल	1911.16

(vi) 17 राज्यों में यथा आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल में 100% फीडर मीटरिंग प्राप्त कर लिया गया हैं सभी राज्यों में मीटरिंग की स्थिति दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-VI में दिया गया है।

(vii) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक एवं पंजाब, इन चार राज्यों में 100% उपभोक्ता मीटरिंग प्राप्त कर ली गई हैं वर्ष 2000 के दौरान देश में 78% उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध करवाने की तुलना में समग्र रूप से 87% मीटर उपलब्ध करवा दिए गए हैं। सभी राज्यों में मीटरिंग की स्थिति दर्शाते हुए ब्यौरा संलग्न विवरण-VI में दिया गया है।

विवरण-I

एपीडीआरपी के अंतर्गत स्वीकृत उप पारेषण एवं वितरण (एसटी एंड डी) सुधार और उच्चीकरण परियोजनाओं की राज्यवार सूची

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	परियोजना लागत	अनुमोदन की तिथि
1	2	3	4
1.	हैदराबाद सर्किल के उप पारेषण एवं वितरण (एसटी एंड डी) परियोजना	307.27	25 सितंबर, 02
2.	हिंदूपुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.85	25 सितंबर, 02
3.	गुंटाकल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.71	25 सितंबर, 02
4.	धर्मावरम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.42	25 सितंबर, 02
5.	तड़ीपटरी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.50	25 सितंबर, 02
6.	कादिरी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.28	20 नवंबर, 2002

1	2	3	4
7.	रायदुर्गम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.14	20 नवंबर, 2002
8.	कुकाटपल्ली टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	14.75	20 नवंबर, 2002
9.	महबूबनगर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.80	20 नवंबर, 2002
10.	गडोवल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.82	20 नवंबर, 2002
11.	वानापर्थी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.77.	20 नवंबर, 2002
12.	नारायणपेट टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.45	20 नवंबर, 2002
13.	मिरयालगुडा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.37	20 नवंबर, 2002
14.	मेडक टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.56	20 नवंबर, 2002
15.	सिद्दीपेट टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.36	20 नवंबर, 2002
16.	सांगरेड्डी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.01	20 नवंबर, 2002
17.	जहीराबाद टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.72	20 नवंबर, 2002
18.	सदाशिवपेट टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.62	20 नवंबर, 2002
19.	नलगोंडा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.47	20 नवंबर, 2002
20.	सूर्यापेट टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.58	20 नवंबर, 2002
21.	भोंगीर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.38	20 नवंबर, 2002
22.	कुतुबुल्लापुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	24.03	20 नवंबर, 2002
23.	एलबी नगर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	12.09	20 नवंबर, 2002
24.	मलकागिरि टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.01	20 नवंबर, 2002
25.	शारलिंगमपल्ली टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	9.22	20 नवंबर, 2002
26.	कापरा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	9.02	20 नवंबर, 2002
27.	राजेंद्रनगर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	9.99	20 नवंबर, 2002
28.	उप्पल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	17.68	20 नवंबर, 2002
29.	तंदूर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.41	20 नवंबर, 2002

1	2	3	4
30.	विकाराबाद टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.4	20 नवंबर, 2002
31.	अनंतपुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	21.12	20 नवंबर, 2002
32.	कर्नूल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	14.66	20 नवंबर, 2002
33.	अदोनी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.35	20 नवंबर, 2002
34.	येम्मिंगनूरू टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.78	20 नवंबर, 2002
35.	नांदयाल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	16.39	20 नवंबर, 2002
36.	इलुरू सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	222.38	20 नवंबर, 2002
37.	काकीनांडा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	21.49	20 नवंबर, 2002
38.	राजामुंदरी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	24.93	20 नवंबर, 2002
39.	टुमी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.56	20 नवंबर, 2002
40.	आलमपुरम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.08	20 नवंबर, 2002
41.	समलकोट टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2	20 नवंबर, 2002
42.	पीठापुरम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.27	20 नवंबर, 2002
43.	पेद्दापुरम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.07	20 नवंबर, 2002
44.	मंडापेटा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.83	20 नवंबर, 2002
45.	आर.सी. पुरम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.86	20 नवंबर, 2002
46.	श्रीकाकुलम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	6.43	20 नवंबर, 2002
47.	पलासा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.89	20 नवंबर, 2002
48.	अमादालावालसा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	0.8	20 नवंबर, 2002
49.	इच्छापटनम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.07	20 नवंबर, 2002
50.	विशाखापटनम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	55.45	20 नवंबर, 2002
51.	अनकापल्ली सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	4.50	20 नवंबर, 2002
52.	भवमली सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	0.46	20 नवंबर, 2002

1	2	3	4
53.	विजयनगर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	9.75	20 नवंबर, 2002
54.	बोबिली टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.87	20 नवंबर, 2002
55.	पार्वतीपुरम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.56	20 नवंबर, 2002
56.	सलुरू टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.65	20 नवंबर, 2002
57.	वारंगल सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	122.30	20 नवंबर, 2002
58.	निजामाबाद टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.89	20 नवंबर, 2002
59.	रामागुंडम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.90	20 नवंबर, 2002
60.	करीमनगर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.91	20 नवंबर, 2002
61.	खम्माम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.77	20 नवंबर, 2002
62.	आदिलाबाद टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.46	20 नवंबर, 2002
63.	मानचेरियाल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.71	20 नवंबर, 2002
64.	कोपागुंडम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.27	20 नवंबर, 2002
65.	जगिताल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.89	20 नवंबर, 2002
66.	निर्मल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.87	20 नवंबर, 2002
67.	गोधान टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.37	20 नवंबर, 2002
68.	पलवोनाचा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.24	20 नवंबर, 2002
69.	बेल्लापथी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.55	20 नवंबर, 2002
70.	मंडामरी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	0.95	20 नवंबर, 2002
71.	कामारेड्डी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.00	20 नवंबर, 2002
72.	सिरपुरकागज नगर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.53	20 नवंबर, 2002
73.	कोदुताल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.35	20 नवंबर, 2002
74.	इल्लंडू टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.29	20 नवंबर, 2002
75.	भैंसा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.23	20 नवंबर, 2002.

1	2	3	4
76.	तिरूपति सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	263.99	16 जुलाई, 02
77.	कुडप्पा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	7.01	20 नवंबर, 2002
78.	प्रोडातुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	6.16	20 नवंबर, 2002
79.	गुंटूर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	22.6	20 नवंबर, 2002
80.	तेनाली टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	7.47	20 नवंबर, 2002
81.	नरसारावपेटा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.19	20 नवंबर, 2002
82.	चिकलाकलूरपेटा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.08	20 नवंबर, 2002
83.	सत्तेनापल्ली टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.23	20 नवंबर, 2002
84.	बापाटला टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.7	20 नवंबर, 2002
85.	मंगलगिरि टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.82	20 नवंबर, 2002
86.	कुनूर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.69	20 नवंबर, 2002
87.	मचेरी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2	20 नवंबर, 2002
88.	रिपालेटाऊन टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.76	20 नवंबर, 2002
89.	नैल्लोर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	14.24	20 नवंबर, 2002
90.	कवाली टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.47	20 नवंबर, 2002
91.	गुडूर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.92	20 नवंबर, 2002
92.	मरकापुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.18	20 नवंबर, 2002
93.	कंडूकुरू टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.38	20 नवंबर, 2002
94.	विजयवाड़ा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	23.60	20 नवंबर, 2002
95.	जग्गीपेटा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.84	20 नवंबर, 2002
96.	मछलीपटनम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	6.53	20 नवंबर, 2002
97.	गुडीवाडा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.18	20 नवंबर, 2002

1	2	3	4
98.	नुजीविडू टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.10	20 नवंबर, 2002
99.	4 डिस्कॉं का प्रत्येक का सर्किल आइटी पायलट	12.90	20 मई, 2003
100.	कुप्पम कंसनट्रेटेड एरिया	6.80	20 मई, 2003
101.	कुप्पम अन्य क्षेत्र	15.20	20 मई, 2003
	कुल	1511.10	
बिहार			
102.	पेसू (ईस्ट) सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	43.85	16 जुलाई, 02
103.	पटना सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	46.49	16 जुलाई, 02
104.	मुजफ्फरपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	63.55	16 जुलाई, 02
105.	पेसू (वेस्ट) सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	46.63	25 सितंबर, 02
106.	गया सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	80.35	25 सितंबर, 02
107.	भागलपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	35.61	25 सितंबर, 02
108.	छपरा सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	72.4	25 सितंबर, 02
109.	दरभंगा सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	59.86	25 सितंबर, 02
110.	रोहतास सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	72.82	25 सितंबर, 02
111.	सहरसा सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	45.61	20 नवंबर, 2002
112.	पूर्णिया सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	69.38	20 नवंबर, 2002
113.	पेसू (इस्ट), पटना ओर मुजफ्फरपुर हेतु अतिरिक्त मीटरिंग	81.02	20 नवंबर, 2002
114.	पेसू (वेस्ट) हेतु डीएमएस/स्काडा	20.4	20 नवंबर, 2003
115.	दरभंगा फेज-II में एसटी एंड डी परियोजना	30.28	20 नवंबर, 2002
116.	मुंगेर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	63.44	20 सितंबर, 2004
	कुल	831.69	

1	2	3	4
छत्तीसगढ़			
117.	बिलासपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	132.11	16 जुलाई, 02
118.	रायपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	150.29	16 जुलाई, 02
119.	राजनंदगांव सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	62.02	16 जुलाई, 02
120.	दुर्ग सिटी सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	14	20 नवंबर, 02
121.	भिलाई सिटी में एसटी एंड डी परियोजना	16.6	20 नवंबर, 02
122.	रायपुर सिटी में एसटी एंड डी परियोजना	49.56	20 मई, 03
	कुल	424.58	
दिल्ली			
123.	ईस्ट व वेस्ट दिल्ली (बीएसईएस) में एसटी एंड डी परियोजना	294.66	25 सितंबर, 02
124.	दक्षिणी दिल्ली (बीएसईएस) में एसटी एंड डी परियोजना	187.75	20 नवंबर, 02
125.	सेंट्रल दिल्ली (बीएसईएस) में एसटी एंड डी परियोजना	142.95	20 नवंबर, 02
126.	नॉर्थ-वेस्ट दिल्ली (बीएसईएस) में एसटी एंड डी परियोजना	193.10	25 सितंबर, 02
127.	नॉर्थ व नॉर्थ वेस्ट दिल्ली (बीएसईएस) में एसटी एंड डी परियोजना	128.00	20 नवंबर, 02
	कुल	946.46	
गोवा			
128.	उत्तर गोवा सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	62.65	16 जुलाई, 02
129.	दक्षिण गोवा सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	53.85	01 सितंबर, 02
130.	उत्तरी गोवा फेज-II सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	31.86	20 नवंबर, 02
131.	दक्षिण गोवा फेज-II सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	27.98	20 नवंबर, 2002
132.	मर्गाव टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	32.79	20 नवंबर, 2002
133.	पंजिम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	35.47	20 नवंबर, 2002

1	2	3	4
134.	उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा में सुधार	57.8	20 सितंबर, 04
	कुल	302.40	
गुजरात			
135.	जामनगर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	97.53	16 जुलाई, 02
136.	हिम्मतनगर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	62.16	16 जुलाई, 02
137.	साबरमती सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	74.27	16 जुलाई, 02
138.	कच्छ/भुज सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	102.49	16 जुलाई, 02
139.	भड़ूच सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	48.08	25 सितंबर, 02
140.	वलसाड सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	54.46	25 सितंबर, 02
141.	सुरत सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	120.75	25 सितंबर, 02
142.	बड़ौदा सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	50.26	25 सितंबर, 02
143.	जूनागढ़ सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	45.65	25 सितंबर, 02
144.	भावनगर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	69.11	25 सितंबर, 02
145.	बड़ौदा सिटी सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना (स्काडा)	30.38	20 सितंबर, 04
146.	सुरत इलेक्ट्रिक कंपनी में एसटी एंड डी परियोजना	142.98	20 नवंबर, 02
147.	अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी में एसटी एंड डी परियोजना	206.41	20 नवंबर, 02
	कुल	1104.53	
हरियाणा			
148.	करनाल सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	102.68	16 जुलाई, 02
149.	सोनीपत सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	28.94	16 जुलाई 02
150.	गोहाना टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.75	20 मई, 2003
151.	यमुना नगर व जगाधरी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	12.62	20 नवंबर, 2002

1	2	3	4
152.	थानेसर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	8.09	20 नवंबर, 2002
153.	कैथल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.56	20 नवंबर, 2002
154.	अंबाला टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	16.24	20 नवंबर, 2002
155.	रोहतक टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	17.64	20 नवंबर, 2002
156.	बहादुरगढ़ टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	10.87	20 नवंबर, 2002
157.	हिसार सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	79.84	16, जुलाई, 2002
158.	फरीदाबाद सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	123.92	16, जुलाई, 2002
159.	नारनौल (रेवाड़ी) टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	6.66	20 नवंबर, 2002
160.	भिवानी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	7.82	20 नवंबर, 2002
161.	सिरसा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	10.41	20 नवंबर, 2002
162.	हांसी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.81	20 नवंबर, 2002
163.	हिसार-II टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	7.75	20 नवंबर, 2002
164.	फतेहाबाद टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.76	20 नवंबर, 2002
165.	टोहाना टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	6.05	20 नवंबर, 2002
	कुल	453.41	
झारखंड			
166.	रांची सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	114.2	16, जुलाई, 02
167.	हजारीबाग सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	96.70	16, जुलाई, 02
168.	दुमका सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	63.60	16, जुलाई, 02
169.	जमशेदपुर, घाटशीला सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	55.26	20 नवंबर, 2002
170.	धनबाद सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	49.50	20 नवंबर, 2002
171.	देवघर टाऊन सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	9.32	20 नवंबर, 2002

1	2	3	4
172.	कतरास, चास, झरिया, टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	24.07	20 नवंबर, 2002
173.	डालटेनगंज, गरवा, लातेहार टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	32.20	20 नवंबर, 2002
	कुल	444.85	
कर्नाटक			
174.	बेलगाम सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	153.62	16, जुलाई, 2002
175.	बीजापुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	125.07	16, जुलाई, 2002
176.	हुबली सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	239.74	25 सितंबर, 02
177.	मैसूर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	161.6	16, जुलाई, 2002
178.	हासन टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	10.54	25 सितंबर, 02
179.	शिमोगा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1 92	20 सितंबर, 04
180.	भद्रावती टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.07	20 सितंबर, 04
181.	सागर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	0.67	20 सितंबर, 04
182.	चिकमंगलूर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.78	20 सितंबर, 04
183.	होलनरसईपुरा[1] में एसटी एंड डी परियोजना	0.29	20 सितंबर, 04
184.	मंगलोर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	26.2	25 सितंबर, 02
185.	गुलबर्गा और बिदर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	58.65	25 सितंबर, 02
186.	रायचूर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	13.56	25 सितंबर, 02
187.	शाहाबाद टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.32	20 सितंबर, 04
188.	रॉबर्टसन पेट टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	7.76	25 सितंबर, 02
189.	टूमकूर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	16.22	25 सितंबर, 02
190.	बंगलौर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	338.3	25 सितंबर, 02
191.	देवानगिरी (टाऊन) में एसटी एंड डी परियोजना	9.93	25 सितंबर, 02
192.	अनेकल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.47	20 सितंबर, 04

1	2	3	4
193.	चांदपुरा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	6.01	20 सितंबर, 04
194.	चित्रदुर्ग टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.67	20 सितंबर, 04
195.	चिकबालापुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.5	20 सितंबर, 04
196.	डोडबालापुरा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.63	20 सितंबर, 04
197.	रामानगर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.19	20 सितंबर, 04
198.	बंगारपेट टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.93	20 सितंबर, 04
199.	हरिहर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	0.7	20 सितंबर, 04
200.	चन्नापटना टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	0.68	20 सितंबर, 04
201.	चिन्तामणी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.77	20 सितंबर, 04
	कुल	1192.79	
केरल			
202.	कसारगोड सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	50.84	16, जुलाई, 02
203.	मंझेरी सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	77.51	16, जुलाई, 02
204.	पथानमथिट्टा सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	53.24	16, जुलाई, 02
205.	तिरूवंतपुरम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	31.59	20 नवंबर, 2002
206.	कोलम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	16.54	20 नवंबर, 2002
207.	कोचिन टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	63.00	20 नवंबर, 2002
208.	कोझिकोड टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	15.42	20 नवंबर, 2002
209.	कन्नूर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	19.39	20 नवंबर, 2002
210.	थालासारी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	12.36	20 नवंबर, 2002
211.	अलापुझा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	10.46	20 नवंबर, 2002
212.	नयाटिंकारा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.99	20 सितंबर, 04

1	2	3	4
213.	मवेलीकारा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.30	20 सितंबर, 04
214.	शेरथाला टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.48	20 सितंबर, 04
215.	चेन्नागुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.35	20 सितंबर, 04
216.	कोट्टायम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.77	20 सितंबर, 04
217.	थोडुपुझा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.06	20 सितंबर, 04
218.	पलाक्कड टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	6.54	20 सितंबर, 04
219.	शोरनूर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.32	20 सितंबर, 04
220.	पेयानुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.18	20 सितंबर, 04
221.	ओट्टापलम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.48	20 सितंबर, 04
222.	पुनालू टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.63	20 सितंबर, 04
223.	कामकुलम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	6.56	20 सितंबर, 04
224.	थिरीपुनीथुरा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.95	20 सितंबर, 04
225.	अलुवा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.17	20 सितंबर, 04
226.	अंगानामाली टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.22	20 सितंबर, 04
227.	कालामसेरी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.04	20 सितंबर, 04
228.	उत्तर पारावूर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.12	20 सितंबर, 04
229.	पेरूम्बावर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.35	20 सितंबर, 04
230.	मुवुथुपुजा कोठेमंगलम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	7.03	20 सितंबर, 04
231.	कोडुंगल्लूर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.24	20 सितंबर, 04
232.	इरीजलाकुडा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.46	20 सितंबर, 04
233.	चालाकुडी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.97	20 सितंबर, 04
234.	गुरूवयूर चावाक्कड़ टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.63	20 सितंबर, 04
235.	कुन्नामकुलम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.72	20 सितंबर, 04

1	2	3	4
236.	नेदूमनगढ़ टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.55	20 सितंबर, 04
237.	थिरूसुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	12.80	20 सितंबर, 04
	कुल	474.26	
मध्य प्रदेश			
238.	ग्वालियर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	90.72	16 जुलाई, 02
239.	गुना टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4	20 नवंबर, 2002
240.	भोपाल सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	63.17	20 नवंबर, 2002
241.	पिपरिया टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.54	20 नवंबर, 2002
242.	इटारसी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	9.65	20 नवंबर, 2002
243.	होशंगाबाद टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	9.96	20 नवंबर, 2002
244.	हरदा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.05	20 नवंबर, 2002
245.	विदिशा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	6.7	20 नवंबर, 2002
246.	शिवपुरी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.73	20 मई, 2003
247.	मंडीदीप टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.86	20 मई, 2003
248.	उज्जैन सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	103.7	16 जुलाई, 02
249.	इंदौर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	176.38	16 जुलाई, 02
250.	रतलाम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	10.75	20 नवंबर, 2002
251.	बुरहानपुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	8.74	20 नवंबर, 2002
252.	बुरहानपुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	11.13	20 नवंबर, 2002
253.	देवास टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	22.86	20 मई, 2003
254.	खरगौन टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.78	20 मई, 2003
255.	धार टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.02	20 मई, 2003

1	2	3	4
256.	नीमच टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.86	20 मई, 2003
257.	मंदसौर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.24	20 मई, 2003
258.	सागर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.87	20 नवंबर, 2002
259.	दमोह टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.23	20 नवंबर, 2002
260.	कटनी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	12.51	20 नवंबर, 2002
261.	शहडोल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.71	20 नवंबर, 2002
262.	नरसिंहपुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.71	20 नवंबर, 2002
263.	जबलपुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	33.27	20 नवंबर, 2002
264.	मांडला टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.52	20 नवंबर, 2002
265.	सतना टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.62	20 नवंबर, 2002
266.	छिंदवाड़ा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.37	20 नवंबर, 2002
267.	सिवरी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.4	20 नवंबर, 2002
268.	रीवा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	16.34	20 नवंबर, 2002
269.	बालाघाट टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.94	20 नवंबर, 2002
270.	वैधान टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.12	20 नवंबर, 2003
271.	छतरपुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.41	20 नवंबर, 2003
272.	पन्ना टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.3	20 नवंबर, 2003
273.	टीकमगढ़ टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.31	20 नवंबर, 2003
274.	ओरछा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.84	20 नवंबर, 2003
275.	निवाड़ी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	10.9	20 नवंबर, 2003
276.	मोरवा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.87	20 नवंबर, 2003
	कुल	679.08	

1	2	3	4
महाराष्ट्र			
277.	उस्मानाबाद टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	7.55	16 जुलाई, 2002
278.	शोलापुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	58.81	16 जुलाई, 2002
279.	जलगांव सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	36.87	16 जुलाई, 2002
280.	नासिक सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	106.44	25 सितंबर, 02
281.	लातूर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	79.34	25 सितंबर, 02
282.	नागपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	80.12	25 सितंबर, 02
283.	औरंगाबाद सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	83.85	25 सितंबर, 02
284.	अहमदनगर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	70.57	25 सितंबर, 02
285.	अमरावती सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	96.29	25 सितंबर, 02
286.	कोल्हापुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	35.05	20 नवंबर, 02
287.	मालेगांव टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	28.88	20 नवंबर, 02
288.	अमरावती सिटी में एसटी एंड डी परियोजना	8.04	25 सितंबर, 02
289.	पुणे सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	105.53	20 नवंबर, 02
290.	पिंपरी-छिंदवाड़ा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	29.7	20 नवंबर, 02
291.	सांगली टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.66	20 नवंबर, 02
292.	नांदेड़/वघाला टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.18	20 नवंबर, 02
293.	नासिक सिटी में एसटी एंड डी परियोजना	70	20 मई, 2003
294.	नागपुर में एसटी एंड डी परियोजना	170	20 मई, 2003
295.	रत्नागिरि सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	42.8	16 जुलाई, 02
296.	सिंधुदुर्ग सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	36.87	16 जुलाई, 02
297.	बुलढाणा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.4	20 सितंबर, 04
298.	अकोला टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	11.99	20 सितंबर, 04

1	2	3	4
299.	भण्डारा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	0.68	20 सितंबर, 04
300.	शिगांव टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.93	20 सितंबर, 04
301.	उल्हासनगर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	7.15	20 सितंबर, 04
302.	खामगांव टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.5	20 सितंबर, 04
303.	मलकापुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.23	20 सितंबर, 04
304.	येवतमाल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.69	20 सितंबर, 04
305.	डोम्बीवली टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	6.59	20 सितंबर, 04
306.	बेस्ट में एसटी एंड डी परियोजना	43.66	25 सितंबर, 02
307.	बेस्ट में स्काडा	100.86	20 नवंबर, 02
308.	बीएसईएस, मुंबई	550.74	28 नवंबर, 03
	कुल	1888.97	
उड़ीसा			
309.	बुरला (वेसको) में एसटी एंड डी परियोजना	87.65	20 मई, 2003
310.	बालासोर (नेसको) में एसटी एंड डी परियोजना	101.81	20 मई, 2003
311.	बरहामपुर (साऊथको) में एसटी एंड डी परियोजना	106.03	20 मई, 2003
312.	भुवनेश्वर (सेसको) में एसटी एंड डी परियोजना	113.74	20 मई, 2003
313.	कटक (सेसको) में एसटी एंड डी परियोजना	57.85	20 मई, 2003
314.	पारादीप (सेसको) में एसटी एंड डी परियोजना	67.21	20 मई, 2003
315.	धेनकनाल (सेसको) में एसटी एंड डी परियोजना	57.93	20 मई, 2003
	कुल	592.22	
पंजाब			
316.	मोहाली सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	26.8	25 सितंबर, 02

1	2	3	4
317.	खान्ना सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	71.58	25 सितंबर, 02
318.	पटियाला सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	67.84	25 सितंबर, 02
319.	अमृतसर सिटी में एसटी एंड डी परियोजना	49.76	20 नवंबर, 2002
320.	अमृतसर सब-अरबन में एसटी एंड डी परियोजना	98.52	20 नवंबर, 2002
321.	भटिंडा सिटी में एसटी एंड डी परियोजना	13.58	20 नवंबर, 2002
322.	एसटी एंड डी परियोजना	99.31	20 नवंबर, 2002
323.	जालंधर सिटी में एसटी एंड डी परियोजना	114.26	20 नवंबर, 2002
324.	पठानकोट सिटी में एसटी एंड डी परियोजना	12.3	20 नवंबर, 2002
325.	लुधियाना सिटी (पूर्व) में एसटी एंड डी परियोजना	84.03	20 नवंबर, 2002
326.	मोगा सिटी में एसटी एंड डी परियोजना	13.17	20 नवंबर, 2002
327.	बटाला सिटी में एसटी एंड डी परियोजना	16.31	20 नवंबर, 2002
328.	मुक्तसर सिटी में एसटी एंड डी परियोजना	7.7	20 मई, 2003
329.	अबोहर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	11.35	20 मई, 2003
330.	तरनतारन टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.44	20 मई, 2003
331.	फिरोजपुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	6.48	20 मई, 2003
332.	नकोदर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.94	20 मई, 2003
333.	शौकत टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.21	20 मई, 2003
334.	गुरदासपुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.8	20 मई, 2003
335.	मलेरकोटला टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.78	20 सितंबर, 04
336.	बरनाला टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.81	20 सितंबर, 04
337.	संगरूर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.87	20 सितंबर, 04
338.	फजिलका टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.547	20 सितंबर, 04
339.	टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.05	20 सितंबर, 04

1	2	3	4
340.	होशियारपुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	9.74	20 सितंबर, 04
	कुल	741.177	
राजस्थान			
341.	जोधपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	215.02	16 जुलाई, 02
342.	पाली टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	8.67	20 नवंबर, 2002
343.	बारमेर अरबर में एसटी एंड डी परियोजना	13.98	20 नवंबर, 2002
344.	श्री गंगानगर में एसटी एंड डी परियोजना	19.49	20 नवंबर, 2002
345.	बीकानेर सिटी अर्बन में एसटी एंड डी परियोजना	37.58	20 नवंबर, 2002
346.	बीकानेर रूरल में एसटी एंड डी परियोजना	26.93	20 नवंबर, 2002
347.	जोधपुर सिटी में एसटी एंड डी परियोजना	55.6	25 सितंबर, 02
348.	जयपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	315.38	25 सितंबर, 02
349.	अलवर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	155.33	16 जुलाई, 02
350.	कोटा सिटी में एसटी एंड डी परियोजना	89.93	25 सितंबर, 02
351.	कोटा सिटी में एसटी एंड डी परियोजना	23.48	25 सितंबर, 02
352.	भरतपुर में एसटी एंड डी परियोजना	18.66	25 सितंबर, 02
353.	झालावार सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	47.83	25 सितंबर, 02
354.	झुनझुनू सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	67.72	16 जुलाई, 02
355.	अजमेर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	15.58	20 नवंबर, 2002
356.	बीवर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	8.09	20 नवंबर, 2002
357.	किशनगढ़ टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	8.44	20 नवंबर, 2002
358.	भीलवाड़ा सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	71.4	25 सितंबर, 02
359.	उदयपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	39.08	20 सितंबर, 04
	कुल	1238.19	

1	2	3	4
तमिलनाडु			
360.	पुडुकोटाई सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	67.5	16 जुलाई, 02
361.	कोयम्बटूर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	73.8	16 जुलाई, 02
362.	विल्लुपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	108.2	16 जुलाई, 02
363.	कोयम्बटूर मेट्रो में एसटी एंड डी परियोजना	22.95	25 सितंबर, 02
364.	सेलम (अरबन) में एसटी एंड डी परियोजना	31.07	25 सितंबर, 02
365.	चिंगलपुट्टू इडीसी में एसटी एंड डी परियोजना	52.26	25 सितंबर, 02
366.	इरोड (अरबन) में एसटी एंड डी परियोजना	13.83	25 सितंबर, 02
367.	तिरुनवेली (अर्बन) में एसटी एंड डी परियोजना	12.11	25 सितंबर, 02
368.	मदुरई मेट्रो में एसटी एंड डी परियोजना	17.21	25 सितंबर, 02
369.	चेन्नई सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	440.97	20 नवंबर, 2002
370.	त्रिची टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	19.17	20 नवंबर, 2002
371.	कांचीपुरम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	8.55	20 नवंबर, 2002
372.	तिरुवल्लूर और तिरुथानी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.26	20 नवंबर, 2002
373.	नामक्कल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.82	20 नवंबर, 2002
374.	संकारी इडल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	9.82	20 नवंबर, 2002
375.	तिरुचेनगोड टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.7	20 नवंबर, 2002
376.	इडापेदी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	0.76	20 नवंबर, 2002
377.	कुमारपलयम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.46	20 नवंबर, 2002
378.	कुड्डालूर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.82	20 नवंबर, 2002
379.	चिदम्बरम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.53	20 नवंबर, 2002
380.	विरुधाचलम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.24	20 नवंबर, 2002
381.	पानरूटी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.73	20 नवंबर, 2002

1	2	3	4
382.	नेलीक्कुप्पम टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	0.79	20 नवंबर, 2002
383.	कुरिंजिपेडी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	1.37	20 नवंबर, 2002
384.	उदमलपेट टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	68.25	20 नवंबर, 2002
	कुल	968.17	
उत्तर प्रदेश			
385.	मुरादाबाद सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	36.77	16 जुलाई, 02
386.	गोरखपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	39.62	16 जुलाई, 02
387.	बरेली सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	47.49	16 जुलाई, 02
388.	इलाहाबाद सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	81.69	20 नवंबर, 02
389.	वाराणसी सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	89.02	20 नवंबर, 02
390.	मुरादाबाद में स्वचालित वितरण प्रणाली	22.05	20 नवंबर, 02
391.	फैजाबाद+अयोध्या में एसटी एंड डी परियोजना	20.74	20 नवंबर, 02
392.	कानपुर (केस्को) में एसटी एंड डी परियोजना	64.28	20 नवंबर, 02
393.	शाहजहांपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	44.48	20 मई, 2003
394.	मुजफ्फरनगर में एसटी एंड डी परियोजना	50.19	20 मई, 2003
395.	मुजफ्फरनगर चरण-II में एसटी एंड डी परियोजना	3.24	28 नवंबर, 2003
396.	गाजियाबाद सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	35	20 सितंबर, 04
397.	बागपत टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	15	20 सितंबर, 04
398.	मेरठ टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	28	20 सितंबर, 04
399.	शाहजहांपुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	20	20 सितंबर, 04
400.	रामपुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	14	20 सितंबर, 04
401.	अमरोहा-गजरौला टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	15	20 सितंबर, 04

1	2	3	4
402.	बुलंदशहर-खुर्जा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	15	20 सितंबर, 04
403.	नौएडा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	16	20 सितंबर, 04
404.	मुरादाबाद-संभल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	7.95	20 सितंबर, 04
405.	अलीगढ़ टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	30	20 सितंबर, 04
406.	मथुरा-वृंदावन टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	25	20 सितंबर, 04
407.	झांसी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	23.56	20 सितंबर, 04
408.	एटा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	10.49	20 सितंबर, 04
409.	मैनपुरी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	10.93	20 सितंबर, 04
410.	रायबरेली टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	29.14	20 सितंबर, 04
411.	सुल्तानपुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	29.49	20 सितंबर, 04
	कुल	824.13	
पश्चिम बंगाल			
412.	हावड़ा सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	50.49	16 जुलाई, 02
413.	24 परगना सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	49.46	16 जुलाई, 02
414.	बिधाननगर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	32.76	16 जुलाई, 02
415.	कृष्णानगर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	8.29	20 मई, 2003
416.	शांतिपुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.6	20 मई, 2003
417.	नबाद्वीप टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.8	20 मई, 2003
418.	जलपाईगुड़ी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	21.02	20 मई, 2003
419.	बर्धवान टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	18.66	20 मई, 2003
420.	जमुरिया टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	3.36	20 मई, 2003
421.	कुल्टी टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	5.66	20 मई, 2003

1	2	3	4
422.	रानीगंज टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	4.16	20 मई, 2003
423.	हल्दिया टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	13.9	28 नवंबर, 2003
424.	बर्धवान टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	12.97	28 नवंबर, 2003
425.	जलपाईगुड़ी सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	109.37	28 नवंबर, 2003
426.	आसनसोल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	21.01	28 नवंबर, 2003
427.	सिलीगुड़ी सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	46.54	28 नवंबर, 2003
428.	उपभोक्ता सूचकांक समेत पश्चिम बंगाल में पावर एन/डब्ल्यू की जेआईएस मैपिंग	6.05	28 नवंबर, 2003
429.	डिवी. कंप्यूटर सेंट का विस्तार और कम्प्यूटरीकृत बिलिंग केंद्रों की स्थापना	6.47	28 नवंबर, 2003
430.	जाधवपुर विश्वविद्यालय में स्वचालित वितरण प्रणाली	0.35	28 नवंबर, 2003
	कुल	420.92	
असम			
431.	डिब्रूगढ़ सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	23.71	16 जुलाई, 02
432.	गुवाहाटी सर्किल-II में एसटी एंड डी परियोजना	17.83	16 जुलाई, 02
433.	जोरहाट सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	29.9	16 जुलाई, 02
434.	कछार-1 सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	39.95	25 सितंबर, 02
435.	बोंगईगांव सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	18.15	25 सितंबर, 02
436.	सिबसागर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	28.23	25 सितंबर, 02
437.	गुवाहाटी-1 सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	52.38	25 सितंबर, 02
438.	नौगांव सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	46.22	25 सितंबर, 02
439.	रांगिया सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	44.24	20 नवंबर, 2002
440.	तेजपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	38.59	20 नवंबर, 2002
441.	कछार-II सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	26.78	20 नवंबर, 2002

1	2	3	4
442.	मंगोलडोई सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	19.46	20 मई, 03
443.	कोकराझार सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	23.1	20 मई, 03
	कुल	408.54	
	अरूणाचल प्रदेश		
444.	एमआईएओ सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	23.61	20 नवंबर, 02
445.	दिरांग सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	18.48	20 नवंबर, 02
446.	नाहरलगांव सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	25.20	20 नवंबर, 02
447.	पासीघाट सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	18.70	20 मई, 03
	कुल	85.99	
	हिमाचल प्रदेश		
448.	शिमला सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	24.15	16 जुलाई, 02
449.	सोलन सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	21.62	16 जुलाई, 02
450.	नाहन सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	25.64	16 जुलाई, 02
451.	हमीरपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	34.10	20 मई, 03
452.	उना सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	22.02	20 मई, 03
453.	मंडी सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	40.61	20 मई, 03
454.	रामपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	32.88	20 मई, 03
455.	रोहारू सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	14.83	20 मई, 03
456.	बिलासपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	25.94	20 मई, 03
457.	कांगड़ा सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	27.24	20 मई, 03
458.	डलहौजी सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	27.28	20 मई, 03
459.	कुल्लू सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	31.50	20 मई, 03
	कुल	327.81	

1	2	3	4
जम्मू-कश्मीर			
460.	जम्मू 1 सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	174.07	20 मई, 03
461.	श्रीनगर-1 व 2 सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	227.03	20 मई, 03
462.	जम्मू-II सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	145.55	20 सितंबर, 04
463.	बटोटे सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	95.62	20 सितंबर, 04
	कुल	642.27	
मणिपुर			
464.	मणिपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	10.13	16 जुलाई, 02
465.	बिष्णुपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	17.17	20 सितंबर, 04
466.	चूर चांदपुर टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	17.23	20 सितंबर, 04
467.	ग्रेटर इम्फाल सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	84.66	20 सितंबर, 04
468.	थाऊबल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	14.77	20 सितंबर, 04
	कुल	143.96	
मेघालय			
469.	तुरा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	7.11	20 नवंबर, 02
470.	जोवाई टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	2.65	20 नवंबर, 02
471.	शिलांग सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	16.53	20 नवंबर, 02
472.	शिलांग (बाह्री) में एसटी एंड डी परियोजना	15.97	20 मई, 03
473.	केंद्र में एसटी एंड डी परियोजना	62.51	20 सितंबर, 04
474.	गारो हिल्स में एसटी एंड डी परियोजना	38.02	20 सितंबर, 04
475.	शिलांग (स्काडा) में एसटी एंड डी परियोजना	21.12	20 सितंबर, 04
476.	वेस्टर्न (स्काडा) में एसटी एंड डी परियोजना	17.99	20 सितंबर, 04
	कुल	181.90	

1	2	3	4
मिजोरम			
477.	मिजोरम-मीटरिंग	9.77	16 जुलाई, 02
478.	आइजोल टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	20.43	20 मई, 03
479.	चम्पाई टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	15.21	20 मई, 03
480.	शेष मिजोरम में मीटरिंग	12.5	20 मई, 03
481.	लुंगलेई पावर सर्किल	15.66	20 सितंबर, 04
482.	प्रोजेक्ट सर्किल	15.8	20 सितंबर, 04
483.	ट्रांसमिशन	21.91	20 सितंबर, 04
	कुल	111.28	
नागालैंड			
484.	फेज-1 में एसटी एंड डी परियोजना	8.81	16 जुलाई, 02
485.	फेज-II में एसटी एंड डी परियोजना	38.41	20 नवंबर, 02
	कुल	47.22	
सिक्किम			
486.	फेज-1 में एसटी एंड डी परियोजना	8.06	20 मई, 03
487.	फेज-II में एसटी एंड डी परियोजना	55.42	20 नवंबर, 2002
488.	सिक्किम (सप्लीमेंट्री)	91.25	20 नवंबर, 2002
	कुल राज्य हेतु	154.73	
त्रिपुरा			
489.	त्रिपुरा टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	13.27	16 जुलाई, 02
490.	अगरतला टाऊन में एसटी एंड डी परियोजना	14.27	20 मई, 03
491.	कुमारघाट सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	28.7	20 सितंबर, 04

1	2	3	4
492.	बाहरी अगरतला में एसटी एंड डी परियोजना	20.57	20 सितंबर, 04
493.	उदयपुर में एसटी एंड डी परियोजना	31.11	20 सितंबर, 04
	कुल	107.92	
उत्तरांचल			
494.	रूद्रपुर सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	118.82	20 नवंबर, 2002
495.	देहरादून सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	37.87	20 नवंबर, 2002
496.	रूड़की सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	87.02	20 नवंबर, 2002
497.	श्रीनगर ईडीसी में एसटी एंड डी परियोजना	63.00	20 नवंबर, 2002
498.	रानीखेत में एसटी एंड डी परियोजना	21.04	20 नवंबर, 2002
499.	देहरादून (आर) सर्किल में एसटी एंड डी परियोजना	33.76	20 नवंबर, 2002
	कुल	361.51	
	कुल योग	17612.36	

विवरण-II

एपीडीआरपी के निवेश घटक के अन्तर्गत राज्यों को जारी की गयी राशि

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	जारी की गई राशि		
		2002-03	2003-04	2004-05 (अब तक)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	163.82	402.94	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	36.68	0.00
3.	असम	96.97	0.00	0.00
4.	बिहार	66.11	20.88	0.00
5.	छत्तीसगढ़	10.00	43.07	106.14
6.	दिल्ली	105.51	0.00	0.00
7.	गोवा	22.04	8.54	0.00
8.	गुजरात	105.41	183.45	0.00
9.	हरियाणा	56.33	112.66	0.00

1	2	3	4	5
10	हिमाचल प्रदेश	43.04	120.87	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	20.00	180.50	0.00
12.	झारखण्ड	12.00	43.60	98.27
13.	कर्नाटक	145.15	290.30	0.00
14.	केरल	30.43	74.23	72.05
15.	मध्य प्रदेश	74.87	10.00	0.00
16.	महाराष्ट्र	138.48	107.98	0.00
17.	मणिपुर	2.67	0.00	0.00
18.	मेघालय	6.57	14.56	24.34
19.	मिजोरम	3.78	25.18	0.00
20.	नागालैण्ड	13.14	10.47	0.00
21.	उड़ीसा	54.35	0.00	0.00
22.	पंजाब	53.98	124.76	0.00
23.	राजस्थान	125.64	219.70	0.00
24.	सिक्किम	17.21	60.17	77.35
25.	तमिलनाडु	111.57	232.59	0.00
26.	त्रिपुरा	2.67	6.10	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	80.12	0.00	22.90
28.	उत्तरांचल	174.63	6.13	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	19.02	21.15	0.00
	कुल	1755.51	2356.51	401.05

विवरण-III

एपीडीआरपी के प्रोत्साहन घटक के अन्तर्गत राज्यों को जारी की गयी राशि

(रुपये करोड़ में)

क्र.स.	राज्य	जारी की गयी प्रोत्साहन राशि
1.	गुजरात	236.38
2.	महाराष्ट्र	137.89
3.	हरियाणा	105.49
4.	राजस्थान	137.71
5.	आंध्र प्रदेश	265.11
6.	पश्चिम बंगाल	73.00
	कुल	955.58

विवरण-IV

एपीडीआरपी के निवेश घटक के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को स्वीकृत की गयी परियोजना लागत

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	परियोजनाओं हेतु स्वीकृत लागत		
		2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1476.50	34.90	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	67.29	18.70	0.00
3.	असम	365.98	42.56	0.00
4.	बिहार	717.57	50.68	63.44
5.	छत्तीसगढ़	424.58	0.00	0.00

1	2	3	4	5
6.	दिल्ली	946.46	0.00	0.00
7.	गोवा	176.34	68.26	57.80
8.	गुजरात	1035.80	0.00	68.73
9.	हरियाणा	450.66	2.75	0.00
10.	हिमाचल प्रदेश	105.51	222.30	0.00
11.	जम्मू-कश्मीर	401.10	0.00	241.16
12.	झारखण्ड	444.85	0.00	0.00
13.	कर्नाटक	1161.19	0.00	31.60
14.	केरल	350.35	0.00	123.90
15.	मध्य प्रदेश	598.98	80.10	0.00
16.	महाराष्ट्र	1107.85	790.74	-9.61*
17.	मणिपुर	10.13	0.00	133.82
18.	मेघालय	26.29	15.97	139.64
19.	मिजोरम	9.77	48.14	53.37
20.	नागालैण्ड	47.22	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	592.22	0.00	0.00
22.	पंजाब	667.46	38.92	34.80
23.	राजस्थान	1255.05	0.00	-16.86*
24.	सिक्किम	63.48	91.25	0.00
25.	तमिलनाडु	968.17	0.00	0.00
26.	त्रिपुरा	27.54	0.00	80.37
27.	उत्तर प्रदेश	718.18	105.95	0.00
28.	उत्तरांचल	361.51	0.00	0.00
29.	पश्चिम बंगाल	132.71	288.21	0.00
	कुल	14710.74	1899.43	1002.16

* राज्यों से पूर्व में स्वीकृत की गई स्कीमों के भाग को जल्दी बंद करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण-V

राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में ट्रांसफोरमेशन, पारेषण और वितरण घाटों का प्रतिशत (गैर-लेखा परीक्षित ऊर्जा समेत)

(स्रोत: केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण)

क्र. सं..	क्षेत्र/राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
1.	हरियाणा	39.82	39.22	37.65
2.	हिमाचल प्रदेश	23.38	25.55	21.16
3.	जम्मू-कश्मीर	45.39	48.85	45.55
4.	पंजाब	26.58	27.70	24.42
5.	राजस्थान	29.76	43.06	42.61
6.	उत्तर प्रदेश	36.94	37.62	34.16
7.	उत्तरांचल	—	32.39	25.17
8.	चण्डीगढ़	25.41	24.97	24.06
9.	दिल्ली	44.27	43.97	45.82
पश्चिम क्षेत्र				
10.	गुजरात	28.14	26.87	28.52

1	2	3	4	5
11.	मध्य प्रदेश	46.07	44.55	43.31
12.	छत्तीसगढ़	—	33.75	37.86
13.	महाराष्ट्र	33.81	37.28	34.01
14.	दादर नागर हवेली	39.84	27.22	40.26
15.	गोवा	28.70	25.18	40.26
16.	दमन एवं दीव	11.38	7.52	14.95
	दक्षिणी क्षेत्र			
17.	आंध्र प्रदेश	36.63	26.81	30.11
18.	कर्नाटक	34.93	33.83	24.57
19.	केरल	18.44	32.21	27.45
20.	तमिलनाडु	15.72	16.06	17.31
21.	लक्षदीप	6.71	10.94	11.29
22.	पांडिचेरी	7.93	12.00	21.10
	पूर्वी क्षेत्र			
23.	बिहारी	17.86	51.70	37.98
24.	झारखण्ड	—	26.39	21.19
25.	उड़ीसा	44.91	47.34	45.36
26.	सिक्किम	24.98	31.73	54.85
27.	पश्चिम बंगाल	29.44	31.67	25.93
28.	अण्डमान निकोबार दीप	17.49	29.20	19.78
	उत्तरी पूर्वी क्षेत्र			
29.	असम	40.71	42.78	38.30
30.	मणिपुर	58.49	62.35	63.66
31.	मेघालय	20.97	22.66	21.92
32.	नागालेण्ड	24.60	52.32	56.71
33.	त्रिपुरा	43.89	40.38	40.64
34.	अरुणाचल प्रदेश	34.41	53.58	38.95
35.	मिजोरम	45.42	49.77	46.91
	अखिल भारत	32.86	33.98	32.54

विवरण-VI

मीटरिंग स्थिति

क्र. सं.	राज्य	11 केवी फीडर 2004-05			उपभोक्ता (करोड़ में) 2004-05		
		संख्या	मीटरकृत	% प्रतिशत	संख्या	मीटरकृत	% प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	7401	7401	100	198.60	181.20	91
2.	अरुणाचल प्रदेश	201	1	0	1.13	0.52	46

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	708	708	100	11.77	10.56	90
4.	बिहार	1125	465	41	12.50	6.23	50
5.	छत्तीसगढ़	1006	707	70	21.47	14.07	66
6.	दिल्ली	1591	1591	100	27.31	27.31	100
7.	गोवा	179	179	100	3.96	3.86	97
8.	गुजरात	5307	5307	100	74.77	69.57	93
9.	हरियाणा	3888	3888	100	39.17	36.12	92
10.	हिमाचल प्रदेश	726	651	90	16.46	16.46	100
11.	जम्मू-कश्मीर	1558	630	40	10.00	4.00	40
12.	झारखण्ड	461	396	86	6.53	4.02	62
13.	कर्नाटक	3518	3518	100	120.45	96.74	80
14.	केरल	1320	1320	100	74.19	74.19	100
15.	मध्य प्रदेश	5660	5660	100	64.92	46.50	72
16.	महाराष्ट्र	7128	7128	100	147.00	128.97	88
17.	मणिपुर	193	40	21	1.70	1.40	82
18.	मेघालय	175	170	97	1.68	0.84	50
19.	मिजोरम	127	127	100	1.27	1.21	95
20.	नागालैण्ड	164	66	40	1.88	1.14	61
21.	उड़ीसा	1723	1475	86	21.49	17.45	81
22.	पंजाब	5561	5561	100	46.59	46.59	100
23.	राजस्थान	8411	8411	100	58.45	54.78	94
24.	सिक्किम	113	55	49	0.60	0.52	87
25.	तमिलनाडु	3508	3508	100	161.33	131.25	81

1	2	3	4	5	6	7	8
26.	त्रिपुरा	197	197	100	2.28	1.84	81
27.	उत्तर प्रदेश	8507	8507	100	88.06	80.38	91
28.	उत्तरांचल	743	743	100	9.01	8.14	90
29.	पश्चिम बंगाल	2347	2290	98	47.27	45.89	97
	कुल मीटरिंग	73546	70700	96	1271.84	1111.75	87

निजी बैंक

*134. श्री देविदास पिंगले :
श्री एम. अप्पादुरई :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए विदेशी/निजी बैंकों की राज्य-वार संख्या कितनी है और इनके नाम क्या है;

(ख) ग्रामीण क्षेत्रो में उल रहे ऐसे बैंकों की संख्या कितनी है;

(ग) देश में विदेशी/निजी बैंक खोलने के संबंध में क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(घ) इन बैंकों की कुल पूंजी/जमाराशि कितनी है;

(ङ) निजी/निवेशी बैंक के कार्यनिष्पादन की समीक्षा किस प्रकार की जाती है;

(च) आज की तिथि के अनुसार निजी बैंकों/विदेशी बैंकों को स्थापित करने हेतु सरकार के पास लंबित पड़े प्रस्तावों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(छ) लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, एक विदेशी बैंक अर्थात बेल्जियम के ऐन्टवर्प डायमंड बैंक एन.वी. और दो गैर-सरकारी बैंकों अर्थात महिन्द्रा बैंक लि. और यस बैंक लि. ने मुंबई, महाराष्ट्र में अपना परिचालन शुरू किया है।

(ख) भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंकों की ग्रामीण क्षेत्र में कोई शाखा नहीं है। तथापि, गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक 1109 कार्यालयों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में परिचालन कर रहे हैं।

(ग) देश में विदेशी/गैर-सरकारी बैंक खोलने के लिए अपनाया जाने वाला मानदण्ड संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) 31 मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार विदेशी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पूंजी और जमाराशियां निम्नानुसार हैं:—

(करोड़ रुपए में)

बैंक समूह	पूंजी	जमाराशि
विदेशी बैंक	4644.53	79756.42
गैर सरकारी क्षेत्र के बैंक	3028	268549.30

(ङ) सभी सरकारी क्षेत्र गैर-सुरकारी क्षेत्र, विदेशी बैंक और वित्तीय संस्थाएं भारतीय रिजर्व बैंक के पर्यवेक्षण के अधीन हैं। इन संस्थाओं के कार्यकरण की भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है और अनियमितताओं, विपथन और भारतीय रिजर्व बैंक के मानदण्डों/मार्गनिर्देशों का कार्यान्वयन न करने के सभी मामलों की जांच की जाती है और उसे सुधारात्मक कार्रवाई, यदि कोई हो, के लिए संबंधित बैंकों के प्रबंधन के साथ उठाया जाता है।

(च) विदेशी बैंकों के केवल पांच आवेदन भारतीय रिजर्व बैंक के पास लंबित हैं। इन आवेदनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:—

बैंक का नाम	निगमित करने वाला देश	के लिए आवेदन
कामनवेल्थ बैंक आफ आस्ट्रेलिया	आस्ट्रेलिया	बेंगलूर में प्रतिनिधि कार्यालय
कामर्शियल बैंक आफ सीलोन	श्रीलंका	चेन्नई में शाखा
यूबीएस एजी स्विटजरलैण्ड	स्विटजरलैण्ड	मुम्बई में प्रतिनिधि कार्यालय का शाखा में उन्नयन
मिजुहो कार्पोरेट बैंक	जापान	दिल्ली में प्रतिनिधि कार्यालय का शाखा में उन्नयन
डीबीएस बैंक लि.	सिंगापुर	चेन्नई, बेंगलूर, हैदराबाद, पुणे और गुड़गांव में शाखाएं

(छ) भारत में शाखाएं खोलने के लिए विदेशी बैंकों के प्रस्तावों पर वित्त मंत्रालय में अंतर विभागीय समिति की बैठकों में विचार किया जाता है, जो हर छह महीने में आयोजित की जाती हैं।

गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रवेश मानदण्ड

गैर सरकारी क्षेत्र में नए बैंकों के प्रवेश के लिए संशोधित दिशानिर्देश 3 जनवरी, 2001 की हमारी प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा जारी किए गए थे। मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं :—

1. एक नए बैंक के लिए प्रारंभिक न्यूनतम चुकता पूंजी 200 करोड़ रुपए होगी जिसे कारोबार शुरू करने के बाद उत्तरवर्ती तीन वर्षों में बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए कर दिया जाएगा।

2. प्रवर्तक का अंशदान चुकता पूंजी का न्यूनतम 40 प्रतिशत (बाद में 49 प्रतिशत तक बढ़ा दिया जाएगा) होगा।

3. नए बैंक का प्रवर्तन किसी बड़े औद्योगिक घराने द्वारा नहीं किया जाना चाहिए।

4. प्रस्तावित बैंक प्रवर्तक समूह में कारबार कंपनी के साथ दूर के संबंध रखेगा।

5. बैंक को अपना परिचालन शुरू करने के समय से सतत् आधार पर 10 प्रतिशत का न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखना अपेक्षित होगा।

6. बैंक में बदलने के लिए इच्छुक पिछला अच्छा कार्यनिष्पादन रिकार्ड रखने वाली एनबीएफसी को निर्धारित मानदण्ड पूरे करने चाहिए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ 200 करोड़ रुपए की न्यूनतम शुद्ध मालियत होना शामिल है, पिछले वर्ष में न्यूनतम एएए रेटिंग (अथवा इसके तुल्य) की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त की होनी चाहिए, भारतीय रिजर्व बैंक के विनियमों/निदेशों का अनुपालन करने तथा सार्वजनिक जमाराशियों की चुकौती में त्रुटिहीन कार्यनिष्पादन रिकार्ड होना चाहिए, न्यूनतम 12 प्रतिशत की पूंजी पर्याप्तता एवं 5 प्रतिशत से अनधिक क निवल एनपीए होने चाहिए।

विदेशी बैंकों के लिए प्रवेश मानदण्ड

शाखा : भारत में पहली बार शाखा स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करने वाले विदेशी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक को यह संतुष्ट करना चाहिए कि वे अपने देश में पर्याप्त विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण के अध्यधीन हैं। उनके देश के विनियामकों द्वारा प्रयोग किए गए पर्यवेक्षण मानकों पर विचार करते समय, भारतीय रिजर्व बैंक बासिल मानकों को ध्यान में रखेगा।

मूल बैंक के अपने देश के पर्यवेक्षक को उस देश में कार्यरत भारतीय बैंकों के विरुद्ध किसी प्रकार से भेद नहीं करना चाहिए।

भारत में शाखा के माध्यम से अपनी मौजूदगी स्थापित करने में अपने देश के विनियामक का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

आवेदन पर विचार करते समय जिन अन्य कारकों (अपितु उन तक ही सीमित नहीं) को ध्यान में रखा जाएगा, वे नीचे दिए गए हैं:—

(i) विदेशी बैंक के अपने देश एवं भारत के बीच आर्थिक एवं राजनैतिक संबंध।

(ii) विदेशी बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता।

(iii) विदेशी बैंक का स्वामित्व पैटर्न।

(iv) अंतर्राष्ट्रीय एवं अपने देश की रैकिंग।

(v) अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा विदेशी बैंक की रेटिंग।

(vi) विदेशी बैंक की अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति।

भारत में पहली शाखा खोलने के लिए विदेशी बैंक को निर्धारित पूंजी के रूप में 10 मिलियन अमरीकी डालर लाना अपेक्षित है। दूसरी शाखा खोलने पर अपेक्षित पूंजी बढ़ाकर 20 मिलियन अमरीकी डालर और तीसरी शाखा खोलने के समय 25 मिलियन अमरीकी डालर कर दी जाती है। दूसरी और उत्तरवर्ती शाखा खोलने की अनुमति अन्य बातों के साथ-साथ उस समय प्रचलित नीति को ध्यान में रखते हुए प्रदान की जाती है। दूसरीशाखा की अनुमति पहली शाखा के कार्यनिष्पादन की निगरानी करने के बाद दी जाती है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि अपेक्षित पूंजी भारत में कारबार शुरू करने से पहले ही लाई गई है। इसके अलावा, बैंकों के भारतीय परिचालनों को निर्धारित सीआरएआर सतत् आधार पर बनाए रखना चाहिए।

प्रतिनिधि कार्यालय— भारतीय रिजर्व बैंक इन आवेदनों की संवीक्षा शाखा के मामले की तरह करता है, ये कम कठोर हैं क्योंकि प्रतिनिधि कार्यालय कोई प्रतिबंधित कारबार विशेष रूप से जमाराशि स्वीकार करने का कार्य नहीं करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इस शर्त पर अनुमोदन प्रदान करता है कि प्रतिनिधि कार्यालय के रूप में भारत में उपस्थिति बाद में शाखा खोलने के लिए कोई अधिकार या विशेषाधिकार प्रदान नहीं करेगी और प्रतिनिधि कार्यालय का समस्त व्यय विदेश में बैंक के प्रधान कार्यालय से आवक विप्रेषणों द्वारा पूरा किया जाएगा।

पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी (डब्ल्यूओएस) — विदेशी बैंकों द्वारा डब्ल्यूओएस की स्थापना और विदेशी बैंकों की विद्यमान शाखाओं के डब्ल्यूओएस में परिवर्तन के लिए मार्गनिर्देश नीचे दिए गए हैं :

मूल बैंक की पात्रता

1. भारत में डब्ल्यूओएस स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन देने वाले विदेशी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक को इस बात से संतुष्ट करना होगा कि उनका अपने मूल देश में पर्याप्त विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण होता है। मूल देश के नियामक द्वारा किए गये पर्यवेक्षण के स्तर पर विचार करते समय भारतीय रिजर्व बैंक को बासिल मानकों को ध्यान में रखना होगा।

2. भारत में पूर्ण स्वामित्व वाला बैंकिग अनुषंगी की स्थापना को मूल देश में विनियामक का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिए।

3. आवेदन-पत्र पर विचार करते समय जिन अन्य कारकों (परंतु उन तक ही सीमित नहीं) को ध्यान में रखा जाएगा, वे निम्नलिखित हैं :

(i) भारत और शामिल किए जाने वाले विदेशी बैंक के देश के बीच आर्थिक एवं राजनैतिक संबंध।

(ii) विदेशी बैंक की वित्तीय सुदृढ़ता।

(iii) विदेशी बैंक का स्वामित्व पैटर्न।

(iv) विदेशी बैंक का अन्तर्राष्ट्रीय एवं मूल देश में रैकिंग।

(v) अन्तर्राष्ट्रीय कोटिनिर्धारण एजेंसियों द्वारा विदिशी बैंक का कोटि निर्धारण।

(vi) विदेशी बैंक की अन्तर्राष्ट्रीय उपस्थिति।

पूंजी

4. डब्ल्यूओएस के लिए अपेक्षित न्यूनतम प्रारम्भि पूंजी तीन बिलियन रु. होगी और डब्ल्यूओएस को उसके प्रचालन की तारीख से 10 प्रतिशत या समय समय पर यथा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अनुपात निरंतर आधार पर बनाए रखना होगा।

5. मूल विदेशी बैंक के पास परिचालन की निर्धारित न्यूनतम अवधि के लिए भारतीय अनुषंगी की 100 प्रतिशत इक्विटी धारिता जारी रहेगी।

कंपनी शासन

6. निदेशक मंडल की बनावट को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करनी चाहिए:—

- निदेशकों में से कम से कम 5 प्रतिशत भारत में रहने वाले भारतीय राष्ट्रीय निवासी हों।
- निदेशकों में से कम से कम 5 प्रतिशत गैर-कार्यपालक निदेशक हों।
- निदेशकों में से कम से कम एक तिहाई भारत में अनुषंगी, अपने मूल अथवा संबद्ध कार्यालय के प्रबंधन में पूर्णरूपेण स्वतंत्र हों।
- दिनांक 25 जून, 2004 के भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मार्गनिर्देशों में निर्धारित निदेशकों को ''उचित एवं उपयुक्त'' मानदण्डों के अनुरूप हों।

- विदेशी बैंक शाखाओं के पूर्व स्थानीय सलाहकार बोर्ड के संदर्भ में अपनाई गई प्रक्रिया के अनुसार निदेशकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन को प्राप्त किया जाए।

7. लेखा, विवकेपूर्ण मानदण्ड एवं अन्य अपेक्षाएं

(i) डब्ल्यूओएस गैर सरकारी क्षेत्र के नए बैंकों के लिए स्थूल रूप से लागू लाइसेंस संबंधी अपेक्षाओं एवं शर्तों के अध्यधीन होगा।

(ii) डब्ल्यूओएस को शाखा विस्तार हेतु विदेशी बैंकों की विद्यमान शाखाओं के समरूप माना जाएगा। रिजर्व बैंक डब्ल्यूटीओ के संगत बाजार पहुंच एवं राष्ट्रीय व्यवहार्य सीमा, साथ हीं, अंतर्राष्ट्रीय प्रचलनों एवं घरेलू अपेक्षाओं के अनुरूप डब्ल्यूओएस के परिचालनों के अलए अन्य उचित सीमाओं का भी निर्धारण कर सकता है।

(iii) बैंकिंग अनुषंगियों को कंपनी अधिनियम, 1956, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 एवं अन्य संबद्ध सांविधियों एवं निर्देशों, विवेकपूर्ण विनियमों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अन्य मार्गनिर्देशों/दिशानिर्देशों तथा अन्य विनियामकों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

8. विद्यमान शाखाओं का डब्ल्यूओएस में परिवर्तन

डब्ल्यूओएस की स्थापना के लिए निर्धारित उपर्युक्त सभी अपेक्षाएं डब्ल्यूओएस में परिवर्तित होने वाली विदेशी बैंक की विद्यमान शाखाओं पर लागू होंगी। इसके अतिरिक्त, उन्हें निम्नांकित अपेक्षाओं को भी पूरा करना होगा:—

पर्यवेक्षी सुविधा

विदेशी बैंक की विद्यमान शाखाओं का डब्ल्यूओएस में परिवर्तन हेतु बैंक की शाखाओं के कार्य करने के तरीके, सांविधिक एवं अन्य विवेकपूर्ण अपेक्षाओं की अनुपालना एवं रिजर्व बैंक की सभी पर्यवेक्षी सुविधा के आधार पर अनुमति दी जाएगी।

पूंजीगत आवश्यकताएं

परिवर्तन करने पर डब्ल्यूओएस की न्यूनतम निवल मालियत 3 बिलियन रुपए से कम नहीं होगी और डब्ल्यूओएस से अपेक्षा की जाएगी कि जोखिम भारित आस्तियों का 1 प्रतिशत या जैसा कि सतत् आधार पर समय-समय पर निर्धारित किया जाए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखा जाए। न्यूनतम निवल मालियत की गणना करते समय भारत में रखे गए विप्रेषण योग्य अधिशेष सहित उपलब्ध पूंजी को लिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक भारत में कार्यरत शाखाओं की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण/लेखा परीक्षा करवाएगा और शाखाओं की एकीकृत निवल मालियत का पता लगाएगा। निवल मालियत के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक का मूल्यांकन अंतिम होगा।

[अनुवाद]

दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें

*135. श्री सी. कुप्पुसामी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों पर 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) इन सिफारिशों के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इन सिफारिशों द्वारा केन्द्र से राज्यों को राजस्व के अंतरण के संबंध में राज्यों की मांग उचित रूप से पूरी हो सकेगी. और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) 1995-2000 की अवधि के लिए दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थीं और आयोग की सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर व्याख्यात्मक ज्ञापन सहित रिपोर्ट की एक प्रति दिनांक 14.3.95 को सदन के पटल पर रख दी गई थी। इस अवधि के दौरान, राज्यों को केन्द्रीय करों और प्रशुल्कों में उनकी हिस्सेदारी के रूप में 1,90,608.44 करोड़ रुपए तथा राहत व्यय के वित्तपोषण हेतु अनुदान सहित अनुदान के रूप में 21,291.05 करोड़ रुपए, जो कुल मिलाकर 2,11,899.49 करोड़ रुपए बैठते हैं, अंतरित किए गए थे।

चूंकि दसवें वित्त आयोग की सिफारिशें 1995-2000 के दौरान कार्यान्वित की जानी थीं, अत: इस संबंध में राज्यों द्वारा की गई कोई मांग अब प्रासंगिक नहीं है।

ग्यारहवें वित्त आयोग (2000-2005) ने 3,76,318.01 करोड़ रुपए के राज्यों के अनुमानित करों की हिस्सेदारी और 63,891.25 करोड़ रुपए के अनुदानों के आधार पर 4,40,209.26 करोड़ रुपए के कुल अंतरण की सिफारिश की थी। 07 मार्च, 2005 तक करों में हिस्सेदारी के लिए 2,96,659.05 करोड़ रुपए और अनुदानों के लिए 63,648.87 करोड़ (राहत व्यय के वित्तपोषण हेतु अनुदानों को मिलाकर) जारी किए हैं।

भारत सरकार ने करों की अनुमानित हिस्सेदारी के रूप में 6,13,112.02 करोड़ रुपए की राशि और अनुदानों के रूप में 1,42,639.60 करोड़ रुपए की राशि मिलाकर कुल 7,55,751.62 करोड़ रुपए की राशि के लिए बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं।

[हिन्दी]

लघु जल विद्युत परियोजनाएं

*136. श्री मो. ताहिर :
श्री मुन्शी राम :

क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं की संख्या बढ़ाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई योजना तैयार कर रही है;

(ख) देश में इस समय कुल कितनी लघु जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं तथा उनसे राज्य-वार कितने गांवों को बिजली की आपूर्ति की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष के दौरान ऐसी और परियोजनाएं स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो स्थान-वार तथा राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) जी हां। मंत्रालय ने देश में लघु पनबिजली (एसएचपी) परियोजनाओं की संख्या को बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार की है जिसके अंतर्गत सरकारी और निजी क्षेत्रों में एसएचपी परियोजनाओं (25 मे.वा. स्टेशन क्षमता तक) की स्थापना के लिए सब्सिडी दी जा रही है। लघु पनबिजली परियोजनाएं प्रायः ग्रिड से सम्बद्ध होती हैं और अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में नदियों और नहर पातों पर स्थापित की जाती हैं। जहां संभाव्यता मौजूद होती है, वहां दूरस्था गांवों के विद्युतीकरण के लिए विकेन्द्रीकृत लघु पनबिजली परियोजनाओं की भी स्थापना की जा रही है।

(ख) से (घ) अब तक समग्र रूप से 1705 मे.वा. की 522 लघु पनबिजली परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं और समग्र रूप से 479 मे.वा. की 205 लघु पनबिजली परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इनमें से 66 परियोजनाओं की स्थापना विकेन्द्रीकृत पद्धति में की गई है जिनसे 104 गांवों का विद्युतीकरण हो चुका है और 156 गांवों के विद्युतीकरण हेतु ऐसी 51 और परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

पहले से ही स्थापित और कार्यान्वयनाधीन लघु पनबिजली परियोजनाओं (25 मेगावाट तक) की राज्यवार संख्या और समग्र क्षमता

(28.02.2005 के अनुसार)

क्र. स.	राज्य	पहले से स्थापित परियोजनाएं		कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं	
		संख्या	क्षमता (मेगावाट)	संख्या	क्षमता (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	57	178.81	5	7.30
2.	अरुणाचल प्रदेश	57	33.80	55	51.87
3.	असम	3	2.11	8	51.00
4.	बिहार	5	45.90	9	14.00
5.	छत्तीसगढ़	4	13.50	1	5.50
6.	गोवा	1	0.05	—	—
7.	गुजरात	2	7.00	—	—

1	2	3	4	5	6
8.	हरियाणा	5	62.70	—	—
9.	हिमाचल प्रदेश	50	108.08	8	52.75
10.	जम्मू-कश्मीर	29	105.24	7	10.31
11.	झारखंड	6	4.05	8	34.85
12.	कर्नाटक	49	276.78	7	14.00
13.	केरल	14	84.62	6	60.40
14.	मध्य प्रदेश	8	41.16	3	24.20
15.	महाराष्ट्र	27	207.08	4	15.25
16.	मणिपुर	8	5.45	3	2.75
17.	मेघालय	3	30.71	9	3.28
18.	मिजोरम	16	14.76	3	15.50
19.	नागालैंड	8	20.47	6	12.40
20.	उड़ीसा	6	7.30	7	40.97
21.	पंजाब	23	111.40	4	5.75
22.	राजस्थान	10	23.85	—	—
23.	सिक्किम	12	35.60	5	15.20
24.	तमिलनाडु	12	77.70	1	6.60
25.	त्रिपुरा	3	16.01	—	—
26.	उत्तर प्रदेश	8	21.50	1	3.60
27.	उत्तरांचल	75	72.45	38	26.01
28.	पश्चिम बंगाल	20	92.26	7	5.80
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	5.25	—	—
	कुल	522	1,705.59	205	479.30

विवरण-I

विकेन्द्रीकृत पद्धति में पहले से ही स्थापित और कार्यान्वयनाधीन लघु पनबिजली परियोजनाओं की संख्या, कुल क्षमता और विद्युतीकृत/विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों का राज्यवार ब्यौरा

(28.02.2005 के अनुसार)

क्र. स.	राज्य	पहले से स्थापित परियोजनाएं			कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं		
		संख्या	क्षमता (किलोवाट)	विद्युतीकृत	संख्या	क्षमता (किलोवाट)	विद्युतीकृत किए जाने वाले गांव
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	6	320	12	33	1375	75
2.	बिहार	5	50	5	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	हिमाचल प्रदेश	16	240	18	1	50	1
4.	जम्मू-कश्मीर	5	25	5	—	—	—
5.	उत्तरांचल	29	1792	59	13	840	68
6.	पश्चिम बंगाल	5	50	5	4	200	12
	कुल	66	2477	104	51	2465	156

विद्युत का आवंटन

*137. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा :
श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल पावर ग्रिड द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक प्रत्येक राज्य के लिए कुल कितनी विद्युत आवंटित की गई तथा उसकी कितनी आपूर्ति की गई;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान किसी राज्य में विद्युत की कम आपूर्ति हुई;

(ग) यदि हां, तो क्या किसी राज्य ने केंद्र सरकार से आवंटित कोटे से अधिक विद्युत आपूर्ति की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त अवधि के दौरान राज्यों को कितनी विद्युत की आपूर्ति की गई;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा विद्युत की कमी वाले राज्यों को "सरप्लस" विद्युत के आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ङ) राज्यों में विद्युत की मांग की पूर्ति उनके स्वयं के स्रोतों से तैयार विद्युत, केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों में इनके हिस्से तथा द्विपक्षीय समझौतों के अंतर्गत आहरित विद्युत द्वारा की जाती है। अपने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के जरिए केन्द्र सरकार विद्युत संयंत्र स्थापित करती है जिसमें उस क्षेत्र के राज्यों का हिस्सा है। विद्युत केन्द्र के चालू होने से पूर्व विद्युत संयंत्रों की 85% क्षमता का आवंटन सामान्यत: संघटक राज्यों को किया जाता है। सामान्यत: एक बार आवंटित किए गए हिस्से में बदलाव नहीं किया जाता है, यदि राज्य इसे नहीं छोड़े या यदि राज्य संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को अपेक्षित देय राशि का भुगतान नहीं कर पाए। राज्यों की आपातकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्षेत्र के भीतर राज्यों को शेष 15% क्षमता का भी आवंटन किया जाता है।

तथापि, केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से विद्युत की उपलब्धता प्रत्येक विद्युत संयंत्र के दैनिक आधार पर उत्पादन स्तर तथा केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से आवंटित विद्युत के संबंध में प्राप्त मांग पर निर्भर करता है।

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पिछले तीन वर्षों, अर्थात 2001-02 से 2003-04 और चालू वर्ष (अप्रैल, 04 से जनवरी, 05) के दौरान केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों से प्राप्ति योग्य हिस्से और ऊर्जा प्राप्ति के ब्यौरे संलग्न विवरण के रूप में दिए गए हैं।

नए केन्द्रीय विद्युत संयंत्रों से जब कभी भी अधिक क्षमता के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का अनुरोध प्राप्त होता है, इस संबंध में संबंधित सीपीएसयू विद्युत मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2000 में केन्द्रीय क्षेत्र विद्युत संयंत्रों से विद्युत आवंटन के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से समय-समय पर प्राप्त क्षेत्र के 15% अनावंटित विद्युत में से अतिरिक्त विद्युत आवंटन के लिए प्राप्त अनुरोधों पर राज्यों की विद्युत आपूर्ति स्थिति, राज्यों के पास उपलब्ध विद्युत उत्पादन संसाधन तथा राज्यों की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है। अनावंटित कोटा में विद्युत की उपलब्धता

सीमित होने के कारण केन्द्रीय अनावंटित पूल से अतिरिक्त सहायता हेतु प्राप्त सभी अनुरोधों पर विचार करना संभव नहीं है।

(च) पूर्वी क्षेत्र, जहां वर्ष के अधिकांश समय में विद्युत की अधिकता होती है, को छोड़कर सभी क्षेत्रों में ऊर्जा एवं उच्चतम ऊर्जा अभाव चल रहा हैं अत: पूर्वी क्षेत्र के केन्द्रीय विद्युत उत्पादन केन्द्रों के अनावंटित विद्युत तथा पूर्वी क्षेत्र के संघटक राज्यों द्वारा छोड़ी गई विद्युत अन्य क्षेत्रों के राज्यों को आवंटित कर दी गई है। पूर्वी क्षेत्र के अनावंटित पूल से आपातकालीन विद्युत आवश्यकता की पूर्ति के लिए और अधिक आवंटन हेतु राज्यों से अनुरोध प्राप्त हो रहे है। ऐसे अनुरोधों पर राज्यों की विद्युत आपूर्ति की स्थिति, उनकी भुगतान क्षमता आदि के आधार पर विचार किया जाता है। चूंकि यह कोटा सीमित है, अत: अतिरिक्त सहायता उक्त पहलुओं के मद्देनजर दी जाती है।

विवरण

वर्ष 2001-02 से 2004-05 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों से ऊर्जा की पात्रता और निकासी के ब्यौरे

(आंकड़े मिलियन यूनिट में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	2001-02		2002-03		2003-04		2004-05 ●	
	हिस्सा	आहरण	हिस्सा	आहरण	हिस्सा	आहरण	हिस्सा	आहरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उत्तरी क्षेत्र								
चंडीगढ़	1,114	1,054	1,041	963	1,380	1,363	1,103	1,088
दिल्ली	16,085	15,023	15,979	15,090	18,143	16,844	15,136	14,616
हरियाणा	10,974	11,776	11,907	12,248	12,189	11,526	10,667	10,481
हिमाचल प्रदेश	1,850	1,886	1,764	1,732	2,151	1,855	2,132	1,918
जम्मू-कश्मीर	4,818	4,968	5,296	5,588	5,640	5,545	4,604	4,534
पंजाब	10,627	10,233	12,059	11,841	12,716	12,160	10,796	10,395
राजस्थान	12,741	13,515	12,517	12,625	12,464	12,009	10,169	9,934
उत्तर प्रदेश	21,190	21,137	18,344	17,132	20,167	19,913	18,768	18,558
उत्तरांचल	•	•	1,853	1,716	2,269	2,209	2,278	2,160
पश्चिमी क्षेत्र								
छत्तीसगढ़	3,330	858	2,964	2,992	2,906	2,884	2,237	2,213
गुजरात	11,668	12,378	12,135	11,773	12,077	11,116	10,263	9,083

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	10,236	12,859	11,270	11,051	11,105	10,972	9,868	9,380
महाराष्ट्र	15,439	15,168	16,103	15,957	16,483	16,039	14,116	13,662
गोवा	1,673	1,219	1,888	1,806	1,842	1,828	1,591	1,591
दमन द्वीव+दादर नगर हवेली	1,948	2,281	2,510	2,484	2,778	2,700	2,417	2,340
दक्षिणी क्षेत्र								
आंध्र प्रदेश	9,595	10,056	12,943	12,759	15,371	15,055	13,561	13,263
कर्नाटक	6,561	6,791	7,982	7,976	7,890	7,883	7,234	7,217
केरल	4,859	5,063	6,358	6,355	6,201	6,200	4,767	4,763
तमिलनाडु	13,765	14,001	14,791	14,769	18,015	17,965	15,229	15,185
पांडिचेरी	1,357	1,357	1,410	1,408	1,490	1,490	1,320	1,320
गोवा	705	705	653	653	735	734	499	499
पूर्वी क्षेत्र								
बिहार	10,249	11,780	4,552	5,640	5,470	5,331	5,070	5,022
डीवीसी	1,114	1,380	1,115	540	1,328	1,111	1,140	1,036
झारखंड	$	$	5,584	5,759	6,241	6,175	5,763	5,758
उड़ीसा	5,730	2,990	5,477	5,862	6,694	6,588	6,052	6,027
पश्चिम बंगाल	6,320	5,576	6,252	4,002	7,257	7,114	6,172	6,013
सिक्किम	186	72	147	75	414	366	385	383
पूर्वोत्तर क्षेत्र								
अरुणाचल प्रदेश	226	113	224	140	269	155	508	413
असम	2,092	2,427	2,334	2,511	1,998	2,693	2,483	2,324
मणिपुर	464	436	414	480	655	466	668	558
मेघालय	270	135	343	370	438	556	542	546
मिजोरम	228	265	237	279	319	261	395	322

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नागालैंड	264	253	280	284	381	295	390	321
त्रिपुरा	389	312	396	340	529	162	615	426

नोट * उ.प्र. में सम्मिलित $ बिहार में सम्मिलित @ अप्रैल, 2004 से जनवरी, 2005

1. दिए गए आंकड़ों में केन्द्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशनों से संयुक्त स्वामित्व वाली तथा समर्पित विद्युत आपूर्ति शामिल है।
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आंकड़ों में द्विपक्षीय लेन-देन शामिल हैं।

[अनुवाद]

पेयजल हेतु नाबार्ड सहायता

***138. श्री रूपचन्द मुर्मू :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने सभी गांवों में पेयजल की आपूर्ति करने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए नाबार्ड से ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्यों को इस संबंध में कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) से (घ) जी, हां। अब तक नाबार्ड ने 13 राज्यों में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिए ग्रामीण आधारिक विकास निधि के तहत 4053 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें 2596.52 करोड़ रुपए की कुल ऋण सहायता अंतर्ग्रस्त है। इन परियोजना के पूरे होने पर लगभग 4.7 करोड़ लोगों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, संघ सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम, स्वजलधारा इत्यादि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत अन्य मंत्रालयों/विभागों से पेयजल के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

क्र. सं.	राज्य	28 फरवरी, 2005 तक संस्वीकृत आरआईडीएफ ऋण	
		परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत राशि (करोड़ रुपए)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	925	557.66
2.	गोवा	11	18.27
3.	गुजरात	31	999.91
4.	हरियाणा	521	262.69
5.	हिमाचल प्रदेश	113	54.84
6.	केरल	8	33.24
7.	महाराष्ट्र	228	121.47
8.	मिजोरम	4	18.97
9.	पंजाब	1539	413.96
10.	तमिलनाडु	499	22.37
11.	पश्चिम बंगाल	138	81.75
12.	सिक्किम	5	4.47
13.	उत्तरांचल	31	6.92
	कुल	4053	2596.52

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण

***139. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :**
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थिति तथा बैंकों द्वारा इन क्षेत्रों में ऋण वितरण की धीमी प्रगति पर गौर किया है जैसा कि दिनांक 13 फरवरी, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस संबंध में जारी किए गए दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित अपनी शाखाओं द्वारा दी गई राय की उपेक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत बैंकों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ङ) वर्ष 2004-05 में बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए ऋण वितरण की प्रतिशतता कितनी है;

(च) क्या इस क्षेत्र में जमा की गई धनराशि में वर्ष 2003-04 की तुलना में कमी आई है;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) वर्ष 2005-06 के दौरान कितनी बैंक शाखाएं खोले जाने की संभावना है; और

(झ) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : (क) और (ख) तीन वर्ष में कृषि को ऋण की उपलब्धता को दोगुना करने के लिए सरकार ने 18 जून, 2004 को पैकेज की घोषणा की थी। कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए बैंकों द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप वर्ष 2004-05 में कृषि ऋण संवितरण में पिछले वर्ष की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है और यह आशा की जाती है कि चालू राजकोषीय वर्ष में 108,500 करोड़ रु. संवितरित किए जाएंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रही शाखाओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) 30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों का अखिल भारत ऋण जमा अनुपात 31 मार्च, 04 की स्थिति के अनुसार 43.09 प्रतिशत की तुलना में 45.6 प्रतिशत था।

(च) जी, नहीं।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ज) और (झ) बैंकों द्वारा शाखाएं खोले जाने के लिए सरकार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती है। बैंक के बोर्ड द्वारा कारोबार की उपलब्धता एवं प्राथमिकता क्षेत्र लक्ष्यों पर निर्भर करते हुए ये निर्णय लिए जाते हैं। सरकार सभी बैंकों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की सलाह देती रही है।

विवरण

ग्रामीण केन्द्रों में कार्यरत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारतीय स्टेट बैंक एवं अनुषंगी	राष्ट्रीयकृत बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	कुल
1	2	3	4	5	6
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1	1	–	–	2
आंध्र प्रदेश	3	16	17	10	46
अरुणाचल प्रदेश	1	3	1	–	5
असम	1	12	5	–	18
बिहार	1	11	16	–	28
चण्डीगढ़	1	3	–	–	4
छत्तीसगढ़	2	10	5	–	17
दादरा एवं नगर हवेली	–	1	–	–	1

1	2	3	4	5	6
दमन एवं दीव	1	—	—	—	1
दिल्ली	2	10	—	2	14
गोवा	2	12	—	2	16
गुजरात	2	15	9	3	29
हरियाणा	3	14	4	4	25
हिमाचल प्रदेश	2	10	2	—	14
जम्मू-कश्मीर	1	6	3	1	11
झारखण्ड	2	14	6	—	21
कर्नाटक	3	15	13	8	39
केरल	2	12	2	6	22
लक्षद्वीप	—	1	—	—	1
महाराष्ट्र	3	14	10	8	35
मध्य प्रदेश	2	15	20	—	37
मणिपुर	1	5	1	—	7
मेघालय	1	6	1	—	8
मिजोरम	1	—	1	—	2
नागालैण्ड	1	2	1	—	4
उड़ीसा	1	14	9	—	24
पांडिचेरी	1	3	—	1	5
पंजाब	2	12	5	1	20
राजस्थान	2	13	14	2	31
सिक्किम	1	3	—	—	4
तमिनाडु	3	16	3	13	35
त्रिपुरा	1	3	1	—	5
उत्तर प्रदेश	2	16	36	—	54
उत्तरांचल	1	11	5	1	18
पश्चिम बंगाल	1	16	9	—	26
अखिल भारत कुल	8	20	196	25	249

[अनुवाद]

ग्रामीण रोजगार सृजन

*140. **श्री किन्जरपु येरननायडु :**
श्री सुनिल कुमार महतो :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण युवकों में बेरोजगारी की विद्यमान दर का सर्वेक्षण करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने/बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस संबंध में कितनी उपलब्धि हासिल हुई है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : (क) से (घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी का विद्यमान दर का कोई सर्वेक्षण नहीं करवाया है। तथापि, वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा रोजगार के संबंध में कराए गए 55वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार, वर्तमान दैनिक स्थिति आधार पर ग्रामीण युवाओं (15-29 वर्ष के आयु वर्ग) में बेरोजगारी की दर, पुरुष श्रमिकों के लिए 11.10% और महिला श्रमिकों के लिए 10.60% होने का अनुमान लगाया गया था। ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी के संबंध में राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

वर्ष 2002-07 के दौरान, दसवीं योजना में 50 मिलियन रोजगार अवसरों के सृजन का विचार किया गया है। रोजगार क्षमता सृजित करने के लिए, दसवीं योजना में कृषि जिसमें सामाजिक वानिकी, पशुपालन,

मत्स्यपालन, बागवानी और इनसे संबंधित क्षेत्र शामिल हैं तथा लघु एवं मझौले उद्योग, विनिर्माण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए गहन श्रम वाले क्षेत्र और उप-क्षेत्रों की पहचान की गई है।

रोजगार सृजन एक बहुक्षेत्रीय मुद्दा है जिसमें अनेक मंत्रालय/क्षेत्र शामिल होते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नामक दो प्रमुख रोजगार सर्जक योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। सरकार ने देश में 27 राज्यों के 150 अत्यंत पिछड़े जिलों में अनुपूरक मजदूरी रोजगार सृजित करने के लिए तथा इन जिलों में आवश्यकता आधारित आर्थिक, सामाजिक और सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के जरिए खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने के लिए काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनएफएफडब्ल्यूपी) नामक एक नई मजदूरी रोजगार योजना शुरू की है। एन एफ एफ डब्ल्यू पी उन ग्रामीण गरीबों के लिए होगा, जिन्हें मजदूरी रोजगार की जरूरत है और जो बिना कौशल का शारीरिक कार्य करना चाहते हैं।

वर्ष 1999-2000 से 2004-05 (जनवरी, 2005 तक) के दौरान, एस जी एस वाई के अंतर्गत 53.33 लाख स्वरोजगारियों की सहायता की गई है और एस जी आर वाई के अंतर्गत, रोजगार के 371.36 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए थे।

अनिवासी भारतीयों द्वारा जमाराशि

1340. श्री ए.के. मूर्ति :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :
श्री सुग्रीव सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों में अनिवासी भारतीयों द्वारा धनराशि जमा करने में गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी गिरावट के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा अनिवासी भारतीयों को धनराशि जमा करने के लिए आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग की समस्याएं

1341. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री इलियास आजमी :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में वस्त्र उद्योग समस्याओं का सामना कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में स्थित वस्त्र उद्योग सहित वस्त्र उद्योग प्रौद्योगिकीय अप्रचलन, वित्तीय विसंगतियों, कम उत्पादकता, आधारभूत सुविधाओं संबंधी कठिनाइयों और संरचनात्मक कठोरताओं का सामना कर रहा है।

(ग) इन कठिनाइयों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

1. वित्तीय शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाना ताकि निवेश को आकर्षित किया जा सके और आधुनिकीकरण किया जा सके।

2. इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू करना।

3. वस्त्र उद्योग के विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए 20 लाख रु. की सहायता राशि की सीमा के अध्यधीन विशिष्ट मशीनों में 100 लाख रु. तक निवेश पर 20% पूंजीगत सहायता उपलब्ध है।

4. 2 करोड़ रुपए और उससे अधिक के ऋण वाले ऐसे संभावित रूप से अर्थक्षम वस्त्र एककों के ऋण दायित्वों का पुनर्निर्माण करने के लिए एक पैकेज की घोषणा।

5. लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित करना। केन्द्रीय बजट 2005-06 में लघु उद्योग क्षेत्र की 30 हौजरी मदों के अनारक्षण की घोषणा की गई है।

6. संभावित विकास केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना करने पर संकेन्द्रित बल देने और निर्यात को गति देने के वास्ते निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना नामक केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना शुरू की गई।

7. महत्वपूर्ण वस्त्र केंद्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र इन्फ्रास्ट्रक्चर केन्द्र विकास योजना (टीसीआईडीएस) भी शुरू की गई है।

8. कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कपास प्रौद्योगिकी मिशन शुरू किया गया।

सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल घरेलू निवेश का प्रतिशत

1342. **श्री बालेश्वर यादव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारक लागत और वर्तमान मूल्य के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान देश का सकल घरेलू उत्पाद क्षेत्र-वार और उपक्षेत्रवार कितना था; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल घरेलू निवेश और बचत का प्रतिशत क्या था?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान, कारक लागत पर स्थिर कीमतों तथा चालू कीमतों पर देश के क्षेत्र-वार तथा उपक्षेत्र कर सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) इस प्रकार हैं:–

क्षेत्र/उपक्षेत्र	कारक लागत पर स.घ.उ. (स्थिर 1993-94 कीमतों पर) (करोड़ रु.)			कारक लागत पर स.घ.उ. (चालू कीमतों पर) (करोड़ रु.)		
	2002-03	2003-04 (त्व)	2004-05 (अ)	2002-03	2003-04 (त्व)	2004-05 (अ)
1 2	3	4	5	6	7	8
1. कृषि, वानिकी एवं मत्स्यपालन	283393	310611	313915	507863	575283	598677
उद्योग	360397	384241	414089	603577	666223	771656
2. खनन एवं उत्खनन	31185	33195	34955	62116	63357	80596
3. विनिर्माण	227642	243400	265119	351824	392919	456422
4. विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति	31659	32827	34903	49883	54113	58588
5. निर्माण	69911	74819	79112	139754	155834	176050
सेवाएं	674572	735696	801362	1143448	1278279	1467791
6. व्यापार, होटल, परिवहन एव संचार	326968	365559	406843	506021	578597	676171
7. वित्त, बीमा, स्थावर संपदा एवं व्यापार सेवाएं	171463	183718	196853	310075	340102	389312

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	समुदायिक, सामाजिक एवं वैयक्तिक सेवाएं	176141	186419	197666	327352	359580	402308
	कारक लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	1318362	1430548	1529366	2254888	2519785	2838123

त्व : त्वरित अनुमान, अ : अग्रिम अनुमान

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान चालू बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद (स.घ.उ.) के प्रतिशत के रूप में सकल घरेलू निवेश एवं सकल घरेलू बचतें इस प्रकार हैं:—

	2001-02	2002-03 (अ)	2003-04 (त्व)
	(चालू बाजार कीमतों पर स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में)		
सकल घरेलू निवेश*	22.6	24.8	26.3
सकल घरेलू बचतें	23.4	26.1	28.1

*भूल-चूक के लिए समायोजित

अ : अनंतिम

त्व : त्वरित अनुमान

[अनुवाद]

विश्व बैंक से आसान ऋण

1343. श्री रायापति सांबसिवा राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए विश्व बैंक से 1380 करोड़ रुपये के आसान ऋण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए पहले ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विश्व बैंक कुल कितनी राशि प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है; और

(ङ) इस परियोजना पर कब तक कार्य आरंभ किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ङ) भारतीय संविधान के अनुसार राज्य वित्त-पोषण के विदेशी स्रोतों से ऋण नहीं ले सकते। भारत सरकार को शहरी अवसंरचना के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। इस लिए उक्त प्रस्ताव को वित्त-पोषण हेतु विश्व बैंक को प्रस्तुत करने का प्रश्न फिलहाल नहीं उठता।

विश्व बैंक से आसान ऋण

1344. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार को राज्य में आर्थिक पुनर्गठन संबंधी विश्व बैंक से आसान ऋण के रूप में 1200 करोड़ रुपये की तीसरी किश्त प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक अधिकारियों ने कर्नाटक राज्य का दौरा किया था और उन्होंने राज्य में आर्थिक पुनर्गठन संबंधी अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को विश्व बैंक को भेज दिया है;

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक ने कर्नाटक सरकार के लिए कुल कितनी राशि स्वीकृत की है;

(ङ) क्या इस परियोजना पर कार्य आरंभ किया जा चुका है; और

(च) यदि हां, तो इस परियोजना पर अब तक कितनी धनराशि का उपयोग किया जा चुका है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) राज्य सरकार का प्रस्ताव, जिसमें संरचनात्मक समायोजन ऋण की तीसरी किस्त के लिए 250 मिलियन अमरीकी डालर राशि की विश्व बैंक की सहायता मांगी गई है, नवम्बर, 2004 में विश्व बैंक को अनुशंसित किया गया था। इस परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए विश्व बैंक के मूल्यांकन मिशन ने 24-28 जनवरी, 2005 के दौरान कर्नाटक का दौरान किया था।

(घ) विश्व बैंक ने अभी तक इस परियोजना को मंजूरी नहीं दी है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण

1345. **श्री तथागत सत्पथी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सरकार को भिन्न-भिन्न विदेशी संस्थाओं से विभिन्न विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को राज्य से डी.एफ.आई.डी. सहायता बढ़ाने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कदम उठाये हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) विभिन्न विदेशी वित्तीय संस्थानों (बहुपक्षीय अभिकरणों) द्वारा वित्तपोषित राज्य-विशिष्ट विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अंतर्गत उड़ीसा सरकार को प्राप्त हुई राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार ने सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2004-05 से 2007-08 तक की 4 वर्षों की अवधि के लिए लगभग 2300 करोड़ रुपए की डीएफआईडी सहायता के लिए अनुरोध किया है। तथापि, उड़ीसा सरकार से प्राप्त प्रस्ताव अभी सुनिश्चित प्रस्ताव के रूप में नहीं है जिसे निधिकरण के लिए डीएफआईडी को प्रस्तुत किया जा सके।

विवरण

क्र. सं.	परियोजना का नाम	निधिकरण एजेंसी	उड़ीसा सरकार को प्राप्त हुई राशि (करोड़ रुपए)		
			वित्तीय वर्ष 2002-03	वित्तीय वर्ष 2003-04	वित्तीय वर्ष 2004-05 (31.12.04 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	उड़ीसा विद्युत क्षेत्र पुन:संरचना परियोजना	आईबीआरडी	146.714	222.782	70.116
2.	उड़ीसा सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम	आईबीआरडी	—	—	371.200
3.	उड़ीसा जल संसाधन समेकन—भाग-ा	आईडीए	55.151	63.807	54.745
4.	उड़ीसा जलसंसाधन समेकन	आईडीए	67.167	62.918	12.536

1	2	3	4	5	6
5.	उड़ीसा स्वास्थ्य प्रणाली विकास	आईडीए	33.695	29.759	35.622
6.	उड़ीसा सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम	आईडीए	—	—	184.703
7.	उड़ीसा जनजातीय अधिकारिता तथा जीविका कार्यक्रम	आईएफएडी	—	4.549	0.000

[हिन्दी]

आयकर विभाग में अधिकारियों के विरुद्ध जांच

1346. श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद : क्या वित्त मंत्री आयकर अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों के बारे में 20.8.2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3385 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आयकर विभाग के मुख्य आयकर आयुक्त और आयकर के दर्जे वाले अधिकारियों के विरुद्ध शेष छह जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट की गहन समीक्षा करायी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा अब तक कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु मामलों को केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) सरकार को शेष 4 मामलों के बारे में जांच रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और दो मामलों में रिपोर्टें अभी तक प्रतीक्षित है।

(ख) इन मामलों की तेजी से समीक्षा की जा रही है और जहां कहीं आवश्यक होगा, वहां प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय सतर्कता आयोग से पत्र-व्यवहार किया जाएगा।

(ग) एक मामले में, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह प्राप्त हो गई है और आगे की जांच की जा रही है।

(घ) लागू नहीं होता।

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा मुआवजे का भुगतान

1347. श्री हंसराज जी. अहीर : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सहित विभिन्न कोयला खान परियोजना हेतु लोगों से उनकी भूमि अधिग्रहित किये जाने के पश्चात् परियोजनाओं से प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा और रोजगार प्रदान करने संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उचित मुआवजा और रोजगार प्रदान करने के संबंध में परियोजना प्रभावित लोगों के दावों के निपटान के लिए क्या प्रबंध किये गये हैं;

(ग) वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सहित कोयला कंपनियों ने कतिपय परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के लंबित दावों के निपटान के लिए क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या सरकार द्वारा कोयला कंपनियों को परियोजना प्रभावित लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने संबंधी कोई निर्देश जारी किये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) जी हां, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. सहित कोल इंडिया लि. की सहायक कंपनियों द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि के लिए मुआवजे के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती हैं। भूमि के अधिग्रहण के बदले में कतिपय मामलों में रोजगार देने के प्रावधान के बारे में भी शिकायतें प्राप्त होती हैं।

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 और कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण

तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत कोयला खनन परियोजनाओं के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण का आकलन जिला प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। कोयला कंपनियों द्वारा आकलित/मांगी गई राशि राज्य प्राधिकारियों के पास जमा कराई जाती है और जिला प्राधिकारी द्वारा भूमि स्वामी/भूमि से बेदखल किए गए व्यक्तियों को अदा की जाती है।

कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भूमि के मुआवजे तथा अन्य हितों का आकलन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कोयला कंपनी द्वारा किया जाता है और भारत सरकार से सक्षम अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उसका भुगतान किया जाता है।

तथापि, जब कभी इच्छुक भू-स्वामी जिनकी भूमि अर्जित की जाती है, यह महसूस करते हैं कि अवार्ड किया गया मुआवजा अपर्याप्त है तो वे विरोधस्वरूप मुआवजे को प्राप्त/स्वीकार करते हैं तथा मुआवजे की उचित राशि का निर्धारण करने के लिए वे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के अंतर्गत अर्जित भूमि के लिए न्यायालय में एवं कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण तथा विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अर्जित भूमि के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित विशेष न्यायाधिकरण/न्यायाधिकरणों को अपील कर सकती है। न्यायालय/न्यायाधिकरण का आदेश सहायक कंपनियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों जिनमें डब्ल्यू.सी.एल. भी शामिल है, में प्रचलित मौजूदा पुनर्वास एवं पुर्नस्थापन नीति (आर. एंड आर. नीति) के अनुसार परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों अथवा उसके आश्रितों को रोजगार या रोजगार के बदले में मौद्रिक मुआवजा दिया जाता है।

रोज़गार जिसके लिए शिकायतें भी प्राप्त होती हैं, के संबंध में विवाद निम्नलिखित की वजह से पैदा होते हैं (1) दावेदारों द्वारा उपयुक्त दस्तावेजों को प्रस्तुत न करना (2) अर्जित/खरीदी गई भूमि के रिक्त क्षेत्र का कब्जा न सौंपना, (3) स्वामित्व का विवाद, (4) पारिवारिक विवाद, (5) अपात्र मामलों के लिए रोजगार की मांग करना, (6) स्वामित्व के अधिकार और सम्पत्ति के लिए हित के बारे में मुकदमा/न्यायिक मामले।

(ग) कोयला परियोजनाओं के लिए अर्जित भूमि के लिए मुआवजा देना तथा भू वंचितों को रोजगार देना एक निरंतर प्रक्रिया है और व्यक्तियों के दावों के निपटान से पहले अधिप्रमाणित/सत्यापित करना होता है। कतिपय दावे कार्रवाई करने के लिए पड़े होते हैं।

तथापि, जब कभी इस प्रकार का मामला कोयला कंपनी के ध्यान में लाया जाता है, दावे के सत्यापन के बाद उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। सहायक कंपनियां न्यूनतम संभव समय के भीतर मामले को निपटाने का भरसक प्रयास करती हैं ताकि परियोजना से प्रभावित व्यक्ति को कम से कम कठिनाई हो।

(घ) (क) तथा (ख) के उत्तर में बताए गए अनुसार राहत सहायता दी जा रही है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भेषज उद्योगों संबंधी उत्पाद शुल्क में छूट

1348. श्री अधीर चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के कौन-कौन से विशिष्ट क्षेत्रों में वर्ष 2017 तक के लिए भेषज उद्योगों के लिए उत्पाद शुल्क में पूर्ण/आंशिक छूट का वचन दिया गया है;

(ख) भविष्य में प्रति राज्य उत्पाद राजस्व के संग्रहण में अनुमानतः वर्षवार कितनी कमी आने की संभावना है;

(ग) क्या ऐसी छूट का लाभ उपभोक्ताओं को भी दिया जायेगा; और

(घ) केन्द्र सरकार देश के अन्य भागों में उद्योगों के लिए समान अवसर किस तरह सुनिश्चित करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, गुजरात के कच्छ जिले तथा सिक्किम में स्थित विशिष्ट इकाइयों पर क्षेत्र आधारित उत्पाद शुल्क छूटें लागू हैं। यह छूटें भेषज इकाइयों पर भी लागू हैं। उत्तरांचल एवं हिमाचल प्रदेश के मामले में यह छूट दस वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध है बशर्तें वाणिज्यिक उत्पादन 31.3.2007 को अथवा इससे पहले शुरू हुआ है।

(ख) क्षेत्र-आधारित छूटों के कारण भविष्य में उत्पाद शुल्क राजस्व वसूली में राज्य-वार, वर्ष-वार छूट को प्रक्षिप्त नहीं किया गया है।

(ग) उत्पाद शुल्क छूट के लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं

अथवा नहीं यह आपूर्ति एवं मांग की स्थिति, विनिर्माण की लागत इत्यादि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विधि में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उत्पाद शुल्क छूट का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

(घ) एक नीति के रूप में, सरकार ने ऐसे क्षेत्रों के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजकोषीय प्रोत्साहन के रूप में क्षेत्र आधारित उत्पाद शुल्क छूटे अधिसूचित की हैं।

[हिन्दी]

गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

1349. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी और निजी क्षेत्र के बैंकों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का प्रतिशत सरकार क्षेत्र के बैंकों की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इनका तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मामलों के निपटान और वसूली प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए एस.एन. अग्रवाल की अध्यक्षता में वर्ष 2003 में गठित कृतक बल की सिफारिशों में उल्लेखनीय संशोधन के लिए किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। गत तीन वर्ष के दौरान विभिन्न बैंक समूहों के सकल/निवल अग्रिमों की तुलना में सकल/निवल अनुपयोज्य आस्तियों का प्रतिशत नीचे दिया गया है:-

बैंक समूह	सकल अग्रिमों की तुलना में सकल अनुपयोज्य आस्तियों का प्रतिशत			निवल अग्रिमों की तुलना में निवल अनुपयोज्य आस्तियों का प्रतिशत		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004
1	2	3	4	5	6	7
सरकार क्षेत्र के बैंक	11.1	9.4	7.8	5.8	4.5	3.0
गैर-सरकारी क्षेत्र के पुराने बैंक	11.0	8.9	7.6	7.1	5.5	3.8
गैर-सरकारी क्षेत्र के नए बैंक	8.9	7.6	5.0	4.9	4.6	2.4
विदेशी बैंक	5.4	5.3	4.6	1.9	1.8	1.5

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा उपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चुनाव संबंधी सुधार

1350. श्री एम. शिवन्ना :
श्री बची सिंह रावत 'बचदा' :
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी :
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री सुरेश चन्देल :
श्री मधु गौड यास्खी :
श्री के.एस. राव :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को चुनाव आयोग/उच्चतम न्यायालय तथा आम जनता से चुनाव संबंधी कानूनों में कुछ संशोधन करने के लिए कुछ सिफारिशें/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन कानूनों में किये जाने वाले प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन संशोधनों के कब तक किए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) और (ख) जी हां। माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2002 की रिट याचिका (सिविल) सं. 490 (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज और अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया) में अपने तारीख 13.03.2003 के निर्णय में भारत निर्वाचन आयोग को, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों से मतदाताओं के फायदे के लिए दांडिक मामलों, आस्तियों और दायित्वों तथा शैक्षणिक अर्हताओं के संबंध में कतिपय जानकारी मांगने का निदेश

दिया है। संविधान के अनुच्छेद 141 के निबंधनों में सर्वोच्च न्यायालय के उक्त निदेश, अब देश की विधि हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने भारत सरकार को निर्वाचन सुधारों से संबंधित 22 प्रस्तावों का एक सेट भेजा है, जिसके ब्यौरे निर्वाचन आयोग के प्रेस टिप्पण सं. ईसीआई/पीएन/26/2004 तारीख 2-8-2004 द्वारा साधारण जनता की सूचना के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। इसी प्रकार, सरकार को इस विषय पर साधारण जनता से समय-समय पर अनेकों सुझाव प्राप्त हो रहे हैं। तथापि, इस प्रश्न का उत्तर दिए जाने की विहित सीमाओं के भीतर सुझावों के ब्यौरे देना संभव नहीं है।

(ग) निर्वाचन विधियों में सुधार की प्रक्रिया एक सतत् और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे केवल राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति से ही आगे बढ़ाया जा सकता है और इस प्रक्रिया में समय लगता है। अतः, निर्वाचन विधियों के संबंध में प्रस्तावों के कार्यान्वियन के लिए कोई समय-सीमा उपदर्शित करना संभव नहीं है।

अदावाकृत लाभांश

1351. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कंपनियों से अदावाकृत लाभांश के कारण सैकड़ों करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान सरकारी खातों को अंतरित किए गए अदावाकृत लाभांश का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निवेशक एसोसिएशनों के लिए निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष द्वारा कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) (क) कंपनियों के अदावाकृत और अदा न किए गए लाभांश खाते (ख) किसी प्रतिभूति के आबंटन के लिए कंपनियों द्वारा प्राप्त आवेदन राशि और वापसी के लिए देय राशि (ग) कंपनियों में परिपक्व जमाराशियां (घ) कंपनियों में परिपक्व ऋण पत्र और (ङ) इन राशियों से प्राप्त होने वाली ब्याजराशि, जिन पर अदायगी के लिए देय होने के दिन से 7 वर्ष की अवधि तक दावा नहीं किया गया है और जो अदा नहीं की गई है, की राशियां, निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में दी गई है, जिसे भारतीय समेकित कोष में रखा गया है। अंतिम दिन वर्षों के दौरान इसका ब्यौरा निम्न है:—

वित्तीय वर्ष	राशि, रुपयों में
2001-2002	29,05,18,844.22
2002-2003	108,69,29,558.18
2003-2004	103,85,02,945.05
कुल	241,59,51,347.45

(ग) अंतिम तीन वर्षों के दौरान निवेशक संघों के लिए निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण कोष द्वारा मंजूर की गई राशि निम्न है:-

वित्तीय वर्ष	राशि, रुपयों में
2001-2002	*शून्य
2002-2003	23,91,271
2003-2004	44,15,623

कोष केवल दिनांक 01.10.2001 से प्राप्त होनी शुरू हुई और इसलिए वर्ष 2001-02 के दौरान कोई खर्च नहीं किया जा सका।

उपहार कर

1352. श्री फ्रान्सिस फैन्थम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर रिश्तेदारों से 25,000 से अधिक का उपहार कर प्राप्त करने वाले पहले दस करदाताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) वित्तीय वर्ष 2004-2005 की अन्तिम तिमाही में उपहार कर के रूप में कुल कितनी राशि संग्रहित की गई;

(ग) क्या सरकार ने बड़े उपहार देने वाले लोगों के बारे में जांच कराई; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) गैर रिश्तेदारों से 25,000 रु. से अधिक राशि के प्राप्त उपहारों के संबंध में पहले दस करदाताओं के बारे में सूचना तभी उपलब्ध

होगी जब कर-निर्धारण वर्ष 2005-06 (पूर्ववर्ती वर्ष 2004-05) के लिए आय की विवरणियां जिनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्तूबर, 2005 है, दाखिल की जाएंगी।

(ख) ऐसी प्राप्तियों का अलग से लेखा नहीं रखा जा रहा है। अतः यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) कर-निर्धारण वर्ष 2005-06 (पूर्ववर्ती वर्ष 2004-05) के लिए आय की विवरणियों की प्राप्ति जिनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्तूबर, 2005 है, के बाद ही इस संबंध में जांच, यदि कोई हो, कराई जा सकती है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के प्रश्न के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एस एफ आई ओ द्वारा जांच

1353. श्री असादूद्दीन ओवेसी :
श्री किशन सिंह सांगवान :

क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 2003 में सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन ऑफिस स्थापित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो एस.एफ.आई.ओ. को अब तक ऐसे कितने मामले सौंपे गये है;

(ग) उक्त कार्यालय ने कितनी जांच पूरी की है;

(घ) क्या प्रणाली में सुधार करने से संबंधित एस.एफ.आई.ओ. द्वारा प्रस्तुत सुझावों की विशेषज्ञ समिति द्वारा जांच की जा रही है;

(ङ) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा जांच प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाये गये अथवा उठाये जा रहे हैं?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237 के अंतर्गत गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस एफ आई ओ) से मिले निरीक्षक को निरीक्षण के लिए अब तक छब्बीस मामले सन्दर्भित किये गये हैं। अब तक ऐसे चार मामलों में जांच पूरी हो चुकी है।

(घ) से (च) जांच पद्धति को सरल और कारगर बनाने के लिए प्रत्येक जांच में हुए अनुभव के आधार पर समय-समय पर अनुवर्ती कदम उठाये जाते है। कारपोरेट धोखाधड़ी में जांच प्रणाली सुधार करने के बारे में एस एफ आई ओ द्वारा प्रस्तुत किसी सुझाव की विशेष रूप से जांच करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित नहीं की गयी है।

यू.एस. 64-स्कीम

1354. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने यूएस-64 को बचाने के अन्तर्गत निवेशकों को दो करोड़ रुपए से अधिक की क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं। यूएस 64 के सामने समस्याएं, जो पिछले 5 वर्षों से जनता का ध्यान आकर्षित कर रही थी, इस तरह से निपटा दी गई हैं कि पूंजी बाजार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निवेशकों को उनके उचित दावे मिल चुके हैं।

खनन उद्योग

1355. श्री चंद्रकांत खैरे : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में खनन उद्योग की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है और उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इसका कितना योगदान है;

(ग) उद्योग से कितना क्रियात्मक और स्वास्थ्यपरक खतरा उत्पन्न होता है;

(घ) पर्यावरण पर उद्योग के लघु और दीर्घकालीन प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उद्योग का वास्तविक मूल्यांकन करने हेतु कोई अध्ययन/सर्वेक्षण कराया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) उद्योग से पर्यावरण को हुई हानि की भरपाई हेतु राज्यवार क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) और (ख) खान मंत्रालय का संबंध मुख्यतः गैर-ईंधन और गैर-परमाणु खनिजों के खनन से है। खनन उद्योग शब्द आमतौर से रत्नों के निष्कर्षण से सम्बद्ध है जो कि गौण खनिज है। खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 15 के अनुसार, खनन पट्टे, खनिज रियायतें मंजूर करने के लिए नियम बनाने और गौण खनिजों के संबंध में रायल्टी आदि के लेवी और संग्रहण की सभी शक्तियां राज्य सरकारों के पास हैं। तथापि, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के अनुमानों के अनुसार खनन और क्वैरी क्षेत्र का मौजूदा मूल्यों पर पिछले 5 वर्षों का योगदान नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कुल जी.डी.पी.	खनन तथा क्वैरिंग	प्रतिशत शेयर
1999-2000	1761838	41298	2.34
2000-2001	1902999	45399	2.39
2001-2002	2081474	47925	2.30
2002-2003	2254888	62116	2.75
2003-2004 (क्यू ई)	2519785	63357	2.51

क्यू ई — तुरत अनुमान

(ग) खान में व्यवसायिक तथा स्वास्थ्य संबंधी खतरों से संबंधित मामलों पर खान अधिनियम, 1952 में प्रावधान किया गया है जिसको श्रम मंत्रालय द्वारा शासित किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए श्रम मंत्रालय के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय के नाम से एक पृथक निदेशालय भी गठित किया गया है।

(घ) से (छ) सभी खनिज रियायतें, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन राज्य सरकारों द्वारा मंजूर की जाती हैं। केवल खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम 1957 की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिजों के संबंध में खनिज रियायतें मंजूर करने से पहले राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होता है। पट्टा धारकों को भी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत, जिसे पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा शासित किया जाता है, पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त करनी होती है।

खान मंत्रालय ने समग्र खनन उद्योग का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का कोई सामान्य सर्वेक्षण अथवा अध्ययन नहीं किया है। तथापि, खान मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई बी एम), अलग अलग मामलों में खनन प्लान का क्रियान्वयन सुनिश्चित करता है जिन्हें सभी प्रमुख खनिजों के लिए खनन पट्टे मंजूर करने से पहले तैयार करना और अनुमोदित करना होता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वन, भूमि तल और वायु तथा जल प्रदूषण सहित पर्यावरण पर खनन गतिविधियों के प्रभाव का आंकलन करना, वनीकरण, भूमि सुधार द्वारा क्षेत्र की पुनरुद्धार योजनाएं, प्रदूषण नियंत्रण उपायों का उपयोग तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा निर्देशित दूसरे उपायों के ब्यौरे शामिल हैं।

खान मंत्रालय ने खान बन्दीकरण योजना की संकल्पना शुरू की है जिसमें पट्टा धारक को खान प्रचालन को बन्द करने से पहले सुरक्षात्मक, पुनरुद्धार और पुर्नवास संबंधी उपाय करने होते हैं ताकि खनित किये गये क्षेत्रों का खनन प्रचालन समाप्त होने के बाद पुनरुद्धार किया जा सके।

पश्चिम बंगाल में आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत किया गया निवेश

1356. **श्री हितेन बर्मन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार ने नए आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश करने के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) इस अवधि के दौरान उक्त कंपनियों ने राज्य में अलग-अलग वर्ष में कुल कितना निवेश किया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सरकार ने एक उदार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति शुरू की है और केवल कुछेक श्रेणियों को छोड़कर जहां विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के माध्यम से सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा, अधिकांश मदों/गतिविधियों को 100% तक के निवेश के लिए स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रखा गया है। इस नीति में राज्य विशिष्ट दिशानिर्देश परिकल्पित नहीं हैं। पिछले तीन वर्षों के लिए पश्चिम बंगाल में निवेश हेतु दिए गए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	(करोड़ रुपए)
2002-2003 (अप्रैल-मार्च)	325.01
2003-2004 (अप्रैल-मार्च)	339.45
2004-2005 (अप्रैल-दिसम्बर)	84.08

(घ) माहौल को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु सरकार ने दिनांक 29 सितम्बर, 2004 को निम्नलिखित को स्वचालित मार्ग में लाकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमोदन प्रक्रिया का और अधिक सरलीकरण किया है :

(i) वित्तीय सेवा क्षेत्रकों में शेयरों को छोड़कर अन्य क्षेत्रकों में निवासी से अनिवासी को शेयरों का अंतरण (अनिवासियों को अभिदाताओं के शेयरों के अंतरण सहित) बशर्ते कि स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत किया जाने वाला निवेश क्षेत्रक उच्चतम सीमा के अंदर हो और निर्धारित कीमत निर्धारण दिशानिर्देशों का भी अनुपालन करता हो।

(ii) ईसीबी/ऋण का इक्विटी में रूपांतरण बशर्ते कि कंपनी के क्रियाकलाप स्वचालित मार्ग के अन्तर्गत हो, ऐसे रूपांतरण के पश्चात विदेशी इक्विटी क्षेत्रक उच्चतम सीमा के अंतर्गत आती हो और निर्धारित कीमत निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुरूप भी हो।

(iii) शेयरों के नए निर्गम और साथ ही अधिमानी शेयरों के इक्विटी पूंजी में रूपांतरण द्वारा विदेशी इक्विटी सहभागिता के मामलों में वृद्धि बशर्ते कि ऐसी वृद्धि संगत क्षेत्रकों में क्षेत्रक उच्चतम सीमा के अंतर्गत आती हो, स्वचालित मार्ग के अंतर्गत हों और साथ ही निर्धारित कीमत निर्धारण दिशानिर्देशों का अनुपालन भी करती हो।

निर्यात संवर्धन परिषद की शाखाएं

1357. **श्री के.सी. पलनिसामी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) निर्यात संवर्धन परिषद का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश विशेषकर तमिलनाडु में निर्यात संवर्धन परिषद् की कोई नई शाखा खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) इस समय वस्त्र क्षेत्र में 10 निर्यात संवर्द्धन परिषदें कार्य कर रही हैं। ये वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषदें उनके मुख्यालय के स्थानों सहित नीचे दी गई हैं:—

क्र.सं.	निर्यात संवर्द्धन परिषद का नाम	मुख्यालय
1.	अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद	नई दिल्ली
2.	सूती वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद	मुंबई (महाराष्ट्र)
3.	सिंथेटिक एवं रियेन वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद	मुंबई (महाराष्ट्र)
4.	भारतीय रेशम निर्यात संवर्द्धन परिषद	मुंबई (महाराष्ट्र)
5.	विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्द्धन परिषद	मुंबई (महाराष्ट्र)
6.	हस्तशिल्प के लिए निर्यात संवर्द्धन परिषद	नई दिल्ली
7.	कालीन निर्यात संवर्द्धन परिषद	नई दिल्ली
8.	हथकरघा निर्यात संवर्द्धन परिषद	चेन्नई (तमिलनाडु)
9.	ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषद	नई दिल्ली
10.	ऊन उद्योग निर्यात संवर्द्धन परिषद	मुंबई (महाराष्ट्र)

(ख) और (ग) इस समय और वस्त्र निर्यात संवर्द्धन परिषदों की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कताई मिलें

1358. श्री रनेन बर्मन : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कताई मिलों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ कताई मिलों को बंद कर दिया गया है/उनका निजीकरण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मिलवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा देश विशेषकर पश्चिम बंगाल में कताई मिलों का पुनरुद्धार करने/नई मिलों को खोलने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) 31.1.2005 तक की स्थिति के अनुसार देश में कताई मिलों के राज्य-वार स्थान संलग्न विवरण की सूची-क में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) वस्त्र उद्योग के देश के सबसे पुराने और सबसे बड़े उद्योग होने के नाते यह स्वाभाविक है कि कुछ वस्त्र एकक किसी दिए गए समय में विद्युत समस्या, श्रमिक विवादों, अतिरिक्त क्षमता, आधुनिकीकरण की कमी, उभरते क्षेत्रों में विविधता लाने में असफलता, निकृष्ट प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न बाह्य और आंतरिक कारकों के कारण बंद पड़े हो सकते हैं। 31.12.2004 तक की स्थिति के अनुसार 378 सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र कताई मिलें (गैर-एसएसआई, निजी क्षेत्र) बंद पड़ी हुई थीं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण की सूची-ख में निर्दिष्ट हैं।

(घ) सरकार एक ऐसी नीति बनाना चाहती है जिससे भारतीय उद्योग की उन्नति व विकास सुकर हो। इसने रुग्ण औद्योगिक एककों का पुनरुद्धार करने के लिए अनेक कदम उठाये हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ बैंको को भारतीय रिजर्व के दिशा निर्देश, रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों में समामेलन, रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम के तहत बीआईएफआर की स्थापना करना आदि शामिल हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर औद्योगिक पुनर्वासन के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए व्यापक दिशानिर्देश जारी करता रहा है, यथा-प्रारंभिक चरण में औद्योगिक रुग्णता का पता लगाना, रुग्ण/कमजोर एककों की पहचान करना, एककों के अर्थक्षमता संबंधी अध्ययन करके केवल अर्थक्षम एककों को राहत और रियायतें प्रदान करना, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं और स्वयं बैंकों के बीच समन्वय करना, संवर्धकों के अंशदान के मानदंड, पुनर्भुगतान की अवधि बढ़ाना/ऋणों का पुनर्निर्धारण करना, पैनल दर/चक्रवृद्धि ब्याज में परिवर्तन और छूट देना आदि।

रुग्ण और संभावित रूप से रुग्ण कंपनियों का समय पर पता लगाने और ऐसी कंपनियों के बारे में निषेधात्मक, सुधारात्मक और जरूरी उपायों का तेजी से पता लगाने की आवश्यकता की व्यवस्था करने की दृष्टि से बीआईएफआर की स्थापना की गई है। यह संभाव्य रूप से अर्थक्षम एककों के संबंध में पुनर्वासन संबंधी प्रस्ताव तैयार करने के लिए प्रचालन एजेंसियों की नियुक्ति करता है। यह उसके निष्कर्षों के आधार पर पुनर्वासन संबंधी निर्णय लेता है।

विवरण

सूची-क

31-01-2005 तक की स्थिति अनुसार कताई मिलों (गैर-एसएसआई) के राज्य-वार स्थान (अ)

क्रमांक	राज्य	कताई मिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	99
2.	असम	6
3.	बिहार	6
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	दिल्ली	0
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	58
8.	हरियाणा	76
9.	हिमाचल प्रदेश	16
10.	जम्मू-कश्मीर	2

1	2	3
16.	मणिपुर	1
17.	उड़ीसा	16
18.	पंजाब	75
19.	राजस्थान	44
20.	तमिलनाडु	810
21.	उत्तर प्रदेश	58
22.	उत्तरांचल	5
23.	पश्चिम बंगाल	23
	संघ शासित प्रदेश	
24.	दादरा नगर हवेली	4
25.	दमन और दीव	1
26.	पांडिचेरी	9
	कुल योग	1563

सूची-ख

31.12.2004 तक की स्थिति अनुसार कताई मिलों (गैर-एसएसआई) के राज्य-वार स्थान

क्रमांक	राज्य	कताई मिलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	40
2.	असम	5
3.	बिहार	5
4.	गुजरात	31
5.	हरियाणा	25
6.	जम्मू-कश्मीर	1
7.	कर्नाटक	15
8.	केरल	9
9.	मध्य प्रदेश	7
10.	महाराष्ट्र	33
11	उड़ीसा	10
12.	पंजाब	15
13.	राजस्थान	18
14.	तमिलनाडु	115
15.	उत्तर प्रदेश	33
16.	पश्चिम बंगाल	9
17.	दिल्ली	0
18.	पांडिचेरी	1
19.	मणिपुर	1
20.	दमन और दीव	0
21.	छत्तीसगढ़	1
22.	उत्तरांचल	4
23.	झारखंड	0
	कुल	378

वैट पर मल्टीमीडिया अभियान

1359. डा. बाबू राव मीडियम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार "मूल्यवर्धित कर" पर लोगों और व्यापारी

समुदाय को जानकारी देने और शिक्षित करने हेतु क्षेत्रीय भाषाओं में एक मल्टीमीडिया अभियान शुरू कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति ने "मूल्यवर्धित कर" के बारे में जनता तथा व्यापारिक समुदाय को सूचित करने और जानकारी देने के लिए प्रचार अभियान चलाया है। इस प्रचार अभियान में मुद्रण माध्यम, रेडियो और टेलीविजन शामिल होंगे।

अवसंरचना में कम दर पर निवेश

1360. **श्री मधु गौड यास्खी :**
श्री के.एस. राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवसंरचना क्षेत्र में निवेश की दर चीन और पूर्वी एशिया की अपेक्षा काफी कम थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और उसके कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जहां चीन और पूर्वी एशिया के संबंध में अवसंरचना पर तुलनात्मक असंकलित सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां यह देखा गया है कि भारत में निवेश दरें (वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल पूंजी निर्माण) चीन और कुछ एशियाई देशों की तुलना में कम हैं। भारत में निवेश की कम दर मुख्यत: बचतों की कम दर के कारण है।

(ग) सरकार ने कृषि में बढ़ते निवेश, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रचालनीकरण, बढ़े हुए सरकारी निवेश, ढांचागत विकास हेतु सरकारी-निजी भागीदारी के संवर्धन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति के उदारीकरण के लिए विभिन्न उपाय प्रारंभ किए हैं। वर्ष 2005-06 के बजट में कृषि आधारढांचे के लिए बढ़ा हुआ निवेश, सार्वजनिक वस्तुओं जैसे सड़कें, रेलवे, विद्युत समुद्रीपत्तन और हवाईपत्तन में निवेश प्रदान करना एवं सुकर बनाना और सेवा क्षेत्रों में निवेश के लिए समर्थक नीति माहौल और स्थायी कर नीतियों का प्रस्ताव किया गया है। इन उपायों से उच्च वृद्धि हासिल करने के लिए बढ़े हुए निवेश प्राप्त होने की संभावना है।

विद्युत कंपनियों को लाइसेंस देना

1361. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :**
श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका स्थित ए.ई.एस. विद्युत कंपनी को देश के अनेक भागों में विद्युत वितरण का काम सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) संयुक्त राज्य अमेरिका के एईएस ने एईएस उड़ीसा वितरण प्राइवेट लिमिटेड के जरिए सितंबर, 1999 में सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी ऑफ उड़ीसा लिमिटेड (सेसको) में 51% हिस्से पर अधिकार प्राप्त कर लिया था।

ओईआरसी सुधार अधिनियम, 1995 की धारा 30 के साथ पठित धारा 28 के अंतर्गत ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड ने उड़ीसा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी) के साथ यह बताते हुए एक याचिका दायर की कि एईएस उड़ीसा वितरण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने सेस्को की आपूर्ति वाले क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए उचित कदम नहीं उठाए थे। इस बात से संतुष्ट होकर, कि सेस्को के प्रबंधन एवं नियंत्रण का कार्य एक उपयुक्त अधिकारी को सौंपा जाए ताकि उपभोक्ताओं एवं सर्वसामान्य के हितों की रक्षा करते हुए सेस्को क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति एवं अनुरक्षण निरंतर चलती रहे, ओईआरसी ने अपने दि. 27 अगस्त, 2001 के आदेश द्वारा सेस्को के प्रबंधन एवं नियंत्रण का तथा अगले आदेशों तक सेस्को क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति कार्य के प्रबंधन के लिए कार्य सौंपने के लिए राज्य सरकार के एक अधिकारी को नामित किया है।

26 फरवरी, 2005 को मामले की अगली कार्रवाई के समय ओईआरसी ने संतुष्ट होकर कहा कि विशेषकर विद्युत अधिनियम, 2003

की धारा 19 के अंतर्गत लाइसेंस निरस्त करने की परिस्थिति इस आधार पर मौजूद है कि सेस्को आयोग के समक्ष यह नहीं दर्शा पाया है कि लाइसेंस द्वारा निर्धारित कर्तव्यों और दायित्वों के कुशलतापूर्वक निर्वहन के लिए एईएस प्रबंधन के अंतर्गत सेस्को समर्थ नहीं होगा। अत: आयोग ने निर्देश दिया था कि आयोग द्वारा सैंट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाय कंपनी ऑफ उड़ीसा लिमिटेड द्वारा प्रदत्त विवरण एवं रिटेल आपूर्ति लाइसेंस, 1999 (99 का 1) को निरस्त किया जाए। किन्तु अब आयोग ने आदेश दिया है कि निरस्त करने के आदेश को 45 दिनों तक स्थगित रखा जाए ताकि स्टेकहोल्डर अर्थात् एईएस कन्जॉर्शियम एवं इसके सहयोगी, विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार सेस्को के पुनरोद्धार हेतु स्कीम को अंतिम रूप दे सकें, यदि आवश्यक हो। यदि यह स्कीम 31.03.2005 को या इससे पूर्व प्राप्त नहीं होती है, तो इसे बिना किसी अगली सुनवाई या कार्रवाई के निरस्त किया जाएगा।

उड़ीसा में खनन कार्य

1362. श्री गिरिधर गमांग :
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा देश विशेषकर उड़ीसा राज्य में प्रमुख खनिजों के खनन हेतु निजी कंपनियों को प्रदान किए गए कुल खनन क्षेत्र का खनिजवार, जिलेवार और मात्रावार ब्यौरा क्या है और उन्हें कितने वर्ष के लिए लाइसेंस दिया गया है;

(ख) आपके मंत्रालय द्वारा लाइसेंस जारी करते समय क्या निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई थीं;

(ग) सरकार द्वारा निजी कंपनियों को खनिज आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए अभी तक कुल कितना मुख्य खनिज हस्तांतरित किया गया है; और

(घ) निजी उद्योग स्थापित करने हेतु उड़ीसा सरकार के मानदंड और नीति तथा इसके लिए निजी कंपनियों को पट्टा हस्तांतरित करने का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) राज्य सरकारों द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा इसके तहत बनाई गई नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टे प्रदान किए जाते हैं। उक्त अधिनियम की पहली सूची में विनिर्दिष्ट केवल चयनित खनिजों के लिए राज्य सरकारों द्वारा खनिज रियायतें प्रदान करने से पहले केंद्र सरकार का पूर्वानुमोदन लेना अपेक्षित होता है। भारतीय खान ब्यूरो, जो कि खान मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है, द्वारा प्रकाशित भारतीय खनिज वार्षिकी, 2003 में उपलब्ध सूचना के अनुसार भारत में खनन पट्टे में निजी क्षेत्रों को 31.3.2001 की स्थिति के अनुसार प्रदान किया गया कुल क्षेत्र 411155.68 हेक्टेयर है। भारतीय खान ब्यूरो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उड़ीसा राज्य में निजी कंपनियों को 1.12.2004 की स्थिति के अनुसार लगभग 31,111 हेक्टेयर सकल खनन क्षेत्र पर प्रमुख खनिजों के लिए कुल 131 खनन पट्टे प्रदान किए गए हैं। चूंकि खनन पट्टा स्वीकृत करते समय खनिजों की मात्रा विनिर्दिष्ट नहीं की जाती है, अतएव, उड़ीसा राज्य में खनन पट्टा स्वीकृत करने के वर्ष के साथ खनिंजवार और जिलावार वितरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

क्र. सं.	प्रमुख खनिज का नाम (पट्टों की संख्या)	जिला	खनन पट्टा स्वीकृत करने के वर्ष
1	2	3	4
1.	फायरक्ले (9)	अंगुल, कटक, सुंदरगढ़	1970, 1974, 1979, 1980, 1981, 1984, 1988 और 1996
2.	ग्रेफाइट (7)	बरगढ़, बोलनगीर, कांधामल	1976, 1983, 1985, 1986, 1996 और 1997
3.	जेमस्टोन (4)	बोलनगीर, कालाहांडी	2000 और 2001
4.	लाइमस्टोन (1)	बोलनगीर	1996

1	2	3	4
5.	लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट (10)	सुन्दरगढ़	1980, 1986, 1996, 1997, 1985, 1991, 2000
6.	क्वार्टज (15)	बोलनगीर, बौद्ध, कालाहांडी, सुबर्णपुर, रायगढ़ा	1971, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1991, और 2000
7.	क्रोमाइट (12)	धेनकनाल, जाजपुर, क्योंझर	1960, 1985, 1993, 1997, 1998, 1999, 2000 और 2001
8.	क्वार्टजाइट (4)	झारसुगुडा, मयूरभंज	1983, 1999, 2000 और 2002
9.	लोहा और मैगनीज अयस्क (7)	क्योंझर, सुन्दरगढ़	1978, 1980, 1982, 1984, 1985, 1994 और 2003
10.	लौह अयस्क (20)	क्योंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़	1962, 1966, 1969, 1971, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1989, 1994, 1997, 2001
11.	लौह अयस्क और डोलोमाइट (1)	क्योंझर	2002
12.	मैगनीज (27)	क्योंझर, रायगढ़ा, सुन्दरगढ़	1960, 1963, 1964, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1993, 1995, 1997, 1999 और 2001
13.	पायरोफाइलाइट और क्वॉटजाइट (2)	क्योंझर	1984 और 1996
14.	टिन अयस्क (1)	मलकागिरी	1997
15.	चाइनाक्ले (2)	मयूरभंज	1974, 1996
16.	बॉक्साइट (3)	रायगढ़ा, सुन्दरगढ़	1976, 1980 और 1997
17.	लौह अयस्क और बॉक्साइट (1)	सुन्दरगढ़	1983
18.	मैगनीज अयस्क और बॉक्साइट (1)	सुन्दरगढ़	1960
19.	सैण्डस्टोन (2)	सुन्दरगढ़	2000
20.	कोयला (1)	सम्भलपुर	2003
21.	डोलोमाइट (1)	सुन्दरगढ़	1997

(ख) खनन पट्टा संबंधी निबंधन और शर्तें खनिज रियायत नियमावली, 1960, खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 1988, अन्य लागू अधिनियमों और नियमावलियों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी और संशोधित पर्यावरण अधिसूचना दिनांक 27.1.1994, जो भी, लागू हो, के प्रावधानों के अनुसार शासित की जाती हैं।

(ग) खनन पट्टों का हस्तांतरण संबंधित राज्य सरकारों के कार्य क्षेत्र में आता है और खान मंत्रालय की भूमिका केवल परमाणु खनिजों के मामले में पूर्वानुमोदन देने तक सीमित है। भारतीय खान ब्यूरो से प्राप्त जानकारी के अनुसार मै. उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन (ओ.एम सी) ने उड़ीसा में रायगढ़ जिला के बाप्लीमली गांव में 1388.74 हेक्टेयर क्षेत्र में बॉक्साइट के खनन पट्टे का हस्तांतरण वर्ष 2000 में ग्रहीत उपयोग के लिए मै. उत्कल एल्युमिना इन्टरनेशनल लि. को कर दिया है।

(घ) खान मंत्रालय के पास निजी उद्योगों की स्थापना करने और निजी कंपनियों को पट्टा हस्तांतरित करने संबंधी उड़ीसा सरकार के मानदण्डों और नीति के संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

मलेशिया के साथ कर संधि

1363. श्रीमती निवेदिता माने :
श्री विजय कृष्ण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 दिसम्बर, 2004 के 'द इकनामिक टाइम्स' में प्रकाशित मलेशिया के साथ कर संधि पर पुन: बातचीत करने संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यह संधि कब तक अधिसूचित की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। यह सच है कि सरकार ने मलेशिया के साथ कर संधि पर पुन: बातचीत करने का निर्णय लिया है।

(ग) अधिसूचना के लिए कोई नियत समय सीमा विनिर्दिष्ट करना कठिन है क्योंकि किसी द्विपक्षीय कर संधि को अंतिम रूप देना संधि के अन्य पक्षकार की प्रतिक्रया पर निर्भर करता है।

स्रोत पर कर कटौती के बिना एन एस एस ओ 87 खातों से राशि निकालना

1364. श्री बी. करूणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक विभाग को स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) किए बिना "एन एस एस ओ 87" खातों से राशि निकालने की सुविधा प्रदान करने हेतु कोई परिपत्र जारी किया गया है हालांकि वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रति वर्ष 50,000 रूप से अधिक राशि निकालने की छूट है;

(ख) यदि हां, तो डाक विभाग द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परिपत्र जारी किए जाने के बाद भी डाक विभाग नियमित रूप से आयकर की कटौती कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) आयकर अधिनियम की धारा 197क में दिनांक 1.6.2003 से एक उपधारा (1ग) समाविष्ट की गई थी जिसके द्वारा 65 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु के भारतीय निवासी व्यष्टि को राष्ट्रीय बचत योजना से निकालने और स्रोत पर कर की कटौती किये बिना कतिपय अन्य आय प्राप्त करने की अनुमति दी गई है यदि ऐसा व्यक्ति इस संबंध में विहित फार्म (फार्म 15एच) में घोषणा प्रस्तुत करता है कि वर्ष के लिए उसकी अनुमानित कुल आय पर कर शून्य होगा।

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिनांक 5.9.2003 के परिपत्र सं. 7 के तहत नए उपबंध को भी स्पष्ट किया गया था।

(ख) डाक विभाग द्वारा दिनांक 9.2.2004 के एस.बी. आदेश संख्या 4/2004 के तहत एक परिपत्र भी जारी किया गया था जिसमें 65 वर्ष या उससे अधिक की आयु वाले भारतीय निवासी व्यष्टियों द्वारा प्राप्त आय पर स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित उपबंधों में किये गए परिवर्तनों को डाक विभाग के अन्तर्गत मण्डलों/ क्षेत्रों के सभी अध्यक्षों की जानकारी में लाया गया था, जैसाकि उपर्युक्त पैरा (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश को जारी की गई धनराशि

1365. श्रीमती नीता पटैरिया : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्त्र समूह अवसंरचना विकास योजना के अंतर्गत देश में अनुमोदित की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) सरकार ने वस्त्र केन्द्र अध्यसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) के तहत अठारह परयोजना प्रस्ताव स्वीकृत किए हैं। स्वीकृत परियोजनाओं के राज्य-वार स्थान नीचे दिए गए हैं:–

क्र. सं.	राज्य	स्थान
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	पशमेदारलम, मेडक
2.	आंध्र प्रदेश	वारंगल
3.	आंध्र प्रदेश	सिरसिला, करीम नगर
4.	गुजरात	नरोल-शाहवाड़ी, अहमदाबाद
5.	गुजरात	पंडेसरा, सूरत
6.	गुजरात	जैतपुर, राजकोट
7.	गुजरात	सेवा सुविधा व्यापार केन्द्र, अहमदाबाद
8.	हरियाणा	सैक्टर-29, फेस 2, पानीपत
9.	जम्मू-कश्मीर	जकूरा
10.	केरल	कन्नूर
11.	मध्य प्रदेश	इंदौर
12.	महाराष्ट्र	सोलापुर
13.	महाराष्ट्र	भिवंडी (समूह सं. 3 व 4)
14.	महाराष्ट्र	मालेगांव
15.	राजस्थान	बसोल
16.	राजस्थान	पाली
17.	तमिलनाडु	कांचीपुरम'
18.	तमिलनाडु	कैप्टिव पावर प्लांट प्रोजेक्ट, तिरूपुर

अनुमोदित परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

[अनुवाद]

सेवा कर के संबंध में विधान और जनशक्ति जुटाना

1366. श्री अनन्त नायक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा कर के लिए एक पृथक विधान है;

(ख) यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सेवा कर संग्रहण हेतु जनशक्ति जुटाने का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) सेवा कर मुख्यत: समय-समय पर यथा संशोधित वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय-V के उपबंधों की शर्तों के अनुसार लगाया जाता है।

(ग) सेवा कर लगाने से संबंधित कार्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के पास उपलब्ध जनशक्ति एवं संसाधनों के पुनर्नियोजन द्वारा किया जा रहा है। यद्यपि छ: नए सेवा कर आयुक्तालय-दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता, बंगलौर एवं अहमदाबाद प्रत्येक में सृजित किए गए हैं ताकि उपर्युक्त स्थानों में सेवा कर वसूली पर सर्कोद्रित ध्यान दिया जा सके।

इंदिरा आवास योजना

1367. श्रीमती मेनका गांधी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अगले तीन वर्षों के दौरान इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाने वाले मकानों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और जिलेवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) एक आबंटन आधारित चल रही योजना है। इस योजना के अंतर्गत, आवासों के निर्माण के लक्ष्य वर्ष दर वर्ष आधार पर, निधियों की उपलब्धता के अनुसार, निर्धारित किए जाते हैं।

आन्ध्र प्रदेश में अर्बन को-आपरेटिव बैंक

1368. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में वर्षवार कितने अर्बन को-आपरेटिव बैंक रुग्ण हो गए अथवा उन्होंने कार्य करना बंद कर दिया है;

(ख) उनके रुग्ण होने के मुख्य कारण क्या है;

(ग) इन बैंकों में से प्रत्येक में कितनी सार्वजनिक धनराशि जमा है;

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(च) प्रत्येक बैंक के कार्यकरण की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) गत चार वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 30 शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए थे जिनका उल्लेख संलग्न विवरण-I में किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस), की धारा 35क के तहत 11 बैंकों को निदेश जारी कर दिए गए हैं तथा इन बैंकों में अंतर्गस्त सार्वजनिक धन का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इन बैंकों के रुग्ण बनने के मुख्य कारण खराब ऋण प्रबंधन, एकल उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के समूह को एक्सपोजर सीमा से संबंधित विवेकपूर्ण मानदण्डों का गैर-अनुपालन, निदेशकों एवं उनके सगे संबंधियों को दिया गया ऋण, जमाराशियों की उच्चतर लागत, निम्न पूंजी आधार, निदेशक मण्डल से उचित दिशानिर्देश एवं निदेशों की कमी तथा कमजोर नियंत्रण एवं लेखा परीक्षा प्रणाली आदि थे।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न निदेश जारी किए हैं - नई जमाराशियां स्वीकार करने से बैंकों को रोकना, जमाराशियों की निकासी संबंधी उच्चतम सीमा निर्धारित करना, बैंकों को समयबद्ध तरीके से आमूल परिवर्तन करने हेतु एक कार्य योजना प्रस्तुत करने की सलाह देना आदि।

(ङ) राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई वित्तीय सहायता नहीं दी है।

(च) जिन बैंकों को निदेश जारी किए गए हैं, उनकी कड़ी निगरानी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जा रही है। रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जिनमें नियंत्रण की कमी रही है, को उन मामलों में निदेशक मण्डल का अधिक्रमण करने तथा प्रशासक की नियुक्ति करने का अनुरोध कर दिया गया है। वित्तीय रूप से सुदृढ़ तथा अर्धक्षम किसी अन्य यूसीबी के साथ विलयन की संभावना की भी छानबीन की जा रही है।

विवरण-I

उन बैंकों के नाम जो गत तीन वर्षों के दौरान समाप्त हो गए हैं

क्र. स.	लाइसेंस रद्द करने की तारीख	बैंका का नाम, जिसका लाइसेंस रद्द किया गया
1	2	3
1.	16.3.2001	दि चोदावरम सीयूबीएल, चोदावरम, जिला विशाखापट्टनम
2.	16.3.2001	दि कुरनूल सीयूबीएल, कुरनूल
3.	14.9.2001	दि सितारा सीयूबीएल, हैदराबाद
4.	16.10.2001*	क्रुसी सीयूबीएल (*परिसमापक की नियुक्ति के जरिए राज्य सरकार द्वारा परिसमापित)
5.	25.01.2002	दि आर्यन सीयूबीएल, हैदराबाद
6.	4.9.2002	दि अरमूर सीयूबीएल, निजामाबाद
7.	18.4.2002	दि फस्ट सिटी सीयूबीएल, हैदराबाद

1	2	3
8.	20.5.2002	दि जवाहर सीयूबीएल, जिला रंगारेड्डी
9.	8.8.2002	दि मेगासिटी सीयूबीएल, हैदराबाद
10.	19.10.2002	मदर टैरेसा सीयूबीएल, हैदराबाद
11.	6.7.2002	प्रजा सीयूबीएल, हैदराबाद
12.	5.7.2002	राजमपेट सीयूबीएल, जिला कुडप्पा
13.	30.5.2002*	दि श्रव्य सीयूबीएल, हैदराबाद (*परिसमापक की नियुक्ति के जरिए राज्य सरकार द्वारा परिसमापित)
14.	14.11.2002	दि पीठपुरम सीयूबीएल, जिला पूर्व गोदावरी
15.	5.1.2003	दि स्टार सीयूबीएल, हैदराबाद
16.	12.4.2003	दि धन सीयूबीएल, जिला पश्चिम गोदावरी
17.	7.6.2003	दि नरसरावपेट सीयूबीएल, जिला गुंटूर
18.	16.7.2003	दि मनीकंठ सीयूबीएल, हैदराबाद
19.	8.9.2003	दि वसुंधरा सीयूबीएल, रंगारेड्डी
20.	6.10.2003	दि नीलगिरी सीयूबीएल, नलगोना
21.	5.12.2003	दि ट्रीनिटी सीयूबीएल, रंगारेड्डी
22.	19.1.2004	दि महालक्ष्मी सीयूबीएल, हैदराबाद
23.	19.1.2004	दि कल्याण सीयूबीएल, हैदराबाद
24.	28.1.2004	दि विजय महिला सीयूबीएल, हैदराबाद
25.	3.3.2004	स्वामी ज्ञानंद योगेश्वर महिला सीयूबीएल, पुद्दूर, चित्तौड़
26.	1.6.2004	साईं सीयूबीएल, हैदराबाद
27.	19.6.2004	श्री सत्य साईं सीयूबीएल, हैदराबाद
28.	10.8.2004	बेलमपल्ली सीयूबीएल, जिला आदिलाबाद
29.	7.12.2004	दि प्रूडेंशियल सीयूबीएल, हैदराबाद
30.	3.12.2004	दि ग्रेटर तेलंगाना सीयूबीएल, निजामाबाद (*परिसमापक की नियुक्ति के जरिए राज्य सरकार द्वारा परिसमापित)

विवरण-II

बैंकों के नाम और सदस्यों की शेयर पूंजी के साथ-साथ जनता की अंतर्ग्रस्त राशि तथा समस्याओं के कारण निम्नानुसार हैं:—

क्र. सं.	बैंक का नाम	शेयर पूंजी लाख रुपए में	कुल जमा देयताएं लाख रुपए में	बैंकों में समस्याओं के कारण
1	2	3	4	5
1.	बोबली सीयूबीएल	89.35	1730.75	आस्तियों की खराब गुणवत्ता और जमाराशियों की अंतर-बैंक व्यवस्था जिसका प्रत्याहरण नहीं हो पाया
2.	भारत मर्केंटाइल सीयूबीएल, हैदराबाद	93.39	1452.92	आस्तियों की खराब गुणवत्ता व खराब नियंत्रण

1	2	3	4	5
3.	हैदराबाद सीयूबीएल, हैदराबाद	81.26	1345.92	एक ही स्रोत से कार्यशील पूंजी (जमाराशि) की अत्यधिक निर्भरता तथा खराब नियंत्रण
4.	ओंगोले सीयूबीएल	88.27	2640.43	जमाराशियों की अंतर-बैंक व्यवस्था जिसका प्रत्याहरण नहीं हो पाया
5.	पलाकल सीयूबीएल	85.60	2407.14	खराब नियंत्रण व खराब तंत्र
6.	कन्यक परमेश्वरी सीयूबीएल, हैदराबाद	40.43	289.40	खराब नियंत्रण, खराब तंत्र व आस्तियों की खराब गुणवत्ता
7.	श्रीकलाहस्थी सीयूबीएल	62.59	1402.93	खराब नियंत्रण, खराब तंत्र व आस्तियों की खराब गुणवत्ता
8.	विजयानगरम सीयूबीएल	76.34	2165.89	जमाराशियों की अंतर-बैंक व्यवस्था जिसका प्रत्याहरण नहीं हो पाया तथा खराब नियंत्रण
9.	चित्तूर सीयूबीएल	181.64	8092.75	जमाराशियों की अंतर-बैंक व्यवस्था जिसका प्रत्याहरण नहीं हो पाया तथा खराब नियंत्रण
10.	वसावी सीयूबीएल, हैदराबाद	245.19	15661.92	आस्तियों की बदतर गुणवत्ता व संबद्ध उधार
11.	चारमीनार सीयूबीएल	1614.14	18185.29	आस्तियों की खराब गुणवत्ता

बैंकों में धोखाधड़ी

1369. **श्री एन. जनार्दन रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में दिल्ली में कुछ बैंकों में ऐसी धोखाधड़ी का पता चला है जिसमें बैंकों के सुरक्षा गार्डों ने चैक ड्रॉप बॉक्सों से चैक चुराए हैं और चैकों का नकदीकरण कराके लाखों रुपए हड़प लिए हैं तथा इस प्रकार से ग्राहक बुरी तरह से ठगे गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन-किन बैंकों में ऐसी धोखाधड़ी हुई है;

(ग) क्या मामले की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो ग्राहकों के हितों की रक्षा करने में असफल रहे संबंधित बैंकों के पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या अब तक पूरे धन की वसूली कर ली गई है और वास्तविक ग्राहकों के खातों में उसे उनके नामे कर दिया गया है और दोषी गार्डों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(छ) क्या बैंक अभी भी चैक ड्रॉप बॉक्स प्रणाली की अवैध प्रक्रिया को जारी रखना चाहते हैं;

(ज) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या ठोस कार्रवाई की गई है कि ग्राहक इस प्रणाली के शिकार न हों?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (झ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उनकी जानकारी में दो ऐसी घटनाएं आई हैं जहां शाखा परिसर के बाहर

स्थित एटीएम में रखे संग्रह पेटियों (ड्रॉप बॉक्सेज) से चेक चुरा लिए गए थे और दिल्ली में कुछ बैंकों के माध्यम से धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से भुना लिए गए थे। एक मामले में, दिल्ली के विवेक विहार स्थित आईडीबीआई बैंक में रखी संग्रह पेटी से सुरक्षा प्रहरी ने चेक चुराए हैं। सुरक्षा प्रहरी ने अपने सहापराधी के खाते के माध्यम से इंडियन ओवरसीज बैंक की प्रीत विहार शाखा के माध्यम से लिखत प्राप्त कर लिया। दूसरी घटना में बैंक आफ पंजाब में दिल्ली की पंजाबी बाग स्थित अपनी शाखा के गेट पर रखी संग्रह पेटी से चेकों की चोरी के एक मामले की सूचना दी है। चुराए गए इन चेकों में कुछ को दिल्ली में कई बैंकों, अर्थात ओरियंटल बैंक आफ कामर्स, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यूको बैंक तथा सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में खोले गए खातों के माध्यम से भुनाया गया था।

दोनों मामलों में शामिल दोषियों को जांच के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बैंक ने सूचित किया है कि इन चोरियों में कोई भी बैंककर्मी प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं है। बैंक आफ पंजाब ने समस्त राशि वसूल कर ली है जबकि इंडियन ओवरसीज बैंक ने 98,500/- रुपए की राशि, जो धोखाधड़ी करने वालों द्वारा खोले गए खातों से निकाली गई थी, वसूल नहीं कर पाई है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिल्ली स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने सभी बैंकों से अपनी सुरक्षा प्रणालियों तथा चेक संग्रह के कार्य में लगी बाह्य एजेंसियों तथा बैंक में लगी नियंत्रण प्रणालियों की निगरानी को मजबूत बनाने के लिए कहा हैं मार्च 1975 में सरकार द्वारा गठित बैंकों में ग्राहक सेवा संबंधी कार्यदल ने बैंकों में चेक संग्रह पेटी सुविधा शुरू करने की सिफारिश की थी। ग्राहकों की सुविधा के लिए बैंकों द्वारा चेक संग्रह पेटी की सुविधा प्रदान की गई है और यह संग्रह के लिए नियमित पटल के अलावा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को यह भी सलाह दी है कि चेक संग्रह पेटी सुविधा और शाखाओं के नियमित संग्रह पटलों पर चेकों की पावती की सुविधा ग्राहकों को उपलब्ध होनी चाहिए और यदि कोई ग्राहक पटलों पर चेक देता है तो किसी भी शाखा को पावती देने से मना नहीं करना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के कहने पर भारतीय बैंक संघ ने बैंकों से जब कभी संग्रह पेटी खोली जाती है तब लिखतों की संख्या का लेखा-जोखा रखने के लिए पूर्ण सुरक्षित व्यवस्था करने के लिए कहा है ताकि इस संबंध में कोई विवाद न हो और ग्राहकों के हितों को खतरा न हो।

विद्युत खरीद समझौता

1370. श्री टी.के. हमजा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, कायमकुलम से विद्युत खरीद रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम परियोजनाओं से खरीदी गई विद्युत की प्रति इकाई लागत कितनी है तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या वर्तमान में कोई ऐसा समझौता हुआ है कि केरल सरकार राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम से निर्धारित दरों पर निश्चित मात्रा में विद्युत खरीदेगी;

(घ) यदि हां, तो क्या जल विद्युत की तुलना में प्रस्तावित दर काफी ऊंची है; और

(ङ) यदि हां, तो केरल को आपूर्ति की जा रही विद्युत की दरों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां।

(ख) केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) तथा तमिलनाडु विद्युत बोर्ड (टीएनईबी) प्रत्येक को कायमकुलम स्टेशन से क्षमता का 50% भाग आबंटित किया गया है। वर्तमान में केएसईबी द्वारा कायमकूलम से इसे स्वयं को आबंटित 180 मे.वा. में से 150 मे.वा. की विद्युत टीएनईबी को बेची जा रही है।

एनटीपीसी केन्द्रों से केएसईबी को आपूरित की जा रही विद्युत की लागत तथा केएसईबी द्वारा गत तीन वित्तीय वर्षों में किए गए भुगतान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) एनटीपीसी केन्द्र द्वारा केरल राज्य बिजली बोर्ड सहित राज्य बिजली बोर्डों को आपूरित बिजली भारत सरकार द्वारा किए गए विद्युत आबंटन के अनुसार है तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा प्रत्येक केन्द्र के लिए समय-समय पर अधिसूचित टैरिफ के अनुसार इसकी बिलिंग की गई हैं केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के मानकों के अनुसार कायमकुलम के लिए द्वि-भागीय शुल्क का अनुपालन किया जाता है और इस प्रकार केरल द्वारा स्थिर एवं अस्थिर प्रभारों का भुगतान किया जाना है। सीईआरसी विनियमों के अनुसार स्थिर प्रभार 80% पीएलएफ पर रु. 0.92/यूनिट आता हैं अस्थिर प्रभार ईंधन (फ्यूल) की लागत पर निर्भर करता है।

केरल राज्य बिजली बोर्ड (केएसईबी) अन्य एजेंसियों के जल विद्युत केन्द्रों से बिजली की खरीद नहीं कर रहा है।

(ङ) विद्युत मंत्रालय ने केरल हेतु कायमकुलम विद्युत की लागत को कम करने के अनेक उपाय किए हैं। इस प्रक्रिया में दिनांक 17.5.2002 को केन्द्रीय विद्युत मंत्री, भारत सरकार एवं दक्षिणी क्षेत्र के विद्युत मंत्रियों तथा सभी राज्य बिजली बोर्डों के अन्य अधिकारियों की एक बैठक दिल्ली में आयोजित की जिसके अनुपाल में केएसईबी द्वारा भुगतान किए जाने वाले स्थिर प्रभारों में 50% कमी करते हुए कायमकुलम से 180 मैं. वा. विद्युत आबंटित की गई। इसके अतिरिक्त कायमकुलम से केरल को विद्युत की पूल्ड दर को कम करने के लिए, दिनांक 24.02.2005 के आदेश के अनुसार कायमकुलम पावर से पूलिंग हेतु केएसईबी का पूर्वी क्षेत्र में स्थिर एनटीपीसी स्टेशनों से 110 मे. वा. का आबंटन, किया गया है।

विवरण

वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के लिए एनटीपीसी स्टेशनों द्वारा केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी.) को की गई विद्युत आपूर्ति की लागत तथा केएसईबी द्वारा इसके लिए भुगतान की गई राशि

वर्ष	स्टेशन	रा.वि. बोर्ड की ऊर्जा की लागत (पैसे/कि.वा. घंटा)	वित्तीय वर्ष के दौरान केएसईबी द्वारा भुगतान की गई रशि (करोड़ रु.)
1	2	3	4
	रामागुंडम	119.84	406.87
	फरक्का	162.51	
	कहलगांव	178.87	134.00*
2003-04	तालचेर-1		
	तालचेर-2	117.22	52.53
	कायाकुलम	363.88	1338.46
	कुल	—	1931.86
	रामागुंडम	123.75	262.93
	फरक्का	167.78	
	कहलगांव	189.88	122.10*
2002-03	तालचेर-1	127.91	
	तालचेर-2		492.47
	कायाकुलम	379.69	492.47
	कुल	—	877.51
	रामागुंडम	122.34	224.80
	फरक्का	168.81	
	कहलगांव	204.10	85.47*
2001-02	तालचेर-1		
	तालचेर-2	143.78	
	कायाकुलम	382.17	187.29
	कुल	—	497.57

नोट:

#उपर्युक्त दर्शाए गए भुगतान में एकमुश्त भुगतान स्कीम के अंतर्गत प्राप्त बॉण्ड शामिल है।

*केरल राज्य विद्युत बोर्ड से भुगतान प्राप्त करते समय फरक्का, कहलगांव और तालचेर-1 को पूर्वी क्षेत्र विद्युत प्रदानकर्ता मानकर एक ब्लॉक में दर्शाया गया है।

दमण और दीव में आयकरावकाश प्रदान करना

1371. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमण उद्योग एसोसिएशन ने दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में आयकरावकाश देने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। आयकर अधिनियम के अधीन औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्यों में स्थापित औद्योगिक उपक्रमों को उपलब्ध कर लाभ प्रदान नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा तैयार की गई नई औद्योगिक नीति के मद्देनजर, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में ही स्थित उपक्रमों को कर लाभ प्रदान किया गया है।

सहकारी बुनाई मिलों की बिक्री

1372. **श्री जुएल ओराम :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर उड़ीसा में सहकारी बुनाई मिलों को निजी क्षेत्र को बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो उन सहकारी और सरकारी क्षेत्र की बुनाई मिलों के नाम क्या हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं;

(ग) क्या कुछ ऐसी बुनाई मिलों को निजी क्षेत्र को बहुत कम कीमत में बेच दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ङ) ऐसी मिलों के कामगारों के पुनर्वास हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, हां। उड़ीसा सरकार ने केवल एक सहकारी बुनाई मिल की मशीनों को निजी क्षेत्र को बेचने का निर्णय लिया है। परंतु, ये मशीनें एकक की स्टॉफ एसोसिएशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उड़ीसा, कटक के समक्ष दायर की गई एक रिट याचिका के कारण पार्टी को नहीं सौंपी जा सकी।

(ख) बुनाई मिल का नाम और स्थान मै. छाटिया बुनाई मिल्स, छांटिया, कटक है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) उड़ीसा सरकार ने उपर्युक्त यूनिट के स्टॉफ एवं कामगारों के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी आर एस) शुरू की है और कुल 199 की नफरी में से 163 स्टॉफ/कामगारों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वी आर एस) ले ली है।

[हिन्दी]

वर्ष 2004-05 के दौरान अप्रयुक्त धनराशि

1373. **श्री मोहन सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2004-05 में बजटीय प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का किन-किन मंत्रालयों ने उपयोग नहीं किया है;

(ख) अब तक इन मंत्रालयों ने कितनी धनराशि खर्च नहीं की है; और

(ग) ऐसे मंत्रालयों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) मंत्रालय/विभाग वर्ष 2004-05 के लिए आवंटित धनराशि को 31.3.2005 तक खर्च कर सकते हैं। 2004-05 में बजटीय प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि का उपयोग न करने वाले मंत्रालयों के नामों से संबंधित सूचना वित्त वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही ज्ञात हो सकती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

चिकित्सा बीमा

1374. **श्री अर्जुन सेठी :**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बीमा कंपनियां उन मामलों में चिकित्सा पॉलिसियां देने से इन्कार कर रही हैं जिनमें बीमित व्यक्ति ने भारी दावा किया हो;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बीमा कंपनियां बीमित व्यक्ति द्वारा चिकित्सा दावों में अनियमितताएं बरत रही हैं जिसके फलस्वरूप लोग ठगे जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन बीमा कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) पालिसियों के तहत भले ही दावे किए जाते हैं अथवा नहीं किए जाते हैं, आमतौर पर मेडीक्लेम पालिसियों का नवीकरण किया जाता है। तथापि, मेडीक्लेम पालिसियों, जिनके तहत भारी दावे किए जाते हैं, के नवीकरण से इस तरह इन्कार किए जाने के इक्के-दुक्के उदाहरण हैं।

(ख) और (ग) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई आर डी ए) ने सूचित किया है कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई भी मामला जिसे ''अनियमित'' कहा जा सकता है अथवा जो ''लोगों के ठगे जाने'' से संबंधित है, उनके ध्यान में नहीं लाया गया है। तथापि, जहां कहीं आई आर डी ए के ध्यान में शिकायत लायी जाती हैं, प्राधिकरण ने बीमा कंपनियों को ऐसे मामलों पर पुनर्जांच करने की सलाह दी है।

(घ) पालिसीधारकों की समस्याओं के समाधान के लिए पहले से ही संस्थागत तंत्र है। सरकारी क्षेत्र की सभी बीमा कंपनियों में शिकायत निवारण तंत्र हैं। इसके अतिरिक्त शिकायतों का शीघ्रता से निवारण करने के लिए 12 लोक पाल हैं। पालिसीधारक न्याय निर्णय के लिए अपने मामलों/शिकायतों को उपभोक्ता मंच के समक्ष भी उठा सकते हैं।

विदेशों में भारतीय जीवन बीमा निगम का कार्यकरण

1375. **श्री एन.एन. कृष्णदास :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम विदेशों में विशेषकर पश्चिम एशिया और अफ्रीकी देशों में अपने कार्यकरण का विस्तार करने के लिए पूर्णत: तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया (के.एस.ए.) या किसी अन्य मध्यपूर्वी देश में संयुक्त उद्यम स्थापित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल आई सी) ने अपने अंतर्राष्ट्रीय कार्यकरण का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। विशेषकर अफ्रीकी देशों में भारतीय मूल के लोगों के बीच बाजार संभावना के विस्तार के लिए उन्होंने ''लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन (मारीशस) ऑफशोर लिमिटेड'' को निगमित किया है। एलआईसी ने बोट्सवाना और माडागास्कर में कार्यकरण प्रारंभ करने के लिए बाजार का अध्यापन भी किया है। इस समय पश्चिमी एशियायी देशों में विस्तार करने के लिए एल आई सी की योजनाएं नहीं हैं।

(ग) अब तक एल आई सी ने ऐसा कोई संयुक्त उद्यम स्थापित नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बोंगाईगांव ताप विद्युत केन्द्र का आधुनिकीकरण

1376. **श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बोंगाईगांव ताप विद्युत केन्द्र, सलाकाती, असम के आधुनिकीकरण/नवीनीकरण पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर असम में प्राथमिकता आधार पर त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विशेष पैकेज देने पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) बोंगाईगांव थर्मल विद्युत स्टेशन (बी.टी.पी.एस.) यूनिट-3 और 4 (4 x 60 मेगा वाट) को 10वीं योजना के दौरान नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आर. एंड.एम)/जीवन विस्तार (एल.ई.) के कार्यों हेतु चिह्नित किया गया है। विद्युत वित्त निगम ने असाम में बोंगाईगांव टी.पी.एस. अवशिष्ट जीवन मूल्यांकन (आर.एल.ए.)/ जीवन विस्तार हेतु 2.27 करोड़ रु. की मंजूरी दी है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने पांच वर्षों में 1.25 लाख गांवों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से वर्ष 2005-06 से ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु व्यापक कार्यक्रम अर्थात् ''ग्रामीण विद्युत अवसंरचना एवं घरों का विद्युतीकरण'' को आरम्भ करने का निर्णय लिया है। यह कार्यक्रम

सभी गैर विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण पर विचार करता है और असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्यों में सभी घरों को विद्युत तक पहुंच प्रदान करता है।

सी.बी.डी.टी. के समक्ष लम्बित फील्ड कार्यालयों के अवसंरचना परियोजना प्रस्ताव

1377. **श्री श्रीपाद येसो नाईक :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपने फील्ड कार्यालयों को पर्याप्त अवसंरचना दिलाने के संबंध में सी.बी.डी.टी. के समक्ष कितने प्रस्ताव लम्बित हैं और ये कब से लम्बित हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान करने और इनके कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण है;

(ग) क्या सी.बी.ई.सी. की तर्ज पर वर्ष 2004-05 में सी.बी.डी.टी. के कल्याण फंड को बजटीय सहायता प्रदान की गई है; और

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) वर्ष 1993 से लेकर आज तक बड़े निर्माण कार्यों तथा परिसरों को किराए पर लेने से संबंधित लम्बित प्रस्तावों की कुल संख्या 122 है।

(ख) तकनीकी विनिर्देशनों, क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित परियोजनाओं के औचित्य एवं अनिवार्यता और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, वित्त मंत्रालय का आंतरिक वित्त एकक, स्थायी वित्त समिति तथा गैर-योजनागत व्यय के लिए समिति जैसी बाह्य एजेंसियों से संबंधित प्रक्रियात्मक तकनीकियों के कारण बहुत से प्रस्ताव निपटान के लिए लम्बित हैं।

(ग) जी, नहीं। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की कल्याण निधि के लिए बजटीय सहायता प्रदान करने हेतु प्रस्ताव पर इस समय विचार किया जा रहा है।

(घ) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण

1378. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते :**
डा. चिन्ता मोहन :
श्री भर्तृहरि महताब :
श्री रामजीलाल सुमन :
श्री मुन्शी राम :
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण :
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :
श्री सुनील खां :
श्रीमती अनुराधा चौधरी :
श्री प्रभुनाथ सिंह :
श्री रघुनाथ झा :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :
श्री रामदास आठवले :
श्रीमती जयाप्रदा :
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :
श्री राजेश वर्मा :
श्री नरेश कुमार कुशवाहा :
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल :
श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री वाई.जी. महाजन :
श्री इलियास आजमी :
श्री ए. साई प्रताप :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री नारायण चन्द्र बरकटकी :
श्री राजनरायन बुधौलिया :
श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार :
श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विद्युत क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम की खामियों का जिक्र किया है जैसा कि दिनांक 26-01-2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने उक्त कार्यक्रम पर कई आपत्तियां उठाई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु नया कार्यक्रम तैयार किया है;

(ङ) अब तक देश में कितने प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण

किया गया है और गत तीन वर्षों के दौरान इस पर वर्षवार और राज्यवार कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(च) वर्ष 2005-2006 और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अन्तर्गत कितने गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है और इस पर राज्यवार कुल कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) अगले पांच वर्षों में आवासीय विद्युतीकरण को पूरा करने के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक नई स्कीम अनुमोदित की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी—

(i) 33/11 के.वी. या 66/11 के.वी. के उप-केन्द्रों का ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन का निर्माण।

(ii) ग्राम विद्युत अवसंरचना का सृजन।

(iii) विकेन्द्रित वितरण एवं आपूर्ति प्रणाली।

गरीबी रेखा से नीचे के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए 100% अनुदान दिया जाएगा।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(च) वर्ष 2005-06 के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

[अनुवाद]

कर अपवंचन के मामले

1379. श्री अखिलेश यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा निर्धारित निगमित कम्पनियों के कर वंचन के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग और आय कर अपीलीय अधिकरण द्वारा कितने मामले निपटाए गए और आयकर अधिकरणों के पास लम्बित कम्पनियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) और (ख) सूचना देश भर में स्थित क्षेत्रीय एककों से एकत्र की जा रही है तथा समेकित होने के उपरान्त सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

हाई टैक क्लॉथ

1380. श्री निखिल कुमार चौधरी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आने वाले दिनों में हाईटैक क्लॉथ की बड़ी मांग होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारतीय वस्त्र उद्योग को "हाई टैक" बनाने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) (1) उच्च प्रौद्योगिकी के वस्त्रों सहित तकनीकी वस्त्रों की महत्ता स्वीकार करते हुए वस्त्र मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्रों की वृद्धि और विकास के लिए एक कार्य योजना तैयार करने के वास्ते तकनीकी वस्त्रों संबंधी विशेषज्ञ समिति गठित की। इस समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ देश में तकनीकी वस्त्रों के संवर्धन के लिए सहायक वातावरण तैयार करने के लिए 5 वर्षीय कार्य योजना का सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(2) तकनीकी वस्त्र संबंधी विशेषज्ञ समिति (ईसीटीटी) के सुझावों की जांच की गई है और उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है। ई सी टी टी की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में वस्त्र आयुक्त द्वारा परामर्शदाताओं का एक पैनल गठित किया जाना है ताकि उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना की जा सके और तकनीकी वस्त्र उद्योग की वृद्धि एवं विकास की मानीटरिंग की जा सके।

[अनुवाद]

भारतीय जीवन बीमा निगम में वेतन वृद्धि

1381. श्री चन्द्र भूषण : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने कर्मचारियों हेतु दो भाग वेतन वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। भारतीय जीवन बीमा निगम ने पिछला वेतन संशोधन पैटर्न के अनुसार दो भागों में वेतन वृद्धि का प्रस्ताव रखा है। इसमें सामान्य वेतन संशोधन और उत्पादकता सहबद्ध एकमुश्त प्रोत्साहन शामिल हैं।

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम से संबंधित वेतन संशोधन विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के साथ परामर्श करके समझौता वार्ता के काफी आगे के चरण पर है और इस समय इस संबंधी ब्यौरा प्रकट करना उपयुक्त नहीं होगा।

हैंडपम्पों का लगाया जाना

1382. श्री पी. चलपति राव : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त हैंडपम्प लगाने का है जिसका औसत अनुपात प्रति पम्प 250 से अधिक व्यक्ति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) से (ग) जल राज्यों का विषय है और राज्य सरकारें ग्रामीण बसावटों में पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए हैंडपंप लगाने सहित अपनी-अपनी ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की योजना बनाती हैं, उन्हें मंजूरी देती हैं और उन्हें कार्यान्वित करती हैं। तथापि, केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करती है। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में मैदानी क्षेत्रों में 1.6 कि.मी. के भीतर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 100 मी. की चढ़ाई तक किसी स्रोत से प्रति व्यक्ति प्रति दिन 40 लीटर जल का प्रावधान हैं प्रति मिनट 12 लीटर जल की सामान्य खपत के हिसाब से प्रत्येक 250 व्यक्तियों के लिए एक हैंडपंप का अनुमान लगाया गया है।

राज्य में उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार कवर न की गई तथा आंशिक रूप से कवर की गई सभी ग्रामीण बसावटों को कवर करने के बाद मैदानी क्षेत्रों में 0.5 कि.मी. के भीतर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में 50 मी. की चढ़ाई तक किसी स्रोत से प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर जल प्रदान करने के लिए मानदण्डों में छूट दी जा सकती है। यह छूट इस शर्त के अधीन होगी कि छूट प्राप्त मानदण्डों के लाभार्थी पूंजी लागत का कम से कम 10% वहन करें और संचालन और रख-रखाव की जिम्मेवारी लें।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विशेष अनुदान

1383. श्री चन्द्रभान सिंह :
श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन :
श्री गणेश सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की मध्य प्रदेश हेतु 9450 करोड़ रुपये लागत वाली शतप्रतिशत विद्युतीकरण योजना केन्द्र सरकार के पास लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जा रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थितियां अन्य राज्यों की तुलना में अलग होने की वहज से इसे 40 प्रतिशत से अधिक अनुदान सहायता देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) से (ङ) अगले पांच वर्षों में आवासीय विद्युतीकरण को पूरा करने के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक नई स्कीम अनुमोदित की गई है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित के लिए 90% पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी—

(i) 33/11 के.वी. या 66/11 के.वी. के उप-केन्द्रों का ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन का निर्माण।

(ii) ग्राम विद्युत अवसंरचना का सृजन।

(iii) विकेन्द्रित वितरण एवं आपूर्ति प्रणाली।

गरीबी रेखा से नीचे के सभी गैर-विद्युतीकृत घरों के विद्युतीकरण के लिए 100% अनुदान दिया जाएगा।

इस स्कीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार अनुदान प्राप्त कर सकती है।

टीएचडीसी के विस्थापितों का पुनर्वास

1384. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी हाइड्रो डवलपमेंट कारपोरेशन (टीएचडीसी) बांध, उत्तरांचल के निर्माण के कारण विस्थापित हुए परिवारों के पुनर्वास का काम पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इन परिवारों को किन स्थानों पर पुनः बसाया गया है;

(ग) क्या इन स्थानों पर उन्हें पर्याप्त नागरिक सुविधाएं मुहैय्या कराई गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कुल कितना व्यय हुआ है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) पुराने टिहरी शहर में रह रहे 5291 शहरी परिवारों का पुनर्वास कर दिया गया है और उन्हें न्यू टिहरी शहर, अजबपुरकलान, केदारपुरम, नेहरूपुरम आदि में बसाया गया है।

5429 पूर्णतः परियोजना प्रभावित ग्रामीण परिवारों में से 4581 परिवारों को भूमि आवंटन/नकदी क्षतिपूर्ति के जनिए अब तक पुर्नवसन किया जा चुका है। ईएल 780 मीटर तक रह रहे ग्रामीण परिवारों का पुनर्वास कर दिया गया है और इन्हें भानेवाला, रायवाला, बनजारावाला, देहराखास, अटाकफार्म, परवल, पुशूल्दक, रामपुर रोह तथा पाथरी रोह में बसाया गया हैं ईएल 780 मीटर से 840 मीटर तक के लोगों का पुनर्वास परियोजना निर्माण और जलाशय-भराव के साथ-साथ किया जाएगा।

(ग) उत्तरांचल सरकार द्वारा पुनःस्थापन और पुनर्वास कार्य की देखरेख टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त निधियों से की जा रही है। एक आकर्षक और उदार पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया है, जिसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है। न्यू टिहरी शहर में शिक्षा के लिए सभी आधुनिक (सुविधाएं (आईटीआई और एक विश्वविद्यालय समेत), अस्पताल, वित्तीय संस्थान, जिला प्रशासन कार्यालय, बाजार, बस स्टैन्ड और पूजा-स्थल मौजूद हैं। सभी ग्रामीण पुनर्वास कॉलोनियों में विद्युत, सिंचाई, पाइप के जरिए पेय जल, सड़क, स्कूल, औषधालय, पूजा-स्थल जैसी नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

(घ) 28.02.2005 तक पुनर्वास एवं पुनःस्थापन पर 989.48 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण

1385. श्री गिरिधारी लाल भार्गव :
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निजी विद्युत वितरक कंपनियां देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति करने में बिल्कुल अनिच्छुक है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में इनके योगदान का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

भविष्य निधि का निवेश

1386. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य निधि के निवेश हेतु दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त निधि के निवेश के परिणामस्वरूप कितनी धनराशि संग्रहीत होने की संभावना है; और

(घ) उपरोक्त दिशा-निर्देशों के आधार पर उक्त निधि की कितनी वार्षिक औसत धनराशि का निवेश किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) गैर सरकारी भविष्य निधियों, सेवानिवृत्ति निधियों और उपदान निधियों द्वारा निवेश के लिए व्यापक अवसर प्रदान करने के दृष्टिगत निवेश की पद्धति को संशोधित कर दिया गया है। संशोधित पद्धति के अनुसार, जो दिनांक 1.04.2005 से लागू है, उन कंपनियों, जिनके पास दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से निवेश ग्रेड ऋण रेटिंग है, के शेयरों में कुल पोर्टफोलियों के 5% तक की राशि और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित म्यूचुअल फण्डों की इक्विटी सहबद्ध योजनाओं में तथा निवेश ग्रेड रेटिंग वहन करने वाली ऋण लिखतों में 10% तक की राशि का निवेश करने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) यह संशोधित पद्धति दिनांक 1.4.2005 से प्रभावी होगी। निवेश संबंधी विकल्पों को जोखिम और प्राप्ति के मूल्यांकन के आधार पर न्यासियों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। वास्तविक प्राप्तियां बाजार शक्तियों जैसे अनेक घटकों पर निर्भर करती हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीयकृत बैंकों को कम करना

1387. श्री राम कृपाल यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं को कम करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो कितने बैंकों ने अपनी शाखाओं की संख्या कम करने की अनुमति दी है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत किन्हीं ग्रामीण शाखाओं को भी बंद किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह सूचित किया है कि इसने बैंकों को अपनी पसन्द के स्थान पर नई शाखाएं खोलने तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना शहरी एवं महानगरीय केन्द्रों (एसएसआई/एसआईबी तथा कृषि विकास शाखा को छोड़कर) में अपनी अलाभकारी शाखाएं बन्द करने की पर्याप्त स्वतंत्रता दी है। यह भी सूचित किया गया है कि बैंकों को कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में अर्द्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी हानि उठाने वाली शाखाओं को विलय/बन्द करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। तथापि, गत दस वर्ष के दौरान ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी एवं शहरी शाखाओं की कुल संख्या में कोई गिरावट नहीं आई है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि तीन बैंकों नामत: इंडियन बैंक, यूको बैंक तथा युनाइटेड बैंक आफ इंडिया को सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित कमजोर बैंकों की "पुनर्गठन योजना" के तहत अपनी हानि उठाने वाली ग्रामीण शाखाओं को बन्द/विलय करके अपने शाखा नेटवर्क को युक्तियुक्त बनाने की अनुमति दी गई थी जिससे ग्रामीण केन्द्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित हुए बिना उनका व्यय कम हो सके।

[हिन्दी]

ऑन-लाइन कर निर्धारण

1388. श्री पंकज चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने करदाताओं की सुविधा हेतु वित्तीय वर्षों में ऑन-लाइन कर निर्धारण प्रणाली (ओ.एल.टी.ए.एस.) की शुरूआत की है;

(ख) क्या ऐसी शिकायतें मिली हैं कि यह प्रणाली दोषपूर्ण साबित हुई है और इस प्रणाली के माध्यम से जमा किए गए लाखों करदाताओं के कर चालान की राशि उनके खातों से निकाली नहीं गयी है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दोष को दूर करने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी हां। ऑन लाइन कर लेखांकन प्रणाली 1 जून, 2004 से आरम्भ की गई थी।

(ख) और (ग) बैंकों द्वारा डाटा प्रविष्टि की त्रुटियां तथा अपूर्ण डाटा अपलोडिंग की घटनाएं सामने आई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने

सभी नामोद्दिष्ट बैंकों को यथा समय और पूर्ण ऑन-लाइन कर-निर्धारण प्रणाली के आंकड़ों की सही अपलोडिंग करने के अनुदेश जारी किए हैं।

[अनुवाद]

भारत और जापान द्वारा दोहरे कराधान से बचने की संधि

1389. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री विजय कृष्ण :
श्री बाडिगा रामकृष्ण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-जापान को दोहरे कराधान से बचने की संधि पर पुन: बातचीत करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 90 के अंतर्गत निहित अधिकार के नाते केन्द्र सरकार को दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार को निष्पन्न करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1989 में जापान सरकार के साथ दोहरे कराधान के परिहार संबंधी एक करार को निष्पन्न किया गया था जिसे दिनांक 01.03.1990 की सा.का.नि.सं. 101 (अ) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया। भारत सरकार और जापान सरकार ने इस संधि पर पुन: बातचीत करने का निर्णय लिया है।

(ग) पुन: बातचीत करने की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है।

प्रबंधकीय पारिश्रमिक योजना

1390. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या कंपनी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबंधकीय पारिश्रमिक योजना के अंतर्गत दिए गए काफी संख्या में आवेदन मंत्रालय के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन बकाया आवेदनों को निपटाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता) : (क) और (ख) 28.2.2005 को 211 आवेदन लम्बित हैं।

(ग) अधिकांश बकाया का कारण आवेदनों के साथ प्राप्त हुई अधूरी सूचनाएं या सुरक्षा अनापत्ति समाशोधन और आवेदन कर्ताओं के द्वारा कमियों का जवाब देने में लिया गया समय हैं। निर्धारित आवेदन फार्मों में विस्तृत रूप से संशोधन और ई-शासन कार्यक्रम के लिए सरलीकृत किया जा रहा है और पिछले सन्दर्भों की आवश्यकता कम से कम होगी जिससे बकाया (बैकलॉग) में कमी आएगी।

[हिन्दी]

कम्पनी कानूनों का उल्लंघन

1391. श्री सुनिल कुमार महतो :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी कानूनों का उल्लंघन करने हेतु शेयर का कारोबार करने वाली विभिन्न कंपनियों के विरुद्ध जांच करा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कंपनियों के नाम क्या है; और

(ग) शेयर कंपनियों द्वारा किए गए घोटालों में कुल कितनी धनराशि शामिल है?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेम चन्द गुप्ता) : (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 क के अन्तर्गत स्टाक बाजार व्यापार में लिप्त 96 कंपनियों का निरीक्षण किया गया था। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 235/237 के अन्तर्गत 17 कंपनियों के बारे में जांच के आदेश दिए गए थे। इन, उक्त कंपनियों की सूची संलग्न विवरण में है।

(ग) स्टाक बाजार घोटाला, 2001 पर जे पी सी रिपोर्ट में उक्त घोटाले में शामिल होने के कारण कारपोरेट समूह. बैंको, वित्तीय संस्थानों आदि से 3323 करोड़ रु. की राशि की केतन पारिख एनटिटी द्वारा प्राप्त राशि के रूप में पहचान की है।

विवरण

हाल के बाजार घोटाले से संबंधित सेबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आदेश किए गए निरीक्षण

केतन पारेख ग्रुप

1.	मैसर्स एन एच सिक्यूरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
2.	मैसर्स ट्रायम्फ इंटरनेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
3.	मैसर्स क्लासिक शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
4.	मैसर्स केएनपी सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
5.	मैसर्स वीएन पारेख सिक्यूरिटीज प्राइवट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
6.	मैसर्स पैंथर फिनकेप मेनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
7.	मैसर्स पैंथर इनवसट्रेड लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
8.	मैसर्स क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
9.	मैसर्स साइमंगल इनवसट्रेड लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
10.	मैसर्स क्लासिक इनफिन लिमिटेड	पूर्वी क्षेत्र
11.	मैसर्स पैंथर इंडिस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
12.	मैसर्स गोल्डफिश कम्प्यूटर प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
13.	मैसर्स नक्षत्र सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
14.	मैसर्स चित्रकूट कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
15.	मैसर्स लूमिनेन्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
16.	मैसर्स ट्रायम्फ सिक्यूरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र

निर्मल बंग ग्रुप

17.	मैसर्स बामा सिक्यूरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
18.	मैसर्स निर्मल बंग सिक्यूरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
19.	मैसर्स बंग इक्यूटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
20.	मैसर्स बंग सिक्यूरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
21.	मैसर्स नादी फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र

शंकर शर्मा एण्ड देवीना मेहरा ग्रुप

22.	मैसर्स फस्ट ग्लोबल फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र
23.	मैसर्स फस्ट ग्लोबल स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र
24.	मैसर्स वृद्धि कनफिनवेस्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र

शैलेश शाह ग्रुप

25.	मैसर्स दौलत कैपिटल मार्केट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
26.	मैसर्स निर्पन सिक्यूरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
27.	मैसर्स शैलेश शाह सिक्यूरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र

राधा कृष्ण दामिनी ग्रुप

28.	मैसर्स दामिनी शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
29.	मैसर्स महेश्वरी इक्यूटी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
30.	मैसर्स झुनझुनवाला स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
31.	मैसर्स प्रतीक स्टॉक वीज़न प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
32.	मैसर्स दामिनी स्टेटस एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
33.	मैसर्स ब्राइट स्टार इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
34.	मैसर्स कृष्णा सिक्यूरिटीज लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र
35.	मैसर्स एवेन्यू स्टॉक ब्रोकर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र

अजय कैथन ग्रुप

36. मैसर्स सी मैकेरटिक लिमिटेड — पूर्वी क्षेत्र
37. मैसर्स एसएमआईएफएस सिक्यूरिटीज लिमिटेड — पूर्वी क्षेत्र
38. मैसर्स स्टेवर्ट सिक्यूरिटीज लिमिटेड — पूर्वी क्षेत्र
39. मैसर्स माया ट्रेडा लिंक लिमिटेड — पूर्वी क्षेत्र
40. मैसर्स पॉवरफ्लो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड — पूर्वी क्षेत्र
41. मैसर्स मैकेरटिक कन्सलटेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड — पूर्वी क्षेत्र
42. मैसर्स पीएनआर सिक्यूरिटीज लिमिटेड — उत्तरी क्षेत्र

कन्सोरटियम ग्रुप

43. मैसर्स कन्सोरटियम सिक्यूरिटीज लिमिटेड — उत्तरी क्षेत्र
44. मैसर्स सीएसएल सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड — उत्तरी क्षेत्र
45. मैसर्स सीएसएल स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड — उत्तरी क्षेत्र

बीएलबी ग्रुप

46. मैसर्स बीएलबी लिमिटेड — उत्तरी क्षेत्र

राठी ग्रुप

47. मै. राठी ग्लोबल फाईनेंस लि. — उत्तरी क्षेत्र
48. मै. आनंद राठी सिक्युरिटीज प्रा. लि. — पश्चिम क्षेत्र
49. मै. नवरत्न कैपिटल एंड सिक्युरिटीज प्रा. लि. — पश्चिम क्षेत्र
50. मै. राठी कैपिटल एंड सर्विसेज प्रा. लि. — पश्चिम क्षेत्र
51. मै. अमित कैपिटल एंड सिक्युरिटीज प्रा. लि. — पश्चिम क्षेत्र
52. मै. पुष्प कैपिटल एंड सिक्युरिटीज प्रा. लि. — पश्चिम क्षेत्र
53. मै. गेरार्ड वेगस फिनवेस्ट प्रा. लि. — पश्चिम क्षेत्र
54. मै. हितकारी फिनवेस्ट प्रा. लि. — पश्चिम क्षेत्र
55. मै. प्रीतराज फिनवेस्ट प्रा. लि. — पश्चिम क्षेत्र
56. मै. सुरेश राठी सिक्युरिटीज प्रा. लि. — पश्चिम क्षेत्र

जी टेली ग्रुप

57. मै. जी टेलीफिल्म लि. — पश्चिम क्षेत्र
58. मै. सीटीकेबल नेटवर्क प्रा. लि. — पश्चिम क्षेत्र
59. मै. डीजिटल सुपरहाईवे — पश्चिम क्षेत्र
60. मै. ब्रीग्स ट्रेडिंग कं. प्रा. लि. — पश्चिम क्षेत्र
61. मै. प्रजातमा ट्रेडिंग कं. प्रा. लि. — पश्चिम क्षेत्र
62. मै. चुरू ट्रेडिंग कं. प्रा. लि. — पश्चिम क्षेत्र
63. मै. गंजम ट्रेडिंग कं. प्रा. लि. — पश्चिम क्षेत्र

अन्य कंपनियां

64. मै. जी गोल्ड रिफाइनरी लि. — पश्चिम क्षेत्र
65. मै. पालोम्ब सिक्युरिटीज एंड फाइनेंस लि. — पश्चिम क्षेत्र
66. मै. ग्लोबल टेलीसिस्टम्स लि. — पश्चिम क्षेत्र
67. मै. हिमाचल फ्युचरीस्टिक कम्युनिकेशन लि. — उत्तरी क्षेत्र
68. मै. बर्लिंगटन फाईनेंस लि. — पूर्वी क्षेत्र
69. मै. डीएसक्यू सॉफ्टवेयर लि. — दक्षिणी क्षेत्र
70. मै. पेंटामिडिया ग्राफिक्स लि. — दक्षिणी क्षेत्र
71. मै. निरमा लि. — पश्चिम क्षेत्र
72. मै. रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि. — उत्तरी क्षेत्र
73. मै. कोपरन लि. — पश्चिम क्षेत्र
74. मै. अदानी एक्सपोर्ट लि. — पश्चिम क्षेत्र
75. मै. लुपीन लेबोरेट्रीज लि. — पश्चिम क्षेत्र
76. मै. पदमीन पोलिमर्स लि. — उत्तरी क्षेत्र
77. मै. शोन्ख टेकनोलॉजिज लि. — उत्तरी क्षेत्र
78. मै. अमर राजा बैटरीज लि. — दक्षिणी क्षेत्र
79. मै. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि. — दक्षिणी क्षेत्र
80. मै. मोनेश कंसलटेंसी प्रा. लि. — पश्चिम क्षेत्र

81.	मै. मोनकॉन इंमेस्टमेंट लि.	पश्चिम क्षेत्र
82.	मै. मनमंदिर एस्टेट डेवलपर्स (प्रा.) लि.	पश्चिम क्षेत्र
83.	मै. क्रेडिट श्वीस फर्स्ट बोस्टन (आई) सिक्युरिटीज प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
84.	मै. जे.एम मोरगन स्टेनली सिक्युरिटीज प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
85.	मै. जे.एम. मोरगन रिटेल सर्विसेज प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
86.	मै. एफटेक इन्फोसिश लि.	पश्चिम क्षेत्र
87.	मै. सिल्वरलाईन इ. लि.	पश्चिम क्षेत्र
88.	मै. डो जोन्स इंमेस्टमेंटस एंड कंसल्टेंट्स प्रा. लि.	पूर्वी क्षेत्र
89.	मै. अरीहट इग्जीम स्क्रीप प्रा. लि.	पूर्वी क्षेत्र
90.	मै. त्रीपोली कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.	पूर्वी क्षेत्र
91.	मै. खेनामी सिक्युरिटीज प्रा. लि.	पूर्वी क्षेत्र
92.	मै. एस.एस.आई लि.	दक्षिणी क्षेत्र
93.	मै. साईबरस्पेश लि.	उत्तर क्षेत्र
94.	मै. पृथ्वी ब्रोकर्स एंड शेयरहोल्डिंग्स प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
95.	मै. बियानी सिक्युरिटी प्रा. लि.	पूर्वी क्षेत्र
96.	मै. सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लि.	दक्षिणी क्षेत्र

हाल में हुए बाजार घोटाले से जुड़ी सेबी की प्राथमिक जांच रिपोर्ट पर आधारित आदेशित निरीक्षण

क्र.स.	कंपनी का नाम
1	2
1.	मैसर्स पैंथर इंडस्ट्रीयल प्रा. लि.
2.	मैसर्स लुमिनेन्ट इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
3.	मैसर्स गोल्डफिश कंप्युटर प्रा. लि.
4.	मैसर्स पैन्थर फिनकैप एंड मैनेजमेन्ट सर्विसेज लि.
5.	मैसर्स मनमंदिर एस्टेट डेवलपर्स प्रा. लि.
6.	मैसर्स क्लासिक शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसज लि.
7.	मैसर्स क्लासिक क्रेडिट लि.
8.	मैसर्स एन.एच. सिक्युरिटीज लि.
9.	मैसर्स चित्रकुट कंप्युटर्स प्रा. लि.
10.	मैसर्स नक्षत्रा सॉफ्टवेयर प्रा. लि.
11.	मैसर्स पैंथर इन्वेस्ट्रेड लि.
12.	मैसर्स ट्रायम्फ इंटरनेशनल एंड फाइनेंस इंडिया लि.
13.	मैसर्स के.एन.पी. सिक्युरिटीज प्रा. लि.
14.	मैसर्स वी.एन. पारेख सिक्युरिटीज प्रा. लि.
15.	मैसर्स साईमंगल इन्वेस्ट्रेड लि.
16.	मैसर्स ट्रायॅम्फ सिक्युरिटीज लि.
17.	मैसर्स डी एस क्यू सॉफ्टवेयर लि.

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल की परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता

1392. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी विदेशी सहायता दी गयी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इन निधियों के उपयोग की निगरानी करती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) विभिन्न राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्यों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (एसीए) के रूप में धनराशि जारी की जाती है। पश्चिम बंगाल में विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए

पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित की गई एसीए राशि निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए)

2001-02	2002-03	2003-04
470.55	526.988	592.693

(ख) और (ग) विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनके लिए निर्धारित धनराशि के उपयोग की मानीटरिंग राज्य तथा केन्द्रीय सरकार दोनों के स्तर पर की जाती है। परियोजना कार्यान्वयन अधिकारियों, राज्य सरकार की परियोजना मानीटरिंग यूनिटों तथा संबंधित प्रशासनिक केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ आर्थिक कार्य विभाग द्वारा भी समय-समय पर इन परियोजनाओं की मानीटरिंग की जाती है।

[हिन्दी]

जल विद्युत के उत्पादन में कमी

1393. **श्री सज्जन कुमार** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में नदियों का जलस्तर कम होने की वजह से विद्युत उत्पादन में कमी आयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जलस्तर में गिरावट की वजह से विद्युत उत्पादन में कितने प्रतिशत की कमी आयी है;

(ग) उन नदियों का ब्यौरा क्या है जिनके जलस्तर में गिरावट आ रही है; और

(घ) इस समस्या को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) जल विद्युत केन्द्रों पर विद्युत का उत्पादन पानी की उपलब्धता पर जो कि हिमाच्छादित हिमालय नदियों पर स्थित केन्द्रों पर हिमपात के साथ-साथ बारिश के पानी संकलन पर निर्भर करती है।

जल विद्युत केन्द्रों के मामलों में केन्द्रीय एवं दक्षिणी क्षेत्रीय कुछ नदियों पर स्थित एचई स्टेशनों पर पानी की उपलब्धता में काफी गिरावट आई है जिसके फलस्वरूप पानी के बहुउद्देशीय उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जलविद्युत केन्द्रों पर पानी की उपलब्धता में विसंगति के पहलू को विद्युत केन्द्रों के योजना/डिजाईन द्वारा विचार-विमर्श हेतु लिया गया है। पानी की उपलब्धता में आई कमी को गत कुछ वर्षों के दौरान देश में खराब मानसून के साथ-साथ वर्ष 2003-04 के दौरान वर्षा में कमी के कारण महसूस किया गया।

गत पांच वर्षों के दौरान देश में जल विद्युत केन्द्रों पर बिजली के उत्पादन की स्थिति मिली जुली रही। पांच वर्षों में हुए क्षेत्रवार/अखिल भारतीय बिजली के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

वर्ष 2004-05 (फरवरी 2005 तक) की अवधि के दौरान जल विद्युत केन्द्रों पर विद्युत का वास्तविक रूप से उत्पादन 2003-04 को अनुवर्ती अवधि की तुलना में 9864 मि.यू. (जोकि 14.5%) तथा 2002-03 की तुलना में 2003-04 के दौरान 9941 मि.यू. (15.6%) अधिक रहा है।

विवरण

2000-01 से 2004-05 के दौरान अखिल भारतीय विद्युत उत्पादन

क्षेत्र/राज्य/यूटिलिटी क्षेत्रवार	2000-01		2001-02		2002-03		2003-04		2004-05	
	विद्युत उत्पादन मि.यू.	पिछले वर्षों में विद्युत उत्पादन का %	विद्युत उत्पादन मि.यू.	पिछले वर्षों में विद्युत उत्पादन का %	विद्युत उत्पादन मि.यू.	पिछले वर्षों में विद्युत उत्पादन का %	विद्युत उत्पादन मि.यू.	पिछले वर्षों में विद्युत उत्पादन का %	वास्तविक उत्पादन (फरवरी, 05 तक)	पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अखिल भारत	74481	92.4	73940	99.3	63834	86.3	73775	115.6	77880	114.5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उत्तरी	29126	91.7	29233	100.4	30221	103.4	37288	123.4	33264	96.2
पश्चिमी	7072	79.3	7796	110.2	8063	103.4	9393	116.5	9705	112.2
दक्षिणी	30283	93.6	26917	88.9	18465	68.6	16670	90.3	23083	152.4
पूर्वी	5809	103.3	7828	134.8	4487	57.3	7304	162.8	7715	116.4
उत्तर-पूर्वी	2191	111.3	2166	98.9	2598	119.9	3120	120.1	4113	136.9

[अनुवाद]

आर्थिक सुधार

1394. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के साथ राज्य के प्रशासनिक और आर्थिक सुधार करने के लिए अपने व्यय के भार का प्रतिकर करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों में किस सीमा तक सुधार हुए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) स्मझौता ज्ञापन पर 18.5.2004 को हस्ताक्षर किए गए थे। प्रावधानों का संक्षिप्त ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) समझौता ज्ञापन को लागू हुए अभी एक वर्ष से भी कम समय हुआ है और राजकोषीय एवं प्रशासनिक मामलों में सुधार का कोई आकलन नहीं किया गया है। बारहवें वित्त आयोग ने राजकोषीय सुधार सुविधा को समाप्त करने की सिफारिश की है, जिसको भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। समझौता ज्ञापन 31.3.2005 को समाप्त हो जाएगा।

विवरण

हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार के बीच हुए समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का सार

प्रक्रिया संकेतक:—

(I) **व्यय दाब**

(क) सरकारी और पैरा-स्टेटल कर्मचारियों पर होने वाले वेतन संबंधी व्यय भार को कम करना,

(ख) शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी अथवा अन्य संस्थानों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के भार को कम करना,

(ग) विभिन्न क्षेत्रों में सुनिश्चित सब्सिडीज़ के भार को कम करना, और

(घ) भावी ऋण को कम करने और प्रत्याभूतियां देने के संबंध में उपयुक्त नीति बनाकर ब्याज के भार को कम करना।

(II) **राजस्व प्राप्ति को बढ़ाना**

(क) राज्य कर प्राप्तियां सुनिश्चित करते हुए उन्हें मध्यम आवधिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति (एम.टी.एफ.आर.पी.) में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने योग्य बनाना और स्थानीय निकायों की योग्यता बढ़ाना, ताकि वे अपने कार्यों को सम्पन्न कर सकें, और

(ख) आदान लागतों में वार्षिक वृद्धि को दर्शाने के लिए सभी उपभोक्ता प्रभारों की सूची बनाने जैसे उपायों के जरिए प्रायोजित वृद्धि दर प्राप्त करने हेतु राज्य के गैर-कर राजस्व को सुनिश्चित करना।

(iii) गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों का सृजन

(क) पूर्वानुमान अवधि (2000-05) में अदायगी के लिए देय उच्च लागत वाले ऋण को छुड़ाने के लिए उपयुक्त विनिवेश संबंधी कार्य शुरू करना।

भारत सरकार राजकोषीय सुधार सुविधा के तहत उपलब्ध उपयुक्त सहायता के जरिए राजकोषीय सुधारों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में हिमाचल प्रदेश सरकार की अपनी ओर से मदद करेगी।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय कार्यालयों को बन्द करना

1395. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :
श्री संतोष गंगवार :

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और वर्तमान में ये कार्यालय कहां-कहां अवस्थित हैं;

(ग) क्या इन क्षेत्रीय कार्यालयों को बंद किए जाने के पश्चात् इन राज्यों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कतिपय राज्यों ने इस पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकारी की क्या प्रतिक्रिया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) से (च) संस्थापना नीति के एक भाग के रूप में मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना कुछ चयनित राज्यों में, कुल मिलाकर, अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/युक्तियों के लिए बढ़ती हुई मांग के अंतर को पूरा करने के लिए की गई थी, जो या तो राज्य में अनुकूल वातावरण बनने अथवा इस मंत्रालय की ओर से सकारात्मक कार्रवाई करने के फलस्वरूप पैदा हुई थी। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालयों के गठन के समय अधिकांश अक्षय ऊर्जा राज्य नोडल एजेंसियां मौजूद नहीं थीं।

क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए निर्धारित अधिकांश उद्देश्य पूरे हो चुके हैं। चूंकि मंत्रालय में वैज्ञानिकों की काफी कमी है, अतः कुछ ऐसे वैज्ञानिकों की पुनः तैनाती की आवश्यकता महसूस की गई है। तथापि, पुनर्गठन करने में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि राज्यों में प्रगति पर अक्षय ऊर्जा संबंधी राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से लगातार नजर रखी जाए, जिनकी स्थापना विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए की गई है।

ताप विद्युत परियोजनाओं को कोयले की कम आपूर्ति

1396. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :
श्री रायापति सांबासिवा राव :
श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज) :
श्री निखिल कुमार चौधरी :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की ताप विद्युत परियोजनाओं में, विशेषकर तालचर और सिंहाद्री विद्युत परियोजनाओं में कोयले की कम आपूर्ति के कारण विद्युत उत्पादन में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में ताप विद्युत परियोजनाओं को की जाने वाली कोयला आपूर्ति की निगरानी करने हेतु एक अवसंरचना संयमन समिति गठित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मांग के अनुसार विद्युत का उत्पादन करने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) चालू वर्ष में निम्नांकित ताप विद्युत स्टेशनों ने कोयले की कमी के कारण विद्युत उत्पादन में कमी होने की सूचना दी है:

क्र. स.	माह	ताप विद्युत स्टेशन का नाम	उत्पादन में कमी (मि.यू.)
1.	जुलाई, 2004	तालचर एसटीपीएस*	46.40
2.	अगस्त, 2004		—
3.	सितम्बर, 2004	तालचर एसटीपीएस	203.80
4.	अक्टूबर, 2004	तालचर एसटीपीएस	100.99
5.	नवम्बर, 2004	तालचर एसटीपीएस	253.43
6.		तालचर एसटीपीएस**	3.96
7.	दिसम्बर, 2004	तालचर एसटीपीएस	22.60
8.		फरक्का एसटीपीएस	115.07
9.	जनवरी, 2005	कहलगांव एसटीपीएस	104.11
10.		तालचर एसटीपीएस	275.00
11.		तालचर एसटीपीएस	372.20
	वर्ष के दौरान कुल उत्पादन कमी		1497.56

कोयले की कमी के कारण सिंहाद्री में विद्युत उत्पादन में कमी की कोई सूचना नहीं है।

* एसटीपीएस = सुपर थर्मल पावर स्टेशन।

** टीपीएस = थर्मल पावर स्टेशन।

(ग) और (घ) मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव (समन्वय) की अध्यक्षता में अधिकारियों का एक समूह देश में ताप विद्युत स्टेशनों को कोयला उत्पादन और आपूर्ति समेत प्रतिमाह अवसंरचनात्मक अड़चन की समीक्षा करते हैं।

इसके अलावा, उत्पादन में वृद्धि करने के लिए निम्नांकित उपचारी उपाए किए गए हैं—

(i) कोयला मंत्रालय द्वारा देश में कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु योजना बनाना।

(ii) कोयले की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता वाले कोयले की आपूर्ति करने हेतु प्रयास करना।

(iii) कोयले के स्टॉक की स्थिति में सुधार करने हेतु कोयले के आयात में सुधार लाने की योजना बनाना। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा 1.75 लाख टन प्रतिमाह की दर से एक वर्ष में 2.5 मिलियन टन कोयला आयात करने की योजना बनाना।

(iv) पुरानी और अकुशल उत्पादन यूनिटों का नवीकरण, आधुनिकीकरण और सेवा काल विस्तारण करना।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी भविष्य निधियों का निवेश

1397. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर-सरकारी भविष्य निधियों को अपनी परिसंपत्तियों के कतिपय प्रतिशत हिस्से को प्रमुख शेयरों एवं कारपोरेट ऋणों एवं इक्विटी उन्मुख म्युचुअल फंडों में निवेश करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भविष्य निधि ट्रस्टियों को अन्य क्या छूट दी गई है; और

(घ) भविष्य निधि ट्रस्टियों द्वारा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के संभावित दुरुपयोग को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। गैर-सरकारी भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों द्वारा निवेश के लिए और व्यापक अवसर प्रदान करने की दृष्टि से निवेश प्रणाली में संशोधन किया गया है। दिनांक 1.4.2005 से प्रभावी होने वाली संशोधित प्रणाली के अनुसार, कुल पोर्टफोलियो के 5 प्रतिशत तक की राशि उन कम्पनियों के शेयरों में जिनके पास दो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा की गई निवेश ग्रेड की ऋण रेटिंग हो और 10 प्रतिशत तक की राशि निजी क्षेत्र के निवेश ग्रेड की रेटिंग वाले ऋण लिखतों तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनियमित म्युचुअल फंडों की इक्विटी-सम्बद्ध योजनाओं में निवेशित किए जाने की अनुमति दी गई है।

(ग) और (घ) निवेश प्रणाली इस तरह से तैयार की गई है

कि भविष्य निधियों, अधिवर्षिता निधियों और उपदान निधियों को सुरक्षित प्रतिफल प्रदान करने पर ज्यादा बल दिया जाए। लेकिन, निधियों को जोखिमपूर्ण लिखितों में भी निवेश करने का अधिकार प्रदान किया गया है बशर्ते कि न्यासियों द्वारा जोखिमपूर्ण प्रतिफल के समझौतापूर्ण तालमेल का मूल्यांकन किया जाए। ये निधियां तथा उनके न्यासी पुनः उन संबंधित अधिनियमों के सुरक्षा उपबंधों के अधीन होंगे जिनके तहत वे स्थापित किए गए हैं।

सहकारी बैंकों को पुनः सक्रिय बनाना

1398. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय सहकारी बैंक कर्मचारी परिसंघ ने सहकारी बैंकों को पुनः सक्रिय बनाने की मांग करते हुए एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रजाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय सहकारी बैंक कर्मचारी संघ (एआईसीबीईएफ) ने सहकारी बैंकों पर दोहरे नियंत्रण को समाप्त करने, बैंककारी विनियमन (संशोधन) एवं प्रकीर्ण उपबंध विधेयक को लागू करना, सहकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण एवं पुनर्गठन, सहकारी बैंकों के लिए अनुपयोज्य आस्ति (एनपीए) मानदंडों को उदार बनाने, इत्यादि से संबंधित अपनी मांगें सौंप दी थीं। संघ द्वारा सौंपे गए ज्ञापन की सहकारी बैंकिंग प्रणाली में अपेक्षित सुधार की जांच करने के लिए प्रो.ए. वैद्यनाथन की अध्यक्षता में गठित कार्य बल के सदस्य सचिव को अग्रेषित कर दिया गया। कार्य बल ने उसके पश्चात अपनी रिपोर्ट सौंप दी है तथा सरकार ने राज्य सरकारों से परामर्श कर लागू करने हेतु इसे सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

सावधि जमा पर बोनस

1399. **श्री पुन्नूलाल मोहले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छोटे निवेशकों के हित में बैंकों में सावधि जमा पर कतिपय निर्धारित समयावधि के पश्चात ब्याज के अलावा बोनस उपलब्ध कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो जमा पर ब्याज की लगातार घटती दरों के मद्देनजर छोटे निवेशकों के हितों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

जाली पैन कार्ड बनाने वाला गिरोह

1400. **श्री पी.के. वासुदेवन नायर :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंकड़ों में फेर-बदल कर जाली स्थायी खाता संख्या (पैन) बनाने और बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि इस मामले में विभिन्न आयकर कार्यालयों में पैन कार्ड बनाने में उनकी सहायता करने हेतु रखे गए फ्रीलांस डाटा-एंट्री आपरेटरों को दोषी पाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आयकर अधिकारियों ने इस कार्य को किसी अन्य को सौंपने के दौरान सरकारी आंकड़ों के मुक्त ऑपरेटरों को उपलब्ध कराने के खतरे के बारे में चेतावनी दी थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) कतिपय निजी व्यक्तियों द्वारा दिल्ली स्थित कुछ कर-निर्धारण अधिकारियों के संकेत शब्द को अनधिकृत रूप से प्राप्त करके आंकड़ों में फेर-बदल करने की एक घटना दिसम्बर, 2004 में आयकर विभाग की जानकारी में आयी थी।

(ख) इस मामले से संबंधित व्यक्तियों को इस विभाग द्वारा किराए पर नहीं लिया गया था।

(ग) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

(घ) विभागीय पैन डाटाबेस को प्राप्त करने के लिए किसी फ्रीलांस डाटा-एंट्री आपरेटर को प्राधिकृत नहीं किया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

डाभोल विद्युत परियोजना

1401. श्री रामजीलाल सुमन :
डा. चिन्ता मोहन :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और विदेशी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों ने डाभोल विद्युत परियोजना में निवेश किया है;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 2004 के अंत तक प्रत्येक संस्था द्वारा उक्त परियोजना में कुल कितना निवेश किया गया है;

(ग) इस परियोजना को शुरू करने हेतु कितनी अनुमानित धनराशि की अभी भी आवश्यकता है; और

(घ) उक्त संस्थाओं में से उन संस्थाओं के नाम क्या है जिन्होंने अपने धन का वापस भुगतान करने के लिए कहा है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) से प्राप्त सूचना के अनुसार सभी ऋणदाताओं से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने डाभोल विद्युत परियोजना से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने के लिए अधिकार प्राप्त मंत्रिमसूह का गठन किया गया है। इस समूह की कई बार बैठकें हो चुकी है और यह डाभोल परियोजना के पुनर्गठन के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा हैं मंत्रिसमूह सभी आवश्यक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए परियोजना के पुनर्गठन संबंधी ब्यौरे तैयार करेगा।

विवरण

ए. डाभोल पावर कंपनी (डीपीसी)-ऋणदाताओं का प्रकटीकरण

चरण-1

क्र. स.	विवरण	स्वीकृत राशि	राशि ओ/एस	अभ्युक्तियां
	आँफ शोर (मिलियन अमरीकी डॉलर)			
1.	यूएस एक्ज़िम बैंक	298	107	आईएफआई द्वारा गारंटी प्राप्त
2.	आँफ शोर बैंक	150	90	टर्मिनेशन भुगतान का काउंटर गारंटी भारत सरकार द्वारा
3.	ओपीआईसी ऋण	100	78	टर्मिनेशन भुगतान की काउंटर गारंटी भारत सरकार द्वारा
	उप जोड़	548	275	
	घरेलू (करोड़ रुपये)			
4.	आईएफआई के रुपये आवधिक ऋण	306.0	205.4	बैंक आँफ अमेरिका के रुपये ऋण सहित

ख. फेज-II

क्र. सं.	विवरण	स्वीकृत	वितरित ओ/एस	वितरण के लिए शेष	अभ्युक्तियां
	ऑफ शोर (अमरीकी डॉलर)				
1.	जे-एक्जिम/एमआईटीआई	433	280	79	आईएफआई द्वारा गांरटी
2.	ओएनडी ऋण	91	58	25	आईएफआई द्वारा गांरटी
	गारंटी ऋण का उप जोड़	524	338	104	
3.	विदेशी बैंक *	497	410	87	
4.	ओपीआईसी ऋण	60	60	—	
	गैर-गारंटी प्राप्त ऋणों का उप जोड़	557	470	87	
	ऑफ शोर ऋणों का उप जोड़	1081	823	191	
	घरेलू (करोड़ रुपये)				
5.	आईएफआई के रुपये ऋण/एनसीडी	1432.0	1171.7	260.3	

* एसबीआई सब्सिडरी 175 मिलियन डॉलर ऑफ शोर सहित (संविरण-148.02 मिलियन) और 50 मिलियन अमरीकी डॉलर केनरा बैंक से प्राप्त।

ग. आईएफआई से गारंटी सहायता।

जैसा उपरोक्त ए-1 और बी-2 और 2 में दर्शाया गया है। (कुल 445 मिलियन अमरीकी डॉलर ओ/एस)

नोट- ओपीआईसी- ओवरसीज़ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कारपोरेशनल
ओपीआईसी- इंडियन फाइनेंशियल इंस्ट्रीटयूट एवं बैंक

गारंटी के माध्यम से डाभोल पावर कंपनी (डीपीसी) का प्रतिपादन

क. स्वीकृति (मूल)

	यूएस एक्जिम		जेबीआइसी/एमआईटीआई		ओएनडी बेल्जियम		कुल	
	मिलियन डॉलर	करोड़ रुपये	मिलियन डॉलर	करोड़ रुपये	मिलियन डॉलर	करोड़ रुपये	मिलियन डॉलर	करोड़ रुपये
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आईडीबीआई	133.110	659	181.381	898	45.528	225	360.019	1782

1	2	3	4	5	6	7	8	9
आईसीआईसीआई	24.650	122	140.475	695	35.261	175	200.386	992
आईएफसीआई	24.650	122	39.883	197	10.011	50	74.544	369
एसबीआई	98.600	488	71.705	355	—	—	170.305	843
केनरा बैंक	17.202	85	—	—	—	—	17.202	85
कुल	298.212	1476	433.444	2145	90.800	450	822.456	4071

(at Rs. 49-5èUS$)

ख. बकाया (मूल)

	यूएस एक्जिम		जेबीआइसी/एमआईटीआई		ओएनडी बेल्जियम		कुल	
	मिलियन डॉलर	करोड़ रुपये	मिलियन डॉलर	करोड़ रुपये	मिलियन डॉलर	करोड़ रुपये	मिलियन डॉलर	करोड़ रुपये
आईडीबीआई	47.692	236	117.208	580	29.005	144	193.905	960
आईसीआईसीआई	8.832	44	90.770	449	22.463	111	122.065	604
आईएफसीआई	8.832	44	25.766	128	6.381	32	40.979	204
एसबीआई	35.328	175	46.323	229	—	—	81.651	404
केनरा बैंक	6.163	30	—	—	—	—	6.163	30
कुल	106.846	529	280.067	1386	57.849	287	444.763	2202

(.49.5 रुपये अमरीकी डॉलर पर)

मूल/ब्याज आदि के अंतर्गत आईडीबीआई गारंटी दायित्व के अंतर्गत मार्च, 2004 तक किया गया कुल भुगतान

एक्सपोट क्रेडिट एजेंसी	राशि करोड़ रुपये
1	2
यूएस-एक्जिम	566.65
जेबीआईसी/एमआईटीआई बैंक	598.16
ओएनडी बैंक	84.06
कुल	1248.87

ऋणी देशों में भारत की स्थिति

1402. श्री गिरिधारी यादव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक और इन्टरनेशनल डेवलपमेंट बैंक से ऋण प्राप्त करने वाले देशों में भारत की स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विश्व बैंक और इन्टरनेशनल डेवलपमेंट बैंक से भारत द्वारा लिए गए ऋण की धनराशि का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्तमान में इन संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं हेतु कितना ऋण लिया गया है; और

(घ) ऋण के समुचित उपयोग हेतु क्या प्रावधान निर्धारित किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (आईबीआरडी) के ऋणों और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (आईडीए) के क्रेडिटों के माध्यम से सहायता मुहैया कराता हैं विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2004 के अनुसार, आईबीआरडी से ऋण लेने वालों में भारत का सातवां स्थान है और आईडीए से ऋण लेने वालों में भारत पहले स्थान पर है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास बैंक भारत को उधार नहीं देता।

(ख) :

वित्तीय वर्ष	आईबीआरडी (मिलियन अमरीकी डालर)	आईडीए (मिलियन अमरीकी डालर)
2001-02	1904	925.6
2002-03	951	1140.73
2003-04	698	630

(ग) फरवरी 2005 तक की स्थिति के अनुसार, चल रही परियोजनाओं के लिए आईबीआरडी और आईडीए दोनों द्वारा वचनबद्ध सहायता की कुल राशि 12.6 बिलियन अमरीकी डालर है।

(घ) भारत सरकार राज्य सरकारों, परियोजना निष्पादक अभिकरणों और विश्व बैंक के साथ ध्यानपूर्वक विचार-विमर्श करती है ताकि नियमित मानीटरिंग और संयुक्त समीक्षाएं करके इन ऋणों का उचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

सब-मिशन परियोजनाओं का कार्यान्वयन

1403. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से सब-मिशन परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य को प्रतिवर्ष कम से कम 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त धन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने कर्नाटक सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकार को अपेक्षित धन कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) जी, हां।

(ख) अप्रैल, 2003 में प्राप्त अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था और अगस्त, 2003 में राज्य सरकार को जवाब भेजा गया था।

(ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। भारत सरकार ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए केंद्र प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों के अंतर-राज्य आबंटन के लिए मानदंड निम्नानुसार हैं—

	निम्नलिखित के लिए वेटेज	प्रतिशत
	1	2
(क)	ग्रामीण आबादी	40
(ख)	डी डी पी, डी पी ए पी, एच ए डी पी के अंतर्गत राज्य और ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में विशेष श्रेणी वाले पर्वतीय राज्य	35

	1	2
(ग)	कवर न किए गए/आंशिक रूप से कवर किए गए गांव (2:1 के अनुपात में)	15
(घ)	गुणवत्ता प्रभावित गांव	10
	कुल	100

गुणवत्ता समस्या को दूर करने के लिए उप मिशन परियोजनाएं स्वीकृत करने और कार्यान्वित करने की सारी शक्तियां 1.4.1998 से राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं। त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के दिशा-निदेशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की गुणवत्ता समस्या को दूर करने के लिए उप मिशन परियोजनाएं कार्यान्वित करने हेतु प्रति वर्ष त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम आबंटन का 15% निर्धारित किया गया हैं पूरी तरह कवर किए गए राज्य भारत सरकार के अनुमोदन से जल गुणवत्ता समस्या को दूर करने के लिए त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम निधियों के 15% से अधिक धनराशि उपयोग कर सकते हैं।

न्यायिक भ्रष्टाचार

1404. श्री डी. विट्टल राव : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास न्यायपालिका के प्रति लोगों के घटते विश्वास को कायम रखने और न्यायिक भ्रष्टाचार के आरोपों की प्रभावी रूप से जांच करने हेतु न्यायिक उत्तरदायित्व संबंधी एक विधान लाने का कोई प्रस्ताव है जैसाकि दिनांक 25 जनवरी, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक विधान बनाये जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

ब्याज के बोझ को कम करने की योजना

1405. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री एम. अंजन कुमार यादव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशी ऋण पर ब्याज के लगातार बढ़ते बोझ को कम करने हेतु कोई योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ब्याज के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है; और

(घ) विदेशी ऋण पर ब्याज के लगातार बढ़ते बोझ के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) ब्याज के बोझ को कम करने के लिए, भारत सरकार उच्च लागत वाले सर्वाधिक ऋणों की परिपक्वता-पूर्व-अदायगी करती रही है। इनके ब्यौरे निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं।

सारणी:- सरकारी ऋणों की पूर्व-अदायगी

(मिलियन अमरीकी डालर)

वर्ष	ऋणदाता	राशि
1	2	3
2002-2003		
	बहुपक्षीय	2,788.7
	द्विपक्षीय	111.5
	जोड़	2,900.2
2003-2004		
	बहुपक्षीय	2,534.2

1	2	3
	द्विपक्षीय	1,219.3
	जोड़	3,753.5
2004-2005	बहुपक्षीय	—
	द्विपक्षीय	35.2
	जोड़	35.2

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा चुकाया गया ब्याज, वर्ष 2004-05 के लिए संशोधित अनुमान और वर्ष 2005-06 के लिए बजट अनुमान नीचे दिए गए हैं।

ब्याज भुगतान

(करोड़ रुपए)

2001-02	2002-03	2003-04	2004-05 (सं.अ.)	2005-06 (ब.अ.)
4285.2	4665.5	3249.78	2797.41	3111.91

सं.अ. : संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

(घ) विदेशी ऋण को प्रबंध-योग्य सीमाओं के अंदर रखने के लिए, सरकार एक विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन नीति का अनुपालन करती है। इस नीति का विशेष जोर रियायती ऋणों, दीर्घावधिक परिपक्वता रूपरेखा, अल्पावधिक ऋण के कड़े अनुवीक्षण और ऋण-भिन्न सृजित पूंजी प्रवाहों पर बल देना है।

सहकारी बैंकों को अनुमति

1406. श्री वाई.जी. महाजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के सहकारी बैंकों को एक से अधिक राज्य में व्यवसाय करने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार एक से अधिक राज्य में व्यवसाय करने के लिए सहकारी बैंकों को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में सहकारी बैंकों की वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) सहकारी बैंक एक से अधिक राज्य में कार्य कर सकते हैं, बशर्ते कि वे बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हों। ऐसे सहकारी बैंक जो अपने संबंधित राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकृत हैं, वे केवल उसी राज्य के अन्दर कार्य कर सकते हैं। एक से अधिक राज्य में कारबार करने के लिए सहकारी बैंकों को बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 6 में निर्धारित अपेक्षाओं को पूरा करना होगा।

(ङ) महाराष्ट्र में 670 शहरी सहकारी बैंकों में से 20 बहु-राज्य सहकारी बैंक हैं। राज्य सहकारी बैंक और सभी जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक राज्य के अन्दर कार्य करते हैं।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों को समाप्त करना

1407. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने विद्यमान विद्युत बोर्डों को समाप्त करने और विद्युत उत्पादन, पारेषण और संवितरण हेतु अलग कंपनियां बनाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों को क्रियान्वित किया है;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य सरकारें कौन सी हैं जिन्होंने अब तक उपबंधों को क्रियान्वित नहीं किया है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172 (क) प्रावधान करती है कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य विद्युत बोर्ड (एस.ई.बी.) को अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव में आने के एक वर्ष की अवधि से अधिक की ऐसी अवधि के लिए राज्य पारेषण यूटिलिटी अथवा लाइसेन्सी के रूप में कार्य करना जारी रखने के लिए प्राधिकृत करेंगी, जो केन्द्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा आपस में निर्णीत की गई हो।

ग्यारह राज्यों को अभी अपने राज्य विद्युत बोर्डों का पुर्नगठन करना

है। इन राज्यों ने समय-समय पर अपने-अपने राज्य विद्युत बोर्डों के पुर्नगठन के लिए समय बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। केन्द्र सरकार ने संलग्न विवरण में दर्शाये गए ब्यौरों के अनुसार समय बढ़ाने की सहमति दी है।

विवरण

राज्य विद्युत बोर्डों के पुर्नगठन हेतु बढ़ाए गए समय की स्थिति

राज्य का नाम	तारीख, जब तक राज्य विद्युत बोर्ड को राज्य पारेषण यूटिलिटी के रूप में कार्य करना जारी रखने की सहमति दी गई।
केरल	9.6.05
महाराष्ट्र	9.6.05
पंजाब	9.6.05
छत्तीसगढ़	9.6.05
बिहार	9.9.05
मध्य प्रदेश	9.6.05
तमिलनाडु	9.6.05
मेघालय	9.6.05
हिमाचल प्रदेश	9.6.05
पश्चिम बंगाल	9.6.05
झारखंड	31.3.05

[हिन्दी]

उड़ीसा में खनन क्षेत्र में कार्यरत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1408. श्री सुग्रीव सिंह : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सहित देश में खनन उद्योग में स्थानवार कौन-कौन से सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/निजी कंपनियां कार्यरत हैं;

(ख) क्या उनके आस-पास समग्र विकास और सामाजिक ढांचे के विकास हेतु उक्त उपक्रमों को शामिल करने के लिए कानून में कोई प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान उक्त उपक्रमों द्वारा किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) से (घ) खान मंत्रालय प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और परमाणु खनिजों को छोड़कर अन्य सभी खनिजों के सर्वेक्षण और गवेषण, एल्युमिनियम, तांबा, जस्ता, सीसा, स्वर्ण, निकिल आदि जैसी अलौह धातुओं के खनन और धातुकर्म तथा कोयला, प्राकृतिक गैस और पैट्रोलियम को छोड़कर अन्य सभी खनिजों और खानों के संबंध में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 को प्रशासित करने के लिए उत्तरदायी है।

वर्तमान में, खान मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लि. (नालको), भुवनेश्वर (उड़ीसा), हिंदुस्तान कॉपर लि. (एच.सी.एल.), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) तथा मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लि. (एम.ई.सी.एल.), नागपुर (महाराष्ट्र) नामक तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं। भारत एल्युमिनियम कंपनी लि. (बालको), कोरबा (छत्तीसगढ़), हिंदुस्तान एल्युमिनियम कोर्पोरेशन लि., रेणुकूट (उत्तर प्रदेश), इण्डियन एल्युमिनियम कंपनी लि., मूरी (झारखंड), बेलगांव (कर्नाटक), मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लि., चेन्नै (तमिलनाडु) - ये सभी निजी क्षेत्र में हैं और एल्युमिना/एल्युमिनियम का विनिर्माण कर रही हैं। हिंडालको इंडस्ट्रीज लि. (हिंडालको) और स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इण्डिया) लि. (एस आई एल) - ये दोनों निजी क्षेत्र में हैं और तांबे का उत्पादन कर रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एच जैड एल), उदयपुर (राजस्थान) निजी क्षेत्र में जस्ते और सीसे का उत्पादन कर रही है। निजी क्षेत्र की कंपनियां बिनानी इंडस्ट्रीज लि. (बी.आई.एल.) और इण्डियन लैड लिमिटेड (आई एल एल) क्रमशः जस्ते और सीसे का उत्पादन कर रही हैं।

इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने सामाजिक दायित्व के एक भाग के रूप में अपनी टाउनशिप्स में और उसके आसपास सामुदायिक उत्थान हेतु सामुदायिक शिक्षा कार्यक्रम, पेयजल उपलब्धता को सुगम बनाने, आसपास के क्षेत्रों की सम्पर्क-सड़कों की मरम्मत और विकास,

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम, स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम और चिकित्सा कैंप के आयोजन जैसे अनेक कार्यकलाप संचालित किए गए।

[हिन्दी]

अवयस्कों की शादी के लिए अर्थ दंड

1409. श्री रामदास आठवले : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के कुछ उच्च न्यायालयों ने अवयस्कों की शादी के दोषी पाए गए व्यक्तियों के लिए निर्धारित अर्थ दंड की राशि को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो केंद्र सरकार को ऐसी सिफारिश करने वाले देश के उच्च न्यायालयों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) से (ग) अवयस्कों के विवाह के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों के लिए नियत जुर्माना राशि को बढ़ाने हेतु विधि और न्याय मंत्रालय में किसी उच्च न्यायालय से कोई विनिर्दिष्ट सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के सुझावों पर विचार करने के पश्चात् तथा विभिन्न राज्य सरकारों से परामर्श करके तारीख, 20 दिसम्बर, 2004 को राज्य सभा में "बाल विवाह निवारण विधेयक, 2004" शीर्षक वाला एक विधेयक पुरःस्थापित किया था। उक्त विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी बालिका से विवाह करने वाले वयस्क पुरुषों के लिए दंड में वृद्धि करने के लिए उपबंध है और इसके लिए सादे कारावास का, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने का, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों का दंड हो सकेगा। यह विधेयक कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय की विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समीक्षाधीन है।

कृषि क्षेत्र में आबंटन

1410. श्री संतोष गंगवार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोगों के लिए पिछले वर्षों के दौरान आबंटित निधियों की तुलना में अधिक निधियां आबंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2005-06 में कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों के लिए परिव्यय वर्ष 2004-05 में 6128.84 करोड़ रुपए और वर्ष 2003-04 में 4751.32 करोड़ रुपए की तुलना में 8117.25 करोड़ रुपए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खराब छवि वाली कंपनियां

1411. मो. मुकीम : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन खराब छवि वाली कंपनियों के नाम क्या है, जिनके विरुद्ध जांच के आदेश दिए गए है; और

(ख) इस जांच का क्या परिणाम निकला और कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई?

कंपनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) स्टाक बाजार घोटला, 2001 के बारे में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत 96 कंपनियों का निरीक्षण किया जा चुका है। ऐसी कंपनियों की एक सूची सलंग्न विवरण-I में है। सेबी की उक्त रिपोर्ट में उल्लिखित 17 कंपनियों के बारे में भी कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235/237 के अन्तर्गत जांच के आदेश दिए गए थे। ऐसी कंपनियों की सूची संलग्न विवरण-II में है।

(ख) कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रमाणित उल्लघनों के लिए अभियोजनों के आदेश दे दिए गए हैं/आरंभ कर दिए गए हैं।

विवरण-I

हाल के बाजार घोटाले से संबंधित सेबी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर आदेश किए गए निरीक्षण

केतन पारेख ग्रुप

1.	मैसर्स एन एच सिक्यूरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र

2.	मैसर्स ट्रायम्फ इंटरनेशनल फाइनेन्स लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
3.	मैसर्स क्लासिक शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
4.	मैसर्स केएनपी सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
5.	मैसर्स वीएन पारेख सिक्यूरिटीज प्राइवट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
6.	मैसर्स पैंथर फिनकेप मेनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
7.	मैसर्स पैंथर इनवसट्रेड लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
8.	मैसर्स क्लासिक क्रेडिट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
9.	मैसर्स साइमंगल इनवसट्रेड लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
10.	मैसर्स क्लासिक इनफिन लिमिटेड	पूर्वी क्षेत्र
11.	मैसर्स पैंथर इंडिस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
12.	मैसर्स गोल्डफिश कम्प्यूटर प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
13.	मैसर्स नक्षत्र सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
14.	मैसर्स चित्रकूट कम्प्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
15.	मैसर्स लूमिनेन्ट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
16.	मैसर्स ट्रायम्फ सिक्यूरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र

निर्मल बंग ग्रुप

17.	मैसर्स बामा सिक्यूरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
18.	मैसर्स निर्मल बंग सिक्यूरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
19.	मैसर्स बंग इक्यूटी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
20.	मैसर्स बंग सिक्यूरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
21.	मैसर्स नादी फाइनेन्स एण्ड इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र

शंकर शर्मा एण्ड देवीना मेहरा ग्रुप

22.	मैसर्स फस्ट ग्लोबल फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र
23.	मैसर्स फस्ट ग्लोबल स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र
24.	मैसर्स वृद्धि कनफिनवेस्ट इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र

शैलेश शाह ग्रुप

25.	मैसर्स दौलत कैपिटल मार्केट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
26.	मैसर्स निर्पन सिक्यूरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
27.	मैसर्स शैलेश शाह सिक्यूरिटीज लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र

राधा कृष्ण दामिनी ग्रुप

28.	मैसर्स दामिनी शेयर एण्ड स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
29.	मैसर्स महेश्वरी इक्यूटी ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
30.	मैसर्स झुनझुनवाला स्टॉक ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
31.	मैसर्स प्रतीक स्टॉक वीज़न प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
32.	मैसर्स दामिनी स्टेटस एण्ड फाइनेन्स प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
33.	मैसर्स ब्राइट स्टार इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र
34.	मैसर्स कृष्णा सिक्यूरिटीज लिमिटेड	उत्तरी क्षेत्र
35.	मैसर्स एवेन्यू स्टॉक ब्रोकर्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड	पश्चिम क्षेत्र

अजय केवन ग्रुप

36.	मैसर्स सी मैकेरटिक लिमिटेड	पूर्वी क्षेत्र

37. मैसर्स एसएमआईएफएस सिक्यूरिटीज लिमिटेड पूर्वी क्षेत्र

38. मैसर्स स्टेवर्ट सिक्यूरिटीज लिमिटेड पूर्वी क्षेत्र

39. मैसर्स माया ट्रेडा लिंक लिमिटेड पूर्वी क्षेत्र

40. मैसर्स पॉवरफ्लो होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड पूर्वी क्षेत्र

41. मैसर्स मैकेरटिक कन्सलटेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पूर्वी क्षेत्र

42. मैसर्स पीएनआर सिक्यूरिटीज लिमिटेड उत्तरी क्षेत्र

कन्सोरटियम ग्रुप

43. मैसर्स कन्सोरटियम सिक्यूरिटीज लिमिटेड उत्तरी क्षेत्र

44. मैसर्स सीएसएल सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड उत्तरी क्षेत्र

45. मैसर्स सीएसएल स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड उत्तरी क्षेत्र

बीएलबी ग्रुप

46. मैसर्स बीएलबी लिमिटेड उत्तरी क्षेत्र

राठी ग्रुप

47. मै. राठी ग्लोबल फाईनेंस लि. उत्तरी क्षेत्र

48. मै. आनंद राठी सिक्युरिटीज प्रा. लि. पश्चिम क्षेत्र

49. मै. नवरत्न कैपिटल एंड सिक्युरिटीज प्रा. लि. पश्चिम क्षेत्र

50. मै. राठी कैपिटल एंड सर्विसेज प्रा. लि. पश्चिम क्षेत्र

51. मै. अमित कैपिटल एंड सिक्युरिटीज प्रा. लि. पश्चिम क्षेत्र

52. मै. पुष्प कैपिटल एंड सिक्युरिटीज प्रा. लि. पश्चिम क्षेत्र

53. मै. गेरार्ड वेगस फिनवेस्ट प्रा. लि. पश्चिम क्षेत्र

54. मै. हितकारी फिनवेस्ट प्रा. लि. पश्चिम क्षेत्र

55. मै. प्रीतराज फिनवेस्ट प्रा. लि. पश्चिम क्षेत्र

56. मै. सुरेश राठी सिक्युरिटीज प्रा. लि. पश्चिम क्षेत्र

जी टेली ग्रुप

57. मै. जी टेलीफिल्म लि. पश्चिम क्षेत्र

58. मै. सीटीकेबल नेटवर्क प्रा. लि. पश्चिम क्षेत्र

59. मै. डीजिटल सुपरहाईवे पश्चिम क्षेत्र

60. मै. ब्रीग्स ट्रेडिंग कं. प्रा. लि. पश्चिम क्षेत्र

61. मै. प्रजातमा ट्रेडिंग कं. प्रा. लि. पश्चिम क्षेत्र

62. मै. चुरू ट्रेडिंग कं. प्रा. लि. पश्चिम क्षेत्र

63. मै. गंजम ट्रेडिंग कं. प्रा. लि. पश्चिम क्षेत्र

अन्य कंपनियां

64. मै. जी गोल्ड रिफाइनरी लि. पश्चिम क्षेत्र

65. मै. पालोम्ब सिक्युरिटीज एंड फाइनेंस लि. पश्चिम क्षेत्र

66. मै. ग्लोबल टेलीसिस्टम्स लि. पश्चिम क्षेत्र

67. मै. हिमाचल फ्युचरीस्टिक कम्युनिकेशन लि. उत्तरी क्षेत्र

68. मै. बर्लिंगटन फाईनेंस लि. पूर्वी क्षेत्र

69. मै. डीएसक्यू सॉफ्टवेयर लि. दक्षिणी क्षेत्र

70. मै. पैंटामिडिया ग्राफिक्स लि. दक्षिणी क्षेत्र

71. मै. निरमा लि. पश्चिम क्षेत्र

72. मै. रैनबैक्सी लेबोरेटरीज लि. उत्तरी क्षेत्र

73. मै. कोपरन लि. पश्चिम क्षेत्र

74. मै. अदानी एक्सपोर्ट लि. पश्चिम क्षेत्र

75. मै. लुपीन लेबोरेट्रीज लि. पश्चिम क्षेत्र

76. मै. पदमीन पोलिमर्स लि. उत्तरी क्षेत्र

77. मै. शोन्ख टेकनोलॉजिज लि. उत्तरी क्षेत्र

78. मै. अमर राजा बैटरीज लि. दक्षिणी क्षेत्र

79. मै. ग्लोबल ट्रस्ट बैंक लि. दक्षिणी क्षेत्र

80.	मै. मोनेश कंसलटेंसी प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
81.	मै. मोनकॉन इंमेस्टमेंट लि.	पश्चिम क्षेत्र
82.	मै. मनमंदिर एस्टेट (प्रा.) लि.	पश्चिम क्षेत्र
83.	मै. क्रेडिट श्वीस फर्स्ट बोस्टन (आई) सिक्युरिटीज प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
84.	मै. जे.एम मोरगन स्टेनली सिक्युरिटीज प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
85.	मै. जे.एम. मोरगन रिटेल सर्विसेज प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
86.	मै. एफटेक इन्फोसिश लि.	पश्चिम क्षेत्र
87.	मै. 'सिल्वरलाईन इ. लि.	पश्चिम क्षेत्र
88.	मै. डो जोन्स इंमेस्टमेंटस एंड कंसल्टेट्स प्रा. लि.	पूर्वी क्षेत्र
89.	मै. अरीहंट इग्जीम स्क्रीप प्रा. लि.	पूर्वी क्षेत्र
90.	मै. त्रीपाली कंसल्टैंसी सर्विसेज प्रा. लि.	पूर्वी क्षेत्र
91.	मै. खेनामी सिक्युरिटीज प्रा. लि.	पूर्वी क्षेत्र
92.	मै. एस.एस.आई लि.	दक्षिणी क्षेत्र
93.	मै. साईबरस्पेश लि.	उत्तर क्षेत्र
94.	मै. पृथ्वी ब्रोकर्स एंड शेयरहोल्डिंग्स प्रा. लि.	पश्चिम क्षेत्र
95.	मै. बियानी सिक्युरिटी प्रा. लि.	पूर्वी क्षेत्र
96.	मै. सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेज लि.	दक्षिणी क्षेत्र

विवरण-II

हाल में हुए बाजार घोटाले से जुड़ी सेबी की प्राथमिक जांच रिपोर्ट पर आधारित आदेशित निरीक्षण

क्र.स.	कंपनी का नाम
1	2
1.	मैसर्स पैंथर इंडस्ट्रीयल प्रा. लि.
2.	मैसर्स लुमिनेन्ट इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
3.	मैसर्स गोल्डफिश कंप्युटर प्रा. लि.
4.	मैसर्स पैन्थर फिनकैप एंड मैनेजमेन्ट सर्विसेज लि.
5.	मैसर्स मनमंदिर एस्टेट डेवलपर्स प्रा. लि.
6.	मैसर्स क्लासिक शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज लि.
7.	मैसर्स क्लासिक क्रेडिट लि.
8.	मैसर्स एन.एच. सिक्युरिटीज लि.
9.	मैसर्स चित्रकुट कंप्युटर्स प्रा. लि.
10.	मैसर्स नक्षत्रा सॉफ्टवेयर प्रा. लि.
11.	मैसर्स पैंथर इन्वेस्ट्रेड लि.
12.	मैसर्स ट्रायम्फ इंटरनेशनल एंड फाइनेंस इंडिया लि.
13.	मैसर्स के.एन.पी. सिक्युरिटीज प्रा. लि.
14.	मैसर्स वी.एन. पारेख सिक्युरिटीज प्रा. लि.
15.	मैसर्स साईमंगल इन्वेस्ट्रेड लि.
16.	मैसर्स ट्रायम्फ सिक्युरिटीज लि.
17.	मैसर्स डी एस क्यू सॉफ्टवेयर लि.

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के कार्यालयों को बंद किया जाना

1412. **डा. के.एस. मनोज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के कितने मण्डलीय कार्यालयों तथा शाखा कार्यालयों को बंद किए जाने की संभावना है;

(ख) इसके कारण कितने कर्मचारियों के बेरोजगार होने की संभावना है;

(ग) कंपनी के कर्मचारियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने सूचित किया है कि वर्ष 2004-05 के दौरान आगे और अधिक मण्डलीय/शाखा कार्यालय बंद किए जाने की संभावना नहीं है। तथापि, वर्ष 2004-05 के दौरान पहले कंपनी ने अपनी पांच शाखाओं को बंद कर दिया है।

(ख) और (ग) बन्द की गई किसी भी शाखा के कर्मचारी को उनके बंद हो जाने के कारण बेरोजगार नहीं होना पड़ा क्योंकि उन्हें नजदीक की शाखाओं में तैनात किया गया।

हथकरघा कामगारों को प्रशिक्षण

1413. **श्री काशीराम राणा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हथकरघा उद्योग के बुनकरों तथा कारीगरों की संख्या का आकलन किया है;

(ख) आई.एच.टी.पी. (समेकित हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना) तथा अभिकल्पन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के लाभार्थियों की संख्या कितनी है; और

(ग) वर्कशाप कम हाऊसिंग स्कीम की शुरूआत से अब तक इसके अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले बुनकरों का प्रतिशत कितना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) विद्युतकरघा और हथकरघा की संयुक्त जनगणना, 1995-96 के अनुसार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई और संबंधित गतिविधियों में 65.51 लाख व्यक्ति कार्यरत हैं।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र की प्लान योजना समेकिम हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना (आई.एच.टी.पी.) हथकरघा बुनकरों/कामगारों को प्रशिक्षण देने के लिए दिसम्बर, 2003 में शुरू की गई। इस योजना के तहत अब तक 20,260 लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है। डिजाइन विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत वर्ष 2003-04 के दौरान 6369 बुनकर लाभान्वित हुए।

(ग) वर्कशेड कम हाऊसिंग स्कीम की शुरूआत से 2003-04 तक इसके तहत 282574 वर्कशेड/वर्कशेड कम हाउस यूनिटों की स्वीकृत दी गई है।

कोटा मुक्त प्रणाली के प्रभाव

1414. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए वस्त्र क्षेत्र हेतु कोटा मुक्त प्रणाली से इस क्षेत्र में और रोजगार के अवसर सृजित करने की अपेक्षा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस परिदृश्य में "अपैरल एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल" की भूमिका सीमित होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ए.ई.पी.सी. के बने रहने के लिए इसके पास कोई अन्य योजनाएं है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) क्रिसिल (भारतीय सूती मिल परिसंघ द्वारा शुरू किए गए) द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार भारतीय वस्त्र और अपैरल उद्योग, वर्ष 2010 तक 85 बिलियन अमरीकी डालर के संभावित आकार को प्राप्त कर सकता है। इससे 12 मिलियन रोजगार के अवसर सृजित होंगे जिसमें 5 मिलियन प्रत्यक्ष जॉब वस्त्र उद्योग में और 7 मिलियन जॉब संबद्ध क्षेत्रों में होंगे।

(ग) से (च) कोटा मुक्त युग में अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) के क्रियाकलापों का संकेन्द्रण, निर्यात संवर्द्धन, शॉप फ्लोर स्तरीय कामगारों के प्रशिक्षण और परिधान निर्यात उद्योग का संचालन करने की ओर अभिमुख होगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त यह परिषद 1.1.2005 से परिधान व निटवीयर निर्यात हकदारी (कोटा) नीतियों के शेष उपबंधों के प्रचालन का भी पर्यवेक्षण कर रही है।

परिषद ने अपैरल प्रशिक्षण व डिजायन केंद्रों (एटीडीसी) का आधुनिकीकरण/विस्तार करने का कार्यक्रम बनाया है ताकि परिधान उद्योग की शॉप फ्लोर और पर्यवेक्षकीय स्तरों पर कुशल जन शक्ति की बढ़ रही आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

इसके अतिरिक्त अपैरल निर्यात संवर्द्धन परिषद (एईपीसी) गुड़गांव में एक अपैरल इंटरनेशनल मार्ट का भी निर्माण कर रही है ताकि अपैरल निर्यातकों को अपने उत्पादों का प्रदर्शन करने और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं को एक ही स्थल पर विश्व श्रेणी की सुविधा प्रदान की जा सके।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों/ कमजोर वर्गों के लिए ऋण

1415. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी :
श्री वी.के. ठुम्मर :
श्री काशीराम राणा :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आवास निर्माण हेतु देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों/कमजोर वर्गों को ऋण देने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान तथा अब तक बैंकों द्वारा वितरित ऋण प्राप्त करने वाले लोगों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उठाए गए कदमों द्वारा कितनी सफलता मिली है;

(ङ) क्या ऋण सीमा को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (च) जी, नहीं। मकानों के निर्माण के लिए गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों/कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई विशिष्ट योजना तैयार नहीं की गई है। तथापि, भारत सरकार इन्दिरा आवास योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण परिवारों, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से भिन्न गरीबी की रेखा से नीचे के ग्रामीण गरीबों, लड़ाई में मारे गए भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों एवं शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को मकानों के निर्माण/उन्नयन के लिए अनुदान सहायता/वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के प्रारंभ से, 125 लाख मकानों का निर्माण किया गया है, जिस पर 22084 करोड़ रु. व्यय हुए हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 से इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा मैदानी क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई 25,000/- रु. पहाड़ी/असुविधाजनक क्षेत्रों के लिए प्रति इकाई 27,000/- रु. और सभी क्षेत्रों में उन्नयन के लिए प्रति इकाई 12,500/-रु. है।

सुनामी जैसे आपदा संभावित क्षेत्रों के लिए बीमे का प्रावधान

1416. डा. एम. जगन्नाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल की सुनामी आपदा के कारण सरकार को बचाव, राहत, पुनर्वास तथा निर्माण कार्यों पर अत्यधिक धनराशि खर्च करनी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पुनर्वास की भारी वित्तीय लागत को कम से कम आंशिक रूप से पूरा करने के लिए आपदा संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के बीमे हेतु एक आवश्यक प्रावधान जोड़ने के उद्देश्य से मौजूदा बीमा कानूनों को अधिनियमित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा अन्य कौन से विकल्पों पर विचार किया जा रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) ''सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज'' के तहत तत्काल राहत और सहानुभूति, मत्स्यपालन और कृषि क्षेत्र, के पुनरुद्धार, अस्थायी (अंतःकालीन) झोपड़ियों के तुरन्त निर्माण और आधार ढांचा की मरम्मत/पुनरुद्धार के लिए भारत सरकार ने 3644.05 करोड़ रुपए के एक विशेष पैकेज का अनुमोदन किया है।

(ख) और (ग) आग, बाढ़, चक्रवात, भूकम्प आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली जीवन की हानि और सम्पत्तियों की हानि/क्षति की बीमा के लिए सरकारी और गैर सरकारी दोनों क्षेत्र की बीमा कंपनियां बीमा पालिसियों का विपणन कर रही हैं। ये बीमा पालिसियां स्वैच्छिक हैं और किसी भी व्यक्ति द्वारा अपेक्षित प्रीमियम का भुगतान करके ये खरीदी जा सकती हैं। आपदा संभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अनिवार्य बीमा सुरक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) राहत के कार्य में होने वाले व्यय के वित्त पोषण की योजना समय समय पर नियुक्त किए जाने वाले वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं वर्तमान में प्रचलित योजना के अनुसार प्रत्येक राज्य में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल पहुंचाने के लिए एक आपदा राहत निधि (सी आर एफ) हैं प्रत्येक राज्य की सी आर एफ में केन्द्रीय सरकार 75 प्रतिशत का योगदान देती है और शेष

25 प्रतिशत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा पूरा किया जाता है। गंभीर प्रकृति की आपदा के मामले में, केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) से राज्य सरकारों को अतिरिक्त सहायता प्रदान करती है। राहत कार्य में होने वाले व्यय के वित्त पोषण की योजना वित्त आयोग की सिफारिशों के अधीन जारी रहेगी।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

1417. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत अब तक कुल कितने लघु वस्त्र उद्योगों को सहायता दी गई है;

(ख) पूंजी राजसहायता तथा ब्याज पुनर्भुगतान श्रेणियों के अंतर्गत अब तक सहायता लेने वाली लघु वस्त्र उद्योग इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) देश, विशेष रूप से तमिलनाडु के कितने लघु वस्त्र उद्योगों ने इस योजना के अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन किया और गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने आवेदन स्वीकृत किए गए तथा वित्तीय सहायता दी गई; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार अब तक कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा खर्च की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत जिन लघु वस्त्र उद्योगों को सहायता दी गई उनकी राज्य-वार कुल संख्या तथा 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार उन लघु वस्त्र एककों का ब्यौरा जिन्होंने पूंजीगत सब्सिडी के तहत सहायता प्राप्त की तथा ब्याज प्रतिपूर्ति श्रेणियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) तमिलनाडु के लघु वस्त्र एककों सहित देश से लघु वस्त्र एककों जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन किया है, की संख्या और स्वीकृत आवेदन पत्रों की संख्या तथा वितरित वित्तीय सहायता का वर्षवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) 31.12.2004 की स्थिति के अनुसार इस योजना के तहत राज्य-वार स्वीकृत और संवितरित कुल राशि संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	स्वीकृत आवेदनों पत्रों की संख्या				संवितरित आवेदनों पत्रों की संख्या			
		5% आईआर के तहत	15% सीएलसीएस के तहत	एसएसआई विद्युतकरघों के लिए 20% सीएलसीएस के तहत	कुल	5% आईआर के तहत	15% सीएलसीएस के तहत	एसएसआई विद्युतकरघों के लिए 20% सीएलसीएस के तहत	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	तमिलनाडु	546	29	4	579	473	23	4	500
2.	गुजरात	897	7	85	989	807	5	85	897
3.	पंजाब	298	23	5	326	247	18	5	270
4.	महाराष्ट्र	115	12	5	132	83	11	5	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	हरियाणा	131	3	—	134	99	2	—	101
6.	राजस्थान	127	—	—	127	89	—	—	89
7.	कर्नाटक	61	—	—	61	45	—	—	45
8.	दादर नागर हवेली	17	—	1	18	16	—	1	17
9.	दिल्ली	20	—	—	20	19	—	—	19
10.	आंध्र प्रदेश	5	—	—	5	4	—	—	4
11.	केरल	3	—	—	3	3	—	—	3
12.	उत्तर प्रदेश	20	—	—	20	14	—	—	14
13.	पश्चिम बंगाल	21	—	—	21	12	—	—	12
14.	दमन व दीव	5	—	1	6	5	—	1	6
15.	मध्य प्रदेश	3	—	—	3	1	—	—	1
16.	नागालैंड	1	—	—	1	1	—	—	1
	कुल	2270	74	101	2445	1918	59	101	2078

आईआर- ब्याज प्रतिपूर्ति; सीएलसीएस-ऋण संबद्ध पूंजीगत सहायता; एसएसआई- लघु अद्योग

विवरण-II

संपूर्ण भारत की तुलना में तमिलनाडु में पिछले तीन वर्षों के दौरान टीयूएफएस के तहत लघु वस्त्र एककों का वर्ष-वार ब्यौरा (5% ब्याज प्रतिपूर्ति और सीएलसीएस 15% की दर-टीयूएफएस)

(करोड़ रु. में)

	वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्र		स्वीकृत आवेदन पत्र			संवितरित आवेदन पत्र		
		संख्या	परियोजना	संख्या	परियोजना	राशि	संख्या	परियोजना	राशि
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10
तमिलनाडु	2001-2002	92	78	85	लागू नहीं	41	80	लागू नहीं	36

1	3	3	4	5	6	7	8	9	10
	2002-2003	80	50	76	49	34	63	48	33
	2003-2004	110	155	113	156	92	117	144	65
अन्य राज्य	2001-2002	236	312	239	लागू नहीं	116	228	लागू नहीं	88
	2002-2003	235	358	225	328	184	187	279	109
	2003-2004	530	325	539	341	175	505	287	126
सपूर्ण भारत	2001-2002	328	390	324	लागू नहीं	156	308	लागू नहीं	124
	2002-2003	315	408	301	377	218	250	328	142
	2003-2004	640	480	652	497	266	622	431	191

विवरण-III

31.12.2004 की स्थिति के अनुसार टीयूएफएस का राज्य-वार प्रगति

(करोड़ रु. में)

क्र. स.	राज्य/संघशासित क्षेत्र	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि
1	2	3	4
1.	तमिलनाडु	2499.58	1755.74
2.	गुजरात	1402.64	871.32
3.	पंजाब	1380.71	984.31
4.	महाराष्ट्र	1222.77	722.66
5.	राजस्थान	766.37	555.43
6.	उत्तर प्रदेश	377.20	222.28
7.	दादर नागर हवेली	357.47	337.75
8.	कर्नाटक	352.37	247.03
9.	आंध्र प्रदेश	286.98	216.14
10.	हरियाणा	202.09	148.03
11.	मध्य प्रदेश	170.80	154.81
12.	पश्चिम बंगाल	141.21	63.59
13.	हिमाचल प्रदेश	124.25	117.15
14.	केरल	111.66	52.93
15.	दिल्ली	82.14	45.37
16.	दमन व दीव	24.21	14.88
17.	जम्मू-कश्मीर	20.00	0.00
18.	चंडीगढ़	12.91	7.52
19.	उड़ीसा	1.66	1.27
20.	नागालैंड	1.41	0.43
	कुल	9538.43	6518.64

[हिन्दी]

बैंकों का कम्प्यूटरीकरण

1418. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक क्रम्प्यूटरीकृत किए जा चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कम्प्यूटरीकृत न किए गए बैंकों की संख्या कितनी है;

(घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी शाखाओं को कब तक कम्प्यूटरीकृत किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या कम्प्यूटरों के खराब हो जाने की स्थिति में कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी उपलब्ध है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंक चरणबद्ध तरीके से अपने परिचालनों को कम्प्यूटरीकृत कर रहे हैं और उन्होंने अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग जैसी कम्प्यूटरीकृत सेवाएं प्रदान करनी शुरू कर दी हैं। दिनांक 30.9.2004 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों की बैंक शाखाओं के बैंक-वार कम्प्यूटरीकरण की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) जहां तक कम्प्यूटरों के खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने का संबंध है, बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न परिपत्रों में दिए गए मार्गनिर्देशों के माध्यम से अपने स्तर के कम्प्यूटरीकरण के लिए उपयुक्त सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा नीति अपनाने, कम्प्यूटर एवं दूरसंचार प्रणालियों से जुड़े आवश्यक जोखिम तैयार करने तथा आकस्मिकता के मामले में कारोबार की निरंतरता के बारे में नीतिगत खाका तैयार करने तथा यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है इस संबंध में तैयार व्यापक नीतिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रणालियों को क्रियान्वित किया जाता है और उनकी जांच की जाती है।

विवरण

30 सितम्बर, 2004 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रशासनिक कार्यालयों/शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण

	बैंक का नाम	प्रशासनिक स्थानों की सूची	लैन के साथ	(3) की तुलना में (4) का %	कम्प्यूटरीकृत शाखाओं की सं.	लैन सोल्यूशन वाली	(6) की तुलना में (7) का %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	भारतीय स्टेट बैंक	104	104	100.00	9838	3698	40.92
2.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एंड जयपुर	10	9	90.00	813	813	100.00
3.	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	33	33	100.00	910	910	100.00
4.	स्टेट बैंक आफ इंदौर	15	10	66.67	431	431	100.00
5.	स्टेट बैंक आफ मैसूर	19	5	26.32	623	487	78.17

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	स्टेट बैंक आफ पटियाला	35	27	77.14	748	748	100.00
7.	स्टेट बैंक आफ सौराष्ट्र	6	6	100.00	418	418	100.00
8.	स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	10	6	60.00	668	0	0.00
9.	इलाहाबाद बैंक	49	49	100.00	1135	1022	90.04
10.	आन्ध्रा बैंक	17	17	100.00	1141	1141	100.00
11.	बैंक आफ बड़ौदा	72	72	100.00	2137	931	43.57
12.	बैंक आफ इंडिया	49	49	100.00	2529	1750	69.20
13.	बैंक आफ महाराष्ट्र	36	36	100.00	666	666	100.00
14.	केनरा बैंक	52	52	100.00	2483	1284	51.71
15.	सेंट्रल बैंक आफ इंडिया	95	95	100.00	1626	1626	100.00
16.	कारपोरेशन बैंक	20	20	100.00	755	754	99.87
17.	देना बैंक	20	20	100.00	1037	462	44.55
18.	इंडियन बैंक	47	47	100.00	1141	1023	89.66
19.	इंडियन ओवरसीज बैंक	39	39	100.00	1477	691	46.78
20.	ओरियंटल बैंक आफ कामर्स	25	25	100.00	1013	324	31.98
21.	पंजाब एंड सिंध बैंक	48	41	85.42	839	315	37.54
22.	पंजाब नैशनल बैंक	86	86	100.00	4038	1921	47.57
23.	सिंडिकेट बैंक	103	76	73.79	1739	197	11.33
24.	यूको बैंक	49	49	100.00	1317	336	25.51
25.	यूनियन बैंक आफ इंडिया	61	61	100.00	2022	369	18.25
26.	युनाइटेड बैंक आफ इंडिया	30	3	10.00	1160	294	25.34
27.	विजया बैंक	18	18	100.00	695	695	100.00

[अनुवाद]

"इंटिग्रेटिड शीप एण्ड वूल डेवलपमेंट प्रोग्राम"

1419. श्री दुष्यंत सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान "इंटिग्रेटिड शीप एण्ड वूल डेवलपमेंट प्रोग्राम" के अंतर्गत राज्य-वार कितनी अनुदान सहायता दी गई;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ऊन के उत्पादन तथा विकास में इन राज्यों का कार्य निष्पादन क्या है; और

(ग) ऊनी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना और भेड़ व ऊन सुधार योजना के तहत दिया गया सहायता-अनुदान दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में स्वदेशी ऊन का उत्पादन निम्नलिखितानुसार है—

वर्ष	मात्रा मिलियन कि.ग्रा में
1	2
2002-03	52.1 (अनु.)
2003-04	53.6 (अनं)
2004-05	55.1 (अनु.)

अनं : अनंतिम, अनु. : अनुमानित

(स्रोत: पशुपालन विभाग, कृषि मंत्रालय)

ऊन के उत्पादन के राज्य-वार आंकड़े इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ग) ऊनी वस्त्रों के उत्पादन, विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों में प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस), एकीकृत अपैरल पार्क योजना, वस्त्र केन्द्र अध्यसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस), अनिवार्य केन्द्रीय मूल्यवर्द्धित कर श्रृंखला की समाप्ति, वस्त्र मशीनरी पर सीमा शुल्क में कमी जैसी वस्त्र क्षेत्रों के लिए विभिन्न योजनाओं; केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर द्वारा संचालित और राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा क्रियान्वित ऊनी क्षेत्र के लिए विशिष्ट योजनाएं, परिधान क्षेत्र का अनारक्षण, निटवियर क्षेत्र में लघु इकाइयों के लिए निवेश की सीमाओं में वृद्धि, अपैरल ग्रेड की अपरिष्कृत ऊन पर सीमा शुल्क 15% से कम कर 5% करना, लघु उद्योग से कुछ हौजरी सामानों का अनारक्षण शामिल है। इसके अलावा, ऊन अनुसंधान संघ (डब्ल्यूआरए), थाणे विशेष रूप से ऊनी क्षेत्र के लिए अनुसंधान व विकास कार्य कर रहा है।

विवरण

एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना (आईएसडब्ल्यूडीपी) और भेड़ व ऊन सुधार योजना (एसडब्ल्यूआईएस) के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी की गई निधि की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र. स.	राज्य का नाम	योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों का नाम	क्रियान्वयन करने वाली एजेंसी का नाम	वर्ष 2001-02	2002-03	2003-04	कुल
1	2	3	4	5	6	7	9
1.	गुजरात	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	गुजरात भेड़ व ऊन विकास निगम लि.		64.84	34.50	99.34

1	2	3	4	5	6	7	9
		एकीकृत ऊन सुधार कार्यक्रम (भेड़ ऊन सुधार योजना)	गांधी नगर			133.50	133.50
2.	राजस्थान	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	24.21	42.76		66.97
3.	हिमाचल प्रदेश	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	हि.प्र. राज्य ऊन अधिप्राप्ति व विपणन परिसंघ लि., शिमला	50.24	42.14	50.69	143.07
		एकीकृत ऊन सुधार कार्यक्रम (भेड़ ऊन सुधार योजना)				125.05	125.05
4.	उत्तर प्रदेश	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	उ.प्र. मुर्गी पालन व पशुपालन स्पेशैलिटिज लि., लखनऊ	30.16	16.08	25.50	71.74
5.	महाराष्ट्र	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	पुण्यश्लोका अहिल्यादेवी महाराष्ट्र मेंधी व शेली विकास महामंडल लि., पुणे	10.80	9.68		20.48
6.	हरियाणा	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	हरियाणा राज्य पशुपालन विकास बोर्ड, चंडीगढ़	64.80		73.09	137.89
7.	कर्नाटक	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	कर्नाटक भेड़ व भेड़ उत्पादन विकास बोर्ड, बेंगलौर	17.41	8.98		26.39
		एकीकृत ऊन सुधार कार्यक्रम (भेड़ ऊन सुधार योजना)				12.94	12.94
8.	आंध्र प्रदेश	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	निदेशक, पशुपालन विभाग, हैदराबाद	58.54	34.19		92.73
		एकीकृत ऊन सुधार कार्यक्रम	प्रधान, (सीएसडी), एनआईआरडी, हैदराबाद			8.80	8.80
9.	जम्मू-कश्मीर	एकीकृत भेड़ व ऊन विकास परियोजना	जम्मू व कश्मीर भेड़ बोर्ड, जम्मू/एलएएचडीसी, लेह	30.90	59.85	21.31	112.06
		(भेड़ व ऊन सुधार योजना (पीएम)	सचिव, पशुपालन विभाग, श्रीनगर			329.32	329.32

1	2	3	4	5	6	7	9
10. उत्तरांचल		एकीकृत ऊन सुधार कार्यक्रम (भेड़ ऊन सुधार योजना)	सीईओ, उत्तरांचल भेड़ व ऊन विकास बोर्ड, देहरादून		37.75	38.37	76.12

2001-02 नौवीं योजना स्कीम

2002-03 नौवीं योजना स्कीम को 10वीं योजना के प्रथम वर्ष में क्रियान्वित करना जारी रखा गया था क्योंकि 10वीं योजना स्कीम मंजूर नहीं किया जा सका था।

2003-04 - 10वीं योजना स्कीम

हथकरघा इकाइयों को बंद किया जाना

1420. **श्री राकेश वर्मा :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रुग्णता के कारण देश की कई हथकरघा इकाइयों को बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार-ब्यौरा क्या है; और

(ग) रुग्ण हथकरघा इकाइयों के पुनरुद्धार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय को किसी भी राज्य सरकारों से हथकरघा इकाइयों को रुग्णता के कारण बंद करने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण

1421. **श्री गुरूदास कामत :**
श्री मोहन रावले :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण करने संबंधी सुझाव/प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित बैंक का दर्जा

1422. **श्री अशोक कुमार रावत :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंकों को अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित बैंकों का दर्जा प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार के पास कितने आवेदन/प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लि., लखनऊ (शीर्ष बैंक) को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के तहत अनुसूचित का दर्जा दे दिया गया है। इंडियन मर्केन्टाइल को-आपरेटिव बैंक लि., लखनऊ नामक एक शहरी सहकारी बैंक को भी अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया गया है।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के पास उत्तर प्रदेश राज्य में पंजीकृत किसी भी शहरी या जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों से अनुसूचित बैंक का दर्जा दिए जाने के लिए कोई आवेदन पत्र/प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महेश्वर जल विद्युत परियोजना

1423. **श्रीमती सुमित्रा महाजन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर महेश्वर जल विद्युत परियोजना संबंधी कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के माध्यम से उक्त परियोजना पर कार्य आरंभ करने का प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश ने नर्मदा नदी पर महेश्वर जल विद्युत परियोजना पर कार्य विदेशी इक्वीटी भागीदारों के निकल जाने से इक्वीटी अंतराल पैदा हो जाने के कारण जुलाई, 2001 से रुका हुआ है।

(ग) केन्द्र सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

आन्ध्र प्रदेश में हस्तशिल्प योजना

1424. **श्री एम. अंजनकुमार यादव :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विशेषकर आन्ध्र प्रदेश में चलाई जा रही हस्तशिल्प योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किन कमियों की पहचान की गई है और सरकारी अधिकारियों की क्या कमियां पाई गई हैं;

(ग) हस्तशिल्प योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार की अन्य योजनाएं क्या है;

(घ) क्या विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय कारीगरों के उत्थान के लिए अपेक्षित सहयोग नहीं देता है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) देश में हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास हेतु कार्यान्वित की जा रही योजनाएं राज्य विशिष्ट नहीं हैं तथा ये योजनाएं कार्यकारी अभिकरणों जैसे राज्य हस्तशिल्प विकास निगम/एपेक्स निकाय तथा गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि के मार्फत सहायता-अनुदान के रूप में कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं की आवधिक रूप से समीक्षा, इनके विस्तार एवं प्रभाव के मूल्यांकन को दृष्टि में रखते हुए, की जाती है और फिर इस समीक्षा के आधार पर इन योजनाओं में यथाअपेक्षित संशोधन/परिवर्तन करते हुए उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं ताकि इसका वितरण एवं विस्तार अत्याधिक प्रभावी बन सके। कार्यान्वयन के दौरान यदि कोई चूक ध्यान में आती में आती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

(ग) देश में हस्तशिल्प संवर्धन के लिए इस समय जो योजनाएं चालू हैं वे इस प्रकार है:- बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई); डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन; विपणन एवं सहायता सेवाएं; निर्यात संवर्धन; प्रशिक्षण एवं विस्तार; अनुसंधान एवं विकास; बीमा योजना तथा विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना।

(घ) सरकारी कारीगरों के उत्थान के लिए पूर्ण सहयोग एवं सहायता प्रदान करती है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अंतर्देशीय विमान यात्रा कर का भुगतान न किया जाना

1425. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा :**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विमानन कंपनियां सरकार को समय पर अंतर्देशीय विमान यात्रा कर का भुगतान नहीं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार ऐसी प्रत्येक कंपनी पर कुल कितनी राशि बकाया है; और

(ग) इन कंपनियों द्वारा समय पर कर का भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) दिनांक 9.1.2004 से अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर के उद्ग्रहण से पूर्णतया छूट दी गई है। तथापि ग्यारह चूककर्ता एयर लाइन्स

हैं जो पहले से ही अंतरदेशीय हवाई यात्रा कर अदा नहीं कर रही हैं। बकायों के ब्यौरे के साथ ऐसी एयरलाइन्सों के नाम, ऐसे बकायों को वसूलने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों को दर्शाने वाला ब्यौरा एक विवरण के रूप में संलग्न किया गया है।

विवरण

अंतरदेशीय हवाई यात्रा कर बकाया देयों के संबंध में राशि के ब्यौरे के साथ चूक-कर्ता एयरलाइन्सों के नाम और देयों को वसूलने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा।

क्र. स.	एयरलाइन्सों के नाम	बकाया राशि (लाखों में)		सरकार द्वारा उठाये गये कदम
		आईएटीटी	जुर्माना	
1	2	3	4	5
1.	राज एविएशन (प्रा.) लिमिटेड	46.64	15.12	एयरलाइन कार्य नहीं कर रही है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के अंतर्गत अभिज्ञान कार्रवाई की गई थी। पार्टी ने मुंबई उच्च न्यायालय में सिवल रिट याचिका दायर की गई और उक्त मामला मुकदमेबाजी फंसा है।
2.	कान्टिनेन्टल एविएशन (प्रा) लिमिटेड	74.86	—	एयरलाइन कार्य नहीं कर रही है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के अंतर्गत अभिज्ञान कार्रवाई की गई थी। संपति को कुर्क करने की प्रक्रिया जारी है।
3.	ईस्ट वेस्ट एयरलाइन्स	253.23	25.72	अंतरदेशीय हवाई यात्रा कर नियमावली, 1989 के नियम 14(4) के अंतर्गत वायुयान के विनिग्रहण की कार्रवाई की गई है। अचल संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई भी आरंभ की गई थी। पार्टी ने मानंनीय उच्च न्यायालय में निवेदन किया है और एक सरकारी समापक नियुक्त किया गया है। उक्त मामला शुल्क आयुक्त (निवारक), मुंबई द्वारा चलाया गया है।
4.	मोदी लुफ्त लिमिटेड	865.07	1737.66	एयरलाइन कार्य नहीं कर रही है। विभाग द्वारा वायुयान को निरुद्ध किया गया था। तथापि पार्टी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका दायर की थी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर वायुयान को 8 करोड़ रु. जमा करने और 4.50 करोड़ रु. की बैंक प्रतिभूति के निष्पादन के बदले छोड़ा गया। 2.50 करोड़ रु. भी 50 लाख रु. प्रतिमाह की किस्तों

1	2	3	4	5
				में वसूले गये हैं। इसी बीच विभाग ने माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका भी दायर की हैं मामला मुकदमेबाजी में फंसा है।
5.	यू.पी. एयरवेज	67.56	54.28	एयरलाइन कार्य नहीं कर रही है। वायुयान को विनिग्रहण किया गया था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर 2.09 करोड़ रु. वसूले गये थे। पार्टी ने उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका दायर की थी और उक्त मामला मुकदमेबाजी में फंसा है।
6.	वी.आई.एफ. एयरवेज	20.73	15.00	एयरलाइन कार्य नहीं कर रही है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के अंतर्गत अभिज्ञान कार्रवाई की गई थी। उक्त मामले को सीमा शुल्क आयुक्त, हैदराबाद चला रहे हैं।
7.	स्काँइलाइन एन.ई.पी.सी. एयरलाइन्स	406.60	952.34	एयरलाइनें कार्य नहीं कर रही हैं। अंतरदेशीय हवाई यात्रा पर नियमावली, 1989 के नियम 14 (4) के अंतर्गत वायुयानों के विनिग्रहण की कार्रवाई की गई है। अभियोजना की कार्रवाई भी आरंभ की गई है और भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत
8.	एन.ई.पी.सी. एयरलाइन्स	181.64	240.14	उचित न्यायालय में मामला दायर किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए पार्टी की संपतियों का निर्धारण किया जा रहा हैं मामला मुकदमेबाजी में फंसा है।
9.	एयर एशियाटिक लिमिटेड	57.58	18.20	एयरलाइन कार्य नहीं कर रही है। उक्त कंपनी ने चेन्नई उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका दायर की है। मामला मुकदमेबाजी में फंसा है।
10.	गुजरात एयरवेज	56.57	—	पार्टी ने पहले ही 79.62 लाख रु. अदा कर दिये हैं और शेष राशि की वसूली सख्ती से की जा रही है।
11.	सिटी लिंक एयरवेज	60.13	18.47	एयरलाइन कार्य नहीं कर रही है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 142 के अंतर्गत अभिज्ञान की कार्रवाई आरंभ की गई थी।

(टिप्पणी : अंतरदेशीय हवाई यात्रा कर नियमावली, 1989 के अंतर्गत विलम्बित भुगतान के लिए इन सभी मामलों में वसूली के समय ब्याज संग्रहीत किया जायेगा।)

केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का मूल्यांकन

1426. श्री बी. विनोद कुमार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का अनिवार्य मूल्यांकन लागू करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रस्ताव का मूल्यांकन कराने के लिए बाहरी एजेंसियों को काम पर लगाने का भी निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने इसे स्वीकृति दे दी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (घ) महोदय, जैसा कि वर्ष 2005-06 के बजट भाषण में घोषणा की गई है, मुख्य योजना स्कीमों तथा कार्यक्रमों के गहन मूल्यांकन के माध्यम से विकास परिणामों तथा कार्यक्रम की प्रभावोत्पादकता को मापने पर विशेष बल दिए जाने का निर्णय लिया गया है। ऐसे मूल्यांकन की रूप-रेखाओं (मॉडेलिटीज) को शीघ्र ही तैयार कर लिया जाएगा।

[हिन्दी]

सहकारी बैंकों में घोटाले

1427. श्रीमती किरण माहेश्वरी :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत तीन वर्षों के दौरान देश में सहकारी बैंकों में धोखाधड़ी के अनेक मामले सामने आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा सहकारी बैंकों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2002, 2003 और 2004 में प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों में सूचित धोखाधड़ियों की संख्या क्रमशः 164, 241 और 167 है। इसी प्रकार, 31 मार्च, 2002, 2003 और 2004 की स्थिति के अनुसार, राज्य सहकारी बैंकों में सूचित धोखाधड़ी के मामलों की संख्या क्रमशः 21, 23 और 25 है तथा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के मामले में, सूचित धोखाधड़ी के मामलों की संख्या क्रमशः 275, 284 और 292 है।

आंतरिक जांच और शाखा नियंत्रण के संबंध में संशोधित मैनुअल, वार्षिक शाखा निरीक्षण रिपोर्ट के फार्मेट और शाखाओं के आंतरिक निरीक्षण के दौरान विभिन्न क्षेत्रों की जांच से संबंधित मार्गनिर्देश नाबार्ड द्वारा सभी सहकारी बैंकों को जारी किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कई सहकारी बैंकों के लाइसेंस निरस्त किए हैं और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1934 (एएसीएस) की धारा 35क के तहत निर्देश जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए धोखाधड़ियों की निगरानी करने के लिए अलग कक्ष, धोखाधड़ियों के वर्गीकरण एवं सूचना देने की प्रणाली निर्धारित करने, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के गठन, आंतरिक नियंत्रण/सतर्कता तंत्र को मजबूत बनाने के लिए शहरी सहकारी बैंकों को मार्गनिर्देश, समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली की शुरूआत, इलेक्ट्रानिक आंकड़ा संसाधन, लेखा परीक्षा प्रणाली आदि जैसे कई उपाय किए हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण बैंक

1428. श्रीमती करुणा शुक्ला :
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ए.के. परवार समिति ने सरकार को ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन से संबंधित कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण बैंकों के पुनर्गठन कार्य को कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के चुने हुए समूह की बैठक में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकों के समूह की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किए गए। इस बैठक में कोई एक मत नहीं बन पाया।

(ग) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समेकन की ओर एक कदम के रूप में सरकार ने सम्बद्ध राज्य सरकारों एवं नाबार्ड के परामर्श से राज्य के भीतर ही, एक ही बैंक द्वारा प्रायोजित समीपस्थ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को समामेलित करने के लिए पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

नई बचत योजना

1429. श्री के.एस. राव :
श्री मधु गौड यास्खी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन लोगों के लिए नई बचत योजना लाने पर विचार कर रही है जो शेयरों में अपना धन लगाने का जोखिम नहीं उठाना चाहते;

(ख) यदि हां, तो इस नई योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब तक लागू की जाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) सरकार के विचाराधीन किसी नई लघु बचत योजना को प्रारम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्मों में काम कर रहे विदेशी नागरिकों पर आय कर

1430. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक विदेशी नागरिक भारतीय फिल्म उद्योग में विभिन्न कार्यों में लगे हैं और उनकी कमाई करोड़ों रुपये में है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे व्यक्तियों का भारतीय नागरिकों की तरह आय कर देना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। विदेशी राष्ट्रिक जो भारतीय फिल्म उद्योग में विभिन्न कार्यों में कार्य करते हुए अपनी आय अर्जित करते हैं, के लिए आयकर विभाग में अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है। हमारे पास विदेशी राष्ट्रिकों द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग से अर्जित आय के ब्यौरों के बारे में कोई रिकार्ड नहीं है।

(ख) ऐसे व्यक्तियों, यदि कोई हों, से अपेक्षा की गई है कि वे आयकर अधिनियम, 1961 की शर्तों के अनुसार अपनी आय पर भारत में कर का भुगतान करें क्योंकि ये कर राष्ट्रीयता के आधार पर नहीं, बल्कि आवासीय प्रस्थिति के आधार पर अधिरोपित किए जाते हैं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों को केन्द्रीय धनराशियां

1431. श्री वी.के. ठुम्मर :
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :
श्री मो. ताहिर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष (2004-05) के दौरान अब तक विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) राज्यों द्वारा पहले ही कितनी धनराशि का उपयोग किया जा चुका है;

(ग) राज्य सरकारों द्वारा अन्य राज्यों और अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि, यदि कोई हो तो, का ब्यौरा क्या है;

(घ) उपयोग न की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार उपयोग न की गई धनराशि को काटने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004-05 के दौरान राज्य सरकारों को वित्त मंत्रालय द्वारा 4 मार्च, 2005 तक जारी राशियां संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। सामान्य केन्द्रीय सहायता, विशेष योजना

सहायता, विशेष केन्द्रीय सहायता तथा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता, जो उपयोगिता रिपोर्ट या निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर दी जाती है, के अलावा अन्य अनुदान जारी कर दिए गए हैं। अलग से कोई उपयोगिता रिपोर्टें नहीं ली जाती है।

(ग) और (घ) राज्यों द्वारा अन्य राज्यों अथवा स्रोतों से प्राप्त राशियों तथा उनकी उपयोगिता से संबंधित कोई भी आंकड़े वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	राज्य योजना लिए केन्द्रीय सहायता	अनुच्छेद 275(1)* के तहत अनुदान	राजकोषीय सुधार प्रोत्साहन निधि अनुदान	एन.सी. सी.एफ.	अन्य गैर-योजना अनुदान/ऋण $	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2578.79	220.64	0.00	117.88	10223.51	13140.82
2.	अरुणाचल प्रदेश	289.19	224.74	38.42	9.09	200.88	1062.32
3.	असम	2050.30	153.93	0.00	211.55	3111.77	5527.55
4.	बिहार	2132.86	191.02	312.30	398.92	10350.75	13385.85
5.	छत्तीसगढ़	712.58	111.89	0.00	0.00	2553.18	3377.65
6.	गोवा	67.18	1.13	0.00	0.00	596.12	664.43
7.	गुजरात	1820.20	417.81	55.40	55.00	10748.70	13097.11
8.	हरियाणा	387.16	144.97	0.00	0.00	2781.17	3313.30
9.	हिमाचल प्रदेश	1168.91	658.62	156.96	0.00	1263.89	3248.38
10.	जम्मू-कश्मीर	2956.62	2010.22	0.00	50.00	1452.89	6469.73
11.	झारखण्ड	789.83	50.45	42.95	0.00	3681.17	4564.40
12.	कर्नाटक	1752.94	206.05	184.94	39.05	7692.64	9875.62
13.	केरल	978.46	148.05	0.00	153.00	4918.18	6197.69
14.	मध्य प्रदेश	2017.14	159.70	64.63	1.70	7250.01	9493.18

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	महाराष्ट्र	1662.76	336.13	0.00	173.23	18973.24	21145.36
16.	मणिपुर	775.72	289.35	54.18	0.00	288.48	1407.73
17.	मेघालय	441.46	245.75	0.00	6.16	289.63	983.00
18.	मिजोरम	526.03	293.70	53.43	10.68	170.48	1054.32
19.	नागालैंड	485.04	652.18	114.58	1.81	177.81	1431.42
20.	उड़ीसा	2199.23	222.22	50.91	53.44	4846.74	7372.54
21.	पंजाब	481.76	111.87	7.47	0.00	4438.58	5039.68
22.	राजस्थान	1733.18	461.83	59.77	108.00	8841.91	11204.69
23.	सिक्किम	384.67	145.61	0.00	9.90	159.90	700.08
24.	तमिलनाडु	1302.62	199.98	181.06	734.47	9657.56	12075.69
25.	त्रिपुरा	636.76	403.29	75.02	0.05	536.22	1651.34
26.	उत्तर प्रदेश	4130.74	324.97	174.34	192.10	20480.30	25302.45
27.	उत्तरांचल	1077.34	89.96	24.58	0.00	1428.00	2619.88
28.	पश्चिम बंगाल	2278.03	198.26	0.00	0.00	16074.56	18550.85
	कुल	38117.50	8674.32	1650.94	2326.03	153188.27	203957.06

* इसमें पी.आर.आई. तथा शहरी स्थानीय निकायों, स्तरोन्नयन तथा विशेष समस्या अनुदान, गैर-योजना राजस्व घाटा अनुदान तथा केन्द्र का आपदा राहत अनुदानों में हिस्सा शामिल है।

$ राज्य प्रतिभूतियों में एन.एस.एस.एफ. का निवेश, केन्द्रीय करों में हिस्सा, गैर-योजना ऋण शामिल हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा

1432. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर राजस्थान के जोधपुर शहर में हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) क्या हस्तशिल्प उद्योग पर बुरा प्रभाव पड़ा है; और

(ग) इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) राजस्थान के जोधपुर शहर सहित देश में हस्तशिल्प के संवर्धन एवं विकास हेतु सरकार द्वारा राज्य हस्तशिल्प विकास निगमों/एपेक्स निकायों तथा गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों के

गुण-दोष तथा निधियों की उपलब्धता के आधार पर सहायता-अनुदान योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ये योजनाएं है: बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई), डिजाइन एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन एवं सहायता सेवाएं, निर्यात संवर्धन, प्रशिक्षण एवं विस्तार, अनुसंधान एवं विकास; बीमा योजना तथा विशेष हस्तशिल्प प्रशिक्षण परियोजना।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कोई नई योजना तैयार नहीं की जा रही है।

[अनुवाद]

विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

1433. श्री तापिर गाव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में अरुणाचल प्रदेश राज्य में निजी और सरकारी क्षेत्र में कितनी विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई;

(ख) ऐसी कितनी परियोजनाएं लंबित हैं और कितनी परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (ग) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 में यह शर्त है कि कोई भी उत्पादन कंपनी सरकार से बिना लाइसेंस प्राप्त किए ही किसी थर्मल जेनरेटिंग स्टेशन की स्थापना, प्रचालन तथा अनुरक्षण कर सकती हैं। तथापि, यदि कोई उत्पादन कंपनी किसी हाइड्रो जेनरेटिंग स्टेशन की स्थापना करने का इरादा रखती हैं, तो उन्हें अभीष्ट परियोजना का ब्यौरा तैयार करके उसकी सहमति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास भेजना होगा।

10वीं योजना दौरान, अर्थात अप्रैल 2002 से आज की तारीख तक केन्द्रीय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नांकित दो जल विद्युत स्कीमें स्वीकृत की गई हैं–

क्र. स.	स्कीम का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	स्वीकृत लागत (करोड़ रु.)	स्वीकृति की तारीख	आरंभ करने की समय सीमा
1.	सुबानसिरी लोअर	नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपो. (एनएचपीसी)	200	6285.33 (निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) 670.92 समेत दिसंबर 2002 का मूल्य स्तर)	सितंबर, 2003	2010-11
2.	कामेंग एचई परियोजना	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपो, (नीपको)	600	2496.90 (आईडीसी 249.09 समेत मार्च, 2004 का मूल्य स्तर)	दिसंबर 2004	2009-10

इसके अलावा, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा स्थल का विकास करने हेतु निम्नांकित स्कीमों के चरण-2 को स्वीकृति दी गई है:–

क्र. सं.	स्कीम का नाम/ कार्यान्वयन एजेंसी	संस्थापित क्षमता मे.वा.	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	(i) सुबानसिरी मिडिल/एनएचपीसी	1600	6406.18
2.	(ii) सुबानसिरी अपर एनएचपीसी	2000	8753.07
3.	(iii) रंगानाडी चरण-2/नीपको	130	557.58
4.	(iv) डिकरोंग/नीपको	100	510.23

50,000 मेगावाट हाइड्रो पहल के अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा सर्वेक्षण और जांच करने हेतु निम्नांकित परियोजनाएं पहचान की गई हैं–

परियोजना का नाम	संस्थापित क्षमता (मे.वा.)	प्रत्याशित लागत (करोड़ रुपये में)
इटालिन	4000	14069.14
अत्तुनिल	500	2725.26
नायिंग	1000	3016.96
टाटो-II	700	2608.60
हिरोंग	500	2072.78
डेम्वे	3000	9539.40
कामेंग बांध	600	2264.00
तलोंग	300	891.04
भरेली-II	600	1698.35
भरेली-I	1120	3372.45
कापक लियाक	160	463.52
हुटोंग	3000	7792.29
कलाई	2600	6637.67
बदाओ	120	443.98
ओजू-I	1000	3492.99
ओजू-I	700	3526.28
डिब्बिन	100	371.52
कुल	20000	64986.23

दमन और दीव में नई इकाइयों हेतु राजसहायता

1434. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दमन उद्योग संघ ने उनके समक्ष संयंत्र एवं मशीनरी के निवेश हेतु दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में स्थापित किए जाने वाली नई इकाइयों के लिए 15 प्रतिशत राजसहायता का अनुरोध करने वाला ज्ञापन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस ज्ञापन पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विद्युत आपूर्ति का निजीकरण

1435. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत आपूर्ति का निजीकरण देश में विद्युत स्थिति में सुधार नहीं कर पाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) उड़ीसा में वर्ष 1999 में तथा दिल्ली में वर्ष 2002 में वितरण का निजीकरण किया गया। गत तीन वर्षों में इन राज्यों में विद्युत की आपूर्ति संबंधी स्थिति को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

दिल्ली में, विद्युत आपूर्ति की स्थिति में कुछ सुधार आने की सूचना दी गई है। वितरण कंपनियां, उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों को कम करने में समर्थ हुई हैं। उपभोक्ता सेवा यथा बिलों के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को अनेक विकल्प उपलब्ध करवाना, शिकायत सुधार प्रणाली, वितरण ट्रांसफार्मर में खराबी की दर को कम करना, तथा ब्रेकडाऊन से निपटने में लगने वाले समय में कमी, में भी सुधार हुआ है।

(ग) विद्युत समवर्ती विषय होने के कारण, राज्य में विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है और केन्द्र सरकार केन्द्रीय सार्वजनिक

क्षेत्र उपक्रमों के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में उत्पादन क्षमता जोड़ने में संपूरक भूमिका निभाती है। देश में विद्युत के उत्पादन एवं उपलब्धता के निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं।

(i) 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 41,110 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य रखा गया है जिसमें केन्द्रीय क्षेत्र में 22,832 मेगावाट, राज्य क्षेत्र में 11,157 मेगावाट, और निजी क्षेत्र में 7,121 मेगावाट शामिल है।

(ii) जल शक्यता का तीव्र गति से दोहन।

(iii) नये शुरू किए गए यूनिटों का शीघ्र स्थायीकरण।

(iv) उत्पादन क्षमता के इष्टतम उपयोग और विद्युत के अंत:क्षेत्रीय पारेषण के लिए सुदृढ़ राष्ट्रीय ग्रिड का निर्माण।

(v) वितरण में सुधार लाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने सकल पारेषण एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी करने और विद्युत क्षेत्र की वाणिज्यिक व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में राज्यों में सब-पारेषण और वितरण प्रणाली के उन्नयन हेतु त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) को कार्यान्वित किया है। एपीडीआरपी के अंतर्गत उप-पारेषण एवं वितरण प्रणालियों से संबंधित स्कीमों को आरंभ करने के लिए राज्यों की निधियां प्रदान की जा रही है।

(vi) मांग पक्ष प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और संरक्षण उपाय।

(vii) पुराने और अक्षम उत्पादन यूनिटों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण और जीवन विस्तार हेतु पावर फाइनैंस कारपोरेशन द्वारा ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करना।

विवरण

दिल्ली और उड़ीसा में विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

2001-02				2002-03				2002-04			
आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी		आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी		आवश्यकता (मि.यू.)	उपलब्धता (मि.यू.)	अधिशेष/कमी	
		मि.यू.	%			मि.यू.	%			मि.यू.	%
					दिल्ली						
19350	18741	-609	-3.1	19946	19567	-379	-1.9	20440	20160	-280	-1.4
					उड़ीसा						
12328	12318	-10	-0.1	13393	13087	-306	-2.3	13610	13375	-235	-1.7

[हिन्दी]

अवध कोओपरेटिव बैंक का पुनरुद्धार

1436. श्री ब्रजेश पाठक : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक को अवध कोआपरेटिव बैंक लि. लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के पुनरुद्धार हेतु पैकेज को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक को अवध कोआपरेटिव बैंक लि., लखनऊ को पुनरुज्जीवन के लिए पैकेज का अनुमोदन करने हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

दाभोल विद्युत परियोजना

1437. श्री देविदास पिंगले :
श्री मोहन सिंह :
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु :
श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :
श्री बसुदेव आचार्य :
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :
श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और गेल का विचार 500 करोड़ रुपए के समान अंशदान से दाभोल विद्युत परियोजना को पुन: शुरू करने का है, जैसाकि दिनांक 6.2.2005 के ''इकोनामिक टाइम्स'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस परियोजना के पुनरूद्धार करने के लिए कोई वित्तीय निवेश किया गया है;- और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) से (घ) भारत सरकार ने दाभोल विद्युत परियोजना से संबंधित सभी मामलों की जांच और निर्णय के लिए एक अधिकार प्राप्त मंत्रिदल (ईजीओएम) को गठन किया है। ईजीओएम की विभिन्न अवसरों पर कई बैठकें हुई हैं और यह दाभोल परियोजना के पुनर्गठन हेतु विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है। ईजीओएम सभी उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए परियोजना पुनर्गठन के ब्यौरों पर निर्णय करेगा।

[अनुवाद]

ताप विद्युत उत्पादन

1438. श्री जुएल ओराम :
श्री दुष्यंत सिंह :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कितनी उपलब्धि प्राप्त की गई है;

(ख) राज्य-वार और संयंत्रवार पृथक-पृथक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान अपने लक्ष्यों को संशोधित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा एनटीपीसी के लिए 10वीं योजनावधि में राज्यवार/परियोजनावार दिये गये वार्षिक उत्पादन लक्ष्य तथा तदनुसार प्राप्त उत्पादन लक्ष्य संलग्न विवरण में दिये है।

वर्ष 2005-06 के उत्पादन लक्ष्य केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ अंतिम रूप दिये जाने की स्थिति में है।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, प्रत्येक, पावर स्टेशन और यूटिलिटीज के लिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य, उनके द्वारा निष्पादित विगत प्लाण्ट लोड फैक्टर, वर्ष के दौरान सम्भावित क्षमता अभिवृद्धि, ईंधन उपलब्धता जैसे गैस, तरल ईंधन, कोयला आदि, जल विद्युत परियोजनाओं के लिए जल उपलब्धता, घोषित उच्चतम मांग और ऊर्जा (विद्युत) की आवश्यकता, ग्रिड की स्थिति, पावर यूटिलिटीज के द्वारा विद्युत परियोजनाओं के नवीकरण और आधुनिकीकरण की समय सीमा के अनुसार निर्धारित करता है।

विवरण

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार एनटीपीसी विद्युत परियोजनाओं द्वारा उत्पादन

(आंकड़ा मिलियन यूनिट में)

स्टेशन/ईंधन	स्थान/राज्य	2004-2005 (अप्रैल-फरवरी)		2003-04		2002-03	
		लक्ष्य (सीईए) सीईए	उत्पादन वास्तविक	लक्ष्य (सीईए) सीईए	उत्पादन वास्तविक	लक्ष्य (सीईए) सीईए	उत्पादन वास्तविक
1	2	3	4	5	6	7	8
सिंगरौली (कोयला)	उ.प्र.	13978	14409	15400	15642	15600	16164
रिहंद (कोयला)	उ.प्र.	7082	7246	7600	7956	7600	7751
ऊंचाहार (कोयला)	उ.प्र.	5718	6164	6400	6451	6450	6149
दादरी (कोयला)	उ.प्र.	5817	6250	6400	6181	6500	6038
टांडा (कोयला)	उ.प्र.	2623	3009	2350	2911	2010	2219
औरेय्या (गैस)	उ.प्र.	3940	3806	4600	4249	4700	4268
दादरी (गैस)	उ.प्र.	4991	5030	5700	5060	5700	5211
अंता (गैस)	राजस्थान	2688	2549	3000	2773	3000	2758
फरीदाबाद (गैस)	हरियाणा	2660	2893	3000	2789	3000	2702
कोरबा (कोयला)	छत्तीसगढ़	14571	15511	16050	16332	16050	16461
विंध्याचल (कोयला)	मध्य प्रदेश	15262	16221	16200	16354	16800	16931
कवास (गैस)	गुजरात	3624	2426	4400	3889	4000	4203
गंधार (गैस)	गुजरात	3006	3647	3900	3220	3600	3370
रामागुंडम (कोयला)	आंध्र प्रदेश	15070	15274	16050	16332	16000	16837
सिम्हाद्री (कोयला)	आंध्र प्रदेश	6800	7378	6880	7723	4500	4972
कायमकुलम (नाफथा)	केरल	1836	423	2400	2118	1850	2119
फरक्का (कोयला)	प. बंगाल	9946	8777	8800	9486	8950	8948

1	2	3	4	5	6	7	8
कहलगांव (कोयला)	बिहार	5396	5509	4800	5967	4700	4990
तालचेर थर्मल (कोयला)	उड़ीसा	14751	14694	8600	10991	5500	6523
तालचेर थर्मल (कोयला)	उड़ीसा	2574	2921	2470	2739	2290	2255
कुल		142153	144136	145000	149161	138800	140868

[हिन्दी]

लघु उद्योगों को राजसहायता

1439. श्री मो. ताहिर :
श्री मुन्शी राम :
श्रीमती अनुराधा चौधरी :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा पटसन उद्योग के लघु उद्योगों को दी जाने वाली राजसहायता को बढ़ाने संबंधी किसी योजना को मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र (एनसीजेडी) के तत्वावधान में पटसन उद्यमी सहायता योजना (जेईएएस) अगस्त, 2002 से लागू है। इस योजना के अनुसार पटसन उद्यमी 5.00 करोड़ रु. तक के संयंत्र/मशीनों की लागत वाले पटसन विविधीकृत एककों के लिए श्रेणी क और ख के तहत परियोजनाओं के वास्ते संयंत्र एवं मशीनरी की लागत के क्रमशः 15% और 10% की दर से पूंजीगत सब्सिडी के पात्र है। इस योजना का उद्देश्य विविधीकृत पटसन उत्पादों के उत्पादन के लिए नए एककों की स्थापना/मौजूदा एककों का विस्तार करना है। इस समय सब्सिडी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

ग्रामीण अवसंरचना

1440. श्री एन.एन. कृष्णदास : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण अवसंरचना के समग्र विकास के लिए विशेषकर दूरदराज के गांवों के लिए कोई नई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के परिणामों के संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना एक सतत प्रक्रिया है। यह समय-समय पर विशिष्ट अध्ययनों के जरिए किया जा रहा है। लगभग सभी राज्यों के चुने हुए जिलों में ग्राम आधारित प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन कराए गए हैं और यह पाया गया है कि कुल मिलाकर योजनाओं के अपेक्षित उद्देश्य पूरे हो गए हैं।

हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए योजना

1441. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार विशेषकर गुजरात में हस्तशिल्प व्यापार में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) क्या हस्तशिल्प व्यापार को बढ़ाने के लिए कोई विशेष योजना क्रियान्वित की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस विशेष योजना से हस्तशिल्प व्यापार में कितना सुधार होगा?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान हाथ से बुने कालीनों सहित हस्तशिल्प के निर्यात में दर्ज की गई प्रतिशत बढ़ोतरी/कमी निम्न प्रकार से है:—

क्र. स.	वर्ष	निर्यात करोड़ रुपयों में			प्रतिशत वृद्धि
		हस्तशिल्प	कालीन	कुल	
1.	2001-02	6769.50	2436.13	9205.63	(-) 0.70
2.	2002-03	8343.41	2590.26	10933.67	+ 18.77
3.	2003-04	10465.14	2300.04	12765.18	+ 16.75

राज्यवार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। हस्तशिल्पों के व्यापार में संवर्धन हेतु निर्यात संवर्धन योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसके संघटक उत्पाद विकास, प्रचार एवं विपणन हैं। उत्पाद विकास संघटकों में शामिल है; पैकेजिंग एवं निर्यात क्रियाविधि में कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण; प्रोद्योगिकी विकास हेतु कारीगरों/सिद्वहस्तशिल्पियों/डिजाइनकारों को प्रशिक्षण; भारत एवं विदेशों में कार्यशालाएं/सेमिनार; निर्यात हेतु प्रोटोटाइप के विकास हेतु डिजाइनरों/कारीगरों का चयन तथा विदेशी डिजाइनरों को आमंत्रित करना/प्रचार एवं विपणन संघटक में शामिल है: निर्यात संवर्धन हेतु प्रचार, अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेना, भारत एवं विदेशों में क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेना तथा विदेशा में विपणन अध्ययन आयोजित करना।

(घ) वर्ष 2001-02 के 9205.63 करोड़ रुपये के हस्तशिल्पों का निर्यात बढ़कर वर्ष 2003-04 में 12765.18 करोड़ रुपये हो गया। यह वृद्धि दर्शाती है कि इस स्कीम के मार्फत हस्तशिल्पों के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

विद्युतकरघा के संबंध में सीमा शुल्क

1442. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युतकरघा के बुनकरों ने वित्त मंत्री के कच्चे कॉटन और कॉटन यार्न पर लगाए गए सीमा और उत्पाद शुल्क को कम करने का अनुरोध किया है ताकि घरेलू कॉटन टैक्सटाइल विनिर्माण उद्योग को इससे संबंधित कच्ची सामग्री के मूल्यों में होने वाले त्वरित उतार-चढ़ाव से बचाया जा सके;

(ख) क्या सरकार विद्युतकरघा बुनकारों के इन सुझावों पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

मदुरई में उच्च न्यायालय की पीठ

1443. श्री एस.के. खारवेनथन : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरई पीठ ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो सिविल और अपराध इत्यादि के कितने मामले मदुरई पीठ को स्थानांतरित किए गए हैं और मदुरई पीठ का क्षेत्राधिकार क्या है;

(ग) इनमें से कितने मामले तीन/पांच वर्ष से अधिक और पांच वर्ष से भी अधिक पुराने हैं; और

(घ) सरकार ने पुराने मामलों को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मदुरई न्यायपीठ का अधिकारिता क्षेत्र तमिलनाडु में कन्याकुमारी, तिरूनेलवेली, टूटीकोरिन, मदुरै, दिन्दुगल, रामनाथपुरम्, वीरुधुनगर, शिवगंगा, पुडुकौट्टई, थंजावुर, नागापट्टिनम, तिरूचिरापल्ली, पेरामबलूर और करूर जिलों तक है। मदुरै न्यायपीठ को अंतरित मामलों की संख्या तथा 3/5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:–

	सिविल	दांडिक	योग
24.07.2004 तक मदुरै न्यायपीठ को अंतरित किए गए मामलों की कुल संख्या	16337	2987	19324
3 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	10483	1225	11708
5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों की संख्या	7300	638	7938

(घ) उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ नागरिकों के मामलों को पूर्विकता दी है, ऐसे मामलों, जिनमें पेंशन संबंधी फायदे अंतवर्लित हैं, ऐसे दांडिक मामलों, जिनमें अभियुक्त कारागार में हैं, मोटर दुर्घटना दावों से संबंधी मामलों, शिक्षा संबंधी मामलों तथा भूमि अर्जन के मामलों में दावों से संबंधित मामलों को समूहबद्ध किया जाता है और निपटाया जाता है। उक्त मामलों में जहां कहीं संभव होता है, इन्हें निपटारे के लिए लोक अदालत को निर्दिष्ट किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज दर

1444. श्री प्रबोध पाण्डा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों को भविष्य निधि पर मिलने वाला ब्याज अन्य बैंकिंग, बीमा और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को मिलने वाले ब्याज से भिन्न है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक सहित विभिन्न बैंकों द्वारा अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि पर किस दर से ब्याज का भुगतान किया जाता है; और

(ग) अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को मिलने वाले ब्याज की दर में भिन्नता के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और बीमा क्षेत्र के कर्मचारियों के भविष्य निधि पर ब्याज की दर का निर्णय न्यास द्वारा किए गए निवेशों पर प्राप्त आय के आधार पर उनके संबंधित न्यासों द्वारा लिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के भविष्य निधि पर ब्याज की दर का निर्णय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि विनियम, 1935, जो सांविधिक स्वरूप का है, के अनुसार लिया जाता है।

(ख) और (ग) विभिन्न बैंकों की भविष्य निधि पर ब्याज दर का निर्धारण उन विनियमों के तहत किया जाता है, जिनके अधीन वे कार्य करते हैं। इस समय भारतीय रिजर्व बैंक के पास इसके संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की भविष्य निधि की जमाराशि पर ब्याज की दर सभी संगत कारकों और कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) आदि पर प्रस्तावित दर को ध्यान में रखते हुए 1 अप्रैल, 2004 से 8% वार्षिक निर्धारित की गई है। चूंकि दरों का निर्णय प्रत्येक बैंक के न्यास द्वारा अपनी आय के आधार पर लिया जाता है, इसलिए यह एक बैंक से दूसरे बैंक में भिन्न-भिन्न है।

निवेश प्रस्तावों में वृद्धि

1445. श्री चन्द्रभूषण सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 2004 तक निवेश प्रस्तावों में 26.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का उद्देश्य आगामी वर्षों में देश के लिए वृद्धि आधारित निवेश करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार 2004 के दौरान (जनवरी से अक्तूबर) औद्योगिक निवेश प्रस्ताव जिनमें औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन, आशय पत्र और प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंस शामिल हैं, वर्ष 2003 में उसी अवधि के दौरान 66,05 करोड़ रुपए की तुलना में 2,22,071 करोड़ रुपए के थे। यह समग्र निवेश वातावरण में एक प्रत्यक्ष सुधार की संभावना दर्शाता है।

(ग) और (घ) सरकार ने कृषि में बढ़ते निवेश, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के प्रचालनीकरण, बढ़े हुए सरकारी निवेश, ढांचागत विकास हेतु सरकारी-निजी भागीदारी के संवर्धन और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति के उदारीकरण के लिए विभिन्न उपाय प्रारम्भ किए हैं। वर्ष 2005-06 के बजट में कृषि आधारढांचे के लिए बढ़ा हुआ निवेश, सार्वजनिक वस्तुओं जैसे सड़कें, रेलवे, विद्युत समुद्रीपत्तन और हवाईपत्तन में निवेश प्रदान करना एवं सुकर बनाना और सेवा क्षेत्रों में निवेश के लिए समर्थक नीति माहौल और स्थायी कर नीतियों का प्रस्ताव किया गया है। इन उपायों से उच्च वृद्धि हासिल करने के लिए बढ़े हुए निवेश प्रापत होने की संभावना है।

कपार्ट

1446. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री जी. करुणाकर रेड्डी :
श्री रामदास आठवले :
श्री विजयकृष्ण :
श्री बालेश्वर यादव :
श्री अब्दुल रशीद शाहीन :
श्री असादुद्दीन ओवेसी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपार्ट द्वारा विभिन्न राज्यों में राज्यवार कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं और उनके नाम क्या हैं और ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) ऐसी स्वीकृत परियोजनाओं को निष्पादित करने वाले संस्थानों जिसमें गैर-सरकारी संगठन भी शामिल हैं के नाम सहित परियोजनावार जारी की गई धनराशि/उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कपार्ट को दी जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए भी धनराशि आबंटित की गई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इसमें शामिल गैर-सरकारी संगठनों की अनियमितताओं के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ज) यदि हां, तो इस पर की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) से (ज) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

निर्धनों को मिलने वाली राजसहायता का प्रतिशत

1447. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :**
डा. चिन्ता मोहन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निर्धनों को मिलने वाली राजसहायता के प्रभावों का आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा निर्धन वर्ग के लोगों को मिलने वाली राजसहायता की मात्रा में वृद्धि के लिए कोई कार्यवाही की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) गरीबों सहित, लाभार्थियों के संबंध में विभिन्न योजनाओं के प्रभाव का आवधिक आकलन, कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ), योजना आयोग, विशेषज्ञ निकायों और अनुसंधान/शैक्षणिक संस्थानों जैसे सरकारी संगठनों के जरिए किया जाता है। विभिन्न अभिकरणों द्वारा की गई आकलन रिपोर्टों के प्रभाव की रिपोर्ट कार्यक्रम के डिजाइन डिलीवरी और प्रभाव में ताकतों और कमियों को दर्शाती हैं। व्यय सुधार आयोग (ईआरसी) ने राजसहायता प्रणाली की विस्तृत समीक्षा की है और परिवर्तनों की सिफारिश की है। "भारत में केन्द्र सरकार की सब्सिडियां" पर रिपोर्ट को 23 दिसम्बर, 2004 को संसद में प्रस्तुत रिपोर्ट में, आकलन अध्ययनों के प्रभाव के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष हैं।

(ग) से (ङ) ईआरसी, जैसे विशेषज्ञ निकायों के अध्ययनों और सिफारिशों में निहित सुझावों के आधार पर, सरकार खाद्य, उर्वरक और पैट्रोलियम के संबंध में सब्सिडियों की प्रणाली का पुनर्गठन कर रही है। 1997 से संचालन में आई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, और

ईआरसी की सिफारिशों पर आधारित उर्वरकों के लिए प्रतिधारण मूल्य योजना में परिवर्तन सरकार द्वारा सुधार लाकर राजसहायता की मात्रा को गरीबों तक पहुंचाने की कार्रवाई है। सरकार समाज के कमजोर वर्गों तक राजसहायता को पूरी तरह लक्षित करने के ध्येय के लिए साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वचनबद्ध है।

आनन्दनगर की गणेश चीनी मिल का पुनरुद्धार

1448. **श्री पंकज चौधरी :** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वस्त्र क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली आनन्दनगर की गणेश चीनी मिल सहित चीनी मिलों के पुनरुद्धार का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन मिलों के पुनरुद्धार पर होने वाले व्यय के लिए धनराशि प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) से (घ) गणेश चीनी मिल परिसमापन के आदेशों के तहत है और यह परिसमापक के नियंत्रणाधीन है।

तथापि, कामगारों के वर्ग से पुनरुद्धार का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसे विश्लेषण के लिए आईडीबीआई को भेज दिया गया है।

[अनुवाद]

आस्ट्रेलिया से ओडीए

1449. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा देश में सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यान्वित की जाने वाली आधारभूत परियोजनाओं के लिए लघु अनुदान सहायता देने के लिए भारत को दिए गए आस्ट्रेलियन ओडीए हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आस्ट्रेलिया से प्राप्त होने वाली द्विपक्षीय विकास सहायता का परियोजनावार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) ब्योरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

आस्ट्रेलिया से समुद्रपारीय विकास सहायता (ओडीए)

भारत सरकार के मार्ग निर्देशों के अनुसार आस्ट्रेलिया सहित सभी देश स्वायत्त संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों आदि को, केवल आर्थिक और सामाजिक महत्व की परियोजनाओं के लिए ही सहायता को निदेशित करते हुए प्रत्यक्ष अनुदान सहायता उपलब्ध करा सकते हैं।

इन संगठनों को विकास सहायता विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 द्वारा अभिशासित होगी और केवल वही संगठन, जो उक्त अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हैं, ऐसी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। उन संगठनों को, जो विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत नहीं हैं, उक्त अधिनियम के तहत समुचित प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त करना होगा।

प्रापक गैर-सरकारी संगठनों, स्वायत्त संगठनों आदि से निर्धारित प्रोफार्मा भरा जाना और आर्थिक कार्य विभाग की सहमति हेतु उसे अपने प्रस्तावों के साथ संबंधित विदेशी विकास भागीदार के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

विवरण-II

आस्ट्रेलिया से समुद्रपारीय विकास सहायता (ओडीए)

पिछले तीन वर्षों के दौरान आस्ट्रेलिया द्वारा भारत सरकार को वचनबद्ध द्विपक्षीय विकास सहायता के परियोजनावार ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वचनबद्ध राशि (आस्ट्रेलियाई डालर)
1	2	3
1.	भारत - आस्ट्रेलिया प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण परियोजना	15 मिलियन

1	2	3
2.	बंगलौर जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता परियोजना	6.7 मिलियन
3.	गंगटोक-शिलांग शहरी जलापूर्ति और पर्यावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम	39.4 मिलियन

सूचीबद्ध कंपनियों का निरीक्षण

1450. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 के अंतर्गत कितनी सूचीबद्ध कंपनियों का निरीक्षण किया गया है;

(ख) क्या सरकार पब्लिक निवेशक की निधियों का अन्यत्र प्रयोग करने वाली सूचीबद्ध कंपनियों के खातों का निरीक्षण करने के माध्यम से दंड संबंधी उपबंधों को लागू न करके पब्लिक निवेशकों के हितों की रक्षा करने में असफल है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कम्पनी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता) : (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (क) के अंतर्गत किए गए निरीक्षण निम्न हैं:

वित्तीय वर्ष	निरीक्षणों की संख्या
1999-2000	230
2000-2001	221
2001-2002	244
2002-2003	150
2003-2004	109

(ख) और (ग) जी नहीं! कंपनी अधिनियम, 1956 के स्थापित उल्लंघनों के लिए अभियोजन के आदेश दे दिए गए हैं/आरंभ कर दिए गए हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं

1451. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की विद्यमान शाखाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने बैंक शाखाएं खोलने के लिए अपेक्षित जनसंख्या का प्रतिशत निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। वर्तमान नीति में बैंक की शाखाएं खोलने के लिए जनसंख्या के किसी प्रतिशत का कोई लक्ष्य नहीं है। यह बैंकों के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि वे बैंक की अतिरिक्त शाखाएं खोलने के लिए स्थान/केन्द्र की पहचान करें और वे कुछ कारकों यथा कारबार सम्भाव्यता, लाभप्रदता, अवसंरचना, सुरक्षा आदि पर विचार करने के पश्चात ऐसा करते हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का ऋण जमा अनुपात

1452. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम और पूर्वोत्तर राज्यों का ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय अनुपात की तुलना में 45 प्रतिशत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अगले तीन वर्षों में ऋण जमा अनुपात में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) असम एवं अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में निम्न ऋण जमा अनुपात के कारणों में से कुछ ये हैं :

(i) सड़क, संचार एवं परिवहन सुविधा, विद्युत एवं तकनीकी जनशक्ति की कमी जैसे आधारभूत ढांचे का न होना।

(ii) कानून व व्यवस्था की स्थिति के कारण निवेश में कमी।

(iii) अर्थक्षम एवं बैंकों को स्वीकार्य ऋण प्रस्तावों की अनुपलब्धता।

(iv) कृषि क्षेत्र एवं सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत दिए गए ऋणों की खराब वसूली।

(v) इस क्षेत्र में ऋण खपाये जाने की क्षमता में कमी।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई) में ऋण प्रवाह को सुधारने के लिए बैंकों को सलाह देता रहा है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी), जिला सहकारी समिति (डीसीसी), इत्यादि जैसे विभिन्न मंचों के माध्यम से वार्षिक कार्य योजना, साथ ही, ऋण जमा अनुपात (सीडी अनुपात) स्थिति के तहत बैंकों के कार्य निष्पादन की निगरानी नियमित रूप से की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना (केसीसी), एवं स्व सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से व्यष्टि ऋण पर विशेष बल देते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में ऋण प्रवाह की मासिक आधार पर समीक्षा करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में एक निगरानी समूह का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक इन बैंकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं एवं मुद्दों, जिनमें राज्य सरकारों के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, को राज्य सरकारों के साथ भी उठा रहे हैं।

[हिन्दी]

एनटीसी मिलों का आधुनिकीकरण

1453. श्री हरिकेवल प्रसाद :
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :
श्री पी. करुणाकरन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एनटीसी मिलों के पुनरुद्धार तथा आधुनिकीकरण के लिए मिलवार कितनी सहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार के लिए नियत धनराशि अन्य मदों पर खर्च की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) की 53 मिलों के आधुनिकीकरण के लिए अब तक 281.97 करोड़ रु. की राशि दी गई है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं। बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित एनटीसी की पुनर्वासन योजना के अनुसार एनटीसी मिलों की भूमि और मशीनों सहित बेशी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्त होने वाली निधियां अर्थक्षम मिलों के आधुनिकीकरण के लिए खर्च की जानी हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

31.3.2001 तक आधुनिकीकरण संबंधी खर्च की गई राशि के मिलवार ब्यौरे

क्र. स.	मिल का नाम	राज्य	लगभग राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद न्यू टेक्स.	गुजरात	4.94
2.	अलगप्पा	केरल	8.01
3.	अनंतपुर	अ.प्र.	5.05
4.	अपोलो	महाराष्ट्र	3.79
5.	अराती	पश्चिम बंगाल	2.46
6.	एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज	असम	1.88

1	2	3	4
7.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र	1.69
8.	बारसी	महाराष्ट्र	5.89
9.	बिहार कोप.	बिहार	0.69
10.	बुरहानपुर	म.प्र.	4.67
11.	कंबोडिया	तमिलनाडु	9.43
12.	कन्नानूर	माहे	3.85
13.	कन्नानूर	केरल	2.24
14.	चालिसगांव	महाराष्ट्र	3.79
15.	कोयम्बटूर मुरुगन	तमिलनाडु	32.69
16.	कोयम्बटूर स्पिं एंड विविंग	तमिलनाडु	19.42
17.	धूले	महाराष्ट्र	5.61
18.	फिनले	महाराष्ट्र	0.30
19.	गोल्डमोहर	महाराष्ट्र	0.25
20.	इंदु नं. 1	महाराष्ट्र	9.30
21.	इंदु नं. 5	महाराष्ट्र	4.90
22.	इंदु नं. 6	महाराष्ट्र	4.96
23.	कालिश्वर 'बी'	तमिलनाडु	9.43
24.	केरल लक्ष्मी	केरल	7.01
25.	खरार	पंजाब	2.73
26.	कोहिनूर नं. 1	महाराष्ट्र	0.00
27.	लक्ष्मीनारायण	पश्चिम बंगाल	2.19
28.	महालक्ष्मी	राजस्थान	2.77
29.	मिनर्वा	कर्नाटक	11.24
30.	नान्देद	महाराष्ट्र	3.95
31.	न्यू भोपाल	म.प्र.	3.16
32.	न्यू सिटी	महाराष्ट्र	0.06
33.	उड़ीसा कॉटन	उड़ीसा	2.98
34.	पंकजा	तमिलनाडु	8.80
35.	पार्वती	केरल	15.96
36.	पायनियर	तमिलनाडु	5.88
37.	पोदार	महाराष्ट्र	0.46
38.	आरबीबीए	महाराष्ट्र	5.99
39.	आरएसआरजी	महाराष्ट्र	1.57
40.	राजनगर नं.1	गुजरात	6.87
41.	श्री विजय कॉटन	राजस्थान	4.22
42.	सोदीपोर	पश्चिम बंगाल	1.82
43.	श्री यलल्ममा	कर्नाटक	6.07
44.	श्री भारती	पांडिचेरी	7.71
45.	श्री रंगाविलास	तमिलनाडु	9.27
46.	श्री शारदा	तमिलनाडु	5.93
47.	सूरज	पंजाब	3.77
48.	स्वदेशी (मऊनाथ)	उ.प्र.	1.48
49.	स्वदेशी (नैनी)	उ.प्र.	2.71
50.	टाटा	महाराष्ट्र	0.11
51.	तिरूपति	आ.प्र.	5.83

1	2	3	4
52.	उदायपुर कॉटन	राजस्थान	0.25
53.	विजय मोहिनी	केरल	5.94
	कुल		281.97

[अनुवाद]

गारमेंट टैक्नोलोजी एक्सपो

1454. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गारमेंट टैक्नोलोजी एक्सपो आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो कोटा प्रणाली के पश्चात् तथा वस्त्र व्यापार पर विश्व व्यापार संगठन के प्रतिबंधों के मद्देनजर उपयुक्त पाई गई भारत की कंपनियों की प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वस्त्र उद्योग के प्रोत्साहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) और (ख) जी, हां। नवीनतम परिधान प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने के लिए नई दिल्ली में 21 से 24 जनवरी, 2005 तक ''परिधान प्रौद्योगिकी एक्सपो 2005'' आयोजित किया गया था ताकि भारतीय परिधान निर्माता कोटा मुक्त व्यवस्था के अवसरों का लाभ उठाने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी संबंधी विकल्प कार्यान्वित कर सकें।

(ग) सरकारी उभरती वैश्विक प्रतिस्पर्धा को पूरा करने के लिए भारतीय वस्त्र उद्योग के सुदृढ़ीकरण के लिए समय-समय पर अनेक कदम उठाती रही है। उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्नलिखित हैं:—

(1) इस क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन को सुगम बनाने के लिए दिनांक 1.4.1999 से प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) लागू कर दी गयी है।

(2) निवेश प्रोत्साहित करने के लिए तथा वैश्विक बाजार में हमारे वस्त्र उत्पादों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए विनिर्दिष्ट वस्त्र एवं परिधान संबंधी मशीनों की मदों के आयात पर सीमाशुल्क की रिआयती दर की अनुमति दी गई है। वित्तीय नीति संबंधी उपायों के माध्यम से मशीनों की लागत भी कम कर दी गई है।

(3) कपास की उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टी एम सी) शुरू किया है। इस मिशन में 4 लघु मिशन हैं जिनका कार्यान्वयन कृषि मंत्रालय और वस्त्र मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस मिशन का एक महत्वपूर्ण घटक मौजूदा जिनिंग एवं प्रेसिंग सुविधाओं का उन्नयन/आधुनिकीकरण कर कपास प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करना तथा मौजूदा बाजार यार्डों का सुधार करना/नए बाजार यार्डों की स्थानपना करना है।

(4) सरकार ने विकास संभावित केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अपैरल विनिर्माण एककों की स्थापना पर बल देने और निर्यात को गति देने के लिए ''अपैरल पार्क निर्यात योजना'' नामक एक केन्द्रीय रूप से प्रयोजित योजना शुरू की गई है।

(5) प्रमुख वस्त्र केन्द्रों में आधारभूत सुविधाओं को उन्नत बनाने के लिए वस्त्र आधारभूत विकास केन्द्र योजना (टीसीआईडीएस) शुरू की गई है।

(6) वित्तीय शुल्क ढांचा विकास एवं अधिकतम मूल्य संवर्धन की स्थिति प्राप्त करने के लिए युक्तिसंगत बना दिया गया है। पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न, सिंथेटिंक एवं कृत्रिम फाइबर तथा सिंथेटिक एवं कृत्रिम फिलामेंट यार्न पर अनिवार्य उत्पाद शुल्क को छोड़कर सूती वस्त्र एवं सूती क्लोदिंग की मदों सहित समग्र मूल्य वर्धन श्रृंखला को उत्पाद शुल्क की छूट का विकल्प दिया गया है। वस्त्र एवं वस्त्र मदों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (ए टी एंड टी) तथा अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) अधिनियम समाप्त कर दिया गया है।

(7) सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र से सिलेसिलाये परिधानों के बुनाई क्षेत्र को अनारक्षित कर दिया है। साथ ही सरकार ने निटेड क्षेत्र के लिए लघु उद्योग क्षेत्र के निवेश की सीमा को बढ़ाकर 5 करोड़ रु. कर दिया है। केंद्रीय बजट

2005-06 में लघु उद्योग क्षेत्र की 30 होजरी मदों के अनारक्षण की घोषणा की गई है।

(8) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की छह शाखाएं और अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजायन केंद्र (ए टी डी सी) डिजायन, व्यापार और विपणन के क्षेत्र में वस्त्र उद्योग, विशेषकर अपैरल की कुशल कारीगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न पाठयक्रम एवं कार्यक्रम चला रहे हैं।

(9) पारि-परीक्षण प्रयोगशालाओं के माध्यम से सुविधाएं तैयार की गई हैं ताकि निर्यातक आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप परिधानों/वस्त्रों का पूर्व-परीक्षण करवा सकें।

विश्व बैंक की तकनीकी सहायता

1455. **श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक नई पेंशन प्रणाली में केन्द्र और राज्य सरकारों को तकनीकी तथा विश्लेषणात्मक सहायता प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा अब तक कितनी सहायता राशि प्राप्त की गई है तथा महाराष्ट्र राज्य सरकार को कितनी धनराशि जारी की गई; और

(घ) उक्त सहायता के अंतर्गत कितने कर्मचारियों को दायरे में लाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) विश्व बैंक ने भारत की पेंशन प्रणाली में सुधार लाने के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण में सहायता देने हेतु 4,50,000 अमरीकी डालर के अनुदान को मंजूरी दी है।

(ग) सरकार को अब तक लगभग 1,10,000 अमरीकी डालर की राशि प्राप्त हुई है। तथापि, किसी राज्य को कोई राशि जारी नहीं की गई है।

(घ) तकनीकी सहायता से नए सरकारी कर्मचारियों की पेंशन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उपलब्धियां

1456. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दिशानिर्देशों में किए गए संशोधनों के बाद इस कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) एसजीएसवाई दिशा-निर्देशों में कोई व्यापक संशोधन नहीं किया गया है। तथापि, इसकी शुरूआत अर्थात् 1 अप्रैल, 1999 से लेकर दिसम्बर, 2004 तक योजना के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:—

बनाए गए स्व-सहायता समूहों की संख्या	—	1943010
सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगारी	—	5333144

वर्ष 2003-04 के दौरान आबंटित निधियों (केन्द्रीय रिलीज) को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 2003-04 के दौरान एसजीएसवाई के अंतर्गत आबंटित धनराशि (केन्द्रीय रिलीज) को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटित धनराशि (केन्द्रीय रिलीज)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3942.42
2.	अरूणाचल प्रदेश	139.60

1	2	3
3.	असम	5313.00
4.	बिहार	5488.81
5.	छत्तीसगढ़	2025.44
6.	गोआ	17.65
7.	गुजरात	1508.00
8.	हरियाणा	932.06
9.	हिमाचल प्रदेश	304.77
10.	जम्मू-कश्मीर	427.45
11.	झारखंड	2817.41
12.	कर्नाटक	2777.12
13.	केरल	1435.18
14.	मध्य प्रदेश	4397.14
15.	महाराष्ट्र	5712.39
16.	मणिपुर	56.75
17.	मेघालय	117.12
18.	मिजोरम	99.96
19.	नागालैंड	157.80
20.	उड़ीसा	4553.07
21.	पंजाब	444.25
22.	राजस्थान	2261.24
23.	सिक्किम	110.76
24.	तमिलनाडु	3690.70
25.	त्रिपुरा	696.74
26.	उत्तर प्रदेश	11756.85
27.	उत्तरांचल	686.02
28.	पश्चिम बंगाल	2617.59
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0.00
30.	दादर व नागर हवेली	0.00
31.	दमन व दीव	0.00
32.	लक्षद्वीप	0.00
33.	पांडिचेरी	25.00
	कुल	64512.29

परियोजनाओं हेतु विदेशी सहायता

1457. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अवसंरचना विकास, गरीबी उपशमन तथा पर्यावरण विकास से संबंधित योजनाओं के लिए विदेशों से कोई ऋण लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त ऋण के निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(घ) इस धनराशि से परियोजनावार तथा राज्यवार, विशेषकर कर्नाटक में कितनी परियोजनाओं के वित्तपोषित किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख), (घ) और (ङ) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

क्र. स.	ऋण दाता देश	अवसंरचना विकास	राज्य	ऋण राशि (ऋण मुद्रा मिलियन में)	पूरा होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5	6
	जापान			(येन में)	
1.		तुईरियाल पन बिजली विद्युत परि.	मिजोरम	11695	18.6.2009
2.		सिंहाद्रि थर्मल विद्युत परि.	आंध्र प्रदेश	19817	24.6.2007
3.		सिंहाद्रि थर्मल विद्युत परि.-II	आंध्र प्रदेश	12194	7.6.2008
4.		सिंहाद्रि थर्मल विद्युत परि.-III	आंध्र प्रदेश	27473	26.3.2009
5.		सिंहाद्रि व विजाग सम्प्रेषण प्रणाली परि.-II	आंध्र प्रदेश	6400	2.8.2009
6.		पं. बंगाल सम्प्रेषण प्रणाली परि.-II	प. बंगाल	3127	2.8.2009
7.		सिंहाद्रि थर्मल विद्युत परि.-IV	आंध्र प्रदेश	5684	22.8.2009
8.		बक्रेश्वर थर्मल विद्युत स्टेशन यूनिट विस्तार परि.	प. बंगाल	36771	31.7.2009
9.		पुरुलिया पम्पड स्टोरज परि.-II	प. बंगाल	23578	18.6.2009
10.		धौलीगंगा एचई विद्युत संयंत्र निर्माण परि.-III	उत्तरांचल	13890	12.7.2009
11.		उमियम स्टेज II हाइड्रो पावर स्टेशन नवीकरण व आधुनिकीकरण परि.	मेघालय	1964	18.6.2012
12.		दिल्ली द्रुत परिवहन प्रणाली परि.	दिल्ली	14760	21.10.2007
13.		कलकत्ता परिवहन प्रणाली परि.	प. बंगाल	10679	29.12.2005
14.		दिल्ली द्रुत परिवहन प्रणाली परि.-II	दिल्ली	6732	7.6.2008
15.		दिल्ली द्रुत परिवहन प्रणाली परि.-III	दिल्ली	28659	27.3.2009
16.		दिल्ली द्रुत परिवहन प्रणाली परि.-IV	दिल्ली	34012	31.7.2009
17.		दिल्ली द्रुत परिवहन प्रणाली परि.-V	दिल्ली	59296	18.6.2008

1	2	3	4	5	6
18.		यमुना नदी पर नैनी पुल	उत्तर प्रदेश	10037	11.3.2005
19.		राजघाट नहर सिंचाई परि.	म.प्र.	13222	29.5.2006
20.		रेनगली सिंचाई परि.-II	उड़ीसा	6342	18.6.2011
21.		केसी नहर आधुनिकीकरण परि.-II	आं.प्र.	4773	18.6.2012
	जर्मनी			(यूरो में)	
22.		विद्युत क्षेत्र सुधार-I (विजयवाड़ा थर्मल विद्युत स्टेशन का विस्तार)	आं.प्र.	281.057	30.12.2010
		गरीबी उपशमन			
	जापान			(येन में)	
23.		एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन एवं गरीबी उपशमन परि.	हरियाणा	6280	18.6.2014
24.		केरल जलापूर्ति परि.	केरल	11997	3.6.2006
25.		बिलासपुर-जयपुर जलापूर्ति परि. (अन्तरण प्रणाली)	राजस्थान	8881	19.10.2013
26.		आटापाडी वेस्टलैंड परि.	केरल	5112	26.3.2005
27.		छत्तीसगढ़ रेशमकीट पालन परि.	मध्य प्रदेश	2212	5.2.2005
28.		मणिपुर रेशमकीट पालन परि.	मणिपुर	3962	28.7.2005
		पर्यावरण विकास			
	जापान			(येन में)	
29.		पूर्वी कर्नाटक वानिकी परि.	कर्नाटक	15968	29.5.2005
30.		तमिलनाडु वानिकी परि.	तमिलनाडु	13324	29.5.2005
31.		पंजाब वानिकी परि. (II)	पंजाब	5054	31.7.2009
32.		राजस्थान वानिकी और जैव विविधता परि.	राजस्थान दिल्ली, उ.प्र.	9054	31.7.2010
33.		यमुना कारंवाई योजना परि.-II	हरियाणा	13333	31.7.2010

विवरण-II

परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

भारत सरकार को दिए जाने वाले ऋणों से संबंधित सामान्य शर्तें

(जनवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र. स.	स्रोत	मुद्रा	ऋण का स्वरूप (रियायती/मिश्रित)	रियायती अवधि (वर्ष)	रियायती अवधि के बाद वापसी अदायगी की अवधि (वर्ष)	ब्याज की वर्तमान दर (%)	असंवितरित ऋण राशि पर वचनबद्धता प्रभार (%)	टिप्पणी
1.	जर्मनी	यूरो	मिश्रित					
			(क) सरकारी हिस्सा	10	30	0.75	0.25	
			(ख) बैंक का हिस्सा	2	10	5.07 से 6.79	0.25	
2.	जापान	येन	रियायती	10	20 तथा 30	1.3 तथा 0.75		निर्धारित दर पर ब्याज लिया जाता है जैसा कि प्रत्येक ऋण-करार में निर्दिष्ट होता है।

आर्थिक सुधारों के लिए जर्मन सहायता

1458. **श्री सुग्रीव सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जर्मनी द्वारा आर्थिक सुधार तथा बाजार प्रणाली के विकास के लिए वित्तीय तथा तकनीकी दोनों प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत-जर्मन सहयोग वाली परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सहायता के लिए निबंधन और शर्तें क्या हैं;

(घ) ऐसी परियोजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा ऐसी परियोजनाओं के अंतर्गत अब तक प्राप्त किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आज की तारीख तक बकाया ऋण का ब्यौरा क्या है तथा इस सहायता का पुनर्भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) पिछले तीन वर्षों में जर्मनी द्वारा भारत को आर्थिक सुधारों और बाजार प्रणाली के विकास हेतु कोई वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कटे-फटे करेंसी नोटों का परिचालन

1459. **श्री रामदास आठवले :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरे देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कटे-फटे करेंसी नोट परिचालन में हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि राष्ट्रीयकृत बैंक भी कटे-फटे नोटों को नहीं ले रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप आम लोगों को कठिनाई हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) जी, हां। देश में कटे-फटे करेंसी नोटों के परिचालन की यदा-कदा शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।

(ग) और (घ) जनवरी, 1999 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित स्वच्छ नोट नीति में नागरिकों को नए एवं स्वच्छ नोट उपलब्ध कराने तथा बैंकों के माध्यम से उनके मैले-कुचैले और कटे-फटे नोटों की अदला-बदली करने की सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है। सतत् उपायों जैसे विशेष अभियान, मोबाईल वैन, चुनिंदा शाखाओं को रविवार को खुला रखना इत्यादि, के माध्यम से भी कटे-फटे नोटों को परिचालन से हटाया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि वे जारी योग्य एवं गैर-जारी योग्य नोटों को छाँट लें और जनता को केवल स्वच्छ नोट ही जारी करें। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इसके कार्यान्वयन का अनुवीक्षण बैंक शाखाओं के नियमित निरीक्षण तथा जनता को मीडिया के माध्यम से बैंकों से केवल स्वच्छ नोट प्राप्त करने पर जोर देने के लिए प्रेरित करने के माध्यम से किया जाता है।

[अनुवाद]

विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा कारपोरेट बांड

1460. **श्री रायापति सांबासिवा राव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को घरेलू कारपोरेट बांडों में विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा निवेश पर एक वृहत नीति तैयार करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में ब्याज दर प्रबंधन पर इस मुद्दे के सभी प्रभावों पर विचार करने के बाद ऐसा किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई ठोस नीति बनाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

सुनामी से प्रभावित क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए बहुपक्षीय सहायता

1461. **श्री मधु गौड यास्खी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सुनामी से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निमाण में सहायता के लिए बहुपक्षीय एजेंसियों को मंजूरी दे दी है जिस पर 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर की लागत आने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) 1-15 फरवरी, 2005 के दौरान विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के एक संयुक्त मूल्यांकन मिशन ने प्रभावित राज्यों - आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु तथा संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का दौरा किया ताकि विश्व बैंक, एडीबी और यूएनडीपी द्वारा सुनामी के बाद की जाने वाली पुनर्निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए अपेक्षित सहायता की प्रमात्रा का आकलन किया जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) ने भी सुनामी प्रभावित समुदायों के पुनर्वास के लिए सहायता मुहैया कराने हेतु अपनी इच्छा की पुष्टि की है।

शहरी हाट

1462. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने देश में आज की तारीख तक कितने

"शहरी हाटों" की स्थापना की है तथा इनका स्थानावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर चेन्नई अथवा तमिलनाडु में किन्हीं अन्य स्थानों पर नए "शहरी हाट" की स्थापना का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) देश में स्थापित किए जाने के लिए 32 शहरी हाट अनुमोदित किए गए हैं, जिनमें से 5 हाटों ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है। स्थानवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) तमिलनाडु राज्य सहित देश में नए शहरी हाटो की स्थापना पर योजना के मानको के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के जरिए व्यावहार्य परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र. सं.	राज्य	अनुमोदित शहरी हाटों की संख्या		स्थान
1	2	3		4
1.	*हरियाणा	1		उच्चाना (करनाल)*
2.	जम्मू-कश्मीर	2	(i)	जम्मू *
			(ii)	श्रीनगर
3.	पंजाब	1		पटियाला
4.	राजस्थान	2	(i)	जोधपुर
			(ii)	जयपुर
5.	दिल्ली	1		महरौली
6.	उत्तर प्रदेश	4	(i)	आगरा
			(ii)	कानपुर
			(iii)	लखनऊ
			(iv)	वाराणसी
7.	उत्तरांचल	1		देहरादून
8.	पश्चिम बंगाल	1		कोलकाता
9.	उड़ीसा	3	(i)	भुवनेश्वर*
			(ii)	कोणार्क
			(iii)	पुरी
10.	झारखंड	2	(i)	रांची
			(ii)	हजारी बाग
11.	आन्ध्र प्रदेश	1		तिरूपति *
12.	केरल	1		तिरूवनन्तपुरम
13.	पाँण्डिचेरी	1		पाँण्डिचेरी
14.	कर्नाटक	1		मैसूर
15.	गुजरात	3	(i)	अहमदाबाद
			(ii)	भुज
			(iii)	सूरत
16.	महाराष्ट्र	2	(i)	पुणे
			(ii)	मुम्बई
17.	मध्य प्रदेश	1		भोपाल *
18.	छत्तीसगढ़	1		रायपुर
19.	असम	1		गुवाहाटी
20.	नागालैंड	1		दीमापुर
21.	त्रिपुरा	1		अगरतला
	कुल	32		

*वे शहरी हाट जो चालू हैं।

स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत ऋण

1463. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्र के बैंको द्वारा बेरोजगार युवकों के लिए उपलब्ध ऋण योजनाएं कुछ सीमा तक विफल हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस विफलता के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने बेरोजगार युवकों के लिए कोई नई ऋण योजना आरंभ की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे बेरोजगार युवकों को कितना लाभ होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बेरोजगार युवाओं, अर्थात स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), तथा प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के लिए बैंकों के माध्यम से उपलब्ध ऋण योजनाएं विफल नहीं हुई हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान एसजीएसवाई (मूर्त) में सफलता की दर 59.87% एसजेएसआरवाई (वित्तीय) में 51.21% तथा पीएमआरवाई (मूर्त) में 60% रही है।

(ग) भारत सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए कोई नई ऋण योजना नहीं शुरू की है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

1464. श्री असादुद्दीन ओवेसी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना को राज्यों में कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्व-सहायता समूहों को उनके उत्पादों के विपणन में सहायता देने के दृष्टिगत सरकार ने स्व-सहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए विभिन्न विभागों/निगमों के साथ विपणन का मुद्दा उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल, 1999 से स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) को ग्रामीण भारत में एक प्रमुख स्व-रोजगार कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित कर रहा है। एस.जी.एस.वाई. का उद्देश्य सहायता प्राप्त गरीब परिवारों (स्वरोजगारियों) को सामाजिक जागरण, उनके प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण और बैंक ऋण एवं राजसहायता के सम्मिश्रण से आयसर्जक परिसंपत्तियां उपलब्ध कराकर उन्हें स्वसहायता समूहों में संगठित करके गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। यह ऋण से जुड़ी योजना है जिसमें ऋण एक मुख्य घटक है और राजसहायता एक सहायक घटक है। वर्ष 2003-04 के दौरान योजना की राज्यवार वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार के स्वसहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए सीधे विभिन्न विभागों/निगमों के साथ विपणन मुद्दे को उठाया है। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वसहायता समूहों के उत्पादों के विपणन के लिए राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तरों पर सरस मेला आयोजित कर रहा है ताकि उन्हें गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाया जा सके।

विवरण

वर्ष 2003-04 के दौरान एस जी एस वाई के अंतर्गत वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धि को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आबंटन	निधियों का उपयोग	सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों की कुल संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	5651.84	5631.80	79736

1	2	3	4	5
2.	अरुणाचल प्रदेश	295.37	176.17	1220
3.	असम	7674.87	7417.91	45480
4.	बिहार	13446.63	11216.49	111613
5.	छत्तीसगढ़	2985.12	2975.36	22926
6.	गोवा	66.67	51.31	364
7.	गुजरात	2127.44	2415.12	21462
8.	हरियाणा	1251.60	1437.07	11863
9.	हिमाचल प्रदेश	527.11	642.77	7928
10.	जम्मू-कश्मीर	652.36	842.03	6965
11.	झारखंड	5068.11	4711.54	66644
12.	कर्नाटक	4267.92	4711.28	43293
13.	केरल	1915.00	2054.13	20062
14.	मध्य प्रदेश	6399.53	7040.11	41979
15.	महाराष्ट्र	8436.65	8839.88	60659
16.	मणिपुर	514.51		एन.आर.
17.	मेघालय	576.44	161.90	5514
18.	मिजोरम	133.39	138.00	1457
19.	नागालैंड	395.44	105.63	3536
20.	उड़ीसा	6464.51	6699.20	59289
21.	पंजाब	608.27	671.96	6554
22.	राजस्थान	3240.80	3157.57	28618
23.	सिक्किम	147.68	230.30	1942
24.	तमिलनाडु	4997.47	5852.91	61120
25.	त्रिपुरा	928.97	967.15	6581
26.	उत्तर प्रदेश	19358.31	19564.60	140622
27.	उत्तरांचल	1017.33	1356.48	10780
28.	पश्चिम बंगाल	7184.01	5298.25	27008
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	50.00	4.24	350
30.	दमन व दीव	50.00		0
31.	दादर व नागर हवेली	50.00	6.16	125
32.	लक्षद्वीप	50.00	2.53	26
33.	पांडिचेरी	50.00	44.91	708
	कुल	106583.00	104424.76	896424

एन.आर.—असूचित।

लोक अदालतें

1465. श्री दुष्यंत सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रत्येक राज्य में कुछ और लोक अदालतें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में चल रही लोक अदालतों की संख्या कितनी है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन लोक अदालतों द्वारा निपटाये गए मामलों की संख्या कितनी है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति) : (क) जी हां। लोक अदालतों का आयोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह आवश्यकता आधारित है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात् 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या और लोक अदालतों में निपटाये गए मामलों की संख्या के संबंध में राज्यवार ब्यौरे दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2001-02, 2002-03 और 2003-04 के दौरान आयोजित की गई लोक अदालतों और इनमें निपटाये गए मामलों की संख्या दर्शित करने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम	2001-02		2002-03		2003-04	
		आयोजित की गई लोक अदालतें	निपटाए गए मामले	आयोजित की गई लोक अदालतें	निपटाए गए मामले	आयोजित की गई लोक अदालतें	निपटाए गए मामले
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	8,483	1,00,420	9,545	75,670	8,539	86,242
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	4	98
3.	असम	103	14,152	452	15,191	367	16,973
4.	बिहार	1,608	15,714	852	35,672	1,016	19,305
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	340	2,825
6.	गोवा	61	460	10	545	9	426
7.	गुजरात	5,250	206,425	3,617	1,26,258	7,658	2,48,609
8.	हरियाणा	222	41,900	134	20,274	177	34,063
9.	हिमाचल प्रदेश	425	3,157	447	3,049	443	4,665
10.	जम्मू-कश्मीर	175	2,267	122	2,653	189	3,415
11.	झारखंड	0	0	56	4,047	37	6,547
12.	कर्नाटक	811	45,457	850	23,172	1,678	32,860
13.	केरल	1,895	11,514	781	8,330	1,106	5,834
14.	मध्य प्रदेश	1,461	36,953	1,259	27,086	1,219	25,103
15.	महाराष्ट्र	1,477	30,185	1,315	28,336	962	19,483
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	7	1,021	3	512	2	161

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	मिजोरम	47	30	52	52	58	39
19.	नागालैंड	1	61	0	0	1	96
20.	उड़ीसा	722	3,77,123	732	3,10,435	718	1,74,078
21.	पंजाब	472	38,248	266	21,286	224	51,018
22.	राजस्थान	6,486	1,40,157	7,769	1,55,466	7,802	1,23,711
23.	सिक्किम	39	128	21	229	21	205
24.	तमिलनाडु	1,745	12,155	4,545	16,408	6,619	58,426
25.	त्रिपुरा			19	18	40	1,131
26.	उत्तर प्रदेश	1,363	3,45,698	1,427	3,48,540	3,315	2,48,341
27.	उत्तरांचल	0	0	56	13,109	228	2,972
28.	पश्चिमी बंगाल	278	4,821	202	5,077	139	3,405
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	1	22
30.	संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़	6	7,073	9	4,317	7	4,360
31.	दादरा और नागर हवेली	2	258	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	665	12,825	621	6,053	554	5,068
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	6	270	5	236	19	890

उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

1466. श्री अशोक कुमार रावत : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश की कौन-कौन सी परियोजनाएं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों की सहायता से चल रही हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी विकास परियोजनाओं के लिए अधिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) उत्तर प्रदेश में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र में विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त ''उ.प्र. विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना-II'' नामक प्रस्ताव विश्व बैंक को वित्तीय सहायता हेतु प्रस्तुत किया गया है। ''उत्तर प्रदेश में भूमि-जल के विकास हेतु परियोजना'' और ''उत्तर प्रदेश में बौद्ध सर्किट विकास चरण-II'' नामक दो और प्राप्त हुए प्रस्ताव जापान सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं। परियोजना को तैयार करने/उसे अंतिम रूप देने संबंधी कार्रवाई चल रही है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में चल रही विदेशी सहायता-प्राप्त परियोजनाएं

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र केन्द्रीय*/राज्य	राशि (मिलियन अमरीकी डालर)
1	2	3	4
	विश्व बैंक		
1.	ग्रामीण सड़क परियोजना	केन्द्रीय	399.5
2.	समेकित रोग निगरानी परियोजना	केन्द्रीय	68
3.	प्रारंभिक शिक्षा परियोजा	केन्द्रीय	500
4.	इलाहाबाद बाईपास परियोजना	केन्द्रीय	240
5.	खाद्य एवं औषधि क्षमता निर्माण परियोजना	केन्द्रीय	54.03
6.	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना	राज्य	488
7.	तकनीकी/इंजीनियरी शिक्षा गुणवत्ता सुधार परि.	केन्द्रीय	250
8.	उत्तर प्रदेश जल क्षेत्र पुनर्संरचना परियोजना	राज्य	149.2
9.	ग्राड ट्रंक सड़क सुधार परियोजना	केन्द्रीय	589
10.	तृतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना	केन्द्रीय	516
11.	उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	राज्य	110
12.	टीकाकरण सुदृढ़ीकरण परियोजना	केन्द्रीय	142.6
13.	उत्तर प्रदेश तृतीय जिला प्राथमिक शिक्षा परियोजना	राज्य	182.4
14.	राष्ट्रीय एचआईवी/एड्स नियंत्रण परियोजना (02)	केन्द्रीय	191
15.	उत्तर प्रदेश क्षारीय भूमि सुधार परियोजना (02)	राज्य	194.1

1	2	3	4
16.	महिला एवं बाल विकास परियोजना	केन्द्रीय	300
17.	राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना	केन्द्रीय	196.8
18.	ग्रामीण महिला विकास एवं अधिकारिता परियोजना	केन्द्रीय	19.5
19.	क्षयरोग नियंत्रण परियोजना	केन्द्रीय	142.4
	फ्रांसीसी सरकार		
20.	संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को उपस्कर की आपूर्ति	राज्य	29.522 मिलियन फ्रांसीसी फ्रांक
	अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी)		
21.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण परियोजना-II	केन्द्रीय	87.74 मिलियन पाउंड
	जापान सरकार		
22.	यमुना कार्य योजना परियोजना-II	राज्य	13333 मिलियन जापानी येन

* बहुराज्यीय और केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना के संबंध में राशि अन्य लाभानुभोगी राज्यों सहित सम्पूर्ण परियोजना के लिए वचनबद्ध राशि है।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन

1467. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्री सांतश्री चटर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कोयला खानों में दुर्घटनाएं

1468. श्री बी. विनोद कुमार : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में कोयला खानों में तथा विशेषकर सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) में बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कोयला खानों में संरक्षा तथा सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कोयला कंपनियों विशेषकर एससीसीएल को कर्मचारियों के लिए सुरक्षा हेतु आधुनिक उपकरणों की खरीद पर होने वाले खर्च की पूर्ति के लिए तथा खानों में सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता पैकेज देने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) जी, हां। सरकार कोयला खानों में दुर्घटना की घटनाओं से अवगत है और वह ऐसी दुर्घटनाओं को कम करने का निरन्तर प्रयास कर रही है।

(ख) खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा का प्रावधान, खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावलियों और विनियमों में किया गया है। सुरक्षा कानूनों की लगातार समीक्षा की जाती है और उनमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अधीन, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) सुरक्षा उपायों में सुधार लाने के लिए परिपत्रों के रूप में दिशा-निर्देश जारी करता है। प्रावधानों का खान प्रबंधन द्वारा अनुपालन अपेक्षित होता है। सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति का पता लगाने और कोई त्रुटि पाए जाने पर खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए खान सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारी खानों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं। सुरक्षा प्रबंधन में तीन सख्त पहलें अर्थात विकासात्मक, संवर्धनात्मक और सलाहकारी भूमिका हैं। कुछ ऐसी पहलें नीचे दी गयी है:-

- परिपत्रों के माध्यम से चुनिंदा प्रमुख बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में सुरक्षित प्रचालनों के लिए दिशा-निर्देश जारी करना।
- सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा देना।
- प्रबंधन द्वारा आत्म विनियमन को बढ़ावा देना।
- विभिन्न स्तरों पर सुरक्षा स्थिति की त्रिपक्षीय और द्विपक्षीय समीक्षा।
- सुरक्षा सप्ताह और सुरक्षा अभियान चलाना।
- सुरक्षा जागरुकता और सूचना प्रभार का सृजन करना।
- खानों में सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय सम्मेलन।
- राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।
- खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा कल्याण को बढ़ावा देने की दृष्टि से विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श।
- जोखिम आकलन, सुरक्षा प्रबंधन योजना और आपात प्रतिक्रिया प्रणाली के विकास की अवधारणा शुरू करना।
- कम जोखिम की संभावना के साथ खनन में नई प्रौद्योगिकी को शुरू करने को सुविधाजनक बनाना।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। एससीसीएल सहित प्रत्येक कोयला कंपनी एक पृथक सुरक्षा बजट बनाती है जिसमें कामगारों के लिए नवीनतम सुरक्षा साधनों की खरीददारी और खानों में सुरक्षा आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाने के लिए भी व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त निधियां मुहैया करायी जाती हैं।

उधार में से पुनः भुगतान का प्रतिशत

1469. श्री मनसुखभाई डी. वसावा :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान तिथि को तथा दस वर्ष पूर्व उधार में से पुनः भुगतान धनराशि की प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या उधार में से पुनः भुगतान की प्रतिशतता में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) केन्द्र सरकार को कुल उधारों के प्रतिशत के रूप में सभी स्रोतों और सभी परिपक्वताओं से वापसी अदायगी वर्ष 1994-95 (वास्तविक आंकड़े) 84.56 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2004-05 (संशोधित अनुमान) में 79.25 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में वस्त्र उद्योग पर प्रतिबंध

1470. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण प्रदूषण के नाम पर देश में विशेषकर राजस्थान में वस्त्र उद्योग पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई योजना बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) वस्त्र उद्योग के लिए अधिसूचित पर्यावरणीय प्रदूषण मानदंड पूरे देश में लागू हैं और ये राज्य विशिष्ट नहीं है। ये मानदंड इस उद्योग के सतत् विकास के लिए है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अनुकम्पा आधार पर नौकरी

1471. श्री ब्रजेश पाठक :
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक सेवा काल के दौरान बैंक-वार कितने कर्मचारियों की मृत्यु हुई;

(ख) अनुकम्पा आधार पर आश्रितों को दी गई उपयुक्त नौकरी का ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुकम्पा आधार पर उपयुक्त नौकरी नहीं पाने वाले आश्रितों का ब्यौरा क्या है;

(घ) पंजाब नेशनल बैंक तथा इलाहाबाद बैंक में अनुकम्पा आधार पर नौकरी के लिए प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है; और

(ङ) अनुकम्पा के आधार पर नौकरी कब तक दे दिये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

1472. श्री देविदास पिंगले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में विश्व बैंक तथा विदेशी वित्तीय संस्थानों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं कौन-सी हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को विश्व बैंक/विदेशी वित्तीय संस्थाओं द्वारा संस्थान-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) इस संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) इन परियोजनाओं पर किए गए कार्य की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) महाराष्ट्र में विश्व बैंक की सहायता से चल रही राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं का ब्यौरा क्या निम्नानुसार है:

(मिलियन अमरीकी डालर में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वचनबद्ध राशि	31.01.05 तक संचयी उपयोग	वित्तीय वर्ष 2004-05 के दौरान उपयोग (31.01.05 तक)
1.	महाराष्ट्र ग्रामीण जल आपूर्ति तथा स्वच्छता "जल स्वराज्य" परियोजना	181	10.41	1.41
2.	मुम्बई शहरी परिवहन परियोजना	542	82.62	25.55
3.	महाराष्ट्र स्वास्थ्य प्रणाली विकास परियोजना	134	75.32	15.17

महाराष्ट्र में अभी एशियाई विकास बैंक (एडीबी) तथा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आईएफएडी) की राज्य क्षेत्र की कोई परियोजना नहीं चल रही है।

(घ) उपर्युक्त परियोजनाएं स्वास्थ्य, ग्रामीण जलापूर्ति और अवसंरचना जैसे क्षेत्रों में हैं। इन परियोजनाओं के कार्य क्षेत्र में ग्रामीण परिवारों को बेहतर और चिरस्थायी पेय जलापूर्ति तथा सफाई सेवाओं की सुविधा देना, शहरी आर्थिक विकास को सुसाध्य बनाना और एक कारगर शहरी परिवहन प्रणाली को विकसित करके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना; स्वास्थ्य के संसाधनों की कारगरता को सुधारने के लिए स्थानीय सरकार को सहायता पहुंचाना; और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के निष्पादन को सुधारना शामिल हैं। इस समय इन परियोजनाओं के विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से राज्य के विभिन्न भागों में उपर्युक्त गतिविधियों पर कार्य चल रहा है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों के ऋण

1473. श्री जुएल ओराम :
श्री मदन लाल शर्मा :
श्री राजेश वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक/वित्तीय संस्थान विभिन्न राज्यों में उद्योग लगाने के लिए छोटे उद्यमियों को ऋण दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05 के दौरान उद्योग लगाने के लिए विभिन्न सरकारी बैंकों को प्राप्त आवेदनों की बैंक-वार तथा राज्य-वार संख्या कितनी हैं;

(ग) उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान उड़ीसा में जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कितने आवेदन प्रायोजित किये गए; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न सरकारी बैंकों से बैंकवार कितने आवेदनों पर ऋण दिया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किया गया है कि वे छोटे उद्यमियों के लिये, विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा, बैंक-वार व राज्य-वार, प्राप्त आवेदनों की संख्या संबंधी आंकड़े अभिग्रहण नहीं करते हैं। लघु उद्योग क्षेत्र को अग्रिमों के संबंध में, मार्च, 2003 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा राज्य सहित राज्य-वार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की पुस्तकों में बकाया राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(रुपए हजार में)

राज्य	लघु उद्योगों को कुल अग्रिम	
	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3
हरियाणा	45870	20768307
हिमाचल प्रदेश	17784	2267445
जम्मू-कश्मीर	6778	1535320
पंजाब	99095	40052565
राजस्थान	63410	18404037
चंडीगढ़	3162	3579328
दिल्ली	32708	44432489
असम	22412	2569034
मणिपुर	3335	220815
मेघालय	2863	280534
नागालैंड	2093	209671
त्रिपुरा	7546	301810
अरुणाचल प्रदेश	609	62200
मिजोरम	949	84709

1	2	3
सिक्किम	2556	27025
बिहार	99377	6009261
झारखंड	34511	5045429
उड़ीसा	50088	7107841
पश्चिम बंगाल	319255	35444260
अंडमान और निकोबार	488	73926
मध्य प्रदेश	75440	14217392
छतीसगढ़	15621	4710351
उत्तर प्रदेश	181003	42038845
उत्तरांचल	9860	3206186
गुजरात	53412	29821866
महाराष्ट्र	96551	100714215
दमन एवं दीव	70	89644
गोवा	3122	1875644
दादर एवं नगर हवेली	146	128324
आंध्र प्रदेश	110751	36590677
कर्नाटक	67567	28771099
केरल	94610	16066805
तमिलनाडु	197640	59332804
पांडिचेरी	1123	419235
लक्ष्यद्वीप	18	1096
अखिल भारत	1721823	526460189

[हिन्दी]

महिलाओं को बैंक ऋण

1474. श्री मो. ताहिर :
श्री मुंशी राम :
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :
श्रीमती अनुराधा चौधरी :
प्रो. महादेवराव शिवनकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मार्च, 2004 तक महिलाओं को कम से कम 5 प्रतिशत ऋण देने का लक्ष्य प्राप्त करने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान यह लक्ष्य प्राप्त करने वाले बैंकों की संख्या बैंकवार कितनी है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त लक्ष्य हासिल नहीं करने वाले बैंकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या उक्त बैंकों ने चालू वर्ष के दौरान महिलाओं को ऋण दिया है; और

(छ) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान अब तक बैंक वार कुल कितनी धनराशि ऋण स्वरूप प्रदान की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों (पीएसबी) को अपने निवल बैंक ऋण (एनबीसी) का 5% तीन वर्ष के भीतर महिलाओं को उधार देने के लिए निश्चित किए जाने की सलाह दी है जिसमें 31.3.2004 तक लक्ष्य प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

(ख) और (ग) 27 में से 19 पीएसबी ने 31.3.2004 तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया। ऐसे बैंकों का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि, जिन शेष बचे 8 पीएसबी ने निर्धारित तारीख तक लक्ष्य प्राप्त नहीं किया था, उनमें से ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स ने सितम्बर, 2004 तक और भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र एवं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दिसम्बर, 2004 तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया।

संभावना है कि शेष चार बैंक नामत: कार्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक तथा यूको बैंक शीघ्र ही लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। इन बैंकों द्वारा एनबीसी का 5% का लक्ष्य प्राप्त करने में हुई कमी का मुख्य कारण एनबीसी में उच्च दर की वृद्धि था।

(घ) से (छ) जो बैंक एनबीसी का 5% महिलाओं को उधार देने का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके थे उन्हें भारतीय रिजर्व बैंक एवं सरकार दोनों द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से महिलाओं को ऋण बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह दी गई है। निम्नलिखित जिन बैंकों ने एनबीसी के 5% का महिलाओं को उधार देने का लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं किया है, उन्होंने गत दो वर्ष के दौरान महिलाओं को प्रदान किए गए ऋण की राशि की सूचना दी है जो नीचे दी गई है :

राशि करोड़ रुपए में

क्र. सं.	बैंक का नाम	2003-04	2004-05 (दिसम्बर 2004 तक)
1.	कार्पोरेशन बैंक	225.27	213.55
2.	बैंक ऑफ इंडिया	460.69	514.83
3.	देना बैंक	318.15	315.84
4.	यूको बैंक	556.02	1016

विवरण

मार्च, 2004 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा महिलाओं को दिए गए ऋण का ब्यौरा

(राशि लाख में)

बैंक का नाम	निवल बैंक ऋण	महिलाओं को ऋण		
		खातों की संख्या	बकाया राशि	एनबीसी की तुलना में %
1	2	3	4	5
इलाहाबाद बैंक	1625927	165000	88223.66	5.43
आंध्रा बैंक	1337876	223165	87404.00	6.53
बैंक ऑफ बड़ौदा	2430711	255192	130998.64	5.39
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1131208	125087	57538.07	5.09
बैंक ऑफ इंडिया	2788152	268910	120244.00	4.31
केनरा बैंक	4456600	674155	259600.00	5.83
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	2247100	215609	104056.00	4.63
कार्पोरेशन बैंक	1265536	58454	46081.57	3.64
देना बैंक	941592	63217	31815.13	3.68
इंडियान बैंक	1304184	284484	92721.31	7.11

1	2	3	4	5
इंडियन ओवसीज़ बैंक	1826327	374660	99969.00	5.47
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	1967966	69685	70388.80	3.58
पंजाब नेशनल बैंक	4655156	526321	260650.00	5.59
पंजाब एंड सिंध बैंक	609952	38508	36899.00	6.05
सिंडिकेट बैंक	1672500	299869	109060.00	6.52
यूनियन बैंक	2904242	261274	154478.35	5.32
युनाइटेड बैंक	836500	164806	44717.44	5.34
यूको बैंक	1635900	162548	55602.71	3.40
विजया बैंक	1049601	112099	55379.19	5.28
भारतीय स्टेट बैंक	13288200	1294836	424168.00	3.19
स्टेट बैंक ऑफ बी. एंड जयपुर	884576	74827	45027.23	5.09
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1117010	426458	56409.00	5.05
स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	655826	37570	35021.06	5.33
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	569704	83654	34965.00	6.14
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1077688	41892	55435.41	5.14
स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	513140	25517	6797.00	1.32
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	997152	84005	65562.00	6.57
कुल	55790326	6411802	2629211.57	4.71

[अनुवाद]

निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएं

1475. **श्री जसुभाई दानाभाई बारड़ :**
श्री वाई.जी. महाजन :
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान तिथि को निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक परियोजना को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग वर्ष-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कार्य पूर्ण की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है तथा इनमें से श्रेणी-वार तथा राज्य-वार कितनी परियोजनाओं का कार्य प्रगति पर है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) इस समय देश में 41 थर्मल विद्युत तथा 31 जल विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। हाइड्रो

और थर्मल परियोजनाओं के राज्यवार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I तथा II में दिए गए हैं।

(ख) केंद्र क्षेत्र व राज्य क्षेत्र परियोजनाओं के बारे में केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा परियोजनावार वर्ष आबंटन के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

विवरण-I

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

स्कीम का नाम	राज्य	क्षमता (मेगावाट)	अद्यतन चालू होने का कार्यक्रम
1	2	3	4
केंद्रीय क्षेत्र			
धौलीगंगा (एनएचपीसी)	उत्तरांचल	280.00	2004-06
दुलहस्ती (एनएचपीसी)	जम्मू-कश्मीर	390.00	2005-06
तीस्ता चरण-5 (एनएचपीसी)	सिक्किम	510.00	2006-07
सेवा-II (एनएचपीसी)	जम्मू-कश्मीर	120.00	2006-07
तीस्ता लो डैम-III (एनएचपीसी)	पश्चिम बंगाल	132.00	2006-07
इंदिरा सागर (एनएचडीसी)	मध्य प्रदेश	125.00	2003-05
ओंकारेश्वर (एनएचडीसी)	मध्य प्रदेश	520.00	2006-07
टिहरी चरण-I (टीएचडीसी)	उत्तरांचल	1000.00	2005-06
कोटेश्वर (टीएचडीसी)	उत्तरांचल	400.00	2006-07
राज्य क्षेत्र			
उत्तरी क्षेत्र			
बगलिहार टॉस फेज-4	जम्मू-कश्मीर	450.00	2006-07
लारजी	हिमाचल प्रदेश	126.00	2005-06
मनेरी भाली-II	उत्तरांचल	304.00	2006-07
पश्चिमी क्षेत्र			
सरदार सरोवर	गुजरात/मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र	1000.00	2004-07

1	2	3	4
माधीखेड़ा	मध्य प्रदेश	40.00	2005.06
बाणसागर टोंस फेज-4	मध्य प्रदेश	20.00	2005-06
घाटघर पीएसएस	महाराष्ट्र	250.00	2005-06
दक्षिणी क्षेत्र			
प्रियदर्शिनी जुराला	आंध्र प्रदेश	78.00	2006-07 (दो यूनिटें)
अलमाटी बांध	कर्नाटक	165.00	2003-06
पाइकारा अल्टीमेट	तमिलनाडु	150.00	2005-06
भवानी बैराज-I	तमिलनाडु	30.00	2005-06
कुटियाडी अतिरिक्त विस्तार	केरल	100.00	2006-07
पूर्वी क्षेत्र			
बालीमेला विस्तार	उड़ीसा	150.00	2006-07
पुरुलिया पीएसएस (एनएचपीसी)	पश्चिम बंगाल	900.00	2006-08
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र			
कारबी लांग्पी (लोअर बोरपानी)	असम	100.00	2006-07
मिंत्दू	मेघालय	84.00	2007-08
निजी क्षेत्र			
विष्णु प्रयाग	उत्तरांचल	400.00	2006-07
11वीं योजना			
केंद्रीय क्षेत्र			
पार्बती चरण-II (एनएचपीसी)	हिमाचल प्रदेश	800.00	2009-10
कोलडैम एनटीपीसी	हिमाचल प्रदेश	800.00	2008-10
सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	अरुणाचल प्रदेश	2000.00	2010-11
कामेंग (नीपको)	अरुणाचल प्रदेश	600.00	11वीं योजना

1	2	3	4
राज्य क्षेत्र			
उत्तरी क्षेत्र			
उहल-III	हिमाचल प्रदेश	100.00	2007-08
दक्षिणी क्षेत्र			
प्रियदर्शिनी जुराला	आंध्र प्रदेश	156.00	2007-08 (चार यूनिटें)
कुल (स्वीकृत निर्माणाधीन)		12280	

विवरण-II

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं

क्षेत्र/राज्य	परियोजना का नाम	क्रियान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	महीना/वर्ष
1	2	3	4	5	6
केंद्रीय क्षेत्र					
बिहार	कहलगांव एसटीपीएस-II (फेज-I)	एनटीपीसी	यू-5	500	नवम्बर-2006
			यू-6	500	मार्च-2007
	कहलगांव-II (फेज-II)		यू-7	500	मार्च-2007
छत्तीसगढ़	सीपत एसटीपीपी-I		यू-1 व 2	1320	अप्रैल-2008
			यू-3	660	अक्टूबर-2008
	सीपत एसटीपीएस-II		यू-4	500	फरवरी-2007
			यू-5	500	मार्च-2007
झारखंड	चंद्रपुरा टीपीएस विस्तार	डीवीसी	यू-7	250	नवम्बर-2006
			यू-8	250	जनवरी-2007
मध्य प्रदेश	विंध्याचल-III	एनटीपीसी	यू-09	500	मार्च-2006
			यू-10	500	सितम्बर-2006

1	2	3	4	5	6
उत्तर प्रदेश	रिहंद-II		यू-4	500	जून-2005
	ऊंचाहार टीपीएस-III		यू-5	210	मार्च-2006
पश्चिम बंगाल	मेजिया टीपीएस	डीवीसी	यू-5	250	नवम्बर-2006
			यू-6	250	जनवरी-2007
		उप जोड़ :		7190.00	
राज्य क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीएस-II	एपीजेनको	यू-3	210	मार्च-2006
			यू-4	210	जुलाई-2006
छत्तीसगढ़	कोरबा ईस्ट टीपीपी-V	सीएसईबी	यू-1	250	नवम्बर-2006
			यू-2	250	फरवरी-2007
गुजरात	अकरीमोटा टीपीपी	जीएमडीसीएल	यू-1	125	मार्च-2005
			यू-2	125	जून-2005
	धुव्रण सीसीपीपी विस्तार	जीएसईसीएल	जीटी	70	दिसम्बर-2005
			एसटी	42	जनवरी-2006
	कच्छ लिग्नाइट टीपीपी	जीईबी	यू-4	75	जुलाई-2006
हरियाणा	यमुनानगर टीपीपी	एचपीजीसीएल	यू-1	300	मार्च-2007
			यू-2	300	जून-2007
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीपी	केपीसीएल	यू-1	500	मार्च-2007
महाराष्ट्र	पारस टीपीएस विस्तार	एमएसईबी	यू-1	250	अगस्त-2006
	पारस टीपीएस विस्तार		यू-1	250	मार्च-2006
मध्य प्रदेश	अमरकंटक टीपीपी	एमपीएसईबी	यू-5	210	फरवरी-2007
	बीरसिंहपुर टीपीएस विस्तार-III	एमपीईबी	यू-5	500	सितम्बर-2006
नागालैंड	दीमापुर डीजीपीपी	नागालैंड सरकार	डीजी	22.92	मार्च-2006

1	2	3	4	5	6
पंजाब	गुरू हरगोविंद-II	पीएसईबी	यू-1	250	अक्टूबर-2006
			यू-2	250	फरवरी-2007
राजस्थान	धौलपुर सीसीपीपी (फेज-I)	आरआरवीयूएनएल	जीटी-1	104	मई-2006
			जीटी-2	104	जुलाई-2006
			एसटी	122	दिसम्बर-2006
	गिराल टीपीपी		यू-1	125	मार्च-2006
त्रिपुरा	रोखिया जीटी विस्तार	त्रिपुरा सरकार	जीटी-8	21	फरवरी-2006
उत्तर प्रदेश	परीछा टीपीएस विस्तार	यूपीआरवीयूएनएल	यू-3	210	मार्च-2006
			यू-4	210	सितम्बर-2006
पश्चिम बंगाल	बक्रेश्वर टीपीएस-II	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	यू-4	210	मार्च-2007
			यू-5	210	
	दुर्गापुर टीपीएस	दुर्गापुर प्रोजेक्ट लि.	यू-7	300	जनवरी-2007
	सागरडिघी टीपीएस	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	यू-1	300	जनवरी-2007
			यू-2	300	मार्च-2007
	संथालडीह टीपीपी		यू-1	250	जनवरी-2007
		उप जोड़		6655.92	
निजी क्षेत्र					
आंध्र प्रदेश	गौतमी सीसीपीपी	गौतमी पावर लि.	जीटी-1	145	फरवरी-2006
			जीटी-2	145	फरवरी-2006
			एसटी	174	जुलाई-2006
	जेगरूपाडु सीसीपीपी विस्तार	जीवीके इंडस्ट्रीज	जीटी	140	जुलाई-2005
			एसटी	80	सितम्बर-2005
	कोनासीमा सीसीपीपी	कोनासीमा ईपीएसओपीएल	जीटी-1	140	सितम्बर-2005
			जीटी-2	140	दिसम्बर-2005

1	2	3	4	5	6
			एसटी	165	अगस्त-2006
	रामागुंडम टीपीपी	बीपीएल पावर प्रोजेक्ट	यू-1 व 2	520	
	वेमागिरि सीसीपीपी	वेमागिरी पावर जेन. लि.	जीटी	233	अक्टूबर-2005
			एसटी	137	नवम्बर-2005
छत्तीसगढ़	रायगढ़ टीपीपी (फेज-I)	जिंदल पावर लि.	यू-1	250	मार्च-2007
			यू-2 से 4	750	दिसम्बर-2007
झारखंड	जोजोबेरा टीपीपी	टीपीसीएल	यू-1	120	अगस्त-2005
कर्नाटक	नागार्जुना टीपीपी	एनपीसीएल	यू-1 व 2	1015	दिसम्बर-2008
महाराष्ट्र	डाभोल सीसीपीपी-II	डाभोल पावर कंपनी	जीटी+एसटी	1444	जनवरी-2007
तमिलनाडु	करूपपुर सीसीपीपी	अर्बन पावर कंपनी लि.	एसटी	49.8	मार्च-2005
	वालनथरावी सीसीपीपी	आरके एनर्जी लि.	जीटी	38	मार्च-2005
			एसटी	14.8	मार्च-2005
		उप जोड़		5700.60	
		जोड़		19546.52	

विवरण-III

10वीं योजना में क्षमता संवर्धन कार्यक्रम चालू करने के कार्यक्रम की परियोजनावार स्थिति

केंद्रीय क्षेत्र

(आंकड़े मेगावाट में)

परियोजना का नाम	चालू यूनिटें
1	2
थर्मल	
एनटीपीसी	
सिम्हाद्री	500
तालचेर-II	2000
रामागुंडम	500
रिहंद-II	500
	3500
कोयला मंत्रालय—एनएलसी	210
एनएचसी विस्तार-I	210
	420
डीवीसी	210

1	2
मेजिया-4	210
केंद्रीय क्षेत्र (थर्मल)	4130
हाइड्रो	
एनएचपीसी	
चमेरा-II	300
इंदिरासागर (जेवी)	875
	1175
एसजेवीएन	
नाथपा झाकड़ी	1500
	1500
नीपको	
हाइड्रो	
कोपिली-II	25
	25
केंद्रीय क्षेत्र (हाइड्रो)	2700
केंद्रीय क्षेत्र (न्यूक्लीयर)	0
समग्र केंद्रीय क्षेत्र	6830
राज्य क्षेत्र	
थर्मल	
दिल्ली	
प्रगति (टी)	225.78
हरियाणा	
पानीपत यूनिट-7	250

1	2
पानीपत यूनिट-8	250
राजस्थान	
सूरतगढ़-III (टी)	250
रामगढ़-II (टी)	75.32
कोटा-4 (टी)	195
गुजरात	
धुव्रण गैस (टी)	106.62
तमिलनाडु	
पेरूंगलम (वलुथूर) गैस (टी)	94
कुट्टालम गैस (टी)	100
कर्नाटक	
रायचूर यू-7 (टी)	210
(अभिज्ञात अतिरिक्त यूनिट)	
मिजोरम	
बैराबी डीजीपीपी (टी)	22.92
मणिपुर	
लीमाखोंग (डीजी)	18
त्रिपुरा	
बारामूरा जीटी (टी)	21
रोखिया जीटी (टी)	21
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	
रंगत बे (टी) डीजी 1 व 2	6
राज्य क्षेत्र (थर्मल)	1845.64

1	2
हाइड्रो	
मध्य प्रदेश	
बाणसागर-III (एच)	20
बाणसागर-II (एच)	15
गुजरात	
सरदार सरोवर (बहुराष्ट्रीय) (एच)	450
आंध्र प्रदेश	
श्रीसेलम एलबीएच (एच)	450
कर्नाटक	
अलमाटी बांध (एच)	125
उड़ीसा	
पोत्तेरू चरण-I यू-1 (एच)	3
पोत्तेरू चरण-II यू-1 (एच)	3
नागालैंड	
लिकिम रो यू-3 (एच)	8
राज्य क्षेत्र हाइड्रो	1074
समग्र राज्य क्षेत्र	2919.64
निजी क्षेत्र	
थर्मल	
तमिलनाडु	
नैवेली जीरो (टी)	250
करूपपुर सीसीपीपी जीटी	70
(अभिज्ञात अतिरिक्त परियोजना)	
आंध्र प्रदेश	
पेद्दापुरम (टी)	78
द्वीप समूह	
बम्बूफ्लैट डीजी (टी)	20
निजी क्षेत्र थर्मल	418
हाइड्रो	
हिमाचल प्रदेश	
बास्पा (एच)	300
निजी क्षेत्र हाइड्रो	300
समग्र निजी क्षेत्र	718
कुल जोड़	10467.64

सरकारी बैंकों द्वारा आवास ऋण

1476. **श्री इकबाल अहमद सरडगी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर कर्नाटक में सरकारी बैंको द्वारा कुल कितनी आवास योजनाओं का वित्त पोषण किया जा रहा है;

(ख) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 58वें दौर के निष्कर्षों के अध्ययन के आधार पर यह कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी बैंकों के नेटवर्क में पहुंच के मामले में आवास ऋण के संवितरण में अनुपात की दृष्टि से भारी अंतर पाया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश के ग्रामीण लोगों को किसी सरकारी क्षेत्र के बैंक ने ऋण दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग इससे किस सीमा तक लाभान्वित होंगे?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क), (घ) और (ङ) राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) ने स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना (जीजेआरएचएफएस) को 1997 में शुरू किया है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आवास के निर्माण, खरीद अथवा मरम्मत/उन्नयन के लिए आवास ऋण दिए जाने की अनुमति दी जाती है तथा इस योजना को अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, आवास वित्त कंपनियों एवं सहकारी क्षेत्र संस्थाओं के माध्यम से लागू किया जा रहा है। आज की तारीख तक इस योजना के तहत प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में 13 लाख आवास इकाईयों का वित्त पोषण किया। उनमें से 6,53,625 इकाईयों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा वित्त पोषित किया गया। कर्नाटक राज्य में, पीएसबी ने 2001-04 के तीन वर्षों की अवधि के दौरान 30,056 इकाईयों का वित्त पोषण किया। गत तीन वर्षों के दौरान जी जेआरएचएफएस के तहत बैंकों द्वारा दी गई आवास इकाई हेतु आवास ऋण के बैंक-वार एवं राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः विवरण-I और II में है।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा आवास ऋण के संवितरण के संबंध में एनएसएस के 58 वें दौर के सर्वेक्षण के आधार पर कोई अध्ययन नहीं किया है। तथापि, एनएसएस के 58वें दौर (जुलाई-दिसम्बर, 2002) की एनएसएस रिपोर्ट सं. 488 के अनुसार यह स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किए गए आवास निर्माण के लिए सरकारी स्रोतों के माध्यम से 8.2 प्रतिशत वित्त का अंशदान किया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(च) जीजेआरएचएफ योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के उधारकर्ताओं से अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। परिणामस्वरूप इस योजना के तहत लक्ष्य में हाल के वर्षों में निरंतर वृद्धि हुई थी। यह लक्ष्य 1997 में 50,000 था जो बढ़कर वर्ष 2003-04 में 2.50 लाख हो गया।

विवरण-I

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास योजना के तहत बैंक-वार उपलब्धि वित्त पोषित आवास इकाइयों की संख्या

क्र. सं.	बैंकों के नाम	स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना		
		2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	1764	1399	1636
2.	आंध्रा बैंक	0	3016	5105
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	3523	3428	6781
4.	बैंक ऑफ इंडिया	9777	522	970
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	333	161	192
6.	कारपोरेशन बैंक	1243	2082	2686
7.	केनरा बैंक	5643	16236	7823
8.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	967	1882	1263
9.	देना बैंक	399	381	679
10.	इंडियन बैंक	895	1355	2132
11.	इंडियन ओवसीज़ बैंक	2199	667	435
12.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	1146	1440	1700
13.	पंजाब नेशनल बैंक	4459	6521	6505
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	1004	1162	1331
15.	स्टेट बैंक ऑफ बी. एंड जयपुर	1687	720	16674
16.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	509	1126	1460
17.	भारतीय स्टेट बैंक	48415	27689	81236
18.	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	611	894	424
19.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	663	650	164
20.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	868	2018	2585
21.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	232	988	899
22.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	7940	9060	12120

1	2	3	4	5
23.	सिंडिकेट बैंक	4597	4991	8217
24.	यूको बैंक	2198	2745	1096
25.	यूनियन बैंक	3646	3675	3104
26.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	647	726	471
27.	विजया बैंक	719	1761	3492
	कुल	106084	97295	171180

विवरण-II

वर्ष 2001-02 से 2003-04 के दौरान स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास योजना के तहत बैंकों द्वारा प्राप्त राज्य-वार उपलब्धि

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बैंकों द्वारा वित्त पोषित आवास इकाइयों की संख्या		
	2001-02	2002-03	2003-04
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	5416	6304	15894
अरुणाचल प्रदेश	5	3	25
असम	329	497	659
बिहार	1430	1269	1864
छत्तीसगढ़	1078	426	580
गोवा	573	1354	584
गुजरात	2603	2173	4591
हरियाणा	1475	1355	2851
हिमाचल प्रदेश	1410	1911	3919
जम्मू-कश्मीर	219	161	434
झारखंड	1445	421	791
कर्नाटक	9143	9800	11113
केरल	14802	16021	16827
मध्य प्रदेश	3963	2863	2128
महाराष्ट्र	7490	7438	7274
मणिपुर	80	0	17
मेघालय	61	14	94
मिजोरम	611	239	89
नागालैंड	2	1	2
उड़ीसा	20619	2855	44352
पंजाब	3279	3362	5977
राजस्थान	3142	2059	3122
सिक्किम	323	326	343
तमिलनाडु	6162	11392	8502
त्रिपुरा	45	37	84
उत्तर प्रदेश	8081	4419	3506
उत्तरांचल	2103	1186	2488
पश्चिम बंगाल	4735	7142	7188
अंडमान एवं निकोबार	30	60	103
चंडीगढ़	265	39	842
दादर एवं नगर हवेली	0	0	0
दिल्ली	360	331	132

1	2	3	4
दमन एवं दीव	0	0	0
लक्षद्वीप	1	2	0
पांडिचेरी	528	398	114
अन्य	0	0	0
कुल	101808	85858	146489

नोट : किसी खास वर्ष के दौरान राज्य-वार कुल उपलब्धि में वास्तविक उपलब्धि से अंतर हो सकता है क्योंकि कुछ बैंकों द्वारा राज्य वार आंकड़े नहीं दिए जाते हैं।

तमिलनाडु में सहकारी समितियों में वित्तीय संकट

1477. **श्री एस.के. खारवेनथन** : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विशेषकर तमिलनाडु में स्थित अधिकांश बुनकर सहकारी समितियां स्टॉक के संचयन तथा निर्यात में कमी के कारण वित्तीय संकट का सामना कर रही है तथा बंद होने की कगार पर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन समितियों को बंद होने से बचाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकरसिंह वाघेला) : (क) और (ख) देश में सामान्यत: बुनकर सहकारी समितियों के पास संचित स्टॉक है जो समितियों के लिए वित्तीय समस्या का एक कारण है। निर्यात में कमी के संबंध में हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि वर्ष 2003-04 के दौरान 195.02 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ था जो वर्ष 2004-05 (28.2.2005 तक) के दौरान बढ़ कर 265.11 करोड़ रुपये हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने यह भी सूचित किया है कि तमिलनाडु में बुनकर सहकारी समितियां नाबार्ड से पर्याप्त कार्यशील पूंजी सहायता प्राप्त कर रही हैं और संचित स्टॉक और निर्यात में कमी के कारण वित्तीय संकट नहीं है। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि बुनकर सहकारी समितियों को वित्तीय संकट से बचाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) विभिन्न योजनाओं के तहत हथकरघा बुनकरों के कल्याण एवं विकास हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और उन्हें सहायता दी जाती है।

1. दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना
2. विपणन संवर्धन कार्यक्रम
3. हथकरघा निर्यात योजना
4. मिल गेट कीमत योजना
5. हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर हथकरघा एजेंसियों द्वारा दी गई 10% एकबारगी छूट की प्रतिपूर्ति की योजना
6. कार्यशाला-सह-आवास योजना
7. बुनकर कल्याण योजना (i) स्वास्थ्य पैकेज योजना (ii) थ्रिफ्ट फंड योजना (iii) नई बीमा योजना
8. बुनकर बीमा योजना
9. एकीकृत हथकरघा प्रशिक्षण परियोजना
10. हथकरघा (उत्पादर्नाथ वस्तु आरक्षण) अधिनियम, 1985 का कार्यान्वयन

[हिन्दी]

रक्षित विद्युत परियोजनाएं

1478. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"** :
श्रीमती जयाप्रदा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में रक्षित विद्युत परियोजनाओं की राज्य-वार वार्षिक विद्युत क्षमता कितनी है;

(ख) इस क्षेत्र में वर्ष 2005-06 के दौरान लगभग कितनी विद्युत का उत्पादन किया जाएगा;

(ग) इस क्षेत्र में उत्पादित कितनी विद्युत उपयोग में नहीं लाई जा सकी है;

(घ) क्या उपयोग में न आ रही इस विद्युत को उपयोग में लाने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31.03.2004 को देश में राज्यवार अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता और कैप्टिव विद्युत परियोजनाओं (मे.वा. और अधिक) का उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) 31.03.2004 को कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 18740.31 मेगावाट रिपोर्ट की गई थी। 2004-05 और 2005-06 के दौरान 5% वृद्धि का अनुमान लगाते हुए, 31.03.2006 के अंत तक कैप्टिव विद्युत संयंत्रों की अनुमानित अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता 20600 मेगावाट होगी। (कैप्टिव विद्युत संयंत्रों का पीएलएफ वर्तमान में लगभग 40% है) ठीक उसी प्रकार, 2003-04 के दौरान कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्पादित ऊर्जा 68173.12 जीडब्ल्यूएच थी। 2004-05 और 2005-06 के दौरान 5% वृद्धि का अनुमान लगाते हुए, 2005-06 के दौरान कैप्टिव विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित अनुमानित ऊर्जा 75161 जीडब्ल्यूएच होगी।

हालांकि, यदि सभी विद्युत संयंत्रों को 70% पीएलएफ पर चलाया जाता है तो कुल उत्पादित ऊर्जा 126693 जीडब्ल्यूएच होगी। कैप्टिव यूनिटों से उपलब्ध ऊर्जा की अप्रयुक्त मात्रा जिसे बेचा जा सकता हो (126693-75161) 51532 जीडब्ल्यूएच अर्थात 50,000 जीडब्ल्यूएच होगी।

(घ) और (ङ) विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत, ग्रुप कैप्टिव सहित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को खुली अनुमती दी गई है। अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति कैप्टिव उत्पादन संयंत्र और समर्पित पारेषण लाइनों का निर्माण अनुरक्षण और संचालन कर सकता है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, प्रत्येक व्यक्ति, जिसने कैप्टिव उत्पादन संयंत्र की देख-रेख तथा संचालन करता है, उसे पारेषण क्षमता की उपलब्धता के अधीन रहते हुए अपने कैप्टिव विद्युत संयंत्र से अपने प्रयोग की मंजिल तक विद्युत ले जाने के लिए खुली पहुंच का अधिकार होगा।

विवरण

1 मे.वा. और उससे अधिक क्षमता की कैप्टिव उत्पादन संयंत्रों की वार्षिक विद्युत सांख्यिकता

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	31.3.2004 स्थितिनुसार कुल अधिष्ठापित क्षमता (कि.वा.)	उत्पादन (जीडब्ल्यूएच) (03-04)	सहायक खपत (जीडब्ल्यूएच) (03-04)	नेट उत्पादन (जीडब्ल्यूएच) (03-04)	यूटिलिटियों को किया गया निर्यात (जीएचडब्ल्यू) (03-04)	स्वत: उत्पादन के अलावा उद्योग में प्रयुक्त ऊर्जा
1	2	3	4	5	6	7
हरियाणा	511314	916.01	33.29	882.72	96.76	785.96
हिमाचल प्रदेश	122842	59.05	5.22	53.83	0.00	53.83
जम्मू-कश्मीर	8560	0.49	0.00	0.49	0.00	0.49
पंजाब	326180	755.26	113.45	641.81	20.35	621.46
राजस्थान	687698	3001.47	152.41	2849.06	4.44	2844.62
उत्तर प्रदेश	1606125	7241.56	721.19	6520.37	83.74	6436.63
उत्तरांचल	96510	402.05	32.90	369.15	0.00	369.15
चंडीगढ़	8533	2.82	0.02	2.80	0.00	2.80
दिल्ली	1292	1.76	0.07	1.69	0.00	1.69

1	2	3	4	5	6	7
उप-योग (उत्तरी क्षेत्र)	3369054	12380.47	1058.55	11321.92	205.29	11116.63
गुजरात	2556759	11740.16	591.70	11149.46	608.90	10539.56
मध्य प्रदेश	834844	2274.57	114.79	2159.78	8.28	2151.30
छत्तीसगढ़	1020910	3641.74	136.14	3505.61	896.08	3409.52
महाराष्ट्र	1252767	4773.80	157.74	4616.06	130.36	4485.70
गोवा	67406	161.58	6.60	154.99	0.00	154.99
दमन और दीव	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दादर और नगर हवेली	31172	12.07	0.19	11.88	0.00	11.88
उप-योग (पश्चिमी क्षेत्र)	5763858	22603.92	1007.16	21596.78	843.62	20752.95
आंध्र प्रदेश	2056837	7058.45	571.03	6487.42	1961.34	4526.08
कर्नाटक	1195132	3698.24	282.56	3415.68	285.22	3130.46
केरल	241830	451.07	19.54	431.53	2.26	429.27
तमिलनाडु	1891562	5432.72	394.79	50327.93	1096.68	3941.25
पांडिचेरी	45931	50.69	1.98	48.71	0.00	48.71
लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप-योग (दक्षिणी क्षेत्र)	5431292	16691.17	1269.90	15421.27	3345.50	12075.77
बिहार	157091	198.85	20.35	178.47	0.00	178.47
झारखंड	921391	3904.54	577.24	3327.30	0.00	3327.30
उड़ीसा	1826949	9196.80	1015.79	8181.01	1169.93	7011.08
पश्चिम बंगाल	882212	2098.79	174.46	1924.33	2.60	1921.73
अंडमन व निकोबार द्वीप समूह	2664	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
सिक्किम	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप-योग (पूर्वी क्षेत्र)	3790307	15398.98	1787.87	13611.11	1172.53	12438.58
असम	385800	1098.58	85.57	1013.01	0.00	1013.01
मणिपुर	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मेघालय	.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
नागालैंड	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
त्रिपुरा	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उपयोग (पूर्वोत्तर क्षेत्र)	385800	1098.58	85.57	1013.01	0.00	1013.01
कुल (अखिल भारत)	18740311	68173.12	5209.05	62964.09	5566.94	57396.94

[अनुवाद]

एफआईपीबी/आरबीआई के माध्यम से शेयरों के स्थानांतरण की स्वीकृति

1479. श्री एन.एन.वी. चित्तन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व में यह विकल्प उपलब्ध था कि शेयरों के स्थानांतरण के लिए स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एफआईपीबी/आरबीआई केन्द्रीय कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है;

(ख) क्या अब कंपनियां इसके लिए सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से संपर्क करती हैं जिसके कारण प्रक्रिया में काफी विलम्ब होता है; और

(ग) आवेदनों के शीघ्र निपटान हेतु भारतीय रिजर्व बैंक या एफबीपीआई दोनों के माध्यम से स्वीकृति प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) पूर्व में किसी भारतीय कंपनी के निवासी शेयरधारकों से अनिवासी शेयरधारकों को शेयरों के अंतरण के लिए सरकार (एफआईपीबी) की पूर्वानुमति और उसके पश्चात् दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना संख्या फेमा 20/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण) विनियम, 2000 के विनियम 10क के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन अपेक्षित था।

(ख) और (ग) भारत में माहौल को विदेशी निवेशकों के लिए और अधिक आकर्षक बनाने हेतु, और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए, सरकार ने वित्तीय सेवा क्षेत्रकों (अर्थात बैंक, एनबीएफसी और बीमा) को छोड़कर अन्य क्षेत्रकों में किसी भारतीय कंपनी के निवासियों से अनिवासियों को (अभिदाता के शेयरों के अंतरण सहित) विक्रय के माध्यम से शेयरों/परिवर्तन डिबेंचरों के संबंध में सरकार (एफआईपीबी) का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन हो:

(i) निवेश करने वाली कंपनी की गतिविधियां विदेशी प्रत्यक्ष नीति के अंतर्गत स्वचालित मार्ग के अंतर्गत हैं और अंतरण सेबी (एसएएसटी) विनियम, 1997 के उपबंधों को आकृष्ट नहीं करता।

(ii) अंतरण के पश्चात् अनिवासी शेयरधारिता विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति की क्षेत्रक सीमाओं की अनुपालक हो।

(iii) वह मूल्य, जिस पर अंतरण हो, सेबी/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित कीमत निर्धारण दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति और साथ ही अन्य दिशानिर्देशों/विनियमों के अंतर्गत निर्धारित क्षेत्रक उच्चतम सीमा/सीमाओं के अनुपालन का दायित्व क्रेता तथा विक्रेता/निर्गमकर्ता का होगा।

सभी स्वचालित मार्ग अनुमोदनों में भारत में निवेश किए जाने के 30 दिनों के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक को केवल 'कार्योत्तर'' सूचना दिया जाना ही परिकल्पित है।

बोर्ड में प्रतिनिधित्व

1480. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में असम और पूर्वोत्तर राज्यों से स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्ड में असम ओर पूर्वोत्तर राज्यों से कितने स्वतंत्र निदेशक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों के गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (छ), (ज) और (झ) के तहत की जाती है। क्षेत्रीय आधार पर सीटों को आरक्षित करने का अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों के चयन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित मानदंडों के अनुसार, नामितों की योग्यता का आंकलन औपचारिक अर्हता तथा विशेषज्ञता, पिछला कार्य-निष्पादन रिकार्ड, सत्यनिष्ठा आदि के संदर्भ में किया जाता है। हाल ही में इन दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है जिससे कि देश के सभी छः अंचलों अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य तथा पूर्वोत्तर सभी का राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा सकें।

पारेषण और वितरण सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम

1481. श्री अन्नासाहेब पाटील शिवाजीराव : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत वितरण सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन संस्थानों में यह कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा विद्युत प्रणाली को सुधारने हेतु क्या अन्य पहलें की जा रही हैं?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) विद्युत मंत्रालय ने "यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इन्टरनेशनल डेवलपमेंट" के सहयोग से "देश में चयनित शहरी और ग्रामीण वितरण सर्किलों में "लास्ट माइल" विद्युत वितरण की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए सर्वोत्तम वाणिज्यिक एवं तकनीकी पद्धतियों" के प्रदर्शन के उद्देश्य से वितरण सुधारों, उत्थान एवं प्रबंधन (डीआरयूएम) परियोजना को शुरू किया है। डीआरयूएम परियोजना के एक भाग के रूप में, लगभग 20,000 यूटिलिटी अभियंताओं, प्रबंधकों एवं वितरण क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है।

(ग) निम्नलिखित संस्थानों ने डीआरयूएम परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं—

(i) एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज ऑफ इंडिया (एएससीआई), हैदराबाद।

(ii) नार्थ दिल्ली पावर लिमिटेड, नई दिल्ली का सेंटर फार पावर एफीशेन्सी इन डिस्ट्रीब्यूशन (सीईएनपीईआईसी)।

(iii) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, हैदराबाद का सेंट्रल इंस्टीट्यूट फार रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन (सीआईआरई)।

(iv) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई), बंगलौर।

(v) इण्डियन इंस्टीटयूट ऑफ टैक्नालॉजी, खड़गपुर।

(vi) राष्ट्रीय उत्पादकता काउन्सिल (एनपीसी), नई दिल्ली।

(vii) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टैक्नालॉजी, कानपुर।

(viii) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान (एनपीटीआई), फरीदाबाद।

(ix) विद्युत प्रबंधन संस्थान (पीएमआई) नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

(x) रिलायन्स एनर्जी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, मुम्बई।

(xi) दी एनर्जी एण्ड रीसोरसिस इंस्टीट्यूट (टीईआरआई), नई दिल्ली।

(घ) विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:—

(i) 11केवी फीडरों की मीटरिंग और उपभोक्ता मीटरिंग।

(ii) ऊर्जा एकाऊंटिंग और आडिटिंग।

(iii) विद्युत अधिनियम, 2003 में विद्युत की चोरी से संबंधित प्रावधानों को सुदृढ़ बनाना।

(iv) उप-पारेषण एवं वितरण प्रणाली के उत्थान एवं सुदृढ़ीकरण और राज्य विद्युत बोर्डों/यूटिलिटियों द्वारा नकद हानियों में कमी के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) का कार्यान्वयन।

(v) केन्द्र के साथ-साथ राज्य स्तर पर विनियामक प्रणाली की स्थापना।

(vi) विद्युत वित्त निगम (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) द्वारा ऋण सहायता।

(vii) उपभोक्ता बिलिंग और उपभोक्ता देखरेख जैसी आईटी पहलें।

(viii) हाई वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएम) की शुरूआत।

ग्यारहवें वित्त आयोग के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के लिए आबंटन

1482. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवें वित्त आयोग द्वारा राज्य-वार कितना आबंटन किया गया और संबंधित राज्यों की जनसंख्या कितनी है;

(ख) ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा राज्य-वार कितना आबंटन किया गया और संबंधित राज्यों की जनसंख्या कितनी है;

(ग) क्या दसवें वित्त आयोग द्वारा कर्नाटक राज्य के लिए किए गए आबंटन की तुलना में ग्यारवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आबंटन में काफी कमी कर दी गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

11वें वित्त आयोग के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के लिए आबंटन

(लाखों में)

राज्य	10वें वित्त आयोग के कुल अनुमानित अंतरण 1995-2000	11वें वित्त आयोग के कुल अनुमानित अंतरण 2000-05	जनसंख्या 1971 जनगणना	जनसंख्या 1991 जनगणना
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	1808154	3143605	435.03	665.08
अरुणाचल प्रदेश	176836	231977	4.68	8.64
असम	832805	1342371	146.25	224.14
बिहार	2465556	5727826	563.53	863.74
गोवा	62225	82931	7.95	11.70
गुजरात	887559	1226094	266.97	413.10
हरियाणा	279311	430381	100.37	164.64
हिमाचल प्रदेश	476166	749421	34.60	51.71
जम्मू-कश्मीर	732208	1647329	46.17	77.19
कर्नाटक	1052083	1997809	292.99	449.77
केरल	772181	1252522	213.47	290.99
मध्य प्रदेश	1609397	3540515	416.54	661.81
महाराष्ट्र	1370908	1987984	504.12	789.37
मणिपुर	213662	322638	10.73	18.37
मेघालय	188885	297129	10.12	17.75
मिजोरम	180201	253852	3.32	6.90
नागालैंड	279304	445479	5.16	12.10
उड़ीसा	970655	2096882	219.45	316.60
पंजाब	358947	556090	135.51	202.82
राजस्थान	1140087	2384024	257.66	440.06
सिक्किम	69889	163598	2.10	4.07
तमिलनाडु	1336057	2200375	411.9	558.59
त्रिपुरा	287321	437620	15.56	27.57
उत्तर प्रदेश	3615891	7937210	883.41	1391.12

1	2	3	4	5
पश्चिम बंगाल	1498042	3565264	443.12	680.78
कुल	22664330	44020926*	5430.80	8348.61

*ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा अपनी अनुपूरक रिपोर्ट में संस्तुत प्रोत्साहन निधि के केन्द्र के शेयर के रूप में शामिल 530386 लाख रुपए।

उत्तरांचल में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना

1483. श्री सुग्रीव सिंह : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरांचल में तपोवन विष्णुगढ़ और लहरीनाग पाला पन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के बीच किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत और विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) इन परियोजनाओं का कार्य कब तक शुरू कर दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या राज्य में ऋषिकेश छिल्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की सहायता किसी अन्य बाह्य एजेंसी द्वारा की गई है; और

(च) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे अब तक कितनी राशि अर्जिज की गई?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) और (ख) जी, हां। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने दिनांक 3.1.2005 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें के.वि.प्रा. द्वारा एनटीपीसी, की उत्तरांचल राज्य की तपोवन विष्णुगाड विद्युत परियोजना और लोहारीनाग पाला विद्युत परियोजनाओं की डिजाइन और इंजीनियरिंग के विद्युत अभियांत्रिक कार्यों के लिए सलाह सेवायें दी जायेंगी।

एनटीपीसी ने दिनांक 23.6.2004 को उत्तरांचल सरकार के साथ इन परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं।

(ग) परियोजनाओं की अनुमानित लागत और उत्पादन क्षमता निम्नलिखित हैं—

परियोजना	आंकलित लागत करोड़ रु. में	उत्पादन क्षमता (मेगावाट)
लोहारीनाग-पाला	2417.77	600
तपोवन-विष्णुगाड	2545.52	520

के.वि.प्रा. के प्रथम तिमाही 2004 के मूल्य स्तर पर कीमत घोषित की है।

(घ) एनटीपीसी ने इस परियोजनाओं के लिए स्थान-विशिष्ट अध्ययन भी प्रारम्भ किया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को अप्रैल, 2004 में सौंपी जा चुकी है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने इन परियोजनाओं के लिए तकनीकी-वाणिज्यिक स्वीकृति अगस्त, 2004 में प्रदान कर दी है। परियोजनाओं पर कार्य पहले ही प्रारम्भ किया जा चुका है। लोहारीनागपाला जल विद्युत परियोजना और तपोवन विष्णुगाड परियोजना के क्रमशः 2010-11 और 2011-12 में प्रारम्भ करने का कार्यक्रम है।

(ङ) और (च) सूचना उत्तरांचल सरकार से एकत्र की गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के केन्द्र

1484. श्री रामदास आठवले : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के केन्द्रों की संख्या स्थान-वार कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन केन्द्रों के उचित कार्यकरण और रखरखाव पर केन्द्र-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) क्या राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई..एफ.टी.) के केन्द्रों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : (क) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) के दिल्ली, मुंबई (महाराष्ट्र), कोलकाता (पं. बंगाल), चेन्नई (तमिलनाडु), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), गांधीनगर (गुजरात) और बगेलूर (कर्नाटक) में सात केन्द्र है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) निफ्ट के शासी बोर्ड ने निर्णय लिया कि मौजूदा केन्द्रों को सुदृढ़ और समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

विवरण

विभिन्न केन्द्रों के राजस्व व्यय को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु. में)

केन्द्र का नाम	86-87	87-88	88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94	94-95
नई दिल्ली और मु.का.	69.54	286.03	270.2	328.44	163.39	260.50	257.06	318.08	309.32
बैंगलूर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
चेन्नई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कोलकाता	–	–	–	–	–	–	–	–	–
गांधीनगर	–	–	–	–	–	–	–	–	–
हैदराबाद	–	–	–	–	–	–	–	–	–
मुंबई	–	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल योग	69.54	286.03	270.2	328.44	163.39	260.5	257.06	318.08	309.32

केन्द्र का नाम	95-96	96-97	97-98	98-99	99-00	00-01	2001-02	2002-03	2003-04	कुल
नई दिल्ली और मु.का.	430.98	643.4	419.32	1839.8	2219.6	2414.51	1984.14	1508.54	1633.54	15356.35
बैंगलूर	–	–	36.08	57.74	78.98	99.27	170.17	201.58	248.86	892.68
चेन्नई	39.82	46.63	78.66	125.54	136.66	149.06	200.67	218.39	238.04	1233.47
कोलकाता	51.06	71.87	91.85	134.97	147.01	194.47	210.11	256.26	317.9	1475.50
गांधीनगर	45.62	49.55	59.02	80.51	104.94	180.94	202.34	253.55	308.16	1284.63
हैदराबाद	52.88	58.15	77.14	101.18	116.11	133.32	203.63	239.76	253.83	1236.00
मुंबई	25.81	61.19	92.68	133.85	144.61	152.19	144.13	189.08	193.7	1137.24
कुल योग	646.17	930.8	854.75	2473.6	2947.9	3323.8	3115.19	2867.16	3194.03	22615.87

स्रोत : निफ्ट, नई दिल्ली

[अनुवाद]

ऋण वसूली अधिकरण

1485. श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में और अधिक ऋण वसूली अधिकरणों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो देश में अब तक स्थापित किए गए ऋण वसूली अधिकरणों का स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) स्थापित नए ऋण वसूली अधिकरणों/आगामी वर्षों में स्थापित किए जाने वाले अधिकरणों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) जी, हां।

(ख) अभी तक देश में 29 ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) स्थापित किए जा चुके हैं। इन ऋण वसूली अधिकरणों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

(ग) अहमदाबाद, चंडीगढ़, चैन्ने और कोयम्बटूर में नए ऋण वसूली अधिकरण तथा जम्मू एवं कश्मीर राज्य में एक ऋण वसूली अधिकरण स्थापित करने के प्रस्ताव पर कार्रवाई करने का निर्णय, सिद्धांत रूप में ले लिया गया है।

विवरण

देश में अब तक स्थापित ऋण वसूली अधिकरणों से संबंधित स्थान-वार ब्यौरे

क्रम सं.	डीआरटी का स्थान	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
1	2	3
1.	औरंगाबाद	महाराष्ट्र
2.	मुम्बई-I	
3.	मुम्बई-II	
4.	मुम्बई-III	
5.	नागपुर	
6.	पुणे	
7.	चेन्नई-I	तमिलनाडु
8.	चेन्नई-II	
9.	कोयम्बटूर	
10.	कोलकाता-I	पश्चिमी बंगाल
11.	कोलकाता-II	
12.	कोलकाता-III	
13.	दिल्ली-I	दिल्ली
14.	दिल्ली-II	
15.	दिल्ली-III	
16.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश
17.	लखनऊ	
18.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश
19.	विशाखापट्टनम	
20.	जयपुर	राजस्थान
21.	बंगलौर	कर्नाटक
22.	अहमदाबाद	गुजरात
23.	गुवाहाटी	असम
24.	पटना	बिहार
25.	जबलपुर	मध्य प्रदेश
26.	एर्णाकुलम	केरल
27.	कटक	उड़ीसा

1	2	3
28.	रांची	झारखंड
29.	चंडीगढ़	चंडीगढ़

रामागुण्डम विद्युत परियोजना

1486. श्री बी. विनोद कुमार : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामागुण्डम ताप विद्युत संयंत्र के तीसरे चरण का कार्य आरंभ हो गया है;

(ख) यदि हां, तो संयंत्र की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है और इकाई का प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) कितना है;

(ग) क्या रामागुण्डम ताप विद्युत परियोजना की विद्यमान इकाइयों के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण का कार्य आरंभ किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परियोजना के पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण के बाद विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : (क) जी, हां। रामागुण्डम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट तृतीय चरण को अगस्त, 2004 में चालू किया जा चुका है वर्तमान में इकाई स्थायित्वाधीन है।

(ख) रामागुण्डम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट की कुल वाणिज्यिक प्रचालन क्षमता 2100 मेगावाट है। अप्रैल, 2004 से फरवरी, 2005 तक उपलब्ध प्लांट लोड फैक्टर (पीएसएल) 89.42% है। तृतीय चरण स्थायित्वाधीन है और अभी तक वाणिज्यिक प्रचालन घोषित नहीं किया गया।

(ग) से (च) जी, हां। रु. 94 करोड़ की लागत से रामागुण्डम सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण (3x200 मेगावाट) और द्वितीय चरण) (3x500 मेगावाट) के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) का कार्य प्रारंभ किया गया है। नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) के क्रियाकलापों को वर्तमान स्तर के निष्पादन को स्थायी बनाये रखने के लिए प्रारंभ किया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के प्रस्ताव

1487. श्री ब्रजेश पाठक : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के संबंध में उत्तर प्रदेश द्वारा कितने प्रस्ताव भेजे गए; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से समेकित ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजना के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बैंकों के बोर्डों के लिए सलाहकार समूह

1488. श्री देविदास पिंगले : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के बोर्डों की पर्यवेक्षण भूमिका को सुदृढ़ बनाने हेतु कोई सलाहकार समूह गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो कौन से विषय उक्त सलाहकार समूह के पास विचाराधीन है; और

(ग) उक्त सलाहकार समूह द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक-बोर्डों की पर्यवेक्षण संबंधी भूमिका को सुदृढ़ बनाने के लिए हाल में किसी सलाहकार समूह का गठन नहीं किया है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले नवम्बर, 2001 में डा.ए.एस. गांगुली की अध्यक्षता में बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं के निदेशकों का परामर्शदाता समूह बनाया था, ताकि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की पर्यवेक्षण संबंधी भूमिका की पुनरीक्षा की जा सके और अनुपालन, पारदर्शिता, प्रकटीकरण, लेखा परीक्षा समितियों आदि की तुलना में बोर्डों के कार्य संचालन के संबंध में प्रतिसूचना प्रापत की जा सके तथा जोखिमों एवं अधिक एक्सपोजर को न्यूनतम करने के उद्देश्य से

निदेशक बोर्डों की भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें की जा सकें। इस समूह ने अप्रैल, 2002 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

इस समूह की सिफारिशों की जांच करके उन्हें रिपोर्ट के साथ अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (विदेशी बैंकों को छोड़कर) को इस अनुरोध के साथ भेज दिया गया था कि उन्हें अपने बोर्डों को प्रस्तुत करें और संबंधित बोर्डों के निर्णय के आधार पर उन्हें अपनाकर कार्यान्वित करें।

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों का अन्यत्र उपयोग

1489. श्री वसुभाई दानाभाई बारड़ : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों को जारी खाद्यान्नों के दुरूपयोग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे मामलों की जांच करने हेतु विशेष निगरानी प्रकोष्ठ की स्थापना का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विशेष निगरानी प्रकोष्ठ कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील) : (क) और (ख) सामान्य सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) तथा एस.जी.आर.वाई. के विशेष घटक के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की हैं जब कभी भी संघ सरकार की दृष्टि में ऐसी कोई अनियमितताएं आती हैं, संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जांच करके उपयुक्त कानूनी कार्रवाई करने को कहा जाता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न आयुक्तालयों में लंबित शुल्क की वसूली

1490. श्री सुग्रीव सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न आयुक्तालयों में कई करोड़ की शुल्क राशि लंबित थी;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2004 तक की स्थिति के अनुसार इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त राशि को वसूलने हेतु क्या उपाय किए गए; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लंबित शुल्क की वसूली का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बायो मास ऊर्जा

1491. श्री सनत कुमार मंडल : क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा 'बायो मास रिसोर्स एटलस आफ इंडिया' नाम की परियोजना शुरू की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धि हासिल की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार) : (क) और (ख) जी हां। मंत्रालय द्वारा भारत के लिए बायोमास संसाधन एटलस को समेकित करने के लिए एक परियोजना भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर और रीजनल रिमोट सैंसिग सर्विस सेंटर, बंगलौर को संयुक्त रूप से प्रायोजित की गई है। इस एटलस का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की बायोमास सामग्रियों के उत्पादन और उनकी प्रयोग पद्धति के आंकड़ों को मिलाते हुए डाटा का उपयोग करना है ताकि अतिरिक्त बायोमास सामग्री का अनुमान लगाया जा सके। इसके सत्यापन तथा संस्थापन हेतु अपेक्षित आंकड़ों

के संग्रह और कम्प्यूटर अनुप्रयोगों का विकास प्रगति पर है। इस परियोजना के मार्च, 2007 तक पूरा हो जाने की आशा है।

[हिन्दी]

नए कोयला भंडारों का सर्वेक्षण

1492. **श्री ब्रजेश पाठक :**
श्री अजय चक्रवर्ती :

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नए कोयला भंडारों की पहचान करने के लिए नियमित रूप से सर्वेक्षण करा रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान और आज तक कराए गए ऐसे सर्वेक्षणों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान पहचान किए गए कोयला भंडारों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन कोयला भंडारों से कोयला निकालने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी. एस.आई.) देश में नए कोयला संसाधनों का पता लगाने के लिए नियमित आधार पर सर्वेक्षण कर रहा हैं इसके अलावा, कोयला मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा क्षेत्रीय अन्वेषण के प्रयासों की प्रतिपूर्ति करने के लिए संवर्धनात्मक अन्वेषण हेतु योजना-दर-योजना के आधार पर निधि मुहैया कराता है।

(ख) क्षेत्रीय/संवर्धनात्मक अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा और खनिज अन्वेषण निगम लि. एवं केन्द्रीय खान आयोजना एवं डिजाइन इंस्टीच्यूट लि. द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए सर्वेक्षणों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

क्र. सं.	राज्य	कोलफील्ड	ब्लाकों/क्षेत्रों सेक्टरों की सं.
1.	पं. बंगाल	रानीगंज, बीरभूम	8
2.	झारखण्ड	ईस्ट बोकारो, साउथ कर्णपुरा, नार्थ कर्णपुरा, राजमहमल कोलफील्ड समूह	10
3.	उड़ीसा	तलचर, ईबी-नदी	9
4.	छत्तीसगढ़	मन्द-रायगढ़, कोरबा, हसदेव-अरान्ड, तातापानी-रामकोला, सोनहाट	21
5.	मध्य प्रदेश	सोहागपुर, सिंगरौली, पेंच वैली, तावा वैली, सोनाडा-गुरगुंडा	22
6.	महाराष्ट्र	काम्प्टी वर्धा वैली, कातोल, बनडेर	10
7.	असम	माकुम	2
8.	आन्ध्र प्रदेश	गोदावरी वैली	12
9.	सिक्किम	रनगीत वैली	1

(ग) क्षेत्रीय तथा संवर्धनात्मक अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुमानित कोयला संसाधनों का स्थान-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) नए कोयला निक्षेपों का अन्वेषण ब्लाक/क्षेत्र के बारे में क्षेत्रीय सूचना प्रदान करता हैं यदि कोयला ब्लाक को उपयुक्त पाया जाएगा तो योजना को शुरू किए जाने से पूर्व और विस्तृत अन्वेषण कराए जाने की आवश्यकता होगी। आमतौर पर इसमें विस्तृत अन्वेषण पूरा होने में 5 से 7 वर्षों का समय लग जाता है और इसके पश्चात खनन परियोजना रिपोर्ट/खनन योजना की तैयारी शुरू की जाती है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के दौरान क्षेत्रीय और संवर्धनात्मक अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत अनुमानित भंडारों को स्थानवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	राज्य	ब्लाक/एरिया/सेक्टर का नाम	कोयला क्षेत्र	संसाधन (मि. टन में)
1	2	3	4	5
	पश्चिम बंगाल	रामपुर-मोल्लरपुर	बीरभूम	378.59
		बिस्टुपुर-डंडेश्वर	रानीगंज	191.49
		मोहनपुर	रानीगंज	15.69
		कृष्णानगर	रानीगंज	22.13
		बरूल-बागडीहा	रानीगंज	24.58
		चुरुलिया	रानीगंज	200.24
		जामग्राम सेक्टर	रानीगंज	36.91
		बमुंडीही सेक्टर	रानीगंज	15.02
		गोपालनगर-गणपुर	बीरभूम	508.95
2.	झारखंड	हिटोली	साउथ करनपुरा	8.91
		पाटल (वेस्ट)	साउथ करनपुरा	13.91
		ठमरा-पहारिटोला	राजमहल ग्रुप	464.44
		चौधार-गरियापानी	राजमहल ग्रुप	136.27
		शहरपुर-जमरपानी	राजमहल ग्रुप	973.90
		कुलकुलिदंगल-सीतासल सेक्टर	राजमहल ग्रुप	355.50
3.	मध्य प्रदेश	मानपुरा	सोहागपुर	14.43
		पतासी	सोहागपुर	152.13
		चोपना शक्तिगढ़	सोहागपुर	14.75

1	2	3	4	5
		घुनघुटी ब्लाक	सोहागपुर	144.87
		सिंहपुर ब्लाक	सोहागपुर	100.73
		बिचारपुर ब्लाक	सोहागपुर	133.59
		पनवारी ब्लाक	सोहागपुर	55.47
		उझेनी-गोंडबहेरा	सिंगरौली	532.04
		बंधा ब्लाक	सिंगरौली	387.69
		लब्जी पुस्ला	सोनहाट	669.00
		सुलियारी बेलवार	सिंगरौली मेन बेसिन	81.00
4.	छत्तीसगढ़	कोरवा	कोरबा	72.50
		औंगाना- पोटिया	मांड रायगढ़	325.43
		जिलगा-बारपाली	मांड रायगढ़	545.79
		सुरसा	रामकोला टाटापानी	28.67
		कैंट	हसदेव अरंद	102.77
		बुधैझोरिया	हसदेव अरंद	97.10
		सारापल-नुआपार	तलचर	701.16
		कुदनाली-लबुरी	तलचर	396.10
		नुवागांव-तेलिशाही	तलचर	733.83
		बारपाली-कारमिटिक	मांड रायगढ़	179.51
		आमगांव-खौंगा	मांड रायगढ़	393.60
		भेल्मि ब्लाक	टाटापानी रामकोला	109.27
		बटाटी कोल्गा	मांड रायगढ़	2304
5.	महाराष्ट्र	बटाली	वरधा घाटी	1.99
		भारतवाडा	काम्पटी	168.00

1	2	3	4	5
		भीवकुंड	वरधा घाटी	159.00
		कलांबी कलमेश्वर	कटोल बेसिन	98.00
6.	आंध्र प्रदेश	जगन्नाथपुरम-गोडीपाड़ा	गोदावरी घाटी	25.10
		वेंकटपुर (एन)	गोदावरी घाटी	155.95
		धरमचेरिया-अब्बुगुडेम	गोदावरी घाटी	21.52
		शांतिनगरम	गोदावरी घाटी	11.85
		चिंतालचिल्का	गोदावरी घाटी	36.43
		विजनगुडेम	गोदावरी घाटी	29.86
		रिचेरला-नरसापुरम	गोदावरी घाटी	43.10
		चंद्रगोंडा	गोदावरी घाटी	135.00
		येलेंदु	गोदावरी घाटी	44.00
7.	उड़ीसा	त्रिबिरा ब्लाक	तलचर	1049.51

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों का वेतनमान

1493. **श्रीमती करुणा शुक्ला :**
श्री चंद्र मणि त्रिपाठी :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को उनके प्रमोटर बैंक के समान-पद वाले कर्मचारियों को दिये जा रहे वेतनमानों और भत्तों के समान वेतन और भत्तों के भुगतान का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का विचार उच्चतम न्यायालय के इस आदेश को कब तक कार्यान्वित करने का है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उक्त सुविधाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम) : (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31.1.2001 तथा 7.3.2002 के निर्णय के अनुसरण में सरकार ने प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 17(1) के द्वितीय परन्तुक के अंतर्गत क्रमश: दिनांक 11.4.2001 तथा 17.4.2002 को आदेश जारी करके सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पात्र कर्मचारियों के वेतनमानों को संशोधित किया है जहां छठे एवं सातवें द्विपक्षीय समझौतों के लाभ देते हुए दिनांक 1.4.2000 की स्थिति के अनुसार उन्हें वाणिज्यिक बैंकों के अपने समकक्ष कर्मचारियों के बराबर वेतनमान दिया गया है।

(घ) इसके कारण भारत सरकार पर तत्काल कोई प्रत्यक्ष वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। यह अपेक्षा की जाती है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अपने विद्यमान संसाधनों से और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार करके अतिरिक्त व्यय को वहन कर पाने की स्थिति में होंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

खान मंत्री (श्री शीश राम ओला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, कोलार गोल्ड फील्ड्स के वर्ष 2003-2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1688/05]

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला) : महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन जूट इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1689/05]

(3) (एक) वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) वस्त्र समिति, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गये। देखिए संख्या एल.टी. 1690/05]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : महोदय, मैं आपदा राहत के लिए संग्रहित धनराशि का विनियमन—दिसम्बर, 2004 के बारे में भारत के विधि आयोग के 191 वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 1691/05]

विद्युत मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : महोदय, मैं विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी राष्ट्रीय विद्युत नीति, जो 12 फरवरी, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 23/40/2004—आरएण्डआर (खंड II) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पट पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 1692/05]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) : महोदय, श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत डाकघर आवर्ती जमा (संशोधन) नियम, 2004, जो 27 दिसम्बर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 838 (अ)

में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1693/05]

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 40 की उपधारा (5) के अंतर्गत राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 1694/05]

अपराह्न 12.01 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : महोदय, मैं शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की वर्ष 2004-2005 की अनुदानों की मांगों के बारे में शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2004-2005) के पहले प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.02 बजे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति

चौथा, पांचवां और छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री उदय सिंह (पूर्णिया) : महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं–

(1) स्वास्थ्य विभाग की अनुदानों की मांगों संबंधी समिति (2004-2005) के पहले प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का चौथा प्रतिवेदन;

(2) परिवार कल्याण विभाग की अनुदानों की मांगों संबंधी समिति (2004-2005) के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/ टिप्पणियों पर परिवार कल्याण विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का पांचवां प्रतिवेदन; और

(3) आयुष विभाग की अनुदानों की मांगों संबंधी समिति (2004-2005) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर आयुष विभाग द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में समिति का छठा प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.03 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का आठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, 14 मार्च, 2005 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य किया जाएगा:

1. आज की कार्य सूची से शेष सरकारी कार्य की किसी

मद पर विचार निम्नलिखित विधेयकों का पुरःस्थापन उन पर विचार और उन्हें पारित किया जाना।

2. (क) विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 2005; और

(ख) विनियोग (रेल) विधेयक, 2005।

3. वर्ष 2005-06 के सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

4. निम्नलिखित मांगों पर चर्चा और मतदान तथा संबंधित विनियोग विधेयकों का पुरःस्थापन तथा उन पर विचार और उन्हें पारित किया जाना।

(क) वर्ष 2005-06 के लिए लेखानुदानों की मांगें (सामान्य); और

(ख) वर्ष 2004-05 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)।

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदें शामिल की जाएं :

(1) आई आई एस सी ओ (इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी) का सेल के साथ विलय संबंधी काफी समय से लम्बित पुनरुद्धार परियोजना के तुरंत निपटारे पर चर्चा की जानी चाहिए।

(2) बी ओ जी एल, एच एस सी एल, एन पी सी सी, बर्न स्टैन्डर्ड तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों तथा कामगारों को चार से बीस महीनों का वेतन नहीं दिया गया है। उनके जीविकोपार्जन तथा उनके बच्चों को आरंभिक शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु इस मामले पर भी चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया आप उसी बात पर चर्चा करें जिसका उल्लेख आपने नोटिसों में किया है। श्री वी.के. ठुम्मर।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वी.के. ठुम्मर क्या आप आगामी सप्ताह की कार्य सूची के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? कृपया ध्यान दें। आगामी सप्ताह की कार्यसूची में आप किन-किन विषयों को जोड़ना चाहेंगे?

[हिन्दी]

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली) : महोदय, लोकसभा के अगले सप्ताह के एजेन्डा में निम्नलिखित मानव हित एवं जनहित कार्यों को शामिल करने की कृपा करें :

1. बीएसएनएल की सिमकार्ड एजेंसी दिए जाने के बाबत जो नियम है कि एजेंसी चलाने के लिए अनुभव की आवश्यकता को बदल कर अनुभव के बिना वाले लोगों को भी एजेंसी दिए जाने का कार्य।

2. सौराष्ट्र में उपेक्षित रेलवे सेवा को दुरुस्त कर सौराष्ट्र में नई रेलवे सेवा शुरू करवाने एवं आधुनिक सेवा, ब्राड गेज लाइन की रेल सेवा शुरू करवाने हेतु कार्य एवं सौराष्ट्र के रेलवे स्टेशनों पर बुनियादी सेवा उपलब्ध करवाने का कार्य।

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर) : महोदय, लोकसभा के अगले सप्ताह के एजेन्डा में निम्नलिखित मानव हित एवं जनहित कार्यों को शामिल करने की कृपा करें :

1. महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में मुरपार कोयला खदान 1992 में स्थापित हुआ। खदान में प्रतिदिन 500 टन कोयला निकल सकता है। चंद्रपुर जिले में उमरेड में बेसुमार कोयले की, कोयला माफिया द्वारा चोरी किया जा रहा है।

   मुरपार, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र में कोयला खदान का विस्तार नांद बेसुर, मिनझरी, भानसुली, मुरपार बंदर, इन खदानों का प्रारंभ करने तथा मुरपार कोयला खदान का विस्तार शीघ्र करने की आवश्यकता है।

2. महाराष्ट्र राज्य के भंडारा, चंद्रपुर, गडचिरोली जिले में समविकास योजना के अंतर्गत पिछले दो वर्षों में 50 प्रतिशत से भी कम राशि खर्च की गयी। उसी प्रकार से जिला ग्रामीण विकास यंत्रना के अंतर्गत दी गयी राशि पिछले दो वर्षों में नगण्य राशि खर्च हुई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्य भी भंडारा जिले में पिछले दो वर्षों में नहीं के बराबर हैं। इसलिए समविकास योजना, जिला ग्रामीण विकास यंत्रना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की जांच करना भी अनिवार्य है। जो कार्य अधूरे हैं वह पूर्ण करके इस वर्ष में पिछली राशि खर्च करने का नियोजन शीघ्र हो।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : महोदय, लोक सभा के अगले सप्ताह के एजेन्डा में निम्नलिखित मानव हित एवं जनहित कार्यों को शामिल करने की कृपा करें :

1. देश भर की कई सीमेंट फैक्ट्रियां जिन्हें बीमार करार दिया गया है, अच्छी हालत में है और चालू की जा सकती हैं, जिनमें से नीमच जिले की नया गांव सीमेंट फैक्ट्री भी है, जिसे चालू किए जाने की आवश्यकता है। सीमेंट उद्योग के कार्यकरण व सीमेंट फैक्ट्रियों (बंद) के चालू किए जाने पर चर्चा का विषय।

2. देश भर में दूरसंचार के क्षेत्र में प्रगति की दृष्टि से मध्य प्रदेश को यदि देखा जाए तो काफी पिछड़ा है और इनमें से मध्य प्रदेश के मालवांचल में नीमच, रतलाम, मन्दसौर एवं उज्जैन जिला जो कि दूरसंचार में काफी पिछड़े हैं, इन क्षेत्रों में दूरसंचार की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर) : महोदय, लोक सभा के अगले सप्ताह के एजेन्डा में निम्नलिखित मानव हित एवं जनहित कार्यों को शामिल करने की कृपा करें :

1. देवारेया जिले में एक नवोदय स्कूल की स्थापना का कार्य।

2. घाघरा, राप्ती, छोटी गंडक नदियों से कटाव के बचाव कार्य एवं बांधों के निर्माण का कार्य।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, लोक सभा के अगले सप्ताह के एजेन्डा में निम्नलिखित मानव हित एवं जनहित कार्यों को शामिल करने की कृपा करें :

1. पर्यटन तथा सुगम यातायात के लिए उत्तरांचल में मुरादाबाद से रामनगर होते हुए भतरौंजखान-भिक्यासैन-चौखटिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की आवश्यकता।

2. गंभीर पेयजल संकट को देखते हुए उत्तरांचल में मानिला-बरकिण्डा, गंगोलीहाट, भौनखाल-काठकी नाब, दन्या-धौलादेवी, चिलियानौला-रानीखेत के लिए लिफ्ट पम्पिंग पेयजल योजना के शीघ्र निर्माण की आवश्यकता।

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, लोक सभा के अगले सप्ताह के एजेन्डा में निम्नलिखित मानव हित एवं जनहित कार्यों को शामिल करने की कृपा करें :

1. रेल बजट में पूरे गुजरात की उपेक्षा से व्याप्त तनाव को दूर करने हेतु उपेक्षित रेलवे योजना को रेल बजट में शामिल किया जाए एवं सूरत से पटना के बीच रेल सेवा एवं सूरत से पुरी इत्यादि रेल सेवा को शुरू करने का कार्य।

2. हजरत निजामुद्दीन से त्रिवेन्द्रम के बीच चल रही राजधानी सेवा 2432 एवं 2431 का ठहराव सूरत किए जाने का कार्य।

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : अध्यक्ष महोदय, आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित दो विषय सम्मिलित किए जाएं—

1. देश में विद्युत उत्पादन की योजनाओं को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाए तथा केन्द्र सरकार इस हेतु आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए। मध्य प्रदेश में गैस आधारित बिजली उत्पादन का संयंत्र उज्जैन जिले में लगाया जाए।

2. किसानों को कृषि सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली और जल की उपलब्धता हेतु सुनिश्चित उपाए किए जाएं तथा कृषि उत्पादनों का लाभकारी मूल्य देने की प्रणाली सुनिश्चित की जाए।

[अनुवाद]

श्री पी. मोहन (मदुरै) : महोदय, वनक्कम। मैं यह कहना चाहूंगा कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाए:

1. रोजगार के अधिकार को मूल अधिकार बनाया जाए तथा संविधान में आवश्यक संशोधन के लिए इस संबंध में सभा के डाक विशेष चर्चा की जाए; और

2. इस बजट सत्र में उचित संविधान में संशोधन विधेयक के माध्यम से महिलाओं को संसद तथा विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण तुरंत प्रदान किया जाए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, लोक सभा

की आगामी सप्ताह की कार्य सूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए—

1. राजस्थान में प्राकृतिक तेल मिलने के बाद रिफाइनरी को राजस्थान में ही लगाया जाए न कि अन्य जगह पर लगाया जाए।

2. राजस्थान प्रदेश को अन्य प्रदेशों की तरह आर्थिक पैकेज दिया जाए। जैसा कि अन्य प्रान्तों को दिया गया है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, झारखंड में वहां के संसदीय कार्य मंत्री ने खड़े होकर कहा है कि यूपीए के प्रो-टेम स्पीकर को कोई राइट नहीं है कि वह वोट आफ कांफिडेंस ले।...*(व्यवधान)* वहां पर हमारा एक सदस्य गिरफ्तार हुआ है। वहां पर लाठी चार्ज हुआ है और आंसू गैस छोड़ी गई है।...*(व्यवधान)* वहां पर माइनोरटी को मैजोरिटी में बदलने की कोशिश हो रही है। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : यहां पर विधान सभा की चर्चा नहीं हो सकती।...*(व्यवधान)* आप तो उन्हें राजस्थान ले गए थे।...*(व्यवधान)* आप तो लैजिस्लेचर को मानते ही नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी, एक मिनट मुझे बोलने दें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने सभा के माननीय सदस्य के बारे में जो कहा है वह चिन्ता का विषय है। मुझे इस बारे में मालूम नहीं है। कृपया मुझे नाम बताएं। मैं तुरंत ही अपने कार्यालय को यह सुनिश्चित करने के लिए कहूंगा कि उन पर उचित ध्यान दिया जाए क्योंकि आप कह रहे हैं कि वह घायल हैं। यह मेरा कर्तव्य भी है और मैं यह करूंगा। कृपया मुझे ब्यौरा दें।

दूसरी बात, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम विधान सभा के मुद्दों पर यहां चर्चा नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वहां पर वोटिंग नहीं कराई जा रही है। वहां वोटिंग रोकी जा रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां पूर्वाह्न 11.00 बजे से बैठा हूं। मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। आपको समझना चाहिए। मैं यहां बैठा-बैठा क्या कर सकता हूं? मैंने एक माननीय सदस्य के बारे में कहा है कि मैं तत्काल कार्यवाही करूंगा। कृपया मुझे इसकी जानकारी दें।

अन्य मामलें के संबंध में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यह भी नहीं जानता कि वहां क्या हुआ है। मैं यहां पूर्वाह्न 11.00 बजे से बैठा हूं। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है। आपने कोई नोटिस नहीं दिया। हम यहां 11 बजे से बैठे हैं, वहां के बारे में कुछ नहीं जानते।

(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वहां पर वोटिंग नहीं कराई जा रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग मेहरबानी करके अपनी सीट्स पर जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं? मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया है। कुछ नहीं बताया गया है। मैं यहां 11 बजे से बैठा हूं। मुझे इसकी जानकारी कैसे हो सकती है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : विधान सभा से संबंधित मामलों पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके द्वारा माननीय सदस्य के बारे में उठाए गए मुद्दे पर पहले ही प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है। मैं उनका नाम भी नहीं जानता। उन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। मैं यह करूंगा। परंतु मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा) : वहां लोकतंत्र की हत्या की जा रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कर सकता। यह उचित तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ नहीं पता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं सुन सकता। मैं क्या करूं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा अपराह्न 12.30 बजे पुनः समवेत हुई

अपराह्न 12.30 बजे

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अपराह्न 12.31 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

झारखंड राज्य में राजनीतिक स्थिति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं। श्री मल्होत्रा एक मुद्दे के बारे में काफी चिंतित हैं। हालांकि वास्तव में यह विधान सभा से संबंधित है, फिर भी व्यक्त की गई भावनाओं को देखते हुए, बिना कोई पूर्वोद्धाहरण बनाए, मैं श्री मल्होत्रा को बोलने का तथा अन्य माननीय नेताओं को यदि वे चाहें तो, हस्तक्षेप करने का अवसर देता हूं। परंतु कृपया मेरी बात सुनें। हमें शान्तिपूर्वक, उचित गरिमा बनाए रखते हुए तथा प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हुए एक दूसरे की बात सुननी चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, पिछले काफी दिनों से झारखंड के विषय में सारे देश में चर्चा हो रही है और सारा देश देख रहा है कि जनतंत्र की क्या स्थिति है? अध्यक्ष जी, झारखंड में आज वोट ऑफ कॉन्फीडेंस लेने का आदेश दिया गया और उस आदेश को मान लिया गया। प्रोटेम स्पीकर ने मीटिंग

बुला ली। वहां वोट ऑफ कान्फीडेंस का मामला शुरू हो गया लेकिन पहली बार हिन्दुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ, वहां यूपीए को प्रोटेम स्पीकर है और वहां की सरकार के पार्लियामैंटरी अफेयर्स मिनिस्टर ने खड़े होकर यह बात कही कि इस प्रोटेम स्पीकर को वोट ऑफ कॉन्फीडैंस लेने का कोई अधिकार नहीं है। इससे ज्यादा कोई गलत बात नहीं हो सकती। गोवा में भी प्रोटेम स्पीकर था ओर वह भी यूपीए का था। उसने वहां वोट ऑफ कॉन्फीडेंस करवाया। उस समय सब कुछ ठीक था लेकिन वहां खड़े होकर अपने ही प्रोटेम स्पीकर को कहा जा रहा है कि वह वोट ऑफ कॉन्फीडेंस नहीं ले सकते हैं और उन्हें वोट ऑफ कॉन्फीडेंस लेने का अधिकार नहीं है इसलिए यहां पर आज बैठक न चलायी जाए। वे सीधे-सीधे माइनॉरिटी में हैं। कुल मिला कर उनके पास 34 विधायक हैं और उसके विरोध में 45 विधायक हैं। इसलिए यह कह दिया गया कि वहां यह नहीं होगा। 11 बजे बैठक शुरू हुई। 11 बजकर 40 मिनट तक सदन की बैठक पोस्टपौंड की गई। 11 बजकर 40 मिनट पर सदन की बैठक शुरू हुई, 11 बज कर 45 मिनट तक उसे पोस्टपौंड किया गया। 11 बजकर 45 मिनट पर बैठक शुरू हुई तो उसे 12 बजे तक पोस्टपौंड किया गया। फिर सवा बारह बजे तक पोस्टपौंड किया। अब दो बजे तक कर दिया। ऐसा लगता है कि वहां आज वोट ऑफ कॉन्फीडैंस नहीं किया जाएगा। अगर वोट ऑफ कॉन्फीडैंस नहीं किया जाएगा तो इसका सीधा-साधा अर्थ यह है कि वहां माइनॉरिटी की सरकार बनाए रखने की साजिश हो रही है। यहां यूपीए के लीडर्स बैठे हैं। क्या यह प्रधान मंत्री के कहने से हो रहा है?...*(व्यवधान)* हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इसमें प्रधान मंत्री जी शामिल हैं? क्या कांग्रेस की अध्यक्षा शामिल हैं? किस के ऑर्डर से वहां ये सब किया जा रहा है? वहां जनतंत्र की हत्या न की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात कह चुके हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : वहां वोट ऑफ कॉन्फीडेंस किया जाए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम दो बजे इसे देखेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं सब को बोलने के लिए बुलाऊंगा। आप धीरज रखिए। मैं आपसे संक्षेप में बोलने का अनुरोध करता हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) **:** अध्यक्ष महोदय, झारखंड में जब से चुनाव हुए, सरकार बनाने से लेकर अब तक ऊहापोह की स्थिति बनी है। सभी लोग जानते हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और सबसे बड़े गठबंधन के रूप में झारखंड से चुनाव जीत कर आई। उसे कुछ अन्य विधायकों का भी समर्थन प्राप्त है और वे गठबंधन के साथ हैं।...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया 'राज्यपाल' का उल्लेख न करें। आप जानते हैं कि इसकी अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

जिस तरीके से काम चल रहा है, आप वह बात ही कहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह उसी से संबंधित मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इसका उल्लेख न करें। मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। तथापि यह मुझे देखना है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम यह कहना चाहते हैं कि वहां जो कार्रवाई की गई, उस पर सारे दल के नेताओं ने अपनी टिप्पणी की। यहां तक कि सीपीएम, सीपीआई और कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने भी यह कहा था कि संविधान के तहत काम होना चाहिए और अपनी नाराजगी जाहिर की थी, उसके बाद एन.डी.ए. के लोगों को जब वहां से न्याय से संतुष्टि नहीं मिली तो महामहिम राष्ट्रपति जी के पास डेलीगेशन लेकर गये। राष्ट्रपति जी ने राज्यपाल महोदय को बुलाया। उन्होंने निर्देश जारी किया जिसके अंतर्गत विश्वास मत की तारीख 15 मार्च निश्चित की गई झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय हुआ, उस निर्णय से आप भी कल दुखी थे। आपने कल एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। देश की सब से बड़ी मर्यादित पंचायत में हम लोग बैठे हुये हैं आजकल जो घटनायें देश में घट रही हैं, उन पर विचार आवश्यक है। पहले गोवा में हुआ और आज झारखंड में हो रहा है। जब इस तरह की घटनायें घटती हैं और हम यह सवाल उठाते हैं तो हम लोग कभी-कभी असहाय

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

हो जाते हैं और यही कहते हैं कि आखिर हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं? सरकार यहां मौजूद है। मैं आपके माध्यम से उनसे जानना चाहता हूं कि क्या हम न्याय नहीं कर सकते, कोई निर्णय नहीं कर सकते, क्या कोई राह नहीं निकाल सकते? अगर नहीं, तो ऐसी कौन सी जगह मिलेगी, कौन सा ऐसा फोरम मिलेगा जहां इस तरह के जुल्म और अत्याचार पर हम चर्चा को उठा सकते हों।

अध्यक्ष जी, आज झारखंड में जो घटना घट रही है, जहां तीन-तीन बार सदन स्थगित होता रहा हो, सदन में मारपीट तक की नौबत आ गई हो और वहां से टेलीफोन से बात हुई है कि सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री यह सवाल उठाते हैं कि प्रोटेम स्पीकर को विश्वास मत प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। मैं जानता हूं कि उन्हें बहुमत प्राप्त नहीं है। जहां तक हमारी ही नहीं सारे देश की शंका है कि आज कांग्रेस एक खेल खेल रही है और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाये जाने की नीयत से यह कार्यवाही की जा रही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, आप अपनी बात कह चुके हैं। आपने अपनी बात बड़े जोरदार ढंग से कही है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : इस तरह संविधान पर हमला हो रहा है। इस को रोकने के लिये आपको कठोर कदम उठाना चाहिए और सदन को विश्वास में लेकर कोई न कोई कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी) : अध्यक्ष जी, इस देश में जो चल रहा है, पहले गोवा में एक्सपैरिमेंट हुआ, आज झारखंड में हुआ है....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों द्वारा कही बात को दोहराने की आवश्यकता नहीं है श्री बृज किशोर त्रिपाठी, आप स्वयं को श्री मल्होत्रा द्वारा कही गई बात से संबद्ध करते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : यू.पी.ए. सरकार की मंशा है कि सरकार उनकी बने। अगर नहीं बने तो राष्ट्रपति राज लगा दिया जाये। मेरा यह ख्याल है कि जैसे 1975 में हुआ था, उसी तरह की परिस्थिति पैदा करने के लिये यू.पी.ए. सरकार अभी कोशिश कर रही है। देश की जनतंत्र व्यवस्था को तोड़ने के लिये उसे फिनिश करने के लिए ये सब हो रहा है। इससे देश में जनतंत्र नहीं रहेगा। इस तरह से पार्लियामेंटरी डैमोक्रेसी कैसे रहेगी जब हम लोग संसद में बैठे हुये हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग कीजिए। हमें इस प्रकार का पूर्वोदाहरण उत्पन्न नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : संविधान के मुताबिक जो उच्च स्तर की कांस्टीट्युशनल अथौरिटी होती है, अगर वह संविधान को नहीं मानेगा, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नहीं मानेगा तो देश में जनतंत्र कैसे रहेगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा न तो स्वयं मैं और न ही सभा कर सकती है।

[हिन्दी]

हम डिसीजन नहीं कर सकते।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी : मैं यू.पी.ए. सरकार को बताना चाहूंगा और सदन में सरकार के नेता बैठे हुये हैं, उन से कहूंगा कि झारखंड में जो चल रहा है, देश को उससे शंका हो रही है। मैं समझता हू कि ऐसा नहीं होना चाहिये। जनतंत्र व्यवस्था में मैजोरिटी की सरकार बननी चाहिये और जिनकी नहीं है, उसके लिये अपना विरोध प्रकट कर रहा हूं। वहां राष्ट्रपति शासन लगाये जाने के लिये यह ड्रामा किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि) : अध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रजातंत्र में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप स्वयं को श्री मल्होत्रा और श्री प्रभुनाथ सिंह द्वारा कही गई बात से संबद्ध कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : संसदीय, प्रजातंत्र में बहुमत का अहम महत्व है और जिस प्रकार से गोवा विधानसभा में बहुमत सिद्ध होने के बाद भी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री नीतीश कुमार (नालंदा) **:** महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह आपकी ओर से बोल चुके हैं। आप अपना अवसर गंवा चुके हैं।

श्री नीतीश कुमार : मैं अपना अवसर कैसे गंवा सकता हूं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इतना कमजोर मत समझिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गीते जी, आप इस ईश्यू पर बोलिये।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, मैं उसी पर आ रहा हूं।

उस प्रकरण की पुनरावृत्ति झारखंड में हो रही है जो गोवा में हुआ था। आज झारखंड में करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिये हमें शंका होती है कि ये करने वाले कौन हैं। एक तो देश की आम जनता को इस प्रकार का संदेह बना हुआ है कि जब सरकार द्वारा कहा जाता है कि उसका इस से कोई संबंध नहीं है। जो प्रमुख राजनैतिक दल हैं, वे कह रहे हैं कि हमें संविधान का सम्मान करना चाहिये। जब राज्यपाल महोदय, जो संवैधानिक प्रमुख हैं जिनकी जिम्मेदारी संविधान का सम्मान करना है लेकिन दुर्भाग्य से जब करने का समय आता है तो...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आपको इस भाग को छोड़कर बोलने की अनुमति है।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइये।

श्री अनंत गंगाराम गीते : इसलिए जब गोवा में बहुमत सिद्ध किया गया तो भी वहां विधान सभा को भंग किया गया, सरकार को भग किया गया। अब झारखंड में भी वही स्थिति है। अध्यक्ष जी, आज झारखंड में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैनें आपको बोलने का अवसर दिया है परंतु इसका दुरुपयोग मत कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : जो वास्तविकता है, वही आयेगी। झारखंड में आज जो स्थिति है, वहां जिनकी सरकार है, वह अल्पमत में है और अल्पमत में होते हुए भी उन्हें सरकार बनाने की इजाजत दी गई और वहां सरकार बन गई।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री मोहन सिंह। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने एन.डी.ए. ने अपना बहुमत भी सिद्ध कर दिया। आज वहां सदन के अंदर एन.डी.ए. के पास पूरा बहुमत है। प्रोटेम स्पीकर को वहां पर नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब खत्म कीजिए, यह सब जानते हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी नहीं माना जा रहा है। अब सरकार की ओर से यह स्टैप लिया जा रहा है कि प्रोटेम स्पीकर को सरकार बनाने के लिए बहुमत

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

सिद्ध करने के लिए सदन चलाने का कोई अधिकार नहीं है।...*(व्यवधान)* इस प्रकार से आज जो स्थिति गोवा की है, धीरे-धीरे वही स्थिति झारखंड में भी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का षडयंत्र किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं। मैंने कुछ ऐसी चर्चा की अनुमति दी है। जिसकी सामान्यत: अनुमति नहीं दी जाती है। इसके बावजूद आप सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। आप वादा करते हैं परंतु उसे निभाते नहीं हैं। आप इस बात को अध्यक्षपीठ की कमजोरी मत समझिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : वहां पर फिर से राष्ट्रपति शासन लाने की बात उठ रही है।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, वहां एक षडयंत्र के तहत लोकतंत्र की हत्या की जा रही है...*(अध्यक्ष)* वहां प्रजातंत्र की हत्या की जा रही है और केन्द्र सरकार खामोश है।...*(व्यवधान)* जिस प्रकार से संविधान की हत्या हो रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : गीते जी, यह क्या है। हम आपका विश्वास करते हैं, आप लोग भी हमें सहयोग दीजिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते : इसलिए देश की जनता के मन में यह आशंका है कि इसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उनके द्वारा कही गई बात से अधिक किसी भी बात को कार्यवाही वृतांत मैं सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब प्रो. राम गोपाल यादव के अनुरोध पर श्री मोहन सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) **:** अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी झारखंड में हो रहा है। जिनका संसदीय लोकतंत्र में यकीन है, उनके लिए यह चिंता का विषय है और मैं ऐसा नहीं मानता हूं कि इस मामले में भारत सरकार अपने दोष को किसी तरह से छिपा पायेगी। यदि राज्यों के अधिकारों का गला घोंटकर केन्द्रीय सरकार का आधिपत्य स्थापित करना हमारे संविधान की मंशा होगी तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह बहुत गलत है और संविधान की भावना के विरुद्ध है। हम एन.डी.ए. के विरोधी हैं। कल एन.डी.ए. ने हमारी सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन किया है। बावजूद इसके हम इस बात के पक्षधर हैं कि राज्यों में जिन दलों और जिस गठबंधन का बहुमत हो, उन्हें सरकार बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए और उस अधिकार से उन्हें वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया गया कि राज्यों के अंदर केंद्रीय शासन किसी बहाने से लागू करके केन्द्र की ही हुकूमत सभी राज्यों में रहे तो मैं समझता हूं कि हमारे संविधान की जो धारणा है, यह उसके विरुद्ध है। इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि पूरा देश देख रहा है और अपने दोष को यदि आप यह बताकर छिपाना चाहेंगे कि हम इसमें निर्दोष हैं, इसमें भारत सरकार का कोई हाथ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आप हमें मत बोलिये।

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं आपको नहीं कर रहा हूं, मैं केवल सरकार को कह रहा हूं। मैं भारत सरकार को इस बात के लिए चेतावनी देना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर जो बहुमत पार्टी है, उसे सरकार बनाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। वही की असैम्बली के सामने आज की तारीख में किसका बहुमत है, केवल इसका निश्चय करने के लिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप लोग टोका-टाकी मत कीजिए।

श्री मोहन सिंह : वहां की असैम्बली की बैठक हुई थी। वहां की असैम्बली की बैठक केवल इस बात के लिए हुई थी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मोहन सिंह जी, आप बहुत बुजुर्ग सदस्य हैं।

श्री मोहन सिंह : वहां असैम्बली की बैठक इस बात के लिए हुई थी कि आज वहां किसका बहुमत है। उस बात को केवल टालने के लिए एक परिस्थिति पैदा की जा रही है कि राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू कर दिया जाए। यह परिस्थिति इस देश के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए दुखदाई होगी।...*(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश के भावी खतरे को देखते हुए मैं कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप अपनी बात कह चुके हैं। मेरे द्वारा बुलाए गए माननीय सदस्यों की टिप्पणियों के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

अब श्री गुरूदास दासगुप्त।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दूं कि हमारा दल सामान्यत: वाम दल झारखंड के चल रहे घटनाक्रम अथवा होने वाले घटनाक्रम की अनुमति नहीं देता है। हमें इस बात का बेहद खेद है क्योंकि केवल एक दल नहीं बल्कि अनेक दलों द्वारा लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाएं ...*(व्यवधान)* यदि आप मुझे बोलने की अनुमति दें तो मैं इस विषय पर बाद में आऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप उसे छोड़ सकते हैं क्योंकि इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मेरी राय यह है कि श्री शिबु सोरेन को सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्हें इतनी जल्दी में सरकार बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए थी। हमारी राय यह है कि विधान सभा को बहुमत का निर्णय करने से नहीं रोका जाना चाहिए। विधान सभा को यह निर्णय लेने की अनुमति दी जानी चाहिए कि बहुमत वाले कौन से दलों का गठबंधन होगा और किसे सरकार बनानी चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि राष्ट्रपति शासन अंतिम उपाय होना चाहिए क्योंकि वहां मतदान हुआ था, गिनती हुई थी तथा चुनाव हुआ था। ऐसा कहते समय, क्या मैं पूरी ईमानदारी और स्पष्ट रूप से एक निवेदन कर सकता हूं, कि यदि माननीय सदस्य धैर्य रखें तो, जो कुछ झारखंड में घटित हुआ उसके संबंध में मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। परंतु मुझे यह कहते हुए बहुत दु:ख होता है कि जिस प्रकार से विधायकों को झारखंड से राजस्थान ले जाया गया...*(व्यवधान)* मुझे बहुत खेद है, महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : ये क्या हो रहा है। कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि यदि राजनीतिक दल खेल के नियम के अनुरूप चलने पर सहमत हों तो लोकतंत्र बच सकता है। यदि झारखंड में खेल के नियम का एक दल द्वारा उल्लंघन किया गया है तो यह भी उतना ही सत्य है कि झारखंड से विधायकों का लगभग अपहरण करके भी खेल के नियम का उल्लंघन किया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों का महत्व बोलने के लिए मेरे द्वारा पुकारे जाने के क्रम से निर्धारित नहीं किया जा रहा है। ऐसा इसी तरह होता है। सभी अति माननीय सदस्य हैं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम) : महोदय, पूरा देश जानता है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार सामयिक अध्यक्ष को सभा में शक्ति परीक्षण कराना होता है। अब तक, विधान सभा की कार्रवाई को बार-बार स्थगित किया जा चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि वह सभा में अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं जोकि जिसके कारण अंतत: राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा इसके कारण लोकतंत्र दफन हो जाएगा। हमें लोकतंत्र को बचाना होगा। संसद सर्वोच्च निकाय है। सामयिक अध्यक्ष की कार्यवाही अवैधानिक है। संप्रग सरकार इन सभी स्थितियों को बढ़ावा दे रही हैं हमें निर्णय लेना होगा। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है उच्चतम न्यायालय के आदेश का यथारूप कार्यान्वित किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। मैं इसे कार्यान्वित नहीं कर सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यावाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैं सभी माननीय नेताओं से अपील करता हूं कि कृपया अन्य माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दें। मैंने उन्हें और यहां उपस्थित उपस्थित सभी माननीय नेताओं को बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो बिल्कुल अलग राय रखता हूं। इसलिए कि जो बहस हो रही है, क्या कोई ऐसी परंपरा है, कोई ऐसा अभूतपूर्व, अनप्रिसिडैन्टेड प्रिसिडैन्स आज सदन में कायम हो रहा है कि असैम्बली के फंक्शनिंग पर चर्चा हो रही है।...*(व्यवधान)* आप अपनी बात कह रहे थे तो हम सुन रहे थे, हमने कोई हल्ला नहीं किया था। हमें बोलने दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय नेताओं से अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपने दलों के सदस्यों से सहयोग करने के लिए कहें।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, जब ये लोग बोल रहे थे तो हम टोकाटोकी नहीं कर रहे थे। अब हम बोल रहे हैं तो ये हमें सुन लें। मुझे बहुत अद्‌भुत लग रहा है जो परंपरा स्थापित की जा रही है कि झारखंड असैम्बली के फंक्शनिंग पर इस सदन में चर्चा हो रही है कोई पक्की जानकारी नहीं है वहां क्या हो रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, झारखंड विधान सभा में जो घटना घट रही है, उसकी औथेंटिक जानकारी देने वाला कोई जवाबदेह माननीय सदस्य है, वह बताएं, पहला सवाल मेरा यह है?...*(व्यवधान)* महोदय, हम जानना चाहते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए। बैठिए। मल्होत्रा जी, हम आपसे दो बार कह चुके हैं, आप अपने सदस्यों से शान्त रहने को कहें। हमने सबको सुना है। हमें सब नेतागण को सुनना है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि झारखंड विधान सभा की औथेंटिक जानकारी किस नेता के पास है, यहां बहस किस बात की हो रही है?...*(व्यवधान)* यह बहस अपरिपक्व है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मेरे द्वारा बुलाए गए माननीय सदस्यों के अतिरिक्त किसी की भी बात कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं कि जाएगी।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मुझे आश्चर्य और कौतुक हो रहा है, यदि इसी तरह से बहस का स्तर गिरता गया, तो ठीक नहीं होगा। कल संसद में हमने स सवाल को उठाया था कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और हमने इस कहा था कि न्यायपालिका और पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी, संसद या विधायिका में कोई टकराव न हो। इस पर काफी चर्चा कर के हमने सर्वदलीय बैठक कर के कहा था कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। यदि एक बार इस तरह की परम्परा स्थापित हो जाएगी, तो बार-बार किसी भी असैम्बली में, किसी भी विधान सभा की कोई भी कार्रवाई होगी, उसकी बहस यहां होने लगेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात नोट कर ली गई है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : इसलिए हमें बहस का एक ऊंचा स्तर बनाए रखना चाहिए। आज जिस विषय पर संसद में बहस हो रही है, यह नियमानुकूल नहीं है, परम्परा के विरुद्ध है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैने कहा है कि मैं कोई पूर्वोदाहरण की स्थिति उत्पन्न किए बिना इसकी अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, जो लोग बहुमत की बात कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या उनके अल्पमत दल को बिहार में मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं दिलायी गयी थी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया सहयोग कीजिए। मैंने श्री रूपचंद पाल को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : राज्यपाल की भूमिका पर तब भी हमने कोई चर्चा नहीं की, हमने परम्परा को बनाए रखा था। मैं पुनः पूछना चाहता हूं कि बिहार में क्या इनकी सरकार को वोट ऑफ कॉन्फीडेंस दिलाने का काम नहीं किया था?...*(व्यवधान)* हमने तब भी कहा था और अब कह रहे हैं कि राज्यपाल की भूमिका पर यहां चर्चा नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने राज्यपाल की भूमिका पर सदन में चर्चा नहीं होने दी। हमने उसे एलाऊ नहीं किया। आप इस बात को जानते हैं। आप बैठिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, झारखंड के माननीय विधायकों को किस प्रकार से अपहृत कर के राजस्थान ले जाया गया, इसकी भी जांच होनी चाहिए, कैसे और क्यों राजस्थाल ले जाया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचंद पाल के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा) : अध्यक्ष जी, देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने एक चीज डायरैक्ट रेफरेंस कर के कही है।...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सर, हमने नाम नहीं लिया है।...*(व्यवधान)*

श्री नीतिश कुमार : ठीक है, नाम नहीं लिया है, लेकिन इनडायरैक्ट रैफरेंस किया है। इसलिए मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सत्यनिष्ठ करम हुआ था। मुझे विश्वास है कि आप सभी उस समझौते का अनुपालन करेंगे। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें और केवल मुद्दे तक ही सीमित रहें। पुनरावृत्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : अपने अपने विवेकानुसार इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी थी और आपने यह उल्लेख किया था कि इसे पूर्वोद्धरण माना जाए। जिस प्रकार विधान सभा में जो हो रहा है अथवा चल रहा है। उस प्रकार यहां सदन में नहीं होना चाहिये। राज्य स्तर पर, विधायकों को अपने निर्णय विधानसभा में ही लेने चाहिएं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

किन्तु हम सबकी बड़ी चिन्ता का विषय यह है कि आज लोकतन्त्र को क्या हो रहा है। बात इस पक्ष या उस पक्ष की नहीं है क्योंकि उनकी अतीत की गतिविधियों से सभी परिचित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने विधान सभा सदस्यों का अपहरण करके हिरासत में रखा ...*(व्यवधान)* उन्हें यह मुद्दा उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

महोदय, अपनी बात को स्पष्ट शब्दों में रखते हुए, लोकतन्त्र के हित में, मैं अनुरोध करता हूं कि इन सभी मामलों में सरकार बनाने और मुख्यमंत्री का चयन करने में अन्तिम निर्णायक घटक विधानसभा ही होनी चाहिए। जो हो रहा है वह सर्वाधिक चिन्ता का विषय है। न्यायपालिका द्वारा विधायिका के मामलों में हस्तक्षेप भी बड़ी चिन्ता का विषय है।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा तो विधान सभाओं का था, लेकिन आज इस पर चर्चा संसद में हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कम से कम, कभी तो आप अध्यक्षपीठ के अनुरोध को सुन लिया करो।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर अपना मत स्पष्ट करना चाहता हूं। संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है कि दलितों को, पिछड़े वर्गों को, आदिवासियों को आगे लाया जाए और उनके कल्याण के काम किए जाएं, लेकिन आज बड़े दुख का विषय है कि जब एक आदिवासी ने जब झारखंड में मुख्य मंत्री की शपथ ली, तो पूरे हिन्दुस्तान में हो-हल्ला मच रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को निर्देशित किया जाए और मेरी बात सुनी जाए। मुझे आपने बोलने की इजाजत दी है। आज हो हो-हल्ला मचाने का काम किया जा रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में व्यवस्था बनाए रखें। आप खत्म कीजिए। कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : मैं दो लाइनों के माध्यम से अपनी बात कह कर समाप्त करूंगा।

"चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम है
मुझ पर बेवफाई का, जिन्होंने कलियों को रौंद डाला, वे
दावा कर रहे हैं वतन की रहनुमाई का।"

मित्रों, यह किसी से छिपा नहीं है कि पूर्व राज्य सरकार का बिहार में क्या हुआ था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पाठक जी, आप संक्षेप में बोलिए।

(व्यवधान)

श्री ब्रजेश पाठक : अध्यक्ष महोदय, मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी की नीतियां हैं कि समाज में जो दबाए गए, कुचले गए और पछाड़े गए लोग हैं, उन्हें सत्ता में भागीदारी देनी पड़ेगी।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा के नेता भाषण देंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड न करें। सभा के माननीय नेता के हस्तक्षेप के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया अपना वादा निभायें।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय मैं आपकी अनुमति से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामदास आठवले जी, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया बैठ जाए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लगता है आप जान-बूझकर अध्यक्षपीठ का अपमान कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ का अपमान कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्षपीठ का अपमान कर रहे हैं। यह तीसरी चेतावनी है। तीसरी चेतावनी के बाद आप नहीं जानते क्या होगा।

श्री प्रणब मुखर्जी : महोदय, इस चर्चा में भागीदारी करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है क्योंकि मैं यह विश्वास करता हूं कि संविधान में राज्य विधान सभा और संसद की कार्यशैली, क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से उल्लिखित हैं। इसलिए जो भी राज्य से संबंधित हो उस पर चर्चा और वाद-विवाद तथा विश्वास अथवा अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में होना चाहिए। राज्य राजनीति कार्यपालिका के संबंध में राज्य विधान सभा के सदस्यों का ही एकमात्र अधिकार क्षेत्र है। किन्तु टिप्पणियां करते समय, कुछेक माननीय सदस्यों ने यह अनुमान लगाया है कि झारखण्ड में जो भी हो रहा है, उसके लिए संघ सरकार अथवा कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है...*(व्यवधान)*

मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि मैंने आप लोगों को पूरे ध्यान एवं धैर्य के साथ सुना है और जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोगों से भी मैं यही अपेक्षा करता हूं। यह आवश्यक नहीं है कि जो मैं बोलूं आप उससे सहमत हों अथवा मैं आपके दृष्टिकोण से सहमत होऊं। किन्तु यहां हमारे पास यह अधिकार है कि हम अपने विचारों का आदान-प्रदान करें और एक-दूसरे की बात को धैर्यपूर्वक सुनें और हमारी इसी बात की मांग है।

गोवा और अन्य बातों के बारे में भी कतिपय संदर्भ दिए गए हैं। मुझे दूसरी सभा में भी काफी समय तक उपस्थित रहने का सुखद अवसर प्राप्त हुआ था। हमने राज्यों के मसलों पर जब राज्य में अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था तो चर्चा की थी तो हमें इनकी घटनाक्रम पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। जब हम गोवा और बिहार के संकल्पों पर महामहिम राष्ट्रपति जी की उद्घोषणा की स्वीकृति के लिए चर्चा करेंगे चूंकि इन दोनों राज्यों में राष्ट्रपति शासन है। इसलिए, हम उन मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे जिन्हें विर्निष्ट किया गया है और जो गोवा में राष्ट्रपति शासन लागू करने के कारण रहे हैं। उन पर चर्चा करने का अवसर यह नहीं है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह अवसर झारखण्ड के घटनाक्रम पर चर्चा करने का है। झारखण्ड विधानसभा के घटनाक्रम के बारे में हमें आधिकारिक रूप से नहीं पता है क्योंकि वहां जो घटित हो रहा है उसकी अभी परते ही खुल रही हैं। हमें प्रसारण माध्यमों से पता चला है कि राज्य की विधान सभा समय-समय पर स्थगित हो रही है। यदि वे सभा में इस बात को लेकर सम्मिलित रूप से सहयोगी होना चाहते हैं तो सरकार को आधिकारिक स्रोतों से वास्तविक स्थिति का पता लगाना होगा। इसके लिए कार्यप्रणाली है।

एक छोटा सा मुद्दा जो मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं। हम यह चाहते है कि निर्णय झारखण्ड विधनसभा में लिया जाना चाहिए। हम यह आशा करेंगे कि झारखण्ड के लोगो को वही सरकार मिलेगी जो वे चाहते हैं।

अपराह्न 1.00 बजे

किन्तु जहां तक संघ सरकार का संबंध है, झारखण्ड में जो भी हो रहा है हमारा उससे कोई संबंध नहीं हैं हमने इसे पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है। और तो और राजनैतिक कार्य कर्त्ताओं पार्टी कार्य कर्त्ताओं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी ने भी इसे स्पष्ट कर दिया है और मैं इस पर पुनः जोर दे रहा हूं कि वहां जो भी हो रहा है वह राज्य का मामला है और इसमें भारत सरकार के हस्तक्षेप का कोई प्रश्न नहीं हैं संविधान में ऐसे उपबंध हैं कब भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। जब तक वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाती तब तक भारत सरकार के हस्तक्षेप का कोई प्रश्न नहीं है। वहां अभी क्या चल रहा है उससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : प्रियरंजन दासमुंशी जी ने कहा है कि मुझे सोनिया जी ने गवर्नमेंट बनाने के लिए भेजा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा पुन अपराह्न 2:00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2:00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2:04 पुनः समवेत हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए।*]

रेल बजट-2005-2006, सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगे (रेल), 2005-2006
अनुपूरक अनुदानों की मांगे (रेल), 2004-2005

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : अब हम रेल बजट, 2005-06 से संबंधित मद संख्या 10 से 12 पर चर्चा करेंगे।

कल जब सभा स्थगित हुई थी तो श्री जयप्रकाश (हिसार) अपनी बात कह रहे थे। इसलिए, मैं श्री जयप्रकाश से अपना भाषण जारी रखने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चर्चा कर रहा था कि रेल मंत्री जी ने ग्रामीण अंचल के बच्चों के भ्रमण के लिए रेलवे में 75 फीसदी रियायत देकर बहुत ही सराहनीय कार्य किया हैं अक्सर देखने में आता है कि जो बच्चे बड़े घरों में पैदा होते हैं, उनके माता-पिता उन्हें पूरे देश का भ्रमण करवा सकते हैं, लेकिन गांव के मजदूर, किसान और छोटे व्यक्तियों के बच्चे, जो अब तक पूरे देश की ज्याग्राफी देखने से वंचित रह जाते थे, उनके लिए यूपीए सरकार और रेल मंत्री जी ने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है। लेकिन मैं रेल मंत्री जी से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि डैड बॉडी ले जाने के लिए 50 फीसदी छूट का जो प्रावधान किया गया है, अगर वह छूट शत-प्रतिशत कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी।

रेल मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय है। उसमें ग्रुप डी की भर्ती सीधी हो और उनमें ऐसे लोगों को भर्ती किया जाए जो ग्रामीण अंचलों में बसे हुए हैं, जिनका बड़े लोगों से संबंध न हो और जो सही मायने में बेरोजगार हों। अगर ग्रुप डी की भर्ती में ऐसे लोगों को भर्ती किया जाएगा तो रेल मंत्रालय और आगे बढ़ेगा।

हमारे साथी कल कह रहे थे कि रेल के भाड़े में वृद्धि नहीं की गई, लेकिन माल भाड़ा बढ़ा दिया गया है। मैं अपने साथियों से

[श्री जय प्रकाश]

कहना चाहूंगा कि रेल भाड़ा पिछली बार भी नहीं बढ़ाया गया था और इस बार भी नहीं बढ़ाया गया हैं यह बहुत ही सराहनीय कार्य है। माल भाड़े में भी केरोसीन, गैस, जिसे आम लोग प्रयोग में लाते हैं, उनमें जो रियायतें दी गई हैं, वह भी सराहनीय कदम है।

रेल मंत्री जी ने पूरे देश में रेल चलाई है। रेलवे के विस्तार के लिए, रेल डिब्बे बनाने की फैक्ट्री हो, स्लीपर्स बनाने की फैक्ट्री हो या कलैक्शन का मामला हो, उसके लिए भी सराहनीय कदम उठाया गया है। मैं रेल मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के लिए जो दिल्ली के साथ तीन तरफ से लगा हुआ है, नई रेलगाड़ी चलाने का काम इस बजट में नहीं किया गया है। जींद हरियाणा प्रदेश की राजनैतिक राजधानी है। वहां ओवर ब्रिज की बड़ी भारी समस्या रहती हैं वहां एक पुल बनाया जाए जो नेशनल हाईवे नम्बर 71 के ऊपर पड़ता है। ऊंझानाकलां बहुत ही एतिहासिक जगह है। वहां भी एक रेलवे पुल बनाया जाए क्योंकि ऊंझाना शहर दो भागों में बंटा हुआ है और उसके बीच से रेलवे लाइन निकलती है। खासकर जब एफसीआई की स्पेशल ट्रेन लगाई जाती है तो वहां कई-कई घंटे फाटक बंद रहता है। अब हमारे प्रदेश के जो मुख्य मंत्री बने हैं, मैंने आज सुबह ही उनसे बात की है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए प्रदेश सरकार पैसा देगी। जब सैंटर इसे मंजूरी दे देगा तब हम अपने हिस्से का पैसा जमा करवा देंगे। नरवाना में भी रेलवे का ओवर ब्रिज बनाया जाए। वह भी दो भागों में बंटा हुआ है। जींद से चंडीगढ़ तक एक रेल चलाई जाए। इसके लिए न नया ट्रैक बिछाना है और न कुछ और कार्य करना है। जींद, नरवाना, कैथल, कुरूक्षेत्र, अम्बाला, चंडीगढ़ ट्रैक है और जींद से कुरूक्षेत्र तक अभी ट्रेन चलती है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसे चंडीगढ़ तक चलाया जाए। चंडीगढ़ हरियाणा प्रदेश की राजधानी है। चंडीगढ़ जाने के लिए बसों के किराए से रेल का किराया सस्ता है और रेल की सवारी ज्यादा सुरक्षित भी है। अगर उस ट्रेन को चंडीगढ़ तक चला दिया जाए तो निम्न वर्ग के लोगों को चंडीगढ़ जाने से आसानी होगी। आज पूरे देश में यह माना जा रहा है कि रेल की सवारी काफी सुरक्षित है और सस्ती पड़ती है। इसलिए वहां रेल चलाई जाए।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यह ट्रेन दिल्ली तक क्यों न चलाई जाये?

(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश : जींद से दिल्ली तक सीधा ट्रैक है। चौधरी बंसी लाल जब देश के रेल मंत्री थे तब उन्होंने भिवानी से रोहतक-चंडीगढ़ तक ट्रेन चलवाई थी। यही एक इलाका बचा है। अब मैं आपके प्रदेश में आऊंगा। जींद से अमृतसर तक एक ट्रेन चलाई जाये क्योंकि व्यास एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हैं प्रतिदिन लोग जींद से व्यास आते हैं। मेरा रेल मंत्री जी से आग्रह कि जींद से अमृतसर के लिए एक ट्रेन चलाई जायेगी तो इससे लोगों को भी फायदा होगा और रेल मंत्रालय की भी आमदनी बढ़ेगी। हरियाणा बनने के बाद वहां कोई रेलवे स्टेशन नहीं बना है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि झरौदाकलां जींद जिले का ऐतिहासिक स्थान हैं वहां जैनी लोग तीर्थ के लिए आते हैं क्योंकि हिन्दुस्तान में जैनियों का सबसे बड़ा स्थान वहीं है। आप सुनकर हैरान होंगे कि वहां के जाट भी जैन धर्म में विश्वास रखते हैं। देश भर से जैन धर्म के लोग वहां आते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि उनके आने-जाने के लिए अगर एक हॉल्ट वहां बना दिया जाये तो बड़ी मेहरबानी होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में जब रेल लाइन बिछी थी तब किसानो की जमीन दोनों तरफ से उसमें आ गयी थी। वहां कई जगह ऐसी हैं जहां फाटक नहीं है, रेलवे क्रासिंग नहीं है। किसानों को अनाज की बुलाई के लिए, पशुओं के चारे के लिए या खेत में आने-जाने के लिए कोई फाटक नहीं हैं मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे इलाके में ऐसे जो 4-5 फाटक हैं, वह आप बनवा दें ताकि किसानों को अनाज ढोने में राहत मिल सके क्योंकि साल में दो बार फसल आती है। उनको कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। फाटक न होने के कारण जब वे रेलवे लाइन क्रास करते हैं तो कभी-कभी ट्रेन आ जाती है। इस जल्दबाजी में गाड़ी का टायर गड्ढे में फंस जाता हैं मेरा कहना है कि इससे एक्सीडैंट होने के चांसेस ज्यादा हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जो कार्य हैं, वे उन्हें करवायें। मैं पर्टिकुलर किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, हरियाणा प्रदेश में इस तरह के कार्य करवाये जायें। आज रेल ही ऐसा साधन है जो पूरे हिन्दुस्तान को जोड़ने का काम करती है। देश की एकता और अखंडता के लिए जिस तरीके से हम एक भाषा की बात करते हैं, राष्ट्रभाषा की बात करते हैं, उसी तरह से देश की एकता के लिए रेल भी बहुत बड़ा साधन है। रेल में गरीब आदमी बैठता है, छोटा आदमी बैठता है। मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि रेलों का और अधिक विस्तार किया जाये ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कई साथी कल कह रहे थे कि लालू जी ने जो बजट पेश किया है, उसके कोई मायने नहीं हैं। उनकी बात भी सही है क्योंकि लालू जी की जो विचारधारा है, वह उनके मायने से दूर रहती है। हमारे बजट में गरीब आदमी, आम आदमी,

किसान की बात कही गयी है। आप देखिये कि जब इनकी सरकार थी, उस समय रेल एक्सीडैंट का क्या प्रतिशत था और यूपीए सरकार बनने के बाद क्या प्रतिशत है? यूपीए सरकार के आने के बाद रेल मंत्रालय का काम अच्छा चल रहा है।

मैंने दूध की बात कही थी। हमारे कई साथी कहते हैं कि दूध रेल में कैसे आयेगा। उनको मालूम नहीं है कि दूध कहां से आता है, दूध की दुलाई कैसे होती हैं आज भी मेट्रोपोलिटन सिटीज में 100-100 किलोमीटर दूर से दूध आता है। आप दिल्ली को ही देखिये। दिल्ली में उत्तर प्रदेश में से दूध आता है, हरियाणा से आता हैं इस बजट में आम आदमी को रियायत मिली है। इस कारण आज हिन्दुस्तान का आम आदमी इस रेल बजट की सराहना करता है लेकिन यह इनको गवारा नहीं खाता। इनके जमाने में सैकिंड क्लास के किराये बढ़ते थे और फर्स्ट क्लास के कम होते थे। आज सैकिंड क्लास का किराया न बढ़ाने का कार्य रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद जी ने किया है। यह बड़ा सराहनीय कार्य है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बजट बहुत बढ़िया है। यह आम आदमी के लिए है, गरीब आदमी के लिए हैं सबको इसकी सराहना करनी चाहिए। अब विपक्ष की भूमिका की बाती आती है। विपक्ष अपनी भूमिका निभाये। बजट पर चर्चा करे, क्रिटीसीजम करे लेकिन उसको इस हिसाब से न ले। उसे अच्छे कार्य की सराहना जरूर करनी चाहिए। गलत काम हो तो उसकी आलोचना करनी चाहिए। इसलिए मैं सामने बैठे हुए अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि रेल मंत्री की खामियां तो आप कर ही देते हैं लेकिन कहीं-कहीं यह भी कहा करो कि रेल मंत्रालय बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम उसकी सराहना करते हैं। मैं एक बार फिर इस रेल बजट का स्वागत करता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर) : हमारे जमाने में कब प्रथम का किराया घटा था और सैकेंड क्लास का किराया बढ़ा था? एक उदाहरण दे दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं चलेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश : आपने तो गोधरा कांड भी करा दिया...*(व्यवधान)*

अभी बैनर्जी आएगी*...*(व्यवधान)* मैं माननीय लालू प्रसाद जी से अनुरोध करूंगा कि बैनर्जी रिपोर्ट भी वह पेश करें।...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं : ये एक ऐसा उदाहरण बता दें।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सीताराम सिंह (शिवहर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट काफी प्रगतिशील है। यह बजट जनउपयोगी, गरीबों, आम जनता और बेरोजगारों के लिए है। इसलिए मैं रेल मंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। कई बार रेल बजट इस सदन में आते रहे हैं और सदन उसकी मंजूरी देता रहा है लेकिन सन् 2005-2006 का बजट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। यात्रीभाड़ा न बढ़े, मालभाड़ा न बढ़े और दूसरी तरफ उस मंत्रालय को लाभ भी हो, निश्चित रूप से यह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण बजट है। यात्रियों की सुविधा के लिए जितने प्रस्ताव इसमें आए हैं, जितनी बातें इस रेल बजट में माननीय रेल मंत्री जी के भाषण में उल्लेख की गई हैं, माननीय सदस्यों ने काफी लम्बी बहस और चर्चा उस पर की। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेषकर मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि इस देश के किसान और इस देश के दूध उत्पादक जिनको यात्रा में पहले कोई राहत नहीं थी, यह पहला बजट है क्योंकि इससे पहले गरीबों को तो राहत मिलती रही है लेकिन छोटे और मझले किसान और दूध उत्पादक के लिए जो रियायत भाड़े में की गई है, यह काफी उल्लेखनीय है।

भारत सरकार की नौकरियों के लिए पहले से ही इन्होंने पहले बजट में व्यवस्था की थी। इस बार इन्होंने राज्य सरकार की नौकरियों के लिए बेरोजगार नवयुवकों के लिए भाड़े में जो सुविधा दी है, जो रियायत दी है, यह बहुत उल्लेखनीय हैं एक और विषय जो मुझे रेल बजट पढ़ने से महत्वपूर्ण लगा है, वह यह है कि जो डिब्बों का आरक्षण होता था, उसमें वैकेंसीज का नहीं होता था। इस बार इनकी किताब में, इस रेल बजट के भाषण में हमने पढ़ा कि जो सीट खाली है, उस वैकेंसी को भी यात्रियों की सुविधा के लिए लिखा जाएगा, यह बहुत अच्छी बात है ताकि इसमें कोई गलत काम अगर इनके कर्मचारी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सीताराम सिंह]

करना चाहें तो वे न कर सकें और यात्रियों को यह जानकारी हो जाए कि वैकेंसी है और सीरियल हमारा है तो हमें निश्चित रूप से जगह मिलेगी।

महोदय, इन्होंने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े-वर्ग, अल्पसंख्यकों के लिए बिना टेंडर दिए उनको भी रोजगार देने के लिए जो व्यवस्था इस रेल बजट में की है, वह काफी सराहनीय है। ऐसा पहले कभी नहीं था। यह बात बिल्कुल सही है कि जब से रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से ग्रुप-डी की भर्ती शुरू की गयी थी, हर तरफ हाय-तौबा और मार-पीट मची थी। लोगों को काफी परेशानी होती थी। उसमें परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया है। यह सराहनीय कदम है। अब अभ्यर्थी जिस रेलवे जोन में रहते हैं, उसी जोन में अपनी परीक्षा में भाग ले सकेंगे और चयनित हो सकेंगे। इससे अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी।

महोदय, कई माननीय सदस्यों के भाषण को मैंने बड़े ध्यान से सुना है कि हमारे यहां यह व्यवस्था नहीं हुई या यह कमी है। इस बार के रेल बजट ने सारे देश भर में महत्वपूर्ण रेल लाइनें और अन्य योजनाएं प्रारम्भ करने का प्रस्ताव किया है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई भी रेल बजट एक बार में, सारे देश की रेलवे से जुड़ी समस्याओं और मार्गों का निदान नहीं कर सकता और न ही इतने संसाधन किसी सरकार के पास हो सकते हैं। जो संसाधन भारत सरकार और विशेष कर रेल मंत्रालय के पास उपलब्ध हैं, उसका जितने अच्छे और व्यवस्थित तरीके से उपयोग करने का प्रस्ताव है, वह बहुत खुशी की बात है। माननीय रेल मंत्री जी आज शाम को भी कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियों को शुभारम्भ करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब से श्री लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री बने हैं, इस देश के आवाम, गरीब, किसान, बेरोजगार और आम जनता के लिए हर सम्भव अधिकाधिक सुविधां देने का प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में मंत्री जी ने कई स्थानों पर जहां कभी रेल लाइनें नहीं बिछी थीं, उन स्थानों पर रेल में कुछ समस्याएं रह गयी हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं। गंगा नदी पर जो पुल बन रहा है इसके लिए दी गयी धनराशि कम है, उसके बढ़ाया जाना चाहिए। मैं इसके लिए माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसकी अवधि निर्धारित करते हुए इसके लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि नेपाल के बॉर्डर पर सीतामढ़ी जिले में बैरगनियां एक स्थान है, जहां काफी वर्षों से आन्दोलन चलता रहा है और कई लोगों ने इसके लिए आत्महत्या भी की है। बैरगनियां में एक पुल है जो एक जमाने से वंशी चाचा के नाम से जाना जाता रहा है। यह एक महत्वपूर्ण पुल है जो बैरगनियां और ढेंग के बीच स्थित है और यह भारत और नेपाल को जोड़ता हैं मैंने यह पुल माननीय मंत्री जी को दिखलाया भी था। वह पुल इस बार के बजट में नहीं आ सका है। मैं आग्रह करूंगा कि वह पुल दो देशों को जोड़ रहा है, उसके लिए वर्षों तक आन्दोलन चला है, उसके लिए आगे प्रावधान किया जाना चाहिए। हाजीपुर और एकहारा के बीच दो जगह ऐसी गुमटी हैं, जहां काफी विलम्ब होता है। यह महत्वपूर्ण राजमार्ग है जो कई जिलों को राजधानी से जोड़ता हैं उन दो स्थानों पर ओवरब्रिज बनाए जाने की आवश्यकता हैं रेल बजट की इस किताब में मधुबनी, सीतामढ़ी, बैरगनियां करके कुछ स्थानों का नाम गलती से लिख गया है। इसमें सुधार करना जरूरी है। यह रेल मार्ग चकिया, मधुबन, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी तक जाता है।

इसको शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि किताब में यह गलत छप गया है, जबकि मेरे द्वारा आग्रह करने पर ही यह प्रस्ताव में शामिल हुआ था। सीतामढ़-नरकटियागंज रेलवे लाइन रेल गाड़ी बभनगामा को पास करती है। इसलिए मेरी मांग है कि बभनगामा में भी हाल्ट दिया जाए और वहां समुचित स्टेशन का निर्माण कराया जाए। पटना बिहार की राजधानी है। पटना-गया रेलवे लाइन बहुत पुरानी है। वहां काफी भीड़ रहती है, क्योंकि प्रतिदिन लोग आते हैं। वहां न तो कोई नई लाइन बिछी है और न कुछ अन्य कोई ट्रेन शुरू हुई है। इसलिए वहां पर जनता की सुविधा के लिए डीएमयू ट्रेन चलाई जानी चाहिए।

जहानाबाद और अरबल के बीच एक पुल है। वह पुल काफी पुराना और संकीर्ण है। इस कारण वहां कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। इसलिए या तो वहां नया पुल बनाया जाए या फिर उस पुल की मरम्मत कराई जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं रेल बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इसी के साथ मैं अध्यक्ष महोदय का, सदन का, माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुजन समाज पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। मैंने पूरा रेल बजट ठीक से पढ़ा है। रेल मंत्री जी ने अपने रेल बजट में गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, वंचितों को और ग्रामीण अंचल

में रहने वाले लोगों को जो सुविधाएं दी हैं और उनके लिए जो व्यवस्था की है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए, उतनी कम है।

देश के संविधान निर्माता डा. अम्बेडकर ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, अगर उसे लागू करने वाले लोगों की मंशा अच्छी नहीं होगी, तो संविधान बेकार साबित होगा।

सदन में इससे पहले भी रेल बजट पेश किए गए हैं। लेकिन उनमें कहने के लिए भले ही हमारे विपक्ष में बैठे साथी गरीबों, दलितों, वंचितों और पिछड़ों की बात करते रहे हों, उनके साथ खिचड़ी भोज भी करते हों, वास्तव में गले लगाने की बात कभी नहीं करते, हक देने का काम नहीं करते। इस रेल बजट में उन लागों को, जिन्हें हजारों साल से दबाया गया, पिछड़ा बनाकर रखा गया, एक व्यवस्था देकर सराहनीय काम किया हैं रेल बजट में तमाम यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों के संचालन का फैसला लिया गया है, रेल लाइनों के दोहरीकरण और कुछ मार्गों का आमान परिवर्तन करने जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इनका भी मैं अपनी पार्टी की ओर से स्वागत करता है।

रेलवे में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के सभी वर्गों को रेल सेवाओं में आरक्षण देने के फैसले का भी मैं स्वागत करता हूं। बेरोजगार नवयुवकों को नौकरियों के साक्षात्कार में जाने के लिए किराए में 50 फीसदी की रियायत देने की बात कही गई है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। किसानों और दुग्ध उत्पादकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए रेल मंत्री जी ने जो रियायत दी है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। राजकीय ग्रामीण विद्यालयों में पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए, इंजीनियरिंग और चिकित्सा आदि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने के लिए दूसरे दर्जो में 75 प्रतिशत की जो रियायत दी गई है, उसका भी मैं स्वागत करता हूं।

मैं इसके साथ-साथ कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। रेल दुर्घटना रोकने हेतु देश भर में चल रहे सामान्य व्यैक्यूम प्रणाली सिस्टम से रेल ट्रेन/रेल गाड़ी को एयर/वात ब्रेक प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए। माननीय रेल मंत्री जी से एक आग्रह है कि नई दिल्ली से कानपुर, पटना, हावड़ा की ओर जाने वाली, सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों की स्लीपर बोगी में आरक्षित रेल टिकट के अलावा, प्रतिक्षारत रेल टिकट पाने वाले यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे सभी यात्री रेल ट्रेन में आरक्षित होकर चल सकें। पैसेंजर ट्रेनों की साफ-सफाई व विद्युत आपूर्ति व सुरक्षा अधिक से अधिक की जानी चाहिए। ताकि यात्री सुविधापूर्वक व सुरक्षित यात्रा कर सकें।

इन दिनों हम अखबारों में पढ़ते हैं कि अर्ध-सैनिक बलों द्वारा सामान्य यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और यात्रियों से झगड़ा होने पर उन्हें मारकर ट्रेन से नीचे फैंक दिया जाता है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है कि सभी प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त बोगी लगाकर अर्ध-सैनिक बलों के लोगों के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश इस देश का सबसे बड़ा राज्य है लेकिन दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा, इस बजट में, उत्तर प्रदेश की अनदेखी की गयी है। उत्तर प्रदेश के लिए बजट में कुछ अतिरिक प्रावधान होना चाहिए, जिससे ऐसा न लगे कि उत्तर प्रदेश की उपेक्षा या अनदेखी की जा रही है।

इसके साथ-साथ मैं माननीय रेल मंत्री जी के सामने अपने क्षेत्र और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए कुछ मांग रखना चाहता हूं। कानपुर से मानिकपुर वाया बांदा रेल मार्ग का दोहरीकरण व विद्युतीकरण किया जाए। बांदा से कानपुर रेल मार्ग के बीच उद्योगनगरी व रेलवे स्टेशन सुमेरपुर रेलवे स्टेशन पर कंप्युटरीकृत रेल आरक्षण केन्द्र की स्थापना की जाए। नई दिल्ली से इलाहाबाद रेल मार्ग में फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर रीवा एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव सुनिश्चित किया जाए। नई दिल्ली से इलाहाबाद रेल मार्ग के बीच में बिन्दकी रोड पर ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए।

पिछले बजट में भी मैंने अपने संसदीय क्षेत्र बिल्हौर उत्तर प्रदेश की कल्याणपुर विधान सभा क्षेत्र का जिक्र किया था। उसमें तमाम तरह के क्रासिंग हैं, जिसके कारण वहां जाम लगा रहता हैं पिछली बार भी मैंने रेल मंत्री जी से निवेदन किया था कि कानपुर सेंट्रल स्टेशन से रावतपुर मंधना फरुर्खाबाद लाइन को बंद कर सेंट्रल स्टेशन कानपुर से वाया पनकी मंधना फरुखार्बाद तक किया जाए। कानपुर सेंट्रल स्टेशन से रावतपुर मंधना, फरुखार्बाद जाने वाली ट्रेन का रूट बदलकर कानपुर सेंट्रल से पनकी वाया मंधना फरुखार्बाद करने का प्रस्ताव इस बजट में स्वीकार कर लिया जाए या इसके साथ मैंने यह भी निवेदन किया था कि रावतपुर में घंटों जाम लगता है, इसलिए ओवरब्रिज की व्यवस्था वहां की जाए। मेरे क्षेत्र में भावपुर मैंथा रेलवे स्टेशन है जहां से नर्सरी के बच्चों व हायर सैकिंडरी स्कूल के बच्चों के गुजरने के लिए रास्ता नहीं है, जिसके कारण वहां दुर्घटनाएं होती

[श्री राजाराम पाल]

हैं। इस बारे में भी मैंने पिछली बार लिखा था। मैं चाहूंगा कि वहां पर ओवरब्रिज या अंडर-पास मार्ग बनाया जाए। इस रेल बजट में गरीबों, वंचितों, दलितों, सभी का ख्याल रखा गया है। कानपुर के अंदर जो तमाम तरह की समस्याएं मैंने बताई हैं विशेष रूप से उनकी ओर ध्यान देने का कार्य करें। इसी के साथ मैं रेल बजट का स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

*श्री पी. मोहन (मदुरै) : सर्वप्रथम लगातार दूसरे वर्ष भारमुक्त बजट प्रस्तुत करने में माननीय रेल मंत्री श्री लालू और श्री वेलु के सराहनीय कार्यों के लिए मैं उनको बधाई देता हूं और उनकी भूरी-भूरी प्रशंसा करता हूं। लगातार दूसरे वर्ष भी यात्री-किराये में कोई वृद्धि नहीं की गयी है।

रेलगाड़ियों द्वारा यात्रा करने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों और उपचार के लिए जाने वाले रोगियों और दलित विद्यार्थियों को रेल यातायात में छूट मिल रही हैं मैं इसका स्वागत करता हूं।

आपने 46 नयी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां आरम्भ की हैं। इनमें से छ रेलगाड़ियों से तनिलनाडु को सीधे लाभ प्राप्त होगा। इसलिए मैं तमिलनाडु के संसद सदस्य और मदुरै के लोक प्रतिनिधि के रूप में रेल मंत्री को धन्यवाद करता हूं।

बजट में एक और स्वागत योग्य घोषणा बेरोजगार युवकों के बारे में की गयी है। गत वर्ष यह घोषणा की गयी थी कि केन्द्र सरकार की नौकरियों के साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जायेगी। इस वर्ष इसे राज्य सरकारों द्वारा लिये जाने वाले साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को भी प्रदान किया गया है। मैं इस कदम की सराहना करता हूं। इसकी घोषणा केन्द्र और राज्य सरकारों की सेवाओं के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले बेरोजगार युवक-युवितियों को लाभान्वित करने के लिए की गयी है। इस तरह की घोषणाएं अच्छी बात है लेकिन इससे भी बेहतर होगा कि इन्हें कार्यान्वित किया जाए। सच्चाई क्या है? मुझे इसकी शंका है कि रेलवे और प्राधिकारियों को यथार्थ का ज्ञान है भी अथवा नहीं। केन्द्र और राज्य सरकारों में पदों के लिए चयन में वैयक्तिक साक्षात्कार अब दुर्लभ बात हैं अब सीधे लिखित परीक्षा चयन प्रणाली अपनायी जाता है। ऐसी भर्तियों में व्यक्तिगत साक्षात्कार बहुत कम होते हैं। उम्मीदवारों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं में उनके प्रदर्शन और दक्षता परीक्षणों के आधार पर किया जाता हैं माननीय रेल मंत्री ने व्यक्तिगत साक्षात्कारों के लिए उपस्थिति होने वाले उम्मीदवारों के लिए ही निःशुल्क यात्रा छूट की घोषणा की है जो लगातार एक दुर्लभ बात बनते जा रहे हैं।

मैं तंजावुर के दो परिवारों को जानता हूं। इन परिवारों के युवाओं ने बंगलौर की हुबली डिविजन में एक भर्ती के लिए दो बार से अधिक लिखित और दक्षता परिक्षाएं दीं। गत वर्ष आशुलिपिक के पद के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से इन दोनों युवतियों को लिखित और दक्षता और परीक्षाओं के लिए बुलाया गया। उन्हें चिकित्सीय जांच के लिए भी बुलाया गया। उनका चयन रेलवे सेवा के लिए होना था। लेकिन उन्हें न तो यात्रा छूट दी गयी और न ही उन्हें निःशुल्क यात्रा रियायत योजना के भाग के रूप में किराये की प्रतिपूर्ति की गयी। पूछने पर रेल अधिकारियों द्वारा यह सूचना दी गयी कि चिकित्सा जांच में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को चयन होने पर नियुक्ति के आदेश पर यात्रा छूट दी जायेगी।

यह घटना अगस्त 2004 में आशुलिपिकों के चयन के दौरान हुआ। इससे सिर्फ यही प्रकट होता है कि रेलवे की अपनी चयन प्रक्रिया में कोई व्यक्तिगत साक्षात्कार नहीं होता और इसलिए निशुल्क मात्रा छूट की घोषणा अपने आप में एक विफल प्रयास है। इसलिए मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे केन्द्र और राज्य सरकारों की सभी भर्तियों के लिए उपस्थित होने वाले सभी बेरोजगार उम्मीदवारों को घोषित निःशुल्क यात्रा छूट प्रदान करें।

दोनों रेल मंत्रियों — श्री लालू जी और श्री वेलु जी ने मदुरै एक समारोह में भाग लिया। उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। यहां तक कि लालू जी 'वांगो' और 'पोंगो' जैसे कुछ तमिल शब्द सीखे जिनका अर्थ है 'कृपया आइये' और 'कृपया जाइये'। उन्होंने मदुरै से चैन्नई तक सीधी रेलगाड़ी 'संपर्क क्रांति एक्सप्रेस' चलाने की घोषणा की। यह रेलगाड़ी दो कारणों से लोकप्रिय नहीं हो सकी। प्रस्थान और आगमन के समय असुविधाजनक हैं और रेलगाड़ियों में पर्याप्त यात्री न होने पर भी टिकटों की अनुपलब्धता सदैव बनी रहती है। इस ओर मैंने अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है। उनका ध्यान आकर्षित किये जाने के बावजूद अभी तक अधिक कार्य नहीं हुआ है। मुझे भय है कि कहीं इस रेलगाड़ी को सदा-सदा के लिए समाप्त अथवा रद्द न कर दिया जाए। मैं रेलवे पर आरोप लगाता हूं कि दिल्ली और मदुरै में जानबूझकर ऐसा प्रयास किया जा रहा है। मेरे पास दिल्ली से मदुरै तक के लिए संपर्क क्रांति एक्सप्रेस द्वारा यात्रा

*मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

के टिकट की प्रति है। इस टिकट को दिनांक 18/1/05 की यात्रा के लिए दिनांक 6/1/05 को बुक कराया गया था। टिकट प्रतीक्षा सूची संख्या 2, 3 और 4 वाला था और आर.ए.सी. संख्या 5, 6 और 7 साल थी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पी. मोहन, यदि आप अपना लिखित भाषण पढ़ रहे हैं तो इसे कृपया सभा-पटल पर रखें।

श्री पी. मोहन : महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा सामने रखना चाहता हूं। तत्पश्चात् इसे मैं सभा-पटल पर रखूंगा।

दिनांक 18 जनवरी को जब यात्री रेलगाड़ी में चढ़े तो उन्होंने पाया कि रेलगाड़ी लगभग खाली थी और बहुत कम यात्री थे। आधे से अधिक सवारी डिब्बा खाली था। कुछ अन्य सवारी डिब्बे भी खाली पाये गये। यदि ऐसा है तो कम से कम 12 दिन पहले बुकिंग के लिए कनफर्म 5 टिकटों की अनुपलब्धता कैसे हो सकती है? यह समझ में न आने वाली बात है। तीसरी बार इस तरह की स्थिति की ओर मेरा ध्यान आकर्षित कराया गया है।

अब मैं तमिलनाडु में घोषित परियोजनाओं और चल रही परियोजनाओं के लिए धनराशि के आबंटन की बात करता हूं। इस वर्ष जिस दिन बजट प्रस्तुत किया गया था, हमारे माननीय मंत्री श्री आर. वेलु प्रेस से मिले। उन्होंने घोषणा की कि इस वर्ष तमिलनाडु में पूरी की जाने वाली परियोजनाओं के लिए 438 करोड़ रुपये आबंटित करने की घोषणा की थी। मैं इसकी तुलना 'तमिलनाडु-एक दृष्टि में' के वर्ष 2004-05 के वक्तव्य के साथ करता हूं। गत वर्ष 354.38 रुपये का आबंटन किया गया था। उस स्थिति में तमिलनाडु को मात्र 113.62 करोड़ रुपये की अधिक राशि प्राप्त हुई। गत वर्ष भी तमिलनाडु के लिए नयी रेलगाड़ियों की घोषणा की गयी थी। इस वर्ष भी कोई नयी परियोजनाओं की घोषणा नहीं हैं यहां तक कि चालू परियोजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन शून्य अथवा नगण्य है। उदाहरण के लिए 150 कि.मी. लंबे तिरूचि-मनमदुरै सैक्शन को 187.91 करोड़ रुपये की लागत से पूरा करने की बात सोची गयी थी। वर्ष 2002-03 में इस परियोजना के लिए केवल 1.05 करोड़ रुपये आबंटित किये गये और बाद के वर्ष में 0.56 करोड़ रुपये आबंटित किये गये। इस वर्ष कोई धनराशि नहीं दी गयी है और यह भी कहा गया है कि अभी तक निर्माण पूरा करने की लक्षित तिथि निर्धारित नहीं की गयी है। इसलिए त्रिचि-नागौर-करायकल (200 कि.मी.) परियोजना का भाग्य यही है। अनुमानित लागत 211.36 करोड़ रुपये था। वर्ष 2002-03 में, आबंटित राशि 93.59 करोड़ रुपये थी और बाद के वर्ष में यह 6.85 करोड़ रुपये थी। अब तंजावुर-तिरूवरूर सैक्शन पूरा कर दिया गया है और मात्र 30 कि.मी. लंबा तिरूवरूर नागौर-करायकल लिंक को लक्षित निर्धारित किए बिना अधूरा छोड़ दिया गया है।

गत वर्ष के और इस वर्ष के बजट में आमान-परिवर्तन और दोहरीकरण कार्यों की नयी परियोजनाएं नहीं हैं महोदय नयी रेलगाड़ियां घोषित की गयी हैं लेकिन काफी मांग होने के बावजूद नयी रेललाइनें नहीं बनायी जा रही हैं।

रेल मंत्रालय में हमारे माननीय राज्य मंत्री श्री वेलु ने हाल ही में सप्ताहांत एक्सप्रेस रेलगाड़ी सीधे चैन्नई से मदुरै तक शीघ्र चलाने की हाल ही में घोषणा की थी। लेकिन इस बजट में मैं इसका कोई उल्लेख नहीं पाता और नगर-कोमल-कोयम्बटूर का भी उल्लेख नहीं मिलता। मैं माननीय मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि यह मांग घोषणा बनकर न रह जाए। कुछ महीने पहले वह एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा कर चुके थे कि मदुरै और विलुपुरम के बीच दिन के समय चलने वाली यात्री रेलगाड़ी चलायी जायेगी। इस वर्ष के बजट में इसका उल्लेख नहीं है। मैं रेलवे से इन दोनों रेलगाड़ियों से पूर्व घोषणा के अनुसार चलाये जाने का अनुरोध करता हूं। लेकिन फिर भी मैं नयी रेलगाड़ियां चलाये जाने की घोषणा का स्वागत करता हूं क्योंकि जनता के लिए इनका बहुत महत्व है।

जब सड़क-ऊपरि पुलों की बात आती है तो मदुरै एलिस, मदुरै वैगई पालम, मदुरै शांति नगर-कूडल नगर अब भी विचाराधीन है। मैं रेल मंत्री जी से अधिक महत्वपूर्ण तिरूप्परकुंद्रम सड़क-ऊपरि-पुल को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के साथ-साथ इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने का अनुरोध करता हूं। इस वर्ष नयी लाइन डिंडिगुल-पेरियाकुलम-सबरीमलाई की घोषणा नहीं की गयी है। मदुरै-अनुप्पुकोथई-तूतीकोरीन आमान परिवर्तन की बात भी नहीं की गयी है। तूतीकोरीन-तिरूनेलवेली के आमान परिवर्तन की घोषणा भी नहीं की गयी है। इस वर्ष मदुरै-डिंडिगुल दोहरीकरण कार्य भी आरंभ नहीं किया गया है। इसलिए मैं इन्हें न शामिल किए जाने पर अपना दुःख व्यक्त करता हूं। मदुरै-बोडी सर्वेक्षण विगत में कई बार किया गया है। लेकिन यह घोषणा की गयी थी कि इसे अब भी अद्यतन बनाया जा रहा है। यह अनुचित है। जब तमिलनाडु की परियोजनाओं के लिए 2500 करोड़ रुपये की आवश्यकता है केवल 430 करोड़ रुपये ही निर्धारित किये गये हैं और वो भी बगैर नयी परियोजनाओं को कम-से-कम 1000 करोड़ रुपय की राशि इस वर्ष के संशोधित बजट में दी जानी चाहिए। कृपया इस ओर ध्यान दें।

अब एक स्वागत योग्य घोषणा हुई है कि समूह 'घ' के लिए

[श्री पी. मोहन]

शीघ्र ही भर्ती की जायेगी। श्री लालू प्रसाद जी की घोषणा के अनुसार कम-से-कम 85 हजार मजदूरों की भर्ती और नियुक्ति की जायेगी। यह एक स्वागत योग्य निर्णय हैं लेकिन इसी के साथ-साथ अभी काम करने वाले शिक्षुओं की नियुक्ति की जायेगी।

1982 में कई नैमित्तिक मजदूर थे। वे उच्चतम न्यायालय में गए थे और यह निदेश प्राप्त किया कि उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। परन्तु वो मजदूर जो 1980 से कार्य कर रहे थे उन्हें अपना प्रबंध स्वयं करने के लिए छोड़ दिया गया। उन्हें भी नियुक्त किया जाना चाहिए और उन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने क्या गलती की है?

मेरे पास एक नियुक्ति आदेश है यह दक्षिण रेलवे का नियुक्ति आदेश है। कार्यालय आदेश सं. 130 से 155 लोगों की अस्थायी ट्रेकमेन के पद पर नियुक्ति के बारे में पता चलता है। केवल 8वीं कक्षा में उर्त्तीण होना इसके लिए वांछित योग्यता थी। परन्तु सूची पढ़ कर आपको हैरानी और दुख होगा। नियुक्त किए गए लोगों में 5 बीई स्नातक, 22 स्नातकोत्तर, 78 स्नातक, 18 डिप्लोमा धारक, 6 बारहवीं तथा आई टी आई पास, 38 बारहवीं पास हैं। इनमें से अधिकांश या लगभग सभी की योग्यता सिर्फ 8वीं कक्षा की योग्यता वाली इस अस्थायी नौकरी के लिए काफी अधिक है। उच्चतर योग्यता वाले इन लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार उचित पद पर नियुक्ति के बारे में विचार किया जाना चाहिए। अब दुर्भाग्यवश इन लोगों को 8वीं पास उम्मीदवारों को वंचित कर दिया है, जो उनकी योग्यता के अनुसार इस नौकरी को अधिक कर्मठता से करते। मेरे कहने का यह मतलब नहीं कि जिनकी नियुक्ति अभी की गई है उन्हें वह नौकरी नहीं दी जानी चाहिए। परंतु उन्हें बेहतर नौकरी दी जानी चाहिए जिसके वे लायक हैं। माननीय रेल मंत्री जी कृपया इसकी जांच करें। बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है। गरीब तथा कम पढ़े लिखे लोग निस्सहाय हो गए हैं।

रेलवे स्थापनाओं के पास आवासीय क्षेत्र में जहां अधिक रेलवे कर्मी रह रहे होते हैं वहां रेलवे कर्मियों के लिए रेलवे स्कूल थे। आज-कल इनमें से कई स्कूल बंद किए जा रहे हैं। रेलवे प्रशासन के लिए रेलवे कर्मियों के बच्चों के लिए स्कूल चलाना उचित था। अराकोनम में रेलवे स्कूल इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि इसमें तमिल माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। रेलवे अस्पतालों में सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने की भी आवश्यकता है। उन्हे बंद न किया जाए। अपनी मांगों पर इस आशा से जोर देते हुए कि इन पर ध्यान दिया जाएगा मैं इस बजट को अपना समर्थन देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं।

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम वर्ष 2005-06 के रेलै बजट पर चर्चा कर रहे हैं। जहां तक रेलों का संबंध है, इसका एक संगठित तंत्र और अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था है। राष्ट्र के विकास में रेलों का योगदान अत्यंत महत्व का है। देश की प्रगति और समृद्धि में रेलों ने अपना विशेष योगदान दिया है। पिछले वर्षों से हमें देखने को मिला कि जिस प्रकार से रेलों का विकास हुआ है, उस तंत्र को संगठित करने की कार्यवाही हुई है लेकिन क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ा है। पिछली एन.डी.ए. सरकार ने उस असंतुलन को दूर करने के लिये कतिपय उपाय किये थे और उन उपायों में मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि वहां नये ज़ोनों की संरचना की गई और कुछ नई गाड़ियां भी चलाई गईं। किंतु इस बजट को देखने के बाद मध्य प्रदेश के संदर्भ में मुझे कुछ निराशा ही हुई है। उसे देखने से ऐसा लगा कि शायद रेल मंत्री जी उसमें कुछ करना ही नहीं चाहते थे और भूल गये कि मध्य प्रदेश एक अच्छा राज्य है, विकसित राज्य है और समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। वहां रेल सुविधाये वांछित हैं। उन सुविधाओं के लिये पहल की जाये और वे सुविधायें दी जायें।

उपाध्यक्ष जी, मेरे पास रेल मंत्री जी के वर्ष 2004-05 और 2005-06 के रेल भाषण हैं। उनमें उन्होंने पूर्व बजट 2004-05 में जो आश्वासन दिये थे, वे केवल घोषणामात्र रह गए हैं। इनमें चाहे सम्पर्क क्रान्ति एक्सप्रेस हो या आमान परिवर्तन की बात हो या रेलों की गति बढ़ाने की बात हो, ये केवल घोषणामात्र रह गई हैं। यदि माननीय रेल मंत्री जी के भाषण को देखा जाये तो उनकी सिर्फ 25 प्रतिशत घोषणायें ही पूरी हुई हैं। जब पिछले बजट की घोषणायें पूरी नहीं हुई तो जो उन घोषणाओं का हाल हुआ है, वही नई घोषणाओं का भी होगा। आमान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया था कि सरकार कई किलोमीटर मार्ग का आमान परिवर्तन करेगी, उसमें चाहे दक्षिण भारत हो, या बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो। इस दृष्टि से कई रेल लाइनों के आमान परिवर्तन की घोषणा की गई थी लेकिन उनमें एक भी लाइन के पूरे होने की संभावना नहीं है। आमान परिवर्तन के लिये जो धनराशि उपलब्ध कराई जानी चाहिये थी, वह नहीं की गई है। मैं इस संबंध में माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि जो घोषणायें की जाती हैं, उनकी

पूर्ति की दिशा में सरकार कौन सी कार्यवाही करने जा रही है? यदि इसी प्रकार की स्थिति रही तो लम्बे समय तक आमान परिवर्तन को प्राथमिकता देने के बाद भी वर्ष 2004-05 का कार्य यदि वर्ष 2005-06 में पूरा नहीं होगा और इसमें दो वर्ष और लग जायेंगे फिर उसे प्राथमिकता देने का क्या अर्थ रह जाता है? जो घोषणा की गई, उस पर प्राथमिकता के आधार पर अमल किया जाना चाहिये। मैं अपने क्षेत्र का उदाहरण दूंगा। वहां नीमच-रतलाम रेलमार्ग आमान परिवर्तन की बात की गई थी। प्रथम चरण में उसकी लागत 105 करोड़ रुपये निर्धारित की गई जिसे बढ़ाकर 115 करोड़ रुपये किये गये। अब यह राशि 130 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 160 करोड़ रुपये अनुमानित की गई है। जब पहले यह तय किया गया था कि वर्ष 2003-04 में उसे पूरा कर देंगे, मुझे नहीं लगता कि यह कार्य इस वर्ष 2004-05 में भी पूरा हो पायेगा बल्कि यह 2006-07 में जाकर पूरा हो सकेगा। इस रेल मार्ग का आमान परिवर्तन संबंधी 75 प्रतिशत कार्य हो चुका है। जो रह गया है उसे तुरंत पूरा किया जाये। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसके साथ ही इन्दौर-रतलाम मार्ग और अजमेर-चित्तौड़ का रेलखंड के आमान परिवर्तन का कार्य भी होना चाहिये, तभी दूसरे मार्गों से लिंकअप हो सकेगा। इससे दूसरी वैकल्पिक लाईन प्राप्त हो जायेगी। विकास की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण योजना है। यह न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राजस्थान और गुजरात राज्यों के लिये भी बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मैं चाहूंगा कि इन कार्यों को जो प्राथमिकता दी गई है, उसके मुताबिक शीघ्र पूरा किया जाए।

मेरा दूसरा निवेदन यह है और इस संदर्भ में मैंने यहां कई बार प्रश्न भी किये हैं और इन मामलों को यहां उठाया भी है कि ओवरब्रिजेज के संबंध में आपने जो घोषणाएं की हैं कि ओवरब्रिजेज के मामले में राज्य सरकारें पैसा दें, श्री कांतिलाल भूरिया, ग्रामीण विकास राज्य मंत्री यहां बैठे हैं, राज्य सरकार से आग्रह करके एक ओवरब्रिज के लिए राशि स्वीकृत भी करा ली। लेकिन रेलवे के अंदर इतनी उदासीनता है कि वह कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जहां-जहां इस प्रकार के ब्रिजेज की घोषणा की गई हैं, चाहे वह रतलाम हो, जावरा का संदर्भ हो, नीमच का संदर्भ हो या फिर मंदसौर का संदर्भ हो, इस संदर्भ में जो घोषणाएं हुई हैं, जिनके बारे में राज्य सरकार की अनुशंसा है, जहां राज्य सरकारें पैसा दे रही हैं, उसके बाद रेलवे को जो अपना अंशदान देना चाहिए या रेलवे की तरफ से जो कार्य होना चाहिए, वे कार्य नहीं हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि रेलवे बजट में जो घोषणाएं की जाती हैं, जैसा मैंने निवेदन किया, चाहे वह आमान परिवर्तन की बात हो, चाहे ओवरब्रिजेज की बात हो या अन्य कार्य हों, इन कार्यों को ठीक से व्यवहार में लाना चाहिए। वे कार्य ठीक से हों, इस बारे में रेलवे को चिंता करनी चाहिए। आखिर इस बारे में जनता कब तक प्रतीक्षा करेगी। मैं चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी बोलें तो इस संबंध में उत्तर देने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दो-तीन विषयों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। रेलवे की अपनी कई संस्थाएं और ऐसे संगठन हैं जो रेलवे की दृष्टि से अच्छा कार्य कर रहे हैं, चाहे वह कपूरथला की कोच फैक्टरी हो, इंटिग्रेटिड कोच फैक्टरी हो या फिर चितरंजन लोकोमोटिव हो। इस तरह से रेलवे के जो कारखाने और संगठन काम कर रहे हैं, उनकी उत्पादन क्षमता का उपयोग क्यों नहीं हो रहा है। अपनी पूरी क्षमता के बावजूद इसमें कोई 60 प्रतिशत काम कर रहा है, कोई 50 प्रतिशत काम कर रहा है और कोई इससे भी कम काम कर रहा है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस तरफ भी ध्यान दें। इनकी कार्य क्षमता का पूरा लाभ उठाया जाए या कार्य क्षमता का पूरा उपयोग किया जाए। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि हमें कोचिज और रेलवे की दूसरी सामग्री बाहर से मंगाने की जरूरत पड़े। हम कपूरथला फैक्टरी में इतनी क्षमता रखते हैं कि कई चीजें निर्यात कर सकते हैं। जो आज हमें आयात करनी पड़ रही हैं। मैं चाहूंगा कि जो कोच फैक्टरीज हैं, चाहे इंटिग्रेटिड फैक्टरी हो, चित्तरंजन लोकोमोटिव हो, इनका ठीक से उपयोग होना चाहिए, इसके अलावा रेलवे की जो अन्य संस्थाएं हैं, उनका भी ठीक से उपयोग होना चाहिए जैसे भारतीय रेल वित्त निगम है, अंतर्राष्ट्रीय रेल ट्रैड कारपोरेशन है, भारतीय कंटेनर निगम है और राइट्स है, ये कुछ ऐसे संगठन हैं, जिनका रेलवे को हर दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए पूरी तरह से और ठीक से उपयोग होना चाहिए। हमें इनका भी लाभ लेना चाहिए। आज भारतीय रेल वित्त निगम का जो लाभ हमें मिलना चाहिए, उसके जरिये से विकास के जो कार्य होने चाहिए, वे नहीं हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि जिन संगठनों का मैंने यहां जिक्र किया है, ये संगठन रेलवे के लिये बड़े उपादेय हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। इनकी ख्याति देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। हमारे देश के अंदर भी रेलवे के विकास में इनका पूरा-पूरा योगदान हो सके, पूरा-पूरा लाभ हो सके, इनकी क्षमताओं का हम पूरा उपयोग कर सकें, इस दृष्टि से राइट्स का पूरा उपयेाग क्यों नहीं किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो रेल वित्त निगम है, उसे कार्यक्षम बनाइये, उसके कार्य को बढ़ाइये। रेलवे को जो कंटेनर निगम है, उसकी क्षमता मांग हो रही है कंटेनर सर्विसेज बढ़ाई जाए, लेकिन उसकी सर्विसेज को नहीं बढ़ाया जा रहा है व्यापारी और उद्यमी कहते हैं कि कंटेनर सर्विसेज बढ़ाइये, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमारे पास आवश्यक साधन उपलब्ध नहीं हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे संगठनों को ठीक से कार्यक्षम बनाया जाए, इस दृष्टि से आप विचार करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा और मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं कि आज यात्री सुविधाओं पर ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है हमने यात्री सुविधाओं की दृष्टि से कई बार घोषणाएं की हैं कि हम स्वच्छ प्लेटफार्म देंगे, लेकिन वे घोषणाएं ही रह जाती हैं। हम देखते हैं कि स्वच्छता की दृष्टि से जो कार्य किये जाने चाहिए, वे कार्य नहीं किये जा रहे हैं। इसी प्रकार प्रत्येक स्थान पर जो उपयोगी चीजें हैं, प्रत्येक स्थान पर जो आधारभूत संरचना की आवश्यकता है, उस आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है हम चाहते हैं कि जिस प्रकार रेलवे का विस्तार हो रहा है, यात्रियों के लिए रेलवे के डिब्बों को बढ़ाया जा रहा है, यह ठीक है किन्तु आज देखने में आता है कि किसी गाड़ी में 24 डिब्बे हैं, किसी में 25 डिब्बे हैं, लेकिन जहां तक प्लेटफार्म का संबंध है, प्लेटफार्म इतने छोटे हैं कि 15 से 18 डिब्बों के बीच में ही खत्म हो जाते हैं। उसके बाद लोगों को चढ़ने और उतरने में कठिनाई होती है। न तो प्लेटफार्मों को ऊंचा किया गया है और न ही उनका विस्तार किया गया है। इससे महिलाओं, विकलांगों और बच्चों को काफी परेशानी होती है। आज इन प्लेटफार्मों का विस्तार करने की आवश्यकता है और इन्हें ऊंचा किये जाने की भी आवश्यकता है, ताकि लोगों को राहत मिल सके। अन्यथा इनकी उपयोगिता अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि लोग नीचे गिर जाते हैं, टकरा जाते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं। ठीक इसी प्रकार से जहां रेलवे के प्लेटफार्म को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, जहां तक मेरे संसदीय क्षेत्र का मामला है, उस दृष्टि से श्यामगढ़ तथा गरौठ रेलवे स्टेशन का विस्तारण किया जाना भी आवश्यक है। उनके शेड्ज को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है, वे काम भी किये जाएं। इसके साथ ही स्टेशन पर शौचालयों की व्यवस्था किया जाना भी आवश्यक है। जो प्रकाश की व्यवस्था ठीक नहीं होती है, कई स्टेशनों पर रात को दो-तीन बजे गाड़ी आती है तो प्लेटफार्म पर अंधेरा रहता है। यात्री सुविधाओं की दृष्टि से बहुत बातें की जाती हैं लेकिन सुविधाओं को ठीक से कार्यक्षम नहीं बनाया जा रहा है। इस दृष्टि से भी माननीय मंत्री जी विचार करने की कृपा करें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक अंतिम विषय की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। कतिपय यात्री गाड़ियों का बहुत से स्थानों पर ठहराव आवश्यक है। यह इसलिए भी आवश्यक है कि कई बार सुपरफास्ट गाड़ियां चलती हैं लेकिन वे खाली चलती हैं। किसी स्टेशन में गाड़ी का ठहराव मांगा जाता है तो नहीं दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि जहां पर आवश्यकता है, वहां पर इन गाड़ियों का ठहराव दिया जाए। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में दो-तीन गाड़ियों के ठहराव की बात रखना चाहूंगा। पश्चिम मध्य रेलवे के गरौठ रेलवे स्टेशन पर इंटरसिटी निजामुद्दीन एक्सप्रैस का ठहराव किया जाए जिसके बारे में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से तथा जनता की ओर से भी आग्रह किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे में शामगढ़ रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। यहां पर जम्मू तवी सुपरफास्ट का ठहराव दिये जाने के बारे में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को कई बार ज्ञापन आदि देकर तथा उनके प्रवास के दौरान नागरिकों द्वारा आग्रह भी किया गया है। पश्चिम मध्य रेलवे का सुवासरा रेलवे स्टेशन भी एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। यहां पर जयपुर इंदौर गाड़ी का ठहराव दिये जाने की आवश्यकता है जिससे इंदौर से संबंध रखने वाले यात्रियों तथा व्यापारियों को सीधी गाड़ी मिल सके। अगस्त क्रांति जो मुम्बई से निजामुद्दीन आती है, उसका ठहराव श्यामगढ़ में किया जाए तो यात्रियों को लाभ होगा।

जैसे कि मैंने अपने पूर्व पत्रों में तथा मेरे राजस्थान के सहयोगी सांसदों ने भी आग्रह किया है कि कोटा और नागदा के मध्य एक मेमू अथवा सामान्य यात्री गाड़ी यात्रियों के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए प्रारंभ की जाए और इस हेतु प्रारंभिक कार्यवाही रेल प्रशासन द्वारा की जा चुकी है तथा परीक्षण के रूप में कुछ भाग पर अतिरिक्त गाड़ियां भी चलाई गई थीं जो सफल रही थीं। अत: मेरा आग्रह होगा कि कोटा और नागदा के मध्य मेमू गाड़ी चलाई जाए।

अंत में, मैं आरक्षण सुविधा की बात करना चाहूंगा। कुछ स्थानों पर माननीय मंत्री महोदय ने पूर्ववर्ती सरकार के समय कुछ रेलवे के कंप्यूटराइज्ड आरक्षण केन्द्रों की स्थापना की थी। उनमें नीमच, मंदसौर और श्यामगढ़ का जहां नाम था, जहां आरक्षण केन्द्र प्रारंभ हो चुके है किन्तु वहां जावरा को भी सम्मिलित किया गया था, लेकिन उसको सम्मिलित करने के बाद वहां पर कंप्यूटराइज्ड आरक्षण आरंभ नहीं हो सका है वहां स्थापित हो और इन कंप्यूटराइज्ड आरक्षण केन्द्रों की स्थापना के बाद जितने कर्मचारियों की वहां आवश्यकता है, उनकी पूर्ति होनी चाहिए।

रेलवे संरक्षा की दृष्टि से आरपीएफ को जहां आपने कई अधिकार दिये हैं, वहां आरपीएफ को सक्षम भी बनाया जाए। यह भी देखा जाए कि वे दुर्व्यवहार न करें, सद्व्यवहार करें, रेलवे संपत्ति की रक्षा करें तथा साथ-साथ यात्रियों को संरक्षण भी प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो सुझाव मैंने रखे हैं, उन पर माननीय मंत्री महोदय अवश्य योग्य कार्यवाही करेंगे। चूंकि समय का

अभाव है, इसलिए मैं चाहूंगा कि मेरे भाषण के शेष अंश को सभा के पटल पर रखने की अनुमति प्रदान करें।

*आमान परिवर्तन हो, ओवर ब्रिजेज हों, उनका कार्य समयावधि में पूरा हो सर्वेक्षण के बाद उज्जैन-रामगंज मंडी, इन्दौर-गोधरा जैसी नयी रेल लाइनों का कार्य हो या नयी रेल गाड़ियों को चालू किया जाना या उनका गंतव्य बढ़ाया जाना जैसी घोषणाएं केवल घोषणा मात्र रह गयी हैं। मैं चाहूंगा कि मध्य प्रदेश को घोषित ऐसी सुविधायें शीघ्र दी जायें। आमान परिवर्तन के कार्य, जिनमें नीमच, रतलाम प्रमुख हैं, इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो व अजमेर चित्तौड़ का आमान परिवर्तन का कार्य रतलाम-महू के आमान परिवर्तन का कार्य भी किया जाये।

जहां तक यात्रियों के खान-पान संबंधी प्रश्न है, कुछ ठेकेदारों के द्वारा तो यह कार्य ठीक प्रकार से संपन्न किया जा रहा है लेकिन कुछ ठेकेदारों के द्वारा मनमाने ढंग से कार्य किया जा रहा है और यात्रियों को इससे भारी परेशानी होती है। अत: यदि केटरिंग व्यवस्था रेलवे प्रशासन ही करे तो बहुत उत्तम होगा। मैं चाहूंगा कि आज मैंने जिन बिंदुओं को यहां पर रखा है। उन पर माननीय मंत्री महोदय अवश्य ही योग्य कार्यवाही करेंगे तथा मैं पुन: अनुरोध करना चाहूंगा कि रेल कर्मचारियों के हितों की दृष्टि से काफी कुछ किया जाना आवश्यक है, जिससे कि उनकी मांगों का निराकरण हो सके तथा पश्चिम रेलवे के रतलाम नीमच खंड पर जो आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है, वह शीघ्र पूरा कराया जायेगा ताकि यात्रियों को जहां सुविधा हो वहीं रेलवे राजस्व में भी वृद्धि हो सके।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक भी केन्द्रीय मंत्री यहां पर मौजूद नहीं है। कैसे व्यवस्था चल पाएगी?...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : राज्य मंत्री तो बैठे हैं।

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल) : हमें बोलने दीजिए। कल भी यह बात उठी थी। मुझे ट्रेन पकड़नी है इसलिए कृपया मुझे अपना भाषण करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री यहां हैं।

श्री के.सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम रेल बजट पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह कोई आसान काम नहीं है और माननीय रेल मंत्री द्वारा लोकप्रिय और आम आदमी का रेल बजट लाने के लिए काफी परिश्रम किया गया है। उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया है। रेल टिकटों की बुकिंग के लिए कई स्टेशनों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है। यात्री सुविधाओं के लिए तथा रेलवे के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कई कदमों की घोषणा की गई है। कई नई रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं। रोजगार के सिलसिले में साक्षात्कार के लिए यात्रा कर रहे युवा पुरुष एवं युवा महिलाओं को रियायतें दी गई हैं। पहले कई दुर्घटनाएं होती रहती थी परतु वर्तमान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार द्वारा दुर्घटना बचाव उपाय किए गए हैं और कई दुर्घटनाओं से बचाव हुआ है। हमें खुशी है कि ये उपाय किए गए।

*भाषण का यह अंश सभा पटल पर रखा गया।

महोदय यह एक ऐसा मंत्रालय है जहां खिलाड़ियों की मदद की जाती है और बड़ी संख्या में नियुक्ति की जाती है। भारत सरकार के कई अन्य विभागों द्वारा खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाती है परंतु स्ट्रेन्थ एथलीटों के मामले में रेलवे कुछ ऐसे चन्द विभागों में से एक है जो बड़ी संख्या में स्ट्रेन्थ एथलीटों जैसे भारोत्तलकों, कुश्ती करने वालों तथा पावर लिफ्टरों की नियुक्ति करता है।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय मैं माननीय मंत्री से इन स्ट्रेन्थ एथलीटों के खेल कोटे को बढ़ाने का अनुरोध करता हूं। इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा और इतनी मेहनत से प्रशिक्षित हमारे युवाओं को रेलवे से रोजगार मिल सकेगा और वे अपनी जीविका कमा सकेंगे।

यह मूल रूप से गरीबों तथा आम आदमी का बजट है। सभी ने इस लोकप्रिय बजट का स्वागत किया है। मैं नहीं समझता कि हमारे माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए इस उत्कृष्ट बजट पर कोई आपत्ति की जानी चाहिए। मैं पूरे दिल से इस बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

पिछले बजट में भी हम लोगों ने अपने राज्य से संबंधित समस्याएं रखी थीं, जिन्हें मैं आज फिर से दोहराना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने भी माननीय रेल मंत्री जी से अनेक पत्रों द्वारा कुछ बिंदुओं पर निवेदन किया था। श्रीमन्, उत्तरांचल एक नया प्रदेश बना है, जो देव भूमि के नाम से भी जाना जाता है। गंगोत्री-यमुनोत्री, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, नानकमत्ता, पुण्यगिरि कलियर शरीफ, ये सभी हमारे यहां के विश्वविख्यात तीर्थस्थल हैं, जिन्हें रेल मार्ग से जोड़ा जाना अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पर्यटन एवं इस प्रदेश के विकास के लिए भी आवश्यक है।

[श्री के.सी. सिंह 'बाबा']

मान्यवर, मैं कुछ ऐसी समस्याएं सन् 2005-06 के बजट में फिर से दोहराना चाहता हूं। जैसा कि मैंने कहा उत्तरांचल नया राज्य है और हमारे ऑब्जेक्टिव और मेन अर्निंग्स पर्यटन से ही होंगी। इसके लिए नई ट्रेनें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारे रामनगर, काशीपुर, मुरादाबाद और दिल्ली के लिए नई ट्रेनें चलाई जाएं। आपने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जिम कार्बेट नेशनल पार्क का नाम सुना होगा। वहां बहुत ज्यादा संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। वहां के लिए नई ट्रेन के साथ फर्स्ट क्लास ए सी बोगी भी लगाई जाए तथा वर्तमान रानीखेत एक्सप्रेस में भी एसी-1 की बोगियां काठगोदाम एवं रामनगर हेतु लगाई जाए। लालकुंआ, काशीपुर, मुरादाबाद से पंजाब और जम्मूतवी जाने के लिए एक नई गाड़ी चलाई जाए। हमारे यहाँ पंजाबी समुदाय के बहुत से लोग रहते हैं। जिन्होंने यहां के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारी यह मांग है कि यह गाड़ी जल्दी चलाई जाए तथा यह बहुत जरूरी है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर जल्द से जल्द ध्यान दें और इस रेल मार्ग पर नई रेल गाड़ियों के लिए स्वीकृति दें। नानकमत्ता, सितारगंज, खटीमा नये रेल मार्गों के निर्माण के लिए और अधिक पूंजी की आवश्यकता है। इसके लिए कुछ पैसा दिया गया है, परंतु और अधिक पैसे की आवश्यकता है क्योंकि यह रेल लाइन बाद में पूरे उत्तरांचल को जोड़ सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 और 72 रायवाला, लच्छीवाला, श्यामपुर एवं मोतीचूर पर रेलवे लाईन पर फ्लाईओवर की बहुत जरूरत है। उत्तरांचल की राजधानी देहरादून है और राज्य का हाईकोर्ट नैनीताल में है। मेरा निवेदन है कि देहरादून से नैनीताल के लिए रेल सम्पर्क को और अधिक सुविधाजनक बनाया जाए और रोज रेल चलाई जाए।

श्रीमान् बरेली से टनकपुर वर्तमान में मीटरगेज से ब्रोडगेज में परिवर्तित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यही बात कल हमारे सीतापुर के माननीय सांसद ने भी कही थी। बरेली से पीलीभीत होते हुए टनकपुर जो रेल लाइन है, उसे पूर्णागिरी तक बढ़ाने की आवश्यकता है। पूर्णागिरी एक राष्ट्रीय ख्याति का तीर्थस्थान है, जो टनकपुर से करीब 15 किलोमीटर आगे है। इसलिए 15 किलोमीटर रेल लाइन बनाने की और आवश्यकता है। पीलीभीत से बरेली तक के हिस्से को ब्रॉडगेज में बदला जाए।

महोदय, देहरादून-नई दिल्ली, मुख्य शताब्दी गाड़ी में पुराने डिब्बों की जगह नए डिब्बे लगाए जाएं। रामनगर-काशीपुर-जसपुर से धामपुर तक रेल लाइन बिछाने का सर्वे बहुत पहले हुआ था—उसका क्या हुआ, उसमें कहां तक प्रगति हुई है, इस बारे में मुझे पता नहीं चला, लेकिन मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि वह बहुत महत्वपूर्ण रेल लाइन है। जैसा मैंने टनकपुर के बारे में कहा कि वह उत्तरांचल को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ती है, उसी प्रकार रामपुर-काशीपुर-जसपुर रेल लाइन है। इस नई रेल लाइन की हमें बहुत जरूरत है। मेरा निवेदन है कि उसे शीघ्र बनाया जाए। काठगोदाम-दिल्ली के लिए चलाई जाने वाली संपर्क क्रान्ति एक्सप्रेस में रामनगर एवं काशीपुर से दो बोगियां लालकुंआ स्टेशन पर जोड़े जाने की बहुत आवश्यकता है। इससे इस उपेक्षित क्षेत्र के लोगों को भी दिन की एक ट्रेन की सुविधा प्राप्त होने में सहायता होगी।

महोदय, मथुरा-कासगंज-बरेली से लालकुंआ तक की छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने की बहुत आवश्यकता है। राम नगर, बाजपुर, गदरपुर, रुद्रपुर, किच्छा, सितारागंज, खटीमा, टनकपुर एवं यहां से देहरादून तक जब नई रेल लाइन बन जाएगी, तो हमारा पूरा उत्तरांचल एक कोने से दूसरे कोने तक जुड़ जाएगा। बाजपुर रेलवे स्टेशन पर कंप्यूट्रीकृत रेलवे आरक्षण की सुविधाएं प्रदान करने हेतु उसे कंप्यूटराइज किया जाए। बद्रीनाथ एक्सप्रेस को चालू करने के लिए ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेलवे मार्ग का निर्माण किया जाए। इसी प्रकार रामनगर के चौरकेरिया जिला अल्मोड़ा हेतु रेलमार्ग बनाने की आवश्यकता है। इन रेल लाइनों का ज्ञात हुआ है कि सर्वे बहुत पहले हो चुका है और यह बहुत जरूरी मार्ग है, इसलिए इस रेलवे लाइन को बनाने की बहुत आवश्यकता है। नैशनल कॉर्बेट पार्क से रामनगर, वाया कोटाबाग, काठगोदाम जंक्शन तक रेलवे मार्ग की आवश्यकता है।

मान्यवर, आखिर में, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महुआखेड़ागंज एक ऐसा रेलवे स्टेशन है, जो मुरादाबाद से जब हम काशी की ओर से उत्तरांचल में एंटर करते हैं, तो उत्तरांचल का सबसे पहला स्टेशन वही पड़ता है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से मंत्री जी से प्रार्थना है कि बाहर से जितनी भी गाड़ियां वहां आती हैं, उन सभी का हाल्ट महुआखेड़ागंज पर दिया जाए, यानी वे ट्रेन इस स्टेशन पर जरूर रुकें।

महोदय, अन्त में, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उत्तरांचल की रैल संबंधी समस्याओं का जल्दी से जल्दी समाधान करने की कृपा करें। मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देते हुए और रेल बजट का समर्थन करते हुए, मंत्री महोदय को भी धन्यवाद देता हूं।

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रेल मंत्री जी ने सदन में जो रेल बजट प्रस्तुत किया है, उसमें मालभाड़े और सवारी किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है, जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। रेल पूरे देश की आम जनता को लाने ले जाने का काम करती है।

मान्यवर यह बहुत पुराना संगठन है, लेकिन आज जब हम इसकी तुलना दुनिया के विकासित देशों अथवा पड़ोसी देश चीन से तुलना करते हैं, तो पाते हैं कि हम रेल के मामले में आज भी बहुत पीछे हैं। पूरे चीन में एक शहर को दूसरे से जोड़ने के लिए सब जगह मैट्रो रेल चल रही है जबकि भारत में सबसे पहले केवल कोलकाता में मेट्रो रेल चली और कोलकाता के बाद अब दिल्ली में मेट्रो रेल प्रारंभ की गई है। अगर हमें देश को आगे ले जाना है तो हम कम से कम विकसित देशों को न मान कर चीन का उदाहरण लें, हमें उसी परिप्रेक्ष्य में काम करना पड़ेगा। इसी के साथ-साथ यह भी देखें कि फ्रांस, जर्मनी और चीन में ढाई सौ किलोमीटर की रफ्तार से बुलेट ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन हमारे देश में डेढ़ सौ कि.मी. की रफ्तार से भी ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं।

महोदय, मैं रेल मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि कम से कम उदाहरण के लिए एक ट्रेन दिल्ली से लेकर इलाहाबाद तक चलाई जाए। अगर ढाई सौ कि.मी. की रफ्तार से न चले तो कम से कम 170-175 कि.मी. की रफ्तार से चले या एक शताब्दी ट्रेन इलाहाबाद तक चलाने की व्यवस्था करें। इलाहाबाद एक सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी है तथा शैक्षणिक नगरी भी है।

महोदय, शताब्दी ट्रेनें करीब-करीब सभी महत्वपूर्ण शहरों में चल रही हैं, लेकिन इलाहाबाद इससे उपेक्षित है। हर साल लाखों यात्री पूरे देश और विदेश से इलाहाबाद जाते हैं और वैसे भी इलाहाबाद लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का दूसरा प्रमुख शहर है। आज आप पूरे देश में देखें कि एक नम्बर प्लेट फॉर्म अच्छा बना हुआ है, लेकिन दो और तीन नम्बर प्लेट फॉर्म आज भी उपेक्षित है, उसकी खस्ता हालत है। उन्हें भी सुदृढ़ करके एक नम्बर प्लेट फॉर्म की तरह स्ट्रेंथन करना चाहिए, उसे भी उसी तरह बनाना चाहिए।

महोदय, स्टेशन पर ज्यादातर नकली पानी बिकता है, जो नीर रेलवे ने बेचना शुरू किया है, मैं चाहूंगा कि कम से कम हर कम्पार्टमेंट में पीने के पानी की बोतल की व्यवस्था की जाए ताकि जब रेल यात्री चाहें वे उसे खरीद कर उपयोग कर सकते हैं।

महोदय, मैं कुछ समस्याएं अपने जिले इलाहाबाद के बारे में भी रखना चाहता हूं। इलाहाबाद के महत्व के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। इलाहाबाद में एक ट्रेन, लखनऊ से इलाहाबाद गंगा-गोमती चलती है। इलाहाबाद की दूरी लखनऊ से 210 कि.मी. की है और उसमें साढ़े चार घंटे का समय लगता है। मैं चाहूंगा कि एक ट्रेन लखनऊ से इलाहाबाद ढाई घंटे के अंदर चलाई जाए, जो रायबरेली में रुके और वहां रुकने के बाद सीधे इलाहाबाद ढाई घंटे के अंदर पहुंच जाए।...*(व्यवधान)* रायबरेली तक जो डबल लाइन होने जा रही है, मैं चाहूंगा कि उसे एक्सटेंड करके इलाहाबाद तक कर दें तो उसमें तेजी से आवागमन हो सकेगा।

महोदय, इलाहाबाद में एक टीएसएल फैक्ट्री है, जो फेब्रीकेशन के भारत के सबसे अच्छे यूनिट्स में से एक मानी जाती है। उसमें रेलवे वैगन बनाने का भी आर्डर मिला है, मैं चाहता हूं कि इस फैक्ट्री में वैगन और व्हील बनाने का काम रेलवे को करना चाहिए, क्योंकि वह सार्वजनिक उद्यम विभाग के द्वारा संचालित होती है। वह पब्लिक सैक्टर की कम्पनी है और इस समय वह बंदी के कगार पर है। मैं यह भी चाहूंगा कि इलाहाबाद को खास दर्जा दिया जाए, क्योंकि वहां सेंट्रल जौन हैडक्वार्टर भी है, लेकिन अभी तक उसे डेवेलप नहीं किया जा सका है।

जैसा उसे किया जाना चाहिए था। इलाहाबाद में एक आर.ओ. डब्ल्यू. बनाने की मांग का हम रेल मंत्री जी को प्रस्ताव देना चाहते हैं। रामबाग में एन.ई.आर. की और नोर्दर्न सेंट्रल रेलवे की दो रेलवे लाइनें पड़ती हैं और लगभग 3-4 लाख लोग वहां निवास करते हैं, जो रेलवे लाइन से प्रभावित होते हैं। मैं चाहता हूं कि एक आर.ओ. डब्ल्यू. बनाने का कार्य स्वीकृत किया जाये। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जो धन वांछित होगा, मैं पूरा वायदा करता हूं कि वह धन दिलवाने की पूरी व्यवस्था की जायेगी।

हमारे पूर्व विधान सभा क्षेत्र में एक जगह सुनाई है। आजादी की लड़ाई में वहां पर लोगों ने रेलवे स्टेशन जला दिया और रेलवे स्टेशन जलाने की वजह से जो रेलवे क्रासिंग फाटक लगा हुआ था, वह बन्द कर दिया गया। रेलवे की यह निश्चित धारणा है कि हावड़ा से लेकर दिल्ली तक कोई नया रेलवे फाटक नहीं बनाया जायेगा। ...*(व्यवधान)* मैं समाप्त कर रहा हूं। यह फाटक पहले से था, आजादी की लड़ाई में इसको बन्द कर दिया गया था। मैं चाहता हू कि सुनाई का रेलवे फाटक तत्काल चालू किया जाये।

[अनुवाद]

श्री एल. गणेशन (तिरूचिरापल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ

[श्री एल. गणेशन]

में इस रेल बजट पर अपनी टिप्पणियां तथा विचार व्यक्त करने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

तानों तथा नारेबाजी से बिना डरे तथा बहिष्कार के विचलित हुए बिना, रेल मंत्री श्री लालू प्रसाद यादवजी चट्टान की तरह खड़े रहे और यह रेल बजट पेश किया, जिसका सभी लोगों तथा समाज के सभी वर्गों द्वारा स्वागत किया गया है। इस तथ्य के बावजूद कि वहे अपने राज्य में अपने चुनाव प्रचार में व्यस्त थे उन्होंने बजट पेश किया जो वास्तव में प्रशंसनीय और सराहनीय है।

मैं बजट की कुछ विशेषताओं पर ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह हैं, यात्री किराए में कोई बढ़ौतरी नहीं की गई; माल भाड़े में अधिक वृद्धि नहीं की गई; पार्सल दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई। इस सब के बावजूद दिसम्बर, 2004 तक आय में रिकार्ड 8.3 प्रतिशत की बढ़ौतरी हुई। इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1400 कि.मी. की बड़ी गेज की लाइनें जोड़े जाने की संभावना है। योजना परिव्यय 15,349 करोड़ रुपये है; रेल भूमि विकास प्राधिकरण की भी योजना है। प्रस्ताव है कि वर्ष 2005-06 में 46 नई रेलगाड़ियों की शुरुआत की जानी है; 28 रेलगाड़ियों का विस्तार किया जाएगा; 10 रेलगाड़ियों की आवाजाही बढ़ाई जाएगी; जल्द ही लैण्डलाइन फोनों से भी टिकटों की बुकिंग हो सकेगी; अध्ययन हेतु यात्रा के लिए सरकार तथा ग्रामीण स्कूल के विद्यार्थियों को दूसरी श्रेणी के किराए में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी; मेडिकल तथा इंजीनियरी जैसी परीक्षाओं में भाग लेने वाली ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को दूसरी श्रेणी के किराए में 75 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी; प्रशिक्षण हेतु यात्रा कर रहे किसानों तथा दुग्ध उत्पादकों को दूसरे दर्जे के किराए में 50 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी; और सरकारी नौकरियों के लिए साक्षात्कार में भाग लेने वाले बेरोजगार युवाओं को दूसरी श्रेणी में पूर्ण छूट दी जाएगी।

जब मैं बजट की मुख्य विशेषताओं को उद्घाटित करते हुए उनकी प्रशंसा करता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि उनमें कमियां और त्रुटियां नहीं हैं। जब मैं बजट की कमियों और त्रुटियों की ओर इशारा करता हूं, मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि उन पर ध्यान देते हुए ऐसी चीजों को ठीक करने का प्रयास करेंगे।

मंत्री जी ने विशेष रेलवे परियोजन; निधि के आवंटन को बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया था। वह चालू रेल परियोजनाओं की अनुवीक्षण प्रणाली को सुव्यवस्थित करने में असफल रहे। आधुनिकीकरण के लिए किसी ठोस योजना का अभाव है। आधुनिकीकरण के बारे में बहुत बात की जाती है परंतु ठोस योजना कहां है? इस संबंध में किसी ठोस योजना का अभाव है। मालभाड़े में खाद्यान्न के वर्गीकरण की समीक्षा से गरीब लोग प्रभावित होंगे तथा आवश्यक खाद्य वस्तुओं के मूल्य बढ़ेंगे। बजट में यह नहीं बताया गया है कि यात्री सुविधाओं में सुधार के लिए मंत्री जी क्या करेंगे। यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है परंतु ठोस प्रस्तावों तथा कार्रवाई के कार्यक्रमों का अभाव है।

पी एच डी सी सी आई अध्यक्ष श्री के.एन. मेयानी ने कहा है कि रेल बजट निवेश प्रयोजनार्थ आंतरिक सरप्लस सृजन के माध्यम से लंबी अवधि के निवेश हेतु रणनीति बनाने में विफल रहा है। यह तो मानने वाली बात है कि रेलवे ही उच्च क्षमता वाले यातायात का माध्यम है जो हमारी अर्थव्यवस्था की लंबी अवधि की वृद्धि आवश्यकता पूरी कर सकता है, वस्तुओं की ढुलाई के बढ़ते यातायात में काफी बड़ी हिस्सेदारी प्राप्त करने के उपाय तथा वृद्धि के नए चरण में रेलवे का प्रवेश नहीं हो रहा है।

अब, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की कतिपय समस्याओं के बारे में बात करना चाहूंगा। जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप, सबसे पुरानी वर्कशॉपों में से एक है। इस वर्कशॉप का आकार दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। दिन-प्रतिदिन कामगारों की संख्या घटती जा रही है। पिछले वर्ष भी मैंने सरकार विशेषकर श्री वेलू से अपील की थी। मैं उस बारे में बाद में बात करूंगा। मैंने सरकार से अपील की थी कि कृपया न केवल गोल्डन रॉक वर्कशॉप में सुधार किया जाए बल्कि इस पर पूरा ध्यान भी दिया जाए। आपसे मेरी अपील है कि गोल्डन रॉक में कोच फैक्टरी बनाने की काफी गुंजाइश है। गोल्डन रॉक में कई समस्याएं हैं, जिसका उल्लेख माननीय सदस्य मोहन जी भी कर चुके हैं।

रेलवे स्कूलों की स्थिति दयनीय है। गोल्डन रॉक में, विशेषकर तमिल माध्यम का एक स्कूल है। मुझे छात्रों, अभिभावकों तथा मजदूर संघ नेताओं से थी बहुत-सी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मैंने रेल राज्य मंत्री और मेरे मित्र श्री वेलू को एक याचिका भी भेजी है कि वह इस पर ध्यान दें। तमिल माध्यम स्कूल में प्रथम से पांचवीं तक की कक्षाएं बंद कर दी गई हैं तथा छात्रों की संख्या 2000 से तेजी से घटकर कुछ सौ ही रह गई है। यदि इसी तरह यह कम होती रही तो मुझे डर है कि स्कूल बंद हो जाएंगे। जब तमिल को एक प्राचीन भाषा के रूप में मान्यता, दी गई है—तथा क्षेत्र में यही एकमात्र तमिल

स्कूल है—तो क्या यह तमिलों के मुंह पर तमाचा नहीं होगा? मैंने कई अनियमितताओं तथा कदाचारों के बारे में एक याचिका दायर की है जिसपर कई लोगों के हस्ताक्षर हैं। इस सब का कारण एक प्रधानाचार्य है। यदि मैं प्रिंसीपल शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं तो हो सकता है वह मुझे गलत समझें। मुझे इसकी परवाह नहीं कि वह प्रिंसीपल है या नहीं, परंतु यह सब उसी के कारण है। मैं आपसे जांच शुरू करने की अपील करता हूं और इस बारे में जो भी किया जा सकता है, वह किया जाए।

गोल्डन रॉक रेलवे कॉलोनी में कई स्टॉल वाले हैं। वे अनंत समय से, मेरे जन्म से भी पहले से हैं। वहां चाय के स्टॉल, नाई की दुकान, लाउंड्री की दुकान आदि जैसे स्टॉल हैं। इन स्टॉलों में लगभग सौ लोग कार्य कर रहे हैं।

दुर्भाग्यवश, प्रबंधन तथा स्टॉल वालों में कुछ विवाद हो गया क्योंकि लाइसेंस फीस अचानक ही बढ़ा दी गई थी। वे न्यायालय गए तथा अंततः उनमें कुछ समझौता हो गया। इसके बाद, उन्होंने फीस घटा दी परंतु इस बीच किराया ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। जब मुझे इस मामले की सूचना दी गई तो मैंने गोल्डन रॉक में रेलवे के चीफ वर्क्स मैनेजर से भेंट की। मैंने उनसे भेंट करने के अलावा स्टॉल वालों से भी भेंट की और मामले को निपटाया। अब वे किराए के बकाया के भुगतान के लिए तैयार हो गए हैं। परंतु बात केवल यह है कि एकमुश्त किस्त में भुगतान नहीं कर सकते। यही समस्या है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय, श्री वेलू तथा श्री लालू प्रसाद यादव, जोकि आप लोगों के नेता हैं, से इस मामले पर ध्यान देने की अपील करता हूं। वह सक्रिय नेता हैं। श्री वेलू एक कुशल और अनुभवी प्रशासक हैं। वह तंजावुर जिले में सहकारी सोसाइटियों के संयुक्त पंजीयक रह चुके हैं। उनकी सेवाओं को देखते हुए उन्हें आई ए एस बनाया गया। उन्होंने आई ए एस अधिकारी के रूप में तमिलनाडु में कार्य किया। वह एक लोकप्रिय नेता हैं। इसलिए, मैं उनसे अपील करता हूं कि यह सब बातें हो जानी चाहिएं।

तिरूचिरापल्ली कॉरपोरेशन एक बस स्टैंड के विस्तार के लिए रेलवे की कुछ भूमि खरीदना चाहता था क्योंकि वह बस स्टैंड बहुत छोटा तथा टूटा-फूटा था। जैसा कि आप जानते हैं कि तिरूचिरापल्ली कस्बा तमिलनाडु के मध्य ये है। उस भूमि के लिए भुगतान की जाने वाली राशि के बारे में कुछ विवाद था। कॉरपोरेशन 6 करोड़ रु. देने का इच्छुक था जबकि रेलवे 8 करोड़ रु. की मांग कर रहा था। कॉरपोरेशन की मेयर, श्रीमती सारूबाला थोंडाईयान तथा मैं माननीय मंत्री महोदय श्री वेलू से मिले। अंततः वे भूमि को 6 करोड़ रु. में देने को तैयार हो गए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में तेजी लाएं तथा इसे पूरा करें।

महोदय, मेलपुदूर में एक सब-वे का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए वे एक रुपया भी खर्च नहीं कर रहे हैं। मैंने इसके लिए एम पी एल ए डी कोष से 20 लाख रु. आवंटित किए थे तथा दो विधायकों ने 10-10 लाख रु. का योगदान दिया था। इस प्रकार इस सब-वे के लिए 40 लाख रु. आवंटित किए जा चुके हैं। इसलिए आप इस कार्य के पूरा होने का ध्यान रखें।

मैं मेला अंबिगापुरम में वे लीव फैसिलिटी प्रदान करने के लिए भी माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। आप इस संबंध में कार्रवाई पहले ही कर चुके हैं। मेरा केवल यह अनुरोध है कि जितना जल्दी संभव हो यह पूरा हो जाना चाहिए।

मेरा रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वे लालगुड़ी स्टेशन पर पल्लावन एक्सप्रेस को रोकने के लिए लालगुड़ी तथा निकटवर्ती गांवों की मांग पर सकारात्मक रूप से विचार करें। माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इन अनुरोधों पर जितना जल्दी संभव हो कार्रवाई की जाए।

इन शब्दों के साथ ही मैं बजट का स्वागत करता हूं। मैं दोनों मंत्रियों को धन्यवाद करता हूं तथा उनके सक्रिय व्यक्तित्व की सराहना करता हूं।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां वर्ष 2005-2006 के रेलवे बजट पर चर्चा चल रही है। पूरे देश में इसकी मिश्रित प्रतिक्रिया आई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ क्षेत्रों में कुछ वर्गों के लोगों के लिए कुछ सुविधाएं देने के प्रयास किए गए हैं।

लेकिन रेलवे में विकास की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से सफाई की दृष्टि से कोई ध्यान नहीं दिया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सोमवार को अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

अपराह्न 3.31 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

श्री निखिलानन्द सर (बर्दवान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि यह सभा 9 मार्च, 2005 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 9 मार्च, 2005 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति के छठे प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधायी कार्यों के बारे में चर्चा करेगी। प्रथम मद है—विधेयकों का पुर:स्थापन।

श्री चन्द्रकांत खैरे — उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.32 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक—पुर:स्थापित

(एक) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2004*

पहला प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जनसख्या नियंत्रण और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि जनसख्या नियंत्रण और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रायापति सांबासिवा राव : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.32½ बजे

(दो) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004*

(अनुच्छेद 80 आदि का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33 बजे

(तीन) प्रतिभूति पत्रों पर पहचान चिन्हों का उपबंध विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी (नांदयाल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

हूं कि प्रतिभूति पत्रों पर पहचान चिह्नों का तथा उनकी कूट रचना के निवारण का उपबंध और उसके आनुषंगिक या परिणामिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि प्रतिभूति पत्रों पर पहचान चिह्नों का तथा उनकी कूट रचना के निवारण का उपबंध और उसके आनुषंगिक या परिणामिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस.पी.वाई. रेड्डी : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.33½ बजे

(चार) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*

(नए अनुच्छेद 25क का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.34 बजे

(पांच) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*

(अनुच्छेद 44 आदि का लोप)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.35 बजे

(छह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*

(अनुच्छेद 1 का संशोधन)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

योगी आदित्यनाथ : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

(सात) केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद विधेयक, 2005*

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय राज्यों के संतुलित एवं चहुंमुखी विकास हेतु विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद् नामक एक परिषद की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले पर्वतीय राज्यों के संतुलित एवं चहुंमुखी विकास हेतु विकास योजनाएं और स्कीमें तैयार करने तथा उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए केन्द्रीय हिमालयी राज्य विकास परिषद् नामक एक परिषद की स्थापना करने तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.36½ बजे

(आठ) जनसंख्या नियंत्रण विधेयक, 2005*

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि देश में जनसंख्या नियंत्रण के उपाय करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

(नौ) जवाबदेही ब्यूरो विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भ्रष्टाचार समाप्त करने; प्रशासन को दक्ष बनाने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक जवाबदेही ब्यूरो की स्थापना करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भ्रष्टाचार समाप्त करने; प्रशासन को दक्ष बनाने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक जवाबदेही ब्यूरो की स्थापना करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी—उपस्थित नहीं है।

अपराह्न 3.37½ बजे

(दस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*

(अनुच्छेद 37 के स्थान पर नए अनुच्छेद का प्रतिस्थापन)

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

(ग्यारह) नि:शुल्क और एक समान शिक्षा विधेयक, 2005*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी छात्रों को नि:शुल्क और एक समान शिक्षा प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि देश में प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक सभी छात्रों को नि:शुल्क और एक समान शिक्षा प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ब्रजेश पाठक : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.38½ बजे

(बारह) नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक, 2005*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभी बालकों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सभी बालकों को उच्चतर माध्यमिक स्तर तक नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ब्रजेश पाठक : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

(तेरह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2005*

(अनुच्छेद 324 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित

भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मोहन सिंह : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39½ बजे

(चौदह) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2005*

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन स्थापनाओं तथा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में आरक्षण तथा उससे संबद्ध अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधीन स्थापनाओं तथा निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को सेवाओं में आरक्षण तथा उससे संबद्ध अथवा उसके आनुषंगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ब्रजेश पाठक : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती कृष्णा तीरथ — उपस्थित नहीं।

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल — उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.40 बजे

(पन्द्रह) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2005*

(अनुसूची का संशोधन)

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40½ बजे

(सोलह) गरीब और निराश्रित विधवा (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि गरीब और निराश्रित विधवाओं के पुनर्वास और कल्याण उपायों तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

"कि गरीब और निराश्रित विधवाओं के पुनर्वास और कल्याण उपायों तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

(सत्रह) भिक्षावृत्ति उत्सादन विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भिक्षावृत्ति के उत्सादन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि भिक्षावृत्ति के उत्सादन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रामदास आठवले : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41½ बजे

(अठारह) परिसीमन (संशोधन) विधेयक, 2005*

(धारा 2 का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि परिसीमन अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि परिसीमन अधिनियम, 2002 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.42 बजे

(उन्नीस) तम्बाकू उत्पादक (प्रसुविधा) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तम्बाकू उत्पादकों के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि तम्बाकू उत्पादकों के संरक्षण और कल्याण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रायापति सांबासिवा राव : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.42½ बजे

(बीस) विद्युत (ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि क्षेत्र को अग्रता प्रदाय) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत के अनिवार्य प्रदाय का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत के अनिवार्य प्रदाय का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रायापति सांबासिवा राव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.43 बजे

(इक्कीस) राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005*

(नई धारा 4 का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

श्री रायापति सांबासिवा राव (गुंटूर) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

श्री रायापति सांबासिवा राव : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.43½ बजे

(बाईस) एकांतता संरक्षण और वीडियो दृश्यरतिकता निवारण विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि व्यक्ति की एकांतता के संरक्षण और दृश्यरतिकता के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के निवारण का और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि व्यक्ति की एकांतता के संरक्षण और दृश्यरतिकता के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के निवारण का और उससे संबंधित अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.44 बजे

(तेईस) श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 2005*

(नई धारा 13कख, 13कग और 13कघ का अंतःस्थापन)

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : महोदय, मैं प्रस्ताव

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

करता हूं कि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाद अहमद सरडगी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.45 बजे

(चौबीस) फसल बीमा विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री इकबाद अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि फसलों का बीमा और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि फसलों का बीमा और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.45½ बजे

(पच्चीस) अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री इकबाद अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश के समर्थ शरीर वाले सभी नागरिकों को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण देने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि देश के समर्थ शरीर वाले सभी नागरिकों को अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण देने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.46 बजे

(छब्बीस) बालक श्रम उत्सादन विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री इकबाल अहमद सरडगी (गुलबर्गा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में बालक श्रम का उत्सादन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि देश में बालक श्रम का उत्सादन करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री इकबाल अहमद सरडगी : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.46½ बजे

(सत्ताईस) धर्म परिवर्तन का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में धर्म संपरिवर्तन के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि देश में धर्म संपरिवर्तन के अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री काशीराम राणा : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.47 बजे

(अट्ठाईस) एयरलाइंस (विलम्ब के लिए शास्ति) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि एयरलाइन कंपनियों पर उनकी निर्धारित सेवाओं के प्रचालन में रद्दकरण/विलंब के लिए शास्ति के अधिरोपण का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि एयरलाइन कंपनियों पर उनकी निर्धारित सेवाओं के प्रचालन में रद्दकरण/विलंब के लिए शास्ति के अधिरोपण का और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

श्री काशीराम राणा : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.48 बजे

(उनतीस) दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र शासन विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमण और दीव) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा के सृजन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधान सभा के सृजन तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल : महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.49 बजे

(तीस) अनिवार्य मतदान विधेयक, 2004—जारी—विचाराधीन

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा अनिवार्य मतदान विधेयक पर और विचार करने संबंधी मद संख्या 48 को लेगी।

श्री बची सिंह रावत।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 11.3.2005 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, 17 दिसम्बर, 2004 को इस पर चर्चा शुरू हुई थी कि देश की लोक सभा और विधान सभाओं के लिए जो मतदान हो, वह अनिवार्य होना चाहिए। इस संबंध में गैर सरकारी विधेयक को मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। 17 दिसम्बर, 2004 के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पीपल यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज़ पीसीयूएल, के द्वारा एक जनहित याचिका पर उत्तर देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के एटॉर्नी जनरल को नोटिस दिया था कि वह पीआईएल निगेटिव वोटिंग के बारे में थी।

देश के मतदाता अधिकतर उदासीन रहते हैं और किसी को भी मतदान करना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति में नैगेटिव वोटिंग करने के लिए उन्हें अधिकार मिलना चाहिए और वोटिंग मशीन पर एक बटन या चिन्ह नकारात्मक वोटिंग का भी अंकित होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को जब सूचना दी गयी तो उसने इस मामले का समर्थन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय को यह जानकारी दी कि हमने केन्द्र सरकार को 10 दिसम्बर, 2001 और 5 जुलाई 2004 को दो बार, इस प्रकार का संशोधन रिप्रेज़ेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में लाने के लिए निवेदन किया है। इस बारे में हमारी प्रतिक्रिया थी कि इस पर चर्चा होनी चाहिए और चर्चा होने के बाद आम सहमति बननी चाहिए और इसका हमारी ओर से समर्थन किया जाता है। इसकी जो रैलीवेंस है वह इसलिए है कि जहां सर्वोच्च न्यायालय नोटिस जारी कर रहा है या जहां जनहित याचिका आती है कि आम मतदाता किसी को भी वोटिंग करना नहीं चाहता है तो इसका नतीजा यह होता है कि कहीं पर 15 प्रतिशत और कहीं पर 20 प्रतिशत या दिल्ली जैसे शहर में 30 प्रतिशत ही मतदान होता है। सीधे-सीधे जो जनादेश आना चाहिए या एक स्वस्थ परम्परा आनी चाहिए वह नहीं आ पाती है। इसलिए हमारा कहना यह है कि जब तक कंपलसरी वोटिंग नहीं होगी, तब तक नैगेटिव वोटिंग का प्रावधान करने का भी कोई औचित्य नहीं होगा। इसलिए ये दोनों बिंदू एक दूसरे से संबंधित हैं। मैं समर्थन करता हूं कि नैगेटिव वोटिंग हो, लेकिन जब तक हम अनिवार्य मतदान की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक यह संभव नहीं होगा। मैंने उल्लेख किया था कि अनेक देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था है और यह कंसैप्ट कोई नया नहीं है। सबसे पहले 1892 में, बैल्जियम में इसको स्वीकार किया गया। उसके बाद 1914 में अर्जेन्टीना में और 1924 में आस्ट्रेलिया में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था की गयी।

अपराह्न 3.53 बजे

[श्री वरकला राधाकृष्णन *पीठासीन हुए*]

आज इस प्रकार की व्यवस्था करीब 32 देशों में है। उनका सीधा तर्क है कि जिस आजादी या मताधिकार को हजारों बलिदानों के बाद प्राप्त किया जाता है, उस मताधिकार के प्रति जब तक जागरुकता न हो, तो शासन या राज्य को ऐसा प्रावधान करना चाहिए कि जो मतदान में लगातार हिस्सा लें, उनको बढ़ावा दिया जो और जो जानबूझकर मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं होते, उनके लिए प्रताड़ना और दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। यही मेरे विधेयक में व्यवस्था आई है। संसदीय लोकतंत्र की आत्मा मतदान है, जिसके कारण शासन या सत्ता सामने आती है और उसके द्वारा लिये गये तमाम निर्णयों से, न केवल व लोग जिन्होंने वोटिंग की होती है बल्कि जिन्होंने वोटिंग नहीं भी की होती, वे भी प्रभावित होते हैं। सबके लिए एक समान निर्णय लागू होते हैं। हमारे देश में भी यह चर्चा आज की नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति श्री आर. वैंकटरमण जी ने इंडिया इंटरनेशनल सैंटर, नई दिल्ली में 16 अक्टूबर 1999 के एक सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा था कि:

[अनुवाद]

> "राज्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को शामिल करने के लिए मैंने 1951 में अंतरिम संसद में जनप्रतिनिधित्व विधेयक पर चर्चा के दौरान यह प्रस्ताव किया था कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मतदान को अनिवार्य कर देना चाहिए।"

आगे कहा है।

> "डा. अंबेडकर ने विधेयक पेश करते हुए इस विचार के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते सुझावों को स्वीकार करने में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों के बारे में बताया। 1952 में जब पहली बार वयस्क मताधिकार की शुरुआत की गई थी उस समय अनिवार्य मतदान शुरू करने में कठिनाईयां आ सकती थीं। पचास वर्षों के बाद भी हितकारी सुधारों के विरुद्ध बहाने के रूप में व्यवहारिक कठिनाईयों के संबंध में कोई कुछ नहीं कह सका। मैं अब इस सुझाव को पुनः दोहराता हूं।"

[हिन्दी]

इसके अलावा उन्होंने कई चुनाव सुधारों की बात कही। 1951 में जब पीपुल्स रिप्रैज़ेंटेशन एक्ट पर चर्चा प्राविजनल पार्लियामैंट में चल

रही थी तब यह विषय आया था। आज जब हमारे यहां दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहां लोकतांत्रिक व्यवस्था को और दिशा देने के लिए और सही परिणाम देश के सामने लाने के लिए अनिवार्य मतदान का विधेयक बनना चाहिए। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री लालकृष्ण आडवाणी जब देश के उपप्रधान मंत्री थे, उन्होंने 20 नवम्बर 2003 को देवास में एक सभा को संबोधित करते हुए इस बात की पुरजोर वकालत की थी कि देश के भीतर कम्पलसरी वोटिंग होनी चाहिए।

[अनुवाद]

"उपप्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी ने गुरूवार को कहा था कि वह देश में आस्ट्रेलिया और इटली की तर्ज पर मतदान को अनिवार्य बनाने के पक्ष में हैं इन दोनो देशों में ऐसे लोगों को अर्थदंड दिया जाता है जो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते।"

इसी में आगे उन्होंने कहा है—

"भारत में लोग, राजनैतिक दलों; उनकी नीतियों और उम्मीदवारों इत्यादि के बारे में बातें बहुत करते हैं लेकिन मतदान के समय वे मतदान नहीं करते। लोकतंत्र के लिए यह अच्छा नहीं है"।

[हिन्दी]

अगर हम सार्वभौमिक रूप से इस प्रश्न पर विचार करेंगे तो सिद्धांत रूप से जरूर इस पर सहमति व्यक्त करेंगे। यहां सभी अनुभवी सांसद हैं। उनके मन में यह विचार आता होगा। अनेक घटनाएं होती हैं। केवल अनिवार्य मतदान कर दिया जाए, यही बात नहीं है। ऐसा एक और बिल लगा था। श्री चन्द्रकांत खेरे जी यहां उपस्थित नहीं हो पाए। मैं उनका विधेयक देख रहा था। वह एक कॉम्प्रीहैंसिव विधेयक है। वह भी अनिवार्य मतदान विधेयक लेकर आए हैं। उन्होंने लगभग वही विचार व्यक्त किए हैं जो मैंने किए हैं। उसमें उन्होंने चुनाव आयोग को सुविधाएं देने के विषय में लिखा है। हम केवल कम्पलसरी वोटिंग कर देंगे तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमारे पर्वतीय क्षेत्र और मरूस्थल का इलाका जहां 10 किलोमीटर दूरी पर पोलिंग बूथ्स हैं, वहां पर जाना कठिन होता है और चुनाव आयोग यह घोषणा कर देता है कि कोई गाड़ी नहीं जाएगी, कोई वोटर उसमें नहीं जाएगा। जो वृद्ध, निर्बल है या जो महिलाएं हैं, उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। इसके अलावा जो मजदूर तबका है, सड़क और खेत में काम करने वाला मजदूर है उनको मुआवजा नहीं मिलता है, उस दिन की मजदूरी नहीं मिलती। सरकारी सेवा में उस दिन का अवकाश होता है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को राजकोष में से मजदूरी मिलनी चाहिए। अनिवार्य मतदान को सफल बनाने के लिए एनसिलरी प्रॉवीजन करने चाहिए। इनमें जो बातें आएंगी, मैं उनको बाद में विस्तार से रखूंगा।

मतदान का समय कितना होना चाहिए? अभी सुबह सात बजे से शाम पांच-छः बजे का समय मतदान के लिए है। इस बीच में लम्बी-लम्बी कतारें लगी होती हैं। धूप, गर्मी, बरसात होने से कई मतदाता मतदान करने नहीं जाते हैं। ऐसे में मतदान एक ही दिन क्यों होने चाहिए? मतदान की व्यवस्था विभिन्न चरणों में दो दिवसीय, तीन दिवसीय की जा सकती है। इस बिन्दु पर जरूर व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा पोलिंग साइट की लोकेशन, जहां मतदान का केन्द्र है, वे करीब-करीब एक किलोमीटर के दायरे पर हो। वहां व्यक्ति आसानी से पहुंच सकता है। आज सरकारी स्टाफ की देश में कमी नहीं हैं राज्य सरकारें हैं, स्थानीय निकाय हैं, केन्द्र सरकार के विभाग हैं वहां आसानी से पहुंच हो सके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। जो हजार-हजार, दो-दो हजार वोटर का एक बूथ होता है, लम्बी लाइन और भीड़ लगती है, बजाय उसके कम संख्या में छोटे बूथ बनाए जाएं। इसके अलावा इसी में मोबाइल पोलिंग बूथ की सुविधा आसानी से दी जा सकती है।

अपराह्न 4.00 बजे

नगरीय क्षेत्र में विशेषकर जितनी मेट्रोपोलिटन सिटीज़ हैं, कस्बे हैं, जिन ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाया गया है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में आज गांव तक सड़क जा रही है, वहां भी पोलिंग बूथ की व्यवस्था हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रीय पहचान पत्र बनाने के कार्यक्रम पर बल दिया जाए क्योंकि जो फोटोग्राफी इलैक्शन कमीशन द्वारा कराई गई, उसमें बहुत विसंगतियां आई हैं। इसके लिए एक नेशनेलिटी आइडेंटी कार्ड मिलना चाहिए और उसमें कॉलम होना चाहिए कि जिसका वोट पड़ गया है, उसकी एंट्री उसके अंदर होनी चाहिए। इस तरह की व्यवस्था बनाई जा सकती है।

इलैक्टोरल रोल्स के चुनाव में बड़ा दुर्भाग्य रहा। जिस क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ रहा था, लगभग पचास हजार मतदाता, जिनकी शिकायत भी मैंने की है और जांच का कार्य भी चल रहा है, पिछली विधान सभा में एक बूथ में उनके नाम पर छः-सात सौ लोगों ने वोट डाला। लोकसभा चुनाव आते आते वह मतदाता घट गए और उसका कोई

युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया। केवल एक बहाना बनाया गया कि फोटोग्राफ नहीं लिया गया था और उनके नाम अपनी बचत के लिए मतदाता सूची से हटा लिए गए। इसका विरोध भी हुआ।

जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है तो इलैक्टोरल रोल ग्राम पंचायत का बनाया जाता है। इसमें दो बातें हैं - एक इलैक्टोरल रोल नगर पंचायत, जिला पंचायत का बनता है और राज्य सभा, विधान सभा का इलैक्टोरल रोल अलग से बनता हैं लोकसभा का चुनाव आता है तो उसमें फिर से परिवर्तन हो जाता है। इसमें घटत बढ़त होती है। इसमें मुख्य विषय है कि प्रत्येक राज्य में जब पंचायतों को चुनाव होते हैं तो उसमें वोट का परसेंटेज् नब्बे प्रतिशत तक जाता है। इसका एकमात्र कारण है प्रत्येक ग्राम पंचायत में पोलिंग का बक्सा लगता है लेकिन यह रिप्रेजेंटेटिव पीपुल एक्ट, इलैक्शन कमीशन द्वारा चार-पांच ग्राम सभाओं के बीच एक पोलिंग बक्सा लगता है। इसमें दूरी अधिक हो जाती है, भीड़ अधिक हो जाती है, दूर से आने वाले लोगों की उपस्थिति भी घट जाती है, सूची में भिन्नता हो जाती है। अन्य माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूं कि वे इसमें भागीदारी करें और इसे लेकर आएं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं क्योंकि वे रिस्पांड करेंगे कि क्या अपने देश में उनकी ओर से इलैक्टोरल रिफार्मस को करते हुए कम्पलसरी वोटिंग की व्यवस्था होने जा रही है?

पिछली एनडीए सरकार में कुछ प्रयास हुए थे, उन्हें इलैक्टोरल रिफार्मस, पोलिटिकल सिस्टम रिफार्म कह सकते हैं। दल-बदल संबंधी कानून पर प्रतिबंध लगाने का, राज्यों के भीतर मंत्रिपरिषद् के आकार का, छोटे राज्यों में मितव्ययिता कम होने का, लोकसभा, विधान सभा, विधान परिषद् के लिए 10 परसेंट की संख्या का विषय था या फिर फौज में कार्य करने वाले सीमा पर खड़े लोगों के लिए परॉक्सी वोटिंग का बिल था। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है चूंकि सरकार की ओर से बार-बार यह कहा जाता है कि वह सुशासन की ओर बढ़ेगी तो सरकार को वोटिंग गवर्नेंस की बात करनी चाहिए। हमें इस बुनियादी सवाल का कुछ न कुछ हल निकालना ही होगा। मैं पुन: कहना चाहता हूं कि अनिवार्य मतदान के पक्ष में उनकी सपोर्ट मिले। पहले बहस 17 दिसंबर को हुई थी और आज 11 मार्च को हो रही है, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट ने नेगेटिव वोटिंग का अधिकार देने का विषय रखा है। इस कन्सेप्ट को स्वीकार करना है तो हमें निश्चित रूप से कम्पलसरी वोटिंग की ओर आगे बढ़ना होगा। इसके साथ मैं माननीय सदस्यों को चर्चा में भागीदारी के लिए आमंत्रित करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस विधेयक पर बल दें।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू) : सभापति महोदय, मैं प्रसन्न हूं और श्री बची सिंह रावत जी को हमारे देश में विद्यमान विभिन्न परिस्थितियों के लिए मतदान की अनिवार्यता संबंधी विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

भारत जैसे देश में, जहां हम स्वतन्त्रता को अधिक महत्व देते हैं किन्तु हम एक नागरिक को मतदान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं चाहे वह इसे पसन्द करे अथवा नहीं। दुर्भाग्यवश हम इस देश में ऐसा माहौल तैयार नहीं कर पाए हैं जिसमें मतदाता की मतदान करने में रुचि हो। मैं किसी भी पार्टी की कमी की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं। यह मेरा अपना स्वातंत्र विचार है कि इसमें सभी दलों का दोष है।

यदि एक मतदाता को मत डालना होता है तो वह मतदान पूर्णत: अपनी इच्छानुसार नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं होता है। पूर्व चुनावों के अनुभव से उसकी यह स्पष्ट अवधारणा बन जाती है कि कोई भी पार्टी उनके विश्वास और भरोसे पर खरी नहीं उतरती है अथवा वे कोई सेवा या त्याग अथवा कम से कम अपना कर्त्तव्य निभायेंगे। सामान्यत: पार्टियों से यह आशा करते हैं कि वे उनकी जीवन पद्धति से बदलाव लायेंगे अथवा कम से कम भावी पीढ़ी की जीवन पद्धति में सुधार लायेंगे किन्तु यह सच नहीं हो पाता है। इसलिए, सभी पार्टियों में अपना विश्वास खो देने के बाद जिनसे उनकी सेवा और उनके लिए कठिन परिश्रम की आशा की जाती है, उनकी मतदान करने में अरुचि हो जाती है।

जो लोग मतदान करते हैं वे केवल निर्धन लोग ही होते हैं। वे इसे अपना विशेषाधिकार समझते हैं। वे ऐसा महसूस करते हैं कि वे अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे मतदान के दिन को उत्सव की तरह मानते हैं। वे मतदान के अवसर को खोना नहीं चाहते हैं क्योंकि वे इसे अपना अधिकार मानते हैं, एक मात्र ऐसा अवसर जहां वे अपने अधिकार का दावा कर सकते हैं। शेष लोग स्वतंत्रता महसूस नहीं करते हैं जो कि लोकतन्त्र में होनी चाहिए। सभी शिक्षित व्यक्ति जो यह मानते हैं कि वे ज्ञानी, संवेदनशील और अपने अधिकारों एवं कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक हैं और सही-गलत का विश्लेषण कर सकते हैं उनका विचार यह है कि मतदान करने जाना व्यर्थ में समय बर्बाद करना हैं वे ऐसा महसूस करते हैं कि मतदान केन्द्र पर जाना व्यर्थ है क्योंकि उन्हें यह भरोसा नहीं होता कि वे सुरक्षित वापस आ पायेंगे अथवा नहीं। यदि देश में इस प्रकार का माहौल विद्यमान हो और

[श्री के.एस. राव]

यदि प्रत्येक पार्टी केवल मतों एवं सत्ता की ओर आंख गड़ाये हो, तो अनिवार्य मतदान का क्या औचित्य रह जाता है।

मैं इस विचार से सहमत हूं और इसका समर्थन करता हूं कि प्रत्येक नागरिक को अपना मतदान करना चाहिए किन्तु किन परिस्थितियों में और किन शर्तों पर यह होना चाहिए? यदि हम ऐसा माहौल तैयार नहीं कर पाते हैं जिसमें मतदाता मतदान के लिए प्रेरित हो, यदि हम यह कानून बना देते है कि यह अनिवार्य होगा क्योंकि हमारे पास शक्ति और सत्ता है और यह कहते हैं उन्हें मतदान न करने के लिए जुर्माना अथवा जेल भेजा जायेगा, तो क्या हम लोकतन्त्र के साथ न्याय कर रहे हैं। मैं श्री रावत से एक मामले में सहमत हूं किन्तु कानून बनाने और कानून को पारित करने के लिए सभा के माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने से पहले, हमें सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार करने की ओर कार्य करना होगा। हमारे यहां राजशाही अथवा तानाशाही नहीं है। हम लोकतंत्र में रहते हैं। इसलिए, हम किसी को अनिवार्यत: मतदान के लिए कैसे बाध्य कर सकते हैं? यदि हमें इस पद्धति को अपनाना पड़ता है तो हमें लोकतंत्र पर भी समझौता करना होगा और हम उसके लिए तैयार नहीं है।

हम इस देश के लिए कुछ भी बलिदान करने के लिए तैयार हैं किन्तु स्वतन्त्रता नहीं। यदि हमारे माननीय मंत्री, श्री के. चन्द्रशेखर राव आंध्र प्रदेश में पृथक तेलगांना के लिए आंदोलन करते हैं तो सम्भवत: उनका यह विचार हो सकता है कि वहां क्षेत्रीय असंतुलन है। उनका यह विचार है कि क्षेत्र विशेष में दर्शकों से लोगों के साथ कुछ अन्याय हो रहा है। उन्होंने यह नारा अपनाया। वे लोगों के पास गए और लोगों ने इसके लिए प्रतिक्रिया व्यक्त की किन्तु वे किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो किया है वह कोई जादू नहीं है। मतदाता कारण विशेष वजह से उनकी ओर झुके। इसका कारण अनिवार्य मतदान नहीं है। इसलिए, हमें उन कारणों को अवश्य परखना चाहिए कि मतदाता क्यों प्रसन्न अथवा अप्रसन्न होता है। यदि हम बिना किसी पक्षपात और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उन कारणों की पहचान कर लेते हैं कि मतदाता क्यों नहीं आ रहा है अथवा वह मतदान क्यों नहीं कर रहा है तो यह राष्ट्र के लिए उचित होगा।

आज संप्रग सरकार सत्ता में है और कल और अन्य पार्टी सत्ता में होगी। किन्तु हम सब जब सत्ता में होते हैं तो अलग पद्धति अपनाते हैं और जब हम सत्ता से बाहर होते हैं तो इसके विपरीत कार्य करते हैं। इस बात को अच्छी तरह से जानते हुए कि एक-न-एक दिन हमें सत्ता से बाहर होना ही पड़ेगा, फिर भी जब हम सत्ता में होते हैं तो भी हम उसे बनाए रखना चाहते हैं। हम सत्ता में बने रहने के लिए जितना भी सम्भव है कोई भी घृणित, अनैतिक, गैर-कानूनी और अलोकतान्त्रिक कार्य करने को बुरा नहीं मानते हैं। इस प्रकार की प्रवृतियां अनिवार्य मतदान विधेयक के लिए सौहार्दपूर्ण नहीं है। मैं किसी पार्टी विशेष की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं। यह मेरा पिछले चार चुनावों का अनुभव है और राजनीति का पिछले 20 वर्षों का अनुभव हैं मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक गांव और प्रत्येक घर का दौरा किया है और लोगों के मन का विश्लेषण किया हैं ऐसे भी अवसर होते हैं जब निर्धनों को मतदान करने से रोका जाता है। यदि मैं एक उम्मीदवार हूं और मैं यह सोचता हूं कि कुछ खास लोगों का वर्ग मेरे पक्ष में मतदान नहीं करेगा तो मैं ऐसे उपाय करने की कोशिश करूंगा कि वे मतदान केन्द्र तक न पहुंच सकें। यदि मैं उन्हें रोकता हूं तो मैं उन्हें दंड चुकाने के लिए कैसे बाध्य कर सकता हूं?

जब भी किसी गांव में मतदाता सूची तैयार करने का अवसर आयेगा, कोई भी पार्टी विशेष अथवा उम्मीदवार यदि उसके पास शारीरिक एवं मानसिक ताकत होगी तो वह मतदाता सूची में नाम इस प्रकार लिखेगा कि वे वहां मौजूद न हो, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पहले ही मर गए होंगे और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो पलायन कर गए होंगे। किन्तु वह सम्पूर्ण सूची को भर देगा और विपक्षी दल अथवा जो पार्टी सत्ता में नहीं है, वे यह कहकर शोर मचायेगा कि मेरे असली मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं और इसमें सभी फर्जी मतदाता हैं। इसलिए, यही सब जगह हो रहा है।

इस प्रकार, इस विधेयक से उन फर्जी मतदाताओं का मतदाता केन्द्रों तक आना रुक जायेगा। इस प्रकार, यह विधेयक अच्छा है। मान लीजिए, फर्जी मदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा है और यह विधेयक कानून बन जाता है तो वे इससे बच नहीं पायेंगे। इस तरह से यह सहायक रहेगा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : इससे अनिवार्य मतदान प्रणाली की अवधारणा किस प्रकार सिद्ध होगी?

(व्यवधान)

श्री के.एस. राव : माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत विधेयक के अनुसार यदि कोई मतदाता मतदान नहीं करता है तो उसे कारागार भेजद दिया जायेगा। इसलिए, जिसका नाम सूची में हो और वह मौजूद ही न हो तो क्या होगा, मैं नहीं जानता। यदि वह व्यक्ति किसी अन्य स्थान

से बसा हुआ हो और वह कहीं और हो तो वह उस ग्राम विशेष की सूची में अपना देखने का प्रयास करेगा जहां वह नहीं रहता होगा जिससे सही सूची तैयार हो पाये। आज मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे मेरा नाम चार स्थानों की सूची में हो क्योंकि इसके लिए कोई दण्ड नहीं है।

किन्तु, कल यदि यह विधेयक मूर्त रूप ले लेता है तो मैं अवश्य यह सुनिश्चित करूंगा कि मेरा नाम एक ही स्थान की मतदाता सूची में हो अन्य किसी सूची में न हो।

मैं ईमानदारी से उस मतदान केन्द्र तक जाऊंगा चाहे वह कितनी भी दूर क्यों न हो चाहे वहां मतदान करना हो अथवा सूचना देनी हो। यदि कोई मतदाता जायज कारण से मतदान करने में असमर्थ हो जैसे खराब स्वास्थ्य अथवा ऐसा कोई जरूरी कार्य जो पहले से निर्धारित हो और जिसे टालना सम्भव न हो अथवा संबंधित प्राधिकारी से अग्रिम में अनुमति ले लेता है कि वह मतदान नहीं कर पायेगा - ये सभी बातें इस विधेयक से संशोधन द्वारा माफ की जा सकती हैं। इसीलिए, मैं इस विधेयक के लिए 'ना' नहीं कह सकता। मैं अवश्य ही कुछ कारणों से इस विधेयक का सर्मथन करता हूं। किन्तु आपको भी इस तरह का माहौल बनाना होगा। यही मैं कहना चाहता हूं।

मतदान में रुचि न होने के कारण मैंने स्वयं भी यह विश्लेषण किया है, आज मतदाता का विकल्प उसकी इच्छानुसार नहीं होता है। उसका चयन विलोपन प्रक्रिया से होता है। चार उम्मीदवारों में से वह यह देखता है कि कौन सबसे खराब है और किसे कम प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और विलोपन प्रक्रिया के अनुसार वह अनिच्छा से मतदान करता है। हम स्थिति को कब बदलेंगे? मेरे मित्र ने नकारात्मक मतदान का उल्लेख किया है। मैं इससे सहमत हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। मान लीजिए, चुनाव में चार उम्मीदवार है और मतदाता यह सोचता है कि चारों में से कोई भी विधान सभा का सदस्य बनने योग्य नहीं है तो उसे सभी चारों उम्मीदवारों को 'नकारात्मक' मतदान करने देने दिया जाए और परिणाम भी तद्नुसार होने चाहिए।

यदि कोई पसंद नहीं है तथा चुनाव लड़ रहे लोगों के स्वभाव और हैसियत उनकी चाहत जैसी नहीं है। तथा पार्टियां भी वैसी नहीं है जैसी वे चाहते हैं तो वे केन्द्र यह सोचते है कि ये लोग उनकी कुछ भलाई करने की बजाय उनका नुकासान ही करेंगे, तो फिर उनके पास उन्हें न कहने के अलावा और कोई चारा रह ही न जायेगा इन सभी उपबंधों के बिना वोट को अनिवार्य बनाना कैसा मजाक है? आपको ये सब उपबंध करने होंगे।

हम सभी लोग, सभी पार्टियां निश्चित तौर पर इकट्ठे बैठ सकते हैं तथा विभिन्न दलों के सभी सदस्य, विशेषज्ञ तथा अनुभव वाले विद्वान लोग एक साथ बैठकर विश्लेषण कर सकते हैं, अपने-अपने विचार रख सकते है और अंततः किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं तथा फिर वे शर्तें रख सकते हैं जो सबको मान्य हों, इन सबके बाद सभी शर्तों सहित इसे अनिवार्य बनाना होगा फिर कहीं जाकर ये सब ठीक ठाक होगा। इससे पहले वातपवरण को भी बदलना होगा, स्थिति को भी बदलना होगा।

महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राजनीतिक जीवन में आज 'बलिदान' शब्द को लगभग भुला दिया गया है। जब हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बलिदान किया तो बात कुछ इस तरह हुआ करती थी। एक गांव में यदि वैंकेया नाम का एक नेता अपने दूसरे मित्र सुबैया से बात करते हुए यह कहा करता था: "सुबैया जी, मैंने स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान दिए हैं और मैंने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी है, मेरे पास जो 20 एकड़ भूमि थी वह भी मैंने बेच दी हैं। मैंने बड़े गर्व के साथ यह बलिदान दिया है।" उसके बाद दूसरा व्यक्ति सुबैया वैंकेया जी को इस प्रकार उत्तर देता था: "वैंकेया जी, आप सझझते हो कि आप बड़े आदमी हो और आपने बड़े-बड़े बलिदान दिये हैं। मैंने न केवल अपनी 30 एकड़ की संपत्ति ही बेच डाली अपितु स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जब में जेल में था तो मैंने अपनी पत्नी तथा बच्चे भी गवां डाले" उन दिनों में इस प्रकार की बातचीत हुआ करती थी।

आज किस प्रकार की बातचीत होती है? वह ऐसी होती है आपने कितने समय में कितना धन कमा लिया है, अथवा कितने समय में आपने कितनी शक्ति का लुत्फ उठा लिया है आज स्वार्थों के लिए लाभ कमाने की प्रतिस्पर्धा है न कि बलिदानों के लिए। आप बलिदानों की बात भूलते चलें जाते हैं।

निर्वाचित होने के पश्चात मतदाताओं ने विश्वास हम पर जो विश्वास रखा है उसको याद करते हुए हमें वह मतसूस करना होगा कि उनकी सेवा करना हमारा कर्त्तव्य है।

लेकिन जब सेवा की बात आती है तो ऐसे लोग बहुत कम हैं जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा करने के लिए आयें। सभापति महोदय, यदि ऐसा होता तो आप क्या सोचते हो कि हम यहां क्या कर रहे हैं यह सब भुलाकर क्या हम सभी लोगों के लिए मतदान अनिवार्य कर सकते हैं? इसीलिए मेरा कहना है कि यह विधेयक लाने से पहले हम सब को मिलकर इस देश की स्थिति को बदलने के लिए कार्य करना होगा।, जिससे कि ऐसा वातावरण बन सके जहां

[श्री के.एस. राव]

हर नागरिक यह महसूस करे कि यदि मैं आज वोट नहीं डाल रहा हूं तो मैं लोगों की सेवा करने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए सही व्यक्ति को न चुनकर एक अपनराध कर रहा हूं। उसे ऐसा महसूस करना होगा। मगर ऐसा स्वेच्छा से होना चाहिए। यह बात उसके दिमाग में होनी चाहिए जोकि नहीं है। इसलिए मेरा न केवल इस सभा में अपितु विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में भी सभी सहयोगियों से एक बार फिर अनुरोध है कि बात यह नहीं है कि उन्हें अपनी पत्नियों के मंगलसूत्र बेचने होगें तथा राष्ट्र के लिए बलिदान करना होगा, परन्तु इतना ही काफी होगा कि जनता के धन का उचित उपयोग हो तथा जिस उद्देश्य के लिए यह पैसा है उसी उद्देश्य के लिए इसका सदुपयोग हो इतना ही काफी होगा कि वे विवेकपूर्ण रूप से अपना कर्त्तव्य यह सोचकर निभाएं कि वे अपने मतदाताओं के ऋणी हैं और बदले में उनसे कुछ मिलने की आशा किए बिना हम पांच वर्ष की अवधि तक उनकी सेवा करते रहेंगे। यदि ऐसा हो जाए तो इस विधेयक के बारे में विचार करना भी आवश्यक नहीं है। वे स्वतः जबतक कोई वैध कारण नहीं होगा वोट डालने आएंगे। क्या देश इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां वे इस प्रकार से सोच सकते हैं?

हम देख रहे हैं निरक्षरता के कारण, जागरूकता न होने के कारण, भावनाओं तथा अफवाहों के कारण बहुत से गरीब लोग पहले वोट डालने नहीं आते थे। परन्तु आज गरीब वर्गों में भी जागरूकता बढ़ी है - भले ही यह सभी गरीब वर्गों में न बढ़ी हो। इसलिए धनी तथा मध्यम वर्गीय लोगों की तुलना में वे लोग अधिक संख्या में वोट डालने आ रहे हैं। वे आ रहे हैं और अपना वोट डाल रहे हैं, परन्तु दुर्भाग्य से क्योंकि उम्मीदवारों तथा दलों के बारे में पूरे आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं, उनको यह पक्का पता भी नहीं चलता कि उम्मीदवार कौन है तथा कौन-सी पार्टी वास्तव में लोगों की सेवा करेगी। इसके लिए मेरा सरकार से सत्यनिष्ठ अनुरोध है कि वह उम्मीदवारों, तथा समर्थन करने वाले दलों के पूरे आंकड़े हरेक को बताने की पहल करे तथा इनके संबंध में सभी सकारात्मक तथा नकारात्मक बातों का जिक्र करते हुए इन सबका व्यापक प्रचार भी करे। यदि मैंने कोई अपराध किया है तो इसे प्रकाश में आने दीजिए कि मैंने अपराध किया है। यदि यह सिद्ध नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अथवा यदि मैंने किसी संस्था के साथ धोखा धड़ी की है तो यह बताया जाना चाहिए कि फलां फलां उस उम्मीदवार उस संस्था विशेष के साथ विशेष ने इस समय में धोखाधड़ी की थी। अथवा यदि मेरे पास आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति है तो यह बात भी उजागर होनी चाहिए कि फलां फलां उम्मीदवार के पास आय से अधिक संपत्ति है। यह पता होना चाहिए। उसके बाद लोग निर्णय लेंगे कि किसे वोट देना है। हम यह सब चीजें नहीं कर रहे हैं।

महोदय, मैंने देखा है कि केरल जिसे आप गर्व से अपना राज्य कह सकते हैं, मैं 1952 में 71 प्रतिशत मतदाता, मतदान के लिए मतदान केन्द्रों पर आये थे। यह बहुत अधिक प्रतिशत मतदाता था। इसी अवधि में पश्चिम बंगाल में आंकड़े 40.5 प्रतिशत थे। परन्तु अब पश्चिम बंगाल में आंकड़ा सबसे ऊपर है, यहां 76.7 प्रतिशत मतदाता वोट डालने आ रहे हैं...*(व्यवधान)* यही लिखा हुआ है...*(व्यवधान)* मेरा दिमाग खुला है...*(व्यवधान)* मेरा केवल इतना कहना है कि लोगों में जागरूकता आई है - मैं यह नहीं कहना चाहता कि यह अच्छी या बुरी बात है - कई रराज्यों में जागरूकता बढ़ी है, शायद साक्षरता दर में वृद्धि के कारण अथवा कुछ अन्य कारणों की वजह से ऐसा हुआ हैं यदि, अन्य राज्यों में भी साक्षरता दरों में वृद्धि हो जाए तो उसके बाद हम इन चीजों के बारे में सोच सकते हैं तथा हमें उस स्तर तक पहुंचने के लिए प्रयास करना होगा।

एक और अच्छी खबर है। मैं समझता हूं कि शुरूआती वर्षों में 1957 में महिला मतदाताओं की संख्या 38.8 थी।

1989 में यह आंकड़ा 57.3 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह भी एक अच्छा संकेत है, हालांकि हम आशा करेंगे कि अधिक से अधिक लोग वोट डालने के लिए आगे आएं।

स्त्री शिक्षा को दिए जा रहे प्रोत्साहन के हाल के विकास के साथ ही हम देख रहे है कि स्कूलो और कॉलेजों में बड़ी संख्या में लड़कियां प्रवेश ले रही हैं। उसी आयु वर्ग के लड़कों की तुलना में उनका प्रदर्शन अनुकरणीय भी हैं हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक समय महिला मतदाताओं की संख्या काफी बढ़ जाएगी तथा यह पुरुष मतदाताओं से अधिक हो जाएगी। यह भी एक अच्छी बात है।

एक अन्य मुद्दा जो मैं बताना चाहता हूं वह मतदान केन्द्रों के स्थान के बारे में है। गांवों में मैं अपनी यात्रा के दौरान निर्धन वर्गों द्वारा की गई अलग मतदान केन्द्र की मांग लगातार सुनता रहा हूं। मैं उनसे इस मांग का कारण पूछता था तो वे बताते थे कि मतदान केन्द्र उन स्थानों पर हैं जहां सभी धनी तथा मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं। इन ग्रामीणों का कहना था कि वे धनी लोग उन्हें मुक्त रूप से तथा उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें वोट डालने नहीं देते थें। ग्रामीणों का कहना था कि उन्हें वहां वोट डालने के लिए जाने में डर लगता

था। मुझे जानकारी है कि किसी ग्राम के कुछ भागों में चुनाव के दौरान वोट नहीं डाल जाते क्योंकि मतदाताओं को वहां जाते हुए डर लगता है।

1989 के चुनाव में, मैं एक उम्मीदवार था तथा मेरी उपस्थिति में एक गांव के गरीब वर्गों को बिलकुल भी वोट डालने नहीं दिया गया। ग्रामीणों ने बताया कि वे वोट डालना नहीं चाहते क्योंकि वे भयभीत हैं। वे अपनी सुरक्षा के लिए वहां एक व्यक्ति को तैनात चाहते हैं। इसलिए, मैंने एक अन्य ग्राम के एक बाहुबली को, यह सुनिश्चित करने के लिए मतदान केन्द्र पर भेजा ताकि निर्धन वर्गों से संबंध रखने वाले ग्रामीण वोट डाल सकें। मैंने गांव के धनी व्यक्ति को सभी लोगों को खिड़की से यह निर्देश देते हुए देखा कि वोट डालने से पहले वे बताएं कि किसे वोट दे रहे हैं। वहां इस प्रकार की गतिविधि चल रही थी। मेरे द्वारा भेजे व्यक्ति ने इसका विरोध किया तो उसे मेरी उपस्थिति में वहां से निकाल दिया गया। वह उनसे अपनी जान बचाने के लिए भागता फिर रहा था। उस स्थान के निकट एक पुलिस वैन खड़ी हुई थी, परन्तु उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। एक गरीब मतदाता को अपनी पसंद का इस्तेमाल करने के लिए देश के कई भागों में इस प्रकार की दयनीय स्थिति से गुजरना होता है।

[अनुवाद]

यदि देश में ऐसी स्थिति चलती रही है तो हम मतदान करना किस प्रकार अनिवार्य बना सकते हैं?

हमें इस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करनी होगी कि किसी को भी मतदान को कोई भय न हो। आज भय है और मतदान केन्द्रों पर कब्जा किया जा रहा है फिर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही भी नहीं की जा रही हैं चाहे आज लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है उनपर दबाव डाला जा रहा है। उन्हें धमकाया जा रहा हो अथवा उन्हें मार दिया जा रहा है। फिर भी तत्काल कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। संभव है मामला अदालत में जाएगा और यह ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे मामलों में भी जहां सारी बातें लगभग सिद्ध हो गई हों और हरेक यह जानता हो कि कुछ गलत हुआ है, फिर भी उसपर निर्णय नहीं किया जा रहा है। मामला अदालत में चला जाता है और कार्यवाही बरसों चलती रहती है। ऐसी स्थिति में हम नागरिकों में यह विश्वास किस प्रकार पैदा कर पाएंगें कि उनके साथ न्याय किया जाएगा? यह एक मजाक बन गया है और ढोंग हो गया है। हमें साथ घंटों बैठकर यह विचार-विमर्श करना होगा कि क्या किया जाए और क्या नहीं किंतु ऐसा जमीनीस्तर पर कोई प्रभाव डाले बिना करना होगा।

महोदय, हमें अपने सभी के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा चाहे हम अगली बार पुनर्निर्वाचित हो या नहीं। विधानमंडल के किसी भी सदस्य को यह नहीं समझना चाहिए कि उसे अगले चुनाव में जरूर निर्वाचित होना है। यदि वह यह समझता है कि वह अगले चुनाव में जोड़तोड़, गलत अथवा सही तरीके से, नीतिसम्मत अथवा गैरनीतिसम्मत तरीके से, नैतिक और अनैतिक तरीके से चुन लिया जाएगा तो इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उसके गलत रास्ता चुनने की संभावना हैं यदि हममें से हर कोई यह समझे कि अगली बार चाहे हम पुनर्निवार्चित हों या न हों हम बिना किसी स्वार्थ के 5 वर्षों तक लोगों की सेवा करेंगे तभी कहीं जाकर हम सब एकजुट रहेंगे। यह दृष्टिकोण लोकतंत्र की सुरक्षा हेतु मानदंड और सदाचार स्थापित करने में सहायक होगा जिसे हमारे पूर्वजों ने काफी बलिदान देकर प्राप्त किया था।

महोदय, जहां तक चुनाव बूथ का संबंध है, हर जगह गरीब तबके के लोग यह मांग करते हैं कि उनके क्षेत्र में एक चुनाव बूथ जरूर होना चाहिए ताकि वे आजादी से वोट दे सकें। सरकार को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए और तदनुसार कार्यवाही करनी चाहिए। सरकार को चुनाव बूथों की संख्या बढ़ानी चाहिए। यह लिखा हुआ है कि 1999 के आम चुनावों में 800 करोड़ रुपये खर्च हुए थे।

जहां कहीं शिकायत हो, वहां चुनाव बूथों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने से सरकार को कोई भारी नुकसान नहीं होगा। इससे लोकतंत्र की रक्षा होगी; लोगों में विशेषकर गरीब और वंचित वर्ग के लोगों में विश्वास पैदा होगा। कई बार सरकार इस काम में आगे नहीं आती है क्योंकि सत्ता पक्ष यह सोचता है कि इससे उन्हें फायदा होगा या नहीं? यदि इस मामले में फायदा ही मानदण्ड है तो हमारी चर्चा का कोई हल नहीं निकलेगा।

अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में सुझाव आए हैं। इस मुद्दे पर देश में काफी लंबे समय से चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि इस पहलू पर विचार करने का एक कारण हैं। कारण यह है कि बहुदलीय प्रणाली, जो हमारे देश में विद्यमान है, में उदाहरण के लिए यदि चार पार्टियां हैं और 60-70 प्रतिशत लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो जो व्यक्ति 17-18 प्रतिशत वोट प्राप्त कर रहा है उसे मतदाता द्वारा चुन लिया जाना चाहिए। जो व्यक्ति 18 प्रतिशत नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है अथवा मतदाता बहुमत के वास्तविक प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं; शेष 60 प्रतिशत या 82 प्रतिशत लोग विधानमंडलों में अपनी आवाज उठाने से वंचित हो जाएंगे। वे अपनी आवाज बाहर

[श्री के.एस. राव]

उठाएंगें किंतु कुल मिलाकर विधानमंडलों में केवल मत अभिव्यक्ति का ही प्रमुखता दी जाती है अतः केवल 18, 20 या 25 प्रतिशत लोगों के प्रतिनिधियों के माध्यम से ही विचारों की अभिव्यक्ति प्रदर्शित हो रही है ना कि बहुमत की।

यदि अनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाना है तो उन्हें सही उम्मीदवार चुनने में भी सावधानी बरतीन होगी। आज पार्टियां सही उम्मीदवार नहीं चुन रही हैं। पार्टी के नेता की अपनी माननीय कमजोरी होती है। वह यह नहीं देखता है कि आदमी विश्वासपात्र है अथवा नहीं और संबंधित व्यक्ति ने उससे दुर्व्यवहार किया है अथवा कुछ सही आधार पर उनकी गलतियां पकड़ी है। वे ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जो उसके इशारे पर नाचे या उससे डरे। यदि संबंधित पार्टियों द्वारा उम्मीदवार चुनने का यही रास्ता है तो भी हम न्याय नहीं कर रहे हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा चाहे पार्टी का नेता अपनी धारणा अथवा अपनी पसंद-नापसंद से किसी गलत व्यक्ति को ही क्यों न चुने, लोग उसका निर्णय करने के लिए हैं। उस मामले में, एक दल विशेष को कम मतदाता वोट देंगे, वह उस विशेषाधिकार को खो देगी अथवा उसे कम वोट मिलेंगे। वस्तुतः ऐसा नहीं होता है किंतु इस बात पर गहराई से चर्चा होनी चाहिए कि इस प्रणाली के क्या लाभ, या नुकसान है। निश्चित रूप से हमें इस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की इस प्रणाली के बारे में सोचना चाहिए ताकि सभी विधानमंडलों में चाहे वह राज्य में हो अथवा केन्द्र में, लोगों की इच्छा उचित ढंग से प्रदर्शित हो सके। इस संदर्भ में, हम इस विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंधों पर विचार कर सकते हैं। यह सदैव चलन में रहे यह जरूरी नहीं किंतु यह कुछ समय तक रहे ताकि हम मतदाताओं को इस प्रकार की चीज का आदी बना सकें। हम उन्हें यह महसूस करा सकें कि उनका वोट उनके विचारों को व्यक्त करे और यह भी सुनिश्चित करे कि विधानमंडलों में अवांचित व्यक्ति प्रवेश न करें और जिन लोगों ने बलिदान दिया है, अपना कर्त्तव्य भलीभांति निभाया है और अपने काम के लिए लड़ाई लड़ी है या अपनी जीवनशैली में बदलाव लाए हैं चाहे एक दशक में नहीं, कम से कम कुछ दशक में ही सही; अपनी बेहतरी जिससे इस पीढी को तो लाभ नहीं होगा किंतु अगली पीढी को जरूर होगा वे विधानमंडल में प्रवेश पा सकें।

इन बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए मैं अपने सहयोगियों से मुझे क्षमा करने का अनुरोध करता हूं; वे मेरे विचारों को गलत न समझें क्योंकि ये किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं हैं या ये किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहे गए हैं। मैंने इन बातों को सामान्य तौर पर उद्धृत किया है और ये मेरी व्यक्तिगत भावनायें हैं। इनमें मेरा गांवों में मतदाताओं के साथ जुड़ा अनुभव भी रहा है।

मैं यह विधेयक लाने के लिए माननीय सदस्य को बधाई देता हूं। मैं देश के अनेक भागों में गांवों में मतदाताओं की आम भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देने के लिए आपका आभारी हूं। मेरे सहयोगी विधेयक के गुणदोषों पर चर्चा करेंगे और इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या इसके लिए विधान बनाया जाए अथवा हम ऐसा वातावरण तैयार करें जिसमें लोग स्वैच्छिक रूप से भारी संख्या में अपना वोट डालने आगे आएं जबतक कि ऐसा न करने का कोई वैध कारण न हो।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्य के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपको मुझे यह अवसर देने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं अपने सभी सहयोगियों का भी धन्यवाद देता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि यह लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है।

मतदान को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। मैं इस मामले में माननीय सदस्य श्री के.एस. राव से सहमत हूं। हमारे देश की आज क्या समस्या है? क्यों कुछ राज्यों में मतदान का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम रहता है और कुछ राज्यों में 30 प्रतिशत, 35 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत रहता है? क्यों कई राज्यों में मतदाताओं का मोह भंग हो गया है? मतदाता दिग्भ्रमित क्यों हैं? क्यों अधिकतर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के इच्छुक नहीं रहते? हमें इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा।

हम इस पर पृथकतापूर्वक विचार नहीं कर सकते। क्यों कुछ राज्यों में मतदान का प्रतिशत 70 प्रतिशत से अधिक रहता है? क्यों कुछ राज्यों में यह 40 प्रतिशत से कम रहता है? क्यों हम समाज में ऐसा माहौल नहीं तैयार नहीं कर पाए हैं जिसमें मतदाता यह महसूस करे कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग करके ऐसे व्यक्ति को चुन सकता है जो उनकी भलाई करेगा? क्यों कुछ राज्यों में कई चुनावों के बाद भी ऐसा माहौल तैयार नहीं हो पाया है?

हमें कुछ राज्यों से ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रहती है कि दलित, अनसूचित जाति ओर अनुसूचित जनजाति से संबंधित लोगो को अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जा रहा है। कुछ ऐसे भी मतदाता हैं। जिन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करने दिया जाता। ऐसी

स्थिति में, हमें क्या करना चाहिए? हमारे मतदान कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए। मतदान कानूनों में बदलाव किये बिना केवल मात्र मतदान को अनिवार्य बना देने से उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। हमने इस देश में शिक्षा को अनिवार्य नहीं बनाया है। हम यह मांग करते रहे हैं कि शिक्षा, कम से कम प्राथमिक शिक्षा, देश में अनिवार्य होनी चाहिए।

हम मतदान को अनिवार्य बनाने के लिए कह रहे हैं। क्या यह सम्भव है? क्या यह व्यवहार्य है? इसका क्या समाधान है? हम धन की ताकत, शारीरिक ताकत और बाहुबलियों का उपयोग करते हैं। आजकल बाहुबली चुने जाते हैं। राजनैतिक दलों द्वारा जब चुनावों हेतु उम्मीदवारों को नामांकित किया जाता हैं तो क्या मापदण्ड अपनाए जाते हैं? राजनैतिक दलों द्वारा कुख्यात अपराधी, हिस्ट्री-शीटर और बाहुबलियों का नामांकन किया जाता है। लोग उन्हे जानते है; मतदाता उन्हे जानते हैं। मतदाता को यदि बाहुबली के पक्ष में मतदान करना हो तो कैसे उनकी रूचि मताधिकार का प्रयोग करने में होगी? मतदाताओं को अपना मताधिकार प्रयोग में कैसे रुचि होगी? इसलिए, चुनाव कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। हमारे पास दल-बहुत विरोधी कानून है। उसमें कमियां है। विगत में हमने देखा है कि कैसे आया राम और गयाराम अपने दल बदलते हैं। आज, वह एक दल में है तो कल वह दूसरे दल में होगा। उनकी कोई विचारधारा नहीं है।

चुनावी घोषणापत्र केवल चुनाव के उद्देश्य से होता है। चुनाव समाप्त हो जान के बाद राजनैतिक दल चुनावी घोषणापत्र को भूल जाते हैं। वे अपने घोषणापत्र के आधार पर जनता से समर्थन और वोट मांगते हैं और उसे ही चुनाव समाप्त होने के बाद भूल जाते हैं...*(व्यवधान)* कार्यसूची के कुछ मुद्दों को लागू करने के प्रयास किये जा रहे हैं। हो सकता है यह वामदलों का दबाव हो। हम सरकार पर दबाव बनाना जारी रखेंगे इसी आधार पर हम उन्हे समर्थन दे रहे है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें।

श्री बसुदेब आचार्य : जनता की रुचि कैसे उत्पन्न होगी? यदि कोई राजनैतिक दल चुने जाने के बाद अपने कार्यक्रम अथवा घोषणापत्र को भूल जाता है और यदि जनता को कुछ मनोवृति में परिवर्तन दिखता है तो जनता की रुचि कैसे उत्पन्न होगी?

पश्चिम बंगाल में यह प्रतिशत इतना अधिक क्यों है? पंचायती चुनावों में, इसका प्रतिशत 90 अथवा 95 प्रतिशत रहता है। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में, मतदान का प्रतिशत 70 या 75 रहता है। ऐसा क्यों है? इसका कारण वहां ऐसा माहौल तैयार किया जाना हैं। पिछले कई वर्षों के दौरान विधान सभा, लोकसभा, पंचायत, नगरपालिका, विद्यालयों और महाविद्यालयों की प्रबन्धन समितियों और शासी निकायों और लोकतान्त्रिक संस्थाओं के चुनाव कई बार हुए हैं।

क्योंकि वहां सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार हो गया है, तो हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग पश्चिम बंगाल में चुनावों में भाग लेने लगे हैं। इसलिए, उचित माहौल बनाए जाने की अपेक्षा है न कि मतदान को अनिवार्य बनाने की। मतदान को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। मतदान को अनिवार्य बनाने से यह लोकतंत्र की भावना और देश के लोकतान्त्रिक ढांचे के विरुद्ध हो जायेगा। इसलिए, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं श्री बची सिंह रावत को धन्यवाद देता हूं कि एक निजी विधेयक पेश कर उन्होंने लोकतंत्र की बुनियाद और जो लोकतंत्र का मूल मतदाता है, उसके साथ लोकतंत्र का रिश्ता क्या हो, इसकी ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की हैं उनकी भावना ठीक है लेकिन इस बिल में उन्होंने जो प्रावधान किया है, उसमें कहा गया है—

[अनुवाद]

"कोई भी व्यक्ति जो मतदान नहीं करता है उसे 100 रु. का जुर्माना अथवा एक दिन का कारावास अथवा जानबूझकर ऐसा करने पर दोनों दण्ड, उसके राशन कार्ड को रद्द करना तथा छह वर्षों की अवधि तक किसी भी चुनाव की उम्मीदवारी नहीं कर सकेगा।"

आगे लिखा है—

"चार दिन के वेतन को रोक देना अथवा एक वर्ष की अवधि तक प्रोन्नति को रोक देना"

[हिन्दी]

इसमें जो दंडात्मक प्रावधान हैं, यदि उनको लागू कर दिया जाए तो इस की जेलों में कहीं जगह नहीं है और न ही उनको पकड़ने वाले इतने रक्षा बल और पुलिस के मुलाज्मात हैं कि इतनी बड़ी तादाद में उनको जलों में ले जाकर सुरक्षित रखने का काम करें।

दूसरी बात हैं उन्होंने अपने भाषण के दौरान उदाहरण दिया कि

[श्री मोहन सिंह]

इस तरह का प्रावधान बेल्जियम, अर्जेंटीना और आस्ट्रेलिया में है। हमारे देश के बारे में कहा जाता है कि हम लोग हर साल एक नया आस्ट्रेलिया पैदा कर देते हैं। बेल्जियम की आबादी भी आस्ट्रेलिया से कम है। हमारे जो छोटे-छोटे राज्य हैं - उत्तरांचल, जिसके वे प्रतिनिधि हैं, उस राज्य की जितनी आबादी है, पूरे बेल्जियम की आबादी उसके बराबर है। अर्जेंटीना उससे कुछ छोटा होगा। 80-85 लाख से लेकर एक करोड़ के देश को इस तरह के कठोर नियम बनाकर उस पर उसकी व्यवस्था कर देना आसान काम है। भारत में इससे अधिक घुमन्तू आबादी है, जो घुमती रहती है, जो सैद्धान्तिक रूप में यह स्वीकार करती है।

यहां ओला जी बैठे हुए हैं। इनके राज्य में एक जाति ऐसी है जो कहती है कि हमारे घर स्थायी रूप से नहीं होने चाहिए, हम राणा प्रताप फौज की पलटन के सिपाही रहे हैं और उन्होंने आदेश दिया है कि जंगल जीवन व्यतीत करना चाहिए और घूम-घूमकर अपनी रोजी-रोटी कमानी चाहिए। इस देश में अर्जेंटीना और बेल्जियम की जितनी आबादी है, उतनी ही उनकी आबादी है। वे कहीं के वोटर नहीं बनाए जाते, उनको कोई वोटर नहीं बनाता। यदि रावत जी का यह विधेयक मान लिया जाए और कानून पास कर दिया जाए तो उस पूरी जाति को रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन के किनारे से पकड़कर जेलों के भीतर एक हफ्ते के लिए रख दें कि आपने वोट नहीं डाला। उनका स्थान जेल में सुरक्षित करना पड़ेगा।

एक और दलील रावत जी ने दी है। यह अच्छी बात है कि कभी इस देश के राष्ट्रपति रहे एक व्यक्ति ने प्रोवीजनल पार्लियामैंट में एक विधेयक पेश किया था और डा. अम्बेडकर ने व्यावहारिक कारणों से हमारे देश में कानून बनाने की बात कही थी। उसे खत्म कर दिया गया। पुराने लोग जानते हैं कि वर्ष 1952 का जो चुनाव हुआ, उसमें बक्से में पर्ची डालने के नियम थे। सभी पार्टी के अलग-अलग बक्से और अलग-अलग चुनाव चिह्न थे। उस वक्त बक्से में पर्ची डाल दी जाती थी और ठप्पा वगैरह लगाने का कोई प्रावधान नहीं था। उस समय जनता श्री जय प्रकाश नारायण को सुनने के लिए इकट्ठी होती थी लेकिन चुनाव के बाद जब बक्सा खोला जाता था, तो सारे वोट कांग्रेस पार्टी के मिलते थे क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता जागरूक थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन से निकले थे और सरकारी मशीनरी पर उनका अधिकार था। कांग्रेस के सारे लोग इकट्ठी पर्ची काटकर दो बैलों की जोड़ी वाले बक्से में डाल देते थे और इस तरह सारी सीटें कांग्रेस जीत जाती थी। जिसको हमारे लालू भाई बाद में कहते थे कि वोट कहीं डालो, बक्से में से जिन्न निकलेगा और इन्हीं की ही पार्टी जीतेगी। वस्तुतः जिन्न 1952 में निकला था जब इस तरह से वोट डाले गये थे।

महोदय, अब हमने काफी पद्धति विकसित कर ली है। फर्जी और बोगस वोटिंग के सिस्टम को हमने धीरे-धीरे अपने देश में बदला है इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन आने से बिहार के रिजल्ट पर भी असर पड़ा है। मैं बिहार के पड़ोस का रहने वाला हूं और मैं जानता हूं कि सब लठैत हमारे पड़ोस में इकट्ठे होते थे। जितने माफिया और बदमाश किस्म के लोग थे, उनको पैसा बांट दिया जाता था। अगर कोई मजबूत पार्टी हमारे बगल में लड़ती थी तो हमारी जान बच जाती थी कि चलो सब लठैत बिहार में चले गये और वहां ठप्पा मारकर चले गये। जार्ज फर्नांडीज के चुनाव क्षेत्र कटोरिया चानन जैसे गंभीर इलाके में, निर्जन इलाके में, मधु लिमये जी के चुनाव से लेकर, जार्ज फर्नांडीज जब आपके साथ न होकर हमारे साथ थे, उस जमाने का मैंने चुनाव देखा है। कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि हम 50 हजार वोटों से जीतेंगे और वे 50 हजार वोटों से ही जीतते थे। पुलिस वर्दी में गुण्डे कलैक्टर के नेतृत्व में वहां घूमा करते थे कि कैसे बूथ पर कब्जा किया जाये। वहां जो महिलाएं थीं, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस बार के चुनाव में हमने देखा कि हमारे जिले के गुण्डे बॉर्डर पर ताक रहे थे कि उधर सीआरपीएफ है, इसलिए वहां जाने पर गोली लग जायेगी और हमें मार दिया जायेगा।

मैं यह नहीं कहता कि इस बार बिहार में चुनाव बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुआ। मैं निजी अनुभव से कह सकता हूं कि मोटे तौर पर अन्य चुनावों के मुकाबले इस बार बिहार में आम जनता ने वोट डालने का जो सुख है, उसकी अनुभूति की है।...*(व्यवधान)*

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह) : सभापति महोदय, क्या यह बिहार के बारे में बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह : आपको बोलने का पूरा अधिकार है। आपको तो जवाब देना है क्योंकि आप मिनिस्टर हैं।...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम इंटर्विन करेंगे और मैम्बर की हैसियत से बोलेंगे।

श्री मोहन सिंह : आप बिहार के बारे में बोलते हैं। हम उस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केवल यहां की बात नहीं है। इसका असर बहुत सारे इलाकों पर पड़ा है। जब 1991 के उपचुनाव में श्री नरसिंह राव जी नांदियाल क्षेत्र से भारी मतों से जीत कर आये,

तो उन्होंने बहुत थोड़े से लोगों की बैठक बुलाई। उसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहां तेलगू में 'सत्तु' शब्द चलता है और वही शब्द बिहार में भी चलता है। कभी कोई आदमी बिहार का माइग्रेट करके आंध्र प्रदेश में आया होगा और अपने शब्द को, जो वहां चने से सत्तु बनता है, वही तेलगू में हम कहते हैं, उस शब्द को माइग्रेट किया होगा। हमने कहा कि पुराने जमाने में सत्तु शब्द बिहार से आंध्र प्रदेश में माइग्रेट हुआ और आज के युग में बूथ कैपचरिंग बिहार से नांदियाल में माइग्रेट हुई जिसके चलते इतने वोट का प्रतिशत आया। जिस किसी कैंडीडेट का हम चुनाव जीतने का मार्जिन अखबार में पढ़ते हैं कि एक लाख से ऊपर वोटों से वह जीता, तो मेरी अपनी निजी धारणा है, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, उसमें हम लोग भी शामिल हैं, कि एक लाख, दो लाख, तीन लाख या साढ़े तीन लाख का उन्होंने कीर्तिमान बनाया और विश्व में इतने बड़े मार्जिन से कोई नहीं जीता, जितना लोक सभा के चुनाव में अनुक जीता, तो मेरी अपनी निजी मान्यता है कि उसमें 50 फीसदी बोगस वोटों का भी हिस्सा रहता है जिससे वोटों की मार्जिन बढ़ती है। एक बात सीपीएम के मित्र कह रहे थे कि हमारे देश में यदि सही वोट के लिए लोगों को छोड़ दिया जाये तो वोट का प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है।

ऐसा करने के पीछे जो बुनियादी कारण है, वह बुनियादी कारण यही है कि समाज का, इस देश का आम आदमी अब यह महसूस करना धीरे-धीरे बन्द कर रहा है कि वोट की पद्धति के जरिए हमारे भाग्य का निर्धारण होने वाला है और इस धारणा के जरिए धीरे-धीरे वोट का प्रतिशत कम हो रहा है उसमें इस भावना का भी बहुत बड़ा योगदान है। रावत जी का मैं इस बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक पद्धति केवल यही नहीं है कि अधिक से अधिक वोट पाकर हम चुनाव जीतकर आ जाएं, यह उसका रिफलैक्शन है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्कृति में हर तरह की विचारधारा को पनपने, फलने-फूलने का अधिकार होना चाहिए। यह लोक तंत्र की मूल भावना है और इसी भावना को हम मानव अधिकार के नाम से जानते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुझे कुछ अन्य कार्य देखने हैं चूंकि सभापति की सूची में से कोई भी उपस्थित नहीं है, यदि सभा सहमत हो, तो मैं श्री हन्नान मोल्लाह से पीठासीन होने का अनुरोध करता हूं।

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

अपराह्न 4.56 बजे

[श्री हन्नान मोल्लाह *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह : मैं कह रहा था कि केवल वोट के जरिए कोई चुनाव जीत जाए, इतना ही लोक तंत्र नहीं है। लोक तंत्र में जिस किसी भी विचारधारा का एक ही आदमी मानने वाला हो, उसे पनपने और बने रहने का अधिकार है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप कंटीन्यू कीजिए। उनकी कुछ रेलेवेंट बात नहीं है।

श्री मोहन सिंह : रावत जी इस बात को जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो यह कहते हैं कि संसदीय लोक तंत्र और पार्टी डैमोक्रेसी में उनका कतई यकीन नहीं हैं दलीय लोक तंत्र की भावना को वे स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए वे कहते हैं कि हम वोट देने नहीं जाएंगे। इसीलिए उनका नारा होता है कि जो वोट देने जाएगा, उसको भी हम रोकेंगे। यदि इस तरह की पद्धति आप लागू कर देंगे तो इस तरह की विचारधारा और नारा देने वाले जो लोग हैं जिनकी तादाद भी इस देश में अच्छी-खासी है, कोई कम नहीं है तथा धीरे-धीरे आप कह रहे हैं कि 14 राज्यों में प्रवेश कर गये हैं और अपनी विचारधारा डाउन-ट्रॉडन पीपुल्स में खासकर प्रसारित करने का काम करते हैं और वोट के समय वे वोट के सिस्टम का बहिष्कार कर देते हैं तो क्या आप लाठी-डंडा लाकर...*(व्यवधान)*

मैं आगे यह कहना चाहता हूं कि यह जो अनिवार्य रूप से हर व्यक्ति को वोट देने के लिए अनिवार्य करना चाहिए लेकिन अनिवार्य करने के साथ-साथ जो दंडात्मक प्रावधान है, उसे हम कैसे इस देश में पूरा करेंगे? आखिर इलेक्शन के समय हम रक्षा वाहिनियों का इन्तजाम करते हैं। इलेक्शन के काम में लगे हुए जो राज्य कर्मचारी हैं, उनको हम चुनाव के इन्तजाम के लिए लगाते हैं और वे सभी जागरूक होते हुए भी मताधिकार प्राप्त करने के बावजूद वोट देने की जो प्रक्रिया से वंचित हो जाते हैं। उनकी व्यावहारिक कठिनाइयां होती हैं। उसी के साथ-साथ जो दूसरी दिक्कतें रावत जी ने बताई, मैं कहना चाहता हूं कि ग्राम सभा के चुनाव के समय जो वोट होता है तो 90 फीसदी वोट होता है। मैं अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि ग्राम सभा, टाउन-एरिया और नगरपालिका के चुनाव में जो वोट होता है तो उसमें यदि किसी एक जगह में वोट हो रहा है तो एक गांव जिसका वह रहने वाला होता है, पूरा गांव वहां का वोटर होता है

[श्री मोहन सिंह]

और वह गाड़ी लाकर वहीं वोट कराने लगता है और ग्राम सभा में वोट जब होता है तो शहर के लोग जाकर वोट करते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जब अलग-अलग चुनाव होता है तो ग्राम सभा का प्रतिशत बढ़ जाता है, टाउन-एरिया, नगरपालिका का जब चुनाव होता है तो प्रतिशत बढ़ जाता है लेकिन जब देश भर का चुनाव एक साथ होने लगता है तो सबको अपने बूथ पर जाकर ही वोट देना पड़ता है और एक ही बार वोट देना होता है। इसलिए लाजमी तौर पर जो संसदीय चुनाव और विधान सभाओं के चुनाव हैं, उसमें मत का प्रतिशत कम होने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी है।

अपराह्न 5.00 बजे

इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि जो मताधिकार देने का प्रश्न है, वोटर लिस्ट तैयार करने का प्रश्न है, इसके बारे में हमें पुनर्विचार करना चाहिए और इस पर गंभीर रुख अख्तियार करना चाहिए। हमारे देश में गांवों में रहने वाले आदमी रोजी-रोटी की तलाश में शहरों में आते हैं।

अपराह्न 5.01 बजे

[**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन हुए*]

महानगरों में उनको मताधिकार का कोई अधिकार नहीं मिल पाता है क्योंकि मतदान के लिए वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं होता है। इसलिए हमारे देश में वोटर लिस्ट तैयार करने की जो पद्धति है, उसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए। इसका कोई वैज्ञानिक तौर-तरीका अपनाया जाना चाहिए जिससे इस देश के सही वाशिन्दों के विश्वास का प्रतिनिधित्व हो सके। हमारे देश की सीमाएं खुली हुई हैं और मैं निजी अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि रोजाना नेपाल और बांग्लादेश से हजारों लोग हमारे देश में काम करने के लिए आते हैं और फिर अपने देश वापस लौट जाते हैं। इसी तरह हमारे देश के अन्दर भी बड़ी संख्या में घुमन्तू आबादी है। यह घुमन्तू आबादी भी सही वोटर लिस्ट तैयार करने में बाधक है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि यदि हम अपने देश में मतदान को अनिवार्य बनाते हैं और उसके उल्लंघन पर दण्डात्मक प्रावधान करते हैं तो उससे तमाम व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी। इसलिए मैं इस भावना से सहमत हूं कि लोकतंत्र का वास्तविक रिफ्लेक्शन तभी हो सकता है जब जनप्रतिनिधि अधिक से अधिक लोगों के विश्वास के आधार पर चुने जाएं और अधिक से अधिक लोगों के विश्वास का प्रतिनिधित्व करें। लेकिन मेरा मानना है कि इस विधेयक में बहुत सारी त्रुटियां हैं। भारत सरकार की ओर से एक समिति बनाई जानी चाहिए और इस पर विचार किया जाना चाहिए कि हम इस देश में किस तरह की चुनाव पद्धति अपनाएं ताकि जनता के सही अभिमत का प्रतिनिधित्व हो सके। मैं इस भावना के साथ इस विधेयक के प्रति अपनी असहमति व्यक्त करता हूं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मैं नहीं सोचती कि हमें इस मुद्दे पर राजनैतिक दृष्टिकोण से चर्चा करनी चाहिए। इस विधेयक का उद्देश्य बहुत अच्छा है किन्तु मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूं। इसमें लोगो के मौलिक अधिकार सम्मिलित हैं। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता यहां विद्यमान है। अनुच्छेद 19 के उपबंध (1) में मौलिक अधिकारों जैसे कार्य का अधिकार, मतदान का अधिकार और अभिव्यक्ति का अधिकार का प्रावधान है। हमारे संविधान ने सभी को मौलिक अधिकार प्रदान किये हैं। मैं विधेयक के उद्देश्य का समर्थन करती हूं किन्तु विधेयक के तीसरे और चौथे अनुच्छेदों से सहमत नहीं हूं। मैं विधेयक के पहले अनुच्छेद से सहमत हूं। मैं सोचती हूं कि सरकार को सभी राजनैतिक दलों के साथ इस मामले पर चर्चा करने के लिए व्यापक विधेयक लाना चाहिए। इस विषय विशेष पर व्यापक विधेयक लाने के लिए सरकार के पास यही सही समय है जिससे यह देखा जा सके कि लोकतन्त्र को कैसे मजबूत बनाया जाए। इस प्रकार के विधेयक को लाने की आवश्यकता एकदम स्पष्ट है। हम दिन-प्रतिदिन धन और ताकत के बल बूते पर लोकतंत्र को कमजोर होते देख रहे हैं। एक दिन हम देखेंगे कि जिन व्यक्तियों के पास धन की शक्ति है केवल वही संसद और विधानसभा के सदस्य हैं। जमीन से जुड़े हमारे जैसे आम व्यक्ति यहां आ ही नहीं पायेंगे।

इसलिए, समय की मांग यही है कि सरकार को इस मामले पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या हमेशा यही होता रहेगा कि कुछ मुट्ठीभर लोगो की ही चलेगी? यही पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक को लाने वाले सदस्य ने कम से कम इस पक्ष पर विचार तो प्रस्तुत किये हैं। सरकार को इस मामले पर विचार करना चाहिए और सभी दलों की बैठक बुलाकर उनके विचार जानने चाहिए और तब एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए।

महोदय, यदि आप आज की मतदान प्रणाली की ओर देखें तो क्या यह सच नहीं है कि केवल कुछेक दल जो अमीर बन गए हैं, सम्पूर्ण देश पर नियन्त्रण किये हुए हैं? मैं यहां किसी दल के नाम

का उल्लेख नहीं कर रही हूं। कुछ राजनैतिक दल ऐसे भी हैं जो बहुत निर्धन हैं। जीवन के हर क्षेत्र में अच्छे और बुरे लोग होते हैं। हमें इस संसद की आवश्यकता क्यों है? यदि हमें चुनाव लड़ना होता है तो हमें बहुत सा धन खर्च करना पड़ता है चुनावों पर हर बार बहुत सा धन खर्च करने की बजाय हम इसे देश के विकास पर खर्च कर सकते हैं।

सभापति महोदय : क्या आप लोग विधायिका में सदस्यों की अनिवार्य उपस्थिति का समर्थन करते हैं?

कुमारी ममता बैनर्जी : जी, हां, हम इस विचार का समर्थन करते हैं। मैं दूरस्थ स्थान से संबंध रखती हूं। मुझे अपने दल के कार्यों को भी देखना पड़ता है। यदि मैं सुबह से शाम तक यहां बैठी हुई हूं और मुझे कोई प्रश्न पूछने की भी अनुमति नहीं है तो इसका क्या फायदा है? सदस्यों के कुछ अधिकार होने चाहिए। कृपया हमें कुछ काम दें, हम काम के लिए तैयार हैं। किन्तु यदि आप हमें बोलने की अनुमति नहीं देते हैं और यदि आप इसे राजनैतिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं?

सभापति महोदय : मैं प्रत्येक दिन सुबह से शाम तक संसद में उपस्थित रहता हूं।

कुमारी ममता बैनर्जी : महोदय, मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि कभी-कभी यहां चर्चाएँ सदस्यों के दैनिक भत्तों और अन्य ऐसी बातों पर होती है। सिद्धान्ततः, जब मैं कार्य न करूं तो मुझे रजिस्टर में हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। मैं सोचती हूं आप इस बात की ओर गौर फरमायेंगे। यह व्यक्तियों पर निर्भर है। आप दूसरी बात कह रहे हैं और मेरा मुद्दा दूसरा है। सरकार को इस मुद्दे पर ठोस कार्य योजना को क्रियान्वित करने सहित व्यापक विधेयक लाना चाहिए।

महोदय, यदि माफिया और बाहुबल को रोका नहीं गया तो देश के लोकतान्त्रिक तन्तु को बनाए रखना सम्भव नहीं होगा। कुछ दस वर्षों पूर्व, वोहरा आयोग ने अपने प्रतिवेदन में राजनीतिज्ञों, माफिया की ताकत और बाहुबलियों के गठजोड़ तथा वे कैसे यह देश चला रहे है; का उल्लेख किया था। कालेधन को सफेद धन में बदला जा रहा है वे अमीर लोग जिनके पास कालाधन है सोचते हैं कि राजनीति उनके लिए है न कि आम आदमी के लिए। हम लोग कभी कभी यह सोचते हैं कि यह देश कौन चला रहा है क्या ये राजनीतिज्ञ हैं? अथवा ये वे तथाकथित अमीर व्यक्ति हैं जिनके पास सबकुछ है? वे आम आदमी के बारे में नहीं सोचते हैं।

महोदय, धन स्वर्ग से नहीं बरसता है। ये वे अमीर आदमी हैं जिनके पास पर्याप्त धन है और वे इसका उपयोग अपने हितों के लिए करते हैं। किन्तु लोग खरीदयोग्य और बेचने की वस्तु नहीं हैं। मैं इस विधेयक को लाने वाले सदस्य को बधाई देती हूं जिन्होने इस सभा में इस मामले पर कम से कम हमें चर्चा करने का तो अवसर दिया।

महोदय, मैंने इस विधेयक के संबंध में इस सभा में सीपीआई (एम) दल के नेता ने जो कहा उसे सुना। वे शायद सभा में उपस्थित नहीं हैं। उन्होने शायद यह कहा था कि वे इस विधेयक की भावना के विरुद्ध हैं।

उन्होने कहा था कि वह इस विधेयक की भावना के विरुद्ध हैं और उन्होंने पंचायतों के बारे में कुछ उल्लेख किया था। ऐसा कहने से पहले, मैं सरकार से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध करती हूं। सर्वप्रथम, राज्य द्वारा वित्तपोषण पर विचार किया जाए। यदि हम इस स्थिति से निपटना चाहते हैं तो हमें चुनावी कानूनों में सुधार की आवश्यकता है लोग क्यों राजनेताओं में अपना भरोसा खो रहे हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी वास्तविक छवि प्रतिबिम्बित नहीं होती है। केवल कुछ ही व्यक्तियों की वास्तविक छवि प्रतिबिम्बित होती है। इसलिए, नई पीढ़ी के मतदाता लोकतंत्र में अपना भरोसा खो रहे हैं। यहां लोकतान्त्रिक प्रणाली गलत नहीं है अपितु राजनेता हैं। मैं सोचती हूं हमें लोगों के प्रति पारदर्शी और उत्तरदायी होना चाहिए। हम यह महसूस करते हैं कि चुनावी सुधारों की आवश्यकता है।

श्री दिनेश गोस्वामी और श्री इन्द्रजत गुप्त के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गए थे। किन्तु सरकार चुनाव सुधारों के बारे में कोई कायवाही नहीं कर रही है। यदि हम राज्य द्वारा वित्तपोषण की पद्धति को अपना लेते हैं तो मैं सोचती हूं पारदर्शिता बनाई जा सकती है। इसमें कठिनाई क्या है? कम से कम, जहां तक चुनाव सुधार का संबंध है, हमें शुरूआत कर देनी चाहिए।

मैं इसमें कुछ और अर्थात् राजनैतिक सुधार भी जोड़ देती हूं। राजनेताओं को अपनी देखरेख स्वयं करनी होगी। अच्छे उम्मीदवारों के लिए कभी उच्चतम न्यायालय निर्णय देता है तो कभी उच्च न्यायालय या चुनाव आयोग निर्णय देता है। किन्तु इसकी चिन्ता कौन करता है? यदि आप सूची देंखे और उनके चरित्रों को देंखे तो अ ाज जो हम देख रहे हैं वह बहुत दुखदायी और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नहीं जानती कि अगली बार कोई आम आदमी संसद अथवा विधानसभा के लिए चुना जायेगा अथवा नहीं। केवल वे लोग जो आकाश छूने के सपने देखते है और जमीन की ओर नहीं देखना चाहते वही यहां आ पायेंगे। इसलिए,

[कुमारी ममता बैनर्जी]

हमें चुनावों का खर्च राज्य द्वारा उठाये जाने, राजनैतिक सुधार और चुनाव सुधार किए जाने तथापि हमारे पास न्यायिक सुधार और प्रशासनिक सुधारों के भी प्रस्ताव भी हैं। इसे भी सम्मिलित किया जाना चाहिए।

चुनाव आयोग को लोकतांत्रिक प्रणाली की कार्यप्रणाली पर उचित ध्यान देना चाहिए तथा इसे सुदृढ़ बनना चाहिए। हमने देखा है कि हमारे देश में मतदाताओं को डरा धमका कर मतदान करवाने की कोशिशें पहले दिन से ही शुरू हो गई थी। मेरे अच्छे मित्र, श्री आचार्य अभी उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि माहौल के कारण पश्चिम बंगाल में मतदान की प्रतिशतता बहुत अधिक है तथा मतदान की दर बहुत अधिक है। महोदय, यह माहौल क्या है? यदि मैं गलत कहूं तो मैं आपको मुझे सभा से बाहर निकालने का अधिकार भी देती हूं। मैं नहीं समझती आप मुझसे कुछ और कहलवाना चाहते हैं। यदि मैं गलत हूं तो आप मुझे बाहर निकाल सकते हैं। श्री दासमुंशी यहां हैं। आप उनसे भी पूछ सकते हैं। मैं आपको मतदान प्रतिशतता के हजारों उदाहरण दे सकती हूं तथा वहां पर सबसे बड़े विपक्ष की ताकत शून्य है। डाले गए 1000 मतों में से क्या कमी आपको सभी 1000 मत मिलें हैं? क्या पूरे विश्व में कहीं भी एक उदाहरण बता सकते है? क्या आप एक भी वाकया बता सकते हैं? यह मैं इस सभा में कह रही हूं।

मिदनापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में खेजुरी-नामक एक विधानसभा क्षेत्र है। महोदय, वहां मतदान की प्रतिशतता 120 प्रतिशत है। हमारे देश के लिए यह शर्म की बात है। हमने चुनाव आयोग तथा अन्यों से शिकायत की थी। लेकिन हमें न्याय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि अच्छे माहौल के कारण मतदान दर अधिक हैं उन्होंने पंचायत चुनावों का उल्लेख किया था। इसी कारण, यह पुस्तक मैं यहां लायी हूं। इस पुस्तक को मैनें प्रकाशित नहीं किया है। यह पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित की गई है। उन्होंने उल्लेख किया कि पंचायत चुनावों में मतदान प्रतिशतता 95 रही है।

महोदय, समय की कमी के कारण, मैं इन सभी बातों का उल्लेख नहीं करूंगीं। लेकिन आपकी अनुमति से, मैं केवल दो या तीन बिन्दुओं का उल्लेख अवश्य करूंगी।

यदि आप हुगली पंचायत समिति के पंचायत चुनावों के परिणामों को देखें तो आप पाएंगे कि वहां कुल 23,61,025 मतदाता हैं।

जिन सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा गया वहां पर मतदाताओं की संख्या 9,50,563 है। लगभग 239 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा गया। पंचायत की कुल 56,006 सीटों में से इन्होंने 23,000 सीटों पर विपक्ष को चुनाव नहीं लड़ने दिया। इसमें कांग्रेस, भाजपा, तृणमूल कांग्रेस तथा अन्य शामिल हैं। मैं उनकी रिपोर्ट से ही बता रही हूं। मैनें आपके एक जिले, हुगली के बरे में बताया। मैं आपको दूसरा उदाहरण वर्धमान का दे सकती हूं। वहां मतदाताओं की कुल संख्या 18,01,161 है। जिन 125 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा गया वहां के मतदाताओं की संख्या 4,65,747 हैं मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। बांकुरा जिले में मतदाताओं की कुल संख्या 29,87,590 है। जिन 206 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा गया वहां के मतदाताओं की संख्या 7,78,053 है। मुझे इन सब बातों का उल्लेख नहीं करना चाहिए था। मुझे इन सब बातों का उल्लेख करना पड़ा क्योंकि वे 95 प्रतिशतता मतदान की बात कह रहे थे।

महोदय, मैं चाहती हूं कि इस मामले की जांच हो। कृपया एक जांच आयोग गठित कीजिए। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं। यह जांच होनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में मतदान प्रतिशतता 90 से 100 प्रतिशत कैसे रही जबकि अन्य राज्यों में यह प्रतिशतता 40 से 60 प्रतिशत है। इसने सभी सीमाएं पार कर दी हैं। हम चाहते हैं कि जांच या तो आयोग कर या सी.बी.आई करे। यह जांच आप अपनी सुविधानुसार किसी भी एजेंसी से करा सकते हैं। मैनें अपनी ओर से सुझाव दे दिया है। कृपया देखें कि वहां प्रजातंत्र जिंदा रहे। वहां कोई प्रजातंत्र नहीं है। आप बिहार के बारे में बात कर सकते हैं। बिहार में लालूजी के खिलाफ आवाज उठाना बहुत आसान है लेकिन बंगाल में राज्य प्रायोजित आतंकवाद है, राज्य प्रायोजित मतदाता सूची है तथा राज्य प्रायोजित हत्याएं होती हैं। वहां सब कुछ राज्य-प्रायोजित है। हमें न्याय नहीं मिल रहा हैं हम कोई अतिरिक्त लाभ की मांग नहीं कर रहे हैं। हम आपसे धन की मांग नहीं कर रहे हैं। हम आपसे केवल यह मांग कर रहें कि कृपया यह सुनिश्चित करें कि केवल वाजिब मतदाता को ही वोट देने दिया जाए। यह आपको ही सुनिश्चित करना पड़ेगा।

मेरा अगला बिन्दु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बारे में हैं इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना है। राज्य में किसी भी चुनाव से पूर्व, चुनाव आयोग को इस बारे में देखना होता है। केवल बिहार ही क्यों? अन्य राज्यों में क्यों नहीं? यह प्रभार चुनाव आयोग को दिया जाए कि उन्हें राजनीतिक तंत्र के जरिए वोट डालने से रोका जाए यदि आप प्रजातंत्र को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं।

महोदय, मैं बांग्लादेश सरकार की सराहना करती हूं। उन्होंने कुछ अच्छे कार्य किए हैं बांग्लादेश में जो सरकार सत्ता पर काबिज होती

है उसे चुनाव से ठीक छह महीने पूर्व त्यागपत्र देना पड़ता है। उस अवधि के दौरान राष्ट्रपति अथवा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीश देश का कार्यभार संभालते हैं। हम इस पद्धति को क्यों नहीं अपनाते है? हमारे राज्य में मतदाता सूचियों में से 69 लाख लोगों के नाम इसलिए हटा दिए गए क्योंकि वे हमारे समर्थक थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग 23,000 पंचायत सदस्य चुनाव नहीं लड़ पाए। जो लोग मतदान करने गए थे उनके हाथ काट दिए गए थे, उनके पैर काट दी गई थी, उनकी जुबान काट दी गई थी और उनकी आंखे फोड़ दी गई थी। इसमें अल्पसंख्यक भी शामिल थे। अब, आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे है।

यह किस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता है? यदि आपको सम्प्रदायवाद देखना है तो आप पश्चिम बंगाल आइए। मैं आप सभी को आमंत्रित करती हूं। हर कोई वहां जा सकता है। मैं आपके साथ वहां नहीं जा रही हूं क्योंकि आप सोचेगें की मैं आप पर प्रभाव डाल रही हूं। इसलिए आप अपने आप अपनी तरफ से वहां जाइए। कृपया वहां जाकर लोगों से पूछिए कि वहां क्या हो रहा है। बचा वहां लोकतंत्र है? अथवा वहां पर आपातकालीन स्थितियां है जो एस्मा अथवा आपातकाल से भी अधिक भयावह है वहां पर लोकतंत्र है अथवा आपातकालीन स्थिति है? वहां पर क्या हो रहा है? क्या यह लोकतंत्र है या निरकुंशता है? इसलिए, मैं अनुभव करती हूं कि वहां पर स्थिति बहुत गंभीर है। हम वहां पर एक गंभीर आपदा का सामना करने जा रहे है।

कई बार लोग अनिच्छा दर्शाते है। चुनाव सुधारों, राज्य द्वारा चुनावों के वित्तपोषण; राजनीतिक सुधारों और प्रशासनिक सुधारों इत्यादि के माध्यम से लोगों के विश्वास को पुनः बहाल किया जा सकता है। हां, आप उसके लिए एक अपील कर रहे है। हमारी नई पीढ़ी मतदान के लिए आगे नहीं आ रही है। यह देश के लिए अच्छा नहीं है। यदि यह जारी रहता है तो देश का कोई भविष्य नहीं है? इस देश के भविष्य का ख्याल कौन रखेगा? सभी लोग राजनीतिक स्थितियों के कारण, राजनीतिक दलों के कारण, राजनीतिक दलो की दोगली भूमिका के कारण, राजनीतिक दलों के पाखंड के कारण मतदान के लिए आगे नहीं आ रहे है।

चुनाव के समय सभी दल घोषणा पत्र की बातें करते हैं चुनाव के बाद कोई पारदर्शिता नहीं होती है। वे कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आप कोई जांच क्यों नहीं कराते हैं? जब राजनीतिक दलों ने अपने दल बनाए थे तो उनके बैंक खातों में कितने पैसे थे? गैर-निष्पादनकारी आस्तियां कितनी थी? अब उनकी गैर-निष्पादनकारी आस्तियां कितनी है? इन दलों के पास आस्तियां और पैसे अब कितने हैं? आप इन चीजों का ध्यान क्यों नहीं रख रहे हैं? आपको मेरे दल से शुरू करना चाहिए क्योंकि ऐसे काम की शुरूआत पहले अपने से करनी चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि हमारे दल से शुरुआत कीरिए। यह हमारी खुली चुनौती हो मुझे खेदपूर्वक ये बातें कहनी पड़ रही हैं क्योंकि हमने घटनाओं को घटते देखा है।

परिसीमन आयोग ने अपना कार्य आरंभ किया है। क्या जनसंख्या नियंत्रित करना कोई दोष है? दक्षिण भारतीय लोगों ने जनसंख्या का नियंत्रण किया है उसकी मैं प्रशंसा करती हूं। उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ समस्याएं हैं। किन्तु, महोदय परिसीमन आयोग ने अपना काम शुरू कर दिया है और परिसीमन का कार्य चल रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि यदि कुछ राज्य जनसंख्या नियंत्रण करते हैं तो उनको नुकसान होगा। आजकल सीमापार से घुसपैठ हो रही हैं वे फायदे में रहेंगे। किन्तु सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से, ऐतिहासिक रूप से और शैक्षिक रूप से जो लोग आगे हैं उन्हे शिकार बनाया जा रहा है। दक्षिण भारत में साक्षरता दर भी उच्च है। वे जनसंख्या नियंत्रण करते हैं।

मेरे राज्य में कोलकाता में 21 सीटें हैं। हमने दक्षिण भारतीय लोगों के समान जनसंख्या नियंत्रण किया इस कारण दस सीटें कम करने का प्रस्ताव है। क्या यह अभिशाप है? क्या यह एक गलती है? अथवा क्या यह श्रेय देने योग्य बात है? मैं आपसे इसकी जांच करने का अनुरोध करूंगी। परिसीमन का कार्य चल रहा हैं इसे अन्तिम रूप दिए जाने से पहले आपको कतिपय बातों पर ध्यान देना होगा। यदि आप लोक सभा और विधान सभाओं के सीटों की वर्तमान संख्या यथावत रखते हैं तब क्या होगा? सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ के कारण हमारे लोगों को नुकसान होगा। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि आप वर्तमान सीटों को बनाए रखें। किसी भी जिले में जो भी आबादी हो आप सीटों को उसके अनुरूप बांटे। किन्तु यदि कुछ राज्यों ने अच्छा काम किया है यदि उन राज्यों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो इससे बात नहीं बनेगी। हमने बहुत कुछ देखा है। यदि कुछ राज्यों ने बुरा काम किया है तो उन्हे पुरस्कार मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे विचार से सरकार को निर्वाचन आयोग के सामने इस मामले को उठाना चाहिए। यह केवल मेरा व्यक्तिगत अनुरोध नहीं है बल्कि सरकार से भी अनुरोध है कि इन बातों का ख्याल रखा जाए।

मैंने पहले भी कहा है कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रही हूं जिससे राजनीतिक आपदा उत्पन्न हो जाएगी। हमें निर्वाचन आयोग का ध्यान रखना होगा। हमें इसे सुदृढ़ करना है। आजकल चुनाव के समय हम देखते हैं कि अधिकारियों में निष्पक्षता का अभाव है। राज्य के

[कुमारी ममता बैनर्जी]

अधिकारियों में निष्ठा की भावना नहीं है। केवल पदोन्नति महत्वपूर्ण हैं कई बार यदि अधिकारी सत्तारूढ़ दल के हितों में काम नहीं करते तो उन्हें शिकार बनाया जाता है। और इस तरह की अन्य बातें होती हैं। अतएव, मेरे विचार से निर्वाचन आयोग को अपनी अवसंरचना खड़ी करनी चाहिए। राज्य के कर्मचारियों पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय निर्वाचन आयोग को अपनी अवसंरचना को स्थापित करते हुए निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। अपनी अवसंरचना के माध्यम से ही यह अपने लोगों के साथ न्याय कर सकता है। ऐसा मेरा मानना हैं।

जहां तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का संबंध है, सरकार को इसके कार्यकरण की अवश्य जांच करनी चाहिए। मेरे राज्य में सॉल्ट लेक नायक निर्वाचन क्षेत्र है और मैनें देखा है कि ई.वी.एम के साथ छेड़-छाड़ की गई थी क्योंकि परिणाम सत्तारूढ़ दल के पक्ष में नहीं जा रहा था। एक अफवाह यह जारी है कि यदि ई.वी.एम. के साथ छेड़-छेड़ की जाती है, तभी इसमें सूचना डाली जा सकती है। इसलिए, मेरे विचार से सरकार को इसकी जांच के आदेश अवश्य देने चाहिए। एक टेलीविजन चैनल ने पहले ही ई.वी.एम. के साथ छेड़-छाड़ करने के बारे में दिखाया हैं हम, इस तरह की कई बातें सुनतें हैं कि ई.वी.एम. को कैसे लोड किया जाए और लोग यह कहतें हैं कि यदि आप ई.वी.एम. से छंड़-छाड़ करते हैं तो आप चाहे कोई भी बटन दवाएंगे, वोटिंग एक ही के पक्ष में जाएगी। यदि यह सत्य है तो हमें लोकतंत्र को भूल जाना चाहिए और यहां केवल आपातकाल होगा, लोकतंत्र नहीं होगा।

महोदय, हमारे माननीय मित्र, जिन्होंने इस विधेयक को रखा है, की मंशा बहुत ही अच्छी है, तथापि मैं ऐसा नहीं सोचती कि किसी चीज की बाध्यता होनी चाहिए। देश के लोगों की मत न डालने के उनके अपने बाध्यकारी कारण हैं। यदि वह यह देखते हैं कि चुनाव के लिए अच्छे लोग सामने आ रहें हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग मत देने के लिए आगे आगे आएंगे। इसलिए, हमें लोगों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। कभी-कभी, लोकतंत्र के नाम पर बोगस मतदान होता है मर चुके लोगों के द्वारा भी मतदान किया जाता है कुछ लोग यह कहते है कि उन्हें अपने विरोधियों से 120 प्रतिशत से अधिक वोट मिलें हैं। हमारी निर्वाचन प्रणाली में, 120 गन्दा शब्द नहीं है। 420 गन्दा शब्द है। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? ऐसा खीजूरी में होता है, अतएव, लोकतंत्र के हित में इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों के कार्यकरण की पूरी जांच कराने की आवश्यकता है।

इन शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं आपको मुझे यह अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद देती हूं। मेरे पास कई दस्तावेज हैं। यदि इस सभा में कार्रवाई की व्यापक योजना पर पूर्ण चर्चा होती है, तो मैं आपको ये सभी दस्तावेज दिखाऊंगी। मैंने केवल यह पुस्तक इसलिए दिखाई है क्योंकि मेरे मित्रों ने यहां कुछ मुद्दे उठाए हैं। हमारे पास कई पुस्तकें हैं जिनमें हमने विस्तार में लिखा है कि हम 'शून्य' कैसे हो गए हैं और सी.पी.आई (एम) के द्वारा चुनाव में गड़बड़ी करवा कर हीरो बन गए है। मैं ऐसी उम्मीद करती हूं कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा।

सभापति महोदय : श्री भर्तृहरि महताब।

(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : माननीय सभापति महोदय, मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद का दुरुपयोग एक राज्य विशेष की छवि खराब करने हेतु किया गया है। मैं यह बात रिकार्ड में दर्ज कराना चाहता हूं कि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा जो हताश है और जिसे पश्चिम बंगाल की जनता ने नकार दिया है, पश्चिम बंगाल के विरुद्ध शत-प्रतिशत झूठी बात कही गई है।

कुमारी ममता बैनर्जी : माननीय सभा महोदय, मैं कुछ कहना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने मेरे भाषण का उल्लेख किया है...*(व्यवधान)* महोदय, आप उनसे वक्फ़ की संपत्ति के बारे में पूछें और यह भी पूछें कि कितनी संपत्तियां बिक गई हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, जब आपकी बारी आएगी तो आप जो कहना चाहते हैं वह बोलने के लिए पूरी तरह स्वंतत्र हैं। आप यह उस समय कह सकते हैं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी : महोदय, उन्होंने मेरे भाषण का उल्लेख किया है। मैंने पहले भी यह कहा था कि यदि आप यह समझते हैं कि मैंने जो कुछ कहा है, वह गलत है तो आप मुझे इस सभा से निष्कासित कर सकते हैं। क्या आप इससे भी बड़ी चुनौती चाहते हैं? मुझमें यह सब बात कहने का माद्दा है और इसलिए मैंने ये सारे तथ्य यहां रखे हैं। उनमें तथ्यात्मक बात कहने का माद्दा नहीं है। 100 प्रतिशत धोखाधड़ी के बावजूद, हमें 30 प्रतिशत वोट मिले। श्री हन्नान मोल्लाह, यह मत भूलिए कि अगली बार हम तुम्हें और कुछ नहीं 'रस गुल्ला' अर्थात् जीरो देंगे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री भर्तृहरि महताब के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : माननीय सभापति महोदय, जब से श्री बची सिंह रावत ने इस सभा के समक्ष इस विधेयक को प्रस्तुत किया है तब से इस पर प्रभावी चर्चा चल रही है और इस मामले पर चर्चा करने का उद्देश्य दो पहलुओं पर आधारित है।

पहला है अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना और दूसरा क्या हमें मतदान को आवश्यक या अनिवार्य बनाना चाहिए? हमें इन दो पहलुओं पर चर्चा करनी चाहिए।

इसमें थोड़ी सत्यता भी है और इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले ने बेल्जियम का उल्लेख करके बिल्कुल सही काम किया है। 1892 में अनिवार्य रूप से मतदान करने की संकल्पना को बेल्जियम में शुरू किया गया था किंतु बाद में गत शताब्दी अर्थात् 60 के उत्तरार्द्ध में, बेल्जियम ने इस विचार को त्याग दिया। आज सारी दुनिया में, अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में हमें इस बात की सही तस्वीर नहीं मिलती है कि ऐसे कौन से देश हैं जिन्होंने मतदान करना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसा कि बताया गया है, भिन्न-भिन्न देशों ने कई अधिनियम बनाए हैं जिन्हें आवश्यक रूप से लागू नहीं किया गया है। हमारे देश में भी ऐसे कई अधिनियम हैं जिन्हें लागू नहीं किया गया है। किंतु ये राष्ट्र अथवा चयनित निकाय की नेक इच्छा है और उन्हें भी लागू नहीं किया गया है। कुछ देशों में, इन अधिनियमों में कतिपय खामियां हैं, चूक के कुछ रास्ते हैं अथवा बचाव के कुछ रास्ते हैं जहां इसे लागू किया जाए और जहां इसे लागू नहीं किया जाएगा यह इसकी अनदेखी करने की काफी स्वतंत्रता देता है।

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। लक्जमबर्ग एक छोटा सा देश है जो सोवियत संघ के समाप्त होने के बाद बना था। वहां पर अनिवार्य रूप से मतदान करने की प्रणाली है। किंतु जो व्यक्ति 70 वर्ष से अधिक आयु का है, उसके लिए मतदान करना अनिवार्य नहीं है। इसी प्रकार कुछ देशों में 16 से 18 वर्ष तक और 61 से ऊपर आयु वर्ग हेतु मताधिकार का प्रयोग करना अनिवार्य नहीं है किंतु 18 से 60 वर्ष तक के लिए यह अनिवार्य है।

विभिन्न लोकतांत्रिक देशों में विभिन्न प्रकार की मतदान प्रथा प्रचलित है और जिन देशों में इसके लिए कानून है उसे सही भावना या सही अर्थों में लागू नहीं किया गया है। उस संबंध में, इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले श्री रावत जी ने कई अन्य बातों का भी उल्लेख किया है। पहला, इसे अनिवार्य बनाना, आपके पास दंड हेतु कतिपय क्लॉज होने चाहिए और आपके पास प्रोत्साहनों हेतु कतिपय क्लॉज भी होने चाहिए। उन्होंने इन दो पहलुओं का उल्लेख किया है।

मैं इस सभा का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और इस सभा के दो वरिष्ठ सदस्यों ने यह बात सही कही है कि प्रवर्तन एजेंसी कौन होगी? हमारे देश में निःसंदेह यह एजेंसी चुनाव आयोग है। किंतु चुनाव आयोग को सरकारी तंत्र पर निर्भर रहना होता है और यहां पर सरकारी तंत्र का अर्थ है—पुलिस बल और मजिस्ट्रेसी।

हम जानते हैं कि स्वतंत्र भारत के पिछले 58 वर्षों के प्रशासनिक इतिहास में मजिस्ट्रेसी और पुलिस ने कैसे कार्य किया है और प्रशासन की यह शाखा किसके अनुदेशों और इशारों पर कार्य करती है। द्वितीय, जैसा कि ठीक ही उल्लेख किया गया है, क्या नकारात्मक मतदान होना चाहिए? अब हमारे पास मत पत्र नहीं हैं किन्तु हमारे पास अब इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) है। पिछले 6-8 महीनों के दौरान नकारात्मक मतदान की ओर बहुत जोर दिया गया है।

सभापति महोदय : कोई भी इससे इंकार नहीं करेगा।

श्री भर्तृहरि महताब : उच्चतम न्यायालय ने ईवीएम में 'उपरोक्त में से कोई नहीं' की अवधारणा के लिए एक अन्य उपबंध, अन्य कॉलम और अन्य बटन का विचार दिया है। यही नकारात्मक मतदान है।

इस देश में और विदेशों में इस पर बहुत अधिक चर्चा हुई है। यह कोई नई अवधारणा नहीं है। यह छोटे राष्ट्रों जैसे स्विटजरलैंड में लागू भी है। सिंगापुर के बारे में मुझे पता नहीं है। किन्तु इसके कुछ अप्रत्यक्ष प्रभाव भी हैं। इसके लिए कई अन्य मुद्दे भी जो आज की इस सभा मे नहीं आ पाए हैं। जबकि हम इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। बावजूद इसके, नकारात्मक मतदान के पक्ष में इस देश में व्यापक समर्थन है। क्योंकि जब किसी दल के नेता किसी ऐसे उम्मीदवार को खड़ा कर देते हैं जिसे दल के समर्थक भी पसंद नहीं करते हैं। जब वे उनके पसंदीदा उम्मीदवार को खड़ा नहीं कर पाते हैं तो उनके पास उनके कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता है। वे अन्य दल के उम्मीदवार को समर्थन नहीं देना चाहते हैं किन्तु वे अपने मताधिकार का उपयोग भी करना चाहते हैं। मौजूदा हालातों में वैसा करने का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि हमने पिछले 50 वर्षों से ऐसी ही प्रणाली अपनाई हुई है। उनके पास अपना मत प्रकट करने का कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए, यही कारण है कि हमारे देश में नकारात्मक मतदान के प्रति अत्यधिक समर्थन है, किन्तु इसके कानूनी पक्ष भी हैं।

[श्री भर्तृहरि महताब]

उस लिहाज से, मेरे विचार में भविष्य में यदि यह सभा इसे उठाती है तो हम इस पक्ष पर चर्चा कर सकेंगे। किन्तु जब हम अनिवार्य मतदान के इस विशिष्ट मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं तो माननीय वरिष्ठ सदस्य जो आज यहां उपस्थित हैं, वे यह जानते हैं कि यह कोई नया मुद्दा मुद्दा नहीं है जिस पर सभा चर्चा कर रही है। हम इस पर इस सभा में चर्चा कर चुके थे। मैं सोचाता हूं महोदय, आप इसे जानते होंगे क्योंकि आप वरिष्ठ नेता हैं इसी प्रकार माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी भी जानते होंगे आठवीं लोक सभा में भी इस विषय पर चर्चा की गई थी।

जब हम एक नागरिक जिसे अपना मत प्रकट करना है, जिसे अपना निर्णय देना है, के अनिवार्य पक्ष अथवा बाध्यकारी पक्ष की बात करते हैं तो बहस का विषय बन जाता है। कई बार, हम दो बातों को एक में मिला देते हैं। दो शब्द है— 'स्वतंत्रतता' और दूसरा 'आजादी' जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। इन दोनों शब्दों का अंग्रेजी भाषा में अलग-अलग अर्थ है किन्तु हम दोनों शब्दों 'स्वतंत्रतता' और 'आजादी' का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में करते हैं।

जैसा कि संविधान में व्यवस्था की गयी है, आजादी का बहुत व्यापक अर्थ है। किस प्रकार व्यक्ति इसे देखता है, कैसे वह निर्णय लेता है और किस प्रकार वह अपने मत का उपयोग करता है और किस सीमा तक स्वतंत्रता का विस्तार हो सकता है, इसका भी उल्लेख संविधान निर्माताओं ने किया है। मैं बाद में जब अपने भाषण को समाप्त करूंगा तब इसका भी उल्लेख करूंगा।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि जब आप किसी व्यक्ति को अभिव्यक्ति करने के लिए मजबूर करते हैं तब आप उस एक सीमित सोच के दायरे में कैद कर देते हैं। हमारे यहां नकारात्मक मतदान प्रणाली नहीं है फिर भी जैसा कि मैंने पहले कहा नकारात्मक मतदान प्रणाली के अन्य निहितार्थ हैं। कुछ मामलों में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि पचास प्रतिशत मतदाता मतदान करते हैं तो 'उपरोक्त में से कोई नहीं,' पुनः मतदान होता है। इसलिए क्या हमें इसे मान लेना चाहिए? क्या इसका राजनैतिक दलों पर उम्मीदवार बदलने का दबाव पड़ना चाहिए? यदि नेता अपने उम्मीदवार नहीं बदलते, तब दल अथवा उम्मीदवार किस तरह का लुभावन पैकेज लेकर आएंगे ताकि मतदाताओं के प्रतिशत में वृद्धि हो और 'उपरोक्त में से कोई नहीं' कम हो और पचास प्रतिशत से नीचे हो? ऐसे मामले में, कारकों की संख्या ही ज्यादा खेल दिखाएगी।

यदि आप यह कहकर किसी को मतदान कराते हैं कि यदि वह ऐसा नहीं करता तो उसे 100 रुपये देने होंगे अथवा उसे एक साल की जेल होगी। तब आप उसकी आजादी में काट-छांट कर रहे होते हैं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक को लाने वाले सदस्य भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि इस देश के प्रत्येक नागरिक को हमारे संविधान ने सबसे बड़ा लाभ आजादी का प्रदान किया है। मैं स्वयं को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हूं, मैं अपनी आजीविका के लिए स्वतंत्र हूं लेकिन एक तरह से मेरी आजादी सीमित है। मैं स्वयं को अभिव्यक्त कर सकता हूं। मैं अपना हाथ किसी की नाक तक फैला सकता हूं लेकिन इससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस संविधान द्वारा मुझे केवल इतनी आजादी प्रदान की गयी है। इसके साथ-साथ, संविधान ने बहुत से शब्दों में नागरिकों के कर्त्तव्यों का भी उल्लेख किया है। यहां इस विधेयक को प्रस्तुत करने वाले सदस्य ने कतिपय प्रलोभनों का भी उल्लेख किया है। मुझे खेद है, 'प्रलोभन' ठीक शब्द नहीं है। ठीक शब्द है – 'प्रोत्साहन'। लेकिन जिसे कुछ लोग 'प्रोत्साहन' मानते हैं उसे कुछ लोग 'प्रलोभन' मान सकते हैं। राजनैतिक दलों के पास ही लोगों को मतदान केन्द्रों तक जाने के लिए प्रोत्साहित और प्रलोभन देने का उत्तरदायित्व है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, कृपया मुझे क्षमा करें। इस विधेयक पर अन्य कई सदस्य बोलना चाहते हैं। इसलिए, यदि सभा सहमत हो तो इस विधेयक पर चर्चा के लिए समय को एक घंटा और बढ़ाया जा सकता है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। बढ़ाए गए समय का आज प्रयोग नहीं किया जाएगा। सभा सायं 6 बजे स्थगित होगी परंतु इस विधेयक पर चर्चा के लिए दिए गए अतिरिक्त समय का प्रयोग बाद में किया जाएगा।

श्री भर्तृहरि महताब : यहां मैं सभा का ध्यान मतदान के बहिष्कार की ओर दिलाना चाहता हूं। यह उस क्षेत्र में विद्यमान प्रणाली पर हमारे असंतोष की अभिव्यक्ति है।...*(व्यवधान)* बहिष्कार भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लोगों के प्रतिनिधि होने के नाते हमें इसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए। परंतु हम इसे रोक नहीं सकते। हमारे देश में इसकी अभिव्यक्ति कई रूप में है। यह विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों, विभिन्न पंचायत स्तरों, विभिन्न जिला स्तरों तथा विभिन्न राज्य स्तरों पर भी हुआ है।

यहां मैं सभा का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि हमारे असंतोष को व्यक्त करना अथवा समाज के बड़े वर्ग द्वारा असंतोष की अभिव्यक्ति

मेरे ख्याल से पहली बार पंजाब राज्य में अस्सी के दशक में हुई। यह असम राज्य, जम्मू ओर कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों में भी हुआ...*(व्यवधान)* इसी कारण मेरे विचार से इस विधेयक को लाने वाले व्यक्ति द्वारा जब 2004 में इसे लाया गया उन्होंने इस पहलु को ध्यान में रखा। यह मेरा मानना है। परंतु ऐसा हुआ है। पंजाब में एक बार तथाकथित लोकप्रिय सरकार आई जब मतदान 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ था; जम्मू और कश्मीर में तथाकथित लोक प्रिय सरकार आई जब मतदान 28 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ था; असम में तथाकथित लोकप्रिय सरकार आई जब मतदान का कुल प्रतिशत 30 प्रतिशत हुआ था...*(व्यवधान)* क्या हमें यह 40 प्रतिशत करना चाहिए? ऐसा कभी नहीं हुआ। यह सब रिकार्ड में दर्ज है। स्थिति को ठीक करने के लिए मैं नहीं समझता कि मतदान को अनिवार्य बनाया जाना रामबाण का कार्य करेगा। परंतु कतिपय देशों में यह प्रणाली है और यह प्रणाली ऐसी है कि वे पूरे देश में अनिवार्य मतदान नहीं करते परंतु दिए गए कुछ क्षेत्रों में मतदान अनिवार्य होता है। यह एक संविधानिक मर्यादा है। वे पूरे देश में इसे लागू नहीं करते। उन्होंने कतिपय क्षेत्रों की पहचान की जहां अनिवार्य रूप से मतदान किया जाना होगा।

मैं जम्मू-कश्मीर अथवा असम अथवा पंजाब के मतदान को अनिवार्य करने को नहीं कह रहा। मैं समझता हूं कि माननीय लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री मुझसे सहमत होंगे कि हमारे देश में बड़े भू-भाग अनुसूचित क्षेत्र हैं। यह संविधान में उल्लिखित है और इन क्षेत्रों को इस प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए। इससे मतदान के नकारात्मक तरीके को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। यह उन पर एक अभिशाप नहीं होना चाहिए ताकि राज्य उनसे पैसे बटोर सके या उन्हें पकड़ कर जेल में डाल दे।

परंतु यह एक प्रोत्साहन होना चाहिए कि नागरिकता के अधिकार का प्रयोग करके उन्हें राज्य से इतना तो समर्थन मिलना चाहिए। इस प्रकार हम अनुसूचित क्षेत्रों के लोगों को घरों से बाहर आकर अपने अधिकार मतदान करने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

यहां यह मुझे 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन के एक शहीद की याद दिलाता है। मेरे विचार से वह देश के अकेले अनुसूचित जनजाति के नेता थे—शहीद लक्ष्मण नायक जिन्होंने उन ब्रिटिश शासन के दिनों के दौरान कभी भी अपने मतदान करने के अधिकार का प्रयोग नहीं किया था। उनके पास मतदान करने का अधिकार नहीं था। परंतु जिस दिन उन्हें हिरासत में लिया गया हजारों लोगों ने गिरफ्तारियां दी। और जब उन्हें जेल में बन्द किया गया तथा यह फैसले सुनाए जाने के बाद कि उन्हें मौत की सजा दी जाएगी। उस समय उन्होंने कहा "मैं इस देश में फिर जन्म लूंगा जो आजाद होगा और जहां मैं अपने मत का प्रयोग करूंगा।" मतदान में ऐसा विश्वास था।

पूरे आधुनिक इतिहास में राजनीति में मतदान के अधिकार के लिए संघर्ष किया गया है। पिछली सदी में ही कभी मतदान न करने वाले लक्ष्मण नायक की तरह ही अनेकों लड़ाइयों में सिपाही तथा हमारे देश के कई स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष किया और अपने जाने गवांई, परंतु उनका एक सपना था कि कभी न कभी यह देश आजाद होगा और लोग बेझिझक मतदान कर सकेंगे। पिछली सदी में संसदीय राजनीति का जनक कहलाए जाने वाले इंग्लैण्ड में भारी संख्या में महिलाएं आगे आईं; परंतु इन्हीं महिलाओं को पिछली सदी के मध्य तक ब्रिटेन में मतदान देने की अनुमति नहीं थी। संयुक्त राज्य अमरीका में स्वतंत्रता संग्राम आजादी के लिए और मतदान करने के लिए था क्योंकि उन्होंने इसे एक अधिकार माना।

हमारे देश में 1952 तक व्यस्क मताधिकार लागू नहीं था। यह देश स्वतंत्रता संग्राम के माध्यम से जागरुकता के बाद एक लोकतांत्रिक देश के रूप में सामने आया। तदानुसार, इस देश को स्त्री-पुरुष के बीच मदभेद न करते हुए व्यस्क मताधिकार मिला तथा अस्सी के दशक के अंत में राजीव जी के समय में मताधिकार की आयु 21 से घटकर 18 वर्ष हो गई। उस समय के मेरे विचार से माननीय सभापति तथा सभा मुझसे सहमत होंगी कि राष्ट्रीय राजनीति में काफी बदलाव आए हैं। 1989, में मताधिकार की आयु कम करके 18 वर्ष किए जाने के बाद, केन्द्र में ऐसी कोई भी सरकार नहीं आई जो गठबंधन सरकार न हो। एक पार्टी की कोई सरकार उसके बाद शासन में नहीं आ रही।

मताधिकार देने की आयु में परिवर्तन से सामाजिक पहलु पर भी असर पड़ा है। मेरी तथा हममें से कई और लोगों की तरह लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक अधिकार में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति एक अनुकूल माहौल बनाने की ओर अग्रसर रहेगा जहां प्रत्येक नागरिक को मतदान करने का अधिकार हो, जहां वे अपनी अभिव्यक्ति के अधिकार तथा अपने दृष्टिकोण के अधिकार का प्रयोग कर सकें।

परंतु इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि एक अरब से अधिक जनसंख्या वाले हमारे देश में जहां 55 प्रतिशत से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यह एक प्राचीन देश है जोकि 5000 वर्ष या उससे भी अधिक पुराना है तथा फिर भी यह देश युवा है।

[श्री भर्तृहरि महताब]

युवा देश कहने का मेरा अर्थ यह है कि 18 से 35 आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 35 तथा उससे अधिक आयु वर्ग वाले मतदाताओं से कहीं ज्यादा है। अगले 15 से 20 वर्षों में इस आयु वर्ग में और वृद्धि होगी। इस संबंध में, नागरिकों को जागरूक बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने चाहिएं जिससे कि वे वोट के माध्यम से अपनी राय जाहिर करें। साथ ही साथ मतदाता सूची को सही करने के लिए पर्याप्त कदम भी उठाए जाने चाहिए।

जब हम मतदान के प्रतिशत का उल्लेख करते हैं तो हम मतदाता सूची उसमें छपे नामों का संज्ञान लेते हैं। ऐसा केवल श्री रावत के निर्वाचन क्षेत्र में नहीं हुआ है बल्कि ऐसा लगभग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है। हम सभी उस चरण से गुजर चुके हैं तथा हम सभी शिकायतें भी कर चुके हैं, परंतु प्रगति कुछ अधिक नहीं हुई है। हजारों लोगों, प्रसिद्ध लोगों तथा गणमान्य व्यक्तियों के नाम हटा दिए गए हैं। ऐसा क्यों हुआ? मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इसी गड़बड़ी की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी चुनाव प्रणाली को सफल बनाने के लिए नौकरशाही पर जबरदस्त निर्भरता है। अन्य कोई रास्ता भी नहीं है और कोई भी वैकल्पिक मार्ग के बारे में नहीं सोच रहा है। इस विधेयक ने हमें विचार-विमर्श का अवसर दिया है। मुझे लगता है कि इस विषय के बारे में और सदस्य भी प्रकाश डालेंगे। यदि मुझे समय दिया जाए तो जब आगे हम इस पर चर्चा करेंगे तो मैं भी इस विषय पर बोलूंगा कि नौकरशाही पर हम कितना निर्भर हो गए हैं, मतदाता सूची किस प्रकार तैयार की जाती है, मतदान केन्द्रों का चयन किस प्रकार किया जाता है। पीठासीन अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट पर बहुत अधिक निर्भरता है। वह अपने बल पर किसी व्यक्ति को जीत दिला सकता है तथा हरा भी सकता है तथा इस संबंध में कोई चारा नहीं है। हमें इस बारे में चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता।

जब हम चुनाव सुधारों की बात करते हैं तो यह एक विस्तृत विषय है, परंतु केवल इसी विषय पर, चूंकि राजनीतिक दल चुनाव लड़ रहे हैं तो उन्हें अपराधी नहीं मानना चाहिए। उस राज्य अथवा उस जिले की व्यवस्था सत्ता पक्ष के साथ उसके अच्छे संबंध नहीं होने पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी आरोप में फंसाया जा सकता है। इस संदर्भ में मैं यह पूछना चाहूंगा कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार से त्रुटिरहित मतदाता सूची सुनिश्चित करेगा। मैं यह भी कहूंगा कि ऐसे व्यक्ति से उच्चतम न्यायालय आकर शिकायत दर्ज कराने की अपेक्षा न करें जो तमिलनाडु अथवा केरल में कहीं चुनाव लड़ रहा है।

सभापति महोदय : श्री महताब यदि आप की बात अभी पूरी नहीं हुई है तो आप अगली बार इसे जारी रख सकते हैं। अन्यथा, आपके पास एक अथवा दो मिनट का समय है। यदि संभव हो तो आप समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मेरा भाषण आज समाप्त नहीं होगा।

सभापति महोदय : क्या आप आज समाप्त कर रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब : नहीं, महोदय।

सभापति महोदय : श्री महताब, आप 6 बजे तक इसे जारी रख सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : धन्यवाद महोदय, आज सही मतदाता सूची सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। मैं जानता हूं कि मतदाता सूचियां तैयार करने तथा सब-कलैक्टर के कार्यालय में उन्हें लगाने की व्यवस्था है तथा राजनीतिक दलों को कुछ जोड़े जाने परिवर्तनों की जानकारी दी जाती है तथा यदि वे कोई सुझाव आदि देना चाहें तो दे सकते हैं।

सभापति महोदय : श्री महताब, आप अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं। अब सभा सोमवार 14 मार्च, 2005 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार 14 मार्च, 2005/ 23 फाल्गुन, 1926 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्रम सं	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	श्री बी. विनोद कुमार श्री बाडिगा रामकृष्णा	121
2.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा श्री एम. अंजन कुमार यादव	122
3.	श्री दिनशा पटेल श्री जसुभाई दानाभाई बारड़	123
4.	श्रीमती किरण माहेश्वरी श्री रतिलाल कालीदास वर्मा	124
5.	श्रीमती करुणा शुक्ला	125
6.	श्री राम सिंह कस्वां श्री तापिर गाव	126
7.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार श्री सुकदेव पासवान	127
8.	श्री के.एस. राव श्री महबूब जाहेदी	128
9.	श्री अनंत गुढ़े श्री एस.के. खारवेनथन	129
10.	श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल	130
11.	श्री वी.के. ठुम्मर श्री भर्तृहरि महताब	131
12.	श्री मोहन रावले श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	132
13.	श्री ब्रजेश पाठक श्री अब्दुल रशीद शाहीन	133
14.	श्री देविदास पिंगले श्री एम. अप्पादुरई	134
15.	श्री सी. कुप्पुसामी	135
16.	श्री मो. ताहिर श्री मुन्शी राम	136
17.	प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा श्री थावरचन्द गेहलोत	137
18.	श्री रूपचन्द मुर्मू	138
19.	श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा प्रो. महादेवराव शिवनकर	139
20.	श्री किन्जरपु येरननायडु श्री सुनिल कुमार महतो	140

अतारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	1398, 1437
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	1340, 1361, 1437, 1454
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	1378, 1425
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	1347
5.	आठवले, श्री रामदास	1378, 1409, 1446, 1459, 1484
6.	आजमी, श्री इलियास	1341, 1378
7.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	1350
8.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	1441, 1475, 1489

1	2	3
9.	बर्मन, श्री हितेन	1356
10.	बर्मन, श्री रनेन	1358
11.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	1385
12.	बिसेन, श्री गौरीशंकर	1383
13.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	1432, 1470
14.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	1354, 1378, 1452, 1480
15.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	1378
16.	बैसीमुथियारी, श्री सानछुमा खुंगुर	1376
17.	चक्रवर्ती, श्री अजय	1392, 1451, 1492
18.	चन्देल, श्री सुरेश	1350, 1394
19.	चटर्जी, श्री सांताश्री	1467
20.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	1378
21.	चिन्ता मोहन, डा.	1378, 1401, 1447
22.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	1390, 1450, 1479
23.	चौधरी, श्रीमती अनुराधा	1378, 1439, 1474
24.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	1380, 1396
25.	चौधरी, श्री पंकज	1388, 1448
26.	चौधरी, श्री अधीर	1348
27.	फैन्थम, श्री फ्रान्सिस	1352
28.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	1351
29.	गमांग, श्री गिरिधर	1362
30.	गांधी, श्रीमती मेनका	1367

1	2	3
31.	गंगवार, श्री संतोष	1395, 1410
32.	गाव, श्री तापिर	1433
33.	हमजा, श्री टी.के.	1370
34.	जगन्नाथ, डा. एम.	1416
35.	जय प्रकाश, श्री	1396
36.	जयाप्रदा, श्रीमती	1378, 1386, 1401, 1478
37.	झा, श्री रघुनाथ	1378
38.	कामत, श्री गुरूदास	1421
39.	करुणाकरन, श्री पी.	1453
40.	खैरे, श्री चंद्रकांत	1355
41.	खां, श्री सुनील	1378
42.	खारवेनथन, श्री एस.के.	1443, 1477
43.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	1349
44.	कृष्ण, श्री विजय	1363, 1389, 1446
45.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	1375, 1440
46.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	1378
47.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	1378, 1467, 1474
48.	'ललन' श्री राजीव रंजन सिंह	1378, 1386, 1447, 1478
49.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	1423
50.	महाजन, श्री वाई.जी.	1378, 1406, 1475
51.	महतो, श्री बीर सिंह	1391, 1415, 1469
52.	महतो, श्री सुनिल कुमार	1378, 1391

1	2	3
53.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	1427
54.	महताब, श्री भर्तृहरि	1378, 1471
55.	मंडल, श्री सनत कुमार	1414, 1463, 1465, 1491
56.	मंडलिक, श्री सदाशिवराव दादोबा	1389, 1449
57.	माने, श्रीमती निवेदिता	1363, 1446
58.	मनोज, डा. के.एस.	1412
59.	मिडियम, डा. बाबू राव	1359
60.	मेघवाल, श्री कैलाश	1362
61.	मोहले, श्री पुन्नू लाल	1399
62.	मुकीम, मो.	1411
63.	मो. ताहिर, श्री	1431, 1439, 1474
64.	मूर्ति, श्री ए.के.	1340
65.	मुंशी राम, श्री	1378, 1439, 1474
66.	मुर्मु, श्री हेमलाल	1378, 1418
67.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	1377
68.	नायर, श्री पी.के. वासुदेवन	1400
69.	नायक, श्री अनन्त	1366
70.	निषाद, श्री महेन्द्र प्रसाद	1346
71.	ओराम, श्री जुएल	1372, 1438, 1473
72.	ओवैसी, श्री असादूद्दीन	1353, 1446, 1464
73.	पलनिसामी, श्री के.सी.	1357
74.	पाण्डा, श्री प्रबोध	1444
75.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	1384, 1395
76.	पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	1371, 1434
77.	पटैरिया, श्रीमती नीता	1365
78.	पाठक, श्री ब्रजेश	1436, 1471, 1487, 1492
79.	पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.	1378, 1475
80.	पाटील, श्री दानवे रावसाहेब	1396
81.	पिंगले, श्री देविदास	1437, 1472, 1488
82.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	1437
83.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	1341, 1378, 1453
84.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	1350
85.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	1389, 1435
86.	राणा, श्री काशीराम	1413, 1415
87.	राव, श्री के.एस.	1350, 1360, 1429
88.	राव, श्री पी. चलपति	1382
89.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	1343, 1396, 1460
90.	राव, श्री डी, विट्ठल	1404
91.	रावले, श्री मोहन	1421
92.	रावत, श्री अशोक कुमार	1422, 1466
93.	रेड्डी, श्री एम. करुणाकर	1364, 1385, 1446, 1457, 1482
94.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	1368, 1430
95.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	1415
96.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	1369

1	2	3
97.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	1378, 1405, 1453
98.	साई प्रताप, श्री ए.	1378
99.	सज्जन कुमार, श्री	1393
100.	सांगवान, श्री किशन सिंह	1353
101.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	1344, 1442, 1476
102.	सत्पथी, श्री तथागत	1345
103.	सेठी, श्री अर्जुन	1374
104.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	1446, 1456
105.	शर्मा, श्री मदन लाल	1473
106.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	1374, 1437, 1455, 1481
107.	शिवन्ना, श्री एम.	1350
108.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	1378, 1439, 1474
109.	शुक्ला, श्रीमती करुणा	1428, 1493
110.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	1403
111.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	1381, 1445
112.	सिंह, श्री चन्द्रभान	1383
113.	सिंह, श्री दुष्यंत	1419, 1438, 1465
114.	सिंह, श्री गणेश	1383
115.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	1449
116.	सिंह, श्री मोहन	1373, 1437
117.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	1378
118.	सिंह, श्री सुग्रीव	1340, 1408, 1458, 1483, 1490
119.	सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन	1417, 1462
120.	सुमन, श्री रामजीलाल	1378, 1401
121.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	1407
122.	तुम्मर, श्री वी.के.	1415, 1431
123.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	1384, 1428, 1493
124.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	1350, 1361, 1397, 1437, 1454
125.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	1427, 1431
126.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	1425, 1469
127.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	1378
128.	वर्मा, श्री राजेश	1378, 1420, 1473
129.	विनोद कुमार, श्री बी.	1426, 1468, 1486
130.	यादव, श्री अखिलेश	1379
131.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	1405, 1424
132.	यादव, श्री बालेश्वर	1342, 1446
133.	यादव, श्री गिरिधारी	1402
134.	यादव, श्री राम कृपाल	1387
135.	यास्खी, श्री मधु गौड	1350, 1429, 1461

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कोयला	:	
कम्पनी कार्य	:	
वित्त	:	121, 122, 123, 124, 128, 134, 135, 138, 139
विधि और न्याय	:	
खान	:	
अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	:	136
विद्युत	:	126, 127, 132, 133, 137
ग्रामीण विकास	:	129, 130, 131, 140
वस्त्र	:	125.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कोयला	:	1347, 1468, 1492.
कंपनी कार्य		1351, 1353, 1390, 1391, 1411, 1450.
वित्त	:	1340, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1348, 1349, 1352, 1354, 1356, 1359, 1360, 1363, 1364, 1366, 1368, 1369, 1371, 1373, 1374, 1375, 1377, 1379, 1381, 1386, 1387, 1388, 1389, 1392, 1394, 1397, 1398, 1399, 1400, 1402, 1405, 1406, 1410, 1412, 1415, 1416, 1418, 1421, 1422, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1434, 1436, 1444, 1445, 1447, 1449, 1451, 1452, 1455, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1463, 1466, 1467, 1469, 1471, 1472, 1473, 1474, 1476, 1479, 1480, 1482, 1485, 1488, 1490, 1493.
विधि और न्याय	:	1350, 1404, 1409, 1443, 1465.
खान	:	1355, 1362, 1408.
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	:	1395, 1491.

विद्युत	:	1361, 1370, 1376, 1378, 1383, 1384, 1385, 1393, 1396, 1401, 1407, 1423, 1433, 1435, 1437, 1438, 1475, 1478, 1481, 1483, 1486.
ग्रामीण विकास	:	1367, 1382, 1403, 1440, 1446, 1456, 1464, 1487, 1489.
वस्त्र	:	1341, 1357, 1358, 1365, 1372, 1380, 1413, 1414, 1417, 1419, 1420, 1424, 1432, 1439, 1441, 1442, 1448, 1453, 1454, 1462, 1470, 1477, 1484.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी०एल०एस०-48/7/10/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।